राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] नवम् विधान सभा के पंचम सत्र का सप्तम दिवस [संख्या : 5

सोमवार,

16 सितम्बर, 1991

विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे, विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आज कितने सवाल लेना चाहते हैं, पहले बता दें ताकि मैं उसी हिसाब से चलूं। सारे मत बोलिये। आप सहयोग करेंगे ना इसमें ?

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : आज तो रिकार्ड कायम कर दें। आज सारे के सारे प्रश्न ले लें। मेरा तो लास्ट है।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह तो सवाल के जवाब देने पर निर्भर करता है साहब।

श्री अध्यक्ष : श्री कल्ला। प्रश्न संख्या 81।

बीकानेर जिले में जल आपूर्ति

81. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में बीकानेर शहर को विश्व बैंक की सहायता से बनी जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत 80 प्रतिशत पानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कंवरसेन (लूणकरणसर) लिफ्ट से व 20 प्रतिशत पानी कुओं से मिलना चाहिये था ? यदि हां, तो वर्तमान में कितना प्रतिशत पानी कुओं से एवं कितना प्रतिशत पानी इन्दिरा गांधी नहर से मिल रहा है ?

(2) क्या बीछवाल जलाशय के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गयी है ? यदि हां, तो अनावश्यक देरी हेतु कौन-कौन दोषी हैं ? इस जलाशय की तकनीकी स्वीकृति कब की गई ? तकनीकी सदस्य के कार्यालय में इस योजना को कब भेजा गया एवं कब स्वीकृति दी गई ? इस योजना को अनावश्यक देरी से स्वीकृति देने से योजना को अनावश्यक देरी से स्वीकृति देने से योजना की लागत में कितनी बढ़ोतरी हुई ? क्या बढ़ी हुई राशि देरी करने वाले संबन्धित

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

तकनीकी अधिकारियों से वसूल की जावेगी ?

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्र (श्री भंवरलाल शर्मा) :

(1) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त मूल योजना में 1990–91 तक 87 प्रतिशत जल की मात्रा कंवरसेन लिफ्ट से तथा 13 प्रतिशत मात्रा स्थानीय कुओं एवं नलकूपों से लिये जाने का प्रावधान था। रिट्क्चर्ड योजना में सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण फिल्टर प्लाण्ट का कार्य स्थगित कर दिया गया, फलस्वरूप परिवर्तित अनुपात नहर से व कुओं से क्रमशः 35 प्रतिशत एवं 65 प्रतिशत हो गया। वर्तमान में औसतन इसी अनुपात में जल प्राप्त किया जा रहा है।

(2) विशेषज्ञ समिति के प्रस्तावों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाकर, कार्य की इन्दिरा गांधी नहर परियोजना विभाग द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया है। तकनीकी स्वीकृति अब उसी विभाग द्वारा की जानी है। लागत में वृद्धि वास्तविक कार्य की निविदाएं प्राप्त होने पर ही ज्ञात हो सकेंगी। विलम्ब के कारणों की जांच के आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वास्तव में क्या विश्व बैंक के साथ राज्य सरकार ने यह वादा किया था कि नहर से 80 प्रतिशत पानी दिया जायेगा और कुओं से 20 प्रतिशत पानी दिया जायेगा ? क्या यह भी सही है कि कुओं का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और बीकानेर के 60 कुओं में से 15 कुएं सूख चुके हैं ? मैं यह भी आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के यहां से रिवाइज्ड एस्टीमेट कब आये ? लागत में कितनी बढ़ोतरी हुई और ये तकनीकी समिति के पास, तकनीकी मेम्बर के पास कितने समय तक रूकता रहा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह योजना 1981 की है और 1981 से लगातार ये प्रश्न किये जा रहे थे कि उसको पूरा किया जाए लेकिन 10 साल तक, 1981 से 1990 तक इसमें कोई ज्यादा प्रगति नहीं हुई और यह पूरा नहीं हो सका। 10 साल के विलम्ब की भी हम जांच कर रहे हैं कि 1981 से 1990 तक यह क्यों नहीं पूरा हो सका और उसके बाद जैसा कि आप कह रहे हैं कि तकनीकी मेम्बर के पास ज्यादा समय लगा। यह विलम्ब हुआ, इसकी जांच के आदेश तो दिये हुए हैं। इसमें भी तकनीकी मेम्बर के स्थानान्तरण होते रहे तो किसकी जिम्मेदारी फिक्स हो, यह तो जांच के बाद आयेगा और उस सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही की जाएगी, करेंगे। अब हमने इसको जल्दी पूरा करने के लिए आई. जी. एन. पी. को दिया है। आप स्वयं जानते हैं कि यह बहुत बड़ी योजना है। मैं समझता हूं, यह राजस्थान का सबसे बड़ा जलाशय बनेगा। उस स्थिति में वहां तो इस प्रकार के अनुभवी लोग नहीं हैं। इसलिए जल्दी हो और ठीक हो, जो हमेशा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

इस काम को करते आये हैं, उसको ही यह काम करते आये हैं, उसको ही यह काम हमने दिया है, और मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें जितनी गति अब लानी चाहिये, वह आ रही है और जल्दी ही इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आप मेरे प्रश्न पर मेहरबानी करके गौर करें। मैंने निवेदन यह किया है कि क्या यह सही है कि विश्व बैंक के साथ राज्य सरकार ने जलदाय विभाग के माध्यम से यह वायदा किया था कि 80 प्रतिशत पानी नहर से दिया जायेगा और 20 प्रतिशत पानी कुओं से दिया जायेगा। उस अनुपात में जलदाय विभाग ने 35 और 65 प्रतिशत कर दिया, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं और रिवाइज्ड एस्टीमेट विभाग के पास कब आये ?

श्री अध्यक्ष : यह 20 और 80 की बजाय 87 और 13 का है। यह जवाब में लिखा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इन्होंने मुझे रिटिन रिप्लाई दिया है, उसमें यह 35 और 65 लिखा है।

श्री अध्यक्ष : अब दिया है न। यह तो जवाब में लिखा है। 87 और 13 का है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 87 और 13 का समझ लीजिए तो यह तो और बुरी बात है। 33 प्रतिशत तो नहर से पानी देंगे जबकि नहर में पानी उपलब्ध है और नहर से पानी बीकानेर तक पहुंचाने में सरकार के करोड़ों रुपये खर्च होते हैं और यह जलाशय इतने वर्षों से नहीं बन रहा है। पहले तो यह लिटिगेशन में चला गया। मैं बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन कर रहा हूं। रिवाइज्ड एस्टीमेट विभाग के पास कब आये और आने के बाद कितने वर्षों तक तकनीकी मेम्बर ने उसको अपने पास रखा और इससे जो 75 लाख का जलाशय बनने वाला था वह आज कितनी लागत में बनेगा ? क्या इसकी वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति और तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी गई है और यह जलाशय कब तक बना देंगे ? अध्यक्ष महोदय, यह बीकानेर का बहुत संवेदनशील प्रश्न है। इन दिनों में, बीकानेर में बरसात के दिनों में भी पानी नहीं आ रहा है और लोग पानी के लिए लाइनें लगाये हुए खड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया। मंत्रीजी, इनके तीन सवाल हैं। एक तो यह 35 और 65 का आपने किया है, वह कब किया और उसके कारण बता दीजिये। दूसरा, यह है कि यह तकनीकी स्वीकृति के लिए कब से पेंडिंग है और तीसरा, रिवाइज्ड एस्टीमेट आए हैं, उसमें बढ़ोतरी कितनी हुई। आपने कहा है कि जब निविदाएं आमंत्रित करेंगे तब पता चलेगा। ये तीन बातें हैं, यह बताइये।

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कुओं में पोटेन्शियल व्यय 65 प्रतिशत पानी का नहीं है बीकानेर में।

श्री अध्यक्ष : हां नहीं होगा। माननीय मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल ठीक है कि इस योजना में देरी के कारण व्यय तो इसमें ज्यादा होगा ही होगा लेकिन एक्चुअली में आपने पूछा है कि इसमें कितनी अधिक धनराशि लगेगी। यह तो वास्तव में आई. जी. एन. पी. के लोग इसकी जांच करके जो एस्टीमेट होगा, जिस समय निविदाएं आयेगी, उस समय कितनी धनराशि की निविदाएं आती हैं, उसके बिना यह कहना कि कितनी बढ़ जायेगी, यह सम्भव नहीं है लेकिन यह तो स्पष्ट ही है कि धनराशि तो बढ़ ही गई। जो योजना 1980 में पूरी होनी चाहिये थी, जो चालू होकर खत्म हो जानी चाहिये थी, आज वह खत्म होगी तो निश्चित बढ़ेगी। अब इसमें किसका दोष रहा, क्यों देरी रही, जैसा आप बार-बार प्रश्न कर रहे हैं। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि इसकी जांच प्रारम्भ कर दी गई है और जांच के बाद ही यह तय कर पायेंगे कि इसमें कौन दोषी है? जैसाकि आप कह रहे हैं कि तकनीकी मेम्बर के पास यह साल-डेढ़ साल रहा, इसमें कौन जिम्मेदार था, तकनीकी मेम्बर के स्थानान्तरण होते रहे, किसका दायित्व होगा, यह तो जल्दी कहना मुश्किल है। यह तो तभी कह पायेंगे जब इसकी पूरी जांच हो जायेगी। जहां तक पानी आपको मिल रहा है। पिछली बार आपको ध्यान होगा कि पिछली गर्मी में सप्ताह भर तक नहर से पानी मिल रहा था। आपके आग्रह पर मैं बीकानेर आया था और उस समय नहर के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई थी और उसके बाद आपको लगातार पानी मिल रहा है और मेरी जानकारी है, आपने भी मुझे कई बार कहा है कि जल की जितनी उपलब्धता पिछले साल रही है, वह कम नहीं रही और काफी सन्तोषप्रद जल व्यवस्था रही है लेकिन मैं फिर भी यह मानता हूं कि जलाशय के निर्माण के बिना बीकानेर की जो समस्या है, उसका समाधान नहीं होगा और इसलिए मैंने निवेदन किया है कि विभाग ने यह उचित समझा कि हम इसको पूरा नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इस प्रकार के विशेषज्ञ नहीं है तो आई. जी. एन. पी. को हमने दे दिया। उन्होंने मांग की है कि एक डिवीजन और दिया जाय। वह डिवीजन उनको दे दिया। उन्होंने मांग की है कि एक डिवीजन उनको दे रहे हैं और उसको जल्दी से जल्दी पूरा कराने की कोशिश करेंगे। यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार यह प्रश्न कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : आप इनका तो होने दीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कि नये स्पेसिफिकेशन आपके पास कब आये? बहुत ही स्पष्ट प्रश्न है कि इस जलाशय के नये स्पेसिफिकेशन अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, बीकानेर के माध्यम से सरकार के पास कब आये और कब तक वहां पर पेंडिंग रहे? मेरी जानकारी के अनुसार यह रिजरवायर जो 75 लाख का बनना चाहिये था, उसकी लागत अब लगभग 5 करोड़ 80 लाख रुपये हो गई है। इस बढ़ी हुई लागत के लिए

(श्री बुलाकीदास कल्ला) : ... कौन जिम्मेदार है ? आप किनकी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि रिजर-वायर को कब तक बना देंगे ? केवल मात्र गोल-मोल जवाब दे रहे हैं आप। मैं पूछना चाहता हूं कि यह नये स्पेसिफिकेशन आपके पास कब आये और इसमें कहां-कहां कितनी देर हुई और उसके बाद अब रिजरवायर की तकनीकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी करके कब बना देंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न दो भागों में है। विलम्ब दो समय में हुआ है। एक तो 10-11 साल पहले आपके जमाने में हो गया और यह अब हुआ है। (व्यवधान)

इसलिए मेरा निवेदन है कि विलम्ब की जांच होगी और दोनों समय के विलम्ब की जांच होगी कि 1990 से पहले क्यों विलम्ब हुआ और 1990 के बाद क्यों विलम्ब हुआ ? तो मैंने निवेदन किया कि हम जांच कर रहे हैं और उसके पहले किसी की लायबिलिटी फिक्स करना कैसे सम्भव हो सकता है। जांच के आदेश तो हमने पहले दे दिये। जैसे ही जांच हो जायेगी, मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि जो भी दोषी पाया जायेगा उसको बख्शा नहीं जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये। (व्यवधान)

मैं भी सुन रहा हूं। देखिये आपके तीन सवाल हुए। इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि विश्व बैंक में ओरिजनली 87 : 13 का अनुपात था लेकिन इनका विभाग यह कर नहीं पाया। जब यह विभाग नहीं कर पाया तो इसने इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को यह काम करने के लिए भेज दिया। परन्तु इस बीच में पानी मिलना चाहिए इसलिए 65 : 35 का रेशियो बना दिया। यानि कुंओं का जो 13 प्रतिशत था उसको बढ़ा दिया ताकि बीकानेर को पानी मिलता रहे। तीसरी बात यह है कि देर कहां हुई, क्यों हुई, किन कारणों से हुई, कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं, इसकी जांच प्रारम्भ कर दी है। अब क्या बाकी रहा, इसमें बताइये ? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : जिस समय डिले हुआ, उस समय जलदाय मंत्री कौन था ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं यह जानना चाहता हूं कि नये स्पेसिफिकेशन विभाग के पास कब आये और आने के बाद यह कहां रुके रहे ?

श्री अध्यक्ष : अब उसकी तो जांच कर रहे हैं ना। कहाँ रुके रहे, विलम्ब का मतलब ही यही है। इसकी जांच कर रहे हैं। अब कब की तारीख बता दूं... रिवाइज कर रहे हैं। आप सुनिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसकी तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति कब जारी की गई और यह जलाशय कब तक बना दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : बस ठीक बात है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह आपके जमाने में ही 1989 में आये थे और तब से यह पड़े रहे, अब हम जल्दी करके इनको आगे भेज रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : स्वीकृति जारी कब की है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं स्वीकृति तो जारी नहीं की है । अब करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : अब करेंगे । श्री मनीराम जी आगे पूछ रहे हैं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कब तक बना दोगे इसको ।

श्री भंवरलाल शर्मा : बहुत जल्दी कोशिश करेंगे ।

श्री मनीराम सियाग : अध्यक्ष महोदय, मेरा बीकानेर जिले में पेयजल आपूर्ति सम्बन्धी मंत्री महोदय से एक सप्लीमेण्टरी क्वेश्चन है । क्या बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जो नहर से पेयजल योजनाएं चालू हैं, उन पर पेयजल फिल्टर परचेज करके....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । बैठिये । श्री रामनारायण जी वर्मा ।

श्री मनीराम सियाग : सम्बन्धित ही कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । यह बीकानेर शहर का मामला है । यह जिले की बात नहीं है ।

श्री रामनारायण वर्मा : बीकानेर शहर में आज की कितनी आबादी मानकर पानी दिया जा रहा है ? उसमें से कितना गैलन दिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है । बिराजिये । माननीय मंत्रीजी, आबादी कितनी मान रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : इस समय 540 लीटर पानी दे रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हो गया । आप बोलिये । बिराजिये आप, प्लीज । महावीर जी का रेकार्ड नहीं किया जाये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर को बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा है और पानी के लिए लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं । इस मामले में सरकार को विलम्ब नहीं करना चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : यहां पानी की कमी हो रही है और आपको मालूम है कि लिफ्ट कैनाल से किसानों को भी पानी दिया जा रहा है । क्या आप यह उचित समझेंगे कि किसानों का पानी काटकर आपको दिया जाये ।

अनेक माननीय सदस्य : पीने को तो दिया जाये ।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है माननीय मुख्य मंत्रीजी तो हमेशा इस बात के लिए एक्सपर्ट रहे हैं कि सब्जेक्ट को डाइवर्ट किया जाये। इस नहर की प्रायोरिटी में किसान और पेयजल यह दोनों अलग-अलग हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप काहे को मंत्री बन रहे हैं। वह सवाल पूछ रहे हैं और आप जवाब दे रहे हैं। बिराजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसमें जो अधिकारी दोषी रहे हैं, उनको दण्डित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : हां, हां कर देंगे। जल्दी कर देंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : रिकवरी की जाये। 75 लाख के प्लान को इन्होंने 5 करोड़ 80 लाख का किया है; उनसे वसूल किया जाना चाहिए। उनकी रेसपोंसबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, वरना यह प्रोजेक्ट जो साल भर पहले पूरा हो जाना चाहिए था, इसमें जान बूझकर देर की गई है टेक्निकल मैम्बरों के द्वारा।

श्री अध्यक्ष : जवाब आप भेजेंगे ना?

श्री कृष्ण कुमार गोयल (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, नीति से जुड़ा हुआ सवाल है।

श्री अध्यक्ष : जवाब देंगे, पूरा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : ठीक है। आपको जवाब दे देंगे। इसी सत्र में।

श्री अध्यक्ष : इसी सत्र में। नैक्स्ट श्री जुबेर खान।

प्रश्न संख्या 82

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

नैक्स्ट डा. चन्द्रभान।

झुन्झुनू सीकर जिलों में पर्यटन का विकास

83. डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या झुन्झुनू एवं सीकर जिलों के पर्यटन विकास के लिए सरकार के पास कोई विस्तृत योजना है?

(2) झुन्झुनू के मण्डावा कस्बे में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार मण्डावा में टूरिस्ट होटल व केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है?

(3) पर्यटक स्थल लोहार्गल, शाकम्भरी और मण्डावा में पर्यटन विकास हेतु वर्ष 1991-92 में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है?

पर्यटन मंत्री (सुश्री पुष्पा जैन) : (1) जी हां। सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में झुन्झुनू एवं सीकर जिले के निम्न स्थलों के विकास का प्रस्ताव है :–

(1) हर्ष पर्वत, (2) जीणमाता, (3) लोहार्गल एवं किरोड़ी में सौन्दर्यकरण, (4) शेखावाटी स्थित हवेलियों के भित्ती चित्रों का संरक्षण, (5) बादलगढ़ (6) शेखावाटी स्थित बावड़ियां।

(सुश्री पुष्पा जैन)

वार्षिक योजना 1991-92 में फतेहपुर स्थित बावड़ी एवं झुन्झुनू में खेतान बावड़ी के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यकरण की योजना स्वीकृत की गई है।

(2) मण्डावा में वर्ष 1989-90 में एक जलपान गृह (किओस्क) का निर्माण 66 हजार रुपये में कराया गया है।

(3) वर्ष 1991-92 में इन स्थलों के विकास हेतु राशि का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरे प्रश्न का जवाब गोलमोल दे दिया। जहां तक आठवीं पंचवर्षीय योजना का सवाल है, वह तो खुद ही अधर-झूल में है। इस सम्बन्ध में आपने जो कहा है कि 1991-92 की वार्षिक योजना में फतेहपुर की बावड़ी और झुन्झुनू के खेतानों की बावड़ी, इनके जीर्णोद्धार और सौन्दर्य-करण की योजना स्वीकृत की गई है। आज सितम्बर का महीना चल रहा है, क्या इन बावड़ियों के जीर्णोद्धार और सौन्दर्यकरण का काम शुरू हो गया है? इसके लिए कितनी धनराशि रखी गई है? नम्बर दो, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि मण्डावा में विदेशी पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए क्या वहां पर टूरिस्ट होटल या सेण्टर खोलने का प्रावधान है? आपने उसका जवाब तो दिया ही नहीं और आपने कह दिया कि 1989-90 में जलपानगृह ...

श्री अध्यक्ष : मतलब शुरूआत कर दी। अभी जलपानगृह से शुरूआत होगी।

श्री सम्पतसिंह : आजकल शृंगार रस की तरफ कैसे रुझान हो रहा है।

डा. चन्द्रभान : शृंगार रस का सवाल नहीं है। मण्डावा में विदेशी पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ रही है। इससे विदेशी मुद्रा मिलती है और यह सवाल विदेशी मुद्रा का भी है और मण्डावा के विकास का भी है। मैंने आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि मण्डावा में आप कोई टूरिस्ट होटल या सेण्टर खोलने जा रहे हैं और इसी सन्दर्भ में मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने इस वर्ष जितने भी टूरिस्ट होटल व सेण्टर्स खोले हैं, उन जगहों पर कितने विदेशी पर्यटक आते हैं और मण्डावा में कितने आते हैं. फिर खोलने की प्रायोरिटी क्या थी? नम्बर तीन, मैंने आपसे पूछा था कि यह तीन पर्यटक स्थल हैं—लोहार्गल, शाकम्भरी और मण्डावा, जो ऐतिहासिक पर्यटक स्थल हैं, उनके विकास के लिए पूछा था। जब उनके लिए कोई धनराशि का प्रावधान ही नहीं है तो विकास कहां से होगा और केन्द्र से आपको जो पैसा मिला था, उस पैसे में से आपने शेखावाटी क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए एक पैसा भी मंजूर नहीं किया। जो 2 करोड़ रुपया आपको मिला, उसको आपने अन्य जगहों पर खर्च कर दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीया मंत्रीजी।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने झुन्झुनू जिले के पर्यटकों के आगमन के सम्बन्ध में जो प्रश्न उठाया

(सुश्री पुष्पा जैन)

है। पर्यटक आगमन में मण्डावा में 1990 में देशी पर्यटक 269 और विदेशी 10800 आये थे। झुन्झुनू जिले में 1990 में देशी 12051 और विदेशी 14131 थे। इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि पहले से ही मण्डावा में तीन होटल चल रहे हैं। केसर मण्डावा, डेजर्ट कैम्प मण्डावा और होटल रथ। जिनमें केसर मण्डावा होटल में 37 कमरे हैं, डेजर्ट कैम्प मण्डावा में 17 कमरों का प्रावधान है और होटल रथ में 25 कमरों का प्रावधान है। इन होटलों के रहते मैंने अभी आपको बताया था कि किओस्क और बना दिया गया है। मैं आपसे यह भी कहना चाहती हूं कि इस विधान सभा सत्र के बाद में और मैं स्वयं और विभाग के अधिकारी आपके साथ जाने को तैयार हैं, आप जिस तरह से भी चाहें। हम चाहते हैं कि शेखावाटी की जिस तरह से डेजर्ट की, जिस तरह से डेजर्ट ट्राइबल की योजना बनाकर हमने केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की है। उसी तरह शेखावाटी के लिये एक विस्तृत योजना बनाकर केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जाय और राज्य सरकार के मद में से भी प्रावधान करके उसका विस्तृत रूप से विकास कराया जाय। मैं समझती हूं आप अगर सहयोग करेंगे तो वायदा करती हूं कि शेखावाटी को विकसित करने में यह पर्यटन विभाग अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेगा।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, आश्वासन के लिये मंत्री महोदय को धन्यवाद, लेकिन मैं यह पूछना चाहूंगा कि विदेशी पर्यटक बढ़ रहे हैं। आपने तीन होटलों की....

श्री अध्यक्ष : आपने देखा कि 1400 में से 14 औसत पड़ते हैं, चार आदमी पर डे।

डा. चन्द्रभान : तीनों जो होटल हैं।

श्री अध्यक्ष : चार आदमी विदेशी पर्यटक हैं, पर डे होते हैं। जो यह संख्या बताई उसमें से 4 पड़ते हैं और वहां पर तीन होटल हैं।

डा. चन्द्रभान : विदेशी पर्यटक साल में कितने आये ?

श्री अध्यक्ष : 1473।

डा. चन्द्रभान : नहीं, 14000 है।

श्री अध्यक्ष : 14 हजार या..., 12 हजार तो देशी बता रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : 14 हजार भी देशी है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर विदेशी ज्यादा आते हैं।

श्री अध्यक्ष : शायद मेरे सुनने में गलती हुई हो।

सुश्री पुष्पा जैन : 1200 हैं।

श्री अध्यक्ष : 1200 ही हैं।

डा. चन्द्रभान : होटलें तो प्राइवेट है उसमें राज्य सरकार का क्या है ?

श्री अध्यक्ष : कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार आदमी कहीं भी होटल में....

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने केवल 66 हजार रुपया ही खर्च किया है।

श्री अध्यक्ष : आप संख्या बढ़ाइये, होटल बन जायेंगे। उन्होंने तो आश्वासन दे दिया है, आप संख्या बढ़ायें।

डा. चन्द्रभान : केवल 66 हजार रुपया खर्च किया है।

श्री अध्यक्ष : अब तो आपको इतनी छूट दे दी कि आप सहयोग करिये, पूरी शेखावाटी का डवलपमेण्ट पर्यटन विभाग करने के लिये तैयार है। विभाग पूरा ध्यान देगा।

डा. चन्द्रभान : मैं तो सहयोग करूंगा लेकिन मेरा एक सवाल और रह गया है।

श्री अध्यक्ष : और लोग भी पूछने वाले हैं आपके शेखावाटी के।

डा. चन्द्रभान : झुन्झुनूं और फतेहपुर की जो बावड़ियाँ हैं जिनके लिये आपने पंचवर्षीय योजना में भी व्यवस्था की है। इनका काम शुरू हो गया या नहीं ?

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के बजट में से हर साल थोड़ा-थोड़ा पैसा दिया जाता है। मैं इसको स्वीकार करती हूं कि इसमें सम्पूर्ण विकास नहीं हो पाता, जो विकास हम करते हैं वह दिखाई नहीं देता। इसलिए मैंने आपसे अर्ज किया था कि एक शेखावाटी की विस्तृत योजना बनायी जायेगी अगर उसमें लम-सम पैसा लगाया जाय केन्द्र और राज्य सरकार का तो नजर भी आयेगा और पर्यटकों को उससे लाभ भी मिलेगा।

श्री दिलसुख राय (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि फतेहपुर में बावड़ी के लिये कितना पैसा 1991-92 के बजट में मन्जूर किया है, कितना पैसा वहां लगा और कितना काम हो गया ?

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, इसमें यह पूछा नहीं गया कि बावड़ी पर कितने पैसे लगे। कितने-कितने पैसे किस मद में लगे है....

श्री अध्यक्ष : यह तो आपने जो जवाब दिया है उसमें से ही प्रश्न उठाया है। आपने कहा कि बावड़ी की मरम्मत के लिये हमने 1991-92 में ... खैर, आपके पास फिगर्स नहीं हैं। बाद में आपको फिगर्स बता देंगी।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं माननीय सदस्य को इसकी विस्तृत जानकारी दे दूंगी।

श्री दिलसुख राय : फिगर्स तो बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : हाँ, आपको फिगर्स बता देंगे।

श्री फूलचन्दजी।

श्री फूलचन्द मीणा (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत यह पूछना चाहता हूं कि यह सीकर, झुन्झुनूं दोनों जिलों के विकास का सवाल है और सीकर का तो पूरा जवाब आया ही नहीं। सीकर

(श्री फूलचन्द मीणा)

में नीमकाथाना क्षेत्र के बालेश्वर और गणेश्वर की 1977-78 में योजना बनी थी और बजट में भी प्रावधान था, और पिछली बार भी लगभग एक लाख रुपया खर्च हुआ और इन्होंने साढ़े तीन लाख रुपये का प्रावधान रखा था। अब तक उसकी पालना नहीं हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : आठवीं पंचवर्षीय योजना में लिया है ना इसको।

सुश्री पुष्पा जैन : हां, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, जो मण्डावा से आने वाले हैं....

श्री अध्यक्ष : नहीं, फतेहपुर।

सुश्री पुष्पा जैन : और एक माननीय सदस्य ने पूछा कि विकास कार्यों पर कितना कितना पैसा लगाया गया। मैं उनको बता चुकी हूं कि विकास कार्य में गणेश्वर और बालेश्वर के पर्यटक स्थलों पर 1989-90 में एक लाख पाँच हजार रुपये दिये गये हैं। बैरथली बावड़ी, झुंझुनूं की मरम्मत एवम् सौन्दर्यकरण में हमने चार लाख सत्तर हजार रुपये इनके कार्य की प्रगति पर लगाये हैं। खेतान बावड़ी, झुंझुनूं की मरम्मत एवं विकास पर दो लाख च्वालिस हजार रुपये, इसके टेण्डर आमन्त्रित कर लिये गये हैं और फतेहपुर स्थित बावड़ी की मरम्मत एवं सौन्दर्यकरण पर दो लाख तेरह हजार रुपये दिये हैं। इस तरह कुल मिलाकर राज्य सरकार ने पन्द्रह लाख उनसठ हजार रुपये दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या विगत वर्ष सीकर में पर्यटन विकास पर आयोजित एक सेमीनार में आपने शेखावाटी का युद्ध स्तर पर पर्यटक विकास करने की घोषणा की थी ? उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है, नम्बर–19 नम्बर–2, फतेहपुर की कौनसी बावड़ी को आपने इस कार्यक्रम के तहत लिया है ? वहां तो कई बावड़ियां हैं। आपने फतेहपुर बावड़ी लिखा है, यह बतायें। नम्बर–3, खेतान बावड़ी को आपने सलेक्ट किया है। इसका क्या मापदण्ड था, किस कारण लिया है ? इससे भी कई अच्छी-अच्छी बावड़ी और केन्द्र हैं जो कि पर्यटकों की दृष्टि से अच्छे हो सकते थे और नम्बर–4, मेरा यह सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि अभी इन्होंने बताया कि खेतान बावड़ी के लिये 2 लाख रुपये और फतेहपुर की बावड़ी के लिये 2 लाख 13 हजार रुपये उन्होंने स्वीकृत किया था पिछले सेशन में या इस सेशन में। अभी तक वहां काम ही शुरू नहीं हुआ है, टेण्डर आमन्त्रित ही नहीं किये हैं। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह अब तक विकास कार्यों पर खर्च हो जायेगा, कब काम शुरू हो जायेगा ?

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां आपने सेमीनार के सम्बन्ध में कहा। मुझे ध्यान नहीं पड़ता कि सीकर के सम्बन्ध में ऐसी कोई सेमीनार हुई हो जहां मैंने स्वयं ने पार्टिसिपेट करके कोई वायदा कर लिया हो।....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप उपस्थित थी सीकर और झुन्झुनूं में पर्यटक विकास की सेमीनार हुई थी तब।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं तो अभी तक सीकर और झुन्झुनूं में, मुझे क्षमा करें, मैं गई नहीं।

डा. चन्द्रभान : आपको चलना चाहिये।

सुश्री पुष्पा जैन : मेरे पहले सुश्री गिरिजा व्यास पर्यटन मंत्री थी शायद माननीय सदस्य को ध्यान पड़ता हो वह गई हों।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब तो आया नहीं कि यह राशि कब तक व्यय हो जायेगी, यह लैप्स नहीं हो जायेगी। अभी तो केवल स्वीकृति हुई है। इसमें काम ही नहीं हुआ है, टेण्डर ही आमन्त्रित नहीं हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया यह बता दीजिये जो रुपये स्वीकृत किये हैं....

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी बताया कि गणेश्वर एवं बालेश्वर पर्यटक स्थलों के विकास के लिये 1989-90 में एक लाख रुपया बताया वह कार्य पूर्ण कर चुके हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं तो बावड़ियों की खाली पूछ रहा हूं।

सुश्री पुष्पा जैन : खेतान बावड़ी, झुंझुनूं की मरम्मत एवं विकास पर 2 लाख 24 हजार रुपये, टेण्डर आमन्त्रित किये गये हैं और इस विधान सभा....

श्री अध्यक्ष : इसी वर्ष में हो जायेगी।

सुश्री पुष्पा जैन : क्योंकि अभी तक मैं सीकर और झुंझुनूं गयी नहीं लेकिन पूरी शेखावाटी मैं आपके साथ दौरा करूंगी और जैसा आप कहेंगे...

श्री अध्यक्ष : यह रुपया लैप्स नहीं होना चाहिये। नैक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आप यह तो बताइये कि आप कौनसी बावड़ी पसंद करते हो।

श्री केदारनाथ शर्मा : जब पसंद करने का मौका मिला, तब तो आपने दिया नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

तिजारों के डोडे की लाइसेंस प्रणाली की मांग

84. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शराब के ठेकों से सरकार को प्रति वर्ष कितनी आय प्राप्त होती है? क्या इसको बन्द करने से सरकार को आय में हानि होती है? यदि हां, तो इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर,

(श्री रामसिंह विश्नोई)

जोधपुर, पाली, अजमेर जिलों में सैकड़ों ग्रामीण तिजारों के डोडे पानी के आदि हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों को डोडे के लाइसेंस देने व प्रत्येक क्षेत्र में शराब के ठेके की तरह डोडे के ठेके खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार की योजना विचाराधीन है ?

आबकारी मंत्री (श्रीमती विद्या पाठक) : माननीय अध्यक्ष जी।

(1) शराब के ठेकों से गत तीन वर्षों में आय निम्न प्रकार हुई है :—

1988-89 में 137·26 करोड़, 1989-90 में 213·39 करोड़, 1990-91 में 249 73 करोड़। वर्ष 1990-91 के लिये जो शराब के ठेके हुए हैं, उसमें रुपये 337·32 करोड़ की आय होने का अनुमान है। शराब के ठेकों को बन्द करने से राज्य सरकार को हानि होगी। जहां तक इसके विकल्प का प्रश्न है, यह एक नीतिगत मामला है जिस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों द्वारा डोडा पोस्त का सेवन किया जाता है। विभाग द्वारा नियमानुसार चिकित्सा अधिकारी के आवश्यक प्रमाण पत्र के आधार पर व्यक्तियों को डोडा पोस्त क्रय करने के लिये परमिट जारी कर रखे हैं। वर्ष 1990-91 में निम्नांकित राजस्व जिलों में पोस्त डोडा परमिटधारियों की संख्या इस प्रकार है :—

यह राजस्व जिलों के हैं। जोधपुर 1954, बाड़मेर 1842, जालौर 309, जैसलमेर 45, पाली 664, अजमेर 514 प्रत्येक क्षेत्र में शराब के ठेके की तरह डोडा पोस्त के ठेके खोलने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। परिणामस्वरूप कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, शराब पीना और पिलाने के लिए ठेके द्वारा व्यवस्था करना अपने आप में अच्छी बात नहीं है लेकिन आप जो यह ठेके की व्यवस्था अपने प्रान्त में करते हैं। इसको आप कैसा समझते हैं ?

श्रीमती विद्या पाठक : व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल रही है।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह तो सब जानते हैं कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है लेकिन सरकार कानून बना कर ठेके द्वारा आमदनी करती है। 250-350 करोड़ रुपये की आमदनी करने के लिए लोगों को पीने के लिए बाध्य करना, इसको आप ठीक समझती हैं ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सदस्य, बाध्य नहीं किया जाता है।

श्री हेतराम बेनीवाल : प्रोत्साहित करते हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : प्रोत्साहित भी नहीं करते हैं। अगर पीना चाहता है तो व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष : परन्तु पीने वाले के लिए कोई सजा भी नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : लेकिन आपने जब मन्दिर, मस्जिद, स्कूल चौराहे सब जगह व्यवस्था की है तो मनचले आदमी का मन तो चलेगा ही ? इसलिए आप क्या इस पर विचार करना उचित समझती हैं कि इसको बन्द किया जाय ? यह जन-हित के लिए ठीक है या सरकार की आमदनी के लिए ठीक है ? किस रूप में आप इसको ठीक समझती हैं । जनहित में सरकार की आमदनी का बहुत बढ़िया स्रोत है या लोगों के स्वास्थ्य के लिए इसको ठीक समझते हैं ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमों के विपरीत अगर कोई व्यवस्था है तो उसको दूर करना आवश्यक है और नियमों की अवहेलना को सरकार अच्छा नहीं समझती है लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न विशेष रूप से डोडा पोस्त के सम्बन्ध में पूछा गया है ।

श्री चम्पालाल बांठिया : अध्यक्ष, महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा जब उन्होंने स्वीकार किया है कि बाड़मेर जिले के अन्दर 1842 लोगों को परमिट जारी किये हैं । लेकिन वहां पर हालत यह है कि उन लोगों की लूट हो रही है । लोगों को समय पर डोडा नहीं मिलता है, यह बात जरूर है कि डोडा पीना बुरी बात है लेकिन जिन लोगों की आदत पड़ गयी है, उन लोगों के साथ इस प्रकार का अन्याय हो रहा है । उसके लिए सरकार कोई इन्तजाम करना आवश्यक नहीं समझती है, जबकि आपको कोई न कोई इन्तजाम करना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : माननीय रामसिंह जी चाहते हैं, अन्याय हो ।

श्री चम्पालाल बांठिया : अफीम के सेवन को बन्द करने के लिए पोस्त डोडा को किया गया है । आप इस पर पुनर्विचार करें और अफीम सेवनी हैं उनको भी आप परमिट करें । लोग लेते हैं और सेवन करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रेमसिंह दहिया ।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, डोडा पोस्त के सम्बन्ध में मेरा सवाल है कि क्या राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस देने में आयु सीमा का भी ध्यान रखा जायेगा । मेरा सुझाव है कि 50 साल से काम वालों को लाइसेंस नहीं देना चाहिए ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन······

श्री अध्यक्ष : मेरे पास जिनके नाम पहले लिखे हैं, उनको पहले लूंगा । आप डोडा लेते हैं, क्या ?

डॉ. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, शराब-बन्दी तो सरकार नहीं कर सकती है लेकिन प्रदेश में अवैध शराब का निर्माण हो रहा है और बिक्री भी धड़ल्ले से हो रही है । सुरा नाम की एक दवाई है । जिसमें 70 प्रतिशत अल्कोहल है और वह अवैध शराब के रूप में बिक रही है और सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : श्री चन्द्रभान जी ने कहा यह सरकार बन्द नहीं कर

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सकती है तो निवेदन करना चाहूंगी कि पिछली बार माननीय भैरोंसिंह शेखावत ही थे जिन्होंने बन्द की थी। अब भी बन्द करेंगे, आप कहो तो सही। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इससे जो आय होती है उसको इकट्ठा करने में जो व्यय होता है वह इससे कम होता है या अधिक होता है।

जो शराब के सम्बन्ध में नियम बने हुए हैं वह बहुत पुराने हैं, स्कूल के पास कच्ची बस्तियों के पास, गन्दी बस्तियों के पास अभी खुल जाते हैं। तो अब मंत्री महोदय कह रही हैं कि जहां गलती है उसको ठीक करेंगे तो क्या नियमों में सुधार करने की गुंजाइश है।

श्री अध्यक्ष : श्री माहिर आजाद। कल्लाजी आपको भी परमिट चाहिए ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय आबकारी मंत्री महोदय को याद होगा कि आपने, पिछले विधान सभा सत्र में, हाउस में आश्वासन दिया था कि, जैसा आज कहा जबरन शराब पिलाने के लिए मजबूर नहीं करते हैं। गुलामपुर में हरिजन बस्ती में शराब का ठेका है उसको तुरन्त बन्द कर दिया जायेगा। कम से कम आठ-दस बार तो मैं लिख चुका हूं, अम्बेडकर नवयुवक मण्डल इनको लिख चुका है, प्रतिनिधि मण्डल आकर मिल चुका है लेकिन आज तक शराब का ठेका बन्द नहीं हुआ। यह कब तक बन्द हो जायेगा। क्यों बन्द नहीं किया और जिन्होंने बन्द नहीं किया उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, हमारे बयाना में भी कई दफा एस. डी. ओ. और कलक्टर से बन्द करने के लिए मेरी खुद की बात हुई पर बन्द नहीं हुआ। बयाना में हरिजन बस्ती और पूरे जिले में जो हरिजन बस्ती हैं, जहां पर शराब के ठेके खुले हुए हैं उनको कब तक बन्द कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : अब हो गया विराजें। जुबेर खान।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय, से जानना चाहूंगा कि यह सुरा है यह शराब का ही रूप है। यह अपने यहां बैन है, बना नहीं सकता। पर यह हरियाणा में बनता है उसको लाकर नाजायज रूप से बेच रहे हैं। दूसरा, इसके सिर्फ दो ही ब्राण्ड बेचे जा सकते हैं। जबकि 20-25 ब्राण्ड ऐसे हैं जो बेचे जाते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह जो अनियमितता हो रही है, हरियाणा से लाकर बेची जा रही है, उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर दयाल यादव।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आबकारी मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, जैसा सदन में माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं, उससे यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, पिछली बार जब जनता शासन था माननीय भैरोंसिंहजी ने राजस्थान में नशाबन्दी का प्रोग्राम लागू किया और सरकार बदली तो इसको निरस्त करके शराब वापस चालू कर दी। उस

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

समय कांग्रेस की सरकार थी जिसने इसको चालू किया। मैं पूछना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री बैठे हैं। जब शराब के मामले में लोग परेशान हैं, जुर्म बढ़ रहे हैं तो क्या वर्तमान सरकार इस शराब के मामले में पुनः विचार कर नशाबन्दी राजस्थान में लागू करने का विचार रखती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इसका जवाब आ जाय तो मेरे ख्याल से सारे सबसे ही हल हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : जिनको पूछना है वह तो पूछेंगे ही। इनके गांव का नाम आना चाहिए कहां पर शराब की दुकान है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : पाली जिले के अन्दर कितने विक्रय लाइसेंस डोडा पोस्त के हैं? कितने शराब के लाइसेंस हैं और उपभोक्ताओं के अनुसार क्या यह डीलरशिप पर्याप्त है? पाली जिले के अन्दर जहां-जहां पर विक्रय डिलर्स हैं उनके अन्दर और दूसरे डीलरों की दुकानें हैं उनके भावों में काफी अन्तर है। इसका क्या कारण है?

श्री अब्दुल हादी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं, मैं काफी अर्से से असेम्बली में हूं और बोलता तो बहुत कम हूं लेकिन कभी-कभी जरूर बोल लेता हूं।

जब पहले यह शराब का मामला चला उस समय भी मैंने कहा था कि हमारे बाड़मेर में शराब बन्द करो, वरना लोग जहरीली शराब पीयेंगे। उस समय माने नहीं और आखिर मजबूर होकर सरकार को शराब को वापस खोलना पड़ा। शराब बुरी चीज है, नहीं पीनी चाहिए। मगर मजबूरी की वजह से सरकार को खोलनी पड़ी। हमारे पड़ौस में गुजरात है। वहां पर शराब की आज तक पाबन्दी है, मगर अपने राजस्थान से सब जगह शराब जाती है। वहां खुली पीते हैं। गुजरात आते हैं, जाते हैं, आंखों से देखते रहते हैं, कोई पाबन्दी नहीं। अर्ज यह है कि करोड़ों-अरबों रुपये सरकार के टैक्स का भार पड़ता है। मैंने जिन्दगी में न तो कभी शराब अपने मुंह में रखी कि उसका क्या मजा है।····

श्री अध्यक्ष : क्यों नहीं प्रस्ताव पास करके तय कर दें आज से कि हम लोग छोड़ते हैं।

श्री अब्दुल हादी : मैं यह अर्ज कर रहा था कि जैसे हमारे बाड़मेर में कई इलाकों में लोग डोडा-अफीम खाते हैं। उनके लिए····

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : प्रस्ताव तो, अध्यक्ष महोदय, आना ही चाहिए।

श्री अब्दुल हादी : मैं हमारे इलाके की बात करता हूं, जहां तक डोडा का सवाल है या तो आप उसको कतई बन्द कर दें चाहे कुछ नुकसान हो, लेकिन जब आपने कुछ रियायत दी है····

श्री अध्यक्ष : श्री गहलोत। हो गया आपका।

श्री अब्दुल हादी : अब आपने परमिट उनको दिया है तो मेहरबानी करके उन लोगों को इतने हिसाब से दे दीजिए जिससे उन लोगों को ज्यादा तकलीफ न हो।

(श्री अब्दुल हादी)

जैसे आपने जगह-जगह दुकानें खोल रखी हैं, हालांकि यह चीज खराब है। कानून तो आप बना देते हैं, उस पर अमल नहीं होता। खुद पुलिस वाले हमारे यहां डोडा वगैरह पीते हैं। मैं यहां अर्ज कर रहा था कि जिनको आपने छूट दे रखी है उन लोगों को परमिट मिलना चाहिए। बूढ़े आदमी जो कम से कम 50-60 बरस की उम्र के हैं उनके लिए कोई न कोई पालिसी तय करें। सरकार का कानून ऐसा है कि न तो उस पर अमल होता है न लोग उसको मानते हैं और उसमें रिश्वतखोरी, बेईमानी सब चल रही है। सरकार को सोचना चाहिए और कुछ फैसला करना चाहिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : आपने डोडा परमिट के लिए जो संख्या बतायी है, क्या ठेकेदारों को उतना ही माल मिलता है या उससे ज्यादा तादाद में माल मिल रहा है ? जोधपुर में मंत्री महोदय ने 1554 परमिट की संख्या बतायी है। मेरा कहना यह है कि वहां मांग ज्यादा है। मैं पूछना चाहता हूं कि 1594 व्यक्तियों को कितना माल मिल रहा है प्रति व्यक्ति और कितना मिलना चाहिए ? उससे ज्यादा संख्या में मिल रहा है उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

दूसरा यह पूछना चाहूंगा कि शराब की दुकान पर शराब पीने के लिए आपने अनुमति दे रखी है या नहीं दे रखी है ? दे रखी है तो इसके क्या कारण हैं ? और नहीं दी है तो शराब की दुकान पर पीना बन्द करने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री रमाकान्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : एक बार जवाब इन लोगों का पहले आ जाय। इसका आप जवाब नहीं चाहते हैं ?

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा एक ही प्रश्न है, साहब।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, पहले बाकी का जवाब आ जाय।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा एक ही प्रश्न है साहब।

श्री अध्यक्ष : एक नहीं, देखिये, सब खड़े हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा एक निवेदन मैं कर लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : मेरे सामने बहुत हैं। मंत्रीजी, बोलिये।

श्री शान्तिलाल (राजसमन्द) : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत छोटा-सा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : बाद में। जवाब आ जाय इनका।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे प्रश्न पूछे गये हैं, दो

(श्रीमती विद्या पाठक)

तरह के प्रश्न पूछे गये हैं। डोडा पोस्त के बारे में, जिसका प्रश्न है और शराब के बारे में भी। पहले मैं थोड़ा रेलेवैण्ट इश्यु के बारे में बताना चाहूंगी। माननीय श्री चम्पालाल जी ने पूछा है कि डोडा-पोस्त और अफीम के परमिट 1842 हैं बाड़मेर में, उसके अनुपात में डोडा-पोस्त अवेलेबल है कि नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह डोडा-पोस्त मेडिकल परमिट्स पर, जितना डाक्टर परमिटधारी को देते हैं लिखकर कि इतने की फिजिकली आवश्यकता है, उसके अनुरूप अवेलेबल करवाया जाता है।

माननीय श्री दहिया जी ने पूछा कि आयु सीमा रखी है कि नहीं। आयु सीमा रखी है कि नहीं। आयु सीमा 1985 से पहले 21 वर्ष थी और अब उसको 35 वर्ष किया हुआ है। 1985 के बाद 35 वर्ष की उम्र से पूर्व की उम्र वाले किसी को डोडा-पोस्त का परमिट नहीं मिल सकता है।

माननीय उजला जी ने कुछ नीतिगत प्रश्न किये हैं कि आय कितनी होती है शराब से और खर्चा होता है। आयु के अनुपात में खर्चा बहुत नामिनल, बहुत कम होता है। नियमों में परिवर्तन कुछ किया गया है और जो नियम हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जाय, इसकी कोशिश की जाती रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करती हूं कि इस्लामपुर का ठेका, जो माननीय सदस्य ने कहा था, एक बार तो हटा दिया गया था। अभी रीसेण्टली मेरी जानकारी में आया है कि उसको फिर खोल दिया गया है। मैं मालूम करूंगी और उसको बन्द करवाने की विधान सभा के आश्वासन के अनुरूप व्यवस्था की जाएगी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हटाया नहीं गया था।

श्रीमती विद्या पाठक : आपने स्वयं मुझको कहा था।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने बताया था आपको, ठेकेदार चेंज हुए थे इसलिए कुछ दिनों वह दुकान बन्द रही थी।

श्रीमती विद्या पाठक : आपने स्वयं मुझ से कहा था।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह कहा था, मैं आपको कह रहा हूं।

श्रीमती विद्या पाठक : अभी पिछले हफ्ते माननीय सदस्य ने फोन पर स्वयं मुझ से कहा था।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : बन्द रही क्योंकि ठेकेदार चेंज हो गये थे।

श्रीमती विद्या पाठक : उसको फिर देख लेंगे।

माननीय सदस्य, जो पाली से पधारते हैं उन्होंने पूछा है कि पाली जिले में कितनी दुकानें हैं और उन्होंने भावों में अन्तर बताया है। भावों में अन्तर होना तो नहीं चाहिए क्योंकि इसके दाम निर्धारित हैं। पाली जिले में डोडा-पोस्त की दुकानों का प्रश्न है तो पाली में एक, फालना में एक, मारवाड़ जंक्शन, सोजत सिटी, आहुजा और कंटालिया में 4, रायपुर, जैतारण, और लाविया में तीन हैं। कोशिश यह की जाती है कि आसपास ही कहीं अवेलेबल हो जाय। पर इन लोगों को परमिट जो

(श्रीमती विद्या पाठक)

दिये जाते हैं उस परमिट के अनुरूप जब ठेके इनवाईट किये जाते हैं तो वे ठेकेदार स्वाभाविक है कि उन दुकानों के लिए आप्ट करते हैं जहां सेल ज्यादा होगी। वहां दुकान उनको स्वीकृत की जाती है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : क्या सरकार शराबबन्दी पुनः लागू कर रही है, इसका जवाब नहीं आया।

श्रीमती विद्या पाठक : ऐसा अभी कोई विचार नहीं है।

डा. चन्द्रभान : क्या कोई सुरा का अवैध शराब के रूप में निर्माण होता है, इस बारे में ?

श्रीमती विद्या पाठक : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि, यदि आपको लगता है कि यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है तो आप प्रक्रिया के किसी नियम के अन्तर्गत मूव करिये, विचार करेंगे। बाकी अभी इसके आगे लूंगा मैं। नैक्स्ट श्री गोपीराम।

श्री गोपीराम जाट : प्रश्न संख्या 85.

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।---(व्यवधान)

कैसे नहीं ? क्या मतलब होता है ? जरूर देना पड़ेगा। रोजाना ही हम मांगा करते हैं, कभी हमारी तरफ देखते ही नहीं, अध्यक्ष महोदय। आप हमको टाइम दिलाइये। हमको आपने अभी कहा था····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको निवेदन किया था। आपने मुझे कहा था कि मैं अभी टाइम दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मुझे एक प्रश्न का भी आपने अवसर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : इसके बाद मैंने कहा कि महत्वपूर्ण प्रश्न है तो किसी प्रक्रिया में आप उठा सकते हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरे को आप अवसर ही नहीं देते हैं। मैं बार-बार निवेदन करता हूं आप से। आप मेरे साथ व्यवहार रखते हो इस प्रकार का।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बोलिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : इधर देखते ही नहीं हो, नजर नहीं डालते हो मेरी तरफ बिल्कुल। आप लगातार उधर देखते रहते हो।

श्री अध्यक्ष : आपकी आवाज इतनी तेज है जो बाहर तक जाती है।

श्री रामस्वरूप मीणा : आवाज तो तेज है, लेकिन बोलने का अवसर तो नहीं देते।

श्री अध्यक्ष : फिर देखने की जरूरत नहीं है मुझे। सुन रहा हूं मैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है, खाली एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : हां, मंत्री महोदय ।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं बोलकर रहूंगा मेरा प्रश्न, साहब ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : स्थानीय नागरिकों का एक प्रतिनिधिमण्डल····

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : इनका दर्ज नहीं हो ।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री हरिकुमार औदिच्य : स्थानीय विधायक ने वहां की परिस्थितियों को देखते हुए कार्यालय स्थानान्तरित किये जाने के बारे में मुझे कहा था । वहां की परिस्थिति और आवश्यकता को देखकर कार्यालय की स्थापना की जाएगी ।

श्री रामवस्वरुप मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये अब आप ।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : I say sit down. I say sit down. This is not the way.

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं आपका नाम पुकारने जा रहा हूं, बैठ जाइये आप ।··· (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अवसर देना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : आप नहीं बैठेंगे ? He can't force me.

श्री गोपीराम जाट : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया है वह जवाब दिया है वह जवाब स्पष्ट नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय···

श्री अध्यक्ष : फिर से पूछिये ।

अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय

85. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर का कार्यालय एक वर्ष पूर्व तक शाहपुरा कस्बे में कार्यरत था जिसका कोटपूतली में स्थानान्तरित कर दिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह कार्यालय अभी तक पूर्णतया कोटपूतली में स्थानान्तरित नहीं हो पाया तथा सारा रिकार्ड अभी तक शाहपुरा में पड़ा हुआ है ?

(3) क्या यह भी सही है कि पूरे क्षेत्र के शिक्षकों व अन्य नागरिकों द्वारा इस कार्यालय को शाहपुरा से स्थानान्तरित न किये जाने के बारे में बार-बार शिक्षा मंत्री को पत्र लिखे गये हैं । यदि हां, तो क्या

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री गोपीराम जाट)

सरकार इस कार्यालय को पुनः यहीं स्थापित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक यह कार्यालय यहां स्थानान्तरित हो जाएगा।

शिक्षा मंत्री (श्री हरिकुमार औदिच्य) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) स्थानीय नागरिकों का इस सम्बन्ध में मुझे कोई पत्र नहीं मिला, किन्तु स्थानीय विधायक ने इस बारे में मुझ से चर्चा की थी और मैंने उनको आश्वासन दिया था कि जब नये उप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोले जायेंगे वहां की आवश्यकता के अनुरूप वहां पर स्थापित किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : सवाल ही नहीं उठता है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : सवाल है, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि शाहपुरा में कभी था नहीं। प्रश्न यहां से शुरू हुआ है....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, जैसा आपने कहा कि स्थानीय विधायक ने मेरे से चर्चा की थी, डिप्टी आफिस जब खुलेगा तब हम विचार करेंगे। एक ही सब-डिवीजन के अन्दर एडिशनल का और डिप्टी का आफिस, दोनों एक जगह कायम करेंगे और दूसरी जगह दूसरे सब-डिवीजन में नहीं करना क्या यह नीतिगत बात है ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। यह इस सवाल से सम्बन्धित नहीं है। नेक्स्ट।

श्रीमती तारा भण्डारी।

सिरोही जिले की जवाहर रोजगार योजना

86 **श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) :** क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सिरोही जिले में वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल कितने कार्य मंजूर किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने अधूरे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अधूरे कार्यों को पूरा करवाने की सरकार की क्या योजना है तथा कार्य अधूरे रहने के क्या कारण रहे ?

विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री (श्री मानधाता सिंह) : (1) सिरोही जिले में जे. आर. वाई. के तहत वर्ष 1990-91 एवं 1991–92 में कुल 2099 कार्य पंचायत समितियों एवं विभागों के माध्यम से स्वीकृत किये गये। सूची परिशिष्ट पर उपलब्ध है।

(2) सिरोही जिले में उपरोक्त 2099 स्वीकृत कार्यों में से 966 कार्य पूर्ण किये गये एवं 1133 कार्य अपूर्ण है। सूची परिशिष्ट पर उपलब्ध है।

(श्री मानधाता सिंह)

(3) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अधूरे कार्यों को उपलब्ध संसाधनों को मध्य नजर रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराये जाने हेतु जिलों को निर्देशित किया हुआ है। ग्राम पंचायतों के कार्य प्रगति पर है एवं विभागों के कार्य जो निर्धारित प्राथमिकता के अनुरूप नहीं आते हैं, उन कार्यों को दिनांक 1-6-1991 से बन्द करने के निर्देश दिये गये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, कुल 50 पर्सेन्ट से भी ज्यादा कार्य अधूरे हैं, इसके क्या कारण हैं? स्पष्ट किया जावे। कार्यों को पूर्ण करवाये जाने हेतु प्राथमिकता के मापदण्ड क्या हैं? प्रश्न संख्या 3, क्या जे. आर. वाई. एक्ट में प्राथमिकता के आधार पर कार्य करवाये जाने हेतु क्या नार्मस् हैं? प्रश्न संख्या 4, 1-6-1991 को कुल कितने कार्य बन्द करने के निर्देश दिये गये हैं? सूचना मय कार्य के नाम मय विभाग के नाम सहित उपलब्ध करवाई जाय। प्रश्न संख्या 5, जो यह सारे कार्य थे यह कार्य बंद करने के निर्देश किसने दिये? प्रश्न संख्या 6, जो कार्य बंद करवाये गये उन पर कितना व्यय हुआ? प्रश्न संख्या 7, इन कार्यों की स्वीकृति किसने दी? और क्या यह स्वीकृति नियमानुसार थी? यदि नहीं, तो दोषी कौन है?

विशिष्ट योजना संगठन मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न किये हैं, एक तो यह कार्य क्यों बन्द किये गये? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कार्य इसलिए बन्द किये गये कि जो निर्धारित जे. आर. वाई. योजना के अन्तर्गत गाइड लाइन्स दी हुई थी उन गाइड लाइन्स के अलावा कार्य ग्राम पंचायतों ने हाथ में ले लिए थे उनको 1-6-1991 से बन्द कर दिया गया।

दूसरा, आपने कहा कि सिरोही जिले में जो जो कार्य अपूर्ण हैं इन अपूर्ण कार्यों को बन्द करने के पीछे क्या कारण रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, कारण इसमें स्पष्ट बताये हैं कि ये-ये कारण रहे हैं कि यह जो कार्य पंचायतों ने लिए वह ग्राम पंचायतों को निर्देशित किये हुए कार्य थे उनके अलावा उन कार्यों को हाथ में ले लिया इसलिए उन कार्यों को बन्द किया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि दूसरे कार्य जो अब अपूर्ण हैं उनके लिए निर्देश दे दिये गये हैं कि प्राथमिकता के आधार पर उनको पूर्ण करवा दिया जाय।

श्रीमती तारा भण्डारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि जो यह कार्य बंद किये गये हैं उनकी प्राथमिकता के मापदण्ड क्या थे? दूसरा, मेरा प्रश्न था कि 1-6-1991 से जो कार्य बंद किये गये हैं वह कुल कितने काम हैं और किन विभागों के हैं? अकेली ग्राम पंचायतों के ही अधूरे नहीं हैं और भी तो विभाग हैं जिन्होंने अपने काम बंद किये हैं और बंद करने के निर्देश किसने दिये और स्वीकृत किसने किये? एक भी जवाब नहीं आया।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप मूल प्रश्न पढ़ें तो उसके अन्दर आप देख लें जो सूचना चाही है सारी वह सदन की मेज पर रख दी गई हैं। अब इसके अलावा अपने जो नये 7 प्रश्न अलग से किये हैं जो इससे निकलते नहीं हैं और अगर यह सारी जानकारी जानना चाहती हैं तो, अध्यक्ष महोदय, आपको और माननीय सदस्या को वैसे दे दूंगा।

श्रीमती तारा भण्डारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्न ही पूछ रही हूं मैंने लिखा है साहब कि अधूरे रहने के कारण क्या हैं ? मूल प्रश्न है मेरा कि काम अधूरे रहने के क्या कारण रहे हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सिरोही जिले में 1990-91 में जवाहर रोजगार योजना के तहत कुल कितना बजट आवंटित हुआ था, उसका कितना उपयोग हुआ, कितना लेप्स हुआ और लेप्स रहने के क्या कारण रहे ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1990-91 में सिरोही जिले के अन्दर 39.98 लाख रुपये की राशि स्वीकृत थी और अभी 1991-92 में 42.76 लाख रुपये हैं। मेरे पास यह सूचना नहीं है कि अब तक कुल कितनी राशि खर्च हो चुकी है और कितनी शेष है ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री शिवजीराम। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, एक मौका और दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आपका हो गया ना। एक सवाल और आने दीजिए। वह आपको सारी इन्फार्मेशन दे देंगे।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूं।

श्री अध्यक्ष : चलिए, पूछिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : एक सवाल यह पूछ रही हूं कि जो सारे काम अधूरे रहे हैं इनकी सरकार कब तक जांच करवा देगी और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करवा देगी ?

श्री अध्यक्ष : वह सवाल की प्रायोरिटी थोड़े ही की जायेगी।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को विश्वास दिलाता हूं कि जो कार्य अधूरे रहे हैं या जिनकी स्वीकृति हो गई थी और वह गलत स्वीकृतियां हुई हैं वह अगर लिखकर मुझे देंगी तो मैं निश्चित रूप से इसकी जांच करवा दूंगा।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, क्या लिखकर दूंगी ? सरकार खुद कह रही है कि 60 पर्सेन्ट से ज्यादा काम अधूरे रह गये हैं। इसकी जांच करवा लीजिए और कितना पैसा अप-व्यय हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आप जांच करवा लीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा आशय भी यही था कि इसकी जांच करवा ली जायेगी।

श्रीमती तारा भण्डारी : कब तक करवा दी जायेगी ?

श्री दिग्विजय सिंह : इसकी एक माह में जांच करवा कर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

जहाजपुर में सड़क निर्माण एवं डामरीकरण कार्य

87. **श्री शिवजीराम** (जहाजपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार जहाजपुर की नवीन कृषि मण्डी से घांघोला तक रोड निर्माण एवं जालमपुरा अप्रोच सड़क का डामरीकरण करने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री सम्पतसिंह) : (1) जी नहीं।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति जहाजपुर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण नवीन मण्डी से घांघोला तक रोड निर्माण एवं जालमपुरा अप्रोच सड़क को डामरीकरण कराया जाना सम्भव नहीं है।

श्री शिवजीराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि पूर्व कृषि मंत्रीजी ने 7 मार्च, 1990 को इस सड़क निर्माण की सार्वजनिक घोषणा की थी ? यदि हाँ, तो राज्य सरकार अपनी घोषणा से अब क्यों मुकर रही है ? और अभी सरकार भी वही है साहब।

श्री सम्पतसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस घोषणा की तो कोई जानकारी नहीं है....

श्री शिवजीराम : माननीय पूर्व मंत्रीजी बैठे हैं जिन्होंने 7 मार्च को मण्डी का उद्घाटन करते समय घोषणा की थी। वहां पधारे थे।

श्री सम्पतसिंह : आपको मालूम है कि गृह मंत्री के पास कितनी जिम्मेदारी होती है, जो उन्हें याद है कि क्या कहा था उन्होंने ?

श्री शिवजीराम : याद कैसे नहीं है साहब ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह सामूहिक जिम्मेदारी है।

श्री शिवजीराम : अध्यक्ष महोदय, 7 मार्च, 1990 को माननीय मुख्य मंत्रीजी कृषि मंत्री थे।

श्री सम्पतसिंह : सड़क निर्माण की जो प्रक्रिया है कृषि उपज मण्डी समिति से प्रस्ताव आते हैं आप वह प्रस्ताव भिजवायें जांच करके निश्चित रूप से करेंगे।

श्री शिवजीराम : माननीय मंत्री महोदय, हमारे यहाँ से प्रस्ताव भिजवा दिये गये हैं। सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी ने सार्वजनिक घोषणा की थी। आप मंत्रीजी थे, आप मना कर दीजिए कि ऐसी घोषणा नहीं हुई ?

श्री सम्पतसिंह : अब असलियत जानना ही चाहते हैं तो जहाजपुर में कोई रुपया

(श्री सम्पत सिंह)

नहीं है जितनी आमदनी आपकी होनी है उससे ज्यादा खर्चा होता है।

श्री शिवजीराम : यह तो माननीय मंत्रीजी को पहले ही पता था।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कृषि विपणन बोर्ड से करवा दीजिए।

श्री सम्पतसिंह : कृषि विपणन बोर्ड से 3 लाख रुपये का कर्जा दिया हुआ है, दूसरी बैंकों से कर्जा दिया हुआ है, आमदनी कोई है नहीं। जो बैलेन्स जानना चाहे उनको लिखकर दिया हुआ है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप भी कर्जदार हो गए।

श्री शिवजीराम : आपकी पार्टी के अध्यक्ष के मुंह से कोई निकली, कोई घोषणा हुई....

श्री सम्पतसिंह : अगर हमारी पार्टी के अध्यक्ष के मुंह से कुछ चीज निकली है तो इस प्रान्त की बहबूदी ही होगी।

श्री शिवजीराम : घोषणा की थी या नहीं की थी कहलवा दीजिए। बहबूदी तो बहुत हो गई। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सामूहिक जिम्मेदारी का मामला है। एक मंत्रीजी वहां पर जाकर घोषणा करके आ गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त होता है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 82

(स्थगित)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगर विकास न्यास से खरीदे भू-खण्डों पर निर्माण

125. **श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यासों से नीलामी के द्वारा दुकानों के जो प्लाट खरीदे जाते हैं उन दुकानों के ऊपर निर्माण कार्य की स्वीकृति न्यासों द्वारा नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, उदयपुर द्वारा विभिन्न सैक्टरों में पार्क के लिये स्थान सुरक्षित रखा गया है ? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में विभिन्न सैक्टरों और कॉलोनियों में कितने पार्क न्यास द्वारा विकसित किये गये और उनके रख-रखाव की क्या व्यवस्था की जा रही है ? गत तीन वर्षों में पार्कों पर किये गये व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

(3) क्या यह सही है कि गत दस वर्षों में समुचित व्यवस्था न होने के फलस्वरूप उदयपुर में कच्ची बस्तियों के निर्माण हुये हैं ? यदि हां, तो वर्तमान में कुल कितनी कच्ची बस्तियां उदयपुर नगर में हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि न्यास द्वारा बेचे हुये या आवंटित प्लाट पर निर्माण करने के लिये नक्शा स्वीकृत करवाना होता है ? यदि हां, तो नक्शा स्वीकृत कर सूचित करने में कितना समय न्यास द्वारा लगाया जाता है ? उदयपुर नगर विकास न्यास में वर्तमान में नक्शे स्वीकृत करने के कितने प्रार्थना-पत्र अब तक विचाराधीन हैं, विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) जी, हां । न्यास की विभिन्न योजनाओं व सैक्टर्स में पार्कों हेतु स्थान प्लॉन में सुरक्षित रखे जाते हैं न्यास द्वारा 8 पार्क विकसित किये गये है । उनके रख रखाव पर गत 3 वर्षों में निम्नानुसार व्यय किया गया है :–

वर्ष 88-89	7,61,120/–
वर्ष 89-90	6,91,102/–
वर्ष 90-91	11,82,300/–

(3) जी, हां । गत 10 वर्षों में चिन्हित कच्ची बस्तियों में विकास कार्य कराये गये है । न्यास क्षेत्राधिकार में कुल 36 चिन्हित कच्ची बस्तियां हैं ।

(4) जी, हां । न्यास द्वारा बेचे/आवंटित भूखण्डों पर नियमानुसार निर्माण की स्वीकृति दी जाती है सामान्यतः प्रार्थी द्वारा प्लान पेश करने पर 15 दिन में स्वीकृत कर दिया जाता है जिन केसों में अनियमितता हो तो, उन मामलों को क्लीयर कराने में सभी शाखाओं से रिपोर्ट लेनी पडती है तथा कुछ मामले नियमित कराने हेतु संबंधित समिति में रखे जाते हैं, जिसके कारण विलम्ब हो सकता है । वर्तमान में प्लान स्वीकृत हेतु कोई प्रार्थना–पत्र पेडिंग नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 126

(स्थगित)

जिला झुन्झुनू की पेयजल समस्या

127. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1989-90 व चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 में झुन्झुनू जिले में नागरिकों को पेयजल सुलभ कराने हेतु कहां-कहां कितने कुएं खोदे गये, कितने हैंड-पम्प लगाये गये तथा कितने ओवरहैड टैंक स्वीकृत किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) झुन्झुनू जिले में कितने कुओं की मोटरें कब से खराब पड़ी हैं ? इन्हें कब तक बदल दिया अथवा सही करा दिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि झुन्झुनू तहसील व झुन्झुनू जिले की पेयजल आपूर्ति

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

अपर्याप्त है ? यदि हां, तो पर्याप्तता हेतु क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) वांछित विवरण संलग्न है।

(2) विभागीय पेयजल योजनाओं में पम्प सैटों के खराब होने तथा उन्हें ठीक किये जाने की लगातार प्रक्रिया है। इन योजनाओं में लम्बे समय से कोई पम्प सैट खराब नहीं है जिसे ठीक नहीं किया गया हो।

(3) झुन्झुनू जिले में 1981 की जनगणना के अनुसार सभी 13 शहर व 689 ग्राम पेयजल योजनाओं से लाभांवित हैं। इनमें से 229 ग्रामों की वर्तमान में वितरित मात्रा पचास प्रतिशत से कम है। जिनमें से 95 ग्रामों की संवर्धन योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। कम वितरित मात्रा के ग्रामों की योजनाओं को धन उपलब्धतानुसार क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

मालवीय नगर जयपुर के सेक्टर 3 के पार्क पर अतिक्रमण

128. श्री शम्भू दयाल बड़गुजर (केकड़ी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की करेंगे :–

(1) क्या आवासीय अभियन्ता (खण्ड द्वितीय), आवासन मण्डल, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक क्र./आर.ई./द्वितीय/90-91/1092, दिनांक 11 जनवरी, 1991 के द्वारा जयपुर शहर के मालवीय नगर आवासीय सैक्टर–3, आवास सं. 524 से 535 व 448 से 460 के सामने वाले पार्क के अवैध अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में पूर्ण तथ्यात्मक विवरण के साथ मुख्य सतर्कता अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण को लिखा था ?

(2) तत्संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों एवं कब तक नियमानुसार कार्यवाही कर अतिक्रमणी को हटा दिया जावेगा ?

(3) इस संबंध में नये अध्यादेश के अन्तर्गत उक्त सरकारी भूमि (सार्वजनिक पार्क) पर से अतिक्रमण हटवाये जाने तथा योजनाबद्ध तरीके से बाउण्ड्री वाल, वृक्षारोपण करने की कार्यवाही कब तक करवा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) मालवीय नगर हाऊसिंग बोर्ड सैक्टर 3 के सामने (तिकोणा) पार्क है, जिसमें वर्तमान में लगभग 30 × 60 फीट में श्री रामगोपाल सैनी पुत्र श्री विजयलाल सैनी द्वारा काटें की झाड़ की बाड़ लगाकर बाडा बना रखा है। तथा उसमें दूध की डेयरी खोल रखी है। श्री सैनी उक्त भूमि का खातेदार है, जिसके द्वारा हाऊसिंग बोर्ड की सैक्टर 3 की योजना हेतु भूमि

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

बेची गई है। उसके द्वारा उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया हैं, बल्कि हाऊसिंग बोर्ड योजना बनने से पूर्व का ही निवास कर रहा है। उक्त पार्क की भूमि के संबंध में हाऊसिंग बोर्ड व खातेदारों के मध्य कोर्ट में परिवाद चल रहा है।

(3) अतिक्रमण हटाने के संबंध में सक्षम न्यायालय से परिवाद के संबंध में अंतिम निर्णय हो जाने पर ही कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

मालवीय नगर, जयपुर के सैक्टर 1 से 4 तक की सफाई व्यवस्था

129. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जयपुर शहर के मालवीय नगर सैक्टर नं. 1 से 4 का आवासीय क्षेत्र, नगर परिषद्, जयपुर के कार्य क्षेत्र में आता है ? यदि उपरोक्त क्षेत्र नगर परिषद् के अन्तर्गत आता है तो दैनिक सफाई के लिए कितना स्टाफ लगा रखा है ? कार्यरत कर्मचारियों की श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सैक्टर नं. 3 के आवास सं. 342 से 460, 533 से 554 तथा इन आवासों के पीछे तथा साइड की लाइन में प्रशासक, नगर परिषद्, जयपुर को बार-बार निवेदन करने के बाद भी दैनिक सफाई नहीं होने का क्या कारण है ?

(3) क्या कार्यरत सफाई कर्मचारियों द्वारा किये गये दैनिक कार्यों की किसी उच्च अधिकारी द्वारा जांच की जाती है ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित अधिकारी द्वारा दैनिक सफाई, आवारा पशुओं तथा गटर लाइन्स की व्यवस्था के संबंध में प्रशासक महोदय की रिपोर्ट दी गयी है ? दी गयी रिपोर्ट्स की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। दैनिक सफाई के लिये निम्नलिखित सफाई कर्मचारी लगाये हुए हैं।

1.	स्वास्थ्य निरीक्षक	1
2	जमादार	4
3.	पुरूष कर्मचारी	38
4.	महिला कर्मचारी	43

(2) पूर्व में सफाई कर्मचारियों की संख्या काफी कम होने के कारण सम्पूर्ण मालवीय नगर क्षेत्र में प्रतिदिन सफाई नहीं करवायी जा सकती थी अब शहर के भीतरी क्षेत्र से वहां कई सफाई कर्मचारी स्थानान्तरित करके सैक्टर 3 की सफाई नियमित करवाई जा रही है।

(3) उच्च अधिकारी भी सफाई की समीक्षा प्रतिदिन आयुक्त मोती डूंगरी जोन कार्यालय में करते हैं। सीवर की जो भी शिकायत आती है उसका समापन निवारण कर दिया जाता है व हाजरीगाह पर शिकायत पुस्तिका उपलब्ध रहती है। जिन-जिन क्षेत्रों से आवारा पशुओं का पकड़ने की शिकायतें आती हैं उन क्षेत्रों में

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

आवारा पशुओं को शीघ्र पकड़ने की कार्यवाही की जाती है इसके अलावा शेष अभियान के दौरान भी विभिन्न क्षेत्रों से आवारा पशुओं को पकड़ा जाता है।

जयपुर शहर के सिनेमा भू-खण्डों को व्यवसायिक केन्द्र में बदलने के नियम

130. श्री मोतीलाल मीणा (सवाई माधोपुर) : एवं

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जयपुर शहर के लिए सिनेमा भू-खण्डों को व्यावसायिक केन्द्र में बदले जाने के नियम/उपनियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो किन-किन शर्तों के अधीन ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 1990 एवं 1991 में जयपुर शहर में सिनेमा को व्यावसायिक केन्द्र के रूप में बदलने की अनुमति दी गई थी ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त व्यावसायिक केन्द्र के भवन की ऊंचाई, तलगृह का निर्माण व छोड़े गए सेंटबेक जयपुर विकास प्राधिकरण विनियमों के अनुसार है ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है ? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या अनुमति देने से पूर्व सभी प्रकार के देय शुल्क प्राधिकरण को जमा करवा दिए गए थे ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन जिम्मेवार है ?

(5) क्या सरकार इस प्रकरण को बने हुए नियमों/विनियमों के विपरीत मानती है ? यदि हां, तो क्या इस मामले में पुनर्विचार किया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

(6) इस अवधि में व्यावसायिक केन्द्रों के निर्माण की अनुमति देने से रूपान्तरण शुल्क व अन्य शुल्कों के रूप में कितनी आय हुई है ? प्रत्येक व्यावसायिक केन्द्र एवं वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी, हां। अम्बर सिनेमा को व्यावसायिक केन्द्र में बदलने की इजाजत दी गई थी। सिनेमा व व्यावसायिक केन्द्र का उपयोग व्यावसायिक ही होने के कारण यह इजाजत दी गई थी। इस व्यावसायिक केन्द्र के मानचित्र सर्वप्रथम 5-2-90 को अनुमोदित किये गये थे। जिसमें तल गृह + भू–तल + दोतल + रिवाल्विंग रेस्टोरेन्ट की अनुमति दी गई थी। प्रार्थी द्वारा उक्त अनुमोदित मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य नहीं करवाये जाने के कारण कार्य रुकवाया गया था प्रार्थी द्वारा संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करने पर पुनः संशोधित मानचित्र तलगृह भूतल + दोतल के लिए ज.वि.प्रा. भवन विनियमों के अनुरुप दिनाक 27--8--91 को अनुमोदित किए गये हैं।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) जी हां। वर्तमान में निर्माण अनुमोदित संशोधित मानचित्रों के अनुरूप हैं।

(4) जी हां। सभी शुल्क जमा करवा दिये गये थे रूपान्तरण शुल्क की तीन छमाही किश्तें ली जाती हैं।

(5) जी नहीं।

(6) सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

नगरपालिका बून्दी में अवैध कब्जों का सर्वे

131. श्री रामस्वरूप (रायसिंह नगर), **श्री मोतीलाल मीणा** (सवाई माधोपुर), एवं **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बून्दी नगरपालिका क्षेत्र में चले आ रहे अवैध कब्जों के संबंध में वर्ष 1980-81 के आसपास राज्य सरकार के आदेश से सर्वे कराया गया था यदि हां, तो उक्त सर्वे के अनुसार कितने व्यक्तियों को आवासीय भूमि का नियमन किया जा चुका है, कितनी पत्रावलियां विचाराधीन है तथा कितने मामले खारिज किये जा चुके हैं ?

(2) क्या उक्त सर्वे में नगरपालिका बून्दी के कर्मचारियों उनके परिवार वालों या रिश्तेदारों के नाम भी आये थे ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उस समय उक्त नगरपालिका के वार्ड संख्या 19 के अवैध कब्जाधारकों की भी सूची बनाई गई थी ? यदि हां, तो उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ? उनमें से कितनों के पक्ष में भूमि का नियमन किया जा चुका है ?

(4) क्या सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अंकित कब्जाधारकों की पत्रावलियां भी बनाई गई थीं ? यदि हां, तो इस समय उक्त पत्रावलियां किसके चार्ज में है ?

(5) क्या वार्ड सं. 19 के सर्वे रजिस्टर की क्र. सं. 147 पर अनु. जाति के रामचन्द्र नामक मजदूर व्यक्ति का नाम अंकित है ? उससे संबंधित पत्रावली के समस्त कागजात सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सर्वे के अनुसार 255 व्यक्तियों को आवासीय भूमि का नियमन किया जा चुका है तथा शेष 687 व्यक्तियों के भूमि नियमन के मामलों में कार्यवाही विचाराधीन है।

(2) सर्वे में नगरपालिका बूंदी के कर्मचारियों उनके परिवार वालों या रिश्तेदारों के नाम के सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है।

(3) जी हां। वार्ड संख्या 19 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के 63 अतिक्रमी थे इनमें से 12 अनुसूचित जाति व जन-जाति के व्यक्तियों के नियमन किये जा चुके है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(4) नगरपालिका बून्दी में सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अंकित कब्जाधारियों की पूर्ण पत्रावलियां नहीं बनाई गई है। जिन कब्जे धारियों ने नियमन के प्रार्थना-पत्र दिये है उनकी पत्रावलियां सम्बन्धित लिपिक के चार्ज में है।

(5) वार्ड नम्बर 19 के सर्वे रजिस्टर की क्रम संख्या 147 पर श्री रामचन्द्र पुत्र श्री कर्णमल दुकानदार का नाम अंकित है। नाम के आगे जाति अंकित है। इससे सम्बन्धित सर्वे रजिस्टर एवं न्यायालय में चल रहे विवाद से सम्बन्धित नगरपालिका में उपलब्ध कागजात की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगरपालिका, सादड़ी (पाली) में फर्जी रसीदों द्वारा राशि की वसूली

132. **श्री अचलाराम** (देसूरी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगरपालिका सादड़ी (जिला-पाली) में फर्जी रसीदों के माध्यम से कितनी राशि वसूल की गई ? यदि हां, तो कितने कर्मचारी इस भ्रष्ट कार्य में लिप्त हैं ? फर्जी रसीद बुकों के जरिये किन-किन व्यक्तियों से किस-किस कार्य हेतु राशि वसूली गई ? उस राशि का क्या किया गया ? जिन व्यक्तियों के नाम से रसीदें काटी गई, उनके नाम, मय राशि विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) नगरपालिका, सादड़ी में अनाधिकृत रसीदों के माध्यम से 15,746-00 रुपये की राशि श्री हैदर अली कनिष्ठ लिपिक द्वारा भूमि किराया के नाम से वसूल की गई। श्री हैदर अली कनिष्ठ लिपिक द्वारा सम्पूर्ण राशि मय ब्याज के नगरपालिका के खाते में बैंक में जमा करा दी। जिन व्यक्तियों से राशि ली जाकर अनाधिकृत रसीदें काटी गई उनके नाम की सूची मय राशि के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) श्री हैदर अली कनिष्ठ लिपिक के विरुद्ध पुलिस में एफ आई आर दिनांक 11-7-1991 को दर्ज करा दी गई एवं उसे दिनांक 17-7-1991 को निलम्बित कर कर दिया गया। तथा जांच अधिकारी, उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय जोधपुर को नियुक्त कर दिया गया हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

जयपुर शहर की सीवरेज लाइनें

133. **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर की कितनी बस्तियों में सीवरेज लाइन डाली गई है ?

(2) क्या बापूनगर में उक्त सुविधा उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(श्रीमती तारा भण्डारी)

(3) क्या यह सही है कि नागरिक विकास संगठन संस्था के अध्यक्ष ने बापूनगर में सीवरेज सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राज्य सरकार को निवेदन किया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर की निम्न बस्तियों में नगर परिषद् जयपुर द्वारा सीवरेज लाइन डाली गईः—

1, पुरानी बस्ती 2, ब्रह्मपुरी 3, तोपखानादेश 4, रामचन्द्रजी 5, सरहद 6, गंगापोल 7, विश्वेश्वरजी 8, मोदीखाना 9, घाटगेट 10, तोपखाना हजूरी 11, बनीपार्क (आंशिक भाग) 12, मिनर्वा सिनेमा के पीछे की बस्ती (आंशिक भाग) 13, जवाहर नगर (आंशिक भाग) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निम्न बस्तियों में सीवरेज लाइन डाली गई हैः—

ज्योतिनगर, जवाहरनगर, वन विहार, मालवीयनगर, नाहरी का नाका।

मानसरोवर योजना में आवश्यकतानुसार सीवरेज लाइन डाल दी गई है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मालवीय नगर एवं विद्याधर नगर योजना में सीवरेज लाइन डाली गई है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण की बापूनगर योजना में सीवरेज लाइन डालने की अलग से कोई योजना नहीं है।

(3) जी, हां। बापूनगर योजना में सीवरेज लाइन डालने के लिए वित्तीय व्यवस्था हेतु वित्तीय संस्थाओं से विचार-विमर्श चल रहा है।

वन विहार हाउसिंग बोर्ड योजना (जयपुर) की विद्युत् व्यवस्था

134. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या यह सही है कि वन विहार हाउसिंग बोर्ड योजना, जयपुर के सैक्टर संख्या 2 के प्लाट संख्या 1 से 25 के समक्ष सरकारी खम्बों पर लगी ट्यूब लाइट्स विगत कई माह से खराब पड़ी हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि सक्षम अधिकारियों के ध्यान में लाने के बावजूद अभी तक भी ट्यूबलाइट्स ठीक नहीं कराई गई हैं ? यदि हां, तो ट्यूबलाइट्स कब तक ठीक करा दी जावेंगी ?

(3) भविष्य में ट्यूबलाइट्स खराब होते ही बिना अधिक विलम्ब किये तुरंत ठीक करा दी जावें, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या किसी प्रकार की कोई नीति रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) ये ट्यूबलाइटस खराब कुछ समय थी जिन्हें अब ठीक कर दिया गया है।

(2) ये ट्यूबलाइट खराब कुछ समय थी, जिन्हें अब ठीक कर दिया गया है।

(3) नगर परिषद् को कालोनी संभालने हेतु कार्यवाही चल रही है लेकिन जब तक नगर परिषद यह जिम्मेवारी वहन नहीं

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

करती है, उस समय तक मण्डल भविष्य में ट्यूबलाइटें खराब होते ही ठीक करवाने की व्यवस्था करेगा।

नगर विकास न्यास, अलवर की कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

135. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या नगरीय विकास एवं अवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास अलवर द्वारा विजय नगर मालवीय नगर, रणजीत नगर हसन मेवाती नगर एवं भगतसिंह कॉलोनी (भिवाड़ी) योजनाओं में मूलभूत सुविधायें (पानी बिजली) नहीं दिये जाने के कारण आवंटी अपने भूखण्डों पर निर्माण कार्य नहीं करवा पा रहे हैं जिससे जन साधारण में भारी असंतोष व्याप्त है ?

(2) इस विशेष परिस्थिति को मद्दे नजर रखते हुये क्या न्यास शहरी भूमि बेचान नियम 7(3) एवं नियम 17 के 6 (सी) प्रावधानों में रियायत देने का विचार रखती है ? यदि हां तो, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा जलदाय विभाग अलवर को 33,07,000/- रुपये कार्य करने हेतु जमा करा दिये है। राज्य सरकार द्वारा अधिक्षण अभियन्ता (जलदाय) का पदस्थापन न्यास, अलवर में किया जा चुका है। जिन्होंने समस्त योजनाओं में कार्यों हेतु तकमीने बनवाकर जलस्रोत का कार्य पूर्ण हो चुका है। उच्च जलाशय, टैंक का निर्माण 70% पूर्ण हो चुका है तथा योजनाओं में पानी की लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है।

विद्युतीकरण

न्यास द्वारा 59,93,424 रुपये कार्य हेतु विद्युत मण्डल को जमा करा दिये है। वर्तमान में राज्य विद्युत मण्डल द्वारा बिजली के पोल लगवाये जा चुके है तथा लाइन भी डलवाई जा चुकी है। कार्य प्रगति पर है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 23-3-91 से नियम 17 (6) के खण्ड (ग) में संशोधन का निर्णय अवधि दो वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष की जा चुकी है तथा पानी व बिजली की आपूर्ती उपलब्ध कराने हेतु अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष कार्य पूरा कराया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 136
(स्थगित)

नये राजस्व ग्रामों की पेयजल योजना

137. श्री दिलसुखराय चौधरी (फतेहपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान में नये राजस्व ग्रामों में पानी पहुंचाने के बारे में कोई योजना विचारधीन है ? यदि हां तो, कब तक नये ग्रामों में पानी पहुंचा दिया जायेगा ?

(श्री दिलसुखराय चौधरी)

(2) क्या सम्पूर्ण सीकर जिले में जल आपूर्ति हो रही है ? यदि नहीं, तो नये राजस्व ग्रामों में सरकार द्वारा कब तक पानी उपलब्ध करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नये राजस्व ग्रामों में पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन धन उपब्धता के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 1991-92 में राज्य में 654 नये राजस्व ग्रामों को लाभांवित किये जाने का लक्ष्य है।

(2) 1981 की जनगणनानुसार सीकर जिले के समस्त ग्रामों व शहरों में जल आपूर्ति हो रही है। साथ ही 16 नये राजस्व ग्रामों को भी लाभांवित किया जा चुका है। शेष राजस्व ग्रामों, ढाणियों व मजरों में धन उपलब्धता के अनुसार योजनाएं क्रियान्वित की जा सकेंगी।

जिला झालावाड़ में लगाये गये हैण्डपम्प

138. श्री हेमराज (किशनगंज) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) झालावाड़ जिले में वर्ष 1990-91 में कितने नये हैण्डपम्प लगाये गये हैं ? किस-किस स्थान पर लगाये गये ? ग्रामानुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में वर्ष 1990-91 में लगे हैण्डपम्पों में से कितने चालू हैं, कितने अभी प्रारम्भ नहीं किये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या वर्ष 1990-91 में लगाये हैण्डपम्पों का कार्य प्राइवेट ठेकेदार से करवाया गया था ? यदि हां, तो कौन-कौन ठेकेदारों से और किस फर्म के नाम से ठेके लिये गये ?

(4) वर्ष 1990-91 में कितने हैण्डपम्प लगाने की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में 1990-91 में लगाये गये 203 हैण्डपम्पों की सूची प्रपत्र "क" में संलग्न है।

(2) 194 हैण्डपम्प कार्यरत है। शेष 9 स्थानों पर बोर होल सूखे होने, मिट्टी पत्थर भर जाने इत्यादि कारणों से चालू नहीं हो सके हैं।

(3) 203 हैण्डपम्पों में से 170 हैण्ड पम्पों का कार्य विभागीय स्तर पर करवाया गया था 33 हैण्डपम्पों का कार्य 3 ठेकेदारों के माध्यम से करवाया गया था जिसकी सूची प्रपत्र "ख" में संलग्न है।

(4) आलोच्य वर्ष में जिले में कुल 313 हैण्डपम्प लगाने की स्वीकृतियां प्राप्त हुई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्न संख्या 139
(स्थगित)

ग्राम मोहनपुरा (बून्दी) की पेयजल समस्या

140. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इन्द्रगढ़, अतिरिक्त तहसील जिला बूंदी के ग्राम मोहनपुरा में पेयजल की समस्या हल करने हेतु कोई योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी तथा इस पर कितनी धनराशि व्यय की जाने की सम्भावना है ?

(2) उक्त योजना को कार्यान्वित नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार जनहित में मोहनपुरा की पेयजल समस्या को हल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। योजना स्वीकृत न होने के कारण संभावित व्यय का विवरण देना संभव नहीं है।

(2) मापदण्डों के अनुसार वर्तमान में पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

(3) मापदण्डों के अनुसार वर्तमान में पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

तहसील कुम्हेर के गांवों की पेयजल समस्या

141. श्री नत्थीसिह (कुम्हेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कुम्हेर तहसील के गांवों की पेयजल समस्या के समाधान एवं जाटोली थून (तहसील नगर) से नलकूपों द्वारा जल आपूर्ति हेतु कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना से किन-किन गांवों को लाभान्वित किया जायेगा तथा योजना पर कुल लागत कितनी होगी ?

(2) क्या यह सही है कि पेयजल समस्या भरतपुर जिले की कुम्हेर तहसील में सर्वाधिक गम्भीर है ? यदि हां, तो प्राथमिकता के आधार पर उक्त योजनाओं को क्रियान्वित करने का राज्य सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) समस्या के निदान हेतु, उपयुक्त स्त्रोत का सर्वेक्षण प्रस्तावित है जिसके सफल होने पर योजना बनाई जायेगी।

बालोतरा नगर की पेयजल समस्या

142. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है, कि बालोतरा नगर की बढ़ी हुई आबादी के लिए पर्याप्त शुद्ध मीठे जल की किल्लत है ?

(श्री चम्पालाल बांठिया)

(2) क्या इस सम्बन्ध में कीटनूंद–बालोतरा जल प्रदाय योजना की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो कब और कितनी राशि की ?

(3) इस जल प्रदाय योजना में अब तक कितनी राशि व्यय हो चुकी है और उसमें कितना कार्य शेष है ? इस अधूरे कार्य को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) नगर में वर्तमान में लगभग 60 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल वितरित हो रहा है ।

(2) जी हां । जून, 1989 में स्वीकृत 23.36 लाख रुपये की स्वीकृत योजना के पश्चात् मार्च, 1991 में 65.32 लाख रुपये की संशोधित योजना अनुमोदित हो चुकी है ।

(3) योजना में मार्च, 1991 तक 23.39 लाख रुपये की राशि व्यय हो चुकी है । स्वीकृत प्रावधानों के अनुसार अभी कुछ पाइप लाइनें, पम्प मशीनरी की आपूर्ति विद्युत सम्बन्ध के कुछ कार्य एवं सिविल निर्माण के कुछ कार्य शेष है जिन्हें पूर्ण करने हेतु संभावित स्त्रोतों से धनराशि प्राप्त कर कार्य पूर्ण करने हेतु विभाग प्रयत्नशील है ।

डग में पानी की टंकी का निर्माण

143. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डग कस्बे की पानी की टंकी के निर्माण हेतु सरकार द्वारा विभाग को स्वीकृति दे दी गई है ? यदि हां, तो कितने बजट की स्वीकृति दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) डग कस्बे में नई टंकी का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) तीस जिले तीस काम योजना के अन्तर्गत पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु 2 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है । स्वीकृति का विवरण प्रपत्र "क" "ख" में संलग्न है ।

(2) नई टंकी का निर्माण धन उपलब्धतानुसार हो सकेगा ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें ।)

राज्य की नगरीय योजनाओं के मानचित्र

144. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की किन-किन नगरीय योजनाओं के मानचित्र राज्य से बाहर तैयार कराये जा रहे हैं ? ऐसे मानचित्र जो तैयार हो चुके हों उनकी प्रति तथा विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) राज्य सरकार को अपने नगर आयोजना विभाग से उक्त कार्य कराने में

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

क्या कठिनाई महसूस हो रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यों से सरकार की कितनी धन राशि व्यय हो चुकी है तथा शेष कितनी और राशि खर्च होगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जिन नगरीय योजनाओं के मानचित्र राज्य से बाहर तैयार कराये गये हैं और मानचित्र तैयार हो चुके हैं उनकी सूची सविवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं। इसके अतिरिक्त नगर सुधार न्यास, अलवर द्वारा भिवाड़ी की पांच आवासीय योजनाओं का एकीकृत मानचित्र राज्य से बाहर तैयार करवाया गया है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर सुधार न्यास अलवर द्वारा सम्बन्धित योजनाओं को विशिष्ट रूप प्रदान करने की दृष्टि से सम्बन्धित योजनाओं के सम्बन्ध में तुलनात्मक रूप से वृहद् कार्यानुभव एवं विशिष्ट ज्ञान रखने वाली संस्थायें जो राज्य से बाहर हैं, यह कार्य दिया गया है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण में जिन योजनाओं के मानचित्र राज्य के बाहर बनवाये गये हैं उनसे सम्बन्धित व्यय की गई धन राशि तथा शेष व्यय किये जाने वाली राशि की विवरणिका परिशिष्ट 'क" पर संलग्न हैं। नगर सुधार न्यास, अलवर द्वारा इस कार्य हेतु 3,11,470/– रुपये व्यय किये जावेंगे जिनमें से अब तक न्यास द्वारा 1,24,696/– रु. व्यय किये जा चुके तथा 1,87,044 रु. किये जाना शेष हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सीलिंग कानून के अन्तर्गत शहरी भूमि की छूट

145. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1 अप्रेल, 1990 से अब तक राजस्थान में शहरी भूमि सीलिंग कानून के तहत कितनी भूमि को किन-किन के पक्ष में, किस-किस आधार पर छूट (मुक्ति) दी जाने के आदेश सरकार द्वारा जारी किये गये हैं ? शहरवार सूची मय विवरण के आदेश प्रदान करने वाले अधिकारी के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1-4-90 से अब तक राज्य सरकार द्वारा जिन-जिन व्यक्ति, संस्था को नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियनम) अधिनियम, 1976 की धारा 19(1) 6 व धारा 20 में दी गई छूट का विवरण सहित सूची संलग्न है। छूट आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं किसी अधिकारी द्वारा नहीं, आदेश पर उप शासन सचिव द्वारा राज्य सरकार की तरफ से हस्ताक्षर किये जाते हैं। सूची में सम्बन्धित शासन सचिव का नाम दर्शा दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

नगरपालिका परबतसर द्वारा भूमि का आवंटन

146. **श्री बिरधाराम चौधरी** (मकराना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका सीमा में जो दुकानें लघु अवधि की लीज या तहबाजारी पर किराये पर दी जाती हैं उनको सब लेट करने का किरायेदारों को अधिकार है अथवा नहीं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि परबतसर नगरपालिका सीमा में बस स्टेण्ड पर नगरपालिका द्वारा किरायेदारों को दी गई भूमि को किरायेदारों ने अन्य को सब लेट कर दी है ? यदि हां, तो क्या नगरपालिका ने मूल किरायेदारों की किरायेदारी खत्म की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक उनको किरायेदारी खत्म कर दी जायेगी ?

(3) क्या यह सही है कि नगर पालिका परबतसर द्वारा बिना सार्वजनिक नीलामी के जिस भूमि का आवंटन स्कूल भवन निर्माण हेतु काबरा चेरीटेबल ट्रस्ट को किया गया था उसी भूमि पर पूर्व में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए दुकानों का निर्माण किया जा रहा था ?

(4) क्या यह भी सही है कि ट्रस्ट द्वारा उक्त भूमि की खरीद में कन्या माध्यमिक स्कूल की छात्राओं से चन्दा वसूल किया गया है ? यदि हाँ, तो कितनी राशि चन्दे के रूप में एकत्रित की गई एवं कहां-कहां खर्च की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि ट्रस्ट द्वारा भूमि की खरीद में छात्राओं से चन्दे के रूप में एकत्रित की गई राशि का उपयोग करना वैधानिक था ? यदि नहीं, तो सरकार कब तक उक्त भूमि के आवंटन को निरस्त कर प्रकरण की जांच कराने का विचार रखती है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। किरायेदारों को किराये पर दी गई भूमि को सबलेट करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि "सबलेटिंग" करने हेतु, कोई नियम या प्रावधान ही नहीं है, तो ऐसे किसी नियम की प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी हां। मूल किरायेदारी समाप्त कर दी गई है।

(3) जी नहीं। काबरा चेरीटेबल ट्रस्ट को कोई भूमि आवंटन नहीं की है और न ही स्कूल भवन हेतु आवंटित भूमि पर समाज कल्याण विभाग या निगम द्वारा दुकानों का कोई निर्माण कराया जा रहा है।

(4) जी नहीं। राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय परबतसर ने सूचना दी है कि छात्राओं से कोई चन्दे की राशि वसूल नहीं की गई है।

(5) प्रश्न के भाग 4 के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

जिला झुन्झुनू में हत्या, चोरी, डकैती एवं बलात्कार के पंजीकृत मामले

147. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुन्झुनू जिले में वर्ष 1989–90 व 1990-91 में हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार आदि के कितने मामले दर्ज हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1989–90 व 1990-91 में हत्या, चोरी, डकैती व बलात्कार के दर्ज मुकदमों में से कितने अपराधी पकड़े गये तथा किन-किन मुकदमों में ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अभी भी उपरोक्त मामलों में से कुछ ऐसे हैं जिनमे नामजद मुल्जिम होने पर भी गिरफ्तारी नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक अपराधी खोज लिये जायेंगे व चालान पेश कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1989-90 (1-4-89 से 31-3-90) व 1990-91 (1-4-90 से 31-3-91) में झुन्झुनू जिले में हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार के दर्ज अभियोगों का विवरण संलग्न परिशिष्ट में है। वर्ष 89-90 में हत्या के 34, चोरी के 278 और बलात्कार के 13 अभियोग दर्ज हुए जबकि वर्ष 90-91 में हत्या के 29 चोरी के 231 व बलात्कार के 7 मामले दर्ज हुए।

(2) वर्ष 1989–90 (1-4-89 से 31-3-90) व 1990-91 (1-4-90 से 31-3-91) में हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार के अभियोगों में पकड़े गये अपराधियों की संख्या संलग्न परिशिष्ट कालम नं. 6 में अंकित है।

(3) ऐसा कोई मामला अन्वेषणाधीन नहीं है जिसमें नामजद मुल्जिम होने पर भी गिरफ्तारी नहीं हुई हो।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 148

(स्थगित)

ग्राम अजेता (बूंदी) की अपराधिक घटनाएं

149. श्री मोतीलाल (सवाईमाधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम अजेता जिला बूंदी में दिनांक 1 जुलाई, 1991 से 21 अगस्त, 1991 तक अपराधिक घटनाएं हुई हैं ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में पुलिस में मुकदमें दर्ज हुये हैं ? यदि हां, तो मुकदमों की नकल की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। 1 जुलाई, 91 से 21 अगस्त, 1991 तक ग्राम अजेता जिला बून्दी में 4 अपराधिक घटनाएं हुई है।

(गृह मंत्री)

(2) जी हां, उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में पुलिस थाना गेण्डोली, जिला बून्दी में 4 मुकदमें दर्ज हुए हैं। मुकदमों की एफ. आई. आर. की प्रतियाँ सदन की मेज पर रखवा दी है।

(मुकदमें की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर के सीमावर्ती पुलिस थानें

150. श्री रामस्वरूप मीणा (रायसिंह नगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर जिला श्री गंगानगर के सीमावर्ती थानों में पुलिस स्टाफ पूरा है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन थानों में स्टाफ पूरा करने का विचार रखती है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर जिला श्री गंगानगर में प्रत्येक थाने में कितने-कितने वाहन हैं और कब-कब दिये गये ? क्या सरकार सीमावर्ती थानों को नया वाहन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर के बड़े-बड़े गांव पुलिस थानों से काफी दूर हैं, उन गांवों में क्या सरकार पुलिस चौकियां खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर पुलिस थानों के भवन काफी अर्से पहले बनाये गये थे तथा ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर पुलिस स्टाफ की अधिक आवश्यकता को देखते हुए भवन छोटे व कम है। यदि हां, तो सरकार इन भवनों को बड़ा व नया बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर के अन्तर्गत मुकलावा, घमूडवाली एवं रायसिंह नगर थानों पर स्टाफ पूरा है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर, जिला श्री गंगानगर के प्रत्येक थाने में निम्न नुसार वाहन उपलब्ध है:—

नाम थाना	वाहन की किस्म व सं.	वाहन दिये जाने की दिनांक
रायसिंह नगर	मीडियम वाहन–1	जून, 1989
	जीप–2	मई, 1988 व सितम्बर, 1989
मुकलावा	जीप–1	मई, 1988
	मोटर साइकिल –1	अगस्त, 1987
घमूडवाली	जीप–1	फरवरी, 1990
	मोटर साइकिल –1	जुलाई, 1988

(गृह मंत्री)

सीमावर्ती थानों अनूपगढ़, करणपुर, हिन्दूमल कोट, संगरिया व हनुमानगढ़ जंक्शन पर 5 वाहन विशेष तौर से अलग से दिये जा चुके हैं। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र रायसिंह नगर के सभी थानों पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर के बड़े-बड़े गांव पुलिस थानों से दूर होने के कारण गुरुद्वारा बूडाजोहड़ा एवं समीजा कोठी पर नई पुलिस चौकियां स्थापित करने हेतु राज्य सरकार ने क्रमशः दि. 18-4-91 व 19-7-91 को स्वीकृति जारी करदी है।

(4) पुलिस थानों हेतु नये भवनों का निर्माण राज्य के आर्थिक संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर है। इस हेतु समय सीमा का निर्धारण करना संभव नहीं है।

राज्य के थानों में अभिरक्षा के दौरान मृत व्यक्ति

151. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) एवं **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 4 मार्च, 1990 से अब तक राज्य में विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में से अभिरक्षा के दौरान मारे गये या मृत पाये गये व्यक्तियों की संख्या कितनी हैं? गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों के नाम व्यक्तियों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या गिरफ्तारी के दौरान मारे गये व्यक्तियों के परिवार को मुआवजा/अनुग्रह राशि सरकार द्वारा दी गई? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के लिए कितनी-कितनी? शेष व्यक्तियों को राहत राशि नहीं दी जाने के क्या कारण हैं? नामजद विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 4 मार्च, 1990 से अगस्त, 1991 तक अभिरक्षा में 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। पूर्ण विवरण सहित सूची परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। दो मामलों में राशि स्वीकृत की गई हैं। शेष व्यक्तियों को राहत इस कारण नहीं दी गई क्योंकि राज्य सरकार का यह नीति निर्णय है कि यदि पुलिस अभिरक्षा में में पुलिस की यातनाओं से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और धारा 176 सी. आर. पी सी. के अन्तर्गत मजिस्ट्रेरियल जांच में यदि यह सिद्ध हो जाता है कि मृतक व्यक्ति की पुलिस की यातना से मृत्यु हुई है तभी उसके परिवार जन को अनुग्रह राशि स्वीकृत की जायेगी अन्यथा नहीं। जिन दो मामलों में अनुग्रह राशि स्वीकार की गई उसका विवरण परिशिष्ट "ब" सदन की मेज पर रख दिया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें।)

थाना जमवारामगढ़ में पंजीकृत वाद

152. **श्री शम्भु दयाल बड़गूजर** (केकड़ी) : क्या हगृमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर देहात के पुलिस थाना जमवारामगढ़ में वाद सं. 2/91 पंजीकृत किया गया था? यदि हां, तो यह वाद अदालत के आदेशानुसार

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

दर्ज किया गया था अथवा किसी व्यक्ति के आवेदन पर ?

(2) उक्त वाद (केस) 2/91 किसके विरुद्ध दर्ज हुआ ? क्या इस वाद में प्रतिवादी के विरुद्ध चालान पेश करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक थी ? यदि हां, तो क्यों और किस नियम के अन्तर्गत ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस वाद में जिला प्रशासन द्वारा पब्लिक प्रॉसीक्यूटर की राय जानने के आदेश हुए थे ? यदि हां, तो किस तिथि को ? क्या पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ने अपनी राय दे दी ? यदि हां, तो किस तिथि को ?

(4) क्या वाद की उपयुक्तता का परीक्षण करने के लिये जो पत्रावली पब्लिक प्रॉसीक्यूटर को भेजी गई थी ? उसके साथ केस डायरी संलग्न थी अथवा नहीं ? यदि हां, तो केस डायरी किस तिथि को भेजी गई ? यदि नहीं, तो केस डायरी नहीं भेजने का क्या कारण था ?

(5) क्या उक्त वाद 2/91 में पुलिस द्वारा चालान में पेश करने का कानूनी प्रावधान है ? यदि हां, तो चालान कब तक पेश किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि जयपुर देहात के थाना जमवारामगढ़ में मुकदमा नं. 2/91 पंजीकृत किया गया था। वह मुकदमा श्री मांगीलाल पुत्र श्री छीतरमल माली निवासी खवारानीजी द्वारा इस्तगासा न्यायालय ए. एम. जे. एम. नंबर 1 जिला जयपुर में पेश करने पर न्यायालय द्वारा 156(3) जा. फौ. के अन्तर्गत थाने पर भिजवाने पर दर्ज किया गया था।

(2) उक्त अभियोग (केस) सर्वश्री सुखदेव पुत्र श्री नारायण, रामधन पुत्र श्री नारायण, जगदीश पुत्र सुखदेव मालीयान, अजीज पुत्र नजीर खां व दिनेश कुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद लांडा हाल सेक्रेट्री ग्राम पंचायत खवारानीजी के विरुद्ध दर्ज हुआ। हां, इस वाद में प्रतिवादी के विरुद्ध चालान पेश करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक थी क्योंकि कथित कार्य श्री अजीज खां पुत्र नजीर खां मुसलमान साकिन खवारानीजी ने सरपंच की हैसियत से किया था। अतः धारा 197 (जा. फो.) के तहत राज्य सरकार के चालान पेश करने की मंजूरी लेना आवश्यक था।

(3) जी हां, इस अभियोग में जिला प्रशासन द्वारा ए.पी.पी प्रथम जयपुर देहात की राय जानने के आदेश हुए थे। यह आदेश दिनांक 6-4-91 को हुए थे। जी हां, ए. पी. पी. प्रथम ने अपनी राय दिनांक 28-6-92 को दी है।

(4) अभियोग में मामला प्रथम दृष्ट्या बनता है या नहीं यह राय लेने हेतु पत्रावली एस. एच. ओ. ओ. द्वारा ए. पी. पी. प्रथम को भेजी गई थी, केस डायरी संलग्न थी। केस डायरी दिनांक 16-2-91 को भेजी गई।

(गृह मंत्री)

(5) अभियोग में ए. पी. पी. (प्रथम) ने अपने परीक्षण नोट में कुछ एतराज किये हैं। वर्तमान में केस अनुसन्धानाधीन है। अनुसन्धान पूर्ण होने के बाद ही कहा जा सकता है कि स्थिति चालान की है या नहीं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 153

(स्थगित)

जिला अलवर में सड़क दुघटनायें

154. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों में अलवर जिले में सड़क दुर्घटना में कितने व्यक्ति हताहत एवं विकलांग हुए ? सूची नाम एवं पूर्ण पते सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) हताहत एवं विकलांग होने वाले किन व्यक्तियों को कितना-कितना मुआवजा सरकार द्वारा दिया गया ? जिन्हें मुआवजा नहीं दिया, उसके क्या कारण है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अलवर में वर्ष 1990 में सड़क दुर्घटनाओं में 164 व्यक्ति हताहत हुए एवं 276 व्यक्ति विकलांग/घायल हुए तथा एक जनवरी, 91 से 31-8-91 तक 94 व्यक्ति हताहत हुए एवं 196 व्यक्ति विकलांग/घायल हुए हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं।

(2) मुआवजा राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है। यह मोटर दुर्घटना प्राधिकरणों द्वारा दिलवाया जाता है। प्राधिकरण जिसको दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पाता है उसी से मुआवजा दिलवाया जाता हैं। प्राधिकरण के आदेशों से अलग राज्य सरकार द्वारा सडक दुर्घटनाओं में किसी प्रकार का मुआवजा देने की रीति या नियम नहीं हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राज्य में तस्करों से बरामदगी

155. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में वर्ष 1990-91 में तस्करों से क्या-क्या माल एवं हथियार कितनी कीमत के बरामद हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान में तस्करी का धंधा बढ़ता जा रहा है ?

(3) यदि हां, तो सरकार द्वारा तस्करी को रोकने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1990-91 (1-1-90 से 31-7-91 तक) तस्करों से बरामद माल मय कीमत एवं हथियारों की सूची संलग्न तालिका में अंकित है।

(2) जी नहीं।

(गृह मंत्री)

(3) प्रदेश में सरकार द्वारा तस्करी रोकने हेतु निम्न प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं :—

1. सीमावर्ती जिलों में बी. एस. एफ., कस्टम एवं जिला पुलिस द्वारा संदिग्ध स्थानों पर छापे मारकर तस्करी/हथियार आदि सामान पकड़ा जाता है।

2. सीमावर्ती जिलों के 24 सीमा पुलिस थानों में महत्वपूर्ण अपराधों में सी.बी.आई. को अनुसन्धान की कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया है।

3. सीमावर्ती जिला में जोंगा, जीप आदि को चैक की जाती है तथा उसका रंग बी.एस.एफ. एवं आर्मी वाहनों से नहीं मिलना चाहिये, ऐसा प्रतिबन्ध लगाया हुआ है।

4. सीमावर्ती जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र में 1 किलो मीटर में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जाता है, किन्तु जैसलमेर जिले में 5 कि.मी. का क्षेत्र रखा गया है।

5. बी. एस. एफ. पुलिस व बी. आई. की आउट पोस्टों को वायरलैस व अन्य साधनों से जोड़ा गया है ताकि अवांछनीय गतिविधियों को सीमावर्ती क्षेत्र में रोका जा सके।

6. बी. आई. की आठ पोस्टें जिला श्री गंगानगर में नई कायम की गई है तथा पुलिस अधीक्षक जोन बीकानेर से स्थानान्तरण कर गंगानगर में स्थापित की गई है।

7. समय-समय पर सीमावर्ती जिलों में पुलिस व बी.एस.एफ मिल कर नाकाबन्दी भी करती है।

8. बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर एवं जोधपुर में संयुक्त पूछताछ केन्द्र खोले गये हैं जहां पर आई. बी., सी. बी. आई., बी. एस. एफ., स्पेशल ब्यूरो एयर फोर्स, एम. आई., कस्टम, बी. आई. आदि एजेन्सियों द्वारा पूछताछ की जाती है।

9. गंगानगर व बीकानेर की सीमा पर तारबन्दी का कार्य भी किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—7 देखें।)

बालोतरा थाने की क्रमोन्नति

156. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि औद्योगिक कस्बे बालोतरा की आबादी 50 हजार के करीब है ?

(2) क्या यह भी सही है कि बालोतरा से जसोल-मांजीवाल-जैरला बिल्कुल जुड़ गया है तथा आसपास के गांवों से सैकड़ों व्यक्ति नित्य प्रति आते रहते हैं एवं प्रदेश एवं देश के कोने-कोने से नित्य सैकड़ों गाड़ियों के आवागमन से वाहनों की संख्या अत्यधिक बढ़ने से दुर्घटनाओं एवं अपराधों में वृद्धि हो रही है ?

(श्री चम्पालाल बांठिया)

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त कारणों से सरकार बालोतरा में इन्सपेक्टर रेंक का थाना प्रभारी लगाने का विचार रखती है ! यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सही है कि औद्योगिक कस्बा बालोतरा की आबादी 50 हजार के करीब है।

(2) यह सही है कि बालोतरा से जसोल-मांजीवाल-जैरला बिल्कुल जुड़ गया है तथा आसपास गांवों से सैकड़ों व्यक्ति नित्य प्रति आते रहते हैं एवं प्रदेश एवं देश के कोने-कोने से नित्य प्रति सैकड़ों लोग गाड़ियों के आवागमन से एवम् वाहनों की संख्या अत्यधिक बढने से दुर्घटनाओं एवं अपराधों में वृद्धि भी हो रही है।

(3) बालोतरा में निरीक्षक रेन्क का थाना प्रभारी लगाये जाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। समय सीमा निर्धारण करना संभव नहीं है।

ग्राम लोगावास [चूरू] में पानी के टेंक को क्षति

157. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि काशीराम पुत्र श्री मानाराम जाति मेघवाल निवासी लोगावास तहसील तारानगर, जिला चूरू के द्वारा बनाया गया पानी का कुण्ड फौजी टैंक द्वारा अभ्यास के समय क्षतिग्रस्त हो गया था जिससे एक हरिजन गरीब परिवार को पीने के पानी का भारी नुकसान हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि जिलाधीश, चूरू द्वारा पत्र संख्या दिनांक 19-5-1989 दिनांक 19-10-1989 व दिनांक 21-6-1991 को पीड़ित हरिजन परिवार को रु. 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) मुआवजा दिये जाने के लिये उप शासन सचिव, गृह (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान जयपुर को पत्र लिखे गये ? यदि हां, तो उन पत्रों पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ! पत्रों की प्रतिलिपि व राज्य सरकार के निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार उपरोक्त नुकसान के 25,000/- उक्त हरिजन परिवार को देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। मुआवजा संबंधी जिला कलक्टर, चूरू के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिन पर विचार किया जाकर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

(2) कलक्टर, चूरू के पत्र पहले गृह विभाग में प्राप्त होना नहीं पाया जाता अब प्रतिलिपियां प्राप्त कर ली गई है। जिनकी प्रतिलिपि संलग्न है। जिला कलक्टर, चूरू के प्रस्ताव पर विचार कर शीघ्र उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

(गृह मंत्री)

(3) इसका उत्तर भाग-दो में प्रेषित कर दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

राज्य में हरिजनों पर अत्याचार के दर्ज मुकदमें

158. श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में 1985-90 तक हरिजन अत्याचार के कितने मुकदमें दर्ज हुए? उनमें कितने मुकदमों से जांच होकर चालान पेश किया गया और कितने मुकदमों में आपसी राजी नामा हो गया? प्रत्येक वर्ष का औसत क्या रहा?

(2) वर्ष 1990-91 में हरिजन अत्याचार के कितने मुकदमें दर्ज हुए हैं? इन दर्ज शुदा मुकदमों में कितनों की जांच करके चालान किया गया और कितने झूठे पाये गये तथा कितने मुकदमों में राजीनामा करवाया गया?

उत्तर

(1) राजस्थान में हरिजनों पर अत्याचार के मुकदमों का वर्ष वार ब्योरा निम्न प्रकार है:—

वर्ष	दर्ज अपराधमय अन्य भाद सं.	चालान	अन्तिम प्रतिवेदन अदम	अदालत में राजीनामा	चालानी प्रतिशत
1985	2023	1517	426	125	94.99
1986	2103	1554	472	131	95.27
1987	2082	1354	631	108	93.37
1988	2249	1380	775	115	94.52
1989	2343	1448	743	58	94.20
1990	2248	1199	802	23	99.66

(2) जनवरी, 1990 से दिसम्बर, 1990 तक हरिजनों पर अत्याचार के मय अन्य भा. दं. सं. के) कुल 2248 मुकदमें दर्ज हुए। जिनमें से 1199 के चालान किये गये एवं 802 में अन्तिम प्रतिवेदन अदम वकू में दी गई। 23 मुकदमों में राजीनामा हुआ 1 जनवरी 1991 से अगस्त 1991 तक हरिजनों पर अत्याचार के (मय अन्य भा. दं. सं. के कुल 1532 मुकदमें दर्ज हुए। जिनमें से 620 के चालान किये गये एवं 356 में अन्तिम प्रतिवेदन अदम वकू में दिया गया।

विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम में पुलिस थाना भवनों का निर्माण

159. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) :— क्या गृह मंत्री यह बताने की करेंगे:—

(1) क्या जिला सवाई माधोपुर के विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के थानों के भवन निर्माण के बारे में सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो इन भवनों को कब तक पूरा कर दिया जावेगा ।

(2) क्या यह भी सही है कि थानों पर जीप की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो राज्य सरकार का कब तक व्यवस्था किये जाने का विचार है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अंतर्गत पुलिस थाना टोडाभीम, गडमोरा एवं नादौती हैं। थाना टोडाभीम एवं गडमोरा सरकारी भवन में कार्यरत है। थाना नादौती किराये के भवन में कार्यरत है। थाना नादौती के भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन हेतु कार्यवाही की जा रही है। भूमि के पश्चात आगे कार्यवाही की जायेगी।

(2) विधान सभा टोडाभीम क्षेत्र के थानों में सिर्फ टोडाभीम थाना पर वाहन उपलब्ध हैं। शेष थानों नादौती व गडमोरा पर वाहन नहीं है। सन् 1992-93 व 1993-94 में वाहन आवंटित करने की योजना है।

राज्य की "तीस जिले तीस काम" योजना

160. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बजट (1991-92) में "तीस जिले तीस काम" योजना शुरू की गई थी ? यदि हां, तो जिलेवार कितना खर्च किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) जिला अलवर में इस योजना के अन्तर्गत क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। योजनान्तर्गत 20 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। अभीतक चयनित प्रवृति की सूचना प्राप्त होने वाले 25 जिलों को 10 लाख रुपये प्रत्येक जिले की दर से कुल 250 लाख रुपये की राशि प्रथम किस्त में कार्यों को शुरू करने के लिये संबंधित जिलों के जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के पी. डी. खातों में दिनांक 28-8-91 को वित्त विभाग द्वारा हस्तान्तरित करा दी गई है। जिलों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-अ)

(2) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की शासकीय निकाय से अनुमोदित अलवर जिले की चयनित प्रवृति सड़क निर्माण है। इस प्रवृति के अन्तर्गत कार्यों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-ब)

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्रतिनियुक्ति पर रखे कर्मचारियों की पदोन्नति

161. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या विशिष्ठ योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विशिष्ठ योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग में अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आये आई. टी. आई. होल्डर को सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नति दी गई है ? यदि हां, तो किस-किस को किस नियम के तहत पदोन्नत किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उपरोक्त विभाग में अन्य डिग्री होल्डर्स कनिष्ठ अभियन्ता को पदोन्नति दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या उक्त विभाग में सहायक अभियन्ता प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ? क्या उन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ता आदि दिये जाते हैं ? यदि हां, तो किन-किन को कब-कब से ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त अभियन्ताओं को प्रतिनियुक्ति भत्ता दिये जाने से सरकार पर कितना व्यय भार पड़ा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि उक्त विभाग में उक्त पदों पर योग्य अभियन्ता कार्यरत है ? यदि हां तो उनको कब तक पदोन्नत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं, क्योंकि विभाग में सहायक अभियन्ताओं का कोई से नहीं हैं ।

(3) वि. यो. एवं ए. ग्रा. वि. विभाग में राज्य सरकार के दूसरे विभाग से लिये हुये सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं । उन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं दिया जाता है ।

(4) प्रश्न नहीं उठता ।

(5) जी हां । इस विभाग में सहायक अभियन्ता के केडर के अभाव में विभागीय कनिष्ठ अभियन्ताओं के लिए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं होने से ऐसे 11 कनिष्ठ अभियन्ताओं के स्वयं के अनुरोध पर उन्हें कृषि विभाग में समावेश करने के आदेश दिनांक 17-10-90 को जारी कराए गए, ताकि उन्हें कृषि विभाग में पदोन्नति का लाभ मिल सके । किन्तु उनके द्वारा राज. उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका पर न्यायालय द्वारा उनका कृषि विभाग में समावेश स्थगित कर दिया गया । मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

केन्द्रीय परिवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत राशि

162. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) केन्द्रीय परिवर्तित योजनाएं (i) जवाहर रोजगार योजना, (ii) एन. आर. आई. पी., (iii) आर. एल. ई. जी. पी. हेतु आवंटित धनराशि का पूर्णता व

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 31-3-1991 तक कितने जिलों से अब प्राप्त हो गये हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उपरोक्त तीनों योजनाओं में कितनी धनराशि का पूर्णता व उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिले से राज्य का तथा राज्य से केन्द्र का प्राप्त होना अवशेष है ?

(3) क्या पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अभाव में धनराशि की अगली किश्त के आवंटन में राज्य को कम धन राशि उपलब्ध होती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाऐं (1) जवाहर रोजगार योजना (2) एन. आर. ई. पी. (3) आर. एल. ई. जी. पी. के दिनांक 31-3-91 तक प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की वर्षवार व जिलेवार स्थिति संलग्न अनुलग्नक--1 में दर्शाई गई है ।

(2) उपरोक्त तीनों योजनाओं की जिलों से राज्य को अवशेष रहे उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की जिलेवार व योजनावार राशि का विवरण संलग्न अनुलग्नक--11 में दर्शाया गया है तथा राज्य के केन्द्र को अलग से कोई उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं भिजवाया जाता है । केवल जिलों से ही प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों की जांच की जांच की जाकर केन्द्र को भिजवाये जाते हैं ।

(3) जी हां, किन्तु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 में रु. 2843,15 लाख प्रथम त्रैमास में दिये गये एवं राज्य सरकार द्वारा अपने अंश के रुपये 15.00 करोड़ की राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को स्थानान्तरित की गई । इस प्रकार रु. 4343.15 लाख की राशि विकास कार्यों हेतु उक्त योजनान्तर्गत उपलब्ध कराई गई । बकाया किश्तों के रिलीज हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र भेजने हेतु सख्त निर्देश दे दिये गये हैं । दूसरी ओर भारत सरकार को भी अ. शा. पत्र लिखकर वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए दूसरी किश्त रिलीज करने हेतु निवेदन कर दिया गया है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला नागौर की जीवन-धारा योजना

163. **श्री मोहनलाल** (परबतसर) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला नागौर में जीवन-धारा योजना के तहत कूप निर्माण हेतु वर्ष 1991-92 में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये है ? उनमें कितने स्वीकृत कर दिये गये और कितने स्वीकृत करना शेष है ? विवरण पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें ।

(श्री मोहनलाल)

(2) पंचायत समिति में स्वीकृति कब प्राप्त हुई ? क्या कूप निर्माण चालू कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं विवरण कृषकवार सदन की मेज पर रखें ।

(3) स्वीकृत शुदा कूप कितने पूर्ण एवं अपूर्ण हैं ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या गत वर्ष का कोई भुगतान बकाया है ? यदि हां, तो किस-किस पंचायत में, किस-किस कृषक का, कितना कितना बकाया है ? बकाया रहने का क्या कारण है अब भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में जीवन धारा योजना के तहत कूप निर्माण हेतु वर्ष 1991-92 में 35 आवेदन पत्र प्राप्त हुए । इनमें से एक भी आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं किया गया । विवरण पंचायत समितिवार निम्न निम्नप्रकार है:—

क. सं.	पंचायत समिति का नाम	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या
1.	मकराना	11	—
2.	डेगाना	8	—
3.	डीडवाना	9	—
4.	मेडता	1	—
5.	मुण्डावा	2	—
6.	रियांवडी	1	—
7.	परबतसर	3	—
	योग	35	—

(2) वर्ष 1991-92 में कूप निर्माण की स्वीकृति नहीं की गई । अतः पंचायत समिति में स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई और कूप निर्माण चालू नहीं किये । क्यों कि पंचायत समितियों आवेदन पत्र अगस्त एवं सितम्बर, 91 में प्राप्त हुये हैं और उनकी जांच कर स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है ।

(3) इस वर्ष में अभी तक कोई स्वीकृति नहीं दी गई अतः कूप पूर्ण एवं अपूर्ण का प्रश्न ही नहीं हैं ।

(4) जी नहीं, गत वर्ष 1990-91 का भुगतान बकाया भुगतान की पंचायत समितिवार, कृषकवार सूची परिशिष्ट "क" पर है । जीवन-धारा के अन्तर्गत

(विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री)

पूर्व में दी गई राशि का कृषकों द्वारा उपयोग कर हिसाब नहीं किये जाने के कारण भुगतान बकाया है। कुछ कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुए है। कृषकों द्वारा हिसाब दिये जाने पर भुगतान कर दिया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में नई प्राथमिक शालायें

164. श्री जुबेरखान (रामगढ़) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ने बजट (1991-92 में 1500 प्राथमिक शालायें खोलने का प्रावधान रखा है ?

(2) प्रदेश में अभी तक इस वर्ष कितनी प्राथमिक शालायें खोली गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा प्राथमिक शालायें खोलने का मापदण्ड क्या है ?

(4) प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कितनी-कितनी प्राथमिक शालायें राज्य सरकार द्वारा खोली जानी प्रस्तावित हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। बजट 1991-92 में 1000 प्राथमिक शालायें खोलने का प्रावधान रखा हैं।

(2) इस वर्ष में अभी तक नवीन प्राथमिक शालाएें नहीं खोली गई हैं।

(3) गांव की जनसंख्याः–

(1) मैदानी क्षेत्र में	250
(2) रेगिस्तानी/ पहाड़ी क्षेत्र में	150

(4) उपरोक्त मानदंड अनुसार शालायें खोलने का निर्णय राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

जिला उदयपुर के जवाहर रोजगार योजना का लेखा–जोखा

165. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जवाहर रोजगार योजना के तहत 2 करोड़ 40 लाख का हिसाब उदयपुर जिले से अभी तक नहीं भेजा गया है और इसका भविष्य में इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि पर प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है ? उसके विरुद्ध प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। यह राशि उदयपुर जिले की जवाहर रोजगार योजना की दिनांक 1-4-91 को रही बचत रु. 2 करोड़ 41 लाख 23 हजार है। इस राशि के हिसाब की कोई आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह बचत राशि वह राशि है जो कि उदयपुर जिले को इस योजना में गत वर्ष 1990-91 में दी गई राशि रु. 11 करोड़ 25 लाख 92 हजार मात्र एवं इसके पूर्व वर्षों की उपलब्ध बचत राशि रु. 4 करोड़ 66 लाख 26 हजार को

(पंचायत राज राज्य मंत्री)

मिलाने के पश्चात् कुल उपलब्ध संसाधन रु. 15 करोड़ 92 लाख 18 हजार मात्र में से वर्ष 1990-91 में किये गये कुल व्यय 13 करोड़ 50 लाख 95 हजार के पश्चात् शेष रही है।

जी नहीं। इस बचत राशि का भविष्य में इस योजना के अन्तर्गत जिले को प्राप्त राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड रहा है, क्योंकि यह राशि वर्ष 1990–91 में उपलब्ध कुल संसाधन राशि रु. 1592.18 लाख के 25% से कमहै। भारत सरकार के इस योजना के निर्देशों के अनुसार यदि नव वर्ष के प्रथम दिवस पर उपलब्ध बचत राशि गत वर्ष के कुल संसाधन के 25% से ज्यादा होती है, तो ही उसकी मात्रा में जितनी कि 25% से ज्यादा राशि बचत में उपलब्ध है, आगामी किश्त के आवंटन में काटी जा सकती है।

चूंकि इस बचत राशि हेतु कोई दोषी नहीं है अतः किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

ग्राम कवाई (अटरू) में वाल्मिकी कालोनी का निर्माण कार्य

166. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अटरू तहसील के कवाई कस्बे में बाल्मिकी कालोनी का निर्माण कब प्रारम्भ किया गया था ?

(2) इस कालोनी के निर्माण हेतु सरकार द्वारा किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ?

(3) क्या यह सही है उक्त कालोनी का अभी तक पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो निर्माण पूरा न होने के सम्बन्ध में कौन अधिकारी दोषी है ? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त कॉलोनी का निर्माण अब कब तक करवाने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अटरू तहसील के कवाई कस्बे में बाल्मिकी कालोनी का निर्माण वर्ष 1985–86 में किया गया था।

(2) इस कालोनी के निर्माण हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 36 भवनों हेतु 232 क्विंटल 33 कि. ग्रा. 334 ग्राम हेतु कीमत न रु. 36,000/- सरपंच कवाई को उपलब्ध कराया गया था।

(3) जी हां, यह सही है कि उक्त कालोनी का अभी तक पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है। उक्त अपूर्ण निर्माण कार्य के लिए श्री रमेश चन्द्र शर्मा, भूतपूर्व सरपंच उत्तरदायी है।

(4) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम

53

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

एवं जवाहर रोजगार योजना के अधूरे कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया हुआ है किन्तु जवाहर रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत बाल्मिकी कोलोनी का निर्माण नहीं कराया जाता है।

पंचायत समिति बैराठ और कोटपूतली के सरपंचों द्वारा पुलियाओं का निर्माण कार्य

167. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली): क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति बैराठ और कोटपूतली में सरपंचों द्वारा पुलियाओं का कार्य 1980 से अब तक कहां-कहां किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य से संबंधित है ? यदि हां, तो कितने तथा किस प्रकार का प्रमाण-पत्र दिया ?

(3) उपरोक्त कार्यों का भुगतान किस किस अधिकारी द्वारा किया गया है ? क्या भुगतान में अनियमिताएं भी हुई है ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त निर्माण कार्यों में से कहां-कहां निर्माण कार्य क्षतिग्रस्त हुये तथा किन-किन को दुरुस्त कराया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त कार्य के सम्बन्ध में जनता द्वारा संबंधित विभाग को शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो किस-किस ने किस-किस सरपंच के विरुद्ध तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि प्राप्त सभी शिकायतों पर जांच की जाकर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर ली गई है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह भी सही है कि कुछ शिकायतों पर जांच कर निर्णय लिया जाना शेष है ? यदि हां तो सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति बैराठ (विराटनगर) में वर्ष 1980 से अब तक जवाहर रोजगार योजना के तहत वर्ष 1989-90 ग्राम कुनेड में उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास एवं वर्ष 1990-91 में ग्राम मंढा में ग्राम रास्ते पर (नाले पर) पुलिया का निर्माण कराया गया। पंचायत समिति कोटपूतली में ग्राम पंचायत दांतिल में एक एवं ग्राम पंचायत राजनोता में दो पुलिकाओं का निर्माण कराया गया।

(2) जी हां। निर्माण कार्यों का मूल्यांकन प्रमाण-पत्र कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा दिया जाता है परन्तु वर्ष 1990-91 से यह प्रावधान कर दिया गया है कि रु. 50,0000 तक की लागत के कार्यों का मूल्यांकन प्रमाण-पत्र कनिष्ठ अभियंता द्वारा जारी न होकर ग्राम पंचायत को ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र देने हेतु अधिकृत कर दिया गया है। उक्त नियमों के तहत

54

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

पंचायत समिति बैराठ के ग्राम कुनेड में उच्च प्राथमिक शाला भवन के पास निर्मित पुलिया का मूल्यांकन प्रमाण-पत्र श्री विजय चन्द गुप्ता, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा जारी किया गया है एवं ग्राम मंढा में निर्मित ग्राम रास्ता नाले पर बनाये गये पुलिया का मूल्यांकन प्रमाण-पत्र कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा जारी न किया जाकर ग्राम पंचायत द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिया गया है। पंचायत समिति कोटपूतली में पुलियाओं का मूल्यकन प्रमाण-पत्र कनिष्ठ अभियन्ता सुभाषचंद शर्मा ने जारी किया। ग्राम दातिल में राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं ग्राम राजनोता के पुलिया के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया गया।

(3) पंचायत समिति बैराठ में पुलिया निर्माण कार्यों का भुगतान सरपंचों द्वारा किया गया। पंचायत समिति कोटपूतली में पुलिया निर्माण कार्यों का भुगतान ग्राम दातिल में श्री आर. एल. सोनी एवं श्री वीरेन्द्रसिंह भण्डारी, विकास अधिकारी द्वारा किया गया एवं ग्राम राजनोता में श्री आर. एल. सोनी एवं श्री दुर्गासहाय पारीक, विकास अधिकारी द्वारा किया गया है। दोनों पंचायत समितियों में ही भुगतान में किसी तरह की अनियमितताएं नहीं हुई है।

(4) पंचायत समिति बैराठ में कोई कार्य क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है पंचायत समिति कोटपूतली में केवल राजनोता गांव की पुलिया क्षतिग्रस्त हुई है जिसकी अभी मरम्मत नहीं हुई है।

(5) जी नहीं। दोनों पंचायत समितियों में जनता से जनता से किसी सरपंच के विरुद्ध शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अतः कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(6) जी नहीं। जब किसी तरह की शिकायत ही प्राप्त नहीं हुई तो कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

(7) जी नहीं। कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तो कोई निर्णय लिया जाना भी शेष नहीं है।

पंचायत समिति सपोटरा (सवाई माधोपुर) में कार्यरत अध्यापक

168. श्री प्रभूलाल पटेल (सपोटरा): क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला सवाई माधोपुर पंचायत समिति सपोटरा में कितनी प्राथमिक शालायें चल रही हैं तथा वर्तमान में उनमें कितने अध्यापक कार्यरत है? शालावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने तय कर लिया है कि प्रत्येक शाला में दो अध्यापक होने चाहिये? यदि हां तो कितनी शालायें अब भी इस क्षेत्र में एक-एक अध्यापक से चलाई जा रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त शालाओं में लड़कों के अनुपात में किसी शाला में कम व किसी में अधिक अध्यापक कार्यरत है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, सपोटरा में 134 प्राथमिक शालायें चल रही हैं। जिनमें 335 अध्यापक कार्यरत हैं शालावार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। परन्तु कई पंचायत समितियों ने इन आदेशों की पूर्ण पालना नहीं की है। विभागीय आदेश संख्या 521 दिनांक 24-4-91 द्वारा पालना हेतु पुनः लिखा जा चुका है। एकल अध्यापकीय शालाओं की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। प्रवेश के समय में शालाओं में छात्रों की संख्या परिवर्तित होती रहती है। अतः आगामी वर्ष छात्रों का स्थायित्व देखकर पदों का समायोजन किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेडा को स्वीकृत राशि

169. श्री श्री चन्द्र कृपलानी (निम्बाहेडा): क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) निम्बाहेडा विधान सभा क्षेत्र में जिला विकास अभिकरण विभाग द्वारा 1989 से 31 अगस्त, 1991 तक किस किस कार्य के लिए कहां-कहां पर कितनी कितनी राशि स्वीकृत की गई व कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ? प्रत्येक का अलग अलग कार्यवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) निम्बाहेडा विधान सभा क्षेत्र में "अपना गांव अपना काम योजना के तहत कितने कार्य मन्जूर हुए ? सूची नामवार सदन की मेज पर रखें।

(3) इन कार्यों में कितने कार्य अधूरे हैं, क्या सरकार इनको पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र में "अपना गांव अपना काम" योजना के तहत कितने कार्य प्रस्तावित हैं ? क्या इनको सरकार मन्जूर करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989–90 से 31 अगस्त, 1991 तक विभिन्न कार्यों हेतु स्वीकृत राशि एवं किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र में "अपना गांव अपना काम" योजनान्तर्गत अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची सदन के पटल पर रखने हेतु परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध हैं।

(3) निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र में "अपना गांव अपना काम" योजना के 8 कार्य अधूरे हैं। जी हां इन कार्यों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। एवं इसी

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

वित्तीय वर्ष में पूर्ण करवा दिये जावेंगे ।

(4) निम्बाहेडा विधान सभा क्षेत्र में "अपना गांव-अपना काम" योजनान्तर्गत 4 कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । जी हां, इन कार्यों हेतु निर्धारित जन सहयोग एवं पंचायत अंश जमा कराते ही कार्य स्वीकृत कर दिये जावेंगे ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्न संख्या 170

(स्थगित)

पंचायत समिति जायल (नागौर) में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापक

171. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति जायल जिला नागौर में सन् 1985 में 49 अप्रशिक्षित अध्यापक कार्यरत थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि इनको नौकरी से हटाये जाने के बारे में उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी कर दिये थे ? यदि हां, तो उक्त आदेश के द्वारा कितने अध्यापकों की नियुक्ति की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में 60 पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो शेष रहे अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । केवल 22 अध्यापकों को ही स्पष्ट रिक्त पदों पर स्टे की पालना में नियुक्ति दी गई ।

(3) जी हां वर्तमान में आपरेशन ब्लैक बोर्ड में 60 पद रिक्त हैं । उक्त पद महिला अध्यापिकाओं के हैं । जिन पर प्रशिक्षित महिलाओं को नियुक्ति दी जावेगी ।

प्राथमिक पाठशाला छावनी (कोटा) में नियुक्त शिक्षक

172. श्री सांवरमल (भिनाय) : एवं **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की ग्राम छावनी, पंचायत समिति तालेड़ा में प्राथमिक पाठशाला है ? यदि हां, तो उसमें कुल कितने छात्र हैं ?

(2) क्या छात्रों की संख्या की दृष्टि से पूरे अध्यापक नियुक्त हैं ? यदि हां, तो कितने ? यदि नहीं, तो छात्र संख्या की दृष्टि से कितने अध्यापकों की नियुक्ति अपेक्षित है ?

(3) क्या सरकार छात्रों की संख्या के मुताबिक प्राथमिक पाठशाला छावनी में

(पंचायत राज, राज्य मंत्री)

अध्यापक नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम छावनी कोटा जिले में न होकर बूंदी जिले में है। ग्राम छावनी, पंचायत समिति तालेड़ा के प्राथमिक विद्यालय में 129 छात्र एवं छात्राएँ हैं।

(2) जी हां। 3 अध्यापक नियुक्त हैं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान की संगीत नाटक एवं ललित कला अकादमियां

173. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या कला एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी में कौन-कौन से पद और वेतनमान स्वीकृत हैं और इन पदों पर चयन की प्रक्रिया क्या है ? क्या ये पद राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत या अनुमोदित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) इन राज्य अकादमियों के अधिकारियों/कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता, चिकित्सा व यात्रा भत्ता आदि क्या दिया जाता है ? इनके नियम किस अधिकृति से स्वीकृत हैं ? क्या सरकार से नियम स्वीकृत नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या इन राज्य अकादमियों के अधिकारियों/कर्मचारियों पर पेंशन योजना लागू है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब से लागू करने का सरकार का विचार है ?

(4) इन अकादमियों के सचिवों का वेतनमान क्या है और इनका पद स्तर, राज्य सरकार के किस अधिकारी के समकक्ष है ? क्या राज्य स्तरीय पद दायित्व को देखते हुये इनके वेतनमानों पर सरकार पुनर्विचार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) राज्य अकादमियों के अध्यक्षों, सचिवों और सदस्यों को क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान संगीत नाटक अकादमी एवं ललित कला अकादमी में स्वीकृत पदों और वेतनमानों की सूची संलग्न परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध हैं। अब तक इन पदों पर चयन अकादमी की साधारण सभा/कार्यकारिणी द्वारा गठित एक कमेटी द्वारा किया जाता है जबकि सचिवों की नियुक्ति आम सभा की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा की जाती है। समस्त पद राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हैं।

(2) इन अकादमियों के अधिकारियों/कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता राज्य सरकार के नियमानुसार एवं अन्य भत्ते सामान्य सभा के निर्णयानुसार देय हैं। इन अकादमियों का विधान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है। चिकित्सा एवं यात्रा भत्ता की दरें संलग्न परिशिष्ट "ख" में अंकित हैं।

(कला एवं संस्कृति मंत्री)

(3) जी नहीं। राज्य सरकार का पेंशन योजना लागू करने का कोई विचार नहीं है।

(4) इन दोनों अकादमियों के सचिवों का वेतनमान रु. 2500-4250 है। इनका पद स्तर राज्य सरकार के शासन सचिवालय के सहायक सचिव के समकक्ष है। ये वेतनमान 1-9-88 से राज्य कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ-साथ पुनरोक्षीत हुए थे।

अब सरकार इस सारी प्रक्रिया पर ही पुर्नविचार का इरादा रखती है।

(5) अब तक दोनों अकादमियों के अध्यक्षों, सचिवों व सदस्यों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-ग- में गई दर्शाई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें।)

चित्तौड़गढ़ जिले में पर्यटन स्थलों हेतु सर्वे

174. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेडा) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में पर्यटन स्थलों हेतु किन-किन स्थानों का सर्वे कराया गया है ?

(2) किन-किन स्थानों पर सरकार पर्यटक स्थल घोषित करने का विचार रखती है ?

(3) छोटी सादड़ी क्षेत्र के भंवरमाता नामक स्थान को सरकार द्वारा पर्यटक स्थल घोषित करने हेतु सर्वे कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में मेनाल, बाडोली एवं चित्तौड़ स्थित किले के विभिन्न स्मारकों का सर्वे करवाया गया है।

(2) विभाग किसी स्थल में पर्यटक स्थल के रूप में घोषित नहीं करता अपितु स्थल के पर्यटकीय महत्व को देखते हुए वहां आवश्यकतानुसार विकास कार्य करवाता है।

(3) विभाग पर्यटक स्थल घोषित नहीं करता है।

लक्ष्मणगढ़ में मिड-वे का निर्माण

175. **श्री दिलसुखराय चौधरी** (फतेहपुर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि यह वर्ष, पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पर्यटन वर्ष के उपलक्ष में लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर में मिड-वे का निर्माण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, हां। लक्ष्मणगढ़ में वर्तमान में मिड-वे बनाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकार ने पर्यटन मंत्रालय,

(पर्यटन मंत्री)

भारत सरकार के सहयोग से फतेहपुर में एक पर्यटक विश्रामगृह का निर्माण करवाया है जो कि लक्ष्मणगढ़ से कुल 21 कि. मी. की दूरी पर है। अतः उसके नजदीक ही मिड-वे बनाने का औचित्य नहीं है।

ग्राम जावदीनगर की भूमि का आवण्टन

176. श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जावदीनगर तहसील नावां के पुराने खसरा नं. 3 वाली भूमि राजकीय उपक्रम विभाग को दी गई थी? क्या खसरा नं. 3 में से कुछ भूमि वर्ष 1972 में तहसील के रिकार्ड के अनुसार ग्राम जावदीनगर के किसानों को भी आवंटित की थी? क्या आवंटित व्यक्ति आज भी काबिज हैं एवं इस सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय में वाद भी लम्बित हैं?

(2) क्या यह सही है कि खसरा नं. 3 में से कुछ भूमि को लवण बनाने के लिए रूपान्तरित कर खाडे बना लिए हैं जबकि खसरा नं. 3 अभी भी नाकाबिलेकाश्त पायतण दर्ज है?

(3) क्या यह सही है कि खसरा नं. 3 पहले राजकीय उपक्रम विभाग को दी गई थी जिसे कब्जा लिए बिना ही गैर-कानूनी रूप से उद्योग विभाग को दे दी गई है एवं उद्योग विभाग ने सात पूंजीपतियों को आवंटित कर दी है? यदि हां, तो किस नियम के तहत की है? सूची सदन की मेज पर नियमों सहित रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, राजकीय उपक्रम विभाग को यह भूमि कभी भी आवंटित नहीं की गई। उक्त भूमि में से कुछ भूमि रूपान्तरण कर खातेदारों को नमक विनिर्माण हेतु वर्ष 1970 में आवंटित की गई थी, जिस पर 11 व्यक्ति काबिज हैं। विभाग को किसी वाद के लम्बित होने की जानकारी नहीं है।

(2) जी हां। खसरा नं. 3 में कुछ भूमि के परिवर्तन की स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा दी गई थी जिसमें खाडे बनाये गये हैं। खसरा नं. 3 में अवंटित भूमि के अतिरिक्त 1500 बीघा भूमि राजकीय खाते में नाकाबिल काश्त लवण क्षेत्र दर्ज है।

(3) जैसा कि प्रश्न भाग (1) के उत्तर में दर्शाया गया है कि खसरा नं. 3 की 1500 बीघा भूमि राजकीय उपक्रम विभाग को कभी भी आवंटित नहीं की गई थी। अतः गैर कानूनी रूप से उद्योग विभाग द्वारा भूमि लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। उक्त भूमि में से 5 व्यक्तियों को नमक उत्पादन हेतु भूमि उन्हें आवंटित अन्य भूखण्डों के एवज में आवंटित की गई थी। यह आवंटन राजस्थान भू-राजस्व (लवण क्षेत्र आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत किया गया था। पुनर्विचार के पश्चात् आवंटन आदेश वापस ले लिये गये।

(उद्योग मंत्री)

नियमों की प्रति आवंटितियों के नाम की सूची सहित सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अलवर एम. आई. ए. के उद्योग

177. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अलवर एम. आई. ए. में कुल कितने उद्योग पंजीकृत हैं ? कार्यरत एवं बन्द उद्योगों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बन्द उद्योगों को पुनः शुरू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अलवर मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र एम. आई. ए. में कुल 320 औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत हैं। जिनमें से 186 उद्योग कार्यरत एवं 134 उद्योग बंद हैं। कार्यरत एवं बन्द उद्योगों की सूची "क" और "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। रूग्ण इकाइयों को पुर्नचालन करने की विभिन्न संस्थानों यथा राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, उद्योग निदेशालय की निरन्तर प्रक्रिया है जिसमें बैंकों आदि का सहयोग भी अपेक्षित होता है। अतः निश्चित अवधि बताना सम्भव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला पाली में चूने के पत्थर की खानें

178. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पाली जिले में 15 वर्ग किलोमीटर के चूने के पत्थर के खनन क्षेत्र कौन-कौन से हैं व किस-किस पर कितनी-कितनी राशि अधिशुल्क व भूमिकर की किस-किस वर्ष की कब-कब से बाकी है व उनके विरुद्ध संविदा की शर्तों के अनुसार कब-कब पैनल नोटिस दिये व कब-कब चेतना पत्र दिये व कब-कब वसूली न होने की सूरत में पट्टे को खंडित करने की कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) प्रश्न के भाग (1) में बताये पट्टे में से किस-किस पट्टे को राज्य सरकार ने प्रतीसंहृत कब-कब किया, कब्जा कब-कब लिया व कब्जा लेने के बाद उक्त प्रतीसंहृत के आदेशों को कब-कब मंसूख किया व अप्रधान खनिज रियायती नियम के किस नियम के अन्तर्गत राज्य सरकार ने ये आदेश पारित किये ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के अप्रधान खनिज रियायती नियमों में अपने आदेश को रिव्यू करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो किस प्रावधान के तहत

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

प्रश्न के भाग (2) में बताये आदेश पारित किये ?

उत्तर

(1) पाली जिले में 15 वर्ग कि. मी. के चूने के पत्थर के दो खनन पट्टे निम्न नाम से स्वीकृत हैं :—

1. श्री केवल चन्द्र मण्डोत निकट ग्राम खारियां, तहसील सोजत जिला पाली
2. सर्वश्री सोजत लाइम कम्पनी निकट-ग्राम अटपड़ा तहसील सोजत, जिला पाली

इन पार्टियों में स्थिरभाटक, अधिशुल्क व भूमिकर की बकाया राशि व की गई कार्यवाही का विवरण सलंन प्रपत्र "अ" में अंकित है।

(2) बिन्दु संख्या–1 में वर्णित मामलों में से सोजत लाइम कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा निकट ग्राम अटपड़ा का नवीनीकरण स्वीकृति आदेश दिनांक 19-1-83 शासन के आदेश दिनांक 3-5-85 से प्रतिसंहृत किया गया। मामले में राजस्थान हाई कोर्ट, जोधपुर का स्थगन आदेश होने से क्षेत्र का कब्जा नहीं लिया गया। न्यायालय के स्थगन आदेश के अनुसार शासन ने नियमानुसार संविदा निष्पादन की अवधि बढ़ाकर खनन पट्टों की स्वीकृति बहाल रखी।

(3) जी नहीं, प्रश्न के भाग–2 में न्यायालय के आदेश के अनुसार आदेश जारी किये गये।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें।

जिला सिरोही की फ्लोराइड की खानें

179. श्री हजारी लाल (खेतड़ी) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिरोही जिले में फ्लोराइड की खाने किन-किन क्षेत्रों में कितनी-कितनी हैं ? खनन लीज किन-किन को कब-कब दी गयी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अनधिकृत वन क्षेत्र में फ्लोराइड का कार्य अवैध रूप से चल रहा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सिरोही जिले में केवल एक मामले में मैसर्स राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लि. जयपुर को निकट ग्राम वालदा में 90.63 हैक्टेयर क्षेत्र में खनिज फ्लोराइड के खनन कार्य हेतु दिनांक 3-2-83 से कार्यानुमति दी गई है। अन्य किसी को खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है।

(2) जी नहीं।

जिला सवाई माधोपुर की क्वारीज

180. श्री चुन्नी लाल (खण्डार) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री चुन्नीलाल)

(1) जिला सवाई माधोपुर में सन् 1985 से 1991 के दौरान किस-किस क्वारी से किस-किस संवेदक द्वारा किस-किस विभाग में क्वारी रविश बेलास्ट, ओवर साईज, चिनाई के पत्थर आदि कितनी मात्रा में प्राप्त की ? खानों की फोटो कापी सदन की मेज पर रखें।

(2) सन् 1985 से 1991 तक कौनसी क्वारी चालू हालत में रही तथा कितनी क्वारी किस-किस माह व तिथियों में बन्द रही ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सवाईमाधोपुर क्षेत्र में विभाग के दो कार्यालय, सहायक खनि-अभियन्ता, सवाईमाधोपुर एवं खनि-अभियन्ता, करौली कार्यरत है। सहायक खनि-अभियन्ता सवाईमाधोपुर व खनि-अभियन्ता, करौली के क्षेत्राधिकार में जिन संवेदकों द्वारा वर्ष 1985 से 1991 के दौरान जिस-जिस क्वारी से बैलास्ट, ओवरसाइज चुनाई पत्थर आदि प्राप्त किया उसका विवरण क्रमशः परिशिष्ट "अ" एवं परिशिष्ठ "द" संलग्न है। खानों के फोटो कापी रखने का प्रावधान नहीं है।

(2) सहायक खनि-अभियन्ता, सवाई-माधोपुर के क्षेत्राधिकार में वर्ष 1985 से 1991 के दौरान बंद क्वारियों की सूची परिशिष्ट "ब" एवं चालू क्वारियों की सूची परिशिष्ठ "स" संलग्न है। खनि-अभियन्ता करौली के क्षेत्राधिकार में जिस अवधि के लिये अल्पावधि अनुज्ञा-पत्र जारी किये गये हैं उस अवधि में क्वारी चालू रही तथा अवधि समाप्त होने पर क्वारी बंद हो गई। यह सूचना परिशिष्ट "द" के कालम नं. 8 के अनुसार है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

रायसिंह नगर का आंगन बाड़ी पोषाहार केन्द्र

181. श्री रामस्वरूप (रायसिंहनगर) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर में आंगन बाड़ी पोषाहार के कितने केन्द्र सरकार द्वारा कब-कब खोले गये हैं तथा कितने केन्द्र चालू हैं, प्रत्येक केन्द्र पर कितना खर्चा होता है तथा किन-किन को क्या-क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

(2) उपरोक्त केन्द्र कौन-कौन से गांवों में किस-किस के नाम से स्वीकृत हैं, कितने केन्द्र चालू हैं एवं कितने केन्द्र बन्द है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में बाल विकास परियोजना रायसिंहनगर के अन्तर्गत 114 केन्द्र हैं। इन केन्द्रों को खोलने की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। 114 केन्द्रों में से 109 केन्द्र चालू हैं। आंगनबाड़ी केन्द्र पर बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं को पूरक

(महिला एवं बालविकास राज्य मंत्री)

पोषाहार, स्वास्थ्य जॉच, टीकाकरण, संदर्भ सेवा, पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा तथा पूर्वशाला अनौपचारिक शिक्षा की सेवाओं की सुविधाएँ दी जाती हैं। प्रति केन्द्र प्रति वर्ष 16350/–रुपयों की राशि खर्च होती है।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्र के गांवों की नामवाइज सूचना संदन के पटल पर रख दी है। 109 केन्द्र चालू हैं और 5 केन्द्र बंद हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

राजस्थान में काबिले काश्त भूमि का "डार्क जोन" प्रतिशत

182. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या भू-जल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में "डार्क जोन" कुल काबिल काश्त भूमि का कितना प्रतिशत है ?

(2) प्रत्येक जिले में कितना भू-भाग "डार्क जोन" से प्रभावित है ?

(3) "डार्क जोन" वाले इलाके में नाबार्ड द्वारा ऋण उपलब्ध न कराने से गरीबों को भू-जल उपलब्ध न कराने से गरीबों को भू-जल उपलब्ध कराने की योजनाओं पर क्या असर पड़ा है ?

(4) क्या राज्य सरकार "डार्क जोन" के कारण गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले कृषकों को भू-जल (कुवे) आदि हेतु ऋण उपलब्ध कराने की वैकल्पिक व्यवस्था कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल डार्क जोन क्षेत्रफल काबिल खेती भूमि का 19.5 प्रतिशत है। यह सूचना विभाग की वार्षिक भू-जल आंकलन रिपोर्ट 1-1-90 पर आधारित है। इस गणना में गंगानगर जिला सम्मिलित नहीं है।

(2) राज्य के शेष 29 जिलों में जिलेवार डार्क जोन परिशिष्ट "अ" पर संलग्न सूची अनुसार है।

(3) डार्क जोन में भू-जल उपलब्धता कम होने के कारण कोई भू-जल उपलब्ध कराने संबंधी योजना सरकार द्वारा नहीं बनाई जाती है। अतः गरीबों को किसी योजनान्तर्गत लाभ से वंचित होने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) डार्क जोन में निर्धारित मात्रा से अधिक भू-जल उपलब्ध नहीं होने के कारण किसी वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में सह-कुलपति की नियुक्ति

183. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के सह-कुलपति (प्रो-वाइस चांसलर) की नियुक्ति का प्रावधान विश्वविद्यालय एक्ट में है ? यदि हां, तो, इस संबंध में कब तक प्रो-वाइस चांसलर उदयपुर में नियुक्त किया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर में दक्षिणी परिसर स्थापित करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये ? यदि हां तो क्या उन आदेशों की पालना कृषि विश्वविद्यालय द्वारा की गई ? यदि पालना नहीं की गई तो इसके लिए राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर को उदयपुर में स्थापित करने को लेकर उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने 200 दिन से भी अधिक की हड़ताल की ? यदि हां, तो इस हड़ताल के विश्वविद्यालय प्रशासन और कर्मचारियों के बीच क्या समझौता हुआ और उस समझौते की क्रियान्विति कब तक होगी ?

(4) क्या यह सही है कि गत एक वर्ष में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के उदयपुर स्थित कार्यालय में से कुछ कार्यालय स्थानान्तरित किये गये ? यदि हां, तो ये कौन-कौन से कार्यालय हैं ? उनकी तथा उनमें कार्यरत कर्मचारियों की विगत सदन की मेज कर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । इस समय राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रो-वाइस-चांसलर नहीं लगे हुए है ।

(2) बजट भाषण 1987-88 में तत्कालीन मुख्यमंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को उदयपुर केम्पस दक्षिण परिसर के नाम से जाना जायेगा । इसके अनसरण में दिनांक 30-3-91 को राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा गया । राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने इसमें व्यावहारिक कठिनाइयां बताई, अतः इसकी अनुपालना नहीं की गई है ।

(3) जी, हां । इस प्रश्न पर उदयपुर इकाई को सिर्फ अशैक्षणिक कर्मचारी लम्बी अवधि से हड़ताल पर रहे और बाद में 22 अगस्त, 1991 को उन्होंने हड़ताल वापिस ले ली । समझौते के अनुसार उदयपुर सहित हर कृषि जलवायु क्षेत्र में कर्मचारियों के मामले स्थानीय स्तर पर निपटाने हेतु एक प्रशासनिक अधिकारी लगाने की बात विश्वविद्यालय ने स्वीकार की । यह भी तय रहा कि दुराचरण व अनुशासनहीनता के मामलों को छोड़कर सामान्य-तया लिपिक वर्ग व तकनीक वर्ग में अनुभाग अधिकारी स्तर के कर्मचारियों को स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा ।

(4) विश्वविद्यालय के मूल ढांचे को बनाये रखने के लिए भू-संपति अधिकारी का कार्यालय उदयपुर से बीकानेर किया गया है जो कि काम की अधिकता को देखते

(कृषि मंत्री)

हुए आवश्यक था। कर्मचारियों की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

भरतपुर में अटल बन्ध गौण मण्डी व सब्जी मण्डी में दुकानों का आवंटन

184. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भरतपुर शहर में गौण मण्डी अटल बन्ध व सब्जी मण्डी का निर्माण कब हुआ और वहां कब व्यापार स्थानान्तरित हुआ ?

(2) क्या परियोजना रिपोर्ट की शर्तों के अनुसार कृषि विपणन बोर्ड ने निर्देश दिये थे कि अटल बन्ध गौण मण्डी और सब्जी मण्डी के व्यापारियों को ही इस मण्डी में दुकाने दी जायं, तथा बाहर के व्यक्तियों को नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि भरतपुर व्यापार मण्डल के अध्यक्ष ने उत्पादन सचिव को सूचित किया कि नाबार्ड की परियोजना रिपोर्ट और विभाग के निर्देश दिनांक 13-8-1989 के आधार पर श्री कन्हैया लाल बद्री प्रसाद, श्री उत्तम ट्रेडिंग कम्पनी श्री विश्म्भर दयाल, श्री दाउदयाल एण्ड कम्पनी को दुकान अलाट न की जावें ?

(4) कृषि उत्पादन सचिव ने किसके आदेश से एक वर्ष तक रोकने के बाद उन व्यापारियों को दुकानें अलॉट की ? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, भरतपुर के अन्तर्गत गौण मण्डी यार्ड अटलबन्ध व सब्जी मण्डी का निर्माण वर्ष 1990-91 को पूर्ण होकर क्रमशः दिनांक 30-1-91 व 1-2-91 को व्यापार स्थानान्तरित किया गया।

(2) परियोजना की शर्तों में दुकान आवंटन का कोई भी उल्लेख नहीं है एवं विपणन बोर्ड से ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किये गये। सचिव, मण्डी समिति, भरतपुर के अनुरोध पर निदेशालय ने अपने पत्रांक 31309 दिनांक 13-9-89 के द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, भरतपुर को निर्देश दिये कि "जब अटलबन्ध गौण मण्डी प्रागण के व्यापारियों एवम् "क" वर्ग दलाल से दुकान आवंटन हेतु आवेदन पत्र मांगे गये हैं तो उन्हीं के आवेदन पत्रों पर विचार किये जाने चाहिये ना कि बाहर के व्यापारी एवम् "क" वर्ग दलाल को"।

(3) जी नहीं।

(4) राज्य सरकार के यह ध्यान में लाया गया कि कृषि उपज मंडी समिति, भरतपुर में दुकानों के आवंटन में भारी अनियमितता की जा रही है, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक प. 10 (23) कृषि/2बी/85 दिनांक 24-4-90 के द्वारा निर्देश दिये कि उक्त आवंटन अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखा जावे तथा इस मामले में उप निदेशक कृषि विपणन से जांच करवाई जाकर सम्बन्धित पत्रावली मय विभाग की टिप्पणी राज्य सरकार को भिजवाये।

(कृषि मंत्री)

आवंटन की अनियमितताओं के मामले में विभाग के उप निदेशक (जांच) से जांच करवा कर विभाग द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 25-5-90 को राज्य सरकार को प्रेषित की गई। राज्य सरकार ने अपने समसंख्यक आदेश दिनांक 26-7-90 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, भरतपुर में दुकानों के आवंटन पर लगाई गई रोक तुरन्त प्रभाव से हटा ली तथा निदेशालय के पत्र दिनांक 25-5-90 में सुझाए तरीके के अनुसार दुकान आवंटन की कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्णय से अवगत कराया तत्पश्चात् राज्य सरकार के उपरोक्त निर्णय से अवगत कराते हुए सचिव, भरतपुर को आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार करने के निर्देश दिये गये तथा दिनांक 11-1-91 को आयोजित आवंटन समिति की बैठक में दुकानें आवंटन सम्बन्धी निर्णय लिया गया जिसमें इन चार फर्मों को भी दुकानें आवंटित की गई थी।

तहसील फागी में ग्राम पहाड़िया से लाखना वाया बासड़ी सड़क निर्माण कार्य

185 श्री प्रकाशचन्द बैरवा (फागी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुछ वर्षों पूर्व फागी तहसील जिला जयपुर में ग्राम पहाड़िया से लाखना वाया बासड़ी होती हुई सड़क निर्माण का प्रावधान था।

(2) उक्त सड़क का निर्माण कार्य बीच में ही रोक दिया गया है जबकि प्रतिदिन इस मार्ग से पांच-छः बसों का आवागमन रहता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इस सड़क को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उक्त सड़क वर्ष 1984-85 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत स्वीकृत हुई थी।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना सरकार द्वारा बन्द कर देने के कारण कार्य बन्द कर दिया गया।

(3) जी नहीं, कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा कृषि तकनीकी सहायक के पदों हेतु साक्षात्कार

186. श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमूं) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माह जनवरी, 1991 में कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा कृषि तकनीकी सहायक के पदों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार लिये गये थे ?

(2) यदि हां, तो कितने आशार्थियों की चयनित सूची तैयार की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) चयनित सूची में से कितने आशार्थियों का पदस्थापन किया जा चुका है तथा शेष का कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 65 आशार्थियों की सूची तैयार की गई। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) चयनित सूची में से 10 आशार्थियों का पदस्थापन किया जा चुका है। पदों की स्वीकृत संख्या के अनुसार नियुक्तियां की जा चुकी हैं। अब आगे किया जाना संभव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

कृषि उपज मण्डी समिति, भरतपुर द्वारा निर्मित सड़कें

187. श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सेवर हैलक रोड से चिताकरी की सड़क कृषि उपज मण्डी समिति, भरतपुर द्वारा निर्मित है, जिसकी हालत जीर्ण-शीर्ण है? क्या उक्त सड़क पर मरम्मत के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गये हैं?

(2) क्या यह सही है कि अब यह सड़क कई जगह से कट गई है और बर्बाद होने की स्थिति में है तथा जनता के बार-बार मांग करने पर भी इस सड़क की अभी तक मरम्मत नहीं की गई है? यदि हां, तो इस सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। इस वर्ष उक्त सड़क की मरम्मत हेतु 20,000/- रुपये स्वीकृत हैं। परन्तु इस राशि में सड़क की पूर्ण मरम्मत सम्भव नहीं है। सड़क की विशेष मरम्मत हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(2) मण्डी समिति द्वारा वर्ष 1991-92 के अनुपूरक बजट में विशेष मरम्मत हेतु प्रावधान किया जा रहा है। बजट पारित होने पर ही मरम्मत कार्य कराया जावेगा।

कोटा खण्ड की कृषि उपज मण्डी समितियों में रिक्त पद

188. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कोटा खण्ड की कृषि उपज मण्डी समितियों में पिछले 14 वर्ष से विभिन्न संवर्गों के पद रिक्त होते हुए भी मण्डी समिति कर्मचारियों को पदोन्नत नहीं कर रही है? यदि हां, तो इतने लम्बे समय से पदोन्नति नहीं करने के क्या कारण हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी, नहीं। कोटा खण्ड के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्ग की पदोन्नति कनिष्ठ लिपिक संवर्ग पद पर वर्ष 1987-88 में की गयी है तथा कनिष्ठ लिपिक संवर्ग की पदोन्नति वरिष्ठ लिपिक पद पर तथा वरिष्ठ लिपिक के पद से पर्यवेक्षक के पद पर वर्ष 1983-

(कृषि मंत्री)

84 में की गयी है। वर्ष 1985 में 6 खण्डों को 12 खण्डों में एवं वर्ष 1990 में 12 खण्डों को 10 खण्डों में पुनर्गठन किये जाने के कारण विभिन्न संवर्ग की वरिष्ठता का पुनः निर्धारण किया जा रहा है। वरिष्ठता सूचियों को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जानी सम्भव हो सकेगी। कोटा खण्ड में विभिन्न पदों पर पदोन्नति करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया जा चुका है।

अतिरिक्त सत्र न्यायालयों की मांग

189. श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले में परबतसर उप-खण्ड में ए. सी. जे. एम. न्यायालय, मकराना व नावां में एम. जे. एम. न्यायालय हैं, जिनको मेड़ता सत्र न्यायालय के अधीन होने से न्याय मिलने में विलम्ब होता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि न्यायालय दूर होने से जनता को आर्थिक क्षति भी ज्यादा होती है इसलिये बार एसोसियेशन परबतसर ने परबतसर में एवं बार एसोसियेशन मकराना ने मकराना में कई बार राज्य सरकार व माननीय उच्च न्यायालय को ज्ञापन देकर अतिरिक्त सत्र न्यायालय की मांग की है ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त स्थानों पर अतिरिक्त सत्र न्यायालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) परबतसर मकराना एवं नावा के न्यायालय मेड़ता सत्र न्यायालय के अधीन होना सही है। इस वजह से न्याय मिलने में विलम्ब होता हो यह सही नहीं है।

(2) परबतसर एवं मकराना में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का न्यायालय खोले जाने की मांग की गई है, सही है।

(3) वर्तमान में धनाभाव के कारण राज्य सरकार उक्त स्थानों पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का न्यायालय खोलने का अभी विचार नहीं रखती हैं।

करौली व गंगापुर से सपोटरा तक संचालित प्राइवेट बसें

190. श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि करौली से सपोटरा व गंगापुर से सपोटरा प्राइवेट बसें चलती हैं ? यदि हां, तो किस-किस समय रवाना होकर कितने समय में किस-किस रूट पर होकर सपोटरा पहुंचती हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि आवागमन की सुविधा व यात्रियों की भीड़ को मद्देनजर रखते हुए ये बसें पर्याप्त हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इन रूटों पर चल रही बस निश्चित रूट पर न चल कर मनचाहे रूटों पर चलती है तथा निश्चित

(श्री प्रभूलाल पटेल)

समय में नहीं पहुंचा कर मनचाहे समय पर पहुंचाती है ? यदि हां, क्या तो ऐसी बसों के परमिट रद्द करने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) करौली-सपोटरा, गंगापुर-सपोटरा एवं बोली-सपोटरा तीन अलग-अलग मार्ग हैं, जिनके वाया निम्न प्रकार हैं। इन मार्गों पर प्राइवेट बसें चलती हैं—

1. करौली-सपोटरा वाया गदवा की चौकी, धांधुपुरा मोड़, गुणेसरा अटा एवं कुड़गांव।

2. गंगापुर-सपोटरा वाया डेयरी फार्म, बालोती मोमपुर, ढिकोली डाबरा एवं कुड़गांव।

3. बोली-सपोटरा वाया भोड़ोती, मलारना डूंगर, गंगापुर, सलोदा मोड़, गंगाजी की कोठी, बाढ़, तमोलीपुरा, सलेमपुर, कुड़गांव।

(यह मार्ग भी गंगापुर एवं सपोटरा दोनों ही कस्बों को परिवहन सेवा प्रदान करता है।)

इन मार्गों पर निर्धारित समय सारणी जिन पर वाहनों का संचालन हो रहा है, परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। इसके अलावा गंगापुर से सपोटरा मार्ग पर निगम की वाहन भी समानान्तर रूप से संचालित है। जिसको निम्न प्रकार से समय सारणी दी गयी है—

गंगापुर प्रस्थान	सपोटरा पहुंच	सपोटरा प्रस्थान	गंगापुर पहुंच
18.00	19.15	6.45	8.00

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। इन मार्गों की बसें निर्धारित मार्ग व समय पर चलती हैं। जब कभी इन मार्गों की बसें अपने निर्धारित मार्ग या समय पर चलती नहीं पायी जाती हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें।)

राज्य के निगम/बोर्ड में प्रतिनियुक्ति सीमा अवधि

191. श्री सालिगराम (बयाना) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सेवा के किसी भी अधिकारी को निगम/बोर्ड में चार वर्ष से अधिक नहीं रखा जाता है ? यदि हां, तो क्या राज्य पथ परिवहन निगम में जन सम्पर्क अधिकारी 7 वर्ष से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि निगम ने बस बॉडी निर्माण के ठेके में पक्षपात बर्ता गया है ? यदि हां, तो क्या इसके लिए जांच कमेटी गठित की गई थी ? यदि हां, तो जांच कमेटी में कौन-कौन अधिकारी थे ?

(श्री सालिगराम)

(3) क्या यह भी सही है कि जांच कमेटी ने मैसर्स महेन्द्र फर्म के विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश की थी ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि निगम द्वारा टायर रिट्रेडिंग रबर "सामग्री" के खरीद घोटाले की जांच पूर्व यातायात मंत्री द्वारा कराई गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि हरिनारायण एण्ड संस बॉडी बिल्डर पर देरी से बसों की बॉडी बनाने के कारण पैनल्टी की गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(6) क्या यह भी सही है कि निगम इस पैनल्टी को अपने स्तर पर माफ करने का विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कितनी तथा इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां। विद्यमान में दिनांक 29.6.90 पश्चात् कोई जन सम्पर्क अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नहीं है।

(2) यद्यपि किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया गया, निगम के प्रबन्ध निदेशक के पास दोषपूर्ण बस बॉडी बनाने की शिकायत प्राप्त होने पर बस बॉडी निर्माता श्री हरिनारायण एण्ड सन्स की एक बस बॉटी एवं एक बस बॉडी महेन्द्रा ऑटो बॉडी बिल्डर की जांच हेतु खोले जाने पश्चात् एक जांच कमेटी निम्न अधिकारियों की नियुक्ति की गई :

नाम	पद
1. श्री जेड इस्लाम	संभाग या अभि.
2. श्री जी.के. शर्मा	सहा. या अभि. (बॉडी)
3. श्री गोविन्दराम	वरिष्ठ कार्यदेशक बॉडी शाला

(3) जी हां। बस बॉडी में कमी पाये जाने के कारण मैसर्स महेन्द्रा ऑटो बॉडी बिल्डर्स से 92,500.00 रुपये कटौती के आदेश जारी कर कटौती की जा चुकी है।

(4) जी हां। जांच कार्यवाही अभी लम्बित है।

(5) जी हां। मैसर्स हरिनारायण एण्ड सन्स प्रा. लिमिटेड, जयपुर पर गत तीन वर्षों में निम्न पेनल्टी लगाई गई है :

वर्ष	पेनल्टी राशि
1988-89	2,33,400/-
1989-90	4,99,500/-
1990-91	1,59,750/-

(6) वर्ष 1989-90 में हरिनारायण एण्ड सन्स के विरुद्ध लगाई गई पेनल्टी का मामला पंच फैसले हेतु विचाराधीन है।

सपोटरा हायर सैकण्डरी स्कूल में रिक्त पद

192. श्री प्रभुलाल (सपोटरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सपोटरा हायर सैकण्डरी स्कूल के छात्रों की संख्या क्या है तथा कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्कूल में किस-किस विषय के अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार इन पर नियुक्ति का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार के विचार से छात्रों के अनुपात में अध्यापक पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो रिक्त पदों पर सरकार कब तक नियुक्तियां करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सपोटरा हायर सैकण्डरी स्कूल के छात्रों की संख्या 1160 है तथा 21 अध्यापक कार्यरत हैं।

(2) उक्त स्कूल में व्याख्याता इतिहास का एक पद रिक्त है। इस पद को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) प्रधानाध्यापक द्वारा कार्यभार में वृद्धि के कारण अतिरिक्त अध्यापकों की माँग की है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच से यदि अधिक पदों की आवश्यकता हुई, उस स्थिति में अतिरिक्त पद आबंटित कर भर दिये जायेंगे।

राज्य के नवसृजित एवं क्रमोन्नत विद्यालय

193. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 व विगत वर्ष (1989-90) में राजस्थान में कितने विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया तथा कितने नये विद्यालय खोले गये, सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) झुन्झुनू जिले में अध्यापकों (कनि. व्याख्याता+वरिष्ठ अध्यापक) सहित कब से तथा कहाँ-कहाँ पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में राजस्थान में निम्नत: विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया एवं नये विद्यालय खोले गये—

वर्ष	प्रा. से उ.प्रा.	उ.प्रा. से मा.	मा. से उ.मा.	नये प्रा.
89-90	791	768	—	—
90-91	—	—	10	—

शिक्षा विभाग द्वारा क्रमोन्नत विद्यालयों की सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) झुन्झुनू जिले में अध्यापकों के रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :—

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

विधान सभा क्षेत्र घाटोल के प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन

194. **श्री नवनीत लाल निनामा** (घाटोल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र घाटोल में विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं? यदि हां, तो किन-किन को किस-किस वेतन शृंखला के अन्तर्गत वेतन दिया जा रहा है? सूची विद्यालयवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्राथमिक विद्यालय गोलियावाड़ा व प्राथमिक विद्यालय भरकनिया पंचायत समिति घाटोल, जिला बांसवाड़ा में क्रमशः श्री रूपलाल पुत्र श्री रतना आदिवासी व हीरा पुत्र श्री दोलीया आदिवासी को विद्यालय में रखा जाकर विद्यालयों के कार्य के अलावा प्रधानाध्यापक द्वारा डाक पत्र आदि देने बाबत पंचायत समितियों तक भेजा जाता है जबकि सम्बन्धित कर्मचारियों को मात्र प्रतिदिन 15 रु. दिया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार वेतन बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को 22 रुपये प्रतिदिन देने के आदेश हैं? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों को 15 रु. प्रतिदिन किस आदेश के अन्तर्गत दिया जा रहा है। क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं, प्राथमिक विद्यालय गोलियावाड़ा में श्री रूपलाल पुत्र श्री रतना आदिवासी को केवल विद्यालय की सफाई के लिए 15 रुपये प्रतिमाह पर रखा गया है। श्री हीरा पुत्र श्री दोलिया आदिवासी पंचायत समिति घाटोल क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत नहीं है। जिसे 15 रुपये प्रति माह दिया जाता है वह बहुत अल्प समय हेतु सफाई कार्य करता है। कार्य में वृद्धि होने की स्थिति में ही पारिश्रमिक बढ़ाने के बारे में विचार संभव है।

(3) यह सही है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को 22 रु. दैनिक मजदूरी देने का प्रावधान है। किन्तु उक्त कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में पूरे समय के लिए नियुक्त नहीं है। अत: 22 रु. प्रतिदिन मजदूरी देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस मामले में कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अतः किसी कार्यवाही पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

दयानन्द सैकण्डरी स्कूल, आदर्श नगर, जयपुर में अनियमितताएं

195. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री रामस्वरूप)

(1) क्या यह सही है कि दयानन्द सैकण्डरी स्कूल, आदर्श नगर, जयपुर को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल की मान्यता प्राप्त है ? यदि नहीं, तो उन छात्रों का भविष्य क्या होगा जिनको संस्था में प्रवेश दिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस विद्यालय में सन् 1990-91 में बोर्ड परीक्षा में 35 छात्रों के फार्मों में अनियमितताएं की गई थीं ? यदि हां, तो बोर्ड द्वारा संस्था की, की गई जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त संस्था ने मान्यता की आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की हैं ? यदि हां, तो संस्था में छात्रों की क्या संख्या है ? क्या यह संख्या मान्यता के लिए पर्याप्त नहीं है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जांच प्रतिवेदन सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं।

(प्रतिवेदन बिस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

पाली जिले के उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायक व पुस्तकाल्यध्यक्षों के रिक्त पद

196. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे:–

(1) क्या पाली जिले के उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकाल्यध्यक्षों एवं प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये गये थे ? यदि हां, तो कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ? प्राप्त आवेदन-पत्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त रिक्त पदों पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्तियां कर दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? भविष्य में नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ?

उत्तर

(1) जी हां। पुस्तकालयाध्यक्ष हेतु 225 तथा प्रयोगशाला सहायक पद हेतु 526 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। सम्भागीय आयुक्त जोधपुर से पुस्तकालयाध्यक्षों के पदों हेतु अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया है और साक्षात्कार के पश्चात् यथा शीघ्र ये पद भर दिए जावेंगे। सम्भागीय आयुक्त जोधपुर से अभी तक प्रयोगशाला सहायकों हेतु अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

निरंजननाथ आचार्य, रा. सी. उ. मा. विद्यालय ईटाली (उदयपुर) में अध्यापकों के रिक्त पद

197. श्री शम्भू दयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निरंजन नाथ आचार्य राजकीय सीनीयर उच्च माध्यमिक विद्यालय, ईटाली तहसील मावली, जिला उदयपुर में कौन-कौन से विषय कब-कब खोले गये ? प्रत्येक विषय हेतु कितने-कितने पद स्वीकृत हैं व कितने-कितने अध्यापक अध्यापन कार्य हेतु कब-कब से पदस्थापित हैं ? कृपया विषयवार अध्यापक का नाम, पद स्थापन तिथि आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में काफी समय से कुछ विषयों के अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो विषयवार रिक्त पदों की संख्या तथा ये पद कब से रिक्त हैं की सूची सदन की मेज पर रखे।

(3) क्या यह सही है कि रिक्त पदों से विद्यार्थियों को अध्ययन कार्य में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) रिक्त पदों के भरने पर इन विषयों के पाठयक्रम को सरकार किस प्रकार पूर्ण करायेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) श्री निरंजन नाथ आचार्य राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, ईटाली तहसील मावली, जिला उदयपुर में निम्नानुसार विषय खोले गये:—

क्र. सं.	विषय का नाम	वर्ष जिसके विषय खोले गये
1.	इतिहास	दिसम्बर, 1983
2.	हिन्दी	,,
3.	भूगोल	,,
4.	बहीखाता	,,
5.	व्यापार पद्धति	,,
6.	मुद्रा बैंकिंग	,,
7.	भौतिक विज्ञान	,,
8.	रसायन शास्त्र	,,
9.	जीव विज्ञान	,,
10.	अंग्रेजी	,,

प्रत्येक विषय हेतु स्वीकृत पद एवं उन पर कार्यरत अध्यापकों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां, केवल निम्नांकित दो विषयों के अध्यापकों के पद रिक्त हैं :—

क्र. सं	विषय	पद	रिक्त होने की तिथि
1.	भौतिक शास्त्र	1	29-4-89
2.	इतिहास	1	2-1-91

(3) जिन विषयों के पद रिक्त हैं उनका अध्यापन कार्य विद्यालयों में कार्यरत अन्य

(शिक्षा मंत्री)

शिक्षकों से कराया जा रहा है। रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) वर्तमान में छात्रों को भौतिकी का शिक्षण प्रधानाचार्य एवं इतिहास का शिक्षण उप-प्रधानाचार्य करा रहे हैं जो अपने-अपने विषय के लिए योग्य हैं। अतः पाठ्यक्रम पूर्ण कराने में कठिनाई नहीं होगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

राज्य में शिक्षा का प्रसार

198. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में शिक्षा का प्रतिशत देश के अन्य प्रान्तों की तुलना में बहुत कम है ?

(2) राज्य में शिक्षा के प्रतिशत को बढ़ाने हेतु अब तक क्या प्रयास किये गये, किये जा रहे हैं तथा वर्तमान में शिक्षा का प्रतिशत कम होने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाने हेतु कोई विशेष कारगर समयबद्ध कार्यक्रम अपनायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य की जनता में व्याप्त गरीबी, रूढ़िवादिता, सामाजिक जीवन पद्धति, भौगोलिक स्थिति, पर्याप्त शिक्षा सुविधाओं की कमी, अधिकांश लोगों के कृषि व पशु-पालन पर आधारित जीवन पद्धति आदि के कारण राज्य में शिक्षा का प्रतिशत कम है। इसे दूर करने के विभाग द्वारा निम्न प्रयास किये जा रहे हैं :—

1. उपलब्ध वित्तीय साधनों में अधिकाधिक विद्यालय खोलना।
2. जो बच्चे विभिन्न कारणों से विद्यालय नहीं जा पाते हैं उन्हें अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से शिक्षित करना।
3. प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलकर प्रौढ़ों को शिक्षित करना।
4. छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहित राशि उपलब्ध कराकर शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करना।
5. छात्र/छात्राओं को विभिन्न छात्रवृत्तियां देकर।
6. अनुसूचित जाति/जनजाति व गरीब छात्र/छात्राओं को पोशाकें, पाठ्यपुस्तकें व स्टेशनरी आदि उपलब्ध कराना।
7. स्वीडन अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण के सहयोग से कतिपय पंचायत समितियों में शिक्षा कर्मी योजना चला कर।
8. भवन व्यवस्था संवर्द्धन तथा न्यूनतम आवश्यक सामग्री आदि उपलब्ध करा-कर।

(शिक्षा मंत्री)

9. सम्पूर्ण जिला साक्षरता योजना ।

10. सेवारत शिक्षकों के अधिक सक्षम एवं कौशल वृद्धि हेतु जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना ।

(3) जी हां । लोक जुम्बिरा कार्यक्रम (सभी को सन् 2000 तक शिक्षा) व सम्पूर्ण जिला साक्षरता योजना आदि कार्यक्रम इसी श्रेणी में आते हैं ।

शिक्षा विभाग के विद्यालयों के भवनों का गैर सरकारी उपयोग

199. श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के विद्यालयों के भवनों को किराये पर देने, बरात ठहराने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा रखा है ?

(2) यदि हां, तो क्या वर्तमान वर्ष में रा. बा. मा. विद्यालय मौजपुर (अलवर) में बरात ठहराने व किराया वसूल करने एवं प्राप्त राशि को राज कोष में जमा न कराने की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है ?

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त शिकायत की जांच करवाई गई है ? यदि हां, तो कौन अधिकारी उक्त अनियमितता के लिये दोषी है एवं उसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं ।

(2) प्रस्तुत विषयक शिकायत प्राप्त हुई है ।

(3) जी, हां । पूर्ण जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

सहायक अध्यापिकाओं का वेतन निर्धारण

200. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी छात्रा, संस्थायें, जयपुर के अधीनस्थ कार्यरत तृतीय वेतन श्रृंखला को सहायक अध्यापिकायें जिनके कि वेतन निर्धारण, अवकाश स्वीकृत एवं वेतन भुगतान सम्बन्धी मामले काफी समय से लंबित हैं ? यदि हां, तो किन-किन के एवं कब से ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त प्रकरणों के इतने लम्बे समय से लम्बित रहने के क्या कारण हैं एवं अब कब तक उनका निपटारा कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । इस कार्यालय के तृतीय वेतन श्रृंखला की सहायक अध्यापिकायें कार्यरत हैं । जिनके निम्नांकित संख्या में प्रकरण बकाया हैं :—

1. वेतन निर्धारण	28
2. अवकाश स्वीकृति	36

(शिक्षा मंत्री)

3. वेतन एरियर भुगतान संबंधी 352

प्रकरणों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रकरणों के लम्बित रहने के निम्नांकित कारण हैं :—

वेतन निर्धारण :—अध्यापिकाओं द्वारा विकल्प आगामी तिथि का देने के कारण बकाया हैं।

अवकाश प्रकरण:—अध्यापिकाओं द्वारा अधूरे अवकाश प्रकरण भिजवाने के, सेवा पुस्तिका उपलब्ध न होने एवं प्रकरण समय पर प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण बकाया हैं।

वेतन एरियर भुगतान:—शिक्षा विभाग को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा विद्यालय हस्तान्तरण होने के कारण विलम्ब हुआ है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

शोकाभिव्यक्ति

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्य श्री डूंगरसीदास का निधन हुआ है। उसके लिए मैं श्रद्धांजलि का प्रस्ताव इस सदन से प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में श्री डूंगरसीदास इस विधान सभा में गांव के किसानों की व गरीबों की समस्याओं का उल्लेख कर उन समस्याओं का समाधान कराने की जिस प्रकार चेष्टा की है यह सदन उनकी सेवाओं को इस रूप में अच्छी तरह से जानता है। ठेठ ग्रामीण क्षेत्र से और ग्रामीणों की समस्याओं का अन्तःकरण से समाधान करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति हमारे बीच से चला गया। मैं उनके प्रति अपनी श्रृद्धाजली अर्पित करता हूं। उनके शोक सन्तप्त परिवार को उनके बिछोह के दुःख की घडी में सहन शक्ति मिले इसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं, उनकी आत्मा को शांति मिले इसके लिए में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि श्री डूंगरसीदास जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था।

देहात की गरीब जनता से जुड़े हुए एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्त्ता का हमारे बीच में से चले जाना सचमुच में एक दुर्भाग्य की बात है। मैं उनके प्रति अपनी पार्टी की तरफ से श्रृद्धांजलि प्रकट करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके दुःखी परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

इन्हीं शब्दों के साथ सदन के नेता ने जो प्रस्ताव पेश किया है, बहुत दुःखी हृदय से मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री सम्पतराम (खैरथल) : अध्यक्ष, इस सदन में कई प्रकार के व्यक्तित्व आया

(श्री सम्पतराम)

करते हैं। श्री डूंगरसीदास जी गांव की संस्कृति, गांव के लोगों के रहन-सहन और उनके दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या थी उसके बहुत कुछ वाकिफ रहा करते थे और सीधे सादे लफ्जों में, भाषा में अपने किसानों और गांवों की समस्याओं को रखा करते थे। इस प्रकार के व्यक्तित्व जब आते हैं तो उनसे भी सदन को बहुत लाभ होता है। उनकी सेवा गांव की रही, विधानसभा में में रही और उनकी सेवाओं को सभी लोग याद करेंगे। सदन के नेता महोदय ने जो शोक प्रस्ताव रखा है मैं उनकी भावनाओं के साथ अपनी भावना मिलाता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे जहां कहीं भी जाएं, उनको ईश्वर ठीक जगह पहुंचाएगा। उनके बच्चों को, उनके खानदान को उनके मिलने वालों को इस दुःख को बर्दाश्त करने की शक्ति देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल (नेता, मा.क.पा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता ने जो प्रस्ताव रखा है, डूंगरसीदास जी द्वितीय विधान सभा के सदस्य आज हमारे बीच में नहीं रहे और साधारण गरीब परिवार से चुनकर आए हुए माननीय सदस्य ने दूसरी विधानसभा में राजस्थान की जनता की आम समस्याओं को जिस रूप में इस सदन में रखा, उन्होंने अपने प्रयत्न से जन-साधारण की जो कुछ तकलीफें हैं, उनको इस सदन में उठाया। वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनके देहावसान में मैं सदन के नेता का जो प्रस्ताव है उससे सहमति रखते हुए अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह (अध्यक्ष, जनता दल, ग्रुप): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो डूंगरसीदास जी का स्वर्गवास हो जाने पर प्रस्ताव सदन में रखा है उसमें अपनी भावना मैं भी सम्मिलित करता हूं। श्री डूंगरसीदास जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके शोक सन्तप्त परिवार को इस क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे यह मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अपनी ओर से, अपने दल की ओर से अपनी भावनाएं सदन के नेता महोदय के प्रस्ताव के साथ मिलाते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, डूंगरसीदास जी के निधन का प्रस्ताव जो इस समय माननीय नेता ने रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं श्री डूंगरसीदास जी को व्यक्तिगत रूप से जानता था। यह ढंड के निवासी थे। जयपुर स्टेट के टाइम में जो परिवार दरबान का काम करते थे, उनके मुखिया थे। वह बहुत ही हंसमुख थे। किसानों में एक अच्छे भले और माने हुए व्यक्ति थे। उनको घोड़े, ऊंट गाड़ी और बैठकर टूयूर करने का जब वह विधायक थे तब भी शौक था। साथ ही वह 1957 से 1962 तक इस सदन के निर्दलीय विधायक के रूप में रहे। वह बहुत ही सरल स्वभाव के थे, सज्जन थे और सबसे हंसकर मिलते थे। उनको किसी प्रकार का गुस्सा कभी आया ही नहीं यह उनकी प्रकृति थी। इसलिए ऐसे सज्जन का हमारे बीच से उठ जाना बहुत ही दुःखदायी है।

(श्री रामकरण सिंह)

मैं उनको माननीय नेता के शोक प्रस्ताव का समर्थन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इस सदन में माननीय सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता, अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री डूंगरसीदास के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है व सवेदना प्रकट की है उसमें मैं अपने आपको भारी दिल से शरीक करता हूं।

श्री डूंगरसीदास का जन्म जयपुर जिले की आमेर तहसील के ढंड गांव में हुआ। आप दूसरी राजस्थान विधान सभा (1957-1962) के लिए जमवारामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए।

सेवा-भावी प्रवृत्ति होने के कारण आप प्रारम्भ से ही सामाजिक सेवा कार्यों में सक्रिय रहे। अपने क्षेत्र की समस्याओं के प्रति आप सदा जागरूक रहे। कृषि में आपकी विशेष रूचि थी। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भी आप सतत् प्रयत्नशील रहे।

आपका निधन 19 अप्रैल, 1991 को हुआ। मैं दिवंगत डूंगरसीदास को अपनी ओर से और इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक-सन्तप्त परिवार को उनके विछोह को सहन करने की शक्ति दे।

(माननीय सदस्यों ने सदन में दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री प्रभुलाल पटेल और 4 अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले के सपोटरा और करौली तहसील में भेड़ व ऊंटों की चराई हेतु वन विभाग द्वारा परमिट दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए बाड़मेर जिले के छात्रों को 70 प्रतिशत आरक्षण न देकर बांसवाड़ा तथा झालावाड़ केन्द्रों को इस वर्ष आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री जनार्दन सिंह गहलोत और 4 अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सफलता के कारण महंगाई बढ़ने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(4) श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर नगर परिषद का संचालन गैर-कानूनी व अवैध रूप से किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री केदारनाथ शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से शिक्षक दिवस के दिन

(श्री अध्यक्ष)

सचिवालय के बाहर शिक्षकों पर पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज के सम्बन्ध में।

(6) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सरकार द्वारा लम्बित शिक्षा विधेयक को तुरन्त लागू करते हुए निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को सरकारी संस्थाओं के समान वेतन-भत्ते प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री रामस्वरूप मीणा और 4 अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से हिण्डोन नगर पालिका के कनिष्ठ अभियन्ता श्री बालचन्द कोली की हत्या के सम्बन्ध में दर्ज नामजद रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(8) डॉ. चन्द्रभान और तीन अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर सहित पूरे प्रदेश में चोरी, लूटपाट व हत्या की वारदातें बढ़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

पूर्व में प्राप्त कतिपय स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था दी जाती है :—

(1) श्री जनार्दन गहलोत और 5 अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले की महुवा व टोड़ा-भीम तहसीलों को दौसा में मिलाये जाने से वहां की जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। माननीय सदस्यों को आज की कार्यसूची में रखे गये इस आशय के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के समय बोलने का अवसर है।

(2) श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले में सन् 1980 की वरियता सूची के प्रशिक्षित 150 बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि भरतपुर जिले के तृतीय श्रेणी के शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए वर्ष 1980-81 में वरियता सूची तैयार की गई थी, जिसमें से अभी 150 आशार्थियों के नाम शेष हैं जिन्होंने नियुक्ति हेतु आवेदन किया था। वर्तमान में इस जिले में 3 पद ही रिक्त हैं। कुछ व्यक्तियों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिकायें भी प्रस्तुत की थी और उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में भी एस. एल. वी. दायर की गई जिस पर 6·3·91 के निर्णय में उच्च न्यायालय के निर्णय को पूर्व उदाहरण न माना जाना आदेशित है। उक्त जिले में केवल वरिष्ठतम 3 अभ्यार्थियों को ही नियुक्ति मिल सकेगी। अतः उक्त प्रस्ताव को मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं। बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(3) श्री परसादी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर व नवगठित दौसा जिले में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी तथा अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्थायी रूप से नियुक्ति नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में सूचित किया है कि शिक्षा विभाग में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 7000 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं। इन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान किया जाता है। पूर्व में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 19·9·78 द्वारा निरन्तर दो वर्ष या अधिक समय से कार्यरत अंशकालीन कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त नियमित पदों पर नियुक्ति किये जाने के अनुदेश जारी किये गये थे। अब निरन्तर रखने में सबसे बड़ी बाधा सिंचाई व अन्य तकनीकी विभागों के भारी संख्या में वर्कचार्ज कर्मचारियों के इन विभागों से अधिशेष हो जाना है जिनको पहले एब्जोर्ब करने के वित्त विभाग के आदेश हैं। अतः इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(4) श्री फतेह सिंह और 2 अन्य माननीय सदस्यों की ओर से बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे के डिग्री कॉलेज में व्याख्याताओं की कमी के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में सूचित किया है कि यह महाविद्यालय वर्ष 1990-91 में खोला गया था। और छात्र संख्या 22 थी। यह सही है कि अभी प्रिन्सीपल एवं एक अन्य व्याख्याता ही कार्यरत हैं परन्तु जिनके पद स्थापन हो चुके हैं उन्होंने कार्यभार नहीं सम्भाला है। इस हेतु तार दिये जा चुके हैं। अन्तरिम व्यवस्था हेतु प्राचार्य, महाविद्यालय बांसवाड़ा को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने यहां व्याख्याताओं को प्रतिनियुक्ति पर भेज दें। इस प्रस्ताव को मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं। बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(5) श्री जनार्दन सिंह गहलोत और 3 अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर परिषद् बांदीकुई के अध्यक्ष के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार के आरोप तथा कई अन्य नगर पालिकाओं के पार्षदों को निलम्बित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में सूचित किया है कि नगर पालिका बांदीकुई के विरुद्ध अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में राज्य सरकार को प्राप्त शिकायतों पर जिलाधीश दौसा को जाँच करने हेतु 11·9·91 को आदेश दिये जा चुके हैं। इसके बाद उनकी कोई शिकायत नहीं है। 12·9·91 को अध्यक्ष, नगरपालिका बांदीकुई की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नगरपालिका के दो सदस्यों सर्वश्री सुभाष गुप्ता एवं कैलाश माचीवाल के विरुद्ध अनियमितताओं के गम्भीर आरोपात होने एवं प्रथमदृष्टया सिद्ध पाये जाने पर उन्हें निलम्बित किया गया। गंगापुर सिटी के पार्षद श्री घनश्याम दास रावत, हिण्डोन नगर पालिका के पार्षद सर्वश्री ओमप्रकाश शर्मा व ललित किशोर तथा नगर परिषद्, अजमेर के पार्षद श्री सतीश बंसल, अशोक जैन एवं नलीन सोनेजी पर गम्भीर प्रकृति के आरोप होने के कारण नियमानुकूल आदेश जारी किये गये। मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करने

(श्री अध्यक्ष)

में असमर्थ हूं। बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(6) श्री रामकरणसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से मोतीडूंगरी स्थित गुर्जर छात्रावास में श्री विक्रमसिंह की हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में सूचित किया है कि दिनांक 31·3·91 को गुर्जर छात्रावास में हो रही मीटिंग के समय पास में भी 131-132 पर हो रहे निर्माण कार्य से सम्बन्धित व्यक्तियों व बैठक में भाग ले रहे लोगों में तनाव उत्पन्न हो गया जिसमें नारेबाजी व पथराव हुआ। घटना में श्री विक्रमसिंह के शरीर पर केवल गोली के छरों की चोटें थी और कोई धारदार हथियार की चोट नहीं थी। जिला पुलिस प्रशासन के पास श्री प्रणवेन्द्र शर्मा, श्री सोमेन्द्र शर्मा व अन्य लोगों द्वारा गुर्जरों के प्लाट खाली करने या अन्य कोई धमकी देते की रिपोर्ट 28·3·91 से 31 3·91 तक प्राप्त नहीं हुई। गुर्जर समुदाय के विरुद्ध धारा 307 का अभियोग दर्ज करने में राज्य सरकार का हाथ नहीं है। गुर्जर समुदाय द्वारा अभियोग संख्या 70/91 में नामजद 16 व्यक्तियों में से 6 अभियुक्त गिरफ्तार किये जाकर चालान पेश अदालत हो चुका है। शेष की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। गुर्जर समुदाय की मांग पर सरकार ने इस प्रकरण में सी. बी. आई. के द्वारा अन्वेषण करवाने के केन्द्र सरकार को 10·5·91 को लिखी लेकिन सी. बी. आई. ने तफ्तीश करने में मजबूरी दिखाई। इस प्रकरण की तफ्तीश सी. आई. डी. (सी. बी.) ए एस. पी. श्री पाटनी कर रहे हैं। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

(7) श्री सुनील विश्नोई और 2 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीगंगानगर जिले की फसल को पंजाब द्वारा पानी नहीं छोड़े जाने से हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(8) श्री यदुनाथसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से वर्ष 1986 से 1988 के दौरान प्रान्त में हुए अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में टिकट विक्रय से हुई आय के 21 लाख रुपये के मुनाफे का राजस्थान क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों द्वारा किये गये अपव्यय, गबन एवं दुरुपयोग के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में सूचित किया है कि राजस्थान क्रिकेट संघ को 1986-87 में पच्चीस हजार पचेहत्तर एवं 1987-88 में चालीस हजार छः सौ पचास रुपये बतौर किराये के प्राप्त हुये। क्रीड़ा परिषद् द्वारा उपरोक्त मैचों हेतु कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई। राजस्थान खेल परिषद् व खेल विभाग का उक्त मैचों के आयोजन में कोई सीधा संबंध नहीं रहा। अतः कथित गबन एवं दुरुपयोग करने के लिए क्रीड़ा परिषद् कोई कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है। उत्तर समाधान कारक नहीं है और अस्पष्ट है। माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला परिषद् बीकानेर द्वारा चयनित चित्रकला शिक्षकों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में सूचित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय, सम्बन्धित पार्टीज, विकास विभाग एवं जिला परिषदों को ही दिया गया है न कि शिक्षा विभाग को। शिक्षा निदेशालय द्वारा नियुक्ति के लिए वरियता के निश्चित मानदण्ड एवं प्रक्रिया निर्धारित है जो जिला परिषदों की प्रक्रिया से भिन्न है ऐसी स्थिति में उनके द्वारा चयनित आशार्थियों को किसी भी आधार पर शिक्षा निदेशालय द्वारा नियुक्ति दिया जाना विधि सम्मत नहीं है। इसके अनेक प्रशासनिक व दैनिक जटिलतायें उत्पन्न होगी। उत्तर समाधान कारक नहीं है, माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होती।

अकाल के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्तावों के प्रस्तावक 17·9·91 को बहस में भाग ले सकेंगे।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

1. श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री जगदीश चन्द्र यादव, भू. पू. छात्रावास अधीक्षक, समाज कल्याण छात्रावास (हरिजन कन्या व बालक) अटरू, जिला बांरा द्वारा कथित आर्थिक अनियमितता एवं गबन किये जाने के सम्बन्ध में।

2. श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाई माधोपुर के सभी राजकीय चिकित्सालयों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में।

3. श्री चुन्नीलाल धाकड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से चित्तौड़गढ़ रावतभाटा रोड़ स्थित ग्राम बरोद के पास बाहुणी नदी पर पुलिया बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

4. श्री मनोहर सिंह इन्दा, सदस्य, विधान सभा की ओर से शेरगढ़ जिला जोधपुर के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में।

5. श्री नन्दकिशोर शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में सिचाई की पर्याप्त व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

6. श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सहायक अभियन्ता कार्यालय राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जैतारण में ट्रक की व्यवस्था नहीं होने व क्षेत्र में जले हुये ट्रान्सफार्मर को ठीक नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

7. श्री अचलाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से "ढारिया बांध" तहसील देसूरी, जिला पाली का निर्माण नहीं करवाये जाने के सम्बन्ध में।

8. डॉ. चन्द्रभान, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुंझुनू जिले की पेयजल समस्या के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री हेमराज, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा डेयरी के प्रबन्ध संचालक द्वारा किये गये कथित भ्रष्टाचार की जांच करवाये जाने के संबंध में।

(10) श्री परसराम मोरदिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा चल रहे अनुसूचित जन-जाति छात्रावास को राज्य सरकार द्वारा बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री बिरधाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से मकराना में विद्युत आपूर्ति करवाने के संबंध में।

(12) श्री श्रीराम मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ के चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने तथा पर्याप्त चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करवाये जाने संबंध में।

(13) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से भादरा कस्बे के गांव उत्तराधातवास के श्री रतन सिह, अतिरिक्त अधिशाषी अधिकारी के लापता होने के संबंध में।

(14) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से बरसिंगसर लिग्नाइट परियोजना के लिए अवाप्त की गई भूमि का उचित मुआवजा नहीं दिये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्य को उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़ने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था सूचना के तौर पर मुझे आपसे पूछना है कि 12 तारीख को....

एक माननीय सदस्य : 295 में मेरा भी था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट। मैं समझता हूं कि इस संबंध में यदि कोई व्यवस्था कर ली जाय कि शून्यकाल में यदि किसी को कोई विशेष बात कहनी हो वो पहले से नोटिस देवे तो मैं एक-एक करके उसका नाम पुकार लूंगा और यदि आप एक साथ खड़े होंगे तो संभव नहीं होगा। एक-एक बोलिए। (व्यवधान)

बोलिए जनार्दन सिंह जी।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय आपने अभी व्यवस्था के अंदर खासतौर से बांदीकुई, गंगापुर सिटी और हिन्डौन के मामले में और अजमेर के मामले में व्यवस्था दी। हमने सरकार से इस प्रस्ताव के समर्थन के स्थगन प्रस्ताव पेश किया। या तो स्थगन प्रस्ताव पर सरकार जवाब देती या हमको बोलने का मौका दे दें। अध्यक्ष महोदय, यह इतना गंभीर मामला है राजस्थान सरकार की इसमें खुली राजनीतिक भावना के अलावा और कोई हो नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय महत्वपूर्ण मामला है। (व्यवधान)-

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। कोई भी बोले दर्ज

(श्री अध्यक्ष)

नहीं हो। विषय पर बोलें दर्ज नहीं किया जाय। आप अपनी बात कहिए, बोलिए मत। आप उस विषय पर मत बोलिए जिसकी बोलने की अनुमति नहीं दी। उस पर आपको बोलने नहीं दिया जायेगा। (व्यवधान)

डॉ. चन्द्रभान (मण्डावा) : × × ×

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू): × × ×

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : × × ×

श्री अध्यक्ष : वो तो मैंने दे दी। इसमें व्यवस्था दी हुई है मेरी आप व्यवस्था को क्यों चेलेंज कर रहे हैं? मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी इसका मतलब नहीं दी, यह बात अन्दर कीजिए यहां नहीं। यहां जो मैंने व्यवस्था दी है वो लागू होगी आप चाहें बोलें या नहीं बोलें, लागू होगी। आप बोलेंगे तो दर्ज नहीं होगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : × × ×

डॉ. चन्द्रभान : × × ×

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री अध्यक्ष : हेतराम जी आप बोलिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 11 तारीख को एक प्रस्ताव दिया था....

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप हर व्यवस्था को चेलेंज कर रहे हैं? पाइन्ट ऑफ आर्डर से आप चेलेंज करेंगे? पाइन्ट ऑफ आर्डर क्यों उठा रहे हैं? व्यवस्था दी हुई है कोई पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं उठायेंगे आप। माननीय हेतरामजी बोलिए। (व्यवधान)

माननीय हेतराम जी बोलेंगे। उसको दर्ज कीजिए और किसी का दर्ज नहीं हो।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री हेतराम बेनीवाल : जो स्थगन प्रस्ताव मैंने 12 तारीख को दिया था वो हाइड्रोफोबिया से जो बच्चे यहाँ एस. एम. एस में मर गए और....

श्री अध्यक्ष : आज एडजोर्नमेंट मोशन है?

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरा एडजोर्नमेंट मोशन था।

श्री अध्यक्ष : वह मैं देख लूंगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने उस पर व्यवस्था नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : हां नहीं दी है, मैं देख लूंगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : सूचना हाउस में रखनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अच्छी बात मैं देख लूंगा।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री हेतराम बेनीवाल : मुझे आप समय दीजिए। मेरी एक बात सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट। पिछले जितने भी एडजोर्नमेंट मोशन जिनके मेरे पास जवाब आ गए और जिनके जवाब नहीं आये, एक-दो को छोड़कर बाकी सब पर मैंने व्यवस्था दे दी। अब आपका मेरे सामने आया है....(व्यवधान)

अब आपका आया नहीं तो मैं मंगा लूंगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपसे अर्ज करूं, आपने व्यवस्था दी थी कि जिसका 24 घण्टे में जवाब नहीं आयेगा उस पर माननीय सदस्य को कहने का अधिकार होगा।

श्री अध्यक्ष : अधिकार नहीं मैं व्यवस्था दे दूंगा। मेरी व्यवस्था यह है कि उस पर मैं अपनी व्यवस्था दे दूंगा। आप मेरी व्यवस्था को क्यों बिगाड़ रहे हैं? मैंने कहा है कि सरकार को जवाब नहीं आया तो भी व्यवस्था दे दूंगा। बोलने का अधिकार कहां से आ गया?

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

डॉ. चन्द्रभान : × × ×

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरी बात सुन लीजिए, उसको 24 घण्टे नहीं हुए....

श्री रामस्वरूप मीणा : × × × (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष के पास 2 कान हैं 100 कान नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : आज 16 तारीख है और स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार का जवाब नहीं आया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा मुझे इस बात की इजाजत दी जाय कि वो सूचना हाउस में रखूंगा।

श्री अध्यक्ष : वो मैं देख लूंगा, मैं उसको आज मंगवा लूंगा। आज वो मेरे सामने प्रस्तुत नहीं हुआ।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने यहां पर उसकी व्यवस्था दी है, पुकारा है उनको उसकी हैडिंग पुकारी है और उस पर यह व्यवस्था दी है कि 24 घण्टे में आ जायेगा। मैंने इन्तजार किया है और आज चौथा दिन है। आज उस सिलसिले में मैं चाहूंगा ....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बिराजिए। अब आप मेरी व्यवस्था सुन लीजिए।

डॉ. चन्द्रभान : × × ×

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप मेरी व्यवस्था सुन लीजिए। इस संबंध में पहले भी कई बार व्यवस्थायें हो चुकी हैं। जब मैं व्यवस्थायें देता हूं उसके बारे में या कोई एडजोर्नमेंट मोशन का हवाला नहीं आया हो तो उसके बारे में चेम्बर में मिलना चाहिए। (व्यवधान)

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

आप सुन लीजिए पहले। यदि मैंने हवाला दिया है तो उसमें व्यवस्था भी दी है।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने एनाउंस किया है कि 24 घण्टे में आ जायेगा। आपने उस पर यह भी कहा है कि 24 घण्टे बाद नहीं आया तो ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप मेरी बात सुन लीजिए। आप कब की बात कह रहे हैं?

श्री हेतराम बेनीवाल : 13 तारीख की।

श्री अध्यक्ष : वो छोड़िये। मेरे पास जितने पेण्डिग थे, मैंने सब मंगवा लिए, उसमें आपका नहीं आया उसकी मैं जांच करा लूंगा। (व्यवधान)

यह मैं क्या कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं? यदि जवाब नहीं आया है तो भी व्यवस्था दे दूंगा और जवाब आ गया है तो भी व्यवस्था दे दूंगा। वो मेरे पास आया नहीं था इसलिए इन व्यवस्थाओं में वो शामिल नहीं हुआ है। मैं पता कर लूंगा और इस संबंध में जो भी बात पूछनी हो, व्यवस्था यहां की दी हुई है कि आप चेम्बर में मिल करके अपने-अपने एडजोर्नमेंट मोशन के बारे में जिसकी व्यवस्था दी है या नहीं दी है हाउस में खड़े हो करके पूछने से कोई मतलब नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने हाउस में एनाउंस किया 13 तारीख को, मुझे आवश्यकता नहीं है कि आपसे चेम्बर में मिलूं। (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैंने जो कहा मैं आज भी उसको स्टिक करता हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : सरकार ने जवाब नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : × × ×

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा हूं और आप बोल रहे हैं। आप मेरी व्यवस्थाओं को चेलेंज कर रहे हैं? मैं खड़ा हूं और आप बोल रहे हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : × × ×

श्री अध्यक्ष : फिर खड़े हैं। यह कोई तरीका नहीं है जैसे आप चेलेंज कर रहे हैं। माफ करिए जनार्दन सिंह जी....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : × × ×

श्री अध्यक्ष : Please be cantions Please withdraw your words.

ये शब्द निकाल दिए जाय।

Don't Provoke me (व्यवधान)

मैं खड़ा हूं। फिर आप खड़े हो गए।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बोलिए। (व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय श्री देवपुरा जी।

श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ : × × ×

डॉ. चन्द्रभान : × × ×

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था को चैलेंज करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, आपकी व्यवस्था का पूर्ण सम्मान करते हुए मैं इतना सा ही निवेदन करना चाहूंगा, स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार का अधिकार आसन का है, उसको कोई ना नहीं करता, गवर्नमेंट से जवाब आने के बाद भी और उसके पूर्व भी आप उचित समझते हैं, उस पर व्यवस्था दे सकते हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव इस बात के लिए दिए जाते हैं कि कोई ऐसा बिंदु है जिस पर कोई रेगुलर मोशन नहीं आ सके, उसको स्थगन प्रस्ताव के जरिये उजागर करके समस्याओं को रख कर गवर्नमेंट के सामने लाया जाय, गवर्नमेंट का जवाब आया, हो सकता है अध्यक्ष महोदय, आपको सेटिसफेक्शन हो गया हो लेकिन जिस माननीय सदस्य ने वह स्थगन प्रस्ताव रखा है और उसी जवाब के आधार पर ही वह स्थगन प्रस्ताव रखा गया है कि यह जवाब आने वाला है और यह चीज हुई है, उसको तो अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य का थोड़ा बोलने के अधिकार की बात है, उस पर आपको विचार करना चाहिए। मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री रामकरण सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप भी बोलिए। मेरे से कौन पूछता है? आप खड़े होते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री अध्यक्ष : दल के नेता बोल रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक पूरे सम्मान के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने व्यवस्थाएं देने के बाद जो हमारे रिपोर्टर्स यहां बैठे हैं, उनको यह आदेश दिया कि मैं नहीं कहूं, तब तक अंकित न हो। अंकित न हो यह जो प्रावधान है यह तो एक्सट्रीम है और बहुत ही एक्सट्रीम कन्डीशन्स में इसको उपयोग में लाया जाता है। मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं और आप उचित समझें तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगर आप इस बात पर थोड़ा पुनर्विचार करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री अध्यक्ष : बोलिए। हेतरामजी, आप बोल चुके ना?

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपसे एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं। मुझे अच्छी

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

तरह से याद है कि आपने हाउस में एक व्यवस्था दी कि जितने मेरे पास स्थगन प्रस्ताव आ रहे हैं सब को मैं भेजूंगा, 24 घंटे बाद उनका जवाब आयेगा और जवाब नहीं आयेगा तो उन सदस्यों को इस सिलसिले में स्पष्टीकरण करने का मौका दूंगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा....

श्री अध्यक्ष : मैं इसको संशोधित कर दूं, मैंने केवल व्यवस्था देने का कहा है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आपने अगर दोबारा....

श्री अध्यक्ष : अब आप, जो बात मैंने नहीं कही, मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? मैंने यह कहा है कि यदि सरकार का जवाब 24 घंटे में नहीं आयेगा तो भी मैं व्यवस्था दूंगा, जवाब आयेगा तो भी व्यवस्था दूंगा, यह कहा है मैंने। आप बोलने का अपने आप ही अधिकार ले रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : तो भी व्यवस्था दूंगा मैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह भी साबित हो गया और सरकार का जवाब नहीं आया....

श्री अध्यक्ष : वह मैंने आपको बता दिया कि वह मेरे सामने आया नहीं। मैं बता चुका हूं कि वह मेरे सामने नहीं आया।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि जिस बारे में आपने यह हाउस में अनाउन्समेंट कर दिया, वह प्रस्ताव नहीं आया, जो महत्वपूर्ण सूचना मेरी उसमें थी वह इतनी महत्वपूर्ण है....

श्री अध्यक्ष : अच्छा, हो गई आपकी बात। बैठिये, डॉ चन्द्रभान।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं निवेदन करूंगा कि उसकी सूचना हाउस में दी जाये।

श्री अध्यक्ष : डॉ. चन्द्रभान।

डॉ. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, दस सितम्बर से विधानसभा का सत्र चल रहा है, 11 तारीख को पंकज सिंघवी हत्याकांड के सम्बन्ध में मैंने कानून-व्यवस्था का मामला उठाया था, चोरियों का मामला था, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आश्वस्त किया था कि इस संदर्भ में जानकारी करके सदन को अवगत करा दिया जायेगा। पिछले चार दिन से लगातार जयपुर में और जयपुर के आस-पास चोरियां हो रही है। हरमाड़ा में एक वृद्ध महिला के पैर के कड़े निकाल कर हत्या कर दी गई है, कल जयपुर के सोडाला क्षेत्र में दो घंटे तक रास्ता बंद हुआ है और नकबजनी, लूटमार करने वाले लोग दिन दहाड़े चोरियां करते हैं। अध्यक्ष महोदय, लोगों की जान-माल की सुरक्षा नहीं है। इस मसले के ऊपर आज ही चर्चा करवाइए और माननीय मुख्य मंत्रीजी सदन को आश्वस्त करें कि यह चोरियां विधान सभा सत्र के चलते हुए हो रही है तो बताइए, फिर कहां कानून-व्यवस्था रह गई?

श्री अध्यक्ष : बिराजिए माहिर आजाद, आप बोलिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : अध्यक्ष महोदय, मैंने 11 तारीख को एक स्थगन प्रस्ताव, जिस पर 15 अन्य माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर भी थे, जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय सहित राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में हो रही अव्यवस्था और अनियमितताओं के सम्बन्ध में दिया था। मैं 13 तारीख को इसके सम्बन्ध आपके कक्ष में भी आपसे मिला क्योंकि आपने यह घोषणा की थी कि 24 घंटे में उसका उत्तर आने पर मैं उसकी व्यवस्था दूंगा। मैं 13 तारीख को मिला तो आपने उस समय यह कहा कि आपका 11 तारीख को साढ़े बारह बजे दर्ज हुआ है इसलिए हम इसको 12 तारीख मानेंगे। 16 तारीख को इस पर मैं अपनी व्यवस्था आपको दूंगा आज 16 तारीख हो गई उसके बावजूद भी वह नहीं आया। प्रतीक गुप्ता हाइड्रोफिया से मर गया। कल अस्पताल में, एक माननीय परसरामजी बैठे हैं, एक स्ट्रेचर के कारण एक महिला की डेथ हो गई, कहीं अस्पताल से बच्चों को कुत्ते ले जा रहे हैं, एक इतना गम्भीर मुद्दा है, पांच दिन मेरे को यह स्थगन प्रस्ताव दिए हुये हो गये, आज तो आपकी तरफ से इस पर व्यवस्था आनी चाहिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा 11 तारीख का प्रश्न था....

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : 11 तारीख को मैंने लगाया, आपने कहा कि 24 घंटे में जबाब मंगवाया जायेगा, आज तक उसका जवाब नहीं आया 11 तारीख से....

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरण सिंहजी। बोलिए।

डॉ. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं आसन से यही आश्वासन चाहता हूं कि अकाल जैसे मसले पर चार दिन तक चर्चा नहीं हुई। चोरी के मसले पर चर्चा कब तक होगी....

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरण जी।

डॉ. चन्द्रभान : मैंने इतना गम्भीर मामला उठाया, आप जरा इस पर आश्वस्त तो कीजिए कि चर्चा कब तक हो जायेगी। विधान सभा तो 19 तारीख तक चलेगी, 20 के बाद में चलेगी नहीं, तब तक यदि चोरी-नकबजनी और हत्याओं पर भी चर्चा नहीं होगी तो कब होगी ? आप यह तो आश्वस्त कीजिए कि कल होगी या परसों होगी। अकाल के मसले पर चार दिन हो गये, अभी तक चर्चा नहीं हुई है।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी आपने व्यवस्था दी उसका मैं आदर करता हूं और पूर्ण आदर करते हुए मांग करता हूं कि जो भी एक कत्ल हुआ, उस बारे में आपने जो व्यवस्था दी, उसकी मैं कद्र करता हुआ आपसे एक आग्रह करूंगा और वह आग्रह बहुत नम्रतापूर्वक यह है कि हम राज्यपाल से मिले, मुख्य मंत्रीजी से मिले, मुख्य सचिव से मिले और डी. जी शेखर साहब से मिल लिये, हमें कहीं से रक्षा नहीं

(श्री रामकरणसिंह)

मिली, हमारा संरक्षण हम नहीं पा सके। अब हम आपसे यह आग्रह करते हैं कि छह महीने हो गये, कातिल बिल्कुल घरों में बाहर मीटिंग करते हुए डोलते-फिरते हैं, सी. बी. आई. ने भी नहीं लिया क्योंकि नामजद थे, उनको यह नहीं मालूम कि ऊंचे आदमियों के संरक्षण में हैं यह लोग।

श्री अध्यक्ष : अब आप उसके पर्टिकुलर पर मत बोलिए।

श्री रामकरणसिंह : मैं थोड़ा आप से ही आग्रह करूंगा और कोई चीज नहीं है। मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि आप कम से कम यह तो राज्य सरकार को आदेश दें कि कब तक गिरफ्तार कर लेंगे। इन सब से हमें किसी तरह का संरक्षण नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में गृह मंत्री जी जल्दी ही, कब तक यह सारा हो जायेगा ?

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि हमने सी. आई. डी. (क्राइम ब्रांच) को निर्देश दे दिये हैं कि जो कातिल हैं और जो अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके कोर्ट में उनका चालान पेश किया जाये।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिए।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक 11 तारीख का प्रस्ताव था, अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ होने वाले अत्याचार के बारे में, आपने कहा था कि 24 घंटे के अन्दर उसका जवाब दे दिया जायेगा, आज तक मुझे उसका कोई जवाब मिला नहीं स्थगन प्रस्ताव था मेरा।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव के जवाब आपको नहीं मिलते हैं, वह तो हमारे यहां आते हैं। आप देख लीजियेगा आकर।

श्री रामस्वरूप मीणा : व्यवस्था क्या की, उसका तो मुझे पता लगे।

श्री अध्यक्ष : हां तो आप यहां देख लीजिए। आप बोलिए।

श्री प्रभूलाल पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैंने 13 तारीख को 295 का प्रश्न दिया था और शायद मेरा आपने नहीं लिया है....

श्री अध्यक्ष : 295 के आज मैंने 14 या 15 लगाये हैं, बाकी पेण्डिंग है, वह कल लेंगे बाकी के।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, आज की जो कार्यसूची है उसमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में नम्बर तीन पर मेरा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा हुआ है और उसके माध्यम से मैंने माननीय सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के लिए वांछा की थी और यहां ऊर्जा मंत्री के लिए आपने लिख दिया, इसमें तो फिर थोड़ा सा....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, उनके आपस में डिस्कशन होकर यह तय हुआ कि ऊर्जा मंत्री ही इसका जवाब देंगे और बिजली

(श्री अध्यक्ष)

विभाग ने इसको स्वीकार कर लिया है कि हम जवाब देंगे।

श्री जुबेर खां (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ समय पहले एक 131 का भरतपुर जिले में शारीरिक शिक्षकों के लिए एक प्रस्ताव दिया था। आपने उसमें व्यवस्था दी है कि सरकार से जवाब आ गया। अध्यक्ष महोदय, वह तमाम आदेश भी मौजूद हैं जिनमें यह क्लियर कहा गया है कि जब कोई भी अब पद रिक्त हो तो यह शारीरिक अध्यापकों को दिया जाय....

श्री अध्यक्ष : अब इस सवाल को आप दूसरे रूप में उठाइए, जवाब जो आ गया आपके सामने है, पढ़ कर सुना दिया। और दूसरे रूप में उठाइये आप।

श्री जुबेर खां : आपने मौका ही नहीं दिया बोलने का।

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया के अन्तर्गत बोलें आप। श्री केदारजी....

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष जी, वह प्रक्रिया आप बता दें कौन सी है ?

श्री अध्यक्ष : मेरे चेम्बर में आना, मैं बता दूंगा। श्री केदारजी....

श्री केदार नाथ शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देवपुरा जी ने स्थगन प्रस्तावों के बारे में यहां पर आपसे कुछ निवेदन किया। अध्यक्ष जी मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। स्थगन प्रस्ताव आपके पास आते हैं और आप जानकारी के लिए सरकार को भेज देते हैं, नम्बर एक। कुछ स्थगन प्रस्ताव ऐसे हैं कि जो सीरियस नेचर के हैं और आप डाइरेक्शन दे देते हैं उस पर स्टेटमेन्ट देने की। तीसरे जब आप रिजेक्ट करते हैं तो आप कुछ को तो बोलने की इजाजत दे देते हैं और कुछ को नहीं देते। मेरा आपसे निवेदन है कि आप रिजेक्ट भी कर दो उसमें लेकिन पाबन्दी मत लगाओ कि उनको बोलने का अधिकार नहीं है क्योंकि यह परम्परा रही है। अध्यक्षजी, आपने काफी रेगुलेट किया, मैं इस बात को मानता हूं। मेरा आपके सामने एक सबमीशन है कि स्थगन प्रस्तावों का जो हिस्टोरीकल बैंक ग्राउन्ड था आप आकेजन्स के ऊपर आब्जर्वेशन देते रहे और आब्जर्वेशन बाइन्डिग नहीं हैं। अहमियत तो है आब्जर्वेशन्स की। एडजोर्नमेन्ट मोशन की जो हिस्टोरीकल बैकग्राउन्ड थी वह बदल गयी क्योंकि उस समय सरकारें अकाउन्टेशल नहीं थी, आन्सरेबल नहीं थी असेम्बली और लोकसभा के, हाउस ऑफ कामन्स के। वह सारा बैकग्राउन्ड बदल गया। मेरा आपसे यह निवेदन है कि हमारी सारी लाइफ हिस्टरी में केवल तीन या चार बार ऐसे आकेजन्स आये हैं कि जब एडजोर्नमेन्ट मोशन एक्सप्ट किये गये हैं और डिबेट हुई है। यह तो आपका अधिकार रहेगा हमेशा लेकिन बोलने का अधिकार, पूछने का अधिकार तो हां पक्ष के लोगों को होना चाहिए। यह आपकी रूलिंग आ जाये तो मेरा ख्याल है कि इनके फायदे में हैं, हाउस का स्ट्रेचर बढ़ेगा, हाउस का आनर बढ़ेगा और दूसरी असेम्बलीज में साइट होगा कि पहली बार राजस्थान असेम्बली में माननीय अध्यक्ष जी ने जो हिस्टोरीकल बैक ग्राउन्ड है उसको

(श्री केदारनाथ शर्मा)

बदलते हुए एडजोर्नमेन्ट मोशन पर कह दिया कि जो हां पक्ष के लोग हैं उनको पूछने का अधिकार है। मन्जूर करने का अधिकार तो आपका है। इसलिए आपसे निवेदन है क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां बैठे हैं।

दूसरे अध्यक्षजी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 53 जो रूल है यह ट्रिब्युनल में चला गया, कोर्ट में चला गया और सबजुडिस है। अध्यक्ष जी, मेरी यह मान्यता है कि फैक्ट्स को नरेट करने का अधिकार हर एम. एल. ए. को है। आप जानते हैं राज्य सभा में लोक सभा में और यहां भी जजेज के कन्डक्ट के बारे में बोलना पड़ा है, बोला गया है राज्यपाल के कन्डक्ट के बारे में राष्ट्रपति के कन्डक्ट के बारे में हम बोले हैं। मैं उस बात को नजर अन्दाज करता हूं मगर हमें अपने फैक्ट्स को नरेट करने का अधिकार हमारा है। आम लोगों की आज कान्शश है उसको कम्युनिकेट करने का अधिकार है वरना एम. एल ए. का राइट हमेशा के लिए डिप्राइव हो जायेगा 253 में यह कहा गया है केवल उस बात के लिए जहां उसकी मेरिट्स पर कोर्ट में चलने वाले केस को सबजुडिस नहीं करापाये, मेरिट पर नहीं बोलें मगर फैक्ट्स हैं उनको नरेट करने का अधिकार एक एम. एल. ए. का है। इसके बारे में भी आपको रूलिंग देनी चाहिए।

थर्ड जो पाइन्ट आफ आर्डर का है, यह ठीक है अध्यक्ष जी वेक्यूम में पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं पूछा जाता। केवल एक स्थिति में जबकि मेन्टीनेन्स ऑफ आर्डर, जहां अरेन्जमेन्ट ऑफ सबजेक्ट है इसलिए इसके अलावा नहीं पूछना चाहिए। मैं अध्यक्ष जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस पाइन्ट के ऊपर हमें आपको निवेदन करना है अगर आप प्रीवियस नोटिस दे दें और हमें फर्स्ट अपार्चुनिटी मिल जाये तो सारे हाउस की कार्यवाही को रेगुलेट करने में मदद मिलेगी।

मैंने तीन पाइन्ट्स रेज किये हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं वह भी अपनी राय दें और हमारे दो स्पीकर बैठे हैं भूतपूर्व वह भी अपनी राय दें ताकि आपकी बाद में रूलिंग हो जाये। हमें भी फायदा मिलेगा, दूसरी असेम्बली में ही साइट होगी और बहुत बड़ा काम आप कर पायेंगे। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में, सबसे पहले एडजोर्नमेन्ट मोशन की बात है। इसी सदन में पिछले मेरे जो प्रिडिसीसर्स थे उसके एडजोनमेन्ट मोशन को रेज करा कर बोलने की प्रक्रिया नियमित चल रही थी उसके पहले। तब यह हुआ कि 295 स्पेशल मेन्शन का प्रावीजन अमेडन्ड करके और एडजोर्नमेन्ट मोशन पर नहीं बोल कर क्योंकि जो बैक हिस्ट्री मैंने बताई है इसलिए 295 का प्रावीजन कर दिया जाये ताकि हर एक मेम्बर को अपनी बात कहने का अधिकार हो। इस नाते से मेरे प्रिडिसीसर्स ने यहां बोलना बिल्कुल बन्द कर रखा था। एडजोर्नमेन्ट मोशन सब खारिज होते और जवाब आये या नहीं आये किसी भी सदस्य को इस तरह का डाइरेक्शन इश्यु हुआ था

(श्री अध्यक्ष)

और बोलना करीब-करीब एडजोर्नमेन्ट मोशन पर बिलकुल समाप्त कर दिया क्योंकि 295 बन गया। उसके बावजूद मैंने आ करके जब यह देखा कि 295 भी बहुत आ रहे हैं और 295 के अलावा कुछ ऐसे तत्कालिक मसले आते हैं, ऐसे इश्युज आते हैं कि जिनके ऊपर विरोधी सदस्यों को बोलने का अधिकार है और इस सभा में उनको बुलवाना ही चाहिए इसलिए मैंने चालू किया है। उसमें से छांटकर जो ऐसे प्रश्न हैं सारे ही तो एडजोर्नमेन्ट के सवाल ऐसे नहीं है जो बड़े तात्कालिक हों और जिसके लिये हाउस की सारी कार्यवाही बन्द कर दी जाये और बहस की जाये और यदि आप गौर से जो मैंने व्यवस्थायें दी हैं उनको आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आ जायेगा कि कौन सा मसला सार्वजनिक महत्व का ऐसा है कि जो राजस्थान की की जनता की और उसके मानस को आन्दोलित कर रहा है या जिसको लेकर आज पूरी राजस्थान में एक इमोशन है। इस तरह के मसले हैं कि जिनको ऊपर उनको बोलने का अधिकार है, यह बीच का रास्ता मैंने निकाला है। लेकिन सही बात यह है कि एडजोर्नमेन्ट मोशन के स्वरूप को बदलना आज की परिस्थितियों में आवश्यक हो गया है क्योंकि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी चाहते हैं कि हमको भी इस तरह के इश्युज उठाने का मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए जो एडजोर्नमेन्ट मोशन की पूर्व भूमिका थी उसको बदल करके नये रूप में हम कैसे इसको स्वीकार करें। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि सभी दलों के नेता बैठें और बैठ करके एक मत बनायें, मत बना करके एडजोर्नमेन्ट मोशन को क्या स्वरूप देना चाहिए वह स्वरूप देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसके हिसाब से नियमों में तब्दीलियां कर दी जायें और उसको फिर उसी रूप में लागू किया जायेगा।

आपने दूसरा सवाल पाइन्ट ऑफ आर्डर का उठाया। इस संबंध में पार्लियामेन्ट में अभी-अभी पिछली बार जो स्पीकर थे उन्होंने व्यवस्था की थी कि शून्यकाल में किसी भी माननीय सदस्य को क्योंकि अमुमन जो इश्यु होते हैं वह आप किसी न किसी रूप में नोटिस के रूप में दे ही देते हैं लेकिन अचानक ऐसा लगे कि कोई ऐसा इश्यु आ गया है कि कोई ऐसी इनफोर्मेशन है कि जो हाउस में देना जरूरी है तो उनको अपने नाम देकर मुझे सूचित कर देना चाहिए कि मैं शून्यकाल में इस इश्यु को उठाऊंगा। इस तरह से पूर्व सूचना यदि मेरे पास आ जाये तो फिर एक साथ खड़े होकर पाइन्ट ऑफ के आर्डर के नाम पर हम सब लोग बोलें यह दृश्य उपस्थित नहीं होंगे। जिसका नोटिस मेरे पास आ पास आ जायेगा उनको एक-एक करके मैं उनकी बात सुनने के लिए अवसर दे दूंगा। यह व्यवस्था हो सकती है। आप इसका पालन करें तो मुझे आपत्ति नहीं है। मैं इसके साथ में हूं।

जहां तक रूल 53 का सवाल है ऐसा ब्लैंक तो किसी को अधिकार नहीं दे सकते कि कोर्ट कोई इस तरह के हैं कि जिनके बारे में हम कुछ बोल हो नहीं सकते। इस विधान सभा में मैं समझता हूं कि यह भी

(श्री अध्यक्ष)

नहीं है मगर यह भी नहीं है कि हम कोर्टस को टारगेट बनायें यहां पर और टारगेट बनाकर ऐसे शब्द कहें या इस प्रकार की भाषा बोलें कि जिससे जो हमारे विधान में मर्यादायें बनाई हुई है और एक दूसरे के ऊपर मर्यादायें और मान्यतायें रखने की रखने की वह मर्यादा समाप्त हो। इसलिए इस प्रश्न के बारे में कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल बन सकेंगे, मैं समझता हूं कि यह तो विवेक पर निर्भर करेगा कि कौन करेगा कि कौन से तथ्यों को बुलाया जाये और कौन से तथ्य ऐसे हैं कि जिनसे कोर्ट की प्रसीडिंग्स के प्रिजुडिस होने की सम्भावना है उन पर नहीं बोला जाये यह तो बोलने के विवेक पर भी है और व्यवस्थाओं के विवेक पर भी है और यदि आप इस पर कोई रास्ता ऐसा निकाल सकें फुलप्रूफ कि जिसमें एक ही सिद्धान्त लागू हो तो बैठकर तय कीजिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं समझता हूं कि आपने जो तीन बिन्दु रखे हैं, ठीक हैं।

श्री सुनील विश्नोई

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव 9 तारीख को प्रस्तुत कर दिया था। आपने 11 तारीख को व्यवस्था दी थी। मैं टाडा की बात करता हूं भीलवाड़ा वाले की आपने यह व्यवस्था दी कि सरकार से जवाब मांगा गया है। 13 तारीख को आपने व्यवस्था दी कि सरकार का जवाब नहीं आया और आपको बोलने का समय दिया जाता है....

श्री अध्यक्ष : आप तो उस दिन उपस्थित नहीं थे ना।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह मैंने निवेदन किया था। उपस्थित मैं इस पर बोल रहा हूं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : उसका जवाब आ गया है उसका जवाब देख लीजिए पहले।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे मसले पर जो राजस्थान से संबंधित है, जिस रोज 27 मार्च को इस पर चर्चा हुई थी उस समय तो एस. पी, डी एस. पी. को सस्पेण्ड नहीं किया लेकिन 5 महीने बाद ऐसे कौन से कारण बन गये कि एस. पी. एक आई. पी. एस. अधिकारी और डी. एस. पी.....

श्री अध्यक्ष : आपका जवाब आ गया है। जवाब देखिये पहले आप। आप बिराजिये देख लीजिए।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आप सरकार से स्टेटमेन्ट दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब देख लें पहले।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में एक चीज लाना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप बोलने वाले भी हैं। फिर आप बार-बार बोलेंगे क्या?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपसे चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप दो बार बोल रहे हैं। 295 में भी बोल रहे हैं और एडज्योर्नमेंट मोशन पर भी बोल रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं अलग ही कुछ बोल रहा हूं। कुछ विशेषाधिकार के मामले आपके सामने आये हुए हैं। विशेषाधिकार के मामले जब भी सदन में आते हैं 157 के अन्तर्गत आते हैं और 158 में उसको उठाने की रीति के बारे में हमारे नियमों में प्रावधान दिया गया है कि कोई भी सदस्य जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता है, वह लिखित में आपको सूचना देगा और नियम 158 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त होने के बाद आप उसमें इजाजत देंगे।

9 सितम्बर, 1991 को मालपुरा से आने वाले माननीय ने····

श्री अध्यक्ष : आप जो प्रिविलेज मोशन ला चुके हैं और जिसके बारे में मेरी व्यवस्था पेंडिंग है और जिसकी....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं केवल आप से जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : और जिसकी जानकारी आप सदन में एक दिन पहले दे चुके हैं। जिसकी जानकारी भी आप सदन में एक दिन पहले दे चुके हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं दी। नहीं दे चुका, अध्यक्ष महोदय। एक मिनट सुन लें।

9 सितम्बर को मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ फोर्ज्ड डाकूमेंट्स यहां पेश किये थे और उनके बारे में दो विशेषाधिकार के प्रश्न आपको दिये। आप कृपा करके व्यवस्था दें। सदन में विशेषाधिकार का मामला प्रश्न काल के तुरन्त बाद लिया जाता है सारे कार्यों को स्थगित करके। उसके बारे में कृपया व्यवस्था दें। यह सारे सदन का मामला है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये। सुन लिया मैंने। मैं जब 158 में सहमति दूंगा तभी उठाओगे। अभी तो उस पर विचार कर रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उसमें क्या व्यवस्था दी, यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं दी। अभी नहीं दी व्यवस्था। उसको मैं एग्जामिन कर रहा हूं। बिराजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इसके बारे में तुरन्त....

श्री अध्यक्ष : श्री सुनील विश्नोई।
(अनुपस्थित)

श्री बुलाकीदास कल्ला : फोर्ज्ड डाकूमेंट्स पेश कर दिये हैं, अध्यक्ष महोदय, और सदन में पेश कर दिये हैं। सदन में इसकी कोग्नीजेंस लेनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह।
(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, इनको बिठाइये या फिर मुझे बैठने के लिये कहिये।

श्री अध्यक्ष : ये खड़े रहेंगे, मैं नहीं बैठ सकता। प्लीज, गो आन। आपका रिकार्ड में आयेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पहले उनको बोलने दीजिये। मैंने उनका नाम पुकार लिया है। फिर मैं सुन लूंगा। मैं फिर सुन लूंगा; पहले उनको बोलने दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : रेगुलर लिस्ट का बिजनैस शुरू होने के बाद थोड़े ही बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : अभी बिजनैस नहीं हो रहा है। एडजोर्नमेंट मोशन पर ही बोल रहे है।

आप बोलिये। श्री यदुनाथ सिंहजी।

क्रिकेट एसोसियेशन में धान्धली

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब इस सरकार का गठन हुआ तो सबसे पहले घोषणा यह की गई थी कि यह सरकार राजस्थान में भ्रष्टाचार को नष्ट करने का बीड़ा उठा चुकी है और राजस्थान से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेगी।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन में किस प्रकार की धांधली, गबन, मनमानी और दादागिरी हो रही है, उसके बारे में मैंने सरकार से पहले पत्र व्यवहार भी किया और मजबूर होकर फिर मुझे विधान सभा में स्थगन प्रस्ताव भी रखना पड़ा। मैंने जो कहा, इसका उत्तर भी सरकार की ओर से आया, वह उत्तर भी पढ़ा। वह उत्तर पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि राज्य सरकार कह रही है कि न तो क्रीड़ा परिषद् और न खेल विभाग उस गबन के ऊपर कोई कार्यवाही कर सकता है। तो क्या फिर मैं राज्य सरकार से गुहार करने के बजाय सीधा थाने में जाकर एफ.आई.आर. लॉज कराऊं ? सरकार यह चाहती है ?

श्री अध्यक्ष : वह अधिकार है आपको। वह आपको अधिकार है।

श्री यदुनाथ सिंह : अब सरकार की क्या स्थिति होगी ? जरा सोचिये। विधान सभा में बोलने के बाद, माननीय मुख्य मंत्री को उपाध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा की हैसियत से पत्र लिखने के बाद कोई कार्यवाही न हो और उसके पदाधिकारी लाखों रुपये जो राज्य सरकार की सहमति से रीलीफ फण्ड के लिये चन्दा इकट्ठा करने के लिये मैच आयोजित किया, वह पैसा गबन करके खा जाय, इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती।

यहां भी एक क्रिकेट मैच हो रहा था, अध्यक्ष महोदय आपको मालूम है और आपने कृपा करके बहुत छानबीन करके यह पाया कि यदि कोई गड़बड़ हो गई तो राजस्थान विधान सभा बदनाम होगी और वह फिल्मी सितारों से मैच स्थगित हुआ। लेकिन राज्य सरकार ने मैच करवा लिये, तीन-तीन मैच हुए और उसमें तीस लाख रुपये की आमदनी हुई। आमदनी की बैलेंस शीट मेरे पास है, मंत्रीजी चाहें तो बैलेंस

(श्री यदुनाथ सिंह)

शीट दिखा दूं ? उसके अध्यक्ष ने साढ़े छः लाख रुपये निकाल दिये खाते में से और अपने उपयोग में ले रहे हैं। अपनी इन्डस्ट्री के नाम 1.84 लाख रुपये निकाल दिये और उसका उपयोग कर रहे हैं। खातों में दिखा रखा है 4 लाख रुपये स्टेडियम के लिये, मैन्टेनेन्स के लिये देने हैं, वह दिये नहीं, पर खातों में दिखा रखा है। आरकीटेक्ट को पैसे देने हैं, खाते में दिखा रखा है, पर दिया नहीं। यानि भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना दिया जाये खेल को और सरकार कहे कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा उस पर कोई नियन्त्रण नहीं है, यह मेरी समझ से बाहर है। ऐसोसिएशन का जो संविधान है, उसमें भी साफ कहा गया है धारा 30 में खातों में जो पैसा है उसका किसी भी रूप में कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत कार्य के लिये नहीं ले सकेगा। लेकिन लगातार उस पैसे को वह काम ले रहा है। हमने चिट्ठियां लिखीं, अखबारो में खबरें आ रही हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं होना, अध्यक्ष महोदय। मैं चाहूंगा कि सरकार इसमें तुरन्त कार्यवाही करे, एफ.आई.आर. लाज करे, उस पैसे को वसूल करे, एसोसिएशन में जो भ्रष्टाचार है उसको रोकें, खेल बदनाम न हो, आपका विभाग बदनाम न हो, आपसे तो कम से कम मैं यह उम्मीद करता हूं। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय, उचित समझें तो इसके बारे में स्टेटमेंट दें।

श्री अध्यक्ष : श्री कल्ला।

श्री भंवरलाल शर्मा (खेल मंत्री) **:** माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक खेल विभाग का सम्बन्ध है और हमारे स्पोट्र्स बोर्ड का सम्बन्ध है, आपने प्रश्न किया है कि हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि यह जो संस्था है, इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है, यह एक प्राइवेट संस्था है न हम इसका कोई आयोजन करते हैं, न टिकट हमारे द्वारा बिकते हैं, केवल हमारा जो स्टेडियम है उसको यह लोग उपयोग करते हैं और उसका किराया हम लेते हैं। इतना ही हमारा सम्बन्ध है इससे। इसमें हमारा कुछ रुपया भी बाकी है। आयन्दा कोई अनुदान देने की बात आये, इसकी हमने मना कर दी है। बाकी यह जो गबन की बात आप कर रहे हैं....

श्री यदुनाथ सिंह : आपने इसको भंग करने के लिये पत्र व्यवहार किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : किसको भंग करने के लिये ?

श्री यदुनाथ सिंह : यह आपके विभाग से पत्र गया है कि एसोसिएशन को भंग करने की क्या प्रक्रिया है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : वह अलग बात है। अभी तो सवाल इस बात का है कि जो पैसे इन्होंने इकट्ठे किये हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। यह एक प्राइवेट ओर्गेनाइजेशन है। अगर कोई प्राइवेट एसोसिएशन जनता का पैसा लेकर उसका दुरुपयोग करती है तो खेल विभाग या स्पोर्ट्स कौंसिल उसमें कुछ नहीं कर सकते, यह मेरा उत्तर है। बाकी और कदम उठाये जाएं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री कल्ला।

श्री हेतराम बेनीवाल : अब तक क्यों नहीं किया ? कितने साल हो गये ? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह आपके स्टेडियम का उपयोग कैसे कर लेते हैं ऐसोसिएशन के लोग ? आपका पैसा भी उनमें बकाया है, फिर स्टेडियम का कैसे उपयोग कर लेते हैं ? (व्यवधान)

(1.00 म. प.)

श्री अध्यक्ष : श्री कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, पहले ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक शिक्षा पंचायत समितियों को सौंप दी गयी थी। लेकिन राज्य सरकार ने 15-4-91 से जो आठवीं कक्षा तक के उच्च प्राथमिक स्कूल थे, वह अपने अन्तर्गत ले लिये। बीकानेर में और राजस्थान के अन्य हिस्सों में आज जो चयनित शिक्षक हैं, वह 17-7-91 से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आगे धरने पर बैठे हुए हैं। पूरे प्रदेश के 800 से ज्यादा पद रिक्त हैं और बीकानेर जिले में 200 से ज्यादा पद रिक्त हैं, परन्तु फिर भी राज्य सरकार इन चयनित अध्यापकों को नियुक्ति नहीं दे रही है।

अभी हाल ही में उच्च न्यायालय ने, चयनित अध्यापकों के मामले में जब कोर्ट में गये तो एक आदेश जारी किया था जिसके अन्तर्गत श्री रविन्द्र श्रीमाली को, उसके बाद में जो आदेश दिया था वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। "श्री रविन्द्र श्रीमाली को आदेश दिये जाते हैं कि वे आदेश प्राप्त होने के 15 दिन की अवधि में अपने कार्य स्थान पर उपस्थित होकर कार्य-भार सम्भाल लेवें।" इस निर्णय के बाद ऐसे अनेक चयनित अध्यापक माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गये और इस श्रीमाली के आदेश के आधार पर उन सभी चयनित अध्यापकों को माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नियुक्ति के निर्देश दिये। परन्तु फिर भी राज्य सरकार की हठधर्मिता और एक तरीके से संवेदन-शीलता न होने के कारण इन चयनित अध्यापकों को नौकरी नहीं दी जा रही है और यह 17-7-91 से आन्दोलनरत् हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग चयनित हैं, जो विभाग के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सलेक्शन बोर्ड द्वारा चयनित कर लिये गये हैं, चूंकि पहले पंचायत समिति के द्वारा उनको नौकरी पर लिया जाता था, अब पंचायत समितियों से वह स्कूल छीन लिये गये हैं और राज्य सरकार के अधीन आ गये हैं इसलिए नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार के पास आ गया है। इसलिए सम्पूर्ण मसले में हाई-कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसके अनुसार चयनित अध्यापकों को शीघ्र-से-शीघ्र नयुक्तियां दी जानी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : हो गया बिराजिये। श्री मदन दिलावर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वरना यह बेरोजगार लोग सड़कों पर हैं, इनकी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

समस्या का अविलम्ब समाधान किया जाये।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, करीब आधा घंटा लगातार हाथ खड़ा करते हुए हो गया है। मुझे भी एक मिनट बोलने का मौका दीजिये।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बोलिये न। आप बीच में मेरे से बहस क्यों कर रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नियमों के नियम 127 के अन्तर्गत ...

श्री अध्यक्ष : एक सौ....

श्री राजेन्द्र पारीक : 127 के अन्तर्गत। तिलम संघ के मामले में....

श्री अध्यक्ष : वह अन्दर, वह वहां पूछ लेना। हां, जांच हो रही है उसकी।
श्री मदन दिलावर।

प्रक्रिया के नियम-295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

अटरू के छात्रावास में अनियमितताएं

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री जगदीश चन्द्र यादव, भूतपूर्व छात्रावास अधीक्षक, राजस्थान समाज कल्याण छात्रावास (हरिजन कन्या व बालक) अटरू, जिला बांरा द्वारा व्यापक रूप से आर्थिक अनियमितताएं एवं गबन के सम्बन्ध में निवेदन है कि—

1. वर्ष 1989-90 में 25 छात्राओं का छात्रावास में फर्जी प्रवेश दिखाया जाकर लगभग 44,550 रुपये का ऊपर की ऊपर ही गबन कर लिया गया है। जिन छात्राओं का प्रवेश उक्त छात्रावास में दिखाया गया है उस नाम की किसी भी छात्रा का कभी भी छात्रावास में प्रवेश हुआ ही नहीं। सभी प्रवेश दिखायी गयी छात्राओं का पता, गांव का नाम तथा विद्यालय का नाम आदि महत्वपूर्ण विवरण अज्ञात हैं। अधिकांश के पिता का नाम भी अज्ञात है फलतः फर्जी प्रवेश दिखाकर बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है।

2. वर्ष 1990-91 में 70 छात्रों की कौशन मनी, 30/- प्रति छात्र के हिसाब से, कुल 2100 रुपये का सीधा ही गबन कर लिया गया।

3. दिनांक 11-5-90 में कन्या छात्रावास अटरू की केश बुक में रुपये 350 का गबन किया गया है।

4. दिनांक 15-8-90 तक रु. 12720/- मूल्य के छात्रावास से सामान की हेराफेरी की गयी है।

5. वर्ष 1990 तक छात्रावास के 5 बक्से एवं 15 किलो पीतल स्थानीय व्यक्तियों को सस्ते दामों पर सीधे बेचकर रुपये 2000/- का गबन किया गया।

6. दिनांक 15-7-90 से 15-8-90 तक छात्रावास में 29,897.50 रुपये का अतिरिक्त खर्च कर 16,807.50 रुपये का सीधा गबन किया गया है।

(श्री मदन दिलावर)

इस प्रकार विभिन्न गबन एवं घोटालों में कुल एक लाख के लगभग की हेराफेरी तत्कालीन छात्रावास अधीक्षक श्री जगदीश चन्द्र यादव द्वारा की गई है। अतः अविलम्ब कार्यवाही कर उपयुक्त दण्ड दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

कई माननीय सदस्य : आवाज बहुत तेज है।

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि आपकी आवाज बहुत तेज है इसलिए थोड़ा...

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरी आवाज इतनी तेज होते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तक नहीं पहुंचती है और आप मेरी बातों को नहीं मानते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं बहरा हूं।

श्री टीकमचन्द कांत : आवाज तेज होने के साथ-साथ कर्कश भी है इसलिए ध्यान जाता ही नहीं।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा प्रश्न चिकित्सा के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष : वह तो महात्मा जी बता गये। जो नहीं सुनना है, वह नहीं सुनूंगा।

सवाई माधोपुर के राजकीय अस्पताल में सुविधाओं का अभाव

श्री रामस्वरूप मीणा : राजस्थान के अन्दर अस्पतालों की जो हालत हो रही है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं। डॉक्टरों के ट्रांसफर कर दिये गये हैं। जहां से ट्रांसफर कर दिया गया वहां से भी डॉक्टर आया नहीं, जिसके कारण हालात बड़े खराब हो रहे हैं। दवाइयां अस्पतालों में मिलती नहीं। कोई घटना का मरीज वहां पर पहुंच जाये तो उसको यह कहकर के, आप जयपुर या और कहीं जाइये और टाल दिया जाता है और रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। इतना गम्भीर मामला मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं कि राजस्थान में जो चिकित्सालयों की हालत खराब होती चली जा रही है, जिसके कारण लोगों को परेशानी आ रही है।

(1.09 म.प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जिला सवाई माधोपुर के अन्दर जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनकी हालत बहुत खराब है। यहां पर मरीजों को न तो दवाइयां मिलती हैं, न ही वहां पर पलंगों की व्यवस्था है। कई बार बहुत-से मरीज ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ देते हैं। कई बार पूर्व में भी शिकायत की जा चुकी है और माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन भी दिया था कि ऐसी बात नहीं है आक्सीजन की व्यवस्था सब जगह कर दी गयी है लेकिन आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। इसके साथ मैं अपने विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के बारे में भी उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में

(श्री रामस्वरूप मीणा)

जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, उदाहरण के तौर पर, हमारा गुढाचन्द्रा जी का अस्पताल, नांदोती का अस्पताल, सोप का अस्पताल, टोडामीम, बालघाट पर व्यवस्था बहुत ही खराब है। वहां न तो नर्सों के स्थान पूर्ण हैं, न वहां पर पूरे डॉक्टर हैं और जो दवाइयां मरीजों को दी जाती हैं वह बिल्कुल अपर्याप्त हैं। एक-दो गोलियों को छोड़कर के कोई भी किसी प्रकार की दवाई वहां उपलब्ध नहीं हैं। यहां तक कि अस्पताल के अन्दर पट्टी तक के लिए व्यवस्था नहीं है। कोई मरीज वहां जाता है तो पट्टी के लिए बाजार के लिए लिख देते हैं। अस्पताल की इस प्रकार की हालात से कोई भी मरीज बड़े संकट की स्थिति में फंस जाता है। छोटी-सी बीमारी महा-बीमारी का रूप धारण कर लेती है। कई बार तो उनको दम तोड़ना पड़ता है।

इसी प्रकार इंजेक्शन तक अस्पतालों में नहीं मिलते हैं और इंजेक्शन के रखने के लिए फ्रिज की व्यवस्था कई जगह सरकार ने की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस फ्रिज की क्या हालत हो रही है, इसके बारे में हमारे गुढाचन्द्राजी के अस्पताल के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर एक सरकारी फ्रिज है। माननीय मंत्री महोदय भी यह बतायेंगे कि उस फ्रिज की हालत यह हो गयी है कि फ्रिज में इंजेक्शन रखने के लिए जगह होती है ताकि इंजेक्शन खराब नहीं हो, दवाइयां खराब नहीं हों लेकिन उस फ्रिज के अन्दर जूते, चप्पल और डॉक्टरों के कपड़े रखे हुए हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि फ्रिज बेकार पड़ा है और उसके अन्दर जूते तक रखे हुए हैं। जब मैं वहां पर गया तो गांव वालों ने इस प्रकार की शिकायत की। यह हालत तो वहां फ्रिजों की हो रही है। (व्यवधान) फ्रिज को आलमारी बना रखा है उन्होंने। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि ज्यादातर साधन एवं सामग्री के अभाव में डॉक्टर साहबान केसों को अन्य जगहों पर भेज देते हैं और अन्य जगह पहुंचने से पहले ही मरीज अपना दम तोड़ देते हैं। अतः माननीय मंत्री महोदय से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिला सवाई माधोपुर के अन्दर इस प्रकार की हालत जब अस्पतालों की है, जहां पर डॉक्टर नहीं, नर्से नहीं और दवाइयां नहीं तो फिर अस्पतालों में क्या मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : कृपया जो लिखा हुआ है उसी का उल्लेख करिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, उसी का उल्लेख कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, आप अस्पतालों के अन्दर जितने भी स्थानान्तरण कर रहे हो, उतना मरीजों के साथ धोखा कर रहे हो। यह स्थानान्तरण का जो आपका तरीका है, अच्छा नहीं है। अस्पतालों में कम से कम ऐसी नीति निर्धारित कर दें ताकि उनके स्थानान्तरण कम से कम किये जायें। वरना मरीजों को बहुत परेशानी आती है। डाक्टर ड्यूटी जोइन नहीं करते हैं। उसके कारण मरीजों को परेशानी होती है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि अस्पतालों के अन्दर दवाइयों की व्यवस्था की जाय, अस्पतालों के अन्दर जो नर्सों का अभाव है, उसकी व्यवस्था की जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में जो डाक्टर नहीं जाते हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने के लिये पाबन्द किया जाय। इसके साथ-साथ जो भी दवाइयों की कमी है उनकी पूर्ति की जाय। बैडों की पूर्ति की जाय और आक्सीजन की व्यवस्था की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय श्री चुन्नीलाल धाकड़।

श्री रामस्वरूप मीणा : अगर आक्सीजन की व्यवस्था नहीं की तो मरीज इसके अभाव में मर जायेंगे। इसलिये आपको आक्सीजन की व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : महत्वपूर्ण सब सुन ली गई है आपकी, अब बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : मरीजों की हालत के बारे में मैं निवेदन कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : आप एक बात को दस बार कहेंगे तो एक ही बात है।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मंत्री महोदय बिराजमान हैं, इस बारे में व्यवस्था नहीं हुई तो लोग मर रहे हैं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : नर्सों की व्यवस्था नहीं है अस्पतालों के अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी।

श्री रामस्वरूप मीणा : कई बार दम तोड़ देती है हमारी माता-बहिनें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी यहां बिराजमान हैं, सुन रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : वह जाती हैं, अस्पतालों में नर्स नहीं मिलती है और कह देते हैं, ले जाइये दूसरे अस्पताल में।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री रामस्वरूप मीणा : रास्ते में ही बच्चा हो जाता है उनके।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये। अब बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : रास्ते में बच्चा होने से मां की भी मौत हो जाती है और बच्चे की भी मौत हो जाती है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है उस पर ध्यान दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात को सुन लिया। मीणा साहब, अब बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम आप नर्सों की व्यवस्था

(श्री रामस्वरूप मीणा)

तो कर दें ताकि जो माता प्रसूति होती है....

श्री उपाध्यक्ष : अब विराजिये। आप बैठिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : जिसके कारण बच्चे की और मां की मौत हो जाती है, कम से कम वह तो नहीं होगी। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। माननीय श्री चुन्नीलाल धाकड़।

ब्राह्मणी नदी पर पुलिया बनाने के सम्बन्ध में

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बेगूं विधान सभा क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ पंचायत के ग्राम पंचायत गोपालपुरा की जनता की परेशानियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बोराव, जो चित्तौड़गढ़-रावतभाटा रोड पर, स्थित है, पंचायत मुख्यालय है, इसके दक्षिण में गोपालपुरा भी एक ग्राम पंचायत मुख्यालय है।

महोदय, गोपालपुरा ग्राम पंचायत में ग्राम बोरन्दा, बोरन्दा का माजरा, रामनगर जहां राणाप्रताप सागर बांध में डूब में आये लोगों को बसाया गया था, गणेशपुरा, अमरचाण, धांगण, मह्‌, मालीपुरा, नंगपुरा, शम्भूपुरिया आदि गांव लगते हैं, जिनकी आबादी करीबन 3,000 सन् 1981 की जनगणना से है। इन गांवों में जाने के लिये बोराव के पास ब्राह्मणी नदी पार करनी पड़ती है। इस गोपालपुरा की अधिकांश आबादी अनुसूचित जनजाति की है जिनकी माली हालत बहुत कमजोर है, है, भारा मोली बेचकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं।

ब्राह्मणी नदी पर पुलिया नहीं है। पुलिया नहीं होने से बरसात में ग्राम पंचायत गोपालपुरा के सभी आठ गांव मुख्य सड़क और मुख्य कस्बा बोराव से अलग-थलग पड़ जाते हैं। मुख्य कस्बा बोराव ही एक ऐसा केन्द्र है जहां अस्पताल, सैकण्डरी स्कूल, बिजली विभाग का दफ्तर, जंगलात की चौकी, पटवार घर, ग्राम सेवक क्वार्टर, पशु चिकित्सा केन्द्र, बाजार, दुकानें हैं जहां से दैनिक रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं राशन, तेल, नमक उपलब्ध होता है। जब नदी में पानी आ जाता है तो बच्चे न स्कूल जा पाते हैं, न बिजली की खराबी की सूचना दे पाते हैं। यहां तक कि चिकित्सा सुविधा के अभाव में हर साल चार-पांच जनों की मौत हो जाती है। कई बार प्रसव पीड़ा में डाक्टरी सहायता नहीं मिल पाने से महिलाएं तड़पती हुई नदी के उस पार ही दम तोड़ देती हैं। रोजमर्रा दैनिक उपभोग की वस्तुएं आटा, तेल, नमक, चाय पत्ती आदि नहीं मिल पाने से वहां के अनुसूचित जनजाति के घरों में चूल्हा भी नहीं जलता। महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस महत्वपूर्ण पुलिया का निर्माण शीघ्र कराया जाकर जनता को राहत पहुचाएं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मनोहर सिंह इन्दा।

शेरगढ़ में अध्यापकों के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध

श्री मनोहरसिंह इन्दा (शेरगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ जिला जोधपुर में करीब 18 माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें से करीब 14 विद्यालयों मे प्रधानाध्यापक के पद रिक्त पड़े हैं तथा वरिष्ठ अध्यापकों तथा अंग्रेजी अध्यापकों के तो करीब सारे विद्यालयों में पद रिक्त पड़े हैं तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय करीब 25 ऐसे हैं जहां पर एक या दो ही अध्यापक हैं। इससे सारे क्षेत्र के छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है क्योंकि विद्यालय में अध्यापक ही नहीं हैं तो छात्रों की पढ़ाई हो ही नहीं सकती। कुछ अध्यापकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों ने तो अपना डेपूटेशन शहर में करा रखा है तथा तनख्वाहें वहां से उठती हैं। इनका डेपुटेशन तुरन्त खतम किया जाय तथा शीघ्र ही अध्यापकों के पद भरने का आदेश करवाने का श्रम करावें। नहीं तो, ऐसी ही स्थिति रही तो छात्रों का भविष्य अन्धकार में पड़ जायगा तथा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। ग्रामीण इलाका होने की वजह से सरकार को अतिशीघ्र पद भरने चाहिये ताकि ग्रामीण इलाके के छात्र पढ़ाई से वंचित नहीं रह सकें। इसके साथ में मैं शिक्षा मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा शेरगढ़ की उप तहसील बालेसर में महाविद्यालय खोला जाय क्योंकि इस तहसील के करीब दो सौ किलोमीटर के दायरे में कोई महाविद्यालय नहीं हैं तथा हायर सैकण्डरी करने के बाद छात्रों को मजबूर होकर अध्ययन बन्द करना पड़ता है। इस क्षेत्र की मांग को मद्देनजर रखते हुए एक महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति अतिशीघ्र प्रदान करावें।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नन्दकिशोर शर्मा।

छबड़ा में पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था के सम्बन्ध में

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि छबड़ा विधान सभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। इसमें छह नदियां बहती हैं। पानी बेकार ही बहकर निकल जाता है। किसान देखते रह जाते हैं। वहां की धरती प्यासी रहती है। यहां छोटे-छोटे किसान हैं और गरीब हैं। नदियों के मध्य में बांधों के निर्माण हेतु वहां पर सर्वे हुआ था सन् 1978–79 में। माननीय शेखावत साहब द्वारा सर्वे कराया गया पर कार्यवाही नहीं हो पायी। बेसली, हिंगलोट, ल्हासी तीनों के सर्वे हो चुके हैं। बेसली और ल्हासी को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा भी आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है और स्वीकृति प्रदान कर दी है। अतः मेरा माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन है कि वे शीघ्र इसी वर्ष इनका कार्य उस गरीब जनता को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू करायें। बेसली व ल्हासी की सिंचाई योजना होने से छबड़ा व छीपाबड़ोद दोनों तहसीलों की जमीन सिंचित हो सकेगी।

साथ ही मेरा निवेदन है कि गत वर्ष स्वीकृत लघु योजना उतावली व फलिया,

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

जिनका कार्य शुरू हो चुका है, पर इस वर्ष विभाग से गति दी जावे ताकि आगामी दो साल में उसे पूरा किया जा सके।

साथ ही मेरा निवेदन है कि ऐसे लघु तालाब, लिफ्ट योजनाएं व अन्य कार्य भी किये जाएं जिससे शीघ्र पैदावार बढ़ाई जा सकती है। ऐसे तालाब पहले से जिनका सर्वे हुआ है, हाम्याहेडी, गुगोर, केशोली-तूमड़ा, सेतकोलू आदि हैं।

लिफ्ट योजनाएं ट्यूबवैल व नदी किनारे लगाई जा सकती हैं, पानी भी अथाह भरा पड़ा है। जैसे तीतर खेड़ी पार्वती पर, मूंडक्या अन्धेरी पर, सुकनेरी परवन पर कालाखेड़ी ट्यूबवैल से। अन्य भी कई योजनाएं बन सकती हैं जिन्हें सिंचाई विभाग रुचि लेकर बना सकता है। इससे किसान की समृद्धि बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी। डी. आर. डी. ए. की समस्त राशि सिंचाई के कार्य में लगा दी जावे तो यह बहुत ही उत्तम कार्य होगा। बेरोजगारी दूर होगी व गरीबी दूर होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सुरेन्द्र गोयल।

जैतारण में मण्डल के पास ट्रक व्यवस्था व जले हुए ट्रांसफार्मर के सम्बन्ध

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मेरे विधानसभा क्षेत्र जैतारण के सहायक अभियन्ता कार्यालय, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल जैतारण में ट्रक की व्यवस्था नहीं होने व क्षेत्र में जले हुए ट्रान्सफार्मर को ठीक नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ऊर्जा मंत्री का ध्यान आपकी मार्फत आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में सहायक अभियन्ता कार्यालय में पिछले करीब तीन साल से ट्रक नहीं है। ट्रक नहीं होने से उपकरण, खम्भे, ट्रान्सफार्मर व अन्य सामान लाने व ले जाने में भारी असुविधा हो रही है व किसान बहुत ही परेशान हैं। किसानों को पांच सौ, हजार रुपये देकर ट्रक किराये पर लेकर सामान ले जाना पड़ता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रक की व्यवस्था कब तक कर दी जायगी? पिछले तीन-चार महीने से करीब 30-35 ट्रान्सफार्मर जले हुए पड़े हैं। ट्रान्सफार्मर किसानों को उपलब्ध नहीं करवाये जा रहे हैं जिससे किसानों की फसल सूख रही है व आने वाली फसल की बुवाई भी ट्रांसफार्मर नहीं होने से नहीं कर पायेंगे। इसलिये प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार आश्वस्त करे कि ट्रक की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी व ट्रांसफार्मर जले हुए हैं वहां पर कब तक नये ट्रान्सफार्मर लगा दिये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अचलाराम जी।

देसूरी तहसील में ढारिया बांध के निर्माण के सम्बन्ध में

श्री अचलाराम (देसूरी) : उपाध्यक्ष महोदय, ढारिया बांध निर्माण की स्वीकृति

(श्री अचलाराम)

हेतु प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 'ढारिया बांध' तहसील देसूरी (पाली) के निर्माण की स्वीकृति हेतु पिछले 20 वर्षों से आम किसानों की मांग चल रही है। इसका तखमीना बार-बार तैयार कर सम्बन्धित अधिकारियों को पहुँचाया गया, किन्तु इस महत्वपूर्ण बांध के निर्माण कार्य के लिए सरकार टालम-टोल करती रही एवं अधिकारीगण तकनीकी कमियां बताकर इसे नीचे के स्तर के अधिकारियों को पुनः लौटाते रहे हैं।

इस बांध का निर्माण हो जाने के उपरान्त लगभग 40-50 ग्रामों के किसानों को लाभ होगा। यह अत्यन्त ही लोक महत्व एवं जनहित का एक महान् कार्य है जिसको सरकार तत्परता से स्वीकृति देवें एवं अविलम्ब ढारिया बांध तहसील देसूरी जिला पाली के बांध का निर्माण की स्वीकृति दिलावें।

अतः इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिये सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डाक्टर चन्द्रभान।

झुन्झुनू जिले की पेयजल समस्या

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, झुन्झुनू जिले में पीने के पानी की समस्या एक गम्भीर संकट का रूप धारण करती जा रही है। जिले के मण्डावा, सूरजगढ़ और खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र के करीब 200 गांवों में भूजल खारा है जिसमें फ्लोराइड और सेलाइन की मात्रा बहुत ज्यादा है। वर्षा के अभाव में कई गांवों में वाटर लेवल इतना गहरा हो गया है कि वर्तमान में जो पीने के पानी के कुंए थे उनकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। खेतड़ी तांबा परियोजना क्षेत्र में पेयजल प्रदूषण की समस्या भी गम्भीर है जिससे खेतड़ी नगर का पानी दूषित हो गया है जिससे तांबा परियोजना में पानी का अभाव है ही व इसके साथ ही खेतड़ी कस्बा और आस-पास के गांव के लोगों के लिए भी मुश्किल बन गई है। खेतड़ी तांबा परियोजना में उदयपुरवाटी क्षेत्र की चंवरा जल प्रदाय योजना से पानी सप्लाई किया जाता है लेकिन चूंकि उदयपुरवाटी क्षेत्र को डार्क जोन घोषित कर दिये जाने की वजह से उस क्षेत्र में नये कुओं के निर्माण पर पाबन्दी लग गई है। पानी की बढ़ती कमी को जानते हुए उदयपुरवाटी क्षेत्र के लोगों ने खेतड़ी तांबा परियोजना को पानी बन्द करने तक की धमकी दे दी है जिससे खेतड़ी और सूरजगढ़ क्षेत्र के कई गांवों के लोग गांव छोड़ कर हरियाणा जाने की सोच रहे हैं।

महोदय, जिले में कोई नदी, नाला, बांध नहीं है इसलिए पेयजल की व्यवस्था कुओं के पानी से ही होती है। जलदाय विभाग के अंतर्गत कार्यरत लूटू, गांगियासर, चंवरा व अन्य परियोजनाएं जो पीने के पानी के लिए है वह पूर्ण नहीं है तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की लापरवाही व अक्षमता के कारण जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

(डा. चन्द्रभान)

अतः जिले की जनता को शुद्ध पेयजल सुलभ कराने के लिए इन्दिरा गांधी नहर की साहबा परियोजना के कार्य को गति देकर झुन्झुनू जिले के गांवों को पानी दिलवाया जावे। जो भी जलदाय परियोजनाएं कार्यरत हैं उन्हें मजबूत किया जाये, नये कुओं और हैण्ड पम्पों का निर्माण हो तथा पीने के पानी हेतु कुओं से पानी निकालने के लिए बिजली की व्यवस्था 24 घण्टे हो। जिन गांवों में पीने की टंकियां बनी हुई हैं उन्हें पाइप लाइन से जोड़ा जावे।

महोदय, राजस्थान सरकार ने 1985 में गंगा-यमुना के पानी से राज्य के हिस्से को लेकर झुन्झुनू, सीकर, नागौर व जोधपुर जिलों में पेयजल हेतु पानी उपलब्ध कराने का इन जिलों की जनता को आश्वासन दिया था। अतः गंगा-यमुना के पानी में से राज्य सरकार तुरन्त अपना हिस्सा प्राप्त कर झुन्झुनू जिले की जनता के लिए पीने को उपलब्ध करावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हेमराज।

कोटा डेयरी में भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत कोटा डेयरी के प्रबन्ध संचालक द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में निवेदन है कि कोटा डेयरी में प्रबन्ध संचालक के द्वारा भारी अनियमितताएं की गई हैं जो आडिट रिपोर्ट से स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। जिस समय डी. एन. सिंह, एम. डी. नियुक्त हुए थे उस समय 30 लाख रुपये की फिक्स डिपोजिट थी परन्तु इस समय डेयरी में हानि बताई जा रही है।

वाहनों का दुरुपयोग—प्रबन्ध संचालक अभी तक किसी भी समिति पर नहीं गये परन्तु डेयरी के वाहनों की लाग बुक भर रखी है जो समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होना जरूरी है! इस लाग बुक से ही फर्जी यात्रा भत्ता लिया गया है। मारुति वेन आर एन.ओ. 1290 सैर-सपाटे के काम में आती है। संचालक मण्डल की बैठक में संचालकों द्वारा लाग बुक मांगने पर नहीं दी गई।

संचालक मण्डल की कार्यवाही अनियमित व फर्जी लिखी जाती है। प्रबन्ध संचालक व अध्यक्ष की मिली-भगत के कारण लिखी गई है। आम सभा में संचालक मण्डल ने प्रबन्ध संचालक द्वारा रखे गये सभी प्रस्ताव निरस्त कर दिये थे व आम सभा में उपस्थित सदस्यों ने भी आपत्ति उठाई, उसके बाद भी प्रबन्ध संचालक ने फर्जी कार्यवाही लिखी।

बारां में चिलिंग सेन्टर के लिए (सी) क्लास के जी. आई. पाइप खरीदने के स्थान पर (बी) क्लास के पाइप खरीदे गये जबकि भुगतान (सी) क्लास के. जी. आई. पाइप का उठाया गया।

अमोनिया गैस काण्ड में कोटा की एक पार्टी से दुगुने मूल्य पर सिलेण्डर खरीदे गये। गैस चार्ज करने के बाद भी सिस्टम में पूरा तापमान (कम) होने पर उत्पादन में पड़े सप्लाई के दुग्ध पर प्रतिकूल प्रभाव

(श्री हेमराज मीणा)

पड़ता है सिलेण्डरों की खरीद में भारी घोटाला किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रबन्ध संचालक द्वारा कई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के काम किये गये हैं। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि उनकी तुरन्त जांच कर आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री परसराम मोरदिया।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का छात्रावास बन्द करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सीकर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा चल रहे अनुसूचित जाति/जन जाति छात्रावास को इसी सत्र में राज्य सरकार द्वारा बन्द कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन है कि सीकर जिले में करीबन 40 साल से समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास चल रहा था। इस छात्रावास में गरीब परिवार के बच्चे रह कर अपनी पढ़ाई करते आ रहे थे। अचानक राज्य सरकार ने इस छात्रावास को बन्द कर दिया। बन्द करने से आज इन गरीब बच्चों का भविष्य अन्धकार में पड़ गया है। श्रीमान्, आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि आज उनको शहर में कहीं कमरा नहीं मिलता, पढ़ाई के लिए उनके परिवार जन उन्हें कमरा दिला कर पढ़ाई कराने में सक्षम नहीं हैं। इस बारे में मैंने समाज कल्याण मंत्री जी को पत्र भी लिखा था और मैंने स्वयं इस बारे में उपस्थित होकर अवगत कराया। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि कुछ ही समय में हमें इन बच्चों की समस्या सीकर जिले में जो-जो छात्रावास बन्द किये गये हैं उनकी व्यवस्था तुरन्त करेंगे जब कि खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक न तो उन बच्चों की पढ़ाई का इन्तजाम हुआ है, न रहने की व्यवस्था हुई है और उनकी किताबों आदि सम्बन्धी जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में भी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार से कि श्री माधोपुर, सीकर, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर इन सभी जगहों पर समाज कल्याण से जो एडेड होस्टल चल रहे थे उनको बन्द नहीं करने के बारे में जिलाधीश महोदय को भी काफी छात्रों ने आकर ज्ञापन दिया और अपनी समस्याओं के बारे में जिलाधीश महोदय को भी अवगत कराया। उन्होंने भी इस बारे में यही कहा कि हम राज्य सरकार को लिखेंगे और राज्य सरकार से जो भी निर्देश मिलेगा, निश्चित तौर से व्यवस्था की जायेगी। मैं पुनः आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे लक्ष्मणगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के छात्रावासों को चालू किया जाए और जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, उनकी कोई और व्यवस्था करके यदि अभी स्कूलों के बजट में और प्रावधान नहीं है छात्रावासों के बारे में, तो और कोई व्यवस्था करके एडमिनिस्ट्रेटर कायम किया जावे या और कोई माध्यम से उन छात्रावासों को चालू किया जावे ताकि उन बच्चों का जो भविष्य अन्धकार में पड़ा हुआ है वह बच सके। इस सत्र की पढ़ाई

(श्री परसराम मोरदिया)

के लिए उन्होंने स्कूलों में प्रवेश ले लिया है आज वह मारे-मारे घूम रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि रूचि लेकर इन बच्चों की तुरन्त व्यवस्था की जाय ताकि वह अपनी पढ़ाई कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बिरधाराम जी चौधरी।

मकराना में विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र मकराना में विद्युत आपूर्ति के बारे में माननीय ऊर्जा मंत्री एवं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मकराना विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के बाबत कहना चाहूंगा कि मकराना क्षेत्र में काफी ग्रामों में कुओं से सिंचाई होती है एवं काफी ग्रामों में पीने के पानी के लिए कुओं में विद्युत मोटरें लगी हुई हैं लेकिन विधान सभा क्षेत्र में ग्रामों में दूर-दूर तक कोई 33 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन की व्यवस्था नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत मुख्यालय भीचावा, बूडसू एवं जिलिया ग्राम हैं जिनके आस-पास कोई भी विद्युत सब-स्टेशन नहीं है। इसलिए मकराना एवं कुचामन से बहुत दूर विद्युत लाइन के जाने से इन क्षेत्रों के ग्रामों को सही बिजली सप्लाई नहीं हो रही है। इस सम्बन्ध में मकराना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भीचावा, बूडसू व जिलिया में 33 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन की स्वीकृति बाबत जनता व जन प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार व विद्युत विभाग को लिखा था जिसमें जिलिया व भीचावा तो स्वीकृत भी हो चुके हैं लेकिन कार्य नहीं हुआ है। ग्राम जिलिया में 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन का कार्य करीब एक साल से चालू है लेकिन अभी तक बहुत कम कार्य हुआ है एवं भीचावा का कार्य अभी तक चालू नहीं किया गया है। ग्राम बूडसू में सरकार ने गत विधान सभा सत्र में स्वीकृति का आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। यह कार्य लोक महत्व के हैं। इन सब-स्टेशनों के नहीं बनने से जनता को सिंचाई के लिए एवं पीने के पानी के कुएं चलाने में भारी कठिनाई हो रही है। अतः ग्राम जिलिया का कार्य शीघ्र पूरा करवा दें, भीचावा का कार्य चालू करवा दें एवं बूडसू में भी स्वीकृत कराकर विद्युत आपूर्ति की समस्या का निराकरण करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवजीराम मीणा। (अनुपस्थित)

माननीय श्री हेतराम जी बेनीवाल।

श्री रतनसिंह, अधिशाषी अधिकारी के लापता होने के सम्बन्ध में

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं प्रस्ताव आपके सम्मुख रखने से पहले एक व्यवस्था का प्रश्न इस सिलसिले में आपके सामने रखना चाहता हूं। 295 में हम जिस....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हेतराम जी साहब।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं इसी पर व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था तो निश्चित की हुई है। अब इसमें 295 में व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं कि—आप मेरी बात को सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : बात प्रारम्भ करने से पहले हमें भी ध्यान होना चाहिए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। जब आपको आसन की ओर से इंगित किया गया कि आपने जो 295 का प्रस्ताव दिया है, उसका उल्लेख कीजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कह रहा हूं कि मैं जो 295 के नियम के तहत उठा रहा हूं, मुझे उसके सिलसिले में आसन से व्यवस्था चाहिये कि मैं जो उठा रहा हूं उसका क्या होगा। मेरे पास मैंने पहले जो प्रस्ताव उठाया, उसका जवाब है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आज आसन ने व्यवस्था दे दी है कि मैं यह प्रश्न उठाऊंगा, इसका एडमीशन हो गया हाउस में। मुझे 295 के पहले सवाल का जो जवाब मिला है कि आपका प्रस्ताव एडमिट नहीं किया जा रहा है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। जवाब दिया डिप्टी सैक्रेटरी ने और मुझे उसकी सूचना दी गई है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : लेट हिम स्पीक प्लीज।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं यह जो पढ़ रहा हूं, आपने एडमिट कर लिया है या नहीं कर लिया है या एडमिशन की स्टेज बाद में आयेगी क्योंकि मेरे पास सूचना आई है। पिछले प्रस्ताव पर डिप्टी सैक्रेटरी के द्वारा अनसाइन्ड डाक्यूमेंट मेरे पास आया है जिसमें लिखा है कि मेरे प्रस्ताव में मैंने जो समस्याएं उठाई हैं, उसका एक प्रार्थना पत्र एस. डी. एम. को किसी ने दे दिया। मैं पढ़कर सुना देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप पढ़कर सुना दीजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : इस सम्बन्ध में...

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरे पास सूचना आई है....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : 295 की कार्यवाही प्रारम्भ हो गई है। 295 के दौरान यह क्या उठा रहे हो आप ?

श्री हेतराम बेनीवाल : 15-9-91 को मेरे पास सूचना यह आई है कि ... (व्यवधान)

(श्री हेतराम बेनीवाल)

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ...

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : इसका नोटिस दें पहले । नोटिस देना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक जी । 295 के बारे में जैसे यह भावना व्यक्त कर रहे हैं, हमें उनको सुनना तो पड़ेगा । उनको कहने दीजिए । (व्यवधान)

प्लीज महावीर जी । आप बिराजिये ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपको परेशानी क्या है ?

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरे प्रस्ताव के बारे में....

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय काफी मूल्यवान है । (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : आपकी व्यवस्था है । समय के मूल्य को आपसे ज्यादा समझता हूं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप व्यवधान करोगे इतने में तो ये बोल जायेंगे ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अखबारों में भी छप रहा है कि माननीय सदस्य सदन के समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं और इस प्रकार समय बेकार करते हैं । (व्यवधान)

295 का नियम यह है कि कोई भी आप प्रस्ताव पढ़ेंगे । इसमें एडमिशन या डिसएडमिशन का सवाल नहीं है । सवाल यह है कि एक मुद्दा आप पढ़ेंगे, उसके बाद वह सरकार के पास जायेगा, फिर सरकार का क्या उत्तर आता है, सवाल यह है । ऐसे नहीं है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप हरिसिंह जी साहब । (व्यवधान)

ये भी इसी बारे में कह रहे हैं । आप बिराजिये हरिसिंह जी साहब । (व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : यह आपको उपदेश दे रहे हैं । क्या आसन उधर से गाइड होता है ? यह पोजीशन हो रहा है । इधर तो बैठने के लिए कह रहे हैं, उधर जो बोलते हैं उनको बोलने की इजाजत दे दी । बिना इजाजत बोलते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : अगर सदन में कोई डिबेटेबल पाइंट उठता है तो उस पर विचार किया जाता है इसलिए वे बोल रहे हैं ।

श्री रामनारायण वर्मा : आसन को सर्वोच्च मानते हुए मैं आसन से निवेदन करूंगा कि इस तरह की प्रक्रिया खत्म की जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज ।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर इन्होंने सवाल उठाया हैं, 295 को मैं पढ़कर सुनाता हूं कि...

"A member who wishes to bring to the notice of the House any matter which is not a point

(श्री हेतराम बेनीवाल)

of order shall give notice to the Secretary in writing stating briefly the point which he wishes to raise...."

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, नैनवा से आने वाले माननीय सदस्य ने....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हेतराम जी साहब। प्लीज। गृह मंत्रीजी थोड़ा कहना चाहते हैं। एक मिनट। आपकी बात चालू रहेगी।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं आपके लिए नहीं कह रहा....

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मेरा सवाल सुनने से पहले...

श्री उपाध्यक्ष : आपको तो सुनना ही है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मुझे सुनने से पहले किसी को परमीशन कैसे दे सकते हैं आप?

श्री उपाध्यक्ष : आपके बीच में किसी प्रकार का इंटरफियरेंस नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : आप उठाओ, उसका एतराज नहीं कर रहा हूं। नैनवा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि आसन उधर से गाइड होता है, यह कहना उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है। इस प्रकार से आसन की तरफ आक्षेप न लगाएं। कृपया भविष्य में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग न करें। आप बिराजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आसन के द्वारा यह परिपाटी पड़ गई तो वह उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। हां, आप कहिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है कि राइटिंग में हम देंगे—

"........in the House togather with reasons for wishing to raise it, and he shall be permitted to raise it only after the Speaker has given his consent...."

हमको कन्सेन्ट दे दी गई, हमने रेज किया। हमारे पास उसका यह जवाब आता है आफ्टर फाइव डेज कि यह 16-8-91 को उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ को एक दरख्वास्त दे दी गई है। जांच चल रही है, अतः जांच विचाराधीन होने के कारण इस प्रस्ताव को ग्राह्य नहीं किया जाये, This resolution is not to be admitted.

एक डिप्टी सेक्रेटरी इस पर यह आदेश देता है। हमारे पास प्रस्ताव भेजता है कि आपका यह प्रस्ताव एडमिट नहीं किया जाय। मैं समझता हूं, आपने जो यह व्यवस्था दी है, यह उसका मजाक है। और अगर हम दूसरे प्रस्ताव पढ़ेंगे तो क्या उनका

(श्री हेतराम बेनीवाल)

भी यही हश्र होगा, मुझे पहले आपसे यह व्यवस्था लेनी है ...

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना उल्लेख नहीं पढ़ना चाह रहे हैं ?

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं उल्लेख पढ़ूंगा इसके पश्चात् कि मेरे उल्लेख के बारे में अगर तीन दिन बाद यह टिप्पणी आती है कि आपका प्रस्ताव ग्राह्य नहीं है, एडमिसेबल नहीं है। क्या मेरा प्रस्ताव एडमिसेबल है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हेतराम जी साहब। आपने अपने पहले मुद्दे को उठाया। मेरा निवेदन तो सुन लीजिये आप। उसमें क्या रेफरेंस थे, क्या फैक्ट्स थे और किस स्टेज पर क्या बात चल रही है, अब सारी बातें तो इस समय स्पष्ट नहीं की जा सकती लेकिन मैं आपको विश्वास देता हूं कि जो आपने पहले प्रश्न उठाया है 295 के अन्दर और जिसका उत्तर आपको मिला है, आपको पूर्ण रूप से सन्तुष्ट किया जायेगा। अब आप अपना उल्लेख पढ़ लीजिये। सरकार की ओर से आपको पूर्ण रूप से सन्तुष्ट किया जायेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : अगर मुझे यह उत्तर मिल जाता कि इसकी जाँच चल रही है....(व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर जवाब गलत आ गया तो....

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर गलत फैसला....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : जो उत्तर दिया गया है, वह उनकी जानकारी में जैसा था, वैसा दे दिया। अब उस पर माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार है....

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर यह नहीं दिया गया। उत्तर यह दिया गया कि प्रस्ताव ग्राह्य नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : इसको बहस का मुद्दा नहीं बनने दूंगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : मुझे इस बात का एतराज नहीं है कि जाँच चल रही है। इसका फैसला हो जाए, कोई बात नहीं। प्रस्ताव एडमिट नहीं हो, यह उत्तर देने का अधिकार अगर है किसी अधिकारी को, इसके पश्चात् रह क्या जाता है ? मैंने जो उल्लेख किया....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बेनीवाल साहब, रूल्स में बहुत सारे ऐसे नियम हैं कि वापस आप किसी न किसी तरह से इसको रेज कर सकते हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैंने रेज कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : विशेषाधिकार का भी प्रश्न होता है, और भी बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिनके तहत आप उठा सकते हैं। अब आप अपना उल्लेख पढ़िये।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह सिर्फ आपको अधिकार है कि आप उस प्रस्ताव को स्वीकार करें या नहीं करें।

श्री उपाध्यक्ष : आपने तथ्य को उजागर कर दिया, अब आप विशेष उल्लेख पढ़िये। क्या उठाना चाहते हैं आप।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : कौन से नियम में आप रेज कर रहे हो आप ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं सिर्फ हाउस के उपाध्यक्ष जी को बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि प्रस्ताव के एडमीशन का अधिकार हाउस के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या सभापति को है। अगर राज्य सरकार के पास यह अधिकार चला गया कि वो किसी रेजोल्यूशन को असेप्ट करते हैं या नहीं करते तो निश्चित तौर से हमारे यहां बोलने का कोई मतलब नहीं रहेगा ...

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत इन्टरप्रिटेशन कर रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप अपना 295 प्रारम्भ कीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिस प्रकार का उल्लेख किया गया है, वह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : यह डिबेट का विषय बन जायेगा। आप बिराजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : वह बतायें, कैसे गलत है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह इसलिए कि यह एक तरफा चला जायेगा। 295 का प्रस्ताव यहां पर पढ़ा जाता है और जानकारी के लिए सरकार के पास जाता है। सरकार उस स्थिति के बारे में एक प्रतिवेदन भेजती है। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : सरकार अगर यह निर्देश दे कि यह प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है....

श्री देवीसिंह भाटी : हेतराम जी, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा होता है कि विभाग अपनी ओर से कारण लिखता है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो भी सरकार से जवाब आता है, जो अध्यक्ष महोदय के लिए आता है कि वस्तुस्थिति यह है और उसके बाद भी माननीय अध्यक्ष जी यदि यह उचित समझें कि यह गलत जवाब आया है या सरकार वक्तव्य देना चाहती है, देगी। यह इन्टरप्रिटेशन गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात सुन ली। आप बिराज जाइये।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल मैंने आपसे पूछा है, इनसे नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसलिए मेरा कहना है कि यह प्रक्रियाओं में जायें, नियमों को समझें और नियमों के अनुसार उस मामले को उठायें।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक कह रहे हैं। आप बिराजिये। हां, आप बोलिये। आपका विशेष उल्लेख है। (व्यवधान)

माननीय हरिसिंह जी प्लीज सिट डाउन।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप एक वकील हो सकते हैं लेकिन नियमों की जानकारी आपके बस की नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन । विराजिये आप । हां, आप अपनी बात कहें ।

श्री केदार नाथ शर्मा : मान्यवर, इस पर विचार नहीं हो सकता मगर जो फैक्ट्स हैं वह माननीय सदस्य को नरेट करने का अधिकार है । यह ठीक है, जांच के सामने कोई इश्यू हैं । वह मैरिट्स में जायेंगे । वह चेयरमैन को पेनेलाइज करे कि नहीं करें, उसको एग्जोनरेट कर दें, यह उनका अधिकार है । मगर माननीय सदस्य उस इलाके के विधायक हैं जो फैक्ट्स और रियलिटी इनके सामने है, उसको व्यक्त करने का अधिकार माननीय सदस्य को है ।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने व्यक्त किया है और हमने सुना है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैंने व्यक्त किये हैं पर मेरे प्रस्ताव के बारे में अगर राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा यह टिप्पणी मुझे भेजी जाये कि यह प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है । मुझे आब्जेक्शन इस बात से है, हाउस सुप्रीम है, आप उसके उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, इस व्यवस्था में आपको अधिकार है कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाये या नहीं किया जाये । अगर सरकार को यह अधिकार मिल गया तो प्रस्ताव....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बेनीवाल साहब, आपकी बात को हमने नोटिस में लिया है । अब फरमाइये आप ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आज का जो प्रस्ताव है, पढ़ रहा हूं इस उम्मीद से कि इस प्रस्ताव की पहले वाले प्रस्ताव जैसी गति नहीं होगी और मेरा प्रस्ताव राजस्थान की कानून-व्यवस्था से सम्बन्धित है ।

राजस्थान में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती हालत के कारण कई परिवार उजड़ गये हैं और राज्य की पुलिस निष्क्रिय और असहाय होती जा रही है । गंगानगर जिले के भादरा कस्बे के गांव उत्तराधावास के श्री रतन सिंह, अतिरिक्त अधिशाषी अधिकारी, को-ऑपरेटिव, गजेटेड अफसर, 5 मई, 1991 से गायब कर दिये गये हैं । वे पार्लियामेण्ट के चुनाव में जोनल मजिस्ट्रेट थे परन्तु रविवार 5 मई को प्रातः काल रावतसर से आने वाली एक जीप में सवार 5-6 लोगों ने उन्हें जीप में बैठा लिया और जीप में बैठाकर भादरा की तरफ ले गये । आज तक उनका कोई अता-पता नहीं चल सका है । वे जीप में सवार होने से पहले कुछ लोगों के साथ रहे । वे रावतसर से आकर भादरा की तरफ जाने वाली जीप में ले जाये गये । सूरतगढ़ से कुछ ही दिन पहले ट्रान्सफर होकर यह अधिकारी नोहर आये थे । उनके साथी विभाग के कई लोग थे । इस घटना की सूचना नोहर थाने में एफ. आई. आर. संख्या 85/91 दर्ज की गई । परिवार के लोगों ने बहुत तलाश किया । सारा परिवार पागल जैसा होकर हर अधिकारी, उच्च अधिकारी व हर नेता के पास चक्कर काटता रहा है । उसके भाई जगदीश प्रसाद व दूसरे भाई बनवारी लाल ने कई प्रार्थना पत्र दिये । जिलाधीश को दिये, पुलिस अधीक्षक को दिये, उन्होंने कई

(श्री हेतराम बेनीवाल)

रजिस्ट्रियां राजस्थान के मुख्य मंत्री और राजस्थान के गृह मंत्री को करवाई। श्री रतनसिंह का अपहरण किया गया है, उसकी ज्यादा सम्भावना है। हो सकता है कि उनको खत्म कर दिया गया हो। कई स्थानों पर हरियाणा में व अन्य स्थानों पर उन दिनों में लाशें भी मिलीं, पर राज्य पुलिस ने उनकी जांच में कोई दिलचस्पी नहीं ली। इसके दोनों सगे भाइयों ने दरख्वास्तें दी हैं और प्रार्थना पत्र दिये हैं कि हमने पुलिस अधिकारियों को जाकर कहा कि इन लाशों की जांच करवाइये, यह पड़ौस के क्षेत्रों में है, पर उन्होंने वहां कोई दिलचस्पी नहीं ली, राज्य पुलिस ने उनकी जांच में कोई दिलचस्पी नहीं ली। परिवार में एकमात्र कमाने वाले नौजवान गजेटेड अधिकारी अपहरित कर लिये गये हैं। मां, बाप, भाई, बहन व परिवार के सदस्य मारे-मारे घूम रहे हैं। पर पुलिस ने अभी तक इसमें अपनी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की। यह कहकर पुलिस अधिकारियों ने संतोष कर लिया कि उन्होंने अखबारों में इसकी सूचना निकलवा दी। राजस्थान पुलिस के अधिकारियों और नोहर के जो डी एस. पी. हैं, जो थानेदार हैं, ने बहुत ही साधारण घटना समझकर इस चीज को तीन, चार महीने तक लटकाये रखा। उन्होंने पहले एक महीने में तो कोई भी किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। उसके बाद जब जिला पुलिस अधीक्षक को इन्होंने सूचना दी, उसके बाद मुख्य मंत्री को प्रार्थना पत्र दिये, तभी जाकर अधिकारी एक बार उसकी जाँच के लिए गांव में आये। पुलिस प्रशासन मौन क्यों है? असल में उसी समय जिस वक्त उनको ले जाया गया, अगर प्रशिक्षित कुत्ते या अन्य जो वैज्ञानिक उपकरण हैं, उनसे पुलिस लाभ उठाती तो उनका पता लगाया जा सकता था। राज्य सरकार को और विशेषकर गृह विभाग को दिन दहाड़े इस प्रकार एक अधिकारी के अपहरण के मामले को गम्भीरता से लेना चाहिए। इनके परिवार और दोनों भाइयों ने राजस्थान के मुख्य मंत्री को निवेदन करते हुए उनको यह चेतावनी दी है कि अगर इसका निराकरण नहीं हुआ तो उनका सारा परिवार मुख्य मंत्री के दरवाजे के आगे धरना देगा। मैं समझता हूं नोहर के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, या जिन अधिकारियों के सामने यह जांच थी, उन्होंने महीना भर तक इसमें बिल्कुल कोई कार्यवाही नहीं की, इसको नोन सीरियस समझा, राज्य सरकार को और पुलिस प्रशासन को कदम उठाना चाहिये। यही मुझे कहना है।

मैं निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि मेरे पहले प्रस्ताव की तरह इसका जवाब कहीं यह न आ जाये कि यह ग्राह्य ही नहीं है। ग्राह्य नहीं है, अभी बता दिया जाये, ताकि मैं समझ जाऊं कि यह ग्राह्य ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्रीजी कुछ कहना चाहेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अभी आपने नोटिस की कॉपी दी, वह मैं साथ-साथ पढ़ रहा था तो माननीय बेनीवाल साहब फिर कहीं उत्तर आयेगा, तो उन बातों का भी उल्लेख करेंगे जिसका उन्होंने अपने प्रस्ताव में तो

(श्री दिग्विजय सिंह)

उल्लेख नहीं किया है और वह यहां कह गये हैं। तो फिर कहेंगे साहब, मेरा उसका जवाब नहीं आया। जो लिखा है वह बातें नहीं कही है, कई बातें इसके अलावा भी कह डाली। इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपसे सम्पर्क कर लेंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष जी, 295 में यह जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है, वही वरबेटम पढ़ूं। मुझे क्वेश्चन रेज करने का अधिकार है। मुझे कन्सेन्ट मिल जाती है, I can raise that point और मैंने रेज किया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बेनीवाल साहब, मंशा तो वास्तव में उल्लेख करने की ही है। उल्लेख में भी आप इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हो।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैंने उल्लेख में ही पूछा है और गृह मंत्रीजी ने इतना नोन सीरियस जवाब दिया है, मुझे लगता है कि यही जवाब आने वाला है।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय बेनीवाल साहब, मैं आपकी बात को हमेशा सीरियसली लेता हूं। इसमें जो आपने उल्लेख किया है, वह तो है ही, परन्तु उसके अलावा भी बहुत-सी बातें कही हैं, उस पर भी ध्यान देते हुए हम जवाब दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बेनीवाल साहब, यह गम्भीर मामला है। जो भी तथ्य हैं, आप गृह मंत्री को और बता दें। माननीय श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री केदार नाथ शर्मा : मान्यवर, ऐसी सीरियस घटना से सारे इलाके में बड़ी हलचल पैदा हो गई, इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है, क्या पहले इसकी सूचना आपको नहीं प्राप्त हुई है? तीन महीने पहले की यह घटना है। जरूर सूचना मिली होगी। आपने जरूर कोई एक्शन लिया होगा।

श्री उपाध्यक्ष : तथ्य तो आये हैं, लेकिन कर रहे हैं। तथ्य तो हैं आपके पास सारे। श्री बुलाकीदास कल्ला।

बरसिंहसर लिग्नाइट परियोजना के लिये अवाप्त भूमि का मुआवजा

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत बरसिंगसर लिग्नाइट थर्मल पावर परियोजनार्थ अवाप्त किसानों की कृषि भूमि पर बेघरबार एवम् उजाड़े गये किसानों की समस्या एवम् परियोजना के शुरू नहीं होने के सम्बन्ध में निवेदन है कि बरसिंगसर लिग्नाइट थर्मल पावर परियोजना के लिये बरसिंगसर, बासी व पलाना गांव के किसानों की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही चल रही है। इस अवाप्ति की कार्यवाही में किसानों के हितों की भारी उपेक्षा हो रही है। आज की बाजार दर से उपरोक्त गांवों की जमीन का भाव 20 से 25 हजार रुपया प्रति बीघा है, पास ही के गांव उदासर में 21 हजार रुपया प्रति बीघा की दर से गांव के निवासियों को

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

अवार्ड दिये गये हैं जबकि बरसिंगसर लिग्नाइट थर्मल पावर परियोजना के लिए काम में आने वाली जमीन के लिये लगभग 5500 रुपया प्रति बीघा की दर से अवार्ड दिया जा रहा है। जो न्यायोचित एवम् युक्तिसंगत नहीं है। इस क्षेत्र में सन् 1989 से लेकर अब तक जो निजी तौर पर जमीनें विक्रय हुई है, 15 हजार रुपये प्रति बीघा की दर से बेची गयी है।

राजस्थान सरकार ने उक्त गांवों के किसानों से कुछ वायदे किये थे। एक मंत्रि-मण्डलीय कमेटी जो बीकानेर गयी थी प्रत्येक परिवार के बालिग सदस्य को, जिसकी भूमि अवाप्ति की जा रही है उनको भूमिहीन मान कर एक-एक मुरब्बा भूमि इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में आरक्षित मूल्य की आधी कीमत पर अवाप्ति की घोषणा के साथ ही दी जायेगी लेकिन इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

यहां के किसानों की जोत का आकार उपाध्यक्ष महोदय, काफी छोटा है। कुछ अधिकारी वर्ग अवाप्तशुदा भूमि की सीमा तक अर्थात् जिस बालिग किसान के हिस्से में 8 या 10 बीघा भूमि है उसके बदले आधी जमीन नहरी क्षेत्र में आवंटित करने की योजना बना रहे हैं जिससे यहां के उजड़े हुए गरीब किसानों को सिर्फ 4 या 5 बीघा जमीन प्राप्त होगी, जो आर्थिक रूप से उपयोगी सिद्ध नहीं होगी। पोंग डेम के विस्थापितों को इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में, वहां के किसानों को, 25-25 बीघा जमीन प्रत्येक किसान को ऐसे ही मामलों में प्रदान की गयी थी। उसी आधार पर बरसिंगसर एवं साथ के गांवों के लोगों को जमीन आवंटित की जानी चाहिये। किसानों की यह मांग भी न्यायोचित है कि उजाड़े गये प्रत्येक परिवार को कम से कम एक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार नेवेली थर्मल पावर कार्पोरेशन के अन्तर्गत बरसिंगसर लिग्नाइट ताप परियोजना में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार बिना रोजगार कार्यालय के सीधी भर्ती द्वारा मुहैया कराया जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, जोहड़ पायतान व गोचर भूमि, जो अवाप्त की जा रही है उन तमाम गांवों की भूमि, ग्राम पंचायत की है, इसका मुआवजा ग्राम पंचायत को दिलवाया जाय। जितनी जमीन गोचर की अवाप्त की जा रही है, उससे दुगनी जमीन सरकार गोचर भूमि के लिए अलग से उपलब्ध करावे।

इस अवाप्ति के अन्तर्गत अधिकांश परिवार किसानों के खेतों में आबाद है। उनके रिहायशी मकान भी इस अवाप्ति के अन्तर्गत जायेंगे, उन्हें अन्यत्र आबाद करने हेतु आबादी भूमि एवं आर्थिक सहायता दी जावे और उसका व्यय भार नेवेली कार्पोरेशन अथवा राज्य सरकार वहन करें।

ग्रामीण आबादी के आसपास की तमाम भूमि अवाप्त हो रही है, मकानों के अलावा सुविधाओं हेतु जमीन का अभाव रहेगा। अतएव नेवेली थर्मल पावर कार्पोरेशन के माध्यम से अथवा राज्य सरकार प्रत्येक मौहल्ले में आवश्यकतानुसार सार्वजनिक सुविधाएं बनाने की व्यवस्था करें।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

आसपास के पर्यावरण को सन्तुलित रखने के लिये 500 मीटर की चौड़ाई में हरी पट्टी का निर्माण करवाया जावे, नवयुवकों एवं बेरोजगार किसानों को आर्थिक सहायता के अलावा ब्याज मुक्त ऋण 10 वर्ष की अवधि के लिये दिया जावे।

इन सभी मांगों के लिये गांवों के किसानों ने जन आन्दोलन किया। राज्य सरकार की मंत्रिमण्डलीय स्तर की समिति वहाँ गयी थी उसने किसानों से वार्ता की और आन्दोलन को इस आश्वासन के साथ स्थगित करवाया कि वे किसानों की जायज मांगों के बारे में न्यायोचित निर्णय करेंगे परन्तु अभी तक कोई निर्णय यह राज्य सरकार नहीं कर पायी है जिससे एक ओर इस इलाके की यह महत्वपूर्ण परियोजना, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, परन्तु सरकार की हठधर्मिता के कारण शुरू होने में अनावश्यक देर हो रही है वहीं किसानों को अपनी भूमि का सही मूल्य नहीं दिये जाने से उनमें रोष व्याप्त है।

बेघरबार किये जा रहे परिवारों के लिए नयी आबादी में स्कूल, पानी और बिजली की व्यवस्था करने की सरकार की जिम्मेदारी है लेकिन इस जिम्मेदारी को सरकार नहीं ले रही है। उक्त परियोजना की परिधि में अनेक मकान आ जाते हैं एवं खनन से उन मकानों को क्षति पहुंचने की आशंका है। ऐसी क्षतिपूर्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व नेवेली थर्मल पावर कार्पोरेशन अथवा राज्य सरकार को होगा, ऐसा लिखित करार कराया जावे।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर राज्य सरकार अविलम्ब निर्णय करें। राज्य सरकार को किसानों की भूमि का आज की बाजार दर पर मुआवजा देना चाहिये तथा इन्दिरा गांधी नहर में प्रत्येक परिवार के बालिग सदस्य को 25 बीघा नहरी जमीन देने का राज्य सरकार का जो वायदा है उस पर निर्णय करना चाहिये अन्यथा वहां के किसान अपनी भूमि का कब्जा नहीं दे पायेंगे और इस परियोजना में अनावश्यक रूप से देर होने की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, इस परियोजना में देर होने का दोष राज्य सरकार पर होगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री महावीर प्रसादजी।

टौंक जिले को रेल्वे से जोड़ने के सम्बन्ध में

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के लिये यह प्रस्ताव पेश कर रहा हूं। आपने कृपा की, इस पर इजाजत दी, उसके लिए तो आपको धन्यवाद क्योंकि आज उसमें नाम नहीं था लेकिन विशेष परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए और विशेष परिस्थितियां यह है कि टौंक जिले में, महोदय, टौंक जिला मुख्यालय आजादी के बाद भी सबसे पिछड़ा हुआ है। इसका मुख्य कारण टौंक का रेल्वे से जुड़ा हुआ नहीं होना है।—

श्री रामकिशन (भरतपुर) : पिछड़ा हुआ होने के कारण ही आप चुन कर आ गये।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। (व्यवधान)

अध्यक्षजी की व्यवस्था के तहत ही सारी व्यवस्था की गयी है। आप उनसे सम्पर्क कर लीजिये।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं बिना बात खड़ा नहीं होता, बिना बात डिस्टर्ब नहीं करता आसन को। इसलिए मुझे इजाजत दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। आप संतुष्ट हो गये होंगे।

श्री रामनारायण वर्मा : मेरा तो इतना गम्भीर मसला है, इनका मसला मेरे मसले के सामने कुछ भी नहीं है। व्यवस्थापकों के मामले में मेरा 295 है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्षजी, ने जितने भी आवश्यक मसले थे, सभी को निपटा दिया है।

श्री रामनारायण विश्नोई : सारे व्यवस्थापक बैठे हुए हैं, आन्दोलन हो रहा है और मजदूर संघ का चिन्ह लेकर धरने पर बैठे हुए हैं....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजिये।

श्री रामनारायण विश्नोई : इनके साथ अन्याय हो रहा है। न तो उनको बैंक का कर्मचारी माना जा रहा है, न उनको सरकार का कर्मचारी माना जा रहा है। मुझे अफसोस है... (व्यवधान)

मुझे इस बात में कोई तकलीफ नहीं है कि आदरणीय ललितकिशोर जी चतुर्वेदी के नेतृत्व में बनने वाली कमेटी ने क्या निर्णय दिया। नौकरी देना कि नहीं देना, नौकरी से निकालना कि नहीं निकालना लेकिन व्यवस्थापकों को न्याय दिलाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं पड़ौस का हूं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : पड़ौस के हैं, तो नोटिस में ले लिया गया है। अब आप विराजें।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं टौंक के पड़ोस का हूं। केवल गृह मंत्रीजी बीच में हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें। प्लीज सिट डाउन। पहले पूरा करने दीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : टौंक होकर आना पड़ता है माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण वर्मा : महावीरजी को इजाजत दी जायेगी, तो मुझे भी इजाजत देनी पड़ेगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, सहकारी समिति अधिनियम पर जिस दिन विचार हो रहा था....

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष अध्यक्ष, जिस दिन सहकारिता अधिनियम पर विचार चल रहा था, उस समय यह मुद्दा उठाया गया था लेकिन

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

मंत्रीजी ने उस समय इस पर कोई जवाब नहीं दिया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप बीच में कौनसे प्रस्ताव पर बोल रही हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : प्रस्ताव क्या होता है।

(2·00 म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीर जी। व्यवस्था देना आसन का काम है। प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं आसन से ही पूछ रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, टौंक जिला मुख्यालय आजादी के बाद भी सबसे पिछड़ा हुआ है। इसका मुख्य कारण टौंक का रेलवे से नहीं जुड़ा हुआ होना भी है। रेलवे सेवा से नहीं जुड़ पाने के कारण टौंक के औद्योगिक विकास की गति भी अवरुद्ध हुई है। टौंक में 80 प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति हैं। अधिकतर अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं। जहां प्रत्येक शहर-गांव विकास की तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, वहां टौंक का यह हाल चिन्ताजनक है। माननीय मुख्य मंत्री ने पहले भी केन्द्र सरकार से इस सम्बन्ध में बात की है।

अभी जयपुर—सवाईमाधोपुर रेलवे लाइन ब्रॉड गेज में बदली जा रही है। यह उपयुक्त समय है जबकि टौंक को रेलवे से जोड़ा जा सकता है। अतः मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से इस प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करता हूं कि व्यक्तिगत रुचि लेकर अपने प्रभाव का सदुपयोग कर टौंक को रेलवे लाइन से जुड़ायें।

श्री जर्नादन सिंह गहलोत : और मुख्यमंत्री दुरुपयोग कर रहे हैं, आपकी भावना का सदुपयोग करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी बातों को लेकर जिस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं, वह न करें। आपकी बातों में न आयें। रेलवे लाइन का मामला है। टौंक में जिनकी आप वकालत करते हैं, हम सब करते हैं, जिनके नाम से करते हैं, हिमायती बनते हैं, वहां ऐसे लोग निवास करते हैं। एस सी., एस. टी. के लोग हैं, माइनोरिटी के लोग हैं। ऐसे लोगों की संख्या 80 प्रतिशत है।

श्री जर्नादन सिंह गहलोत : आप रहते कहां हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं निवाई रहता हूं। निवाई में रेल है। टौंक इसलिए गया हूं कि वह रेल से जोड़ा जाय। जिनकी उपेक्षा की गयी है, एस. सी., एस. टी. और माइनोरिटी, जिनके नाम पर वोट लेकर जिस प्रकार का दुरुपयोग किया है, वह न हो। इसलिए टौंक से चुनाव लड़ा।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : रेलवे लाइन लाने के लिए आया हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

महुआ और टोडाभीम तहसीलों को दौसा जिले में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री जर्नादनसिंह गहलोत।

श्री जर्नादनसिंह गहलोत (करौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान टोडाभीम तथा महुआ तहसीलों को दौसा जिले में शामिल किये जाने के मामले पर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियम तो यह है कि आपने ध्यान आकर्षित कर दिया है। अब स्टेटमेण्ट आ जाये फिर आप प्रश्न पूछ लेना।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिला सवाई माधोपुर की तहसील महुआ और टोडाभीम को नवगठित जिला दौसा में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में कुछ बिन्दु उठाये हैं जिनमें निवेदन किया गया है कि जिला सवाई माधोपुर एवं टोडाभीम के बहुत से नागरिक एवं जन प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे और उन्होंने मुख्य मंत्री को उक्त दोनों तहसीलों को नवगठित जिला दौसा क्षेत्र में मिलाने की इच्छा प्रकट की थी और इसे जनहित में आवश्यक बताया।

इस मांग को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने अपनी आज्ञा दिनांक 20.8.91 द्वारा निम्न मंत्री गण की एक मंत्रिमण्डल उप-समिति का गठन किया—श्री गंगाराम, श्री सम्पतसिंह, कृषि मंत्री व श्री रामकिशोर मीणा, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री तथा शासन सचिव, राजस्व विभाग को इस उप-समिति का सदस्य सचिव मनोनीत किया है। इस गठित समिति को जिला सवाई माधोपुर की तहसील महुआ व टोडाभीम को नवगठित जिला दौसा में मिलाने के प्रस्ताव के समस्त पहलुओं का भलि-भांति अध्ययन कर रिपोर्ट प्रेषित करने का निर्देश, उक्त समिति ने दिनांक 26.8.91 को राजस्व मंत्री के सचिवालय कक्ष में एक बैठक का आयोजन किया जिसमें विचार-विमर्श के दौरान यह आंकलन करना चाहा कि टोडाभीम व महुआ की जनता को प्रशासनिक कार्यों में किस प्रकार कठिनाई आती है। जैसे उन्हें न्यायिक कार्य, राजस्व जन स्वास्थ्य व अभियांत्रिकी विभाग के कार्य, कृषि सम्बन्धी कार्य, नागरिक सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यों में सवाई माधोपुर की अपेक्षा दौसा नजदीक पड़ता है एवं उनकी समस्या शीघ्र सुलझे, ऐसी सम्भावनाओं का पता किया जाये।

इसी संदर्भ में उप-समिति ने तहसील टोडाभीम व महुआ की जनता से सीधा साक्षात्कार दिनांक 3.9.91 को किया तथा जिला मुख्यालय पर दोनों के सम्मिलित प्रशासनिक अधिकारियों से विचार विमर्श किया। महुआ-टोडाभीम में स्थानीय जनता के अतिरिक्त जन प्रतिनिधि, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के विचार सुनें तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारी ली गयी। उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर

(श्री गंगाराम चौधरी)

सवाई माधोपुर के कार्यालय में पहुंचने के लिए महुआ से 143 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। महुआ से हिण्डौन तक सड़क मार्ग से आयें व हिण्डौन से सवाई माधोपुर तक रेल मार्ग से वाया गंगापुर सिटी जाना पड़ता है। जबकि महुआ से दौसा मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर है जो नेशनल हाइवे से जुड़ा हुआ है।

तहसील मुख्यालय टोडाभीम से सवाई माधोपुर की दूरी 147 किलोमीटर है जहां पहुंचने के लिए टोडाभीम से हिण्डौन सड़क द्वारा 48 किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात् हिण्डौन से सवाई माधोपुर रेल मार्ग और सड़क मार्ग से वाया गंगापुर होकर जाना पड़ता है। जबकि टोडाभीम वाया महुआ की दूरी 75 किलोमीटर तथा मेंहदीपुर बालाजी सड़क मार्ग द्वारा 53 किलोमीटर है।

माननीय सदस्यों के अनुसार राजपूताना की रियासतों के विलीनीकरण के बाद भारत सरकार के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तत्कालीन रियासतों को यह आश्वासन दिया था, इसका कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

जहां तक करौली को जिला बनाने का प्रश्न है, इस प्रश्न पर सन् 1981 में अध्यक्ष, राजस्व मण्डल की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें बड़े जिलों का पुर्नगठन कर नये जिले बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया था, ने जिला सवाई माधोपुर को विभाजित कर नया जिला करौली को स्थापित करने पर विचार किया था। उक्त समिति ने करौली को जिला बनाने का कोई औचित्य नहीं पाया। सन् 1983 में एक नया जिला धौलपुर स्थापित किया गया था तथा हाल में तीन नये जिले दौसा, राजसमन्द एवं बारां स्थापित किये गये हैं। महुआ व टोडाभीम तहसीलों के सम्बन्ध में उप-समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री जर्नादन सिंह गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में पहले ही सूचित किया है कि राजस्थान सरकार की जो नीयत हमको नजर आ रही थी उसी सन्दर्भ में यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया है। राजस्थान सरकार ने तीन सदस्यों की एक कमेटी बनायी, लेकिन वहां के जन प्रतिनिधियों ने यह मामला कभी उठाया नहीं। महुआ के कांग्रेसी विधायक हरिसिंह जी ने इस मामले को कभी नहीं उठाया, वहां के प्रधान ने कभी नहीं उठाया। टोडाभीम के विधायक रामस्वरूप जी मीणा ने इस मामले को नहीं उठाया, वहां के प्रधान ने नहीं उठाया। हिण्डौन के भरोसीलाल जी ने नहीं उठाया, वहां के प्रधान ने नहीं उठाया और चुनी हुई वहां की नगरपालिका के बी. जे. पी. के अध्यक्ष ओमप्रकाश मित्तल ने भी नहीं उठाया। मुझे समझ में नहीं आता कि राजस्थान सरकार को बैठे-बैठे कैसे चिन्ता लगी और उनके मन में यह आया कि क्यों न टोडाभीम और महुआ को दौसा में जोड़ दिया जाय। उसके लिए एक कमेटी जाय और उसकी जांच कर जन भावनाओं की रिपोर्ट लायी जाय। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों मुख्य मंत्री के मन में इस प्रकार का विचार

(श्री जर्नादन सिंह गहलोत)

जाग्रत हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज अगर महुआ को दौसा में जोड़ दिया जाता है तो जैसी बदतर हालत हिण्डौन की होने वाली है वह शायद किसी की नहीं होने वाली। आज हिण्डौन के अन्दर एस. डी. एम. का कार्यालय है, महुआ और टोडाभीम दोनों को अगर हिण्डौन से निकाल दिया जाता है तो हालत यह होगी कि हिण्डौन एक तहसील मात्र रह जाएगी जबकि वहां पर आज एस. डी. एम. कोर्ट है, 3-3 मुंसिफ कोर्ट हैं, ए डी. जे. कोर्ट है, एडिशनल सी. जे. एम. हैं। ये सारे आफिस वहां मौजूद हैं। वहां के व्यापारियों में, वकीलों में और वहां की जनता में निराशा का वातावरण बन रहा है कि महुआ और टोडाभीन दौसा में चले जाते हैं तो हिण्डौन और करौली दोनों ही समाप्त हो जायेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद हिण्डौन की किस प्रकार की हालत बनने वाली है, मुझे समझ में नहीं आता। महुआ के प्रति बहुत चिन्ता हो रही है सरकार को। वहां के जन प्रतिनिधियों को चिन्ता नहीं है। जो हारे हुए लोग हैं, जिनको जनता ने निकाल दिया, उन लोगों की चिन्ता है। महुआ को कुछ मिलने वाला होगा, लेकिन जैसी राजस्थान सरकार की अन्दरूनी रिपोर्टस् मेरे सामने आ रही हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि बांदीकुई को एस. डी. एम. कार्यालय बनाया जाएगा ताकि महुआ को बांदीकुई से जोड़ दिया जाय और महुआ वाले अपने एस. डी. एम. कार्यालय के लिए बांदीकुई जायं। इस प्रकार की मंशा राजस्थान सरकार की नजर आ रही है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अन्दरूनी बातें आपको मालूम कैसे हो रही हैं?

श्री चन्दनमल बैद : कल आप ही ने बताया था।

श्री जर्नादन सिंह गहलोत : आप कभी-कभी बता देते हो।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिण्डौन के साथ अनजस्टिफिकेशन होने वाला है, महुआ के साथ अजनस्टिफिकेशन होने वाला है और करौली के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है क्योंकि हमारे मुख्य मंत्रीजी तो करौली को +++ करने पर तुले हुए हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप जब से जीते हो +++ ही हो रहा है।

श्री जर्नादन सिंह गहलोत : लेकिन जब जयपुर में जीता था तो शायद जयपुर आबाद हुआ था। उसके बाद जयपुर वाले जिस तरह से परेशान हुए शायद कोई नहीं होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्रीजी ने कहा कि रिकार्ड में कहीं नहीं मिल रहा, लेकिन कई माननीय सदस्य उस जमाने के यहां मौजूद हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जमाने में जब रियासतों को जोड़ा गया था, एक आश्वासन दिया गया

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जर्नादन सिंह गहलोत)

था इस बात का कि जो रियासतें रही हैं उनको डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर का दर्जा दिया जाएगा या उसके अनुपात में उस की भरपूर्ति कर दी जाएगी। यह एक फैसला उस समय हुआ था। राजस्थान के प्रथम मुख्य मंत्री ने भी धौलपुर, करौली और अलवर तीनों ही रियासतों को इस प्रकार का आश्वासन दिया था। मत्स्य संघ ने भी इस बात का निवेदन किया था, उसके अन्दर रिकार्डेड है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों मुख्य मंत्रीजी ने तीन जिलों की घोषणा की और करौली को उससे वंचित किया। इन सारी बातों को मद्दे नजर रखते हुए ही पिछली कांग्रेस सरकार के जमाने में सी. एम. एच. ओ. हैडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हैल्थ आफिस करौली के अन्दर दिया गया। इंस्पैक्टर ऑफ स्कूल वहां पहले से था ही। 1980 से लेकर 1990 के बीच में करौली के अन्दर ए. डी. एम. कार्यालय पहुंचा, ए. डी. जे. कोर्ट वहां पहुंची, एक्स. ई. एन., पी. डब्ल्यू. डी. का आफिस वहां पहुंचा, डिस्ट्रिक्ट फारेस्ट आफिस यहां पहुंची, ट्रैजरी की सब-शाखा वहां पहुंची और औद्योगीकरण की दृष्टि से रीको का कार्यालय वहाँ पहुंचा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार की क्या मशा है कि हम लोगों ने हमारी सरकार ने जिन कार्यालयों को पहुंचाया था, वर्तमान सरकार उन कार्यालयों को शनैः शनैः उठा रही है। वहां पर औद्योगिकरण की दृष्टि से रीको का कार्यालय था, वह उठा लिया गया। पांचना प्रोजेक्ट के वहां दो कार्यालय थे, एक उठा लिया गया। इंस्पैक्टर ऑफ स्कूल के दो हिस्से कर दिये, हायर सैकण्डरी का इंस्पैक्टर ऑफ स्कूल्स करौली में रह गया और मिडिल की सारी शिक्षा सवाईमाधोपुर उठाकर भेज दी। इस प्रकार इन्स्पैक्टर आफ स्कूल्स (छात्राएं) का कार्यालय, शिक्षा मंत्रीजी यहां बैठे हैं, उनके रिकार्ड में आज भी करौली में है, लेकिन हैडक्वार्टर आफिस वहां चल रहा है।

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री): सन् 1986 में आपकी गवर्नमेण्ट ने किया था।

श्री जर्नादन सिंह गहलोत : अभी तो आपने किया है, क्योंकि कार्यालय हमारा था ही नहीं यहां। आपकी नयी स्वीकृति आयी है और आप के रिकार्ड के अन्दर है।

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने जरूर इस बात का ध्यान रखा। उनके दो कार्यालय जगह-जगह बदलने थे। जो चित्तौड़ से प्रतापगढ़ चला गया था, उसको वे करौली में लाये। कम से कम स्वास्थ्य मंत्रीजी ने जरूर इस बात का ध्यान रखा कि दोनों कार्यालय करौली में ही रहें क्योंकि पुरानी व्यवस्था है। इसके अलावा सारे कार्यालय वहां से उठते जा रहे हैं। अब अगर महुआ और टोडाभीम भी यहां से तोड़कर दौसा में मिला दिये जाते हैं तो मैं सोचता हूं कि आगे करौली के जिला बनने की मांग, जो आज भी स्टैण्ड करती है, आपकी सरकार से हम आशा नहीं करते हैं लेकिन कम से कम यह आशा करके चलते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम जरूर करौली को जिला बनाएंगे ?

श्री रामकिशोर मीणा : पहले क्यों नहीं किया ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : वह तो ऐसा है कि मुख्य मंत्रीजी को मालूम है, मीणा साहब, कि कैसे जिला नहीं बना। आप जब पूछना ही चाहते हो तो मैं बता देता हूं कि जब हरिदेव जी जोशी जिला बनाने की मंशा रखते थे, यह बात सही है कि राजस्व विभाग की रिपोर्ट के अन्दर करौली नहीं था। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन कई बार मन्त्रिमण्डल स्तर पर फैसले होते हैं और केबिनेट की मंशा हो तो, सरकारी नियम और निर्णयों को बदल दिया जाता है और कई निर्णय सरकार ने किये हैं। करौली को जिला बनाने की मंशा नहीं होती तो उस समय तीन जिले घोषित कर देते।–लेकिन सामने आ गये इलेक्शन पार्लियामैण्ट के और इन्होंने टेलीग्राम मार दिये चुनाव कमीशन को कि नये जिले बन रहे हैं इनको रोका जाय। इसलिए वे जिले रुक गये, नहीं शायद करौली उसमें जुड़ जाता।

श्री रामकिशन : यानी ये जिला बना भी सकते हैं, जिला रोक भी सकते हैं ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : दोनों ही करते हैं ये काम। लेकिन चूंकि उस समय इलेक्शन था····

श्री रामकिशन : इनकी शक्ति को इतना बढ़कर बताओगे तो जिन्दगी में कभी नहीं पनप पाओगे।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : ठीक है। ऐसा है, रामकिशन जी, कौन पनपेगा–कौन नहीं पनपेगा, आप भी कई बार पनप चुके हैं और कई बार बिना पनपे रह गये। इन बातों का जिक्र····

श्री रामकिशन : चलो नहीं करूंगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : जब इनकी सरकार नहीं थी, जिले का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधि मण्डल विधान सभा के सामने आया। उनसे प्रतिनिधि मण्डल मिला तो इन्होंने उसको यह कहा कि हमारी सरकार आने दो, करौली को जिला बना दूंगा। लेकिन ऐसा है कि जब सरकार में बैठ जाते हैं तो भूल जाते हैं सब वायदे। मुख्य मंत्रीजी, आज जिला मत बनाओ लेकिन आगे बनने वाले जिले को तो कम से कम मत तोड़िये। कम से कम उसको मत तोड़िये। टोडाभीम और महुआ को अगर तोड़ देते हैं तो आगे जिले का क्लेम खत्म हो जाएगा। मुझे इस बात की और शंका है कि इस कमेटी में जाने वाले सदस्य सम्पत सिंह जी का नगर कभी जिला नहीं बन पाएगा यदि आपने रिपोर्ट इसके फेवर में दे दी। माननीय राजस्व मंत्री, मैं आपको कहना चाहता हूं····

श्री सम्पत सिंह (कृषि मंत्री) : पहले से चल रहे हैं क्या नगर के कागज ?

श्री उपाध्यक्ष : अब शुरू करवा रहे हैं आप से ये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप अगर इस कमेटी में होने के बाद भी नगर को नहीं बनाते तो मैं सोचता हूं कि आप उपेक्षा करोगे नगर वालों की।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन करना है कि यह सारे जिले को तोड़ने की प्रक्रिया जिस ढंग से चालू की है, अगर माननीय मुख्य मंत्री जी, को राजस्व मंत्रीजी और इस सरकार को यही निर्णय करना है कि इस जिले को समाप्त ही करना हैं तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि अगर यह बर्बाद करने पर ही तुले हुए हैं तो ऐसा है कि हिण्डौन सब डिवीजन को पूरे को ही दौसा में मिला दें ताकि हिन्डौन वाले तो परेशान नहीं। उनका सारा रोजगार बन्द हो जायेगा। यह कर दीजिए कि करौली को धौलपुर में मिला दीजिए और सवाई माधोपुर को टौंक में मिला दीजिए ताकि जिला ही खतम हो जायेगा। आप जिले को जब बर्बाद करने पर तुले हुए हैं तो इससे कोई अच्छा नहीं हो सकता। आप तीनों हिस्से तीन जगह में बांट दें, सवाई माधोपुर जिले का अस्तित्व ही खतम कर दें। मुझे इससे ज्यादा आपसे आशा नहीं है। क्योंकि जिस ढंग से आप चल रहे हैं, राजनीतिक दुर्भावनाएं रखकर सरकार फैसले करती है, कोई सी भी सरकार स्थाई नहीं हुआ करती है, कभी कोई सरकार स्थाई नहीं होती है इसलिए ऐसी परम्पराएं न डालें कि आगे आने वाली आपके किए हुए फैसलों को और परम्पराओं को तोड़ दे और सारे फैसले बदल डाले।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि करौली, हिण्डौन और महुआ को जिस तरह से तोड़ने में लगे हुए हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके और सदन के माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इसके अन्दर निर्णय न लें, इसको यहीं ड्राप कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंहजी।

श्री हरिसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया है इसमें दो प्रकार के मुद्दे हैं। एक तो मुद्दा यह है कि

श्री रामकिशन : मंत्री जी को पहले बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें वक्ता 3-4 हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक तो मुद्दा यह है कि प्रशासनिक दृष्टि से करौली जिला बनाया जाना ही उपयुक्त था और वह क्यों नहीं बनाया गया। दूसरा, यह है कि महुआ, टोडाभीम तहसील को नवगठित जिला दौसा में मिला दिया गया। मैं इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने अपने स्टेटमेण्ट में यह कहा था कि महुआ और टोड़ाभीम का कोई प्रतिनिधि मण्डल माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला था। मेरी निजी जानकारी भी है और चेहरे मुख्य मंत्रीजी भी पहचानते हैं, राजस्थान की राजनीति में वह बहुत दिनों से हैं। कोई एरिया, कोई कार्यकर्ता, किसी स्थान का हो जो उनसे जानकारी नहीं रखता हो वह बात भी सम्भव नहीं है। उसमें सिर्फ महुआ के कुछ लोग आये थे और यह प्रस्ताव उन्हें बड़ा आकर्षक और लुभावना लगा। जो लोग आये थे, मुख्य मंत्री जी, उनकी मानसिक स्तर का तो आपको पता है।

(श्री हरिसिंह)

आप जब उस डेपुटेशन से मिलने के लिए आये तो वह लोग नारे लगाने लगे, जिनका आपको पता है। 'भैरोंसिंह जी अमर रहे।' 'जब तक सूरज चांद रहेगा, शेखावतजी का नाम रहेगा।'

श्री उपाध्यक्ष : ठीक ही लगाये नारे तो।

श्री हरिसिंह : उनको यह पता नहीं कि यह नारे कब लगाये जाते हैं। यह मानसिक स्तर था उस प्रतिनिधि मण्डल का।....(व्यवधान) अब यह आपको पता नहीं है कि यह नारे कब लगाये जाते हैं?

श्री हेमराज मीणा : आपको भी पता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया चालू रखिये।

श्री हरिसिंह : रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जब 3 तारीख को महुआ पधारे थे, जो मंत्रिमण्डलीय समिति आ गई थी, पहली चीज तो यह थी कि उसकी हम जन-प्रतिनिधियों को सूचना होनी चाहिए थी। आपके डिप्टी सेक्रेटरी ने सूचना दी। उसे वैसे मैं प्रोटोकाल के अनुरूप नहीं मानता। जब आप पधारे तो सूचना आपके माध्यम से होनी चाहिए थी। आपके सैक्रेटरी, डिप्टी सैक्रेटरी (रेवेन्यू) ने सूचना दी। उस सूचना के आधार पर करौली से आने वाले माननीय सदस्य और मैं स्वयं वहां पर मौजूद थे परन्तु आपकी समिति ने हम लोगों से मिलने की शालीनता तक नहीं समझी और एक वर्ग विशेष के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के तहत आप डाक बंगले में चले गये और उसी को आपने जन-भावनाएं मान लिया। मैं यह नहीं कहता कि कोई मुख्य मंत्रीजी का इसमें राजनीतिक इरादा या कोई मंशा है। निश्चित रूप से वह दूरी को नापकर के ही महुआ और टोड़ाभीम को दौसा में मिलाने की बात सोच रहे हैं। एक तरह से यह बड़ा लुभावना लग रहा है महुआ की जनता को भी और टोड़ाभीम की जनता को भी, कुछेक वर्ग विशेष को भी, सब जनता को नहीं।

मुख्य मंत्रीजी, आप स्वयं की जानकारी में है कि हिण्डौन सब-डिवीजन है और हिण्डौन सब-डिवीजन में 3 तहसीलें हैं—हिण्डौन, महुआ और टोड़ाभीम। टोड़ाभीम तहसील की 21 ग्राम पंचायतें हिण्डौन सब-डिवीजन हैडक्वार्टर के 24 किलोमीटर के दायरे में आती है हिण्डौन के बहुत नजदीक है और महुआ की 11 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो 24-25 किलोमीटर के दायरे में हैं हिण्डौन से। अब आपने जो मापदण्ड निर्धारित किये हैं, एक मापदण्ड है आपका न्यायिक प्रशासन का तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कमेटी के सब माननीय सदस्य भी हैं और सौभाग्य से माननीय मुख्य मंत्रीजी भी मौजूद हैं, इस तहसील के लिए जहां तक न्यायिक प्रशासन का सवाल है 3 मुन्सिफ कोर्ट्स हिण्डौन में है जो थानों के हिसाब से उनका विभाजन हो रहा है। ऐ. डी. जे. की कोर्ट वहां है, सी. जे. एम. की कोर्ट वहां पर है और हिण्डौन से महुआ—टोड़ाभीम का दूरस्थ एरिया भी 40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है।

(श्री हरिसिंह)

मैं दूसरा और अनुरोध आपसे करना चाहूंगा कि हिण्डौन की जो न्यायिक अदालतें हैं आप उनके आंकड़े मंगवा लीजिए, 70 पर्सेन्ट से ज्यादा लिटिगेशन के मामले महुआ और टोड़ाभीम तहसीलों के हैं। अगर न्याय अदालत के लिए में दौसा जाना पड़ेगा तो निश्चित रूप से हमारी परेशानी बढ़ेगी दूरी की भी और इलाके का भी।

दूसरा मापदण्ड आपने निर्धारित किया है राजस्व प्रशासन का। मुख्य मंत्री जी मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, मेरी जानकारी में है जो सदन को देना चाह रहा हूं कि हिण्डौन में राजस्व प्रशासन के लिए आज तो जिलाधीश के पास काम नहीं है, ए. डी. एम. के पास काम है और हिण्डौन में ए. डी. एम. का कैम्प कोर्ट लगता है, तो उस प्रशासन के लिहाज से भी हिण्डौन, की वनिस्पत दौसा दूर पड़ेगा।

तीसरी बात, कृषि मंत्रीजी गये थे और आज का महत्वपूर्ण विषय भी है। कृषि का भी एक मापदण्ड, आपने जैसा अपने स्टेटमेंट में कहा है वह भी आपने देखा है और रखा है। तो वह इस यार्डस्टिम में भी नहीं होता है। हिण्डौन इटसैल्फ में कृषि विभाग का डिप्टी डाइरेक्टर का कार्यालय है जिसके क्षेत्राधिकार में पूरा हिण्डौन और करौली सब-डिवीजन सम्मिलित है। उस हिसाब से भी, यह उपयुक्त नहीं बैठता है। फिर आपने जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी का ब्योरा और दिया है। उसका भी एक्स. ई एन. का कार्यालय हिण्डौन में है जिसमें हिण्डौन, करौली, टोड़ाभीम और महुआ इनकी एक प्रशासनिक यूनिटी बनी हुई है, आपस में गुंथे हुए हैं।

मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहूंगा जो आपकी जानकारी में नहीं है और जो आपने अपने मापदण्ड में भी नहीं रखा है कि शायद गंगानगर के अलावा जिला सवाईमाधोपुर ऐसा जिला है जिसमें 2 भूमि विकास बैंक हैं। एक भूमि विकास बैंक का हैड क्वार्टर हिण्डौन है और उसके क्षेत्राधिकार में हिण्डौन और करौली दोनों सब-डिवीजन हैं। तो वह व्यवस्था भी हमारी टूटेगी।

तीसरा, एक और मापदण्ड आपने उसमें नहीं रखा है मण्डी समिति हिण्डौन के क्षेत्राधिकार में करीब 10–12 पंचायतें टोड़ाभीम तहसील की हैं वह भी व्यवस्था आपकी टूटेगी। इसके अलावा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड हिण्डौन में है, टोड़ाभीम तहसील की 19 पंचायतों का क्षेत्राधिकार वहां पर सम्मिलित है वह व्यवस्था भी आपकी टूटेगी। तो करौली को जिला बनायें या न बनायें यह निर्णय आपको करना है, यह प्रशासनिक दृष्टि से अगर आप निर्णय करेंगे तो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी क्या इच्छा है ?

श्री हरिसिंह : मेरी इच्छा यह है कि आप करौली को जिला बना दें। और अगर यह सम्भव नहीं हो मुख्य मंत्री जी तो मैं ज्यादा बहसो-बहास में नहीं पड़ना चाहता हूं, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि यह प्रशासनिक इकाइयां हमारी यथावत बनी रहे, हमारी ज्युडिशियल कोर्ट हमारी

(श्री हरिसिंह)

मार्केटिंग सोसाइटी, हमारी मण्डी समिति, हमारा भूमि विकास बैंक, हमारा ए.डी.एम. कोर्ट का कार्यालय यहां पर यथावत बने रहें तो आप महुआ और टोडाभीम के साथ-साथ हिण्डौन को मिलाने का निर्णय भी ले लीजिये। तो उसमें भी कोई बहुत ज्यादा असर हिण्डौन पर होने वाला नहीं है। जिस दिन मंत्रिमण्डलीय समिति गई थी तो हिण्डौन के अभिभाषकगण, वहां के व्यापारी वर्ग और वहां विभिन्न-विभिन्न राजनीतिक दलों के कुछ लोग भी वहां थे और उन्होंने भी यही अनुरोध किया था कि महुआ और टोडाभीम के साथ अगर मिलाना ही है तो हमारी सब व्यवस्थाएं यथास्थिति पर यूं की यूं बनी रहेंगी और आपको जो हमारा हैड क्वार्टर बदलना है, आपको दौसा बनाना है तो पूरे हिण्डौन सब-डिवीजन का हैड क्वार्टर बना दीजिए। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं।

मैं इसी उम्मीद के साथ आपको धन्यवाद पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री प्रभुलाल।

करौली को जिला बनाने के सम्बन्ध में

श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत जो महुआ और टोडाभीम को सवाई माधोपुर से निकाल कर दौसा में लगाया जा रहा है, उसके लिए निवेदन करना चाहूंगा कि यदि महुआ और टोडाभीम को दौसा में लगा दिया गया तो जो करौली का जिला बनने का हक है वह मारा जायेगा। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि करौली को काफी दिनों के इन्तजार के बाद अब भी जिला नहीं बनाया गया तो करौली, सपोटरा और हिण्डौन के साथ बहुत बड़ी + + + होगी। क्योंकि आज करौली में जिला लेवल पर आफिस मौजूद हैं सिर्फ एक पोस्ट एस. पी. और कलक्टर ही नहीं है। यदि इनको यहां लगा दिया जाए तो करौली, हिण्डौन, सपोटरा सारे क्षेत्र की उन्नति होगी।

श्री मदनलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, + + + असंसदीय शब्द है।

श्री उपाध्यक्ष : इसको हटा दीजिए।

श्री प्रभुलाल पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सैण्ट्रल गवर्नमेन्ट के पहले भी आश्वासन थे करौली को जिला बनाने के। यदि अब उसको नहीं बनाया जाता है तो उसके साथ में बहुत बड़ा अन्याय होगा। मैं निवेदन करूं कि यह है कि करौली का हमेशा के लिए नाम मिट जाये। मेरा आपके माध्यम से सरकार से एक ही निवेदन है कि दौसा भी जिला बने और करौली का भी नम्बर लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे वक्ताओं से यह निवेदन करना है कि जो फैक्ट्स आ चुके हैं उनका रिपीटेशन न होकर के आप सवाल पूछिये। माननीय श्री रामनारायण जी वर्मा।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां): उपाध्यक्ष जी, करौली को जिला बनाया जाए या उस क्षेत्र के महुवा वगैरहा को दौसा में रखा जाए, जयपुर में मिलाया जाए या सवाई माधोपुर में रखा जाए यह अहम् मसला नहीं है, अहम् बात यह है कि इस मसले पर मौजूदा बी. जे. पी. सरकार अपनी रोटियां सेक रही है। महुआ वालों को उकसा देती है, कभी टोडाभीम वालों को उकसा देती है, कभी करौली वालों को कुछ कह देती है....(व्यवधान) मैं आपकी बात का जवाब नहीं देता, एक + + + उधर से बोल रहा है इसलिए मुझे तकलीफ होती है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज संसदीय शब्द बोलिए।

श्री रामनारायण वर्मा : संसदीय शब्द नहीं, आप इनको कण्ट्रोल कीजिए आसन को चाहिए कि ऐसी परिपाटी नहीं डाले। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : + + + शब्द को हटा दीजिए।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि मौजूदा सरकार एक नए पैसे का काम नहीं कर रही है। यह गांव इधर मिलाए जाएं पंचायत वहां रखी जाए, पंचायत हैडक्वार्टर बामन गांव में हो....

श्री उपाध्यक्ष : वर्मा, साहब, जो कॉल-अटेन्शन मोशन दिया गया है, उस सब्जेक्ट से दूर मत जाइए।

श्री रामनारायण वर्मा : इस सरकार के कारनामे नहीं गिनाते हुए मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को आदेश दिया जाये कि इस तरह से लोगों को लड़ाने भिड़ाने के अलावा उनको सही बात कही जाए। गांव वालों का आप रिप्रजेन्टेशन ले लीजिए, उनसे बात-चीत कर लीजिए, मीटिंग करते हैं, चार मिनिस्टर जाते हैं, मजमा जमाते हैं और दूसरे लोगों को सूचना नहीं दी जाती है। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि काम नहीं करने वाली सरकार, गरीबों का गला काटने वाली सरकार, गरीबों के सारे के सारे कामबंद करने वाली सरकार अन्त्योदय के नाम पर फालतू की बातें करने वाली सरकार को शिक्षा दी जाए कि इस तरह के नाटक यह बंद करे और उन गांवों को उसी जगह रखा जाए जहां उनके लिए सुविधाजनक हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मोतीलाल (अनुपस्थित)

माननीय श्री बिरधाराम चौधरी (अनुपस्थित)

माननीय श्री भरोसीलाल (अनुपस्थित)

माननीय राजस्व मन्त्री जी।

+ + + शब्द माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि महुग्रा ग्रौर टोडाभीम को दौसा जिले में मिलाने के सम्बन्ध में ग्रभी तक मामला उप समिति के समक्ष विचाराधीन है। इसलिए इस समय इस स्थिति में नहीं हूं कि इस बारे में किसी निर्णय के सम्बन्ध में ग्रापको कुछ ग्रवगत करा सकूं। माननीय सदस्यों ने जो भी यहां पर भावना प्रकट की है वह उप समिति के सामने रख दी जाएगी।

मुख्यत: जो मसला करौली को जिला बनाने के सम्बन्ध में माननीय करौली से ग्राने वाले सदस्यों ने बताया है, उस सम्बन्ध में पूर्व में सन् 1983 में जब अध्यक्ष राजस्व मंडल की ग्रध्यक्षता में एक समिति का गठन हुग्रा था, उन्होंने ग्रपनी रिपोर्ट दी है। इसके ग्रन्दर इस बात को कह दिया गया है कि सवाई माधोपुर जो जिला है उसके विभाजन पर विचार ग्रभी इसलिये नहीं किया जा सकता क्योंकि सवाईमाधोपुर जिले से कई ग्रौर जिले बड़े हैं। जैसे नागौर जिला सवाई माधोपुर से बड़ा है, ग्रलवर जिला सवाई माधोपुर से बड़ा है। हालांकि उस वक्त में उस समिति के सामने जो विचाराधीन विषय थे वह जयपुर, उदयपुर, गंगानगर ग्रादि जिलों के सम्बन्ध में थे लेकिन यह मसला सामने ग्राया तो समिति ने इस संबंध में कोई ग्रौचित्य होना नहीं बताया। इसलिए सवाई माधोपुर के दो हिस्से उस समय में 1983 में भी नहीं किए जा सके। इस वक्त में भी इस सम्बन्ध में भी कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

माननीय सदस्य ने सरदार पटेल के किसी कथन का उल्लेख यहां पर किया है। माननीय सदस्य ने जो यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यहां पेश किया है उसमें यह शब्द काम में लिया है कि सरदार पटेल ने ऐसी कोई घोषणा की थी कि करौली के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय सरकार ने करौली के साथ किसी तरह से कोई छेड़छाड़ नहीं की है, न छेड़छाड़ करने का कोई इरादा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस स्टेट के मर्ज होने के वक्त में किसी तरह के एग्रीमेंट या इस तरह का सवाल है, वह न तो माननीय सदस्य ने कहा है, सरकार के ऐसा कोई ध्यान में ग्राया है कि स्टेट के मर्ज होने के वक्त में भी कोई ऐसी बात, कोई एग्रीमेंट या ऐसी कोई चीज थी। यह चीज भी मुझे सही नहीं लगी। माननीय सदस्य ने यह कहा कि....

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजस्थान निर्माण के समय की बात तो मैं कहता नहीं पर जब मत्स्य बना था, उस समय के. बी. लाल एडमिनिस्ट्रेटर थे ग्रौर मत्स्य का कुछ विरोध किया था वहां की सामन्ती ताकतों ने। उस समय तो यह बाकायदा तय हुग्रा था, हम लोग उस समय कांग्रेस कार्यकर्ता थे, हमारे सामने तय हुग्रा था करौली, धौलपुर, भरतर, ग्रलवर की आइडेन्टिटी ग्रलग रखी जाएगी ग्रौर उनको जिला रखा जाएगा। लेकिन राजस्थान के मर्जर के समय मत्स्य के उस आश्वासन का क्या हुग्रा इसकी जानकारी मुझे जरूर नही है लेकिन प्रारम्भ में ग्राश्वासन जरूर दिया

(श्री रामकिशन)

गया था कि करौली को जिला रखा जाएगा।

श्री गंगाराम चौधरी : मर्जर के बाद जब आप खुद ही कहते हैं राजस्थान वृहत्त बन गया, पूरा स्टेट बन गया, उस वक्त इस तरह का कोई एग्रीमेंट था भी नहीं उसकी सम्भावना भी नहीं लगती है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यह भी बात कही कि रिप्रजेण्टेशन्स वहां पर किसके आए-किसके नहीं आए, एक वर्ग विशेष से ही आप लोग मिल गए, ऐसी बात नहीं है। जब यह उप समिति वहां पर पहुंची थी, सबसे पहले माननीय करौली से आने वाले माननीय सदस्य और उनके साथ कुछ और भी सदस्य थे उनसे मुलाकात की थी। महुवा के भी कुछ लोग थे और हिण्डौन के भी कुछ लोग थे वहां पर। आपने जो भी ज्ञापन पेश किए वह सारे उप समिति के सामने रख दिए गए। वहां पर हिण्डौन के कुछ लोग, कुछ व्यापारी संघ थे और अभिभाषकगण भी थे। उन्होंने यह इच्छा जरूर जाहिर की, जैसा कि महुआ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, उन्होंने यह इच्छा जरूर जाहिर की कि अगर महुआ और टोडाभीम को मिलाया जाता दौसा में तो हिण्डौन को भी मिला लिया जाता। लेकिन यह मसला क्योंकि उप समिति का नहीं था, हमारे सामने मसला केवल महुआ और टोडाभीम का ही था इसलिए इस सम्बन्ध में उप समिति ने किसी प्रकार का उसका नोटिस नहीं लिया। वहां पर जो भी संगठन या जो भी संस्थायें हमारे सामने आई और जो भी ज्ञापन पेश किये, उसमें कार्यालय नगर कांग्रेस (आई) कमेटी महुआ, कार्यालय नगर यूथ कांग्रेस (आई) कमेटी, महुआ, कार्यालय नगर कांग्रेस (आई) कमेटी, टोडाभीम और इसके अलवा भूतपूर्व प्रधान श्री कंवरलाल मीणा, कांग्रेस (आई), पूर्व प्रधान महुआ, इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थ व्यापार संघ भी इसी मामले में ये ही निवेदन किया कि महुआ और टोडाभीम को मिलाया जाय। जनरल मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, टोडाभीम, राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ, कार्यालय प्रधान, जयपुर का भी है और महुआ का भी है। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जनार्दनसिंहजी का हमारे पास में है। क्लॉथ मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, हिण्डौन, जैसा मैंने पहले निवेदन किया व्यापार मण्डल हिण्डोन सिटी, उन्होंने भी ऐसा ही कहा। उपाध्यक्ष महोदय, वहां उपस्थित जितने भी लोग थे, लगभग 99.9 प्रतिशत लोगों ने अपनी इच्छा यही जाहिर की थी कि महुआ को दौसा के साथ मिलाया जाय और यही बात टोडाभीम वालों ने कही थी। लेकिन अभी उसमें सारा उप समिति के विचाराधीन है। निर्णय होने पर अवगत करा दिया जायेगा। मैं समझता हूं माननीय सदस्यों को संतोष होगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, कि एक तो यह बता दें कि महुआ से करौली कितने कि. मी. है, और महुआ से दौसा कितने कि. मी. है और हिण्डौन

(श्री जनार्दनसिंह गेहलोत)

से दौसा कितने कि. मी. है और करौली कितने कि. मी. है ।

श्री गंगाराम चौधरी : यह तो मैंने पहले ही कह दिया था और मेरी रिपोर्ट में भी है ।

श्री परसराम मदेरणा : इनके पास कि. मी. और माइलेज की जानकारी तो है नहीं, आपके बतायेंगे लेकिन यह छेड़ छाड़ तो कर रहे हो । जैसा भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जो कुछ भी उस वक्त एक्सेशन आॅफ स्टेट्स के सम्बन्ध में चाहे इन्स्ट्रूमेन्ट एक्सेशन हुआ हो नहीं हुआ हो लेकिन अगर आउटस्टेण्डिंग एश्योरेन्स और प्रामीसेज हैं, और यह बात मुझे ओस्टेसिबलि एण्ड सीमिंगली दिखी है कि मुख्य मंत्रीजी इन दो तहसीलों को उधर इन्क्लूड करेंगे और सवाई माधोपुर से एक्सक्लूड करेंगे । ट्रान्सफर करेंगे तो निश्चित रूप से, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य जिस करौली की आइडेन्टिटी की बात कर रहे थे, वह आने वाले समय में हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त हो जायेगी । इसलिये कोई भी आप निर्णय ले इन सब पहलुओं पर, जो अरस्टवाइल स्टेट्स थी, उनके लोगों की आकांक्षायें हैं, उनकी भावनायें जुड़ी हुई हैं उन शहरों और उन राज्यों के साथ में राजस्थान में भी कोशिश की गयी है, जयपुर तो बहुत बड़ा जिला था इसलिए आपने डिवाइड कर दिया लेकिन उसको डिवाइड करने के बाद में एक कमेटी 1983 में बनी, एक कमेटी अब बन रही है, कमेटी बैठी हुई है, कमेटी के तीन मेम्बर थे उनकी सिफारियें भी आ गयी । आप कह रहे हो, अण्डर-कन्सीडरेशन है, लेकिन कन्सीडरेशन के अन्दर ही अन्दर आप कुछ बात छिपा रहे हैं । उसके बाद में अगर लोगों का रीप्रजेन्टेशन है, लोगों की इच्छायें हैं, वहां के रेजीडेंट्स की, आपने तो ज्यादातर नाम लिया है, अभी-अभी राजस्व मंत्रीजी ने कि व्यापार मण्डल, मण्डल-कमण्डल नहीं है, आप व्यापारियों के नुमाइन्दे बन गये हो । आप व्यापारियों के नहीं है । जैसा महुआ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो लोअर लेवल की है, जो मिडिल लेवल की है, अगर कोटर्मिनस नहीं रहती है तो लोगों की बहुत परेशानी और दिक्कतें बढ़ेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने सरदार पटेल की घोषणा को लेकर करौली को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में अपने तर्क प्रस्तुत किये । मुझे अच्छी तरह से तो याद नहीं है कि किन शब्दों में इस प्रकार की घोषणा की गयी थी लेकिन यह अवश्य कहा गया था कि जिन स्टेट्स का मर्जर हो रहा है उन स्टेट्स के स्टेट्स को कम नहीं किया जाय । अगर यह बात होती तो जो स्टेट मर्ज कर रही हैं तो जिलो ही बनेंगी तो उसी समय करौली जिला बन जाता, प्रतापगढ़ जिला बन जाता, शाहपुरा जिला बन जाता और धौलपुर जिला बन जाता । मैं (व्यवधान) अब चार रियासतें रह गयी जहां पर जिला

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हैडक्वार्टर नहीं है। अब मत्स्य में करौली जिला बना और यदि सरदार पटेल का आश्वासन होता तो यही सरदार पटेल हैं जिन्होंने राजस्थान के निर्माण की आधारशिला रखी। मत्स्य पहले से राजस्थान में शामिल हुआ, फिर दूसरा राजस्थान बना और उस राजस्थान में करौली को जिले के रूप में शामिल नहीं किया गया। तो मैं कहना केवल इतना ही चाहता हूं कि सरदार पटेल ने यदि आश्वासन दिया और जिस समय सरदार पटेल ने राजस्थान की आधारशिला रखी एवं उदघाटन किया उस समय मैंने भी उनका रामनिवास बाग में भाषण सुना था। उस समय ऐसी कोई बात नहीं आई थी कि करौली या सारी रियासतों का स्टेटस जिस प्रकार का बना हुआ है उसी प्रकार का स्टेटस जिले के रुप में परिवर्तित किया जाय। सरदार पटेल ने ही घोषणा की और सरदार पटेल ने ही राजस्थान का गठन किया और सरदार पटेल के समय ही करौली जिला नहीं बना इसलिए इस तर्क में इतना कोई वजन नहीं है कि इस वजन के आधार पर करौली के सम्बन्ध में आप कोई अपनी बात प्रस्तुत करें।

अब प्रश्न आया, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जिले बनाने की बात 1978 या 1979 में, उस समय हमारी सरकार ने एक कमेटी गठित की थी ओर उस कमेटी ने पांच जिले बनाने की घोषणा की थी जिसमें एक धौलपुर, राजसमन्द, दौसा और एक बारां। 1981 में रिपोर्ट आ गयी तो 1982 में धौलपुर जिला बन गया। उस रिपोर्ट के आधार पर, चार जिले बाकी रहे। उसमें तीन जिले इस बार बना दिये गये और हनुमानगढ़ के सम्बन्ध में भी कुछ कारण ऐसे हैं जिन कारणों से हम घोषणा नहीं कर पाये। लेकिन हनुमानगढ़ जिला बनना चाहिए, मैं सिद्धान्ततः आज भी इस बात को मानता हूं। अब इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद 1982 से लेकर आज तक करौली जिला बनाया जाय इस प्रकार का रेफरेन्स किसी भी सरकारी पत्रावली में नहीं है। उस समय राज केवल आपकी पार्टी का था और उस राज पर आपका प्रभाव भी बहुत था आप जो चाहते उस समय करवा सकते थे। अगर आप जोशीजी को थोड़ा सा इशारा कर देते कि करौली को जिला बनाओ तो करौली को जिला क्या, वह कमीश्नरी ही बना देते। यहां तो बात छोटी सी ही थी।

इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि यह वहम हुआ कि करौली का महत्व घटाया जायेगा। कुछ दफ्तरों के आपने नाम लिये। जहां तक मुझे याद है ज्यादा दफ्तर जो आपने बताये हैं वह भी हमारे शासनकाल में करौली में स्थापित हुये हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अब इतना विश्वास मैं आपको दे सकता हूं कि करौली के साथ किसी प्रकार का भेदभाव करने का इरादा सरकार का नहीं है। करौली में जितने भी विकास के काम करने हैं राजस्थान सरकार करेगी। करौली औद्योगिक क्षेत्र बहुत बढ़िया औद्योगिक क्षेत्र बने, इसके सम्बन्ध में भी राज्य सरकार विचार कर रही है। करौली के विकास के सम्बन्ध में आप कोई बात

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कहें तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि करौली के लोगों को विकास के माध्यम से, किसी प्रकार से उनकी सेवा कर सकें इसकी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं है।

जहां तक प्रश्न आया हिण्डौन का। आपने कहा कि दौसा में महुआ और टोड़ाभीम को मिलाया जाता है तो हिण्डौन भी उसके साथ मिला दिया जाय। अब उस सारे जिले की जियोग्राफी देखी है....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा है कि यदि आपको तोड़-फोड़ करनी हो, तो हिण्डौन को दौसा में मिला दीजिये, करौली को धौलपुर में मिला दीजिए और सवाईमाधोपुर को टौंक में मिला दीजिए। जिला ही छिन्न-भिन्न हो जाय जैसी भी मंशा लग रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यदि आपकी इच्छा है कि करौली को धौलपुर में मिला दिया जाय तो मैं ऐसा समझता हूं कि हम आपकी इच्छा के विपरीत कोई आज ही घोषणा कर दें. इस प्रकार की स्थिति नहीं है लेकिन मैं करौली की जनता से जानकारी करूंगा कि आपके विधायक करौली को धौलपुर में मिलाना चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, इतना गंभीर मामला है, उसको आप मजाक में ले जा रहे हैं।

जहां तक प्रश्न है, आप क्षेत्रफल से देखें, धौलपुर रियासत का जो क्षेत्रफल है उससे बड़ा क्षेत्रफल करौली रियासत का है। तो अनजस्टिफिकेशन तो हुआ है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे हैं, मदेरणा साहब ने बताया है, सरकार यह सोचती है कि मैं वहां से विधायक हूं तो श्रेय आप ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को श्रेय मिलेगा, श्रेय आप ले लीजिए। आप इस सारे मामले को उलझाने की बजाय श्रेय आप ले लीजिए मैं तो यह चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मुख्य मंत्रीजी, कोई आदमी दुःखी है, संतप्त है, व्यथित है, उद्वीग्न है, क्योंकि करौली की इम्पोर्टेंस कम हो रही है। एक एग्जाम्पल दो, फिर आप यह करना चाहते हैं। ऐसी एक घटना मेरे गांव में हुई। मेरे गांव में एक सुखदार मेजर थे। वह इतना भला आदमी था कि उसके पास में कुछ मोहरें थी, उसके लड़के ने टोंटिंग की और टोंटिंग के साथ में उसने छोटे भाई को सब की सब मोहरें 80 जो उस वक्त 12 रुपये में ली हुई थी छोटे भाई को दे दी बड़े भाई के नाते। मुझे मालूम है कि सुखदार मेजर मेरे गांव और आसपास में पहले व्यक्ति थे, उसके लड़के बकरियां चरा रहे थे उसने गुस्से में दे दी क्योंकि दुःख के मारे मेरा भाई यह कह रहा है। तो यह कह रहे थे कि आप अगर इसको तोड़ना ही चाहते हैं तो उसको उधर मिला दीजिए, इधर मिला दीजिए लेकिन जो वहां के एम. एल. ए. ने जो बात कही है वह दूसरे रेफेंस में कही है. राजस्थान का मुख्य मंत्री वहां पर

(श्री परसराम मदेरणा)

जाकर यह रेफरेंडम कराये कि आपके एम. एल. ए. आपको धौलपुर में मिलाना चाहते हैं। फिर धौलपुर जिला है जो चम्बल के किनारे आया हुआ है। धौलपुर का अहोभाग्य है कि आप उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं और आपके दिमाग में जो अग्रेडाइजमेंट की पालिसी है कल्पना है आपकी और इसके प्रिटेक्स्ट के अंदर अगर आप धौलपुर को बड़ा जिला बनाने की सोच रहे हैं तो वह अग्रेडाइजमेंट की पालिसी और आपकी एम्बीशन पर आप नियंत्रण रखियेगा। इनका मतलब कुछ और ही था, तो यह कह रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, इसकी इम्पोर्टेंस बनाये रखिए चाहे इसके स्टेटस को एन्टे रखिये चाहे उसकी इम्पोर्टेंस रखिए, चाहे उसकी आइडेन्टिटी रखिए और उसका महत्व रहें एवं वहां के लोगों को यह संतोष हो कि हमारी एक अरस्टव्हाइल स्टेंट थी जो इण्टिग्रेशन के साथ से अलग रही लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, मेरे दिमाग में कोई कल्पना ही नहीं आई कि करौली को धौलपुर में मिलाया जा सकता है लेकिन लोकतंत्र में जनता की मांग के आगे सरकार को झुकना पड़ता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : यह भी एक प्रतिनिधि की मांग है इस पर आप क्यों नहीं झुक जाते ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं क्या कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं। माननीय श्री परसरामजी ने जो बात कही कि मैं यह महसूस करता हूं कि करौली का किसी प्रकार से स्टेटस और इम्पोर्टेंस खत्म नहीं होनी चाहिए, बढ़नी ही चाहिए। इतना मैं माननीय सदस्यों को विश्वास देता हूं व्यक्तिशः कि आप करौली के विकास के संबंध में कोई बात कहेंगे तो न तो कोई राजनीति आयेगी, न किसी प्रकार का व्यक्तिगत वैमनस्य आयेगा। करौली के विकास के संबंध में आप और मैं या सरकार से बैठकर जो भी चर्चा होगी उसको मैं इम्पलीमेंट करने की कोशिश करूंगा।

टोडाभीम और महुआ इनको दौसा में मिलाया जाय, इसके कारण करौली का स्टेटस कोई गिरेगा तो यह मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि करौली का किसी प्रकार से स्टेटस नहीं गिरना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : मेरा एक प्रश्न है जो इससे संबंधित है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इतनी देर बाहर थे। क्या कहना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत् माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, अभी मसला आया था टोडाभीम के बारे में, मेरा निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय, 3 मंत्री महोदय वहां पर पधारे और वहां पर एक आम मीटिंग हुई थी....

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना सवाल कीजिए, सारी चर्चा समाप्त हो चुकी है।

श्री रामस्वरूप मीणा : बिलकुल सीधा सवाल आ रहा है। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं तो मुझे ज्यादा समय लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष : पूछिए आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा टोडाभीम के बारे में सवाल है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां एक मीटिंग हुई थी। (व्यवधान) मेरा सीधा प्रश्न यह है कि टोडाभीम के अंदर माननीय मंत्री महोदय जब पधारे थे तो वहाँ पर आपने पंचायत समिति के अंदर एक मीटिंग ली थी। उस समय सारे लोग, जो वहाँ उपस्थित थे, वहाँ एक प्रस्ताव उनके सामने आपने पेश किया था और उन्होंने एक ही बात कही थी अगर आप लोग टोडाभीम को दौसा में मिलाना चाहते हैं तो टोडाभीम की जनता की एक ही मांग है कि टोडाभीम तहसील के आप टुकड़े मत करना। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। ऐसा न हो कि कुछ गांवों को आप हटा दो, कुछ गांवों को आप इधर-उधर कर जोड़ दो टोडाभीम तहसील का जो महत्व है उसको आप कहीं टुकड़े करके कम कर दो। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आम जनता ने जो बात कही वह मैं निवेदन कर रहा हूं। वहाँ की जनता ने यह कहा था कि जितनी भी टोडाभीम तहसील है, जो उसका क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र को पूरा करे। एक साथ आप मिलाना चाहते हो तो आप पूरे को ही मिलाना, टुकड़े मत कर देना। उसका कहीं हाथ को काट दो, कहीं पैर को काट दो, ऐसा मत कर देना। यह मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं। मुख्य मंत्रीजी भी यहाँ विराजमान हैं, मुझे विश्वास है कि मुख्य मंत्रीजी ऐसा नहीं करने देंगे या कोई करेगा तो नहीं करने देंगे। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि जो माननीय मंत्री महोदय के सामने बातें आई हैं, हमारे कृषि मंत्री महोदय भी यहां बिराजमान हैं, आपने भी वहां आश्वासन दिया था। टोडाभीम क्षेत्र की जनता ने जो आवाज उठाई है कि पूरे क्षेत्र को आप मिलाओगे यह मेरा आपसे निवेदन है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि इतनी सारी अदालतें हिण्डौन के अंदर लगती है। चाहे एस. डी. एम कोर्ट हैं, चाहे एम. एम. कोर्ट हैं, चाहे ए. एम.एम. कोर्ट हैं बहुत महत्वपूर्ण मसला है (व्यवधान) टोडाभीम की जितनी भी कोर्ट लगती हैं वे हिण्डौन के अंदर लगती हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन कोर्टस् के अंदर उन लोगों को जाना पड़ता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर हिन्डौन को इसमें मिला दिया जाय वहाँ की जनता के हित में होगा।

तीसरी बात है कि अगर करौली को जिला बनाया जाता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। करौली को जिला भी बना दिया जाय मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए आप।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप यह बता दीजिए कि टोडाभीम को दौसा में मिलाया जाय या नहीं मिलाया जाय ? इसमें आपकी व्यक्तिगत राय क्या है ?

श्री रामस्वरूप मीणा : मैंने आपसे निवेदन कर दिया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से भी करना चाहूंगा कि मेरी राय नहीं, वहां की आम जनता की राय आयी है। माननीय मंत्री महोदय जब वहाँ पर पधारे थे उनके सामने आम जनता की राय आई है और आम जनता की राय के साथ ही मेरी राय आई है और आम जनता की राय के साथ ही मेरी राय है और मेरी कोई अलग राय नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मुख्य-मंत्री जी को मैं सुझाव देना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी बात यह है कि ministeri on the Treasury Banches, they are politicions कमेटियां पहले भी बनी हैं। कांग्रेस की बात आप बराबर इंगित करते रहते हैं और रात-दिन कांग्रेस शासन की बात दोहराते रहेते हैं। मैं आपको यह कहता हूं हमेशा ऐसे मामलों में पोलिटिकल कंसीडरेशन पर से ऊपर सिर्फ एक आदमी रह सकता है अगर वह पोलिटिशियन हाईकार्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज हो जाय। तो वह अपनी पुरानी बात को चेयर पर जाते ही भूल जात है। बाकी कोई भी मिनिस्टरों की कमेटी बना ले, आपने वहां पर बना दी, बीकानेर में बना दी, पंचायतों की 3 आदमियों की कमेटी बना दी। वह तीन तो सिर पकड़े बैठे हैं पीछे 2 को और दे दी।

इसलिए मैं यह कह रहा था कि मिनिस्टरों की कमेटी आप मत बनाइये, उसका ट्रिब्यूनल हो जिसमें काम कम हो। अब तो आप अपील का काम दे रहे हैं. जे. डी. ए. का ट्रिब्युनल हायर ज्युडिशियल सर्विस का है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास काम कम हो उसको साथ लेकर रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन रख दीजिए और रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन के साथ में प्रजेन्ट रेवेन्यू सेक्रेटरी को मत लगाइये। रेवेन्यू मेटर्स में जो सेक्रेटरी रहा हुआ है उसको अनुभव है। आज स्थिति यह है, राजस्व मंत्री जी, कलक्टर 30 कमेटियों का चेयरमैन होने के बाद में केस लॉ को डिस्पोज ऑफ करता ही नही है। आप खुद को मालूम है। आपकी ऐसी दुर्गति हो गई थी, जब आपके पास रिवीजन और रिव्यू के पावर्स थे तो आपके पास 2500 केसेज थे, जब आप डिप्टी मिनिस्टर थे, आपको पता है। सुबह-शाम आप फैसले लिखने में लगे रहते थे। इसलिए आपने और मैंने सम्मिलित निर्णय लेने की बात सोची कि यह रेवेन्यू बोर्ड को ट्रांसफर करना चाहिए। मिनिस्टर को इतना समय नहीं है कि रिवीजन और रिव्यू को डिस्पोज ऑफ कर सके।

इसलिए मैं समझता हूं कि आप एक्सटर्स की कमेटी बनायें आप मिनिस्टर्स वाली कमेटी न बनायें। मैं यह नहीं कहता कि तीनों मिनिस्टर में मैं अविश्वास रखता हूं लेकिन लोगों को जो आशंकायें उत्पन्न हो रही हैं, वे उत्पन्न न होने दीजिए। कमेटी एक ऐसी कमेटी एक ऐसी बनायें जो यह हो कि वह जस्ट और इम्पार्शल डिसीजन लेगी, सब पहलुओं को ध्यान में रख कर। नहीं तो मनमर्जी जो आप करेंगे, यह तो मैं जानता हूं, लेकिन करनी नहीं चाहिए।

(3.00 म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई । माननीय श्री हरिश्चन्द्र कुमावत ।

नागौर जिले की तहसील नावां के ग्राम चौसला में हुई एक हत्या के मुकदमे में चालान पेश नहीं किये जाने के सम्बन्ध में ।

श्री हरिशचन्द्र कुमावत (नावां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 131 के अन्तर्गत नागौर जिले की तहसील नावां के ग्राम चौसला में हुई एक हत्या के सम्बन्ध में पुलिस थाना नावां में दर्ज अपराध संख्या 27/91 दिनांक 10 अप्रेल, 1991 के अभियुक्तों के न्यायालय में चालान पेश नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति की और गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया । माननीय गृह मंत्री जी ।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : माननीय सदस्य ने नियम 131 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित किया है । थानाधिकारी नावां को थानाधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर से एक वितन्तु संदेश दिनांक 10-4-1991 को इस आशय का प्राप्त हुआ कि ग्राम चौसला के नजदीक कांकड़ में झगड़ा हुआ जिसके मशरूक अस्पताल सांभर में भर्ती हैं तुरन्त मौके पर पहुंचे इस पर पुलिस उप अधीक्षक, कुचामन मय स्टाफ अस्पताल सांभर पहुंचे मशरूक नंदाराम पुत्र जोधाराम जाट निवासी जो देना थाना सांभर जिला जयपुर के पर्चा बयान लिये तो बताया कि चौसला के कांकड़ में मेरी दादी तीजा पत्नी देवाराम जाट निवासी रयौदा के नाम से कृषि भूमि खसरा नं. 727 रकबा 78 बीघा 3 बिस्वा थी । मेरी दादी तीजा का देहान्त 27-11-1990 को हो गया । मेरी दादी तीजा के चार लड़कियां नानूड़ी, चन्द्री, धापूड़ी व छोटी थीं । कोई लड़का नहीं था । मेरे पिताजी को गोद लिया हुआ था । इस कारण खेत खसरा नं. 727 पर हमारा कब्जा है तथा हम ही लगातार काश्त करते आ रहे हैं । सरपंच शिवकरण ने इस खेत का खाता मेरी दादी की लड़कियों के नाम से नाजायज रूप से खुलवा लिया तथा उसने इस खेत में से 45 बीघा की रजिस्ट्री अपने भाइयों रामेश्वर, रूघाराम आदि के नाम करवा दी जबकि इस खेत पर मालिकाना हक हमारा था । दिनांक 9-4-1991 को शाम करीब पांच बजे हमारे इस खेत में खेंवाराम, रूघाराम, किशना राम वगैरह ने ट्रेक्टर से हल जोत लिये, जो मैंने गांव में सुना । आज सुबह मैं, मेरा भाई हनुमान, मेवाराम मेरी मां केशर, मेरी औरत कोयली तथा मेरी भोजाई छोटी हमारे उस खेत में गये तो खेत में ऊंट से हल जोत रहे थे । करीब आठ- नौ-दस बजे चौसला की तरफ से दो ट्रेक्टर आये जिनमें एक ट्रेक्टर शिवकरण सरपंच का था व दूसरा घीसाराम का था । ट्रैक्टरों पर मेवाराम व उसका लड़का, शिवकरण सरपंच, किशनाराम पुत्र मेवाराम, रामेश्वर पुत्र रेवाराम, खेमा, हेमाराम पुत्र घीसाराम, चन्द्राराम पुत्र घीसाराम जाति जाट साकिन चौसला तथा मंगलाराम पुत्र पेमाराम जाट, मेवाराम की औरत कुल बीस-बाइस आदमी हमारे खेत में आये, जिन सभी के हाथ में कुल्हाड़ियां व लाठियां

(श्री दिग्विजय सिंह)

आदि थी। शिवकरण सरपंच के हाथ में कुल्हाड़ी थी। आते ही इन लोगों ने कहा यह खेत हमारा है, आपने क्यों जोता। और कहा कि इनको मारो। इस पर सभी व्यक्तियों ने लाठियों-कुल्हाड़ियों से हम पर हमला कर मार-पीट शुरू कर दी। खेंवाराम ने मेरे सिर पर लाठी की मारी तथा हेमाराम ने मेरी दाहिनी आंख व पैर पर लाठी की मारी। शिवकरण ने मेरे भाई मेवाराम के सिर में कुल्हाड़ी की मारी तथा अन्य लोगों ने भी मेवाराम के लाठियों की मारी। हम सभी के साथ मार-पीट की। हमें मरा समझ कर ट्रैक्टरों से वापस चले गये। वहां से हमें घीसा पुत्र देवाराम गूजर, मेरी भौजाई छोटी ऊंट लड्ढे में डाल कर माटिया की ढाणी तक लाये। वहां से जीप रूकवा कर सांभर अस्पताल में ले आये। अस्पताल पहुंचते-पहुंचते मेरे भाई मेवाराम की लगी चोटों के कारण मौत हो गई। मेरे भाई हनुमान, मेरी मां व मेरी औरत के काफी चोटें लगी हैं। वगैरह।"

पर्चा बयान में जुर्म दफा 147, 148, 149, 302, 307, 447, 332 ताजीराते हिन्द का अपराध होने का उपरोक्त मुकदमा कायम किया जाकर वृत्ताधिकारी, कुचामन अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। इसके पश्चात् उक्त मुकदमे की तफ्तीश परिवादी श्री शिवकरण सरपंच ग्राम चौसला, जो कि इस मुकदमे में मुख्य अभियुक्त हैं, के परिवाद पर अपराध शाखा को दिनांक 1-5-1991 को स्थानांतरित होने पर आर. सी. कल्ला उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अन्वेषण किया गया। आई. ओ. ने तफ्तीश से स्थानीय पुलिस द्वारा बनाये गये 15 मुलजिमान के विरूद्ध ही जुर्म साबित मानते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा की गई तफ्तीश को सही माना है। इस अभियोग में कुछ बिन्दुओं पर अनुसंधान करने हेतु अन्वेषण अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं जिन पर अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियोग हाजा में निर्णय लिया जायेगा क्योंकि इसी अभियोग का क्रास केस नं. 26/91 धारा 447, 147, 148, 149, 323 ताजीराते हिन्द तारीख 10-4-1991 को मुकदमा नं. 27/1991 के अभियुक्त जाट द्वारा दर्ज कराया गया है। इस प्रकरण में अभियुक्त श्री खेमाराम का भाई सरपंच है और यह सरपंच भी 27/91 का अभियुक्त है। मुकदमा संख्या 26/1991 का अनुसंधान स्थानीय पुलिस द्वारा किया जा रहा है जिसका अनुसंधान किये जाने हेतु पत्रावली सी. आई. डी. (सी. बी.) में मंगवा ली गई है। दोनों प्रकरणों का साथ-साथ अनुसंधान किया जा रहा है। जैसे ही अपराध संख्या 26/91 का अनुसंधान पूर्ण होगा, दोनों ही प्रकरणों में एक साथ निर्णय लिया जायेगा।

माननीय विधायक ने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में सरकारी गवाहों को जान से मारने की धमकी देने की बात दर्शाई है तथा इस बारे में जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने दर्शाए हैं, कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई विचाराधीन है। जहां तक प्रकरण के अभियुक्तों के गिरफ्तार करने का जो परिवाद श्री नंदाराम पुत्र जोधाराम निवासी त्यौदा द्वारा प्रस्तुत किया है, उसमें परिवादी ने

(श्री दिग्विजय सिंह)

अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु निवेदन किया है। यह प्रार्थना पत्र गृह आयुक्त महोदय को संबोधित करते हुए प्रति महामहिम राज्यपाल, जयपुर को भेजी गई है। इस प्रार्थना-पत्र पर प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही की जा रही है और बाद अनुसंधान दोनों अभियोग मुकदमा संख्या 27/91 और 26/91 थाना नावां में एक साथ निर्णय लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही शीघ्र की जायेगी। इस प्रकरण में अनुसंधान में अब तक अनुसंधान अधिकारियों द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गई है।

श्री हरिशन्द्र कुमावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री मेवाराम की हत्या से सम्बन्धित मुकदमा नं. 27/91 जिसकी जांच सी. आई. डी. से हुई है और उन्होंने भी माना है कि यह जुर्म सही है। 15 अभियुक्तों के लिए माना है कि उन्होंने जुर्म किया है। जब 15 अभियुक्तों के लिए जुर्म साबित हो गया तो उनको गिरफ्तार करने कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की गई? किस-किस को अभी तक गिरफ्तार किया गया है? वे खुले फिर रहे हैं और जो गवाही वगैरह दे रहे हैं उनको डरा-धमका रहे हैं, मारने की धमकियां दे रहे हैं। दूसरा मुकदमा 26/91 अपराधी लोगों ने ही दर्ज कराया है, वह धारा 323 का एक साधारण मुकदमा है। उसके कारण से इस मुकदमे को अब तक क्यों रोका गया है? यहां कब से जांच पड़ी है, इतना लम्बा अर्सा होने पर भी हत्या से सम्बन्धित मुकदमे के लिए शीघ्र कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है?

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है और मैंने अपने उत्तर में कहा भी है कि यह मुकदमा 5/91 को सी. आई. डी. क्राइम ब्रान्च में आ गया। इसके साथ ही साथ सरपंच शिवकरण ने एक दरख्वास्त दी थी कि कार्यवाही करने से पूर्व उसको भी एक दफा मौका दिया जावे सुनने का। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इन अभियुक्तों का प्रश्न है इन्होंने अग्रिम जमानत हाईकोर्ट से करवा ली है और इस वजह से वे आज वहां पर है।

श्री उपाध्यक्ष : कितनों ने करवा ली?

श्री दिग्विजय सिंह : 8 ने करवा ली। बाकी जो अभियुक्त हैं उनका अनुसंधान जल्दी ही पूरा करा दिया जाएगा मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैंने अपराध शाखा को निर्देश दे दिये हैं कि 15 दिन के अन्दर दोनों ही प्रकरण की जांच करके सारे अनुसंधान पूरे करके वापस कार्यवाही करें और दोषी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनका चालान पेश कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : और कुछ?

श्री हरिशचन्द्र कुमावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य अभियुक्त शिव-शिवकरण ने कोई जमानत नहीं करवाई है और आज भी वह बस स्टैण्ड पर बैठा है। जो मुख्य अभियुक्त है वह खुला फिर रहा है।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि जो अभियुक्त अभी खुले फिर रहे हैं अनुसंधान के अन्दर इसकी एप्लीकेशन दी है....

श्री उपाध्यक्ष : 15 दिन का आपको टाइम दिया है । 15 दिन के अन्दर चालान भी हो जायेगा और गिरफ्तारी भी हो जायेगी ।

इस पर चर्चा समाप्त हुई। श्री हरिसिंह महुआ ध्यान आकर्षित करेंगे। विद्युत संबंधी मामला है।

महुवा ग्रामीण विद्युतिकृत सहकारी समिति लि.द्वारा विद्युत कनेक्शन न देने संबंधी

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा विषय तो था माननीय सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने का लेकिन इनके आपसी समझौते से मुझे माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना पड़ रहा है। उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री जी और ऊर्जा मंत्री जी, दोनों का ही मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सबजेक्ट एक ही है ।

श्री हरिसिंह : सबजेक्ट दरअसल में बहुत अलग है और मेरे लिए यह संकट की घड़ी है कि यह अभी तक तय नहीं कर पाये हैं कि मेरे यहां विद्युतीकरण सहकारिता विभाग को करना है या ऊर्जा विभाग को ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये । माननीय ऊर्जा मंत्री जी ।

श्री रामनारायण विश्नोई (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, जिला सवाई माधोपुर की तहसील महुआ एवं टोडाभीम हेतु विद्युत सहकारी समितियों को भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के प्रावधानों के अन्तर्गत विद्युत सप्लाई के कार्य हेतु अधिकृत किया गया था ।

टोडाभीम ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी समिति लिमिटेड के तहत टोडाभीम तहसील के गिरदावर सर्किल बालघाट में कुल 35 गांव हैं जिनमें ग्राम मूंडिया भी एक ग्राम है मूंडिया नाम का अलग से कोई गिरदावर सर्किल तहसील टोडाभीम में नहीं है । गिरदावर क्षेत्र बालघाट के 27 गांवों को दो वर्ष पूर्व दिनांक 31-3-89 तक समिति द्वारा विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया था। यह सही नहीं है कि गिरदावर सर्किल बालघाट के 27 ग्रामों में ट्रान्सफार्मर नहीं रखे गये हैं, हजारों प्रार्थना-पत्र लम्बित पड़े हैं तथा एक भी विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किया गया है । इसमें वास्तविक स्थिति इस प्रकार है:—

इस सर्किल के सात गांवों-मूंडिया, लपावली, पेचला, महमदपुरा देवलेन, तिररिया एवं सनमलवाड़ा में ट्रान्सफार्मर लगे हुए हैं एवं उनके कनेक्शन दिये हुए हैं। अन्य सात ग्रामों नन्दपुर, नयागांव पीलवा, शंकरपुर, सिघनियां, कुढावल, मोहनपुर में ट्रान्सफार्मर लगाने की कार्यवाही की जा रही है ।

इसके अतिरिक्त इस सर्किल के आठ गांवों-मजीदपुर, फाटकटारा, कंवरपुरा, कटारा, जयसिंह पुरा, बरेडी एवं फौजीसे किसी भी श्रेणी के विद्युत कनेक्शन हेतु एक भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है अतः इस कारण इन गांवों में ट्रान्सफार्मर नहीं रखे गये हैं ।

(श्री रामनारायण विश्नोई)

शेष बचे 5 गांवों-घाटरा शेरपुर, भादोली, सालेसपुर वालावास एवं मीसलपुर, में ट्रान्सफार्मर रखने की कार्यवाही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के आधार पर की जावेगी।

समिति द्वारा अब तक कृषि हेतु 23, औद्योगिक 12 एवं घरेलू 76 कनेक्शन दिये गये हैं। वर्तमान में समिति के पास कृषि हेतु 60, औद्योगिक 12 व घरेलू कनेक्शनों हेतु 160 प्रार्थना पत्र शेष हैं।

महुवा ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी समिति लि. की विद्युतीकरण योजना के पंचायत समिति महुआ के 152 ग्रामों का विद्युतीकरण पांच वर्ष में किया जाना था। इसमें से 45 ग्राम समिति के टेकओवर करने से पहले से विद्युतीकृत थे। समिति द्वारा 76 अन्य ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया गया। इस प्रकार महुवा पचायत समिति क्षेत्र में 121 ग्राम विद्युतीकृत घोषित किये गये हैं एवं 31 ग्रामों का विद्युती-करण करना शेष है शेष 31 ग्रामों में लगभग 20 ग्रामों में खम्बे खड़े करने का कार्य चल रहा है। इन ग्रामों में काय पूर्ण हो जाने के पश्चात् ही इन्हें विद्युतीकृत घोषित किया जावेगा। इसके लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आर. ई. सी.) से चौथी व पांचवी ऋण की राशि लगभग 32 लाख रुपये प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। ऋण उपलब्ध हो जाने पर यह कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

(म.प. 3.16)

(श्री रमाकांत शर्मा, सभापति, पदासीन)

जहां तक पेयजल हेतु जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा बनाई गई पेयजल योजनाओं को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रश्न है, उनकी वास्तविक स्थिति इस प्रकार है:—

(1) खेड़ला बुजुर्ग पेयजल योजना:— इस योजना हेतु ग्राम ओण्ड में पेयजल स्रोत उपलब्ध है जहां से इस ग्राम को पानी सप्लाई किया जावेगा। समिति द्वारा स्रोत तक बिजली उपलब्ध का कार्य अगस्त, 1991 में पूर्ण कराया जा चुका है। जलदाय विभाग द्वारा पम्प चालू करने पर ही विद्युत सप्लाई चालू की जा सकेगी।

(2) तालचिड़ी:—तालचिड़ी योजना हेतु जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी द्वारा 1.32 लाख रुपये की राशि 30-3-90 को जमा कराई गई थी। गत वर्ष मई माह में खम्बे खड़े कर दिये गये परन्तु तार खींचने के समय ग्रामीणों द्वारा अवरोध उत्पन्न किये जाने के कारण तार खींचने का कार्य नहीं किया जा सका। इस हेतु आवश्यक प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) पावटा जल योजना: इस हेतु जलदाय विभाग द्वारा 69,000 रुपये की राशि समिति में जमा कराई गई थी जिसका कार्य अप्रेल, 1991 में पूर्ण कर दिया गया है लेकिन जलदाय विभाग द्वारा मोटर व पम्प नहीं लगाने के कारण चालू नहीं हो सहा है।

(4) कोट जलदाय योजना हेतु समिति में जलदाल विभाग द्वारा 29-12-1990

(श्री रामनारायण विश्नोई)

को 35,000 रुपये जमा कराये गये जिसके एवज में 11 के. के. सब स्टेशन बना दिया गया है। खम्बे लगाये जा चुके हैं, केवल तार खींचने शेष हैं। जिसे एक माह में पूर्ण कर दिया जायेगा।

महुवा ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी सहकारी समिति को मिलने वाली ऋण की चौथी-पांचवीं किश्त लगभग 32 लाख रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन से आनी शेष है जिस हेतु आवश्यक कार्यवाही रजिस्ट्रार सहकारी समिति द्वारा की जा रही है। यह राशि प्राप्त होने पर शेष बचे ग्रामों का विद्युतीकरण किया जावेगा।

तारों एवं अन्य बिजली के उपकरण व विद्युत चोरी के मामलों में पुलिस में मामले दर्ज कराये जाते हैं। वर्तमान में महुवा सहकारी समिति में तार व सामान चोरी के चार मामले एवं विद्युत चोरी के लगभग 20 मामले एवं टोडाभीम समिति के विद्युत चोरी के 40 मामले एवं तार चोरी के पांच मामले पुलिस में दर्ज कराये गये हैं।

श्री हरिसिंह : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाह रहा हूं कि उनके पास जो सूचना दी गयी है वह या तो अपर्याप्त है या फिर तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर दी गयी है। जहां तक टोडाभीम विद्युत सहकारी समिति का प्रश्न है, यह बिलकुल सही है कि वहां बालघाट गिरदावर सर्किल है। बालघाट गिरदावर सर्किल के 27 गांवों में से जिन 5 गांवों का आपने विद्युतीकरण किये जाने का उल्लेख किया है, सभापति महोदय, वे 5 गांव वे हैं जहां वाटर सप्लाई की स्कीम्स को कनेक्शन दिये गये हैं। पब्लिक कनेक्शन नहीं दिये गये गये हैं। वाटर सप्लाई की स्कीम में पी. एच. ई. डी. उस पर आने वाले खर्च को ही जमा करता है और इन्होंने वह खर्चा जमा कराया है। कन्डक्टर्स, इन्सुलेटर्स और जमा कराने के बाद उनको कनेक्शन दिये गये हैं। वह उनकी निजी प्रापर्टी बन गयी। अब उस ट्रान्सफार्मर में से ये गांवों को विद्युत कनेक्शन नहीं दे सकते इसलिए वे गांव अभी भी विद्युतीकृत नहीं हैं। मेरा अनुरोध यह है कि दो वर्ष हो गए, उन गांवों के लिए विद्युतीकरण करने की घोषणा कर दी कि सम्पूर्ण टोडाभीम को विद्युतीकृत किया जा चुका है लेकिन दो वर्ष से आज तक ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था आप लोग नहीं करा पाये। जब गांवों में ट्रान्सफार्मर नहीं रखेंगे तो गांव वालों को कैसे विश्वास होगा कि हमारे यहां जल्दी बिजली आ रही है, इसके लिए एप्लीकेशन दें दो साल में कई जगह कन्डक्टर्स हैं उनकी चोरी कर ले गए लोग और आप आज भी यह मान रहे हैं कि हमारे वहां पर तार और खम्बे गड़े हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वरचुअली ग्राम कुडावल जहां कि 15 एप्लीकेशन्स एग्रीकल्चर कनेक्शन की पेंडिग हैं पिछले दो साल से और आज तक ट्रान्सफार्मर वहां नहीं रखा गया है। वहां पानी की इतनी बहुतायत है मेरी निजी जानकारी है कि एक कुएं पर 6-6 इंजिन लगे हुए हैं 11-11 हार्सपावर के और 6 के 6 इंजिन एक साथ स्टार्ट कर दिये जाते

(श्री हरिसिंह)

हैं। उसके बाद भी कुएं में पानी का अन्त नहीं है। इतनी जहां पोटेंशियलिटी वाटर की है वहां भी अगर एग्रीकल्चर कनेक्शन नहीं दें, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य किसान का और क्या हो सकता है?

मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं कि जिन गांवों का इलेक्ट्रिफिकेशन करने की बात की है- पंचला, चीगरिया, ये वे गांव हैं जहां पर पी. एच. ई. डी. को इन्होंने कनेक्शन दिये हैं। एग्रीकल्चर कनेक्शन, हाउस कनेक्शन, पावर कनेक्शन एक भी जारी नहीं किये हैं। अभी भी कुल 27 गांव सिवाय एक गांव मूड़िया को छोड़कर आपके विभाग की तरफ मुखातिब होकर बैठे हैं। एजिटेशन लोगों ने किया है, रास्ता रोका है, उसके बावजूद भी स्थिति वही की वही है। आज हकीकत तो यह है कि आपकी विद्युत सहकारी समिति का दीवाला निकल चुका है। आप ख्वामखाह इस वजह को अपने पर ओढ रहे हैं, ऊर्जा मंत्रीजी। यह काम तो इनको यह पता नहीं है, सहकारिता विभाग को कि हमारे इसमें क्या गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं क्या लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। जब-जब इन लोगों के पास जाते हैं तब ये कहते हैं कि हमारा कोई प्रशासनिक दखल इसमें नहीं है। यहां पर एम. डी. बोर्ड का बैठता है, यहां पर ए. ई एन. बोर्ड का बैठता है। बोर्ड वालों से जब हम बात करते हैं तो वे कहते हैं कि हमारा इसमें कोई प्रशासनिक कण्ट्रोल नहीं है, यह सब सहकारिता विभाग का है।

मैं एक और अनुरोध करना चाह रहा हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से कि राजस्थान के सोसाइटीज के रजिस्ट्रार के यहां महुआ सहकारी समिति की जो लोन एप्लीकेशन पिछले डेढ़ साल से पेंडिंग पड़ी हुई हैं 32 लाख रुपये लोन की, आप क्या वहां से जारी करवा सकते हैं? आपके पास क्या प्रशासनिक अधिकार हैं? क्या आप रजिस्ट्रार को कम्पैल कर सकते हैं कि आप अपनी आवश्यक सिफारिश करके आर. ई. सी. को भेज दीजिये? यह काम तो सहकारिता मंत्रीजी का है। सहकारिता मंत्रीजी रजिस्ट्रार महोदय....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, केवल विद्युत कनेक्शन के बारे में अपनी चर्चा को सीमित रखें।

श्री हरिसिंह : यह लिखा हुआ है। मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय सभापति महोदय, यह मामला ऐसा है....

श्री सभापति : वे सक्षम हैं अपनी बात कहने में।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : नहीं वे समक्ष हैं लेकिन आप समझे नहीं इस बात को। यह आर. एस. ई. बी. से ही सम्बन्धित नहीं है, यह को-आपरेटिव से भी सम्बन्धित है। इसलिये दोनों का ध्यानाकर्षित करना पड़ेगा।

श्री सभापति : मुझे पता है।

श्री हरिसिंह : तो आप अगर वे एप्लीकेशंस भिजवा देते हैं, सहकारिता मंत्रीजी....

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य से पूछें कि आप कब मेरे पास आये, कब मेरा ध्यानाकर्षण किया। इस सदन में मामला उठाने से पहले मुझे ग्रीवांसेज बताते। मैं सहकारी समिति से बात करता।

श्री हरिसिंह : माननीय मंत्रीजी, मैं आपकी सूचना के लिये बता दूं कि मैंने बजट सत्र में यह मामला उठाया था और आपने गर्दन हिलाकर यह कहा था कि मुझे जानकारी है।

मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। आप रजिस्ट्रार से कहिये कि तुरन्त आर. ई. को लोन एप्लीकेशंस की सिफारिश करके भिजवायें। मैं भरतपुर के जाइण्ट रजिस्ट्रार से मिला। उन्होंने कहा कि आपके यहां सोसाइटी में घपला बहुत है सोसाइटी में गबन के कैसेज की जांच चल रही है। गबन के कैसेज की जांच चल रही है इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विभाग को वाइण्ड-अप कर दिया जाय या उसको बन्द कर जाय और आप उसकी लोन एप्लीकेशंस नहीं भेजें। अगर आप 10 साल तक उसकी जांच नहीं कर पायेंगे तो 10 साल लोग बिजली की इन्तजार में बैठे रहेंगे? आप लोन एप्लीकेशंस नहीं भिजवायेंगे? यह आपके प्रशासन की अक्षमता है कि आप अपके अधिकारियों पर कण्ट्रोल नहीं पाते, आप अपने भ्रष्ट अधिकारियों को वहां से हटा नहीं पाते आप उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर पाते। बल्कि आप नुकसान पब्लिक को पहुंचा रहे हैं कि लोन एप्लीकेशंस को आज तक रोक कर डाल रखा है और उनको आर. ई. के पास आज तक नहीं भेजा। इससे कितना बड़ा नुकसान आज पब्लिक के साथ हो रहा है?

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि मामला दिनों से अटका हुआ है? आप अपने शब्दों में इसको ठीक कर लीजिये।

श्री हरि सिंह : मुझे सरकार से कहना है। मैं वर्मा साहब से अनुरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूं। सरकार में कोई भी हो, सरकार में वह हो या कोई और हो। अगर सहकारिता मंत्री आप नहीं रहेंगे तो सहकारिता विभाग सूना नहीं रहेगा। मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूं, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आप यह कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते कि उस सरकार ने नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे।

मैं, सभापतिजी, एक और अनुरोध कर रहा हूं। ऊर्जा मंत्रीजी, गांव कालचड़ी की पेयजल योजना के लिये एक लाख 33 हजार रुपया आज से 13 महीने पहले आपकी सोसाइटी में जमा हो गया जिसमें खम्भों की कीमत, कण्डक्टर्स की कीमत, इन्सुलेटर्स की कीमत, लेबर चार्जेज और ट्रांसफार्मर का पैसा यह सब कुछ एक लाख 33 हजार आपने जमा कर लिया। क्या अधिकार था कि वह पैसा आपने दूसरी जगह यूटिलाइज कर लिया? क्यों नहीं कालचड़ी की पेयजल समस्या का निराकरण किया? क्यों नहीं वहां के ट्यूबवैल्स् को आपने कनेक्शन दिये? 13 महीने से आपकी सोसाइटी उस पैसे के साथ खिल-

(श्री हरिसिंह)

वाड़ कर रही है वह योजना लागू नहीं हुई है। वहां की जनता पानी के लिये त्राहि-त्राहि मचा रही है।

यही एक योजना नहीं है। वास्तविकता यह है कि आपके पास अधिकारियों ने गलत तथ्य भेजे हैं 67 हजार रुपया आपके पास जमा है ग्राम पावटा की जलप्रदाय योजना के लिये। वहां पर आपने ट्रांसफार्मर का पैसा वसूल किया लेकिन आपका ट्रांसफार्मर आज तक नहीं लगा। वह जो पुराना पी एच. ई. डी. का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसी ट्रांसफार्मर से आप ट्यूबवैल्स को कनेक्शन देने के लिये उनसे बात कर रहे हैं। पी. एच. ई. डी. यह कह रहा है कि हमने आपका ट्रांसफार्मर का पैसा जमा कर दिया....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप ये सब बातें बता चुके।

श्री हरिसिंह : अच्छा। यह एक मामला था। नौ लाख रुपये खाये बैठे है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपका 40 साल का बिगाड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक करने में टाइम लगेगा।

श्री सभापति : पुनरावृति से कोई लाभ नहीं होगा। ये बातें बता चुके हैं? समय सीमा है। आगे बहुत विधायी कार्य है।

क्या विद्युत मंत्री प्रत्युत्तर देना चाहेंगे?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय, सभापतिजी, एक प्रश्न मैं भी पूछ लूं?

माननीय मंत्रीजी, क्या यह आपकी जानकारी में है कि तीन जो सहकारी समितियां हैं विद्युत के वितरण के सम्बन्ध में, ये तीनों सहकारी समितियां जबर्दस्त घाटे में चल रही हैं? क्या आपकी यह भी जानकारी है कि आप 14 पैसा प्रति यूनिट की दर से इन्हें बिजली देते हैं और ये कृषि उपभोक्ताओं को उसी रेट पर, जो 32-37 पैसा आजकल टेरिफ है, वापस देते हैं। फिर घाटे का कारण क्या है?

क्या कभी इस बात के लिये सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल दोनों ने मिलकर सोचा कि इन सोसाइटीज को खत्म कर दिया जाय? क्यों लाखों रुपये का घाटा वहन करें जब कन्ज्यूमर कोई फायदा नहीं है? जब कि आपका कर्मचारी न विद्युत बोर्ड के सीधे नियंत्रण में है और न सहकारिता विभाग के ही नियंत्रण में है, इसलिये यह एम्बिगुअस पोजिशन आज के दिन तीनों सहकारी समितियों की बनी हुई है और लाइन्समैन से लेकर और एम. डी. तक कोई भी अपनी जगह पर रहता नहीं है, कोई किसी के डायरेक्ट कण्ट्रोल में नहीं है, न विद्युत बोर्ड के है और न सहकारिता विभाग के ही है, कोई रहता नहीं चिल्लाते रहते हैं कन्ज्यूमर, कोई जाता नहीं। बड़ी खराब हालत है और घाटे का सौदा और है।

तो क्या आप सोच रहे हैं कि इन्हें बन्द करें या इनकी व्यवस्था को सुधारें? और व्यवस्था को सुधारने के लिये आपने मंत्री बनने के बाद कोई प्रयत्न किया क्या?

श्री हरिसिंह : मेरा कम्प्लीट कर लेता हूं।

श्री सभापति : कृपया समय का ध्यान रखें। आठ बजेंगे रात के। बहुत विधायी कार्य है। आप पूछ चुके सारी बात।

श्री हरिसिंह : कहां पूछ चुका ?

श्री सभापति : पुनरावृत्ति हो रही है। वैसे तो पूछ लेते और भी कोई बात हो तो कोई एतराज नहीं है।

श्री हरिसिंह : मेरा निवेदन सुन लीजिये। सभापति महोदय, आपको हमारे हितों की रक्षा करनी है। यह मेरे अकेले के हितों का सवाल नहीं है, तीन लाख पब्लिक के हितों की सुरक्षा का प्रश्न है। दो मिनट अगर और एक्स्ट्रा मुझे दे देंगे....

सभापति महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है, मैं रीपिटिशन नहीं कर रहा हूं कि इन्होंने खण्डेला, पूजर्ग पेयजल के लिये अपने स्टेटमेंट में यह कहा है कि वहां पर कनेक्शन दे दिया गया है। आप अभी कोई अधिकारी भेज दो और जांच करवा लो। खण्डेला जलप्रदाय योजना में तीन ट्यूबवैल गांव गोंडमीणा में बने हुए हैं। वहां पर पी. एच. ई. डी. ने अपने एक ट्यूबवैल में मोटर फांस रखी है, दो महीने से मोटर फिट कर रखी है। उसको कनेक्शन आज तक नहीं दिया गया है। यह सदन को गुमराह करने वाली बात है। आपके अधिकारियों आपको गुमराह किया है।

मैं इसमें आपसे एक और थोड़ा निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, हमारी पीड़ा आज पहचानने की कोशिश करिये। 31 ऐसे गांव हैं जहाँ पर आज तक खम्भे नहीं पहुंचे, तार नहीं खींचा और सरकारी फाइल में बिजली जल रही है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। दो साल से हमारा विभाग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। एक खम्भा नहीं खींचा, खंबे पर तार नहीं खींचा और इन्होंने रिकार्ड में 31 गांव विद्युतीकृत घोषित कर दिये हैं। मंत्री, आप चाहो तो इन गांवों के अलग नाम बता दूं और, सभापति महोदय, मुझे आप इजाजत दें तो मैं यहीं नाम बता दूं। गांव बड़ागांव, थानपुरा, तानचड़ी, सुल्तानपुर, मिल्कीपुरा, ओंड गूजर, ओंड ब्राह्मण, ओंड मीणा-आप विद्युतीकृत घोषित कर चुके हैं इन गांवों को और आज तक खम्भे तक खड़े नहीं हुए हैं। दो साल से गांवों को जगमगा कर रखा है, रोशनी फैला रखी है, इससे ज्यादा अव्यवस्था की बात और कौनसी हो सकती है।

हमारे निवर्तमान ऊर्जा मंत्री जी ने जो आपसे बात कही उसके सम्बन्ध में आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। आप कोई भी एक पक्का डिसीजन लो, अगर सोसाइटी चलानी है तो इनको ठीक ढंग से चलाओ ना चलानी है, महुआ ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति आज तक एक करोड़ रुपये के घाटे में है। वह घपला यह है कि न तो आपके कंट्रोल में है, न सहकारिता मंत्रीजी के कंट्रोल में है और वहां के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। इसलिये मैं आपसे यह अनुरोध कर रहा हूं, आप तुरन्त इन सोसायटीज की

(श्री हरिसिंह)

व्यवस्था सही करें। जिन गांवों को आपने विद्युतीकृत घोषित कर दिया है, एक्चुअली उनको आप विद्युतीकृत कर दें और साथ ही जो 32 लाख रुपये की लोन एप्लीकेशन सहकारिता रजिस्ट्रार के दफ्तर में पड़ी हुई है उस लोन एप्लीकेशन को तुरन्त भिजवायें तो वहां से पैसा आवे और शेष बचे हुए जो गांव हैं उनको विद्युतीकृत घोषित किया जा सके। खम्भे खरीदे जा सकें, कण्डक्टर खरीदे जा सकें और किसानों को एग्रीकल्चर के कनेक्शन मिल सकें, मैं यही आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) यह महुआ का मामला है। वे बात उठा चुके, बहुत स्पष्ट, विस्तार में जा चुके।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : यह जयपुर जिले का भी है।

श्री सभापति : इस समय तो प्रश्न केवल मात्र महुआ का है।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : बात एक ही है। बात बहुत महत्वपूर्ण है, बिजली से सम्बधित है।

श्री सभापति : इन्होंने उठाया है। मेरे पर कृपा करेंगे आप, सदन को आगे चलने दीजिये, मंत्रीजी जवाब देने दीजिये।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : ऐसा है, इतना हमें एडामेंट नहीं एडामेंट नहीं होना चाहिये।

श्री सभापति : बहुत आगे।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : ऐसी कोई बात महत्वपूर्ण आये उस पर....

श्री सभापति : महत्वपूर्ण क्या है आखिर में? बताइये, क्या महत्वपूर्ण है?

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्रीजी को यह जानकारी देना चाहूंगा कि इन तीन सहकारी सोसायटीज को, जैसा माननीय पूर्व मंत्री महोदय ने बताया, 14 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली आर. एस. ई. बी. वाले देते हैं और यह 36 पैसे और 37 पैसे प्राप्त कर रही हैं। इन तीन सोसाइटी में जितनी अव्यवस्था है, ऐसी राजस्थान में विद्युत मण्डल में कहीं भी किसी भी डिवीजन में नहीं है। आप कोटपूतली में जायेंगे तो एम. डी. कभी आपको सीट पर नहीं मिलेगा और उससे नीचे वाला जो ए. ई एन. है वह नहीं मिलेगा। फिर जे. ईएन. नहीं मिलेगा, फिर हैल्पर नहीं मिलेगा, फिर फर्स्ट नहीं मिलेगा, सैकण्ड नहीं मिलेगा।

श्री सभापति : यह बात कही जा चुकी है, माननीय सदस्य। बहुत विस्तार में कही जा चुकी है यह बात। आपने बल्कुल वहीं शब्द दोहराये हैं जो वे कह चुके हैं।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : नो, नो, नो। मैं यह नहीं यह कह रहा हूं, आप सुनिये तो सही। आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं?

श्री सभापति : मेरा काम है यह ।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : विद्युत मंत्रीजी, मैं यह कह रहा हूं, वे क्यों नहीं बैठते हैं ? वहां ऐसी स्थिति है कि जितनी मारपीट जितना भ्रष्टाचार, विद्युत वितरण में जितनी असमानता इन सहकारी समितियों के माध्यम से है, राजस्थान में कहीं भी नहीं है। कोटपूतली में जो सहकारी समिति है, उसमें कोई इंजीनियर है जिसको वहां के नीचे वाले कर्मचारियों ने एक महीने में एक बार नहीं पीटा हो ? आप रिकार्ड उठा कर देख लीजिये वहां की जनता रोती है। जनता ने कई बार राज्य सरकार को निवेदन किया है कि इन सोसाइटी से समाप्त करके वापस हमको आर. एस. ई. बी. के तहत गाइडेंस दिया जाय। जब हम 14 पैसे में बिजली देते हैं, 36 पैसे को-आपरेटिव वसूल कर रही है, वहां किसानों को बिजली असमानता में कहीं दो घंटे मिल रही है, कहीं 12 घंटे मिल रही है, प्योरली असमानता है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। भ्रष्टाचार का अगर सबसे ऊंचा दर्जा कहीं राजस्थान में है तो इन सहकारी समितियों में है। मेहरबानी करके आप इनको समाप्त करके आर. एस. ई. बी. को दे दीजिये।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी। कृपया सुनिये।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल सही है, सहकारिता के क्षेत्र में इन तीन सोसायटी के अन्दर जिस प्रकार की अव्यवस्था फैली उस अव्यवस्था की वजह से उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन के अन्दर बड़े भारी कष्ट का सामना करना पड़ा। यह एक प्रयोग किया गया था विद्युत सप्लाई के अन्दर शायद सहकारिता के क्षेत्र के अन्दर लोग मिलजुल कर अपनी व्यवस्था को ठीक करें। पर राजस्थान की दूसरी सहकारी समितियों ने जिस प्रकार से काम किया, जो गबन का था चाहे अव्यवस्था का था, उसमें ये भी कहीं पीछे नहीं रही। तो राज्य सरकार का करीब-करीब यह मन बन चुका है और पूर्व मंत्री ने ठीक बताया, उनके द्वारा कार्यवाही भी चालू कर दी गई थी उसको आगे हम बढ़ा कर इनको सुनवाई का मौका देकर इन सहकारी समितियों से वापस विद्युत मंडल को इनका कार्य लेने कार्यवाही शुरू कर रखी है।

जहां तक जलप्रदाय योजनाओं का प्रश्न है, हरिसिंहजी ने बिल्कुल सही फरमाया कि इन सोसायटीज की अव्यवस्था के कारण से लोगों को बराबर कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। इन सोसाइटीज के अन्दर वास्तव में जिस प्रकार की अव्यवस्था फैली हुई है, न तो कोई अफसर की परवाह करते हैं, जो भी कोई सामान ले जाकर लगाया जाता है तो उसकी चोरियां कर लेते हैं, पुलिस का मुकाबला करते हैं, चैकिंग करने नहीं देते। इसीलिये सहकारिता विभाग की तरफ से भी और विद्युत विभाग की तरफ से इन सोसायटी कार्य समाप्त करके वापस विद्युत मंडल में लेने की कार्यवाही शुरू कर रखी है।

श्री सभापति : चर्चा हुई समाप्त हुई। माननीय श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा, सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक के सम्बन्ध में सहकारिता मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, इम्पोर्टेण्ट सवाल है, आप यूं बाई-पास मत करिये।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक में अनियमितता

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय सभापति महोदय, सीकर के केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष और अधिकारियों की मिली भगत से बैंक में अनियमित ढंग से अक्टूबर, 1988 और जून, 1990 की समयावधि में कम्पोजिट ऋण योजना लागू करने और फर्जी तरीके से 90 लाख रुपये के ऋण बांट कर राजकीय राशि में भारी धोखाधड़ी की गयी है।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, वर्ष 1987 में श्री रामदेवसिंहजी महरिया केन्द्रीय सहकारी बैंक, सीकर के अध्यक्ष चुने गये। उनकी कार्यावधि के दौरान सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त होने पर श्री अशोक जैमन, तत्कालीन अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 19-4-91 को विभाग को प्रस्तुत की। उक्त जांच रिपोर्ट में उक्त बैंक में कम्पोजिट ऋण वितरण के सम्बन्ध में अनियमितताएं किये जाने की बात को सही माना गया है। जांच रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं....

श्री राजेन्द्र पारीक : इससे पूर्व जांच हुई, वह पैण्डिंग है क्या ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य का प्रश्न है, आप बिराजें तो सही।

श्री चतुर्भुज वर्मा : बैंक के विरुद्ध अपेक्स बैंक द्वारा ओवरड्राफ्ट होते हुए भी बैंक की पूंजी को कम्पोजिट ऋण में अग्रिम लेकर जून, 90 तक ब्याज के रूप में बैंक को घाटा पहुंचाया। बैंक के अध्यक्ष, श्री महरिया द्वारा कम्पोजिट ऋण दिये जाने के परिणामस्वरूप उसके बाद प्रति माह काफी हानि हुई है। सहकारी विभाग के स्पष्ट आदेशों के विरुद्ध चूना भट्टा हेतु ऋण स्वीकृत कर बैंक को हानि पहुंचाई। कुट्टी की मशीनों हेतु व्यक्तियों को गलत रूप से ऋण स्वीकृत कर बैंक की राशि को सुरक्षित करने के लिये अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराना। कम्पोजिट ऋण के उद्देश्यों के विपरीत आर्थिक रूप से या उन व्यक्तियों को अग्रिम करना, उनके लिये बैंक के प्रबन्ध संचालक स्पष्ट रूप से दोषी हैं। इस जांच रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कम्पोजिट ऋण वितरण किया गया। अनियमितता की कार्यवाही की उस समय

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

बैंक के अध्यक्ष श्री रामदेवसिंहजी महरिया थे। उनके सम्बन्ध में जांच चल रही है और जांच कराई गई है।

श्री सभापति : माननीय श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, उक्त जांच में उप रजिस्ट्रार बैंकिंग ने 29 मई, 1989 को वसूली के आदेश दिये थे। वसूली आदेश देने के बावजूद अभी तक वसूली नहीं की गई, क्या कारण हैं? किस-किस से कितनी कितनी वसूली करनी है, नाम और राशि बतायें। स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी कि अब ऋण नहीं दिया जाय, ऋण दिया गया। जिस उद्योग को ऋण दिया वह उद्योग कहां स्थित है? तथा कितना-कितना ऋण दिया है, किस-किस को ऋण दिया है, यह माननीय मंत्री महोदय बतायें।

श्री चतुर्भुज वर्मा : सभापति महोदय, इसकी प्रीलिमिनरी जांच कर रहे हैं। पूरी जांच करने के बाद उस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री मदन दिलावर : प्रारम्भिक जांच में क्या आया, किसने घोटाला किया, किसने जनता का सारा पैसा हड़पा, सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री सभापति : जांच हो रही है उसके बाद पता लगेगा। बिराजें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, सरकार को लाखों का चूना लगाया है। मैं जानना चाहता हूं कितने लाख का चूना उन्होंने लगाया?

श्री सभापति : आपका उत्तर आ चुका। उनकी जांच हो रही है। पूरी होने के बाद पता लगेगा....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर :....29 मई, 1989 के पत्र में बैंक ने स्पष्ट लिखा है कि सीमेंट और चूना उद्योग के लिए दिया गया ऋण नियम विरूद्ध है। अतः तुरन्त प्रभाव से वसूली की जाकर प्रधान कार्यालय को सूचित किया जाय। उन्होंने किस आधार पर वह वसूली के लिए लिखा, यह मैं जानना चाहता हूं। जांच हो चुकी है।

श्री सभापति : प्राइमाफेसी बेस पर लिखा है....

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, पूर्व सहकारिता मंत्री ने 90 लाख हड़पे हैं। जनता को धोखा दिया है....(व्यवधान) जनता की राशि को बरबाद किया है। मैं जानना चाहता हूं सहकारिता मंत्री जी से.... चूने के भट्ठे कहां पर स्थित हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति : उन्होंने ध्यानाकर्षण किया है। मैं बोलूंगा। उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। वे तो संतुष्ट हो जांय पहले।

श्री मदन दिलावर : पूर्व सहकारिता मंत्री जी ने जो कांग्रेस के सहकारिता मंत्री

(श्री मदन दिलावर)

थे, जिस प्रकार की धोखाधड़ी जनता के साथ की, जनता को किस प्रकार का घाटा पहुंचाया है और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का ताण्डव नृत्य इन लोगों ने किया है, उनके नाम सामने आने चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप तशरीफ रखिये, मैं आपका नाम बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : सभापति महोदय, अगर जांच की जा चुकी है तो केन्द्रीय अध्यक्ष, बैंक के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? (व्यवधान)

श्री सभापति : मेरा सवाल यह है कि आपका नाम नहीं बोला गया है, आप बैठ जाइये पहले। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं, क्या उक्त सहकारी बैंक को राज्य सरकार से पुरस्कृत किया गया और यह एग्रीकल्चर सेक्रेटरी उनको पुरस्कार दे रहे हैं ? एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया ?

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं जानना चाहता हूं कम्पोजिट लोन देने के लिए क्या राज्य सरकार के आदेश थे। और थे तो उनके अनुसार इस बैंक ने सर्वाधिक रिकवरी की ? 25% और 19% रिकवरी जिन तीन सालों में बैंक का कार्यकाल बताया गया है उसमें आई या नहीं आई ? मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि वर्ष 1986–87, 1987–88, 1989–90 में क्रमशः 74%, 73% और 70% रिकवरी हुई या नहीं ? और क्या उसके बाद के दो सालों 1989-90 और 1990-91 में रिकवरी केवल 10% और 12% रही ? क्या यह भी सही है कि इस बैंक को राज्य सरकार ने 1 लाख का पुरस्कार दिया ? क्या यह भी सही है कि बैंक की जांच आई. ए. एस. आफिसर रोहित चांडक ने की थी ? उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार प्रत्येक लोनी को जो लोन दिया गया वह सही दिया गया। जो लोन दिया है वह राज्य सरकार के आदेश से दिया है और उन व्यक्तियों को लोन मिला है। क्या यह भी सही है कि जो लोन दिया गया है उसकी रिकवरी भी सही ढंग से हुई ? उसके बाद क्या यह भी सही है कि अशोक जैमन जो रिटायर हो रहे थे जिनके ऊपर राज्य सरकार ने 50 लाख के गबन का आरोप लगाया, रिटायरमेंट से पहले उनसे दुबारा जांच कराई ? एक एस. पी. जांच कर रहा है उसकी थानेदार से जांच करवाना, जितना गलत है वैसे ही आई. ए. एस. द्वारा जांच कराई गई उसके बाद उसके मातहत आफीसर द्वारा इस तरह की जांच करवाना क्या सार्थक और न्यायोचित है ? इसके साथ-साथ जो माननीय सदस्य ने अभी पूर्व सहकारिता मंत्री के बारे में आरोप लगाये, वे बिल्कुल गलत हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि इस बैंक ने राज्य में सर्वाधिक अच्छा काम किया और उसको राज्य सरकार ने पुरस्कृत किया है। इन सारे प्रश्नों का जवाब दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : सभापति महोदय, मैं एक ही प्रश्न पूछना

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

चाहता हूं, जिस प्रकार से राज्य सरकार द्वारा इस जांच रिपोर्ट को अखबार में लीक किया गया, कराया गया, उससे साफ जाहिर है कि राजनैतिक पूर्वाग्रह से सारा मामला बनाया गया। नहीं तो इतनी गोपनीय रिपोर्ट सिर्फ राजस्थान के एक अखबार में प्रकाशित हुई और किसी अखबार को मिली नहीं। इससे यह बात साफ जाहिर है कि पोलिटिकली मोटिवेटेड रिपोर्ट थी और कांग्रेस के पूर्व मंत्री को बदनाम करवाने की नीयत से यह कार्यवाही की गई है। यह मेरा आरोप है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : भ्रष्टाचार को दबाने का प्रयास किया जा रहा है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : उनको तथ्यों की जानकारी नहीं है....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सभापति महोदय, 90 लाख रुपये एक आदमी के खाने की बात कहते हैं। आप समझते हैं 90 लाख कहां से उठावें, कहां लाकर रखें, कोई लाख, पचास हजार की बात हो तो अलग बात है। नब्बे लाख रुपया कितना होता है?

श्री सभापति : कृपया प्रश्न पूछें और टेलिग्राफिक लेंग्वेज में पूछें तो अच्छा हैं।

डा. हरिसिंह : क्या यह सही है कि उस वक्त के प्रबन्ध संचालक श्री आर. एल. मीणा थे और उनको बैंक में सर्टिफिकेट दिया गया कि बहुत बढ़िया काम किया?

श्री सभापति : यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आप पूछ लीजिए। मेरा निवेदन है कि पुनरावृत्ति न करें।

डा. हरिसिंह : अब सारा काम जो उन्होंने कम्पोजिट लोनिंग का सहकारी बैंक में किया वह कम्पोजिट लोगिंक की भारत सरकार की नाबार्ड की पालिसी है और वह यह थी कि जितने भी को-ऑपरेटिव बैंक है वे इण्टीग्रेटेड रूरल डवलपमेंट में भाग लें। 152 आइटम के लिए लोनिंग का था, यह आपको सब मालूम है। 152 में ग्रामीण जनता को, दस्तकारों वगैरह को लोन मिले ताकि गांव में इंटीग्रेटेड रूरल डवलपमेंट के हिसाब से काम हो। इस कम्पोजिट लोनिंग में जयपुर बैंक भी था, अजमेर भी था और बहुत जगह काम हुआ। उसी के तहत यह सीकर में लोन दिया गया। कोई अनियमितता नहीं हुई।

श्री सभापति : आप केवल प्रश्न पूछिये। आब्जर्वेशन मत दीजिए। सर्टिफिकेट मत दीजिए। केवल प्रश्न पूछ लीजिए। (व्यवधान) आर्डर प्लीज, माननीय परसादी-लाल जी। सुन लीजिए... (व्यवधान)

डा. हरिसिंह : मैं यह इसलिए बताना चाहता हूं। आप मेरे को लिमिट नहीं कर सकते कि सिर्फ प्रश्न पूछें। एलिगेशन लगाया गया है पूर्व सहकारिता मंत्री पर।

श्री सभापति : उसका जवाब आप नहीं देंगे। उनका जवाब सहकारिता मंत्री देंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ये तो पार्टी हैं।

श्री सभापति : उनका ध्यानाकर्षित किया गया है। यह प्रश्न ध्यानाकर्षण का है। और नियमों के अन्तर्गत हम केवल प्रश्न पूछ सकते हैं।

डा. हरिसिंह : जो लोनिंग हुई है वह नाबार्ड की पालिसी के अन्तर्गत हुई है। जहां तक जांच का सवाल है ब्रेण्डन जो शायद एडि. रजिस्ट्रार थे उन्होंने जांच की थी। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मेरा जवाब नहीं आने दे रहे हैं, मेरा जवाब दबाते जा रहे हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपका जवाब कहाँ से आएगा ? (व्यवधान)

श्री सभापति : केवल प्रश्न पूछिये। भाषण नहीं। (व्यवधान) केवल प्रश्न पूछ कर समाप्त करें। प्रश्न तक लिमिट नहीं कर रहा हूं। आप भाषण दे रहे हैं।

डा. हरिसिंह : मैं भाषण नहीं, इस बात को उजागर कर रहा हूं क्योंकि कि मेरे को मालूम है कि गलत ढंग से इसे पेश किया गया है। मैं इस बात को कहूंगा।

श्री सभापति : आप प्रश्न से पूछ लीजिए उस बात को।

डा. हरिसिंह : यह मैं नहीं होने दूंगा।

श्री सभापति : आप नियमों के बाहर नहीं जा सकते, माननीय डा. साहब।.... आर्डर प्लीज। कृपया बिराज जाइये। (व्यवधान) मैं आपके प्रश्नों को समय दे रहा हूं। (व्यवधान) आप आसन ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) माननीय हरिसिंह जी, आप बोल रहे हैं क्या ? (व्यवधान) आप बिराजिये। प्लीज, आसन ग्रहण कीजिये। आर्डर प्लीज (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, ये बेबुनियाद बातें करते हैं।

श्री सभापति : डाक्टर हरिसिंह जी, बोलिये, आप क्या बोल रहे हैं ?

डा. हरिसिंह : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। केवल सही जानकारी दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : आप इस तरह की पैरवी करके 90 लाख के भ्रष्टाचार को दबा नहीं सकते। जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वह कांग्रेस सरकार का है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। बैठ जाइये। प्रेम सिंहजी, बिराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : कम्पोजिट योजना के तहत 30,000 से ज्यादा का लोन नहीं दे सकते थे। सारे नियमों और कानून को ताक में रख करके सगे-सम्बन्धियों को 2-2 लाख रुपये के लोन दे दिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया आसन ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, इस+++को बात की पूरी जानकारी भी नहीं है। हम उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमें पूरी जानकारी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको +++नहीं बोलना चाहिये। यह+++शब्द हटा दीजिये।

डा. हरिसिंह : सभापति महोदय, मैं कह रहा था, उस समय के एडिशनल रजिस्ट्रार श्रीमान् ब्रेन्डन साहब ने इसकी डिटेल में इन्क्वायरी की ...(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, मेरा जवाब आने दीजिये। इनको बिठाइये। ये सदन का समय बेकार कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री मदन दिलावर : 90 लाख का मामला है। खूब खाया है।

श्री कालीचरण सराफ : मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इनके पेट में दर्द क्या हो रहा है। बात क्यों नहीं सुनते ? (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि.... (व्यवधान)

श्री सभापति : कार्यवाही को आगे चलने दीजिये।

श्री हेमराज मीणा :...और चैयरमेन के खिलाफ पूरे तथ्य सामने आ चुके हैं तो फिर ऐसे मामले को क्यों दबाया जा रहा है ?

श्री सभापति : कृपया बैठ जाइये। मैं फिर आपसे बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात प्रश्नों के माध्यम से कहें तो उचित रहेगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप उन पर प्रश्न चिह्न लगा दीजिये।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये भ्रष्टाचार में आंकठ डूबे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बैठिये। माननीय विश्नोईजी। (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आपकी सरकार ने पूरी सहकारी समितियों में जितना भ्रष्टाचार किया है, इतना पैसा आपकी सरकार ने हमें नहीं दिया है। आज तक जिस मीठालाल मेहता पर स्पेसिफिक प्रश्न लगाये, उसको मुख्यमंत्री जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप ?

+++शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

एक माननीय सदस्य : कुट्टी मशीन से 90 लाख रुपये का कूट-कूट कर चूरमा खा गये।

श्री सभापति : माननीय गहलोत जी। विश्नोईजी खड़े हुए हैं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप भ्रष्टाचारियों को हमेशा दबाते हैं। उनको सरंक्षण देते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय विश्नोईजी। महावीरजी, बैठिये आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पकड़-पकड़ कर ठोकेंगे, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : माननीय सभापति महोदय, आपने अभी व्यवस्था दी कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के वक्तव्य के बाद में केवल प्रश्नों द्वारा ही स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। यह बात वैसे तो सही है लेकिन यदि कोई विवादास्पद मामला हो अथवा मानहानिकारक मामला हो तो केवल प्रश्नों के माध्यम से यदि वह स्पष्टीकरण नहीं आ सकता तो कोई भी व्यक्ति यदि मानहानिकारक मुद्दा आया है और जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप लगाये गये हैं वह उपस्थित नहीं हो तो अन्य किन्हीं महानुभाव या माननीय सदस्य की जानकारी में कोई तथ्य हो तो उसको अन्य रूप में सिवाय प्रश्नों के भी बराबर स्पष्टीकरण दे सकता है।

श्री सभापति : क्या इस प्रकार की बात नियम एवं प्रक्रिया के नियम 131 से सम्बन्धित है?

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह तो पूरी प्रक्रिया में है। कभी भी कोई मानहानिकारक मामला हो तो....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजिये। कृपया सुन लीजिये।

एक माननीय सदस्य : चोर की दाढ़ी में तिनका।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं पूनमचन्द जी विश्नोई साहब से पूछना चाहूंगा कि क्या नियमों में कोई प्रावधान है कि....

श्री सभापति : माननीय विश्नोई जी, नियम संख्या 290 कहता है कि लोक महत्व के किसी विषय पर अध्यक्ष की सहमति से मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकता है किन्तु जिस समय वक्तव्य दिया जाय, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाय।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : वक्तव्य दिया जाय उस समय नहीं पूछा जाय लेकिन....

श्री सभापति : यदि प्रश्न हो तो प्रश्न तो बाद में पूछा जा सकता है, इस पर भाषण नहीं दिया जा सकता है, स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपके सामने ऐसी समस्या है और उसका समाधान किस रूप में हो सकता है, उसी तरीके से हो, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ये एक गली निकाल रहे हैं कि कैसे बचा जाय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको तो बहुत अनुभव है। आप इस आसन पर बहुत विराजमान रहे हैं। कई व्यवस्थाएं आपने दी हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मेरा निवेदन यह था कि स्पष्टीकरण मांगे कोई तो स्पष्टीकरण केवल प्रश्नों के रूप में नहीं हो। जैसे यह कि मानहानिकारक मामला उठाया गया तो उस समय जैसाकि मैंने पूर्व में निवेदन किया है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ मानहानिकारक आरोप लगाये जाते हैं, वह उपस्थित नहीं हो और किन्हीं अन्य माननीय सदस्य की जानकारी में कोई बात हो तो वह प्रश्नों के रूप में, स्पष्टीकरण के रूप में कह सकता है क्योंकि जो विषय सदन के समक्ष आ जाता है उसको एक तरफा नहीं लिया जा सकता, वह तो पूरे सदन की सम्पत्ति हो जाता है। उस समय किस तरीके से सदन संतुष्ट हों, वह बात उसी रूप में कही जा सकती है। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : जितनी मेरी जानकारी है, मानहानि के विषय के अन्दर यदि वह सदस्य मौजूद नहीं हो तो बाद में वह अपना स्पष्टीकरण दे सकता है और उसकी चर्चा हो सकती है।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : सदन उसको इस तरह से जाने नहीं देगा। अगर कोई माननीय सदस्य आपत्ति करता है तो....

श्री सभापति : नियमों में तो नहीं है परन्तु आज जब कह रहे हैं तो मैं आपकी बात सुन लेता हूं। कृपया, डाक्टर हरिसिंह जी, बोलिये।

डा. हरिसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि श्रीमान् ब्रेन्डल साहब ने इसकी डिटेल में इन्क्वायरी की। अब सवाल इस बात का पैदा होता है कि बैंक के कार्यक्रम अथवा बैंक के संचालन में अध्यक्ष कहां तक जिम्मेदार हैं लोनिंग में, पालिसी मैटर्स में। लोनिंग में सारा का सारा एम. डी. एक्जामिन करता है, स्टाफ डेपूट होता है। मशीन खरीदी जाती है तो वह रिपोर्ट करते हैं। अध्यक्ष तो किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होता। कल को अगर कोई थानेदार बेइमानी करता है तो माननीय मुख्य मंत्री जी जिम्मेदार थोड़े ही होंगे। कल को पटवारी कोई बेइमानी करता है तो मुख्य मंत्री थोड़े ही जिम्मेदार होंगे। ऐसे ही बैंक के संचालन में बोर्ड के पालिसी मैटर्स में हमेशा फैसले होते हैं और वे फैसले लागू होते हैं। कम्पोजिंग लोनिंग के फैसले एक ही बैंक में नहीं हुए, बहुत-सी बैंकों में हुए और जयपुर बैंक में भी कम्पोजिंग लोनिंग का किया है। अगर किसी ने मशीनरी नहीं खरीदी तो चैयरमेन नहीं जाएगा। एक आदमी, जो कन्सर्ड है, लोनिंग बाबू है, वह जाकर वेरीफाई करता है लोन सेंक्शन कमेटी करती है, बोर्ड करता है तो इसमें श्री रामदेव सिंह जी डाइरेक्ट इन्वाल्व कैसे हो सकते हैं? कोई उनका लेनदेन नहीं है, यह सारा पोलिटिकल मामला है और सहकारिता मंत्री जी ने मिलजुलकर यह मामला किया है। यह आरोप है सरकार पर कि किसी व्यक्ति पर, व्यक्तिगत रूप से किसी चैयरमेन पर....

श्री महावीर प्रसाद जैन : भ्रष्टाचार को पोलिटिकली अराइर्ज कर दिया ।

श्री हरिसिंह : यह लांछन लगाना कि उसने बेइमानी की है । ऐसे तो राजस्थान सरकार में हमेशा घोटाले हैं, मुख्य मंत्री जी शामिल हैं क्या ? (व्यवधान)

यदि अध्यक्ष बैंक का चैररमेन है, किसी इंस्टीट्यूशन में घोटाले होते हैं तो वह जिम्मेदार थोड़े ही है, चैयमेन थोड़े ही है जिम्मेदार तो वह है जिन्होंने फाल्स लोनिंग दी है....

श्री सभापति : आपकी बात खत्म हो गई ?

डा. हरिसिंह : सर्टिफिकेट गलत दिये हैं उनके खिलाफ तो कार्यवाही करो ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपकी बात खत्म हो गई । कृपया आसन ग्रहण कीजिये । इसे डिबेट का प्रश्न मत बनाइये । डिबेट अलाउ नहीं होगी ।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, ये चोरी और सीना जोरी कर रहे हैं । 90 लाख का घोटाला है और चोरी और सीना जोरी कर रहे हैं ।

श्री परसराम मोरदिया : माननीय सभापति महोदय, माननीय सहकारिता मंत्री ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जो बताया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जांच अधिकारी आपने नियुक्त किया था श्री अशोक जैमन । सभापति महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जांच अधिकारी जी आज तक सीकर नहीं गए और जयपुर में बैठे-बैठे उन्होंने जांच कर ली । जांच अधिकारी आज तक सीकर न गये और रामदेव सिंह जी को लपेट लिया और वहां के चैयरमेन को लपेट लिया । अशोक जैमन रिटायर हो रहे थे, उसको आपने जांच अधिकारी बनाया ताकि उनका रिटायरमेंट हो सके । उसके पहले हनुमानगढ़ में जांच अधिकारी वहां एम. डी. थे और आडिट रिपोर्ट में 40 लाख का गबन दिखाया है । वहां एम. डी. थे और आडिट रिपोर्ट ने 40 लाख रुपये का गबन निकाला है, उसको आपने जांच अधिकारी बनाया ।

श्री मदन दिलावर : 90 लाख कहां है और 50 लाख कहां है ?

(4.00 म. प.)

श्री परसराम मोरदिया : आप सुनिये । उसके खिलाफ 40 लाख का गबन है और उसी को आपने जांच अधिकारी बनाया और जांच अधिकारी आज तक जांच के लिए सीकर नहीं गये । यहां जयपुर में बैठे-बैठे जांच कराई, वहां से कुछ लोगों को बुलाया गया, उनसे बयान लिये गये और रिकार्ड नहीं देखा गया । रिपोर्ट बनाई गई । इसमें आपने 90 लाख का हल्ला अखबारों में कर लिया । मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि, आप कांग्रेस के नेताओं के नाम से भ्रष्टाचार करना चाहते हो, आप राजस्थान को लूटना चाहते हो और कांग्रेसियों पर डालना चाहते हो ।

श्री सभापति : मोरदिया जी कृपया बिराजिये ।

श्री परसराम मोरदिया : शर्म आनी चाहिए आपको इस बात के लिए । आपको पूरी जांच करानी चाहिये ।

श्री सभापति : बिराजिये। माननीय विश्नोई जी कुछ बोल रहे हैं। आप बिराजिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सहकारिता मंत्री जी से प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या किसी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष को सीधे ही कोई रकम उठाने का अधिकार है, एक रुपया भी ? इसका जवाब दे दीजिए। क्या केन्द्रीय बैंक के चैयरमेन को एक रुपया भी उठाने का अधिकार है ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं। सब बातें आ चुकी हैं।

श्री परसादीलाल जी।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, अशोक रोहतास ब्राण्डन की रिपोर्ट थी, वह राज्य सरकार को कब मिली और उस रिपोर्ट में कितने प्रकार की अनियमितताएं पायी गई, या नहीं पायी गयीं ? राज्य सरकार ने उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की और जो अशोक जैमन एडीशनल रजिस्ट्रार थे विभाग के, उन्होंने किस तारीख को राज्य सरकार को रिपोर्ट दी और उनके रिटायर होने की तारीख क्या थी ?

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं। एक इनक्वायरी आफिसर लगाया, एडीशनल रजिस्ट्रार की हैसियत का आफिसर, सीनियर मोस्ट, रजिस्ट्रार से नम्बर टू, उसकी रिपोर्ट पर सरकार ने रिलायन्स प्लेस नहीं किया। फिर मिस्टर जैमन को लगाया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के अखबारों में पिंक सिटी सोसायटी को लेकर पिछली दफा यह बात आई है कि आपने एक को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के चुनाव करवाने के लिए तीन दफा आफिसर बदले। जो कनवीनियेन्ट और जो आपके इरादों के अनुरूप चलने वाले आफिसर हैं, उनको लाने के लिये आप पूरी को-ऑपरेटिव मशीनरी को डिमोरलाइज कर रहे हैं। उनको आप इनडिपेंडेंट, फेयर, एण्ड जस्ट काम नहीं करने दे रहे हैं। मैं सी. सी. बैंक का, मुख्यमंत्री जी और सहकारिता मंत्रीजी, कोर्ट के स्टे से राजस्थान का आखिरी आदमी हूं जिसने अपने पद को छोड़ा है। मेरे केस में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद आर्डिनेंस को स्टे कर दिया था। इसलिए जब मुझे आपकी एप्लीकेशन दी, उस पर बहस हुई। मैं 1958 में फर्स्ट चेयरमैन बना था नोन आफिशियल, पूरे स्टेट में एक ही डिस्ट्रिक्ट का चुनाव हुआ था और उसके 28 साल के बाद में for the Corporation, Board of Directors निर्णय लेती है। लोनी अगर डिफाल्टर है तो लोनी के ऊपर केस बनेगा। चैयरमैन का क्या कसूर है और चेयरमैन कहां पर रेस पोंसिबल है। चेयरमैन ने कोई जुर्म न किया है क्या ? यह कहां पर आपकी रिपोर्ट में शिकायत आयी है कि जो कोई भी मनी एडवांस की गई या लोनी को न देकर चेयरमैन ने अपने पास रख ली। अगर लोनी को मनी चली गई है और उसने उसका सदुपयोग नहीं किया है तो वह रेसपोंसिबल है, he showd be hanged by the nearest lamp-post.

श्री सभापति : माननीय मुख्य मंत्रीजी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : सभापति महोदय, जिस प्रश्न को लेकर यह विवाद उत्पन्न हुआ है, उसके सम्बन्ध में मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें राजनीति किसी प्रकार की नहीं है । कोई यह समझे....

श्री यदुनाथ सिंह : सहकारिता मंत्रीजी को इनकोम्पीटेंट सिद्ध कर रहे हैं, यह राजनीति है । आप उनको जवाब देने दीजिए ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सहकारिता मंत्रीजी बहुत कोम्पीटेंट हैं लेकिन मैं जिला सीकर का रहने वाला हूं, मुझे और भी कुछ मालूम है ।

श्री परसराम मदेरणा : एक सिनेमा का गाना है कि दिल में सच्चाई रहती है और होठों पे सफाई रहती है । मुख्य मंत्री जी, आप इसके इक्सेप्शन हो । होठों पे तो सफाई है, अन्दर क्या है क्या नहीं है, राजनीति है कि नहीं है, इस पर मेरा क्वेश्चन मार्क है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको इतना विश्वास दे सकता हूं, मदेरणा साहब, इसमें कतिपय राजनीति मेरी तरफ से नहीं है और न ही सरकार की तरफ से है । अब आप सुनेंगे कि राजनीति कहां से आयी है । यह कोई बी. जे. पी. के लोगों ने शिकायत नहीं की न मंत्री महोदय ने अपनी तरफ से इस सम्बन्ध में कोई इनीशियेट करके कोई कार्यवाही की । सबसे पहले शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शिकायत प्रस्तुत हुई, और वह हमारी सरकार को प्रस्तुत नहीं हुई । वह पिछली वाली सरकार को प्रस्तुत हुई । अब इससे तो आप यह मान लीजिए कि इस मामले में सुओमोटो कार्यवाही करने की या इनीशियेटिव लेने की बात नहीं है । माननीय सदस्य चाहें तो मैं वह एप्लीकेशन भी पढ़कर सुना दूं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इसमें राजनीति नहीं है तो मैं इनकी बात स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं । अगर राजनीति नहीं होती तो सिर्फ एक ही अखबार में यह इनक्वायरी रिपोर्ट लीक नहीं की जाती । लीक की गई है । यह डेलीबरेटली सभी अखबारों को दी जाती अगर सरकार की नीयत साफ होती । आपने एक ही अखबार को डेलीबरेटली दी और आपके कार्यालय से लीक की गई है । मुख्य मंत्री जी, आपके कार्यालय से इस प्रकार की जा रही हैं, यह बहुत ही अनुचित बात है । इसलिए, आप तो कहते हैं कि राजनीति नहीं है, मगर मैं कहता हूं कि पूरी राजनीति के सिवाय इसमें कुछ भी नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता । जिन कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों ने शिकायत की है, वह राजनीति के आधार पर की है या और किसी आधार पर की है, यह तो आपको अनुमान लगाना है कि कांग्रेस पार्टी की शिकायत राजनीति से प्रेरित है या तथ्यों से प्रेरित है । मैं समझता हूं कि आपस के झगड़ें में मेरा दखल देना उचित नहीं होगा ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपकी जानकारी में है। आपकी जानकारी में यह भी है कि सीकर जिले में कांग्रेस का झगड़ा है।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें तो उचित रहेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी अपनी बात समाप्त करें, उसके बाद बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री ईश्वरलाल सैनी : उस टाइम की तो सबकी कम्पलेण्ट है। यह उसी को कहां से निकालकर ले आये।

श्री सभापति : सैनीजी बिराजिये आप। माननीय सदस्य बिराजिये।

श्री परसराम मदेरणा : झगड़ा तो, खैर, नहीं है, लेकिन, माननीय मुख्यमंत्रीजी, उनके सम्बन्ध मधुर नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किनके ?

श्री परसराम मदेरणा : डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सम्बन्ध जो आपस में रहने चाहिये, उसकी मुझे जानकारी है। क्योंकि मैं भी एक पार्टी से संबंधित हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी के सम्बन्ध आपस में मधुर नहीं होंगे लेकिन मेरे और रामदेव जी के सम्बन्ध बहुत मधुर हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : लोक सभा के चुनाव से पहले ठीक था, बाद में उन्होंने आपका नहीं माना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने क्या कहा था और क्या नहीं माना।

श्रीमती सुमित्रासिंह : कि मधुर है आपके शब्द।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बताओ ना मैंने क्या कहा था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम यह कह रहे हैं कि जुबान के तो सब के साथ मधुर हैं आपके संबंध।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल्ला साहब से एक बात पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि....

एक माननीय सदस्य : सब से मधुर तो ललितकिशोर से हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल्ला साहब किस से मधुर सम्बन्ध है, किस से नहीं हैं ? मैं कल्ला साहब से यह पूछना चाहता हूं, आपने यह कहा कि चुनाव के पहले रामदेव सिंहजी से मधुर सम्बन्ध थे और अब मधुर सम्बन्ध नहीं हैं। क्या कारण था जिससे हमारे सम्बन्ध बिगड़ गये ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बलरामजी जाखड़ का समर्थन किया।

(4.10 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मतलब यह था, अब आप अन्दाज लगा लें कि रामदेव सिंह जी के बारे में आप लोगों की धारणा क्या है। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, मैं केवल इतना ही निवेदन करना

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

चाहता हूं कि जैसे माननीय सदस्यों से मैंने निवेदन किया कि इसमें राजनीति नहीं है। यह एप्लीकेशन आयी, एप्लीकेशन के साथ 3-4 पेज की एक चार्जशीट आयी और चार्जशीट पर गवर्नमेण्ट से यह चाहा गया कि इसमें इन्क्वायरी की जाय। उसके ऊपर उस समय कई बार इन्क्वायरी के आदेश हुए पूर्व सरकार के और कई बार आर्डर्स् को विथड्रा कर लिया। यह कागजात यूं ही पड़े रहे उसके बाद में यह इन्क्वायरी हुई और इन्क्वायरी ब्रेण्डन ने की, उसने अपनी इन्क्वायरी कम्प्लीट नहीं की और अपनी इन्क्वायरी रिपोर्ट में यह लिखा कि सैक्शन 17 में जो इन्क्वायरी हो रही है और जिसके लिये कार्यालय से आदेश जारी हुए हैं वह इन्क्वायरी कम्प्लीट करायी जाय। उस आधार पर रेमन को नियुक्त किया। अब इसमें किसकी जिम्मेदारी है यह तो मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा। बैंक में क्या-क्या अनियमितताएं हुई हैं उनका उन्होंने उल्लेख किया। अब बैंक का अध्यक्ष कौन है, मंत्री कौन है, कोषाध्यक्ष कौन है, बाकी के बैंक के डाइरेक्टर्स कौन हैं किस की कितनी रेस्पोन्सिबिलिटी है, यह क्वेश्चन तो इन्क्वायरी का है। बिना इन्क्वायरी के आपने रामेश्वर सिंह का नाम बार-बार लिया। आपने बार-बार नाम लेकर दूसरे लोगों को···· (व्यवधान) वह अध्यक्ष है। मैं तो आज भी कहता हूं अध्यक्ष है। लेकिन किस अध्यक्ष की कितनी जिम्मेदारी है यह तो क्वेश्चन इन्क्वायरी का है, इन्क्वायरी से अपने आप स्पष्ट हो जायेगा कि कौन कितना दोषी और कितना नहीं है। इसलिये ब्रेण्डन की इन्क्वायरी के बारे में आप कहे, एक सीनियर आई. ए. एस. आफिसर से इन्क्वायरी करायी थी। यह सही है कि सीनियर इन्क्वायरी आफिसर ने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी थी, उसी रिपोर्ट पर उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि सैक्शन 17 में जो इन्क्वायरी के आर्डर जारी किये गये हैं उन आदेशों के अन्तर्गत इन्क्वायरी करायी जाय और उसको पूर्ण कराया जाय। रेमन को नियुक्त किया गया। रेमन ने इन्क्वायरी की रिपोर्ट दे दी और अब उस रिपोर्ट पर कानूनी जो कार्यवाही हो सकती है वह होगी इसमें आप यह राजनीति लाकर रामदेवसिहजी या उनके परिवार को फंसाना क्यों चाहते हो, मेरे यह अभी तक समझ में नहीं आया। इसलिये अब इस मामले को यहीं बन्द करिये, मैं आपको फिर आश्वस्त करता हूं कि राजनीति आधार पर उसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप मेरे को दो सवाल का जवाब दे दीजिये। क्या यह सही है आपसे कार्यालय से सुनियोजित तरीके से एक समाचार पत्र, राजस्थान पत्रिका, और कोरेंस्पोण्डेण्ट गोपाल शर्मा द्वारा डेफीनेट टाइम स्पेसिंग के साथ कांग्रेस के मिनिस्टर्स के खिलाफ आप न्यूज प्रकाशित करवाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वहां उपस्थित थे क्या ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अखबार पढ़ता हूं, और अखबार मैं ऊपर से नीचे तक पढ़ता हूं, यह भी पढ़ता हूं और राजनीति समाचार मैं यह देखने की कोशिश करता हूं कि इस समाचार की उत्पत्ति का स्रोत क्या है। तो मुख्य मंत्रीजी आपकी पोलिटिक्स पोलिटिक्स नहीं है। मुख्य मंत्रीजी, क्षमा कीजिये ओथ आफ एलिजियेंश टू दी कन्स्टिट्यूशन है उसको भी आप वायलेट कर रहे हैं। आप जाँच कराइये, अगर कांग्रेस के किसी मिनिस्टर ने कहीं कोई घपला किया है, उसके रिश्तेदार ने किया है तो आप जाँच कराइये, आई एम विद् यू, मैं कतई इसमें आपको अवरोध पैदा करने वाला नहीं रहूंगा। यह करेक्टर एसेसियेशन क्या करते हो और फिर आप उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हो। यहाँ तो आपने मिनिस्टर से कहलवाया। श्री रामदेव सिंह मेहरिया का नाम किस ने उठाया ? हमने उठाया क्या ? आप उठा चुके हैं, आप राजस्थान पत्रिका में पहले उठा चुके हैं, गोपाल शर्मा के माध्यम मे उठा चुके हैं, आप श्री गोविन्द सिंह गुर्जर का नाम भी उठा चुके हैं. आप श्री शिवचरण माथुर का भी नाम उठा चुके हैं। भैरोंसिंह जी, क्या बात करते हो, आप तथ्यों पर आवो। कांग्रेस मैन पर अगर आपको गिल्ट लगता है तो आप प्रोसीक्यूट क्यों नहीं करते हो ? लेकिन आप कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ इस तरह से करेक्टर एसोसिनेशन कराते हैं, आपको बता देता हूं, मुख्य मंत्रीजी, कोई कांग्रेस मैन की गलती हो तो आप प्रोसीक्यूट कीजिये लेकिन हम यह बात बर्दास्त करने वाले नहीं हैं। आप जिस लैंग्वेज में कांग्रेस पर अटैक करेंगे उसी लैंग्वेज के आपको जवाब भी दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़े आवेश में और बड़े धमकी भरे शब्दों में यह कहा कि जवाब दिया जायेगा। वह जवाब सुनने को, जवाब का जवाब देने को मैं तैयार हूं। लेकिन इतना आवेश में आने की जरूरत नहीं है। मैं एक और बता दूं आपको कि करप्शन के मामले में कोई कमजोर व्यक्ति होगा वह प्रेस का सहारा लेगा लेकिन मेरे सामने कोई करप्शन का मामला आ गया और यदि कानून का उल्लंघन हुआ तो मैं निश्चित रूप से एक्शन लेऊंगा, मुझे अखबार में जाने की जरूरत नहीं है।....

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं यह कह रहा था....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय व्यासजी, चर्चा समाप्त हुई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं तो अखबार में मैं दे रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरी सुन लीजिये, अखबार में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आपने नाम लिया गोपाल शर्मा का और राजस्थान पत्रिका था। राजस्थान पत्रिका और गोपाल शर्मा आपकी आंखों में खटक रहे हैं क्या ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं खटक रहे हैं। गोपाल शर्मा मेरा मित्र है। राजस्थान पत्रिका का उतना ही सम्मान करता हूं। सवाल यह नहीं है, सवाल आपके.... (व्यवधान)

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

अखबार को तो न्यूज मिलेगी तभी छापेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना बता दूं, आप अगर मेरा विश्वास करेंगे तो इतना मान लीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : भैरोंसिंहजी, कोई भी अखबार छापेगा। आप टाइम्स आफ इण्डिया को अगर लीक आउट करेंगे तो वह छापेगा, हिन्दुस्तान टाइम्स भी छापेगा। अखबार तो छापेगा। सवाल तो यह है कि आपके यहां से लीक हो रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह समझता हूं, मैं लीक आउट क्यों करूंगा, जरूरत क्या है मुझे लीक आउट करने की।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिल्कुल आपके आफिस से हो रही है, कोई करवा रहा होगा... (व्यवधान)

आपके पास एवीडेंस नहीं है। आप कांग्रेस मैन के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते हो, इसलिये नहीं कर सकते हो कि कांग्रेस मैन ने ऐसी कोई गलती की ही नहीं और आप जो प्रैक्टिस अपनाते हो, आप क्या करते हो, एक तरीके से लीक आउट करते हो और फिर अखबार में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय व्यासजी, चर्चा समाप्त हुई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह सवाल नहीं है, श्री मेहरिया का सवाल नहीं है, श्री रामदेव सिंह का सवाल नहीं है।....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, व्यासजी।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता के हित में एक शुद्ध ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, एक पर्टिकुलर इन्स्टेंस भ्रष्टाचार का था उसके बारे में अब जो राजनीतिकरण किया है, बड़े अफसोस की बात है। राजनीतिकरण करने में कांग्रेस पार्टी ने और बी. जे. पी. ने दोनों ने हिस्सा लिया है। मेरा निवेदन है कि शुद्ध मेरिट पर लिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र-अधिसूचना। माननीय श्री गंगारामजी चौधरी।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

अधिसूचनायें

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उपनिवेशन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या प. 4 (27) राज./उप/84 दिनांक 22 अप्रैल, 1991 जिसके द्वारा इन्दिरा गांधी नहर, भाखरा एवं गंग नहर परियोजना के अन्तर्गत स्थित कतिपय क्षेत्रों को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 13 की उप धारा (1) के प्रवर्तन से अपवर्जित किया गया है।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (21) रेव/कोल/79 दिनांक 21 मई, 1991 जिसके द्वारा राजस्थान कोलोनाइजेशन

(श्री गंगाराम चौधरी)

प्रोजेक्ट एरियाज ब्रिकलिन (लीजेज) कण्डीशन्स, 1956 में संशोधन किये गये हैं।

(3) अधिसूचना संख्या प. 4 (73) उपनिवेशन/80 दिनांक 6 जुलाई, 1991 जिसके द्वारा मण्डी विकास समिति, हनुमानगढ़ में पद स्थापित नायब तहसीलदार को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत उनके सम्बन्धित क्षेत्राधिकार में कलक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिये नियुक्त किया गया है, एवं

(4) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) राज/उप/89 दिनांक 29 अगस्त, 1991 जिसके द्वारा लघु सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में जिला कलक्टर को अपने स्थानीय सीमाओं के भीतर-भीतर किसी क्षेत्र को उपनिवेशन क्षेत्र घोषित करने या उपनिवेशन क्षेत्र से सम्पूर्ण या उसके किसी भी भाग को बाहर निकालने हेतु अधिकृत किया गया है।

प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिवेदन। श्री कृष्ण कुमार गोयल।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अन्तर्गत दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन 1989-90 सदन की मेज पर रखता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा। दो याचिकायें उपस्थापित करेंगे।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिला बून्दी की पंचायत समिति तालेड़ा के ग्राम कुन्दालिया में प्राथमिक पाठशाला खोले जाने विषयक पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

2. ग्राम पंचायत भैरूपुरा ओझा के बारवास तहसील बून्दी में प्राथमिक पाठशाला स्वीकृत कराये जाने विषयक, पाँच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल बारूपाल। (अनुपस्थित)

(4.20 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

विधायी कार्य

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991

परिनियत संकल्प

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य, राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991। परिनियत संकल्प।

श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, 27-8-1991 को जो अध्यादेश राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में मैंने एक प्रस्ताव दिया है—"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

दिनांक 27 अगस्त, 1991 को प्रख्यापित राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या-6) को अस्वीकार करता है।''

श्रीमान्, राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 27 अगस्त, 1991 प्रख्यापित किया गया और 10 सितम्बर को असेम्बली आ रही थी। कोई 14–15 दिनों में ऐसा परिवर्तन नहीं आ गया था जो अध्यादेश जारी करना पड़ा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 में बना और बनने के बाद जो आज यह संशोधन किया गया है उसके बारे में तो सदन में कांग्रेस के लोगों ने कई बार आवाज उठायी है कि सरकारी जमीन है अथवा नगरपालिका की जमीन है उस पर कोई नाजायज कब्जा करता है तो उसे क्रिमनल आफेंस डिक्लियर कर दिया जाय। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जो संशोधन सरकार ने इस अध्यादेश के माध्यम से किया है उसको मैं काले कानून की संज्ञा दूं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। उन्होंने मूल अधिनियम की धारा 170 की उपधारा (11) के स्थान पर जो नया उपबंध किया है उसमें पहले 200 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान था उसको 10 हजार रुपये तक किया है और तीन माह के कारावास की सजा।

अध्यक्ष महोदय, किसी व्यक्ति ने अपने घर में कोई बरामदा निकाल लिया या रोशनदान में परिवर्तन करा लिया और उसके बाद खिड़की को दो चार ईंच बढ़ा दिया और वह नक्शे में पास नहीं है तो उसका प्रोसिक्यूशन किया जा सकेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने देखा कि रोशनदान से पूरा प्रकाश नहीं आ रहा है उसको थोड़ा बड़ा कर दिया, बड़ा किये 10 साल हो गये तो उसका भी प्रोसिक्यूशन कर सकेंगे। जिसने रोशनदान की सप्लाई की है उसका भी कर सकेंगे, जो गाड़ी में रोशनदान लेकर आया उसका भी कर सकेंगे जिसने ट्रान्सपोर्टेशन किया। ऐसा लगता है "अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा।'' इस विधान सभा में ऐसा कानून कभी भी नहीं बना। माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी इस कानून को पढ़कर देख लें तो ऐसा महसूस होगा कि अनदेखी में कानून बना दिया है। इसको रिव्यू करें और जो प्रावधान इस धारा के अन्तर्गत उन्होंने किया है उसको विथ-ड्रा करें।

जहां तक धारा 194 में संशोधन किया है, उसमें पहले 25 रुपये के जुर्माने का प्रावधान था, अब दो हजार तक जुर्माने का और तीन माह तक की सजा का प्रावधान किया है। इसी मूल अधिनियम की धारा 194 का उल्लेख करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय। इसके अन्तर्गत कहा गया था—

(1) बोर्ड सार्वजनिक मार्गों में स्थित भवनों के स्वामियों या उधिभोगियों को, उक्त भवनों की किसी ऊपर वाली मंजिल से, मार्ग तल से ऐसी ऊंचाई पर जिसे कि बोर्ड समय-समय पर उप-नियमों द्वारा नियत करे और कुर्सी या आधारभूत दीवार की रेखा के आगे चार फीट से अनधिक सीमा

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

तक खुले बरामदे, बालकनियां या कमरे बनवाने की लिखित अनुज्ञा दे सकेगा और वह सीमा, जिस तक और वे शर्तें जिनके अधीन छतें, ओदियाँ, वाटर बोर्ड, दुकानों के पट्टे और तत्समान संरचनायें ऐसे मार्गों पर आगे निकली हुई अनुमत की जा सके, विहित कर सकेगा।

(2) यथा-पूर्वोक्त प्रकार से निकास भाग की ऐसी अनुज्ञा के बिना या ऐसे आदेशों के उल्लंघन में निर्माण करने वाला स्वामी या अधिभोगी ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस रुपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा और यदि ऐसा स्वामी या अधिभोगी यथा पूर्वोक्त किसी निकासू भाग को, जिसके सम्बन्ध में वह इस धारा के अधीन दण्डित किया गया है, हटाने में असफल रहता है, ऐसे और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो प्रत्येक दिन के लिए, जब ऐसी चूक या उपेक्षा चालू रहे, पांच रुपये तक हो सकेगा।"

कोई भी दण्ड बढ़ाया जाता है तो उसकी एक सीमा होती है। उन्होंने इस सीमा को, जो पांच रुपये की थी, बढ़ाकर 100 रुपये प्रति दिन कर दिया और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भी तीन माह का कारावास। ऐसा लगता है कि शायद यह एक्ट तो एनफोर्स होगा या नहीं होगा, संशोधित होगा या नहीं होगा लेकिन बोर्ड के जो एनफोर्समेण्ट आफिसर हैं उनकी चांदी हो जायेगी। किसी को भी धौंस देकर उनको ठग सकेगा और उनका एक तरीके से धौंस देकर एक्सप्लाइट कर सकेगा।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है माननीय सदस्य, आप अध्यादेश के परिनियत संकल्प पर बोल रहे हैं। डिटेल्स में बात तो तब कह देना जब खण्डश: विचार होगा। तब आप यह बात बता सकते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : चाहे खण्डों पर मेरा संशोधन ही नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : तो तृतीय वाचन पर बोल सकते हैं, इसके बारे में पहले भी ऐसी व्यवस्था हुई है। परिनियत संकल्प पर जब बोलते हैं तो आर्डिनेन्स के बारे में बोलिए, यह आर्डिनेन्स लाने की जरूरत थी या नहीं थी। इस पर बोलिए। डिटेल्स तो जब विचारार्थ लिया जायेगा तब, या तृतीय वाचन होगा तब, उस पर बोल लेना।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यादेश पर बोलेगा तो यह नहीं बतायेगा कि अध्यादेश में क्या-क्या खामियां हैं। इसलिए ही तो वह विरोध कर रहा है। यह थोड़े ही कहेगा कि अध्यादेश नहीं लाना चाहिए था इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं। यह प्रोविजन गलत है, यह गलत प्रोविजन जनहित में नहीं है, इसलिए मैं विरोध करता हूं, यह कहेगा।

श्री अध्यक्ष : अध्यादेश का स्थान बिल ले रहा है। आपको अध्यादेश जारी करने के औचित्य या अनौचित्य पर बोलना चाहिए। परिनियत सकल्प पर बोलते समय इसको लाने का औचित्य है या नहीं इस पर ही बोल सकते हैं। बाकी विवरण तो जब द्वितीय और तृतीय वाचन हो तब कहना।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यादेश में जिन धाराओं का उल्लेख किया गया है उस पर नहीं बोल सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : बिल पर बोल लेना। बिल पर भी वही बात होगी। यदि यह सारी बातें उसमें नहीं होती तो आप उस पर बोलते। मगर सारी चीजें इस बिल में आ रही है। खण्डशः विचार होगा, तृतीय वाचन होगा, जब सारी बात इसमें आ रही हैं तो आप उस समय बोल सकते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह परम्परा रही है।

श्री अध्यक्ष : परम्परा की बात करते हैं तो मैं आपको रूलिंग पढ़कर सुनाता हूं। यह अंक 7 संख्या 10 खण्ड 110 दिनांक 28-2-75। अध्यादेश को निरस्त करने सम्बन्धी परिनियत संकल्प पर वाद-विवाद व्याप्ति अध्यादेश तक ही सीमित है। उस समय तत्सम्बन्धी विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यादेश के प्रावधानों पर तो की जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष : यह नहीं है, यही तो मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको। जो बिल के प्रावधान हैं उसकी चर्चा नहीं कर सकते, जो आप चर्चा कर रहे हैं। आप आथोरिटी मांग रहे थे, आपने परम्परा की बात कही। मैं इसी सदन की परम्परा बता रहा हूं जो यह 1975 में रूलिंग दी गयी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो आपकी रूलिंग की परम्परा है। इनकी परम्परा तो दूसरी है।

श्री अध्यक्ष : जो है, मैं आपके सामने रख रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस वालों की किताब में यह लिखा हुआ नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : सदन के नेताजी, मुझे एक बार नहीं पच्चीसों बार इस बात की याद है कि जब भी अध्यादेश आये हैं उस समय न केवल विरोधी दल ने बल्कि आपने भी, जो उस समय विपक्ष के नेता थे, अध्यादेश के प्रोविजन का विरोध किया है, इस वास्ते अध्यादेश का विरोध किया है कि इसके प्रोविजन जन हित में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विरोध किया है तभी तो यह रूलिंग हो गयी।

श्री चन्दनमल बैद : रूलिंग 1975 की है, इसके बाद तो बहुत पानी बह गया, 16 साल बीत गये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग के बाद तो व्यवस्था यह हुई कि एक ही सदस्य पहले बोलेगा आर्डिनेंस पर, फिर बोलेगा विधेयक पर खण्डशः और उसके बाद तृतीय वाचन पर फिर बोलेगा। तो आप आज की बैठक को क्या 12 बजे के बाद भी चलाना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप किसी का अर्थ मत निकालिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अर्थ तो यही निकला।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे शब्दों के हजारों अर्थ निकालने के लिए स्वतन्त्र हैं और समर्थ हैं। लेकिन मैं जो यह बात कह रहा हूं इसी हाउस की व्यवस्था को कोट करके कह रहा

(श्री अध्यक्ष)

हूं। इसका अर्थ क्या होता है, कितने होते हैं, वह आप निकालिये। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो इसी हाउस की जो व्यवस्था है उसी के बारे में कह रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो संशोधन लाया गया उसी की धारा 203 के अन्तर्गत, मैं पूर्व में ही कह चुका हूं, कि सार्वजनिक भूमि पर जो अतिक्रमण होते हैं या बोर्ड की भूमि पर अतिक्रमण होते हैं उनको हटाया जाना चाहिए। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जिनका स्वयं का मकान है, जिन लोगों ने बरसों पहले कंस्ट्रक्शन करा लिया....

श्री अध्यक्ष : अब फिर आप उसी पर डिटेल में आ रहे हैं। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि परिनियत संकल्प का प्रावधान विधान में है, मेहरबानी करके उसको पढ़िये। रूल्स में उसको निरस्त करने के जो भी कारण हैं उन पर बोलिये। आर्डिनेंस में क्या प्रावधान है, वे कारण नहीं हैं। आर्डिनेंस के औचित्य-अनौचित्य पर बात करिये। यह संवैधानिक व्यवस्था है, उस हिसाब से आप चलिये, डिटेल्स में मत जाइये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अपने जो 3-4 बिल अभी पहले पास हुए....

श्री अध्यक्ष : अब आप तीन-चार दिन पहले की बात कर रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसका औचित्य इस रूप में भी नहीं है कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट और कई माननीय उच्च न्यायालयों ने बार-बार अध्यादेश लाने पर और असेम्बली जब मिल रही हो, मिलने से जस्ट पहले इस प्रकार के अध्यादेश लाना उचित नहीं है, इस बारे में उन सम्बन्धित सरकारों के बारे में स्ट्रिक्चर्स पास किये हुए हैं। जब 15 दिन के बाद असेम्बली मिल रही थी तो ऐसी क्या आफत आ गयी थी कि सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में ऐसे कितने अतिक्रमण आप लोगों के सामने आये, जिनको हटाना राज्य सरकार ने उचित समझा? किस-किस म्यूनिसिपैलिटी में कितनी-कितनी भूमियों पर अतिक्रमण हुए जिनको इन 15 दिनों में हटाना उचित था? कितनी नगर परिषद् और नगर पालिकाओं में आपने इन 15 दिनों में अतिक्रमण तोड़ दिये? कितने लोगों को इन दिनों में पनिश किया? इन सब बातों के बारे में आप निश्चित रूप से अपनी रिप्लाई में जानकारी देंगे। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि आज तक विधान सभा के इतिहास में ऐसा काला कानून नहीं बना है। इसको जनहित में वापस लिया जाना चाहिए। इस अध्यादेश को अस्वीकृत करने के लिए मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री केदार नाथ।

श्री केदार नाथ शर्मा (श्रीगंगानगर) : अध्यक्ष जी, म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में, जो ओरिजिनल एक्ट है, तीन सैक्शन हैं जिनके जरिये से एनक्रोचमेण्ट को दूर किया जा

(श्री केदारनाथ शर्मा)

सकता है, आब्स्ट्रक्शन को दूर किया जा सकता है और उनकी सारी प्रापर्टी जब्त की जा सकती है। फाइन और पनिशमेण्ट का भी उसमें प्रोविजन है। अगर ये आज तक इफैक्टिवली इस्तेमाल किये जाते तो एनक्रोचमेण्ट, जो आप कह रहे हो कि आज बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन में आ गया, यह सवाल कभी आपके सामने पैदा नहीं होता। अध्यक्ष जी, जितने भी कर्मचारी हैं, मोस्टली इन एनक्रोचमेण्ट में शामिल हैं। अगर म्यूनिसिपैलिटी का कर्मचारी, इंस्पेक्टर, मौके पर कार्यवाही कर दे तो मामूली बात थी, पर आज कहां बची है आपके पास। म्यूनिसिपैलिटी में कोई जमीन नहीं जो सेल कर सकते हो आप। यह एक ऐसा, माननीय भंवरलाल जी, मकड़ी का जाल ले रहे हो अपने हाथ में। यह पैण्डोरा बाक्स खोल दिया। कौनसी जमीन है? सारी पर एनक्रोचमेण्ट है। कैसे आप दूर कर पाओगे इतनी जाइजैण्टिक प्राब्लम को? यह कोई मामूली बात नहीं है। हाउसिंग पालिसी आपकी गलत। जो लोग देहातों से आये हैं शहरों में अपने काम के लिए, उनके बसाने के आपके इन्तजाम नहीं। आपने आज तक झुग्गी-झोंपड़ियों को रेगुलराइज करने के लिए कोई नीति नहीं बनायी। कंवर्जन रेट को आप तय नहीं कर पाये, डवलपमेण्ट चार्जेज तय नहीं कर पाये। कोई विकास की योजना नहीं आपके पास। शहरों में सारे एनक्रोचमेण्ट आपने कर दिये। इसलिए, माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती अगर इफेक्टिवली इन्हीं सैक्शन का आप इस्तेमाल करते। आज मैंने झुग्गी-झोंपड़ी बनायी है, कोई एनक्रोचमेण्ट करता हूं, आपको अधिकार है आप उसको डिस्मैण्टल कर सकते हैं। आपको अधिकार है। बनने के बाद पक्का बन जाता है, फिर क्या आपके हाथ में रहता है? फिर उसको रेगुलराइज करते हो आप। अध्यक्ष जी, आज सारे राजस्थान में सारी हाउसिंग सोसाइटीज का जो हाल है, जितनी खेती-बाड़ी की जमीन थी खरीद ली उन्होंने। जो गरीब लोग आस-पास शहरों में रहते हैं, लालच देकर उनसे खरीद ली। कितना उसमें प्राफिट कमाया। लोगों को प्लाट्स दे दिये। पैसे कमा गये। आपके पास कुछ नहीं रहा। आपको समय नहीं मिला, मैं मानता हूं। 15 दिन में आप हाउसिंग पालिसी नहीं बना सकते। पिछले ढाई साल रहे, उसमें भी नहीं बना पाये। जिनके पास 35 साल, 40 साल राज रहा अगर वे खेती-बाड़ी की जमीन एक्वायर करते और हाउसिंग पालिसी बना लेते तो आज आपके सामने एनक्रोचमेण्ट और हाउसिंग प्राब्लम पैदा नहीं होती। पिछली सरकार कर नहीं पायी इसलिए इसको आप लाये हो। मैं मानता हूं कि थोड़ा-सा ऐसे वक्त में लाये हो, अगर आप हाउस में बिल के रूप में ले आते, इसको सलैक्ट कमेटी में भेज देते। हम इसमें काफी केलकुलेटिव तरीके से इसमें सोचते, कितना इम्पैक्ट है। इसको कैसे हल कर पाओगे? कैसे इन्तजाम कर पाओगे? यह काग्नीजेबल और नान-बेलेबल आफेंस बना रहे हो आप। काग्नीजेबल और नान-बेलेबल। इसमें पुलिस सुओ मोटो हस्तक्षेप कर सकती है। बड़ी इमैंस पावर दे रहे हो पुलिस को आप। इसके भी खतरे हैं। कैसे चैक-बैलेंस कर पाओगे? मैं इसके औचित्य के रूप में कहना चाहता हूं कि आपके पास

(श्री केदारनाथ शर्मा)

म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में ऐसे सैक्शन थे उनको अगर इफैक्टिवली यूज करते, आफिशियल्स ईमानदारी से काम करते, सरकार की खुद की हाउसिंग पालिसी साफ होती तो यह समस्या आपके सामने पैदा नहीं होती। इसलिए मैं अपना यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (संख्या 6) को यह सदन अस्वीकार करे।

इसमें तो कोई दो राय नहीं हैं कि नगर पालिकाओं की जमीन पर पिछले कई सालों से कुछ लोग एक तरह का, जिसे आप कह सकते हैं गिरोह बनाकर, सारी सरकारी और नगर पालिका की जमीन पर, कब्जे कर रहे थे। जयपुर के लिए भी जब विकास प्राधिकरण की बात आयेगी तब हम कहेंगे। लेकिन आम नगर पालिकाओं में इस तरह के गिरोह बने हुए हैं जो जमीनों पर कब्जा करके भारी दामों में लोगों को गृह निर्माण सहकारी समितियां बनाकर बेचते थे। इस तरीके से नगर पालिकाओं की जमीनें खुर्द-बुर्द होती जा रही थी। उस बारे में जो प्रावधान पहले म्यूनिसिपल एक्ट में थे वे सफीशिएण्ट थे, लेकिन उनका ठीक तरीके से इम्प्लीमेण्टेशन नहीं हो रहा था इसलिए राज्य सरकार यह अध्यादेश लायी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आयी कि प्रबोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत इस बात की बड़ी चर्चा हुई थी कि अध्यादेश लीस्ट पासिबल निकाले जायं, लेकिन 25 तारीख को जैसे ही खत्म हुआ प्रबोधन कार्यक्रम, 27 को आपने अध्यादेश निकाल दिया। जब कि मुख्य मंत्रीजी 24 तारीख को यह बात कह चुके थे संवाददाताओं को, पत्रकारों को कि विधान सभा 10 तारीख से बुलाई जा रही है, 10 सितम्बर से असेम्बली बैठेगी। असेम्बली के चलने की तारीख तय होने के बाद यह आर्डिनेन्स लाने का औचित्य मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आता है और यह बिल्कुल असवैधानिक है कि घोषणा होने के बाद में कि विधान सभा अमुक तारीख को बैठेगी उसके बाद आर्डिनेन्स प्रख्यापित करना। यह इस सदन की अवमानना भी है।

मेरे समझ में नहीं आता कि ऐसी कौनसी ताबड़-तोड़ थी, ऐसी कौनसी आपकी परेशानी थी कि आप 13 दिन नहीं रुक सकते थे। माननीय मंत्री महोदय, 13 दिन में आपने इस अध्यादेश के जरिये किसको दण्डित करके कितने रुपये प्राप्त कर लिए और यह भी बतायें कि किसको सजा दे दी, क्या कर लिया, कितनी जमीन खाली करा ली, कितने मकान तोड़ दिये, शासित के रूप में कितने रुपये इकट्ठे कर लिये। जरा यह तो बता देना कि 13 दिन में इसलिए यह आवश्यक हो गया था और 13 दिन की विधान सभा का हम इन्तजार नहीं कर सकते थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नगर पालिका अधिनियम था उसमें अब तक प्रावधान था कि जो कोई अतिक्रमण करेगा

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

उसको दण्ड मिलेगा लेकिन आपने किसी गरीब को नहीं छोड़ा। आपने बिल्डर को शामिल कर लिया, कान्ट्रेक्टर को शामिल कर लिया, ट्रांसपोर्टर को शामिल कर लिया, रिक्शे में कोई गरीब मैसन बैठकर आ रहा है, उसको शामिल कर लिया तो आप यह छूट और यह अधिकार अपने नगर-पालिका के कर्मचारी को देने जा रहे हैं कि वह चाहे जिसको पकड़ ले और चाहे जिसको दण्ड के स्वरूप सजा सुनवा दे और चाहे उससे पैसा इकट्ठे कर ले।

मुझे याद आती है एक बात, मैं वह कहे बिना नहीं रहूंगी। सन् 1962 और 1967 के बीच की बात है। विधान सभा का सत्र चल रहा था और श्री सतीशचन्द्र जी अग्रवाल भाषण दे रहे थे कि किसकी सरकार क्यों गई। उन्होंने कहा कि हीरा-लालजी शास्त्री की सरकार इसलिए गई कि वह कहते थे कि मैं तो खाऊं लो पण और कोई न कोनी खाबा दूं। इसलिए उनकी सरकार चली गई। उसके बाद आये श्री जयनारायण जी व्यास। श्री जयनारायण जी व्यास ने कहा कि "न तुझे खाने दूं और न मैं खाऊं"। इसलिए श्री जयनारायण जी व्यास भी चले गये और, श्री मोहन लालजी सुखाड़िया. आप इसलिए बैठे हैं कि आप इस बात में विश्वास करते हैं कि "तुम भी खाओ और मैं भी खाऊं।" इस-लिए आपका राज निर्बाध गति से चल रहा है।

तो मैं, माननीय मंत्रीजी, आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या आपने यह व्यवस्था इसलिए की है कि भाई लूट, और विधान सभा के चुनाव आने वाले हैं तो हमें भी अंशदान देते रहना। नहीं तो ऐसा प्रोविजन, जो हम कम्पेयर करते हैं आपातकाल का, उस आपातकाल में बुलडोजर फिरवा दिये थे। इस बात का बड़ा दण्ड, जुर्माना, कांग्रेस पार्टी ने 1977 में अपना शासन गंवा कर भरा था। मैं समझती हूं कि ऐसा काला कानून तो उन्होंने भी नहीं बनाया था कि कान्ट्रेक्टर को, बिल्डर को, ट्रांसपोर्टर को भी शामिल किया। केवल अतिक्रमण करने वालों के ही मकानों के ऊपर बुलडोजर फिरवाये थे। इसका स्कोप बढ़ाकर आपकी मन्शा और नीयत क्या है, किसे यह अधिकार देना चाहते हैं और वह अधिकार देकर किसे भयाक्रान्त करना चाहते हैं? समाज के अन्दर छोटे से छोटे रिक्शा चालक को भी यह अध्यादेश निकाल कर आपने भया-क्रान्त कर दिया है।

इसलिए मैं, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि यह जो इस तरह का अध्यादेश प्रख्यापित किया है यह असंवैधानिक है और असंवैधानिक होने के साथ-साथ निर्दय है। इतना स्कोप है इसके अन्दर, निरंकुश पावर. देना चाहते हैं उस कर्मचारी को जिसे नगरपालिका के अन्दर मकानों को तोड़-फोड़ के लिए आपने जिम्मेदार बनाया है। उसको इतनी अन लिमिटेड पावर्स मत दीजिए।

Absolute power corrupts the man.

इतनी एब्शोल्यूट पावर्स मत दीजिए। इस बात को लेकर हम कहते हैं बार-बार

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

कि, Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely.

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी यह जो अध्यादेश आपने 27 तारीख को प्रख्यापित किया है यह असंवैधानिक है।

एक बात यह भी आपने ध्यान में नहीं रखी, सरकारी भूमि तो ठीक है पर सरकार के अलावा भूमि को भी ले लिया। क्योंकि वर्ड है "उसके अलावा"। नगर पालिका के अलावा भी कोई भूमि होगी, उसके ऊपर कोई अतिक्रमण करेगा वह भी उसके अन्दर आवेगा। लेकिन आपने यह बात नहीं रखी। आप बार-बार यह बात कहते हैं कि आपकी सरकार कल्याणकारी सरकार है, गरीबों का ध्यान रखने वाली सरकार है, समाजवादी व्यवस्था लाने के लिए कृत-संकल्प सरकार है, लेकिन यहां जो लोग रात को कितने ही प्लेट फार्म्स पर बैठकर, सो कर, अपनी रात गुजारते हैं, यह बेचारे कहां जायेंगे, कहां रहेंगे? इसकी व्यवस्था नहीं की।

मैं आपसे कहती हूं कि जिनके पास रहने का साधन है फिर भी वह अतिक्रमण करें, उनके खिलाफ तो कैसा ही कठोर दण्ड दीजिए, लेकिन यह जो गांव के अन्दर से आकर आपके शहर बनाने का काम करते हैं, जो स्लम एरियाज में रहते हैं, प्लेटफार्म्स पर ठिठुरते रहते हैं सर्दियों में, प्लेटफार्म्स पर सोने के लिए विवश हैं इनका आप ध्यान रखें। आप इन जेनुइन लोगों को कानून में मत बांधिए, इनके लिए कोई न कोई कानून में एक्सेप्शन निकालिये। वरना कल्याणकारी होने का दावा करने वाली सरकार केवल कल्याणकारी होने का ढोल पीटती रह जायेगी।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश को यह सदन अस्वीकार करे। इन्हीं अपने शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद पेश करती हूं।

श्री अध्यक्ष : इसमें 20 माननीय सदस्यों के नाम हैं, सभी बोलना चाहेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : इस काले कानून का विरोध किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने सिम्पल क्वेश्चन पूछा है कि आप सभी बोलना चाहेंगे ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह हमारा संवैधानिक अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : मुझे आपत्ति नहीं है। फिर बोलने में समय की पाबन्दी रखनी पड़ेगी।

श्री चन्दनमल बैद : परिनियत संकल्प पर सभी बोलना चाहेंगे। कन्सीडरेशन की स्टेज पर, पासिंग की स्टेज पर और हर स्टेज पर बोलना चाहेंगे और यह कोशिश करेंगे कि यह कानून विधान सभा में किसी तरीके से पास नहीं हो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर, और

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

प्रबोधन कार्यक्रम चला तब भी, अनौपचारिक और औपचारिक रूप से जब आपसे बात करते हैं तो आप यह सलाह देते हैं कि विधायक लोग लेजिस्लेशन कार्य में सहयोग दें, तो जब वह इतना इन्ट्रेस्ट ले रहे हैं, जब आप हमारे अधिकारों को संरक्षण प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : मना नहीं कर रहा हूं। मैंने आपकी इच्छा पूछी है कि आप सभी बोलना चाहते हैं तो समय की पाबन्दी रहेगी। मैंने आपको यह तो कहा नहीं कि सभी को बोलने नहीं दूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं।

श्री परसादीलाल मीणा।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि इस चर्चा को लम्बा न करके छोटा किया जा सकता है। वह ऐसे किया जा सकता है कि जो भावनाएं आपने व्यक्त की हैं कि जो लोग प्राइवेट जमीन पर अपना मकान बनाते हैं उन पर भी यह लागू हुआ है कि बनायेगा तो उस पर भी दण्ड हो जायेगा, रिक्शे वाला बोरी सीमेण्ट का लायेगा तो वह भी दण्डित किया जायेगा। तो कानून बनने के बाद, कुछ परेशानियां समझ में आने लगी....

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : कन्टेम्प्ट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : यह कोई बात नहीं है। आप पहले सुन तो लीजिए।

श्री अध्यक्ष : पहले सुन तो लीजिए वह क्या कह रहे हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्रीजी कुछ विथड्रा कर रहे हैं, उन्हें सुन तो लीजिए।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को बोलने का अवसर मिलेगा तब अपनी जगह जवाब दे देंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पद भार ग्रहण किया तब यह घोषणा सार्वजनिक रूप से की थी कि अतिक्रमणियों के विरुद्ध सख्ती से निपटा जायेगा। उसके बाद 6 महीने तक कोई कार्यवाही नहीं की। फिर सम्भवतया द्वितीय सत्र में चर्चा हुई और बाद में कमेटी बनी, उस कमेटी के अन्दर डेलिब्रेशन्स हुए हैं। मंत्रीजी ने जो कमेटी बुलाई उसका मैं भी मैम्बर था। उन डेलिब्रेशन्स के अनुरूप यह बिल नहीं आया और आर्डिनेन्स भी नहीं आया है। और कांग्रेस की तरफ से जो भावनाएं व्यक्त की गई थी उनका बाद में जनता की तरफ से रोष का सामना करना पड़ा, कुछ उनको भगवान ने बुद्धि दी होगी....

श्री अध्यक्ष : आप कहना क्या चाहते हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब यह कंटेम्प्ट कर रहे हैं। उन प्रोविजन्स को इम्प्रूव करने के लिए....

श्री अध्यक्ष : आप री-मूव करना चाहते हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : हम पहले बोलना चाहेंगे । He cannot speak.

श्री अध्यक्ष : आपने प्रज्यूम कर लिया कि वह री-मूव करना चाहते हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रज्यूम नहीं किया है, आप बोलने दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : आपने उनको सुना ही नहीं और पहले ही प्रज्यूम कर लिया ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : लेकिन अगर यही है तो पहले हम उन्हें नहीं बोलने देंगे ।

श्री अध्यक्ष : यह शब्द आप कह रहे हो और फिर कहते हो कि हमको तो बोलने ही नहीं दिया, आप ही तो प्रिज्यूम कर रहे हो। आप बिराजिये । श्री परसादीलाल जी । (व्यवधान)

चीफ व्हिप समय बढ़ाने के लिए खड़े हुए हैं दो मिनट बैठ जाइये ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की विषय सूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की यह मर्जी हैं ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : 60 दिन का प्रावधान है, गवर्नमेंट को जरूरत क्या है ऐसी सिटिंग आगे बढ़ाने की, एक्सटेन्ट क्यों नहीं करती है असेम्बली का सेशन ?

श्री अध्यक्ष : मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब....

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रबोधन कार्यक्रम में आपने सिखाया कि लेजिस्लेटिव वर्क में पटिसिपेट करें....

श्री अध्यक्ष : आप जो चाहें कर लें, स्वतन्त्र हैं, सवाल तो रखने दीजिए मुझे ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, उसको इतना एक्स्टेंड करने की जरूरत क्या है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या सदन की कार्यवाही आज की कार्य सूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाई जाय ? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, सदन में इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है कि आज हाउस 12 बजे तक चलेगा चूंकि यह तीन अध्यादेश आ गये हैं । (व्यवधान)

12 बजे तक चले चाहे दूसरे दिन प्रातः 4 बजे तक चले, यह तीन आर्डिनेंस बिलस हैं यह बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो हमारा यह प्रस्ताव है कि आप हाउस जब 60 दिन चलाना चाहते हैं तो एक बिल पर आज चर्चा हो जाए बाकी पर बाद में चर्चा हो जाए ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इसमें समय बढ़ाने की प्रक्रिया यह है कि एक घंटे तक का समय तो आप सदन का सेंस लेकर के बढ़ा सकते हैं, उसके बाद में सदन की इच्छा के अनुसार समय घंटा, दो घंटा इस हिसाब से बढ़ाया जाता है। यह नहीं होता है कि पारित होने तक।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। आप एक घंटे का बढ़ाइये।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : एक घंटे के लिए।

श्री अध्यक्ष : एक घंटे के लिए, आप बाद में और कर देना यदि जरूरत पड़े तो। क्या फर्क पड़ता है। (व्यवधान)

मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यह कंट्रोवर्सी का विषय नहीं है। आप अभी एक घंटा बढ़ा दीजिए, चाहें तो बाद में और बढ़ा देंगे।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया।

श्री परसादीलाल जी।

परिनियत संकल्प

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय,..... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मंत्रीजी अध्यादेश को वापिस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वर्ना अध्यादेश पर आप क्या बोलेंगे?

श्री अध्यक्ष : इनकी बात ही नहीं सुनी....माननीय सुमित्रा जी, मुझे इनकी बात तो सुनने दीजिए, आगे क्या होगा, पहले सुनें तो।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इस बात का है कि माननीय मत्री महोदय इस बिल को विथड्रा कर रहे हैं, तो आप परमिशन दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी क्या कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने सुना नहीं है, आपने सुन लिया क्या....? (व्यवधान)

आपको क्या मेरे पर विश्वास नहीं है? आप उनकी बात सुन लीजिए तब उनकी बात मानना और न मानना आपके और मेरे हाथ में है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जो बिल है, जो अध्यादेश है, जितने आये हैं उन पर चर्चा आप निश्चित रूप से कराइये और माननीय सदस्य जिस तरह के सुझाव देंगे वह शिरोधार्य है। मैं निवेदन करना चाहता था जिस से सदन का

(श्री भंवरलाल शर्मा)

समय बचे। यह जो आपने बात कही है कि प्राइवेट लोगों पर ही कानून लाया जा रहा है, इसको मैं विथड्रा कर रहा हूं। जब इसका प्रोपर अवसर आयेगा तो उसमें कानूनी ढंग से मैं रखूंगा इस बात को, इसलिए यह जो आपकी भावनाएं हैं इसको सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इसके अनुरूप ही यह कानून बनेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं। फिर भी आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : फिर इस आर्डिनेन्स को अस्वीकार करने में क्या एतराज है? सरकार को? (व्यवधान) मंत्री महोदय इसको विथड्रा कर लें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सरकार स्वयं मानती है कि गलत है, तो इस आर्डिनेंस को विथड्रा करें।

डा. चन्द्रभान : अस्वीकार का प्रस्ताव जो हमारा है, उसको स्वीकार कर ले।

श्री अध्यक्ष : किस बात पर बहस हो रही है? आप किस बात पर बहस कर रहे हैं यह समझाइये मुझे। मैं कह रहा हूं चर्चा आगे चल रही है और आप बहस कर रहे हैं? किस बात की बहस कर रहे हैं आप? माननीय मंत्री जी को जो कहना था कह दिया, अब आप उसको ध्यान में रखें ना। रखें आपकी मर्जी है, आप चर्चा करिये।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, इस कानून में आर्डिनेंस के जरिये जो संशोधन सरकार ने किये, उस आर्डिनेंस को रिजेक्ट करने के लिए हमारे प्रस्ताव हैं और मुझे खुशी है कि सरकार ने जन भावना जानी, पहचानी और उनको सद्‌बुद्धि आई और वो भी हमारी राय से इत्तफाक करते हैं, इसलिए इसमें सदन का समय बचाया जाये और इस पर बहस कराकर इसको रिजेक्ट कराया जाये।

श्री अध्यक्ष : बहस नहीं, मैं सीधा ही प्रश्न पूछ लेता हूं कि परिनियत संकल्प मंजूर करना है कि नहीं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : पहले बोलना चाहते हैं लोग।

श्री अध्यक्ष : आप दो बात मत करिये, एक बात करिये। आप चाहेंगे तो मैं सीधा प्रश्न पूछ लेता हूं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : पहले बोलेंगे साहब। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपकी आज्ञा का पालन हो रहा है। प्रबोधन कार्यक्रम में आपने आज्ञा दी थी।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी आज्ञा का पालन करने जा रहा हूं और आप मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। (व्यवधान) मेरा निवेदन सुनिए, इस पर आप चर्चा में जितने सदस्य भाग ले सकते हैं, जरूर लें, और चर्चा करें, मगर चर्चा करते समय यह ध्यान रखें कि आप बिल पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री परसादी लाल जी दो-दो मिनट बोलें।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में अध्यादेश जारी किया है वह जल्दबाजी, नासमझी और महा विधिवेत्ता माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी की चातुर्यता का परिचय है। राजस्थान की नगरपालिकाओं के निवासियों के लिए उन्होंने जो ऐतिहासिक काला कानून बनाने के लिए राज्यपाल महोदय से अध्यादेश जारी करवाया है ऐसा काला अध्यादेश राजस्थान के इतिहास में कभी भी नहीं आया। माननीय मंत्री महोदय, अध्यादेश आपने ही बनाया, आपकी सरकार ने बनाया। आपने देखा या नहीं देखा ? आप आज कह रहे हैं कि मैं इसको वापिस ले रहा हूं, आज आप इस बात को एग्री कर रहे हैं कि यह गलत हो गया। आपका उद्देश्य यह होना चाहिये था कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करे उसके लिये कड़े प्रावधान हों। ऐसी स्थितियां नहीं थी राजस्थान में जिस के लिए अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ती। इन्होंने 27 अगस्त से लेकर अब तक इस अध्यादेश को लाकर कौनसा बड़ा काम कर दिया, कौनसा अतिक्रमण रोक दिया ? यह केवल सरकार की नासमझी और + + + का परिचय है जो इस अध्यादेश को सरकार लायी। मैं निवेदन करूंगा कि इस अध्यादेश को अस्वीकार किया जाये।

एक माननीय सदस्य : + + + शब्द असंसदीय है।

श्री अध्यक्ष : असंसदीय शब्द हटा दिया जाये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यही नहीं समझना चाहिये कि हम लोग यहां पर सुन रहे हैं। सब सुन रहे हैं। बाहर भी बातें जाती हैं। यह कोई आपका तर्क नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप क्या उपदेश दे रही हैं ? जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसका उच्चारण मत करिये। श्री प्रेमसिंह दहिया।

(5.00 सायं)

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1991 को बनाया जाकर प्रख्यापित किया गया है उस पर अपनी असहमति व्यक्त करता हूं और उसके अन्दर जो कमियां रह गयी हैं उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह अध्यादेश दिनांक 27 अगस्त को प्रसारित किया गया जबकि 28 अगस्त को राज्यपाल महोदय ने विधान सभा आहूत करने की अधिसूचना निकाल दी थी। इसलिए यह अध्यादेश सरकार बहुत जल्दी के अन्दर ले आयी है और जल्दी से लाने के कारण इन्होंने कई धाराओं में अनियमितता की है, नियमों के अन्दर कई कमियां रह गयी हैं उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। यह जो मूल अध्यादेश है राजस्थान अधिनियम, 1959 38वें की धारा 170 और 203 की अभिव्यक्ति के अन्दर है। इसमें धारा 194 भी लगती है। अध्यक्ष महोदय, यह जो 170 के अन्दर संशोधन चाहा गया है, उसके अन्दर 170

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

की 11वीं उपधारा के अन्दर मैसन और श्रमिकों को भी इसके अन्दर प्रताड़ित किये जाने का प्रावधान है। ठेकेदारों को भी इसके अन्दर सजा देने का प्रावधान है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, 203 के अन्दर धारा 2 में यह बताया है कि....

श्री अध्यक्ष : आपका समय पूरा हो गया। श्री सुनील विश्नोई। (अनुपस्थित)

श्री प्रेमसिंह दहिया : मैं कानूनी प्रक्रिया बता रहा हूं और आप कह रहे हैं समय पूरा हो गया।

श्री अध्यक्ष : आपने ही दो-दो मिनट तय किये थे, मैं क्या करूं ?

श्री प्रेमसिंह दहिया : दो मिनट का क्या सवाल हुआ ? अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर जो कमियां हैं वह बता रहा हूं। इन्होंने 203 की उप-धारा 2 के अन्दर स्थाई बोर्ड की हो या नहीं हो उसके अन्दर भी इसको लागू किया है। अगर नगर-पालिका की सम्पत्ति नहीं है, उस पर लागू किया है, अगर नगरपालिका की सम्पत्ति नहीं होगी तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सम्पत्ति होगी, रोड के दोनों तरफ होगा तो पी. डब्ल्यू. डी. की सम्पत्ति होगी तब नगर-पालिका और पी. डब्ल्यू. डी. जो गलत करेंगे उसके लिये लड़ेगी और हो सकता है कि किसी विशेष की सम्पत्ति नहीं है और कर रहे हैं। नगरपालिका की सम्पत्ति नहीं है तो पड़ौस की सम्पत्ति के लिए भी क्या नगरपालिका उसमें लड़ेगी ? इसी तरह इस धारा 3 के अन्दर इसमें बोर्ड ने किसी सक्षम अधिकारी को पावर देने की बात कही है। राज्य सरकार ने पहले ही आदेश प्रसारित करके 203 और 170 की धारायें तो ई. ओ. को दे रखी है। बोर्ड को तो आपने पावर दे नहीं रखे अब आप कहते हैं कि बोर्ड यह धारायें नगरपालिका के किसी अधिकारी को देगा। इसी तरह से धारा 5 के अन्दर आपने उसमें प्राधिकृत आयुक्त या अधिशाषी अधिकारी को नियुक्त करने की बात कही है। इसी तरह धारा 3 के अन्दर आपने बात कही है कि बोर्ड के द्वारा प्रज्ञापित किसी अधिकारी द्वारा कोई सम्पत्ति अधिगृहीत की जाती है या कुर्क की जाती है तो ..

श्री अध्यक्ष : 7 मिनट हो गये।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, तो बोर्ड की मीटिंग, उससे पहले बोर्ड को....

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय द्वारा 27 अगस्त, 1991 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1991 का आदेश संख्या–6 को अस्वीकार करने के लिए प्रस्ताव करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आता कि राजस्थान सरकार को कैसे बैठे-बैठे अचानक इस बात का ज्ञान उपजा और 27 अगस्त को जब निश्चित तौर से सारे अखबारों में और हम लोगों

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

को ग्राभास हो गया था कि 10 सितम्बर से विधान सभा ग्राहूत की जा रही है ग्रौर 27 ग्रगस्त को ऐसी क्या गम्भीरता ग्रा गयी थी, ऐसे कौनसे मामले राजस्थान सरकार में ग्रा गये थे जिनमें इतनी इमरजेन्सी थी कि उसमें जल्दी से इस ग्रध्यादेश को लाकर उन बातों को रोकना था। ऐसी स्थिति के ग्रन्दर कौनसा ऐसा मुद्दा उस समय था जिसकी वजह से इतनी गम्भीरता थी कि इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो गयी हों कि 27 ग्रगस्त को ग्रध्यादेश को जारी करना पड़ा। मुझे सरकार का निर्णय किस उपज से ग्राया मुझे समझ में नहीं ग्राता पर ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से मोहम्मद तुगलक का जो फैसला करता था, उस समय का कहीं फैसला तो नहीं कर दिया या नीरो का फैसला तो नहीं कर लिया, जिस प्रकार से वह निर्णय लेते थे। उसी प्रकार का निर्णय लगता है। ग्रध्यक्ष महोदय, इस बिल में निश्चित तौर से इस बात की बू ग्राती है कि जिस प्रकार से ग्रघोषित ग्रापातकालीन स्थिति पैदा हो गयी हो, यह उस प्रकार ग्रघोषित ग्रापातकालीन घोषणा लगती है। इस कानून से मुझे समझ में नहीं ग्राता कि कन्वर्सन की जिस प्रकार की हालत ग्राज जयपुर शहर में है, नगरपालिका क्षेत्र के ग्रन्दर कितने ही ऐसे झुग्गी-झोपड़ी वाले लोग बैठे हैं उनके रेगूलराइजेशन का कोई मामला नहीं हुग्रा, जब से सरकार ग्राई है किसी कच्ची बस्तियों में बसे हुए झोपड़ी वालों को नहीं बसाया गया, कहीं पर जो लोग परकोटे के ग्रन्दर बैठे हैं, उन लोगों के 50-50, 30-30 साल से कब्जे हैं उनके रेगूलराइजेशन का काम किया नहीं। बल्कि सही मायने में उन लोगों का काम किया, जिन्होंने इस काला कानून के तहत उनको सही मायने में सजा देने का प्रावधान किया।

मुझे ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापके माध्यम से निवेदन करना है कि मास्टर प्लान जब बना था। मास्टर प्लान सन् 1971 से 1991 तक का बना था उसके तहत क्या तैयारियां नगरपालिका ने उसके इम्पलीमेन्टेशन के लिए की है। यह सारे मामले ऐसे लगते हैं कि सरकार का विकास की ग्रोर से ध्यान हट गया है ग्रौर दिमाग में ऐसे समझने लगा कि गरीब लोगों को कैसे परेशान किया जाय, कैसे तंग किया जाय ? ऐसा काला कानून लायें, जिसको ग्रभी जन भावनाग्रों के ग्राधार पर शायद ग्राप विथड्रा करने जा रहे हैं लेकिन ऐसा कानून जिसमें काम करने वाले मजदूर उसके ऊपर भी कानून लागू होगा, वहां पर सामान जिसने खरीदा है उसके खिलाफ कानून लागू होगा। ग्रगर कोई सामान ढोने वाला है तो उसके खिलाफ भी कानून लागू होगा, विक्रेता है तो उसके खिलाफ कानून भी लागू होगा।

ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापसे निवेदन करना करना चाहता हूं कि पहले कानून में यह था कि तीन साल से जमीन पर जो बैठे हैं या जिसने मकान बना लिया, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाय। ग्रब ऐसा लगता है कि जयपुर शहर में 50 हजार मकान ऐसे हैं जो कि ग्राज भी तीन साल वाले से ज्यादा की श्रेणी में ग्राते हैं। वहां क्या क्वेश्चन मार्क नहीं बन जाता कि उनके ऊपर कोई कार्यवाही होगी। ग्राज इन सारी स्थितियों

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

को देखते हुए आपको निर्णय करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, सही मायने में इस संशोधन के द्वारा ऐसा लगता है कि सरकार की कोई नीयत है। ऐसे लोगों को प्रेशराइज करके क्या मालूम क्या मंशा रखती है? सरकार भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करती है इस संशोधन के द्वारा जितना भ्रष्टाचार पैदा होने वाला है उसकी बू आती है। इस बिल को वापस लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री देवेन्द्र सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : श्री देवेन्द्र सिंह का समय मैं लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस अध्यादेश के आधे हिस्से का स्वागत करता हूं और आधे हिस्से का विरोध करता हूं। यह जल्दबाजी में लाया गया अध्यादेश है अगर आप स्वयं इसकी भाषा देखेंगे, जो अमेण्डमेंट प्रपोज कर रहे हैं अगर स्वयं के मकान के अन्दर भी कोई व्यक्ति एडिशनल आल्ट्रेशन करता है यहां तक कि जो आल्ट्रेशन की परिभाषा ओरिजनल एक्ट के अन्दर दी गई है आप ताज्जुब करेंगे मंत्री महोदय, वेंटीलेटर भी उसमें शरीक हैं। अगर वेंटीलेटर में भी को एडिशनल आल्ट्रेशन करता है तो वो भी इस एक्ट का जो पैनल प्रोवीजन है उसको अट्रेक्ट करेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : नहीं करेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप गौर से देखिए। देखिए मंत्री महोदय, मैं आपसे कह रहा हूं। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष : आप सही हैं इसलिए वो अपने आपको करेक्ट कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज सारे देश में जो समस्यायें हैं राजस्थान भी उनसे बचा हुआ नहीं है। कुछ मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जिनके ऊपर हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, एनक्रोचमेंट की समस्या पर, परिवार नियोजन के कार्यक्रम हैं, पेड़ों की कटाई को रोकने के कार्यक्रम हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर राष्ट्रीय सहमति राजनीतिक दलों के बीच में होनी आवश्यक है। हम भी इसका स्वागत करते हैं कि सरकारी भूमि पर जिस प्रकार से अतिक्रमण हो रहे हैं उनको निश्चित रूप से रोका जाना चाहिए लेकिन आप व्यक्ति विशेष की जिस प्रकार से अनदेखी कर रहे हैं गरीबों की हाउसिंग प्रोब्लम्स की, सड़कों पर जो हजारों आदमी जयपुर में रात को सोते हैं, लोग कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं, लोग नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप खुद हाउसिंग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं? इससे यह प्रश्न जुड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप जल्दबाजी के अन्दर यह कानून लाये हैं उसको एक हिस्सा तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और एक हिस्से की जितनी भर्त्सना की जाय, जितनी आलोचना की जाय उतनी ही कम है। कृपया आप उसको वापस ले लीजिए

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अन्यथा हमको पूरे अध्यादेश का विरोध करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित) श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा (फागी) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 1991 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या–6) को अस्वीकार करने के लिए कहता हूं। क्योंकि इस अध्यादेश के जरिये आम गरीबों के, कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को सरकार द्वारा परेशान किये जाने की नीयत है। मैं इस अध्यादेश को एक काले कानून की संज्ञा देना चाहता हूं, क्योंकि इस कानून ने नगरपालिकाओं के अन्दर काफी लम्बे समय से जो बसे हुए लोग हैं उनको परेशान करने की दृष्टि से इस कानून को बनाया गया है। यह कानून राजनीति से प्रेरित है अतः मैं इस कानून को वापस लेने की मांग करता हूं, सदन इसको अस्वीकार करे।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्दनमल बैद।
(अनुपस्थित)। श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने के लिए 2 मिनट दीजिए।

श्री अध्यक्ष : नाम आ रहा है। मेरे पास नाम लिखे हुए हैं। जिन-जिनके हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार ने जो 27 अगस्त को आर्डिनेन्स जारी किया है मैं यह समझता हूं यह अध्यादेश जारी करते समय राज्य सरकार ने हमारे शहरों की स्थिति, हमारे यहां पिछले 25-30 सालों से जो गांवों के लाखों लोग शहरों के अन्दर आकर रोजगार की तलाश में बस गये, उनकी 20-20, 30-30 सालों से जिस तरह से सड़कों के किनारे, दूसरी जगहों पर झोंपड़ियां और झुग्गियां बनी हुई हैं सारे हिन्दुस्तान में, उस परिप्रेक्ष्य में सोचा नहीं कि राजस्थान में इस अध्यादेश के बाद क्या स्थिति होगी?

माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा हाऊस से कि इस अध्यादेश के द्वारा जिस तरह की तबाही राजस्थान में मचेगी और जिस अधिकार को इस्तेमाल करके कर्मचारी और अधिकारी वर्ग इन गरीब लोगों को शहरों से धक्के मारकर निकालेंगे, उनकी जगहों की तोड़-फोड़ होगी। जिस तरह से इस अध्यादेश में जो अधिकार दिये गये हैं जायदाद को जब्त करने का, उनके सामान को जब्त करने का और सामान को जब्त करने के बाद उसकी जो अपील कोर्ट में होगी, वो जेलों में जायेंगे, मैं समझता हूं कि इस मामले में कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने इसके कुछ पार्टस भी सपोर्ट किए और मुझे उनकी यह बात समझ में आती है कि उन्होंने सपोर्ट इसलिए किया है कि राजनीतिक तौर पर उन्होंने जो इमरजेंसी के वक्त में उन्होंने जिस बात को इस्तेमाल नहीं किया आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन कदमों को उठाने जा रही है राजस्थान में और इसलिए वो सपोर्ट कर रहे हैं कि एनक्रोचमेंट के मामले में आप भी

(श्री हेतराम बेनीवाल)

वो ही कदम उठाम्रो । मैं म्रापसे अर्ज करूं, एनक्रोचमेंट के मामले में हमको सोचना पड़ेगा कि किस तरह की स्थिति है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूंगा कच्ची बस्तियों की किसी ने भ्रावाज नहीं उठाई । सभी चाहते हैं कि शहरों में कच्ची बस्तियां चली जायं, शहर से मजदूरों की बस्तियां चली जायं । मैं निवेदन करूंगा इस मामले में तय हो, निश्चित तौर से इस अध्यादेश को अस्वीकार करके और एक नया बिल ड्राफ्ट किया जाय और उस बिल में यह व्यवस्था हो कि जो लोग आकर बस गए हों उनका नियमन किस तरह से होगा, उनसे किस तरह की रकमें ली जायेंगी, क्या कुछ व्यवस्थायें की जायेंगी ? उसके बाद ही इस तरह के प्रावधान के बारे में सोचा जाय । मैं समझता हूं कि बी. जे. पी. की सरकार इसको सपोर्ट करेगी कि इसको अस्वीकार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : डा. हरिसिंह ।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : अध्यक्ष जी, श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा 27 अगस्त, 91 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 1991, (1991 का अध्यादेश संख्या-16) को अस्वीकार करने का मैं प्रस्ताव करता हूं । (व्यवधान)

श्री रामकिशन (भरतपुर) : जब आप ऑपरेशन की फीस मांगते हैं तो जोर से बोलते हैं और सदन में जोर से बोलने की जरूरत है तो आप धीरे बोल रहे हैं ।

डा. हरिसिंह : आपके आदेश की पालना होगी । माननीय अध्यक्षजी, देश के अन्दर बहुत ही गरीब लोग हैं और उनके पास न जमीन हैं न घर है । ऐसी परिस्थिति में वो लोग जहां भी जगह मिल जाती है बस जाते हैं, उनकी मजबूरियां हैं । हमें इन लोगों को रिहेबिलिटे करना है और हम उल्टा करने जा रहे हैं, हम उनको सजा दे रहे हैं ? आज बहुत सी नोमेडिक कौमे हैं । जयपुर में जितनी कच्ची बस्तियां हैं, मेरे ख्याल से लाखों लोग रह रहे हैं । ये लोग मजबूरी में बैठे हुए हैं । सरकार आजादी के बाद से अब तक अनकम्पीटेंट रही है इन लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए । यह सरकार की कमजोरी है कि हम अपने नागरिकों को रहने की जगह नहीं दे सके और जब वे मजबूरी में कहीं बैठ जाते हैं, अध्यक्ष जी, मैं पूछता हूं आप और हम कच्ची बस्तियों में रह सकते हैं क्या ? हम उनके रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम को न बनाते हुए उनके लिए सजा के प्रावधान करने जा रहे हैं । मोटे तौर से एक सैद्धांतिक बात कहने जा रहा हूं यदि एक मजदूर आदमी को यह कह दीजिए कि यह बजरी वहां डाल आये । उसको अपनी मजदूरी से मतलब है, उसको यह मालूम नहीं है कि यह बजरी कहां काम में आ रही है, यह भाटा किस काम में आ रहा है उसको आप सजा दे रहे हैं तो यह तुगलकी कानून हुआ । इस तुगलकी कानून को वापस ले लीजिएगा । मुहम्मद तुगलक को जंची की वहां तुगलकाबाद बसा दिया, चमड़े के सिक्के चला दिए तो माननीय भंवरलाल जी यह तुगलकी विचारधारा छोड़ करके आप ठोस विचारधारा ले करके यह बिल लाइये ।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद । श्री यदुनाथ सिंह ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, यह जो आर्डिनेंस सरकार लाई है इसके सम्बन्ध में मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं की राजस्थान की वर्तमान सरकार जो देश में और राज्य में आम आदमी की जो परिस्थितियां हैं, जो समस्याएं हैं उनसे बिल्कुल अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ हैं मैं कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, सीधे ही 3 साल की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना, फिर म्युनिसिपल्टी की जमीन पर ही नहीं और भी जमीनें हैं उन पर भी यही सजा देंगे, यही जेल भेजेंगे । आई. पी. सी., सी. आर. पी. सी. सब मात कर दी हैं इन्होंने। अध्यक्ष महोदय, एनक्रोचमेंट के लिए जो वर्तमान कानून हैं उनमें भी काफी कठोर व्यवस्थायें मौजूद हैं। जिन तीन सेक्शन में अमेण्डमेंट कर रही है उसके अलावा भी सी. आर. पी. सी. और आई. पी. सी. में भी प्रावधान है कि सरकारी भूमि पर कोई एनक्रोचमेंट करे तो उस एनक्रोचमेंट को रोका जाय। लेकिन पता नहीं कि क्या सोचकर आर्डिनेंस ले आये और अब मंत्रीजी मान रहे हैं कि यह गलत हुआ है और हम इस हटाने का काम कर रहे हैं। मजाक बना रखा है, मजाक समझ रखा है यह आॅर्डिनेन्स निकालना, यानि इतनी हड़बड़ी में आॅर्डिनेन्स निकालो। दूसरे दिन विधान सभा आहूत हो रही है और आप एक दिन पहले आॅर्डिनेन्स निकाल रहे हो और उसके थोड़े से दिन बाद, दस-पन्द्रह दिन बाद आप कह रहे हो कि हम मे इसमें गलती हो गई। यह वेलफेयर गवर्नमेंट का काम नहीं है। इसलिए मेहनत लगा कर आप लोग गवर्नमेंट को चलाने का काम करिये। इस तरह से काम करोगे तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। सोच-समझ कर इसमें प्रावधान किया जाना चाहिये और मंत्रीजी ने स्वयं जब मान लिया है कि आॅर्डिनेन्स के प्रावधान ऐसे नहीं है जिनको लागू करना उचित होगा, इसलिए मेरा निवेदन है, सरकार भी, हाँ पक्ष भी इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाये और इसको अस्वीकार करने का जो हमारा प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को मंजूर करें। यह अपने आप ही रिजेक्ट हो जायेगा, आपकी मंशा पूरी हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस आॅर्डिनेन्स का सवाल है यह नगरपालिका से सम्बन्धित है और मैंने पहले ही कहा था कि जब नगरपालिका क्षेत्र में इस तरह की कोई कार्यवाही होगी तो यह सरकार पीछे जरूर हटेगी और माननीय मंत्रीजी ने पहले ही गलती को स्वीकार कर लिया है इसके लिए तो इन्हें धन्यवाद। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के जितने मामले हैं उनको निपटाने के लिए कानून में संशोधन करना हो, विधेयक के जरिये होना चाहिए था और हम उसका स्वागत भी करते हैं। हम भी चाहते है, हमारी भी यही भावना है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण न हो। लेकिन इसके लिए इस तरह का कोई अध्यादेश लाना, जो व्यवहार संगत नहीं हो, यह उचित नहीं है। कानून वही बने जिसको लागू किया जा सके। जहां तक सरकारी जमीन के ऊपर से अतिक्रमण हटाने का सवाल है उसके लिए तो सरकारी की पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव विल होनी चाहिए।

(डा. चन्द्रभान)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा, कानून पहले भी बना हुआ था और यह कानून भी आप बना दीजिए, 27 मार्च, 1979 को उस समय के मुख्य मंत्री और आज के मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि जयपुर के बरामदे खाली करा लिये जायेंगे, यदि आप इस कानून को, इस अध्यादेश को पारित भी करवा लेंगे तो क्या आप यह कहने की स्थिति में हैं कि इन बरामदों को आप खाली करवा देंगे ? अध्यक्ष महोदय, जो लोग कब्जा करेंगे या जो लोग मकान का निर्माण करेंगे, उसमें जो लोग सहयोग करेंगे उनके खिलाफ तो विशेष तरह के दण्ड का प्रावधान यहां पर है लेकिन जो कर्मचारी या अधिकारी इसका दुरुपयोग करेंगे, उनके खिलाफ आप ने क्या व्यवस्था की है ? असल में, मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह के अध्यादेश को लाने की आवश्यकता ही नहीं थी और आज जो विसंगतियां हैं उनकी मुख्य वजह यह है कि राजस्थान सरकार की कोई स्पष्ट आवास नीति नहीं है। 1971 में जयपुर के लिए जो मास्टर प्लान बना था उस समय जनसंख्या 6 लाख थी और यह मान कर बना था कि अब जनसंख्या 12 लाख होगी और आज जनसंख्या 18 लाख से ज्यादा हो गई। यू. आई. टी. और जे. डी. ए. का तो बाद में आयेगा, तब डिस्कस करेंगे लेकिन बोर्ड के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि जमीन के बारे में किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं है। किसान की जमीन को आपने एक्वायर कर लिया, सीलिंग में घोषित कर दिया और यह ही नहीं मालूम कि वह जमीन किसान की है या सीलिंग की है। हाउसिंग सोसाइटी ने उसे बेच दिया। गरीब आदमी ने निर्माण कर लिया, अब आप उसको तोड़ेंगे। आप कैसे तोड़ेंगे ? जयपुर में पचास हजार से ज्यादा मकान बने हुए हैं, पूरे राजस्थान में लाखों मकान हैं। यदि आप उनको तोड़ेंगे तो यह नेशनल वेस्टेज होगा। इसके व्यावहारिक पहलू को समझिए, मंत्रीजी इस अध्यादेश को आपको वापस ले लेना चाहिए, इसमें कोई इज्जत का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास। (अनुपस्थित) श्री पूनमचन्द विश्नोई (अनुपस्थित) श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश के सम्बन्ध में जो बातें कही गई हैं उनको मैं दोहराने की जरूरत नहीं समझता हूं। इतना मैं जरूर जानता हूं कि यह सारा मामला जल्दबाजी में की हुई कार्यवाही है। विधान सभा आ रही थी। मंत्रीजी इन पन्द्रह दिनों का हमें कार्यकलाप बता दें कि इन्होंने इस अध्यादेश के मार्फत क्या प्राप्त किया ? जहां तक सरकार की मंशा का सवाल है, मैं कुछ माननीय सदस्यों से इस मामले में असहमत हूं, अतिक्रमण का सवाल इतना गम्भीर हो गया है कि मैं समझता हूं, शायद मंत्रीजी ने और सरकार ने इसकी गम्भीरता को बहुत व्यापक ढंग से लिया था और इसीलिए उत्साह में इस कानून को बनाया है, इस अध्यादेश को लागू किया है। अब इसके परिणाम सामने आये तो

(श्री रामकिशन)

मंत्रीजी ने दुरूस्त करने की बात भी मान ली। मैं तो इसमें कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं समझता। अगर समझ से, ज्ञान से, जानकारी से कोई चीज दुरुस्त कर ली जाती है तो मैं इसे बुरा भी नहीं मानता। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में इतना सा निवेदन मुझे जरूर करना है कि इस अध्यादेश को तो लेप्स हो जाने दें और और इसके बाद एक कानून बने, उस कानून के कई तरह के सवाल हैं ...

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्षजी, मुख्य मंत्रीजी बदल गये हैं क्या ?

श्री रामकिशन : उनको गम्भीरता से लेना चाहिए और एक बात मैं मंत्रीजी से भी कहना चाहूंगा, जैसे मैंने एक दिन और भी कहा था कि ब्यूरोक्रेसी इस सरकार पर हावी है। अब आपका कैसा मजाक बनवाया है इस सदन में, आज आपको ब्यूरोक्रेसी ने अयोग्य साबित करवा दिया है। इसे आप खुद देखें। इसलिए जब यस सर, हां साहब, जैसा हुक्म आदि शब्दों के साथ अफसर आया करें तो आप थोड़ा सतर्क रहा करिए, आपका कितना मजाक बनवाया है इस मामले में और मजाक का नतीजा यह होगा कि अब राजस्थान, भंवरलालजी कैसे हैं, इसे बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपको अपने आप को योग्य साबित करने में बड़ी कठिनाई होगी। आप अपने आप को दुरुस्त कर रहे हैं, मुझे इस में कोई नाराजगी नहीं है, मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं। वास्तव में इतना गम्भीर मामला है कि जो आपने प्रावधान किये हैं मैं तो उनका समर्थक हूं। ऐसे प्रावधान होने चाहिए लेकिन उसके जो दूसरे परिणाम माननीय सदस्यों ने बतलाये हैं, निश्चित रूप से उनका दुरुपयोग होगा। इसलिए आप इस अध्यादेश को लेप्स होने दें और लेप्स नहीं होने दें, इसको अस्वीकार होने दें, उसके बाद जो बिल आया है उसके तीसरे वाचन पर भी और सरकार इस मामले में जो गड़बड़ी कर रही है, उसका मैं संकेत करूंगा। मैं चाहता हूं कि सदन इस अध्यादेश को अस्वीकार करे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 1991 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका संशोधन अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या 6) को अस्वीकार करता है, इस परिनियत संकल्प के समर्थन में मैं अपने विचार रख रहा हूं।

माननीय अध्यक्षजी। यह अध्यादेश लाने का मुख्य कारण मैं जहां तक समझ पाया हूं, उसकी शस्ति कठोर चीज है। आज जो स्थिति बन गई है, इस सम्बन्ध में मेरे पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने एक बात कही है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा हावी है, यह सही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का, जिस बात को माननीय मंत्रीजी जानते हैं, उस बात की ओर ध्यान दिलाऊंगा कि वह नियम नगरपालिका का जहा तक सवाल है, नगरपालिका में कोई अतिक्रमण नगरपालिका के कर्मचारियों की शह से कहीं भी नहीं होता है। नगरपालिका

(श्री रामनारायण वर्मा)

के कर्मचारी किसी अतिक्रमण को तुड़वाते हैं, रात को बात होती है, घर जाकर बात होती है, दूसरे दिन अतिक्रमण उससे दो गुना, चार गुना जगह पर बनाया जाय, किसी को कोई एतराज नहीं होता है। इस सम्बन्ध में इसमें कुछ करने की कोशिश की गई है लेकिन वह इतनी नहीं है। इस मामले में सख्त कानून कर्मचारियों के खिलाफ बनायें। मेरा आपसे निवेदन है, मैं इस बारे में आपको कोई शिक्षा देने की बात नहीं करता लेकिन इतना मैं निवेदन करूंगा कि इसको आप प्रेस्टिज पाइंट मत बनाइये। सारे सदन के लोग, आम जनता इस बात को जानती है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, कर्मचारी हावी हैं, मैं उनको दोष नहीं देना चाहता, एक परिपाटी और प्रोसीजर ऐसा बन पड़ा है कि वह आज की तारीख में राज चला रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करूंगा....

श्री अध्यक्ष : आप बोलें। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करिये।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी तीन मुख्य बातें हैं—रोटी, कपड़ा और मकान। यदि इस सम्बन्ध में हम कोई कानून बनाना चाहते हैं, हमें इसकी योजना बनानी पड़ेगी कि गरीब को या कोई अमीर भी है और किराये के मकान में रह रहा है, मकान बनाना चाहता है, उसके लिए आप जमीन उपलब्ध करायें। माननीय अध्यक्ष जी, आज हालत यह है कि हाउसिंग बोर्ड का मकान दो साल में टूट जाता है, कर्मचारी के खिलाफ उस दिन जांच होती है, दस दिन बाद क्या होता है, पता ही नहीं चलता। कोई मकान बनाना चाहता है, हम उसको जमीन दे नहीं सकते। जो जमीन सरकारी पड़ी हुई है, यह सही है कि अतिक्रमण होते हैं लेकिन हमें जिस बात का पता है कि दस साल बाद शहर यहां बढ़ेगा, पहले से हम क्यों नहीं प्लान बनाते? पहले से प्लान बनाकर क्यों नहीं हम उसमें नगर विकास न्यास के द्वारा या अन्य किसी संस्था के द्वारा वहां प्लाट्स नहीं कर पाते? हम करते हैं यह सही है लेकिन इतना कम करते हैं, कोई भी शासन आये, किसी भी पार्टी का शासन आये, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह काला कानून जो आप बना रहे हैं, आप जैसे आदमी के माध्यम से काला कानून पेश हुआ है, जिस दिन मंत्रिमण्डल ने यह निर्णय ले लिया, विधान सभा आहूत कर ली, उसके बाद में आप गजट नोटिफिकेशन कर रहे हैं।

मैं आपके निवेदन करूंगा कि मेरा इसमें किसी तरह का इन्टरेस्ट नहीं है लेकिन सदन का अपमान है इसमें। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सदन का जो अपमान किया है उसके बारे में सोचें। इस तरह के अध्यादेश नहीं लाये जायें और 27 तारीख को अध्यादेश जारी किया गया है उसको उसी तरह से आप विथड्रा करें और इस सम्बन्ध में किसी तरह का प्रेस्टीज इश्यू नहीं बनायें। उसको पूरा विथड्रा कीजिये और उसके बाद संशोधित रूप दीजिये। मैं तो आपसे यह निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में आप एक कमेटी

(श्री रामनारायण वर्मा)

बना दीजिए। जो भी इस हाउस के माननीय सदस्य हैं उन सदस्यों को साथ लें और उसके बाद नया प्रारूप देकर इस सम्बन्ध में कुछ कीजिए। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व वक्ताओं ने यह बात कही कि जो आर्डिनेन्स जारी हुआ जल्दबाजी में और हमारे जैसे भंवरलाल जी शर्मा हैं उन्होंने उसको वापस लेने का मानस बना लिया तो उन्होंने जनता की भावना को और सदन की भावना को पहचान लिया कि वास्तव में इसका बहुत भारी विरोध हो रहा है—जनता में, मजदूरों में, गरीबों में झोंपड़ी वालों में इसके लिए बड़ा भारी आक्रोश है। इसलिये भंवरलाल जी ने एक अच्छा मानस बना लिया है। भले आदमी को काला कानून बनाने के लिए बाध्य किया गया है। अब इनको सद्‌बुद्धि आ गयी और काला कानून वापस लेने का मानस बना लिया है और गरीब जो झोंपड़ी में रह रहा है वह मजदूरी करके, लाव खींच कर अपने छप्पर में गुजारा कर रहा है उसके लिए आप पूरी व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पिछले 44 सालों में यदि इस समस्या का समाधान किया गया होता तो आज इस कानून की आवश्यकता शायद नहीं पड़ती। सभी माननीय सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया है कि जिस गति से इस समस्या को निपटाया जाना चाहिए था वह हम नहीं निपटा सके। परिणाम यह हुआ कि जिसको जहां जगह मिली उसने मकान बना लिया। वह जमीन सरकारी थी, वह जमीन कैसी भी थी उस पर उसने कब्जा कर लिया। यह एक वर्ग ऐसा है जिसको हम कह सकते हैं कि उसकी विवशता रही होगी। लेकिन क्या सब ने ऐसा ही किया? यह सब माननीय सदस्यों की जानकारी में है कि प्रदेश में इस प्रकार के लोग जिनको हम लेण्ड ग्रेबर्स कह सकते हैं वह पैदा हुए, माफिया ग्रुप खड़े हो गये और उनका व्यवसाय यह है कि जहां कहीं जमीन मिलती है उस पर कब्जा करना, कब्जा करने के बाद उसका लाभ उठाना और लाभ उठाकर फिर और जमीन पर कब्जा करना। यह माननीय सदस्यों ने अपने विचार से बात रखी है। मैं इससे बिलकुल सहमत हूं। यह बात सही है और जब सरकार के सामने यह बात आयी कि इस प्रकार से जो लोग जमीनों को ग्रेब करते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं क्या उनको मुक्ति दे दी जाये? क्या उनको इस बात का अधिकार दिया जाये? कई बार तो ऐसा होता है कि जो जमीन किसी संस्थान ने किसी व्यक्ति को अलाट भी कर दी उस पर भी कब्जा कर लेते हैं। उसको बाहर निकाल देते हैं। उसमें किन-किन का हाथ है इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन क्या यह सदन इस बात की इजाजत देगी कि इस प्रकार सरकारी जमीन पर इस प्रकार के लोग नाजायज कब्जे करते रहेंगे, सरकार की भूमि को बेचते रहेंगे? यदि कोई व्यक्ति 5 रुपये का नोट चुरा लेता है तो उसके लिए सजा का प्रावीजन है। उसको दो साल की सजा होती है पांच रुपये

(श्री भंवरलाल शर्मा)

का नोट चुराने में लेकिन सरकार की लाखों रुपये की जमीन ले जाये कोई और हम उसके लिए कुछ भी नहीं करें। मैं समझता हूं कि इसमें आप यह कहें कि कल्याणकारी सरकार, तो क्या यह अकल्याणकारी है? हम ट्रस्टी हैं जमीन के। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : मंत्रीजी अध्यादेश क्यों लाये इसके बारे में बोलें।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी किसी क्लाज पर नहीं बोल रहे हैं। यह कारण बता रहे हैं कि अध्यादेश क्यों लाना पड़ा? वह सुन लीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : ....(व्यवधान).... आप माननीय सदस्य बोल रहे थे स्वतंत्रता थी। आप केवल आर्डिनेन्स पर नहीं बोले। हमारी योग्यता पर और हमारे कर्मचारियों की अयोग्यता पर यह सब का आपने वर्णन कर दिया।

श्री हेतराम बेनीवाल : वह तो आर्डिनेंस का बैक-ग्राउण्ड यही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : बीच में टोका-टाकी मत करिये। यह अच्छा अभ्यास नहीं है और खास तौर से जब माननीय अध्यक्ष बैठे हों तब तो बिलकुल मत किया करें वरना डाट खाओगे आप।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : फिर काला कानून भी आप मत लाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, काला कानून है या नहीं बता रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह अधिकार अध्यक्षजी का है, आप मत लो।

डा. चन्द्रभान : आप अध्यक्ष को प्रभावित कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं किसी को प्रभावित नहीं कर रहा हूं। मैं तो हाउस को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हूं। सवाल यह है कि मैंने जब-जब व्यक्तिशः बात की आप लोगों से आपने भी सुझाव दिया कि सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण हो रहा है और जो वर्तमान में कानून है उस कानून के आधार पर इसको रोका नहीं जा रहा है। अब यह ठीक है कि कानून की पालना करने वाले लोग इसकी तत्परता से पालना नहीं करते हैं। उनमें भी कई कमियां रहती होंगी लेकिन इतने बड़े लोग प्रशासन से जो लोग निकलकर आये हैं उनसे काम लेना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में इस कानून को इसलिए लाया गया और आर्डिनेन्स को क्यों लाया गया वह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। यह सबकी जानकारी में है कि जब कोई चुनाव आते हैं, चाहे कोई से भी चुनाव आते हैं उस समय अतिक्रमण होते हैं। एक तो वह अवसर होता है या फिर जब बरसात आती है उस बरसात के बहाने मेरा मकान गिर गया, मेरी पट्टी गिर गयी, मेरा झोंपड़ा गिर गया—इस आधार पर माफिया ग्रुप जमीन पर कब्जा करते हैं और इसलिए उसको जल्दी से जल्दी रोका जाये। इस आर्डिनेन्स के लाने के लिए दो परपज हैं, एक तो इस प्रकार के जो लोग अतिक्रमी हैं वह इससे भयभीत हो जायें। उनको कानून का डर खड़ा हो जाये कि यदि अब

(श्री भंवरलाल शर्मा)

यह अपराध हमने किया तो यह मामूली सजा नहीं है। पहले क्या होता था कि कोई अतिक्रमण करता है तो कानून में क्लाज है कि जुर्माना कर दीजिए। एक लाख की जमीन दबा ली और एक हजार जुर्माना आपको दे देंगे। यह कानून पर्याप्त नहीं था इसलिए जब तक उसको यह पता नहीं लगे कि सरकार की जमीन को छुआ तो छूते ही मुझको करेण्ट लगेगा, यह जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक अतिक्रमण को नहीं रोक सकते। कैसे रोक पायेंगे आप ? मैं समझता हूं कि इसके विरोध में कोई भी माननीय सदस्य नहीं है कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण चाहे वह कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति है, चाहे वह राजनैतिक प्रभाव का है उसको किसी प्रकार का राज्य की भूमि पर एक इंच भी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने दिया जाना चाहिए। यह सरकार की मंशा है। हम सरकार में बैठे हैं। हम जनता के ट्रस्टी हैं। यह जमीन जो है हमारी नहीं है। यह जनता की जमीन है। अगर हम इसको नहीं बचा पाते हैं तो यह हमारी अयोग्यता है। इसको बचाना शाबासी है।

अब रहा सवाल यह कि आर्डिनेन्स में यह जो व्यक्ति जिसकी खुद की जमीन है, अब खुद की जमीन है उस पर यदि कोई आदमी मकान बनाता है, वैसे तो जयपुर का नक्शा बिगड़ता है या कहीं का भी नक्शा बिगड़ता है तो प्लान्ड में वे मकान नहीं बनाते हैं तो नक्शा बिगड़ जाता है। मकान ठीक बनें, हवादार बने, मनुष्यों के स्थास्थ्य के लाभकारी हों; उस प्रकार के मकान बनें इसलिए नगरपालिका के नियम, उप-नियम बने हुए हैं कि इतनी ऊंचाई रहेगी, इतने दरवाजे लगेंगे, इतनी जगह खुली रखेंगे। यह कानून कोई आज नहीं बनाया है। जिसने भी यह कानून बनाये थे वह नासमझ लोग नहीं थे। उन्होंने इसीलिए कानून बनाया कि मनुष्य स्वस्थ रहे। केवल मकान बनाना पर्याप्त नहीं है। मकान बनाकर स्वस्थ रहे इसलिए बाई लाज और नियम बने हुए हैं। इसलिए अब उसमें वायोलेशन होता है, जो नगर पालिका में नक्शा पास करवाने के लिए एप्लाई करता है तो कई सालों तो नक्शा पास नहीं करते थे। उस परिस्थिति में एक व्यक्ति जो परमीशन की इंतजार में खड़ा है वह मकान बनाता है! नहीं बनाना है। नहीं बनाना चाहिए उसको लेकिन साथ ही साथ यह भी आवश्यकता है कि जिस संस्था को यह नक्शा पास करने का अधिकार है उसमें विलम्ब न करे।

विलम्ब करने के बाद उसकी यह स्थिति बनती। इसलिये यह तय किया कि इसको भी ठीक किया जाय लेकिन जब इसका प्रचार खड़ा हुआ, व्यवहार में आया गया तो यह बात समझ में आयी है कि इसको वापस कर लिया जाय तो कोई नुकसान नहीं है। जो सरकार जन-भावना के साथ चले, जो जन-भावना माने, उसका आदर करे, वह काला कानून बनाती है। मुझे अफसोस है आपके कहे इस रिमार्क पर। जो जनता की बात मानती है, जो जनता की भावना को समझकर उसके अनुरूप कानून बना दे वह तो काला कानून हो गया और जो जिद्द करे, छाती पर बैठकर, जैसे आप करते रहे, वह अच्छी सरकार है,

(श्री भंवरलाल शर्मा)

यह तो मैं समझता हूं, यह रिमार्क अच्छा नहीं है। इसलिये आपको इस बात का धन्यवाद देना चाहिये, आपको स्वागत करना चाहिये सरकार के इस कदम का कि जो कठिनाइयां हमारी समझ में आयीं, जिससे जनता परेशान हो सकती थी, उसको विथड्रा करने की बात कर रहे हैं, उसमें संशोधन की बात कर रहे हैं, उसका स्वागत करने के बजाय यह राजनीतिक भाषा आप कुछ भी बोलें लेकिन सही बात तो यह है कि लोगों को परेशानी नहीं हो, मन में आपके भी यही बात होगी लेकिन वह राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहता। हमने एक विचार कर लिया, इस कानून से अमुक लोगों को तकलीफ होगी, ज्यादा लोगों को तकलीफ होगी, इनको लूटा जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, रिक्शा वाला तंग होगा और वह कानून अगर हम मान लो भई, बदलकर के नहीं, जो पहला कानून था वह ठीक है, उससे ही काम चला लेंगे, उसमें भी आपत्ति की बात है।

अब रहा सवाल, कच्ची बस्ती की बात खड़ी कर दी कि कच्ची बस्ती को उजाड़ देंगे। कौन उजाड़ देंगे ? कौन उजाड़ रहा है कच्ची बस्ती वालों को ? कोई इच्छा नहीं है जब तक यह सरकार है और श्रीमान् भैरोंसिह शेखावत जब तक मुख्य मंत्री हैं, किसी कच्ची बस्ती वाले का, गरीब का तो नुकसान करने का सवाल ही नहीं उठता। अब जायेंगे तो वे लोग जायेंगे जो बड़े-बड़े हैं। (व्यवधान) अब यह मकान गिरेंगे....

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : माननीय मंत्री जी, लालावास के पास उजाड़ दिया एक बस्ती को तो।

श्री भंवरलाल शर्मा : लालावास का भी कह दूंगा। अब यह निवेदन करूंगा कि अब जो मकान गिरेंगे, अब जो जमीन छीनी जायेगी, उनकी पीड़ा जरूर समझ में आती है।

श्री रामकिशन : श्री भैरोंसिह जी बीच में कहां से आ गये ? आप ही सक्षम हैं। इस बात के लिए। गरीबों की झोंपड़ी आप ही नहीं गिरने देंगे। बीच में कहां से आ गये वे ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपको तो मेरे नाम से चिढ़ क्यों हो रही है ?

श्री रामकिशन : मुझे आपसे बहुत प्यार है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी थोड़ी देर पहले कमजोर बता रहे थे, अब शक्तिशाली बता रहे हो। वाह भई वाह।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी यह बता रहे हैं कि मेरी अपील सुनने वाले बैठे हैं। यह तो किसी ने गलती से कहा कि कच्ची बस्ती को उजाड़ दो, वह वैसे ही उजाड़ने नहीं देंगे।

श्री रामकिशन : बीच में कहां से आ गये, तो बीच में ही तो आये हैं। मैं तो बोल ही रहा था पहले थे ही नहीं। पहले आप कहां थे। अभी आये हैं ये तो। बीच में तो आये ही हैं। बीच में आ गये तो

(श्री रामकिशन)

क्या तकलीफ हो गई ? हमारे नेता हैं। हमारे हर एक्शन को समर्थन देंगे। अगर हम इधर-उधर भी करेंगे तो ठीक करेंगे। क्या हो गया उसमें ? हमको तो इस बात का गर्व है कि हमारा दिशा-निर्देशन करने वाले मुख्य मंत्री श्रीमान् भैरोंसिंहजी बिराजमान हैं। आपको तकलीफ हो सकती है लेकिन हमको तो खुशी है इस बात की हमारे परिवार का मुखिया अगर योग्य है तो बीमारी है, क्या तकलीफ है आपको ? भंवरलाल जी, हमें तो तकलीफ 1972 से है। पर करें क्या ? हमारे पास इलाज क्या है इसका ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अब, पण्डित जी, नाखून नहीं है तो मैं भी क्या कर सकता हूं। नाखून नहीं है तो कोई उपाय नहीं है इसका।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, यह जो आर्डिनेंस लाये हैं, यह बहुत पहले आना चाहिये था। यह चुनाव से पहले लाना चाहते थे लेकिन इस सम्बन्ध में....(व्यवधान)

बारिश के बाद नहीं, बारिश के पहले आया था। इसमें जो विपक्ष के नेता लोग हैं, उनसे परामर्श किया गया है। इस बिल को बनाते समय। यह कोई अकेले का नहीं था। विपक्ष के लोग इसमें बैठे थे।

डा. चन्द्रभान : नाम बताओ। किन-किन नेताओं से किया गया, यह नाम बताओ। हमारे दल के नेता से ? (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : यह बिलकुल गलत है। विरोधी दल के नेताओं से वार्ता नहीं की गई।

श्री जगतसिंह दायमा : आपके दल में कौन-कौन हैं, यह तो बताओ।

श्री डूंगरराम पंवार : इनके विरोध करने से ऐसा प्रतीत होता है कि नाजायज कब्जा करने वाले केवल कांग्रेस के ही आदमी हो सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : जिस समय यह चर्चा हो रही थी, उस समय आप विपक्ष में नहीं थे। तब आप यहां बिराजते थे। यह तो अब गये हो अपने लक्खणों से।

डा. चन्द्रभान : हमें तो एक साल हो गया विपक्ष में। हमें तो एक साल होने जा रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : विचार-विमर्श के बाद जनहित के लिए और सरकारी भूमि पर कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही प्रभावशाली हो, वह अतिक्रमण नहीं कर सके, उसके लिये कानून बनाया है। जिसका स्वागत श्री प्रद्युम्नसिंह जी ने किया और अन्य कई माननीय सदस्यों ने किया है। जिस पर आपत्ति है, वह भी हम समझ रहे हैं उस दुःख-दर्द को और उसका निदान जब यह संशोधन वगैरह होंगे, उस प्रक्रिया में करने की कोशिश करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि यह जो प्रस्ताव है, उसको विथड्रा कीजिये।

श्री अध्यक्ष : कल्ला साहब, आप बोलना चाहेंगे। संक्षेप में कह दीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यादेश को अस्वीकार करें आप पहले।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, अभी स्वायत्त शासन मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उसमें कहीं भी यह नहीं बताया कि पिछले 15 दिनों में इस अध्यादेश को लाने से लेकर विधान सभा शुरू होने के बीच में कितनी नगरपालिकाओं ने ऐसे कितने कब्जे हटाये इस कानून के तहत और कितने लोगों को सजा दी, कितनों का प्रोसिक्यूशन किया और ऐसी क्या इमरजेन्सी आ गयी थी कि आप अध्यादेश को विधान सभा के शुरू होने से कोई 15 दिन पहले ले आये....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक दिन पहले।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 27 अगस्त को लेकर आये थे और 10 सितम्बर को असेम्बली शुरू हुई। मैंने पूर्व में भी जब अपना वक्तव्य दिया था, उस समय भी यह प्रश्न उठाया था कि आपको इन 14 या 15 दिन में ऐसी कौनसी इमरजेन्सी थी जिसके कारण आप अध्यादेश के माध्यम से यह सख्त कानून लेकर आये। अध्यक्ष महोदय, मैंने और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों ने यह बहुत स्पष्ट कहा था कि यदि नगर परिषद् और नगरपालिका के किसी भी स्थान पर कोई व्यक्ति अनधिकृत कब्जा करता है तो उसको आप दण्डित करें इसमें सदन के किसी भी माननीय सदस्य को एतराज नहीं है, लेकिन जिनके मकान बने हुए हैं चालीस-चालीस वर्षों से....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनको कौन छेड़ रहा है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो 45-45 वर्ष से मकान बना रखे हैं उनको अगर कोई एडीशन आल्टरेशन करना है, उनके बारे में जो आपने कानून में उपबन्ध किया है, मैं समझता हूं आपने लोगों के वैयक्तिक स्वतन्त्रता पर कुठाराघात किया है और जिस तरीके से अपने ट्रांसपोर्टर्स के बारे में, जो सामान ढोने वाला है, सीमेन्ट सप्लाई करने वाला है, जो-जो व्यक्ति....

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो बहुत जगह है, साहब।

श्री अध्यक्ष : जवाब देने का हक है उनको।

श्री बुलाकीदास कल्ला : और किसी व्यक्ति ने कह दिया कि आप यह एडीशन्स आल्टरेशन्स अपने घर में कर लीजिये, उस व्यक्ति को भी आपने पनिशमेंट के लिये जो इस कानून में उपबन्ध किया है, हालांकि अभी-अभी आपने अपने आप को करेक्ट किया, उसके लिये तो धन्यवाद, लेकिन अध्यादेश के बारे में आप बतायें कि ऐसी कौनसी स्थिति आ गई थी कि आपको यह कानून अध्यादेश के रूप में लाना पड़ा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 1991 को प्रख्यापित राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1991

(श्री अध्यक्ष)

(1991 का अध्यादेश संख्या–6) को अस्वीकार करता है।

(ध्वनिमत के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

अनेक माननीय सदस्य : हां पक्ष जीता।

श्री प्रद्युम्न सिंह : We want division.

श्री अध्यक्ष : मैं पुनः पूछता हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 1991 को प्रख्यापित राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या-6) को अस्वीकार करता है।

(ध्वनिमत के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

अनेक माननीय सदस्य : हां पक्ष जीता।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम डिवीजन क्लेम करते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं एक बार और पूछ लेता हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 1991 को प्रख्यापित राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या–6) को अस्वीकार करता है।

(ध्वनिमत के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

श्री प्रद्युम्न सिंह : Ayes have it. We claim division.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : We want division.

श्री अध्यक्ष : लाबीज क्लीयर करा दीजिये।

सदन की कार्यवाही

1

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय कार्य सूची के पूरे होने तक बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : ना, ना। एक घण्टे तक बढ़ाया जाये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : ऐसी क्या जल्दी है, अध्यक्ष महोदय, कल भी तो हो सकता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऐसी लम्बी कार्य सूची लाते ही क्यों हो?

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। आपने डिवीजन काल कर लिया। जैसे ही हमने डिवीजन के लिए मांग की, आपने लाबीज क्लीयर करने के आदेश दे दिये। इस बीच में जो दूसरा प्रस्ताव ले आये हैं, वह क्या नियमों के विपरीत नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अनुकूल है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कतई विपरीत है, श्रीमान्।

श्री अध्यक्ष : डिवीजन के बीच में ही समय समाप्त हो सकता है। इसलिये समय बढ़ाने का प्रस्ताव उचित है।

प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत ध्वनिमत के पश्चात्)

आइ थिंक, हां पक्ष जीता।

एक माननीय सदस्य : नो सर, नो सर। इस पर भी डिवीजन मांगो।

श्री अध्यक्ष : इस पर भी डिवीजन कराया जाय ? (व्यवधान)

इस पर भी डिवीजन। अच्छा-अच्छा, मैं हाथ उठवाता हूं। (व्यवधान)

आप मानते नहीं तो क्या करें। मैं फिर यह पूछ लेता हूं। नहीं-नहीं आप डिवीजन मांगते हैं. आइ विल गिव यू। आप चिन्ता मत करिये, दे दूंगा। मैं फिर पूछ लेता हूं।

प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया गया।

विधायी कार्य

परिनियत संकल्प

(मत-विभाजन के लिए घण्टी)

दरवाजे बन्द कर दीजिये।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 1991 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या–6) को अस्वीकार करता है।

(ध्वनिमत के पश्चात्)

मैं समझता हूं ना पक्ष जीता। (व्यवधान)

(डिवीजन)

हाँ पक्ष

क्र.सं.	सदस्य का नाम
1.	श्री अमीन खां
2.	,, ईश्वरलाल सैनी
3.	प्रो. केदार नाथ शर्मा
4.	,, घासी लाल
5.	,, चन्दनमल बैद
6.	डा. चन्द्रभान
7.	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
8.	,, जनार्दन सिंह गहलोत
9.	,, जुबेर खान
10.	,, दयाराम परमार
11.	,, देवेन्द्र सिंह
12.	,, नाथूराम अहारी
13.	,, परसादीलाल मीणा
14.	,, पूनम चन्द विश्नोई
15.	,, प्रकाश चन्द्र बैरवा
16.	,, प्रद्युम्न सिंह
17.	,, प्रभुलाल
18.	,, प्रेमसिंह दहिया
19.	,, बिरधाराम चौधरी
20.	श्री बुलाकीदास कल्ला
21.	,, भरोसी लाल
22.	,, मनीराम सियाग
23.	,, महीपाल यादव
24.	,, महेन्द्र कुमार परमार
25.	,, मोतीलाल
26.	,, मोहनलाल (परबतसर)
27.	,, मोहम्मद माहिर आजाद
28.	,, यदुनाथसिंह
29.	,, रतना राम चौधरी
30.	,, राजेन्द्र पारीक
31.	,, रामकरण
32.	,, रामकरण सिंह
33.	,, रामकिशन
34.	,, रामनारायण वर्मा
35.	,, रामस्वरूप (टोडाभीम)
36.	,, रामसिंह विश्नोई
37.	,, रामेश्वर दयाल यादव
38.	,, लक्ष्मीलाल मेहता
39.	,, विनोद कुमार
40.	,, शिवजीराम
41.	,, श्रीराम मीणा
42.	श्रीमती सुमित्रा सिंह
43.	श्री हरिसिंह (महुआ)
44.	,, हीरालाल इन्दौरा
45.	,, हीरालाल देवपुरा
46.	,, हेतराम बेनीवाल

ना पक्ष

क्र.सं.	सदस्य का नाम
1.	श्री अचला राम
2.	,, अनंग कुमार जैन
3.	,, अर्जुन दास मदान
4.	श्रीमती उजला अरोड़ा
5.	श्री उम्मेद सिंह
6.	,, ओमप्रकाश गुप्ता
7.	,, कन्हैया लाल
8.	,, कालीचरण सराफ
9.	,, कालूलाल गूर्जर
10.	,, किशन गोपाल कोगटा
11.	,, किशनाराम नाई
12.	,, कुन्दन लाल
13.	,, कृष्ण कुमार गोयल
14.	,, खंगार सिंह चौधरी
15.	,, गंगाराम चौधरी
16.	,, गणपतराम गाडेगावलिया
17.	,, गमीर लाल मीणा
18.	,, गुलाम मुस्तुफा खान
19.	,, गोपीराम जाट
20.	,, गोविन्द सहाय
21.	,, चतरभुज
22.	श्री चुन्नीलाल (उदयपुर ग्रामीण)
23.	,, चुन्नीलाल इन्दलिया
24.	,, चुन्नीलाल धाकड़
25.	,, जगजीत सिंह
26.	,, जगतसिंह दायमा
27.	,, जगन्नाथ
28.	,, जीतमल जैन
29.	,, जीवराम कटारा
30.	,, जोगेश्वर गर्ग
31.	,, टीकमचन्द कांत
32.	,, डूंगरराम पंवार
33.	श्रीमती तारा भंडारी
34.	श्री दिग्विजय सिंह
35.	,, दिलसुख राय
36.	,, देवीसिंह भाटी
37.	,, नफीस अहमद खान
38.	,, नवनीत लाल नीनामा
39.	,, नारायण लाल
40.	,, प्रभुराम ग्रासिया
41.	,, फूलचन्द मीणा (सलूम्बर)
42.	,, बंशीलाल पटवा
43.	,, बाबूलाल खांडा
44.	,, बालचन्द आर्यवीर
45.	,, भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर)
46.	,, भंवरलाल शर्मा (हवामहल)
47.	,, भैरूलाल बैरवा
48.	,, भैरोंसिंह शेखावत

49. श्री मदन दिलावर
50. ,, मदनलालसैनी
51. ,, मदनमोहन (सिंघल)
52. ,, मनोहरसिंह (लाडनूं)
53. ,, महावीर प्रसाद
54. ,, मांगीलाल मेघवाल
55. ,, मिश्रीलाल चौधरी
56. ,, मोहन मेघवाल
57. ,, रखबचन्द मीणा
58. डा. रतनलाल जाट
59. श्री रमजान खां
60. ,, रमाकांत शर्मा
61. ,, राजपालसिंह शेखावत
62. ,, राजेन्द्र गहलोत
63. ,, राजेन्द्र राठौड़
64. ,, रामकिशोर मीणा
65. ,, रामकिशोर सैनी
66. ,, रामनारायण विश्नोई
67. ,, रामप्रताप कासनिया
68. ,, रामेश्वर
69. ,, ललित किशोर चतुर्वेदी
70. ,, लक्ष्मीनारायण दवे
71. ,, लालचन्द डूडी
72. ,, शम्भूदयाल बडगूजर
73. ,, शांतिलाल (राजसमंद)
74. ,, शांतिलाल चपलोत (मावली)
75. ,, शिव किशोर सनाढ्य
76. ,, शिवदान सिंह
77. श्री श्रीकिशन सोनगरा
78. ,, सम्पतराम
79. ,, सम्पत सिंह
80. ,, सुरेन्द्र गोयल
81. ,, हरलाल सिंह खर्रा
82. ,, हरिकुमार औदिच्य
83. ,, हीरासिंह चौहान
84. ,, हुक्माराम मेघवाल
85. ,, हेमराज मीणा
86. ,, नन्दकिशोर शर्मा

(मत विभाजन का परिणाम)

श्री अध्यक्ष : परिनियत संकल्प के समर्थन में 46 मत पड़े और उसके विरोध में 86 मत पड़े इसलिए परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

श्री प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय। श्री प्रभारी मंत्रीजी।

विधेयक पर विचार

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक जो लाया गया है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि यह विधेयक सही मायने में इस प्रकार का विधेयक है जो कि जनता को गम्भीर रूप से कठिनाई में डालने वाला होगा क्योंकि इस विधेयक के अन्तर्गत संशोधन धारा 31 में जिस प्रकार मकान को या किसी चीज को बनाने वाले व्यक्ति को भी सम्मिलित किया गया है और उसे भी दोषी माना गया है। अध्यक्ष महोदय, संशोधित धाराओं के अन्तर्गत इस प्रकार का प्रावधान भी रखा गया है जिससे सरकारी तंत्र दुरुपयोग कर सकता है, प्रतिशोधात्मक, पक्षपातपूर्ण तरीके से भी कार्यवाही कर सकता है और निरंकुश अधिकार इस विधेयक से मिल जाएंगे इससे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जयपुर और राजस्थान के 90% इस विधेयक के तहत निर्माण के कार्य रुक जाएंगे जो सही मायने में राष्ट्रीय क्षति होगी। यह मामला भी इसमें लिया गया है कि जहां तीन वर्ष पहले नियमों में प्रावधान था कि तीन साल पहले जो भी निर्माण हो जाते थे उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती थी लेकिन इस संशोधन विधेयक के आने के बाद 25, 30 और 40 साल पहले के जो मकान बने हुए हैं उनके ऊपर भी इस बिल का असर हो सकता है और मैं सोचता हूं कि राजस्थान के सभी शहरों में ऐसे निर्माण कार्य बहुत पुराने पड़े हुए हैं जिनको समयावधि हटाने के बाद निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि सरकारी तंत्र उन पर किसी रोज भी हाथ डाल सकता है और उसको सजा भी दे सकता है, जुर्माना भी कर सकता है। इसलिए आज इस बिल के तहत एक तरफ मकान बनाने वाले पर भी जुर्म बनता है तो यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो मकान की फिटिंग करने वाले, सेनेट्री का काम करने वाले या कारपेन्टर का भी नाम आ सकता है और उनके खिलाफ भी कानून का इस्तेमाल किया जा सकता है और तो और जहां से सामान खरीदा जाय मकान बनाने के लिए उनके ऊपर भी यह कानून लागू हो जाता है कि उसने सामान क्यों दिया। अध्यक्ष महोदय, यह किसको मालूम है कि कौन आदमी सही या नाजायज मकान बना रहा है? हर कारीगर जो गाँव से शहरों में रोजी-रोटी कमाने पहुंचते हैं उनको क्या मालूम कि किसका नक्शा पास है या किसकी जमीन क्या है। इस कानून के तहत उनको भी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं आते हैं।

श्री कालीचरण सराफ : वह विथड्रा कर लिया।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप जब जवाब दें तो बता दीजिए। अभी तक तो ऐसी स्थिति में यह सारे लोग इस कानून के तहत आते हैं। आप जयपुर का ही देख लीजिए चाहे सी-स्कीम हो, राजा पार्क या पुनर्वास योजना या कोई जे डी. ए. की योजना हो, परकोटे के अन्दर आज वर्षों पुराने मकान बने हुए हैं उन मकानों के ऊपर अगर यह कानून आ जायेगा तो आज मैं सोचता हूं 50 हजार मकान ऐसे होंगे जो नाजायज साबित होंगे। अगर किसी मकान में छोटा-मोटा दरवाजा निकालना, खिड़की या रोशनदान भी लगाया तो उसके ऊपर भी यह कानून आ जाता है।

श्री ललितचन्द डूडी : मैं निवेदन कर दूं माननीय सदस्य से, अगर किसी ने देखे लिया कि आप क्या बोल रहे हैं तो वह यों समझेंगे कि आप पढ़ कर ही नहीं आते हैं और पढ़ कर आते हैं तो समझते ही नहीं कि क्या पढ़ रहे हैं। इसलिए यह मत बोलिये।

श्री कालीचरण सराफ : यह तो विदड्रा कर लिया जो आप बोल रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : कहां किया ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करेंगे अगर माननीय सदस्यों के दबाव में आकर विथड्रा कर लिया है तो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : डिवीजन किसका मांगा था वह सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के लिए मांगा था ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सही मायने में आजादी के बाद ऐसा काला कानून पहले कभी न तो आया, न आगे कल्पना की जा सकती थी। हम माननीय भैरोंसिंह जी की सरकार से आशा नहीं करते थे कि इस प्रकार का कानून सही मायने में अघोषित आपात्कालीन स्थिति पैदा करने वाला होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : किसका ? आप प्रस्ताव रख रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : जनमत जानने के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : रमाकान्त जी, नहीं बोलेंगे। और कोई....कल्ला जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में जब यह अध्यादेश के रूप में यहां लाया जा रहा था, अध्यादेश को अस्वीकृत करने के बारे में अपने विचार रखे थे उस समय कुछ बिन्दु रह गये थे उस बारे में विधेयक के रूप में रहे हैं। अभी विधान सभा सचिवालय के माध्यम से खण्ड 4 में—

After sub-section (18) of Section 203 of the Rajasthan Municipalities Act, 1959 (Rajasthan Act No. 38 of 1959) as sought to be substituted by the clause, the following new sub-section (19) be inserted namely:

"(19) No investigation of an offence under this section shall be made by an officer below the rank of a Deputy Superintending of Police."

यह तो इन्होंने एक नया क्लाज इसमें एड किया है। मैं जानता हूं कि मंत्रीजी ने अपनी रिप्लाई में यह बात कही कि जो निजी पट्टे शुदा मकान बने हुए हैं उनमें वह क्या अमेण्डमेंट लाना चाहते हैं वह सदन को जरा बता देते तो हमें अपने विचार व्यक्त करने में ज्यादा आसानी रहती क्योंकि अभी तक इन्होंने इसको विथड्रा नहीं किया है। हम तो विरोध करेंगे कि जो आपने धारा 170 के सब-सेक्शन (11) में जो 200 रुपये का जुर्माना था उसकी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

जगह आपने अधिकतम जुर्माना 10 हजार किया है। यह गरीब जनता पर भारी भार है और इसमें आपने 3 माह तक की सजा का प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र में रोटी, कपड़ा और मकान यह व्यक्ति का प्राथमिक अधिकार है और रोटी पर तो इन्होंने रोक लगा दी, कहीं कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं इन्होंने कहा था—

"चिराग मिलेगा हर घर के लिए और कहां
चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए,
जहां दरख्तों के साये में धूप पड़ती है,
चलो कहीं और चलें उम्र भर के लिए।"

श्री अध्यक्ष : उम्र भर के लिए कहां जा रहे हैं आप ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : लोग राजस्थान छोड़-छोड़ कर बाहर जा रहे हैं।

श्री सम्पत सिंह : अब पता लगा अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के दरख्त किन्होंने कटवाये। "दरख्तों के साये में धूप लगती है" तो आपने ही कटवाये हैं दरख्त ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमारी पार्टी ने तो लगवाये हैं। आप काटने का काम कर रहे हो। एस्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत जो 50 साल से लोग रह रहे हैं उनको कांग्रेस की सरकार ने वेलफेयर सरकार के रूप में हरिजन, गिरिजन और कमजोर वर्ग के लोगों को जो एस्टेट ग्रान्ट के अन्तर्गत पट्टा दिया था उनका क्या होगा ? जिन लोगों को 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत पट्टे मुहैया करवाये थे उनके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। कच्ची बस्ती के सुधार के लिए समय-समय पर निर्णय हुए और जुलाई, 1989 तक जो व्यक्ति जहां है उनके नियमन की बात की गई उनके बारे में इस विधेयक में कोई बात नहीं कही गई है। बल्कि जो लोग वर्षों से रह रहे हैं जिनके सात-सात पीढ़ियों से मकान हैं, उसमें कोई एडीशन अल्ट्रेशन किया है, उसके बारे में भी यह प्रोसीक्यूट करेंगे। मैं समझता हूं कि अंग्रेजों के वक्त में ऐसा कोई कठोर कानून नहीं बना था। ऐसा कठोरतम कानून बनाकर इस सरकार ने सबसे पहले तो अपनी ही पार्टी के लोग, जो शहरों से चुनकर आये हैं, उनको तो कम से कम इन्तजाम कर ही दिया और मुझे खुशी है। माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी आप इस एक्ट को विथड्रा नहीं करें। आप पास कराइये, हम विरोध करेंगे और फिर आप देखना कि शहरों में, आप लोग तो शहरों पर गर्व करते हो कि हमारी पार्टी का प्रमुत्व है, पता लग जायेगा कि आपको कितने वोट वहां से मिलते हैं।

श्री जगतसिंह दायमा : वोटों के लिए राजनीति होती है क्या ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : यहां पर जो भी बात कही जाती है, मंत्रीजी के द्वारा कम से कम व्यवधान नहीं डाला जाना चाहिए। व्यवधान मंत्री तो एक ही बहुत है। आप व्यवधान मंत्री क्यों बन रहे हो। नगरपालिकाओं के बारे में यह सरकार कहा करती थी कि हम चुंगी माफ कर देंगे। इन्होंने चुंगी माफ नहीं की और न ही नगरपालिकाओं का कोई अच्छा प्रबन्ध किया। आज सारे शहर सड़ रहे हैं। कचरे

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

के ढेर लगे हुए हैं। आप जयपुर में जाकर देखिये। जयपुर की चौकड़ियां, गोपाल जी का रास्ता, मोतीसिंह भोमियों का रास्ता, रामचन्द्र जी का रास्ता, यह सारे के सारे आज सड़ रहे हैं। कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। लेकिन उसकी तरफ तो सरकार का ध्यान जाता ही नहीं है। चुनाव में इन्होंने वायदे किये थे कि हम चुंगी माफ कर देंगे, नगरपालिकाओं में सुधार करेंगे, नगरपालिकाओं के माध्यम से कच्ची बस्तियों का नियमन करेंगे, इन सब बातों के बारे में कोई कानून नहीं बनाया। सिर्फ नगरपालिकाओं में एक तरह से जो इस कानून के माध्यम से निजी सम्पत्ति रखने वालों के दो-दो सौ, सौ-सौ गज के पट्टों के बारे में कोई भी एडीशन अल्ट्रेशन किया है, उसके लिए पिछले दरवाजे से भयंकर भ्रष्टाचार करने का रास्ता खोला है और इसका मैं विरोध करता हूं। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि इन सब चीजों को आप विथड्रा करें और इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं एक, दो सुझाव और देना चाहूंगा। नगर परिषद् और नगरपालिकाओं को बहुत कम अनुदान दिया जा रहा है। आज नगरपालिकाओं के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने के कारण, तनख्वाह बढ़ने के कारण, बजट में तो वेतन की राशि बढ़ी लेकिन उतनी उनकी आय नहीं है। तो उनकी आय बढ़ाने के लिए कोई साधन उनको जुटाना चाहिए या चुंगी माफ करके सैल्स टैक्स आधा परसेण्ट बढ़ा करके नगरपालिकाओं का पुख्ता प्रबन्ध करना चाहिए, उसकी जगह आज नगर परिषद और नगर पालिकाओं में जो अव्यवस्था चल रही है, उनको दूर करने के बारे में भी कोई प्रावधान करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने दो दिन पहले एक बात कही थी कि एक तरफ तो सरकार स्वयं व्यवसायिक भूखण्डों का नियमन कर रही है। छः रुपये गज में जो जमीनें दी जा रही हैं, उन जमीनों की कीमत आज के बाजार भाव से लाखों रुपये में है। एक लाख बीस हजार रुपये में जो नियमन किया जा रहा है, उस जमीन की कीमत 70 लाख रुपये है। इन सब चीजों को चैक करना चाहिए। उसकी जगह सरकार ने जो यह कानून बनाया है, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा। कई दिनों से यह मेरे से शिकायत कर रहे थे। इनको बोलने दीजिए। हां, बोलिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये, मेरा तो यह निवेदन है कि सरकार इस प्रकार के जो कानून बनाती है, विधेयक लाती है, उससे पहले यह नहीं सोचती है कि यह परिस्थितियां क्यों पैदा हुई, क्यों जरूरत पड़ती है इस प्रकार के विधेयक लाने की? क्या पहले इस प्रकार के कानून नहीं बने हुए थे, क्या पहले सरकार नहीं थी? यह जो जमीनों के ऊपर अतिक्रमण हुआ, जिसके कारण यह कानून बना, विधेयक बना, इसके बारे में मेरा यही निवेदन है कि अगर....

श्री सम्पतसिंह : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री रामस्वरूप मीणा : जोर से बोलूंगा तो बोलोगे जोर से बोलता हूं। धीरे बोलूंगा तो कहोगे सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप कभी जोर से और कभी धीरे से बोलते रहो।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं धीरे-धीरे शुरूआत कर रहा हूं, जोर से बोलने लग जाऊंगा। सरकार इन जमीनों को सीलिंग के अन्दर लेती है और लेने के बाद इसका प्रचार नहीं करती है कि यह सरकारी जमीन है और सरकार ने आगे चलकर अपनी स्कीम, या जो भी कुछ है, करेगी। इसका परिणाम यह होता है कि बीच के जो दलाल हैं, जयपुर के आस-पास के जो ग्रामीण लोग हैं या एस. टी., एस. सी. के लोग हैं, जिनकी जमीनें हैं, काश्तकार हैं, उनको यह दलाल और व्यापारी लोग जाकर के भड़काते हैं कि सरकार आपकी जमीन को लेना चाहती है और कुछ नहीं देगी इसलिए इस जमीन को आप हमें बेचिये। हम अच्छा पैसा देंगे और उसका परिणाम यह होता है कि यह सोसायटीज उनको ले लेती हैं और लेने के बाद में पट्टे देकर उन जमीनों को बेच देते हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा यह लेते हैं। कौड़ियों के भाव ली जाने वाली जमीन यह लोग सोने के भाव बेचते हैं और उसके बाद में उस पर मकान बन जाते हैं और बहुत सारे मकान आज भी मौजूद हैं, जिनको बने हुए वर्षों हो गये हैं। लेकिन जिस समय वह बनते हैं, उस समय उन पर कोई ध्यान नहीं देता है कि यह नौबत क्यों आई। सरकार ने ऐसी कौनसी कमी रखी, जिसके कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई। जिन लोगों की, गरीब किसानों की, एस. टी., एस. सी. के लोगों की जमीनें ली गई हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या अन्याय हुआ है। इस प्रकार के कई प्रकरण, कई मामले कोर्ट में आये और कोर्ट में यह होता है कि एस. टी., एस. सी. की जमीन किसी दूसरे के नाम होती नहीं है, सोसायटी इसको लेती है। उसका वह लोग एक एग्रीमेण्ट कर लेते हैं। कोर्ट एस. टी., एस. सी. के लोगों के पक्ष में फैसला देती है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ध्यान देवें निवेदन कर रहा हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। इसमें मेरा सुझाव है कि अगर आप ध्यान दो तो ऐसे काले कानून बनाने की जरूरत ही न पड़े। लेकिन आप यहां भी इन बातों को ध्यान देकर नहीं सुनना चाहते हो। मेरा आपसे निवेदन है कि एस. टी., एस. सी. के लोगों की जमीनें, जो दूसरों के नाम नहीं हो सकती हैं, उनको भी यह सोसायटी एग्रीमेण्ट के जरिये ले लेती है और इनको बेचकर पट्टेदारी करा लेती है और अच्छा खासा पैसा वसूल कर लेते हैं। एस. टी., एस. सी. के लोग जिन्होंने बाद में कोर्ट की शरण ली है और कोर्ट ने उनके माफिक फैसले दिये हैं, लेकिन जमीन पर तो दूसरे लोगों के कब्जे हो गये और उन्होंने मकान बना लिये, कोर्ट के फैसलों का आज तक कुछ नहीं हुआ, सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करती है, उन लोगों को परेशान करती है। सरकार उनके खिलाफ कई जगह सुप्रीम कोर्ट में भी गई है, लेकिन जिन गरीबों की जमीन चन्द कौड़ियों के बदले ले ली गई है, उस समय उनको क्यों नहीं रोका गया। इसलिए मुद्दा यही है जिसके कारण इससे यह काला

(श्री रामस्वरूप मीणा)

कानून आपको लाना पड़ रहा है और जो आपको नहीं लाना चाहिए।

मैं आपसे निवेदन करूं आप उन किसानों को, उन गरीबों को, एस. टी., एस. सी. के लोगों को जिनकी जमीनें कौड़ियों के भाव बिकती हैं, उस समय उन लोगों को जाकर क्यों नहीं सचेत करते हो कि आप लोग इस प्रकार की जमीन मत बेचो। यह जमीन सरकार की है, सरकार की सीलिंग में आ चुकी है। आपको अखबारों के जरिये प्रचार करना चाहिए, जन-जागरण करना चाहिए और इस बात को बताना चाहिए कि आप इस जमीन को नहीं बेचो, यह सरकारी जमीन है। सरकार लेना चाहती है, सरकार ले चुकी है ताकि यह नौबत नहीं आवे। इसलिए मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि एस. टी., एस. सी. के लोगों के साथ बहुत अत्याचार होते हैं, उन लोगों को कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है और कोर्ट में उनके माफिक फैसले हो जाते हैं, लेकिन कब्जा दूसरों का हो जाता है और वह जमीन बिक चुकी होती है और सरकार और किसान, दोनों देखते ही रह जाते हैं, बीच के दलाल लोग इसका फायदा उठा ले जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के कानून लागू करने से पहले मेरा यह निवेदन है कि आप चाहे कितने कानून बना लेना। आप कहते हो हम इस कानून के जरिये तीन साल की सजा देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, अब तक आपने कितनों को तोड़ दिया, कितने लोगों को आपने सजाएं दे दीं। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। 40 साल से बने हुए मकान को आप नहीं तोड़ सकते। जनता चाहती है जिनको बना देती है, जनता चाहती है जिसको बिगाड़ देती है। इसलिए आप सोचो। अगर इस प्रकार के कानून आपने लागू किये तो जनता आपको जिस कुर्सी पर आज आप बिराजमान हैं उस कुर्सी से तुरन्त ही नीचे उतार देंगे।

इसलिये आप इस प्रकार का कानून नहीं लागू कर सकते और करेंगे तो आपको इसमें बहुत ही ज्यादा संकट का सामना करना पड़ेगा। प्रेक्टिकल में यह नहीं हो सकता, व्यवहार में नहीं आयेगा। मैं निश्चित कहता हूं, 40 साल के मकान को कोई जाकर नहीं तोड़ेगा। अभी आपने तोड़ा तो कई जगह आन्दोलन हो गये। आपके खिलाफ हो जायेंगे और आप जाकर कहीं वोट भी नहीं मांग सकेंगे। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि यदि इस प्रकार से काले कानून माननीय अध्यक्ष महोदय, काले कानून को लाने से पहले आप जनता की भलाई की बात सोचें, वास्तविक स्थिति को देखें। आखिर यह इस प्रकार की नौबत क्यों आयी, क्या कमी थी जिसके कारण से यह लड़ाई लड़नी पड़ी। किस प्रकार से यह अतिक्रमण होते हैं सरकारी जमीनों के ऊपर। आप उन अतिक्रमणों के बारे में, यह कलक्टर महोदय, हमारे अधिकारीगण जितने भी बिराजमान हैं, मैं इनको निवेदन करना चाहूंगा कि अभी आपने गाँवों का चौड़ा रास्ता करने के लिये कह दिया, खेल के मैदान को खाली करने के लिये कह दिया और बहुत सारी जमीन सरकारी है जिन पर कब्जे हो रहे हैं उनको कह दिया। अब तक क्या हुआ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा,

(श्री रामस्वरूप मीणा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि आपने कितने रास्ते चौड़े कर दिये, आपने कितनी स्कूलों की जमीन खाली करा ली, मैदानों की, सरकारी जमीनों की कितनी खाली करा ली ? क्या इस कानून का कोई लाभ आपको मिला है ? नहीं मिला है। जब आपको कोई लाभ नहीं मिला है तो क्यों ऐसे कानून को फिर लागू करते हो।

इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करें और इस प्रकार के काले कानूनों को लागू नहीं करें बल्कि उस वास्तविक स्थिति को देखें कि यह नौबत क्यों आयी, इस प्रकार के कानून बनाने की क्यों उनको नौबत आयी और गरीब एस. टी./एस. सी. के लोग, गरीब किसान लोग जिनकी जमीनें कौड़ियों के भाव बिकी हैं उन लोगों को आप बतायें और भविष्य के लिये इस प्रकार से जन-जागरण लावें ताकि उन लोगों को पता लगे कि इस प्रकार से जमीनें नहीं बिकती हैं, इस प्रकार से कब्जे नहीं कर सकते हैं। इसका यह परिणाम होता है और आप अब बनने के बाद कानून बना रहे हो। बनने के बाद इस कानून का कोई महत्व नहीं रह जायेगा। जो मकान 40 साल से बन गये हैं उस मकान को आप ढहा नहीं सकते अगर उस मकान को आप ढहायेंगे तो आप भी ढह जायेंगे। मेरा यह निवेदन है इसलिये आप इस पर विचार करें। यह मकान ढहाना बहुत गलत बात है। गरीब लोग जो झोंपड़ियों के लोग हैं वह आकर पट्टा लेकर कहीं बस गये हैं ऐसे लोगों को आप हटाते हो। सरकार का काम किसी को रोजी-रोटी देना है, सरकार का काम किसी को रोटी, कपड़ा और मकान देना है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम गरीबों के नुमायन्दे हैं, आप गरीब को मशीश मान कर चलते हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, और आप कहते हो कि उनके मकान को तोड़ दिया जाय। यह कुछ ऐसी बातें हैं, यह दोहरी नीति आपकी नहीं चलेगी। जनता सब कुछ जान गयी है। जनता का राज है, जनता सब कुछ जानती है इसलिए आप इसको लागू करने से पहले जनता के विचार मालूम करें, इसके बारे में जानकारी करें ताकि यह कानून लागू नहीं हो, जनता इसको नहीं चाहती है। किस तरह से जयपुर में हल्ला मचा हुआ है अभी। अभी आपने कुछ कार्यवाही की तो कितना हल्ला मचा, आज जनता में हा-हाकार मचा हुआ है इस कानून से। जिस कानून के बनने से हा-हाकार मच गया हो उसको लागू करेंगे तो क्या हालत होगी। यह आप भी जानते हो। इसलिये मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस विधेयक को निश्चित रूप से जनता के भीतर भेजें और इस प्रकार के काले कानून को निश्चित वापस लेंगे। यही मेरा आपसे निवेदन है।

दूसरा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि (व्यवधान)

माननीय सदस्य आप सुनिये। आप युवाओं की आवाज नहीं सुनना चाहते हैं, यह बहुत बुरी बात है। इतनी बढ़िया बात जनता के हित की बात आपको सुनने को मिल रही है और आप सुनना भी नहीं चाहते। सुनिये, कुछ धैर्य रखिये। पता चल

(श्री रामस्वरूप मीणा)

जायेगा जब आप क्षेत्र में जायेंगे इस कानून को पास करके तो क्या हालत होगी। आप खुद नहीं जा सकते क्षेत्र में। विरोध करते हों आप इस प्रकार जनता के हित की बातों का। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे जो सुझाव हैं, वास्तविक सुझावों पर आप ध्यान देंगे और इस प्रकार का आप संशोधन करेंगे और इसमें अवश्य जनता की राय मालूम करेंगे इसको पास करने से पहले। यही मेरा आपसे निवेदन है। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद और मैं जब भी आपसे निवेदन करूं आप इसी प्रकार से कृपा इधर भी रखें। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका, द्वितीय संशोधन विधेयक का मैं विरोध करता हूं और जनमत जानने के लिये इसको परिचालित किया जाय यह मैं प्रस्ताव रखता हूं। यह राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक में 170 की जो धारा है जिसमें नगरपालिकाओं को भवन निर्माण इजाजत की प्रक्रिया है वह दी गयी है। अब बिना इजाजत जो भवन बनाते हैं उनको रोकने के लिये सरकार कहती है इम्प्लीमेण्टेशन करेगी। नगरपालिकाओं के अन्दर जिस कार्य को करने के लिये सफाई निरीक्षक होते हैं, नगरपालिकाओं के अन्दर एक-एक जे. ई. एन. होता है उसके पास इतना सारा काम होता है कि अगर कोई बिना इजाजत के बनायेगा तो इसकी रिपोर्टिंग किस तरह से होगी। यह अपने आप में विषय है। अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका क्षेत्रों के अन्दर छोटी नगरपालिकाओं का जहां तक सवाल है, तृतीय श्रेणी की नगरपालिका और द्वितीय श्रेणी की नगरपालिका में जो जमीन है, जमीनें तो लोगों के पास पीढ़ियों से उनकी मालिकाना हक की जमीन हैं परन्तु उसके पास टाइटल नहीं है, पट्टे नहीं है। नगरपालिकाओं के अन्दर 20 पर्सेण्ट जमीन ऐसी होती है जिसके अन्दर उनके पास टाइटल होता है और 80 पर्सेण्ट जमीनें ऐसी होती है जिसका उनके पास टाइटल नहीं होता है। उनको भवन बनाने के लिये रोके जाने की यह साजिश है। अध्यक्ष महोदय, देश के अन्दर आवासीय सुविधा की बहुत कमी है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की आज तक यही मन्शा रही है कि जो भी भवन बनाना चाहें उसको प्रोत्साहित किया जाय। यह तो यहां कानून के तहत उनको रोके जाने की व्यवस्था की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक अधिनियम की धारा 203 का सवाल है इसके अन्दर मंत्रीजी ने 18 उप धारायें बनायी हैं जिसके अन्दर कई जगह बहुत त्रुटियां रख दी हैं। जैसे 203 की उप धारा–2 के अन्दर उन्होंने कहा कि चाहे सरकारी भूमिहीन हो....

श्री अध्यक्ष : आपको तो मौका मिलता रहता है बोलने का, संक्षिप्त में बोलिये। धारायें आप पहले बोल चुके हैं फिर उसी को रिपीट कर रहे हैं।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था कि....

श्री अध्यक्ष : पुनरावृत्ति मत करिये, सब धाराएं आ चुकी हैं।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, 203 धारा–6 में इन्होंने बताया कि अतिक्रमण और कुर्क की जाने सम्बन्धी है, जो भी अधिकारी करेगा उसको अविलम्ब बोर्ड के सामने रखेगा। मैं मीटिंग के बारे में जानना चाहता हूं। बोर्ड की मीटिंग नगरपालिकाओं में कब होती है। दो महीने नहीं होती, तीन महीने नहीं होती। मैं अतिक्रमण की बात बता रहा हूं। 203 के अन्तर्गत अगर इस तरह की कोई प्रक्रिया हुई और उसमें अतिक्रमण की बात आयी तो आप नगरपालिका बोर्ड के पास कब भेजेंगे। आपके यहां तीन-तीन, चार-चार महीने और कभी-कभी तो छह-छह महीने मीटिंग नहीं होती है। इसी तरह से इसकी धारा 18 और 19 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें आपने बताया कि अगर कोई अधिकारी इन नियमों की अवहेलना करेगा, अतिक्रमण हटाये जाने सम्बन्धी आदेश की जो अवहेलना करेगा तो उसको सजा दी जायेगी। सजा के अन्दर आपने प्रावधान रखा है....

श्री अध्यक्ष : आप रिपीट कर रहे हैं। बीस लोग पहले बोल चुके हैं यह बात। मैं यह समझता हूं कि आप काफी संजीदा और पुराने हो गये हैं।

श्री प्रेमसिंह दहिया : धारा 19 के अन्तर्गत अभी इन्होंने कहा कि थानेदार से ऊपर....

श्री अध्यक्ष : आपका प्रस्ताव क्या है उसे बोलिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया : थानेदार के ऊपर डी. वाई. एस. पी. की रैंक का आदमी इसकी जांच करेगा। अध्यक्ष महोदय, एक-एक नगरपालिका के अन्दर ऐसे कितने मामले होंगे? डी. वाई. एस. पी. के पास क्या यही काम है या नगरपालिका के लिये कोई अलग से डी. वाई. एस. पी. जांच के लिये आप रखेंगे। यह इस तरह की जो आपके नियमों के क्रियान्वयन के अन्दर जो भी कमियां आयेगी उसको दुरुस्त किये जावें व इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री सुनील कुमार विश्नोई। (अनुपस्थित)

श्री जुबेर खान। (अनुपस्थित)

श्री परसादीलाल मीणा। (अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाया गया है मैं समझती हूं कि इसकी धाराएं घातक हैं, जो पुराने नियम थे उसमें इस प्रकार की व्यवस्था थी, इसको रोकने की व्यवस्था थी। अब जो भूमि है। कौन-सी भूमि ऐसी मानी जायेगी जिस पर अतिक्रमण किया गया है, जैसे पिछली सरकार ने कुछ भूमियों को लीज पर दे दिया तो जिनको वह भूमि दी गयी थी उन्होंने न तो बाद में लीज का पैसा जमा कराया और न भूमि खाली की और लीज की भूमियों पर निर्माण कर लिया। वह पुराना निर्माण है। सरकार उसको हटाये पर हटा नहीं पायेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इसमें कई तरह

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

की दिक्कतें आयेगी। ग्रामीण क्षेत्र की छोटी-छोटी नगरपालिकायें हैं उनमें मैंने कई बार देखा है कि आवासीय क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव दिये गये हैं लेकिन वह मंजूर नहीं होते हैं, कहीं प्रस्ताव ही नहीं दिये जाते हैं। आबादी तो बढ़ रही है और लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए और मांगते हैं नगरपालिका से तो कोई योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्था सामने आयी नहीं। यह दोनों स्थिति सामने है कि उसको अतिक्रमण की सीमा में लेंगे या आवासीय आवश्यकता के अनुसार कब्जा किया इसको लेंगे। मैं इस पक्ष मे हूं कि सरकारी भूमि खाली होनी चाहिए लेकिन जिस प्रकार यहां पर यह बिल लाया गया है उसमें गंध आती है कि लोगों को परेशानियां पैदा होगी, जटिलताएं पैदा होगी। मुझे तो कई मामलों में यह घातक लगती है। मैं कहना चाहूंगी कि जनता के लिए लाये हैं, जनता की सहमति इसमें ली जाय। मैं समझती हूं कि दण्डनीय अपराध की श्रेणी में इसको रखा है। वह दूसरे अपराध की श्रेणी में है। जो नगर-पालिका में ऐसे अतिक्रमण को हटाने के लिए अफसर हैं उनके पास ऐसी शक्तियां हैं वह हटा सकते हैं लेकिन उनको न करके इसको अपराध की श्रेणी में लाना पूर्णतया गलत होगा। सरकार उस पर विचार करे और इसे जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती रमा पायलट। (अनुपस्थित)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य। (अनुपस्थित)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा भी नाम है।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम कहां है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपका खण्डशः पर है।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो संदेह प्रकट किये हैं उसका कोई आधार नहीं है। पुराने मकान बने हुए हैं, जिन लोगों ने बना लिये हैं उनको कौन तोड़ेगा? कौनसा संशोधन ऐसा लाये हैं जिसके कारण पुराने मकानों को तोड़ेंगे? जो वर्तमान में कानून है उसके अन्तर्गत जो कुछ कार्यवाही की जा सकती है वह की जा सकेगी बाकी इस कानून के आने के बाद पुराने मकान तोड़ दिये जायेंगे। इसका यह अर्थ किस धारा से समझा है वह मुझे समझा दें। किस धारा से आप यह समझ रहे हैं कि पुराने मकान तोड़ दिये जायेंगे। यह हो सकता है कि पढ़ने में कुछ भूल रही होगी।

दूसरी कच्ची बस्ती और गरीब की बात कर रहे थे। मैंने पहले निवेदन किया यह कानून गरीबों को सताने के लिए बिल्कुल नहीं है। यह कानून उन लोगों के लिए है जो अपनी प्रभावी शक्ति के साथ राज्य की भूमि पर कब्जे करते हैं। क्या आप यह चाहते हैं कि उनको एनक्रोचमेण्ट करने दिया जाय? इसको रोका नहीं जाय? किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे। यह कानून में लिखा हुआ है कि जो जमीन प्राइवेट नहीं है उस पर लागू होगा। जो किसी की प्राइवेट है, उस पर

(श्री भंवरलाल शर्मा)

लागू नहीं होगा। शुरू में ही लिखा हुआ है अदर दैन प्राइवेट लेण्ड। माननीय रामस्वरूप जी बहुत जोर से बोल रहे थे। एस सी., एस. टी. की जमीन ले ली, लोगों ने कब्जे कर लिये....

श्री रामस्वरूप मीणा : मैंने कहा था।

श्री अध्यक्ष : अब आप सुनिये। इतना समय दिया फिर भी कुछ बच गया क्या? और दे दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : एस.सी., एस.टी. की जमीन ले ली, सोसायटियों ने कब्जे किये जो कब्जे हुए यह कब की बात कर रहे हैं? कौन से काल की बात है? चार छः महीने एस.सी., एस.टी. की जमीन बिकी हैं क्या? यह सारा झगड़ा जंजाल आप छोड़कर गये हैं उनको ठीक करना होगा, उनका रास्ता निकालने देंगे या नहीं दोगे? आप अनुभव करें कि जो कुछ आप नहीं कर सके, आपके कार्यकाल में जो कुछ बिगड़ गया यह सरकार उस पर मोहर लगायेगी यह कभी नहीं होगा। जो लोग सरकारी भूमि पर कब्जा करेंगे उनको सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। बाकी जो लोग, जिनको पट्टे दे दिये, अलाटमेण्ट हो गया, सन् 1981 के बाद रेगुलराइज कर दिया उनको नहीं हटायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिनको बीस सूत्री कार्यक्रम में दे दिये उनको भी नहीं हटायेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : केवल राजनैतिक भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि इनको भी हटाया जायेगा। गांव वालों को हटाया जायेगा, क्यों हटाया जायेगा? कौन से कानून में यह पढ़ रहे हैं, कानून की किस धारा से यह समझ में आ रहा है। उनको हटाने का सवाल ही नहीं। जो कानून आया है उसका उद्देश्य सीमित है। जो लोग जान-बूझकर राजनैतिक संरक्षण लेकर कब्जे करते रहे हैं उनको जरूर लिया जायेगा। उनको तकलीफ हो सकती है। यह सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। सोसायटियां किसकी थी। आप चर्चा कर रहे थे सोसायटियों की कि राज की जमीनों पर कब्जे किये हैं, गरीबों को पट्टे दिये हैं, नागरिकों को बेच दी है। जिनको लूटा है, चीट किया है उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आप हमारे हाथ क्यों पकड़ते हो। यह सही है कि कई लोग उनमें से आपके मेम्बर हैं जिन्होंने सोसायटियों का निर्माण करके और राजनैतिक संरक्षण प्राप्त करके यह कार्य करते रहे....

श्री रामस्वरूप मीणा : आप नाम बताओ।

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर आप क्या कर लोगे? + + +

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपके + + + ने किया है। आपको पता है....

श्री अध्यक्ष : आप नाम नहीं बता सकते हैं....

+ + + नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री चन्दनमल बैद : नाम बताना पड़ेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सदन पर उन्होंने जानकारी दी है कि उनके नाम पर दो पट्टे हैं। नाम बताया है।

श्री अध्यक्ष : नाम नहीं लेंगे। यह नाम निकाल दें। किसी का नाम नहीं लें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : + + + का नाम लिया है मंत्री महोदय ने।

श्री अध्यक्ष : कोई नाम नहीं लिया। कृपया नाम न लें जो भी नाम आये हैं वह काट दें। कार्यवाही से हटा दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : नाम नहीं लूंगा लेकिन आइन्दा पूछना भी मत। माननीय दहियाजी ने एक बात कही कि जब एक्शन करेंगे तो बोर्ड के सामने प्रस्तुत करेंगे। बोर्ड की मीटिंग रोज नहीं होगी तो क्या होगा? बोर्ड की पावर्स है, उसका पूरा बोर्ड ही उपयोग करता हो ऐसा नहीं है। बोर्ड अपनी पावर को ट्रान्सफर करता है किसी को भी कर सकता है, मेम्बर को दे सकता है, यह उसकी पावर की बात होगी। बोर्ड किसी को पावर दे देगा इसलिए वह दिक्कत नहीं आयेगी।

श्री प्रेमसिंह दहिया : जो बोर्ड पावर नहीं दे पायेगा तो क्या होगा? होता है आपसी झगड़े होते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह दे देंगे। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि आप बार-बार यह शंका प्रकट कर रहे हैं कि बिल्डर है या ट्रान्सपोर्टर है उसको इसमें फंसाया जायेगा तो मैंने आपसे निवेदन किया है कि हम इसमें जब क्लाज बाई क्लाज आयेगा तो उसको प्रस्तुत कर देंगे। यह संशोधन प्रस्तुत कर देंगे। मैंने पहले भी निवेदन किया। यह जानकारी आपको भी है। लेकिन आपने इसको राजनैतिक मंच बना दिया है; राजनैतिक लड़ाई हो रही है।

श्री चन्दनमल बैद : यह साधुओं की जमात है क्या? राजनीति तो है ही। साधू हम थोड़े हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : कभी-कभी देश के बारे में, प्रदेश के बारे में भी तो सोचो।

श्री चन्दनमल बैद : राजनीति से ऊपर उठकर ही सोच रहे हैं कि उन लोगों को जिनके प्राइवेट मकान हैं वह घर में कुआ बना लेगा, उसको तीन महीने की सजा देंगे। इसलिए तो ऊपर उठकर सोच रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपकी और मेरी तो बात हो चुकी है और मैंने निवेदन भी किया है कि इसको वापस ले लेंगे। आपने सहमति भी दे दी है। राजनीति का तो कोई जवाब नहीं है। मैं तो ईमानदारी से संशोधन लाया हूं यह ईमानदारी का संशोधन है और उसके आधार पर जो इस प्रकार का अतिक्रमण हो रहा है उसको रोकने का यह छोटा-सा प्रयास है इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। आपको तो यह कहना चाहिए और कई माननीय सदस्यों ने कहा

+ + + नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

इस प्रकार के लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए । .. (व्यवधान)....किसी को भी परेशानी नहीं होगी । फिर भी आपको लगे कि इस कानून के कारण किसी गरीब को, किसी को परेशानी पैदा हो रही है तो सरकार के दरवाजे खुले हैं । जब आप कहेंगे सुधार कर देंगे । कोई जिद नहीं किसकी । यह एक ईमानदारी का प्रस्ताव है । इसलिए है कि जब हमारी सरकार या हम लोग देखते हैं कि सरकारी जमीनों पर लोग कब्जे करते हैं, हम देखते रहते हैं कुछ कर नहीं सकते । ऐसी स्थिति में इस कानून को लाना बहुत जरूरी था । यह जन हितकारी नियम और कानून है, कोई काला कानून नहीं है । इसमें जो थोड़ा व्यवधान है उसको हम विथड्रा कर रहे हैं । आप इसको संज्ञा देते हो काले कानून की, यह किसी और ही प्रेरणा से दे रहे हो आप । कहीं और से प्रेरित होकर ही यह बात कहते हो । बाकी तो इसको एप्रीशिएट करना चाहिए । हम जन-धन की रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए कानून लाये हैं । इसमें क्या दिक्कत है अतिक्रमण रोकने में ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : धारा 170 में जो कुछ कर रहे हो उसकी दिक्कत है, बाकी हमें अतिक्रमण रोकने में कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह मैंने आपको निवेदन किया ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप जवाब में यही बोलो न ।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्लाजवाइज विचार आयेगा तो मैं देऊंगा, जब उस पर विचार होगा । मैं उसको रख रहा हूं । मैंने आपके सामने कमिट किया है । कागज आने में देर हो सकती है, पर भावना समझिये । मैंने व्यक्तिगत भी बात की है आप लोगों से । आपके सुझाव और हमारे राज्य की मंशा, दोनों मिली हुई हैं । उसमें कोई दिक्कत नहीं है । इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जो आपने यह प्रस्ताव रखा है इसको तो ड्राप करें और इस पर विचार कर लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ? (अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय ? (स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

खण्ड 2, श्री महावीर प्रसाद ।

(7.00 सायं)

नियम का निलम्बन

नियम 306 के अन्तर्गत नियम 265 (2) का निलम्बन

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं आपकी अनुमति से, अध्यक्ष महोदय, खण्ड 2 और

(श्री भंवरलाल शर्मा)

खण्ड 3 को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : प्रिंसिपल एक्ट में अमैण्डमेण्ट नहीं दे सकते। नेगेटिव अमैण्डमेण्ट कैसे दे सकते हो ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं अनुमति ले रहा हूं, रूल्स में रिलैक्सेशन के लिए निवेदन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि मुझे इसको वापस लेने के लिए अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 306 के अन्तर्गत संशोधन प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम 265 (2) के प्रावधानों को निलम्बित किया जाय ? (स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री लक्ष्मीलाल : अध्यक्ष महोदय, सदन का समय बढ़ाया गया था वह समाप्त हो चुका।

श्री भंवरलाल शर्मा : बहुत देर से नींद खुली है।

श्री अध्यक्ष : आप शायद बाहर गये थे जब समय बढ़ाया गया था।

विधेयक पर विचार

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 2 और खण्ड 3 विलोपित किये जायं।

श्री यदुनाथ सिंह : क्या बचा ? आर्डिनेन्स को लैप्स ही हो जाने देते। क्या बचा बताओ नया ? कुछ नहीं बचा।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो खण्ड 4 है, खण्ड 2 और खण्ड 3 के विलोपित हो जाने से इसका क्रम अब 2 हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 को विलोपित करने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ? (स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 को विलोपित करने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ? (स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब तो काला कानून नहीं रहा न ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अब नहीं रहा।

श्री अध्यक्ष : खण्ड 4 भी इसमें शामिल है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : खण्ड 4 का क्रम खण्ड 2 हो जायेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, खण्ड 2 में मैं इस प्रकार संशोधन के लिए प्रस्ताव कर रहा हूं :

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

"In sub-section 18 of section 203 of the principal Act, the expression 'Wilfully or knowingly neglects or deliberately omits to stop or prevent such enconoachment or abstruction,' shall be omitted."

मेरा यह निवेदन है कि इस क्लाज में इंस्पेक्टर के लिए यह प्रावधान किया गया है कि वह जानबूझकर या जानते हुए भी यदि कोई इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करेगा तो वह दण्डित किया जायेगा। मेरा इसमें यह निवेदन है कि जानबूझकर या जानते हुए भी, यह बात कौन तय करेगा कि वह जानता था या नहीं जानता था ? मेरा ऐसा मानना है कि जहां हम नागरिकों से यह अपेक्षा करते हैं कि वह किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेगा, उसको दण्डित किया जायेगा, उस पर जुर्माना किया जायेगा और कारावास तक की सजा का हमने इस बिल के माध्यम से प्रावधान रखा है। ऐसे समय किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को यह छूट देना, उसके डिस्क्रिशन पर रखना कि वह यह जानबूझकर नहीं कर रहा था या उसको जानकारी नहीं थी, मैं समझता हूं कि उसका एक सर्टेन एरिया है, उसकी यदि जानकारी नहीं तो यह कहना कि उसको जानकारी नहीं थी, पहले आप यह तय करो कि उसने जानबूझकर किया था या नहीं किया था, या उसकी जानकारी में था या नहीं था। यह मैं समझता हूं एक बचने का उपाय है। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जब हम जनता के साथ इस प्रकार का कठोर प्रोविजन लाते हैं तो निश्चित रूप से अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ भी हमको उसी कठोरता से लागू करना होगा। यह जो गली रखी गयी है इस गली को हटाने की आवश्यकता है। माननीय मंत्रीजी ने क्लाज 2 को विथड्रा किया है। मैं जानता हूं कि वैसे तो वर्तमान एक्ट में भी यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी इन अतिक्रमणों को रोकना चाहता तो अपने आप में सक्षम था। लेकिन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की मिलीभगत से, कुछ राजनेताओं की मिलीभगत से सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया और आज सरकार यह सोचती है कि इस एक्ट के द्वारा हम इस प्रकार के अतिक्रमणों को हटा देंगे। मैं समझता हूं आज भी आवश्यकता इस बात की थी कि इस पर पुनर्विचार किया जाता। यह जल्दबाजी में लाया हुआ बिल है, जल्दबाजी में कई प्रकार के प्रावधान रह गये हैं जैसे स्ट्रिप आफ लैण्ड। जैसे, अपने मकान के आगे किसी ने अपना ठेला रखा हुआ है, कोई गांठ रखी हुई है, कोई कुर्सी-टेबल रखी हुई है उसको आप जुर्माने से दण्डित करेंगे। उसको आप अतिक्रमण मानेंगे, क्योंकि वह निजी भूमि तो है नहीं। लेकिन उसकी भूमि के आगे यदि कोई स्ट्रिप आफ लैण्ड है, कोई सरकारी भूमि है वह भी उसी का अधिकार है, वही व्यक्ति उसका उपयोग और उपभोग कर सकता है। लेकिन इस कानून के आ जाने के बाद यदि उसने किसी प्रकार का उपयोग और उपभोग किया और उसके बाद आपका कोई इंस्पेक्टर गया तो इस बात की प्रबल सम्भावनाएं हैं कि वह उस सजा के नाम पर जो उसको

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

होगी, जो उसको भयंकर 10 हजार का जुर्माना होगा। इस प्रकार के जो प्रावधान आपने किये हैं तो आपका यह उत्तरदायित्व है कि आप उन अधिकारियों को भी सजग करें कि यदि वह गलती करेंगे तो उनको भी दण्डित किया जायेगा। उनके लिए भी किसी प्रकार का रास्ता नहीं छोड़ें।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ जब आपने इस प्रकार का कन्सीडरेशन किया है तो मैं चाहूंगा कि इस प्रोविज़न को भी आप स्वीकार करेंगे। मैं इतना ही कहते हुए पुनः यही निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्रीजी इस पर विचार करें।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन दिया है उसमें क्लाज 4 का क्रम दो होगा और एक अमैण्डमेण्ट इसमें और दिया है—

"No investigation of an offence under this section shall be made by an officer below the rank of a Deputy Superintendent of Police."

यह मैं प्रस्तुत करता हूं और यही निवेदन करता हूं कि टौंक से आने वाले माननीय सदस्य ने शंका व्यक्त की है, साधारणतया यह शिकायतें मिलती हैं कि जिनका यह दायित्व है और जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने भी कहा कि एनक्रोचमेण्ट रोकने का जिनका दायित्व है वह अपना कर्त्तव्य का पालन नहीं करते हैं, कई बार वह एनक्रोचमेण्ट कराने में भी सम्मिलित हो जाते हैं। ऐसी भी शिकायतें मिली हैं। वह ऐसा नहीं कर सकें, अपने कर्त्तव्य का पालन करें। इसमें यह संशोधन किया है कि यदि वे भी मिल-जुल कर इस प्रकार के एनक्रोचमेण्ट कराते हैं तो उनको भी दण्डित किया जाना चाहिए, लेकिन दंडित उसी स्थिति में किया जायेगा जब वह इनकी जानकारी में वह हो रहा हो, उनकी मिली-भगत से हो रहा हो तब उनको दंडित किया जावे। सामान्यतया किसी अपराध के लिए दंडित करने के लिए यह आवश्यक है कि करने वाले की नीयत होनी चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए, मैनशरिया जिसको कहते हैं, मैनशरिया जब तक नहीं होगा तब तक अपराधी की परिभाषा में नहीं आता है। इसलिए हमने इसको जोड़ा है। फिर यह जांच उस नगरपालिका की संस्था को दी गई है, वह अपने इन अधिकारियों के कर्त्तव्यों को देखें और यदि उनको लगे इसमें इनकी लापरवाही से या इनकी मिली-भगत से यह काम हुआ है तो उनको दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। अगर यह नहीं करेंगे तो फिर केवल जो एनक्रोचमेण्ट करते हैं उन्हीं को दंडित करें और साहब मिली-भगत से, हमारे कर्मचारी इस चीज को कराते रहें तो उनको उस परिधि में लाने के लिए यह संशोधन किया है।

इसलिए यह रखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी अगर जानबूझकर ऐसी हरकत करता है तो उसको दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन यह नहीं कि साहब कोई सीधे ही पुलिस में रिपोर्ट करा दे और कार्यवाही शुरू हो जाय तो बड़ा अनर्थ होगा। इसलिए जांच

(श्री भंवरलाल शर्मा)

के लिये जो उनके सक्षम अधिकारी है वह देख लेंगे और देखने के बाद अनुमति देंगे तो प्रासीक्यूशन होगा। उसके लिए इतना भय ही पर्याप्त है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन श्री महावीर प्रसाद जैन ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधित रूप में खण्ड 4 स्वीकार किया गया। प्रभारी मंत्री जी–खण्ड 5।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जो खण्ड 5 है उसका क्रम 3 हो जायेगा तो मेरा यह संशोधन है कि 5 की बजाय उसको 3 अंकित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्रीजी ने खण्डी 5 को पुनः संख्यांकित करने का जो संशोधान प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1–अधिनियम, सूत्र, नाम आदि–कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1–अधिनियम, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

अधिनियम, सूत्र नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा—प्रभारी मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगे कि पारित किया जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री रामकिशन : (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो संशोधित बिल सदन के सामने पेश किया गया है हम विरोध पक्ष के लोग निश्चित तौर पर उसका समर्थन करते हैं और समर्थन इस दृष्टि से करते हैं कि राजस्थान में जिस प्रकार से अतिक्रमण हो रहे हैं, वैसे तो सारे देश में ही हो रहे हैं

(श्री रामकिशन)

लेकिन राजस्थान में इस प्रकार के गिरोह बन गए थे, अगर यह सरकार इस काम को रोकने के लिए सक्षम होगी तो हम सब बधाई देंगे, बधाई की पात्र सरकार है।

लेकिन, अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके सम्बन्ध में फिर से सफाई होना बहुत जरुरी है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने संशोधन पेश किया है कि इन सारे अपराधों की जांच डीवाई. एस. पी. करेंगे। अब शायद उनकी मन्शा तो यही है कि छोटे आफिसर ईमानदारी से काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन दूसरी एक समस्या शायद गृह मंत्रीजी के ध्यान में हो, मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में होगी कि इन डीवाई. एस. पी. को कई तरह के काम दिये जा रहे हैं। इनको दी जा रही है दहेज के मामले में जांच यही करेंगे, धारा 3 के मामले जो होंगे, खास तौर से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मामलों की जांच यही करेंगे और इनकी जांच भी यही करेंगे तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके पास स्टाफ है क्या? डीवाई. एस. पीज. की स्ट्रेन्थ इस वक्त सैक्शन हैं, वहां एक हैड कान्स्टेबल और दो कान्स्टेबल होते हैं उनके पास

(7.17 रात्रि)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और स्टाफ कहां है आप जांच करा लीजिए राज्यभर में। जहां यह अछूत लोगों सम्बन्धी कानून हैं और दूसरी तरह के कानून हैं उनका डिस्पोजल किस प्रकार से हो रहा है। अगर सरकार की मन्शा यही है कि इन मामलों में जांच प्रभावशाली ढंग से हो तो मेरा दूसरा सुझाव यह है कि बजट प्रावधानों के तहत अगर सम्भावना हो, कर सकते हों तो डीवाई. एस. पी. के लिए अधिकार दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके लिए स्टाफ भी देना चाहिए। अन्यथा इन मामलों की जांच में और डिले होगी और अपराध घटने के बजाय और बढ़ेंगे।

एक दूसरा मेरा निवेदन इस सम्बन्ध में यह है कि सरकार कानून बनाती जाती है और कानून पर अमल होने की सम्भावना बहुत कम है। वैसे माननीय मंत्रीजी ने एक बात कही कि हम जो सरकारी कर्मचारी नगरपरिषद के कर्मचारी अतिक्रमण में सहयोगी होंगे उनको सजा देंगे। लेकिन आपने 203 (18) में प्रावधान करके परन्तुक को लगा दिया और बोर्ड से लेनी पड़ेगी इजाजत और बोर्ड इजाजत देने वाला नहीं है, तो उनके खिलाफ कार्यवाही कैसे होगी? जरा मुझे बता दीजिए। मैं यह समझता हूं कि अगर हमें ऐसे कर्मचारियों को जो अतिक्रमण में सहयोग करते हैं नगर-परिषद् और नगरपालिका में उनको सजा देनी हो तो इस परन्तुक को आपको हटा देना चाहिए और पब्लिक को सीधे उनके खिलाफ कार्यवाही करने का मौका देना चाहिए। अन्यथा यह तय बात है कि आज राजस्थान में जितने अतिक्रमण हुए हैं, जितने अतिक्रमण किए गए हैं उनमें 70 से 80 पर्सेन्ट नगरपरिषद् के कर्मचारियों के सहयोग से होते हैं। यह सही है कि कुछ लोग ऐसी जगहों पर गुण्डागर्दी करके, ताकत के बल पर अतिक्रमण कर लेते हैं लेकिन मैं तो अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, मैं सारे राजस्थान की बात

(श्री रामकिशन)

नहीं करता हूं, लेकिन मैं भरतपुर के बारे में आम तौर पर जानता हूं कि वह सरकारी कर्मचारियों के नोटिस में रहते हैं, वे 100-50 रुपये ले लेते हैं और उस पर अतिक्रमण करवा देते हैं और अतिक्रमण करवाने के बाद कोई कानून सक्षम होता नहीं।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि कानून के 203 क्लाज में जो 18–परन्तुक है उस पर सरकार दुबारा विचार करें और ऐसे कर्मचारियों को भी दंडित करना चाहिए। इससे एक वातावरण बनेगा। एक तरफ तो आ रहा है सख्त कानून और दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी होंगे, जो गड़बड़ी करते हैं उनको भी दंडित करने की बात जनता में फैलेगी तो निश्चित तोर पर ऐसे अपराधों में कमी होगी।

एक निवेदन और मुझे माननीय मंत्रीजी से करना है कि आज हमारी नगरपालिकाओं और नगरपरिषदों की हालत क्या हो गई है? मैं किसी राजस्थान को दोष नहीं देता हूं, मैं किसी श्री भंवरलालजी को दोष नहीं देता हूं, श्री भैरोंसिह जो को दोष नहीं देता हूं लेकिन यह सच है कि आज सारे शहर कूड़ा घर बन गए हैं, कूड़ा घर। अब यह क्यों बन गए? उसमें आवास की नीति है, बढ़ती हुई आबादी भी है, 20 बबाल हैं मैं सारा जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि इस बिल का स्कोप में नहीं है। लेकिन एक कारण यह है कि, उपाध्यक्ष महोदय, आबादी तो बढ़ गई, बहुत ज्यादा और इन नगर परिषदों के पास सफाई कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है और सरकार उनकी इजाजत देती नहीं और यह कह कर इजाजत नहीं देती है कि इनकी वित्तीय स्थिति खराब है। नतीजा यह है कि जो शहर आज से 20 साल पहले 20 हजार की आबादी का था उसकी तादाद हो गई 50 हजार, उसकी तादाद हो गई 60 हजार जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है उस तरह से सफाई कर्मचारियों की संख्या मंत्रीजी कहीं भी देख लें उनको कहीं भी नहीं मिलेगी, जितनी जरुरत है उसके अनुसार सफाई कर्मचारियों की संख्या नहीं है।

इसके अलावा एक दूसरी स्थिति और है, उपाध्यक्ष महोदय, कर्मचारी कितने रहने चाहिए, चूंकि कि आमदनी कितनी होनी चाहिए इसके लिए कर्मचारियों पर पाबन्दी लगी हुई है। यह भर्ती नहीं कर रहे हैं और नतीजा यह हो रहा है कि नगरपरिषदों और नगरपालिकाओं में हजारों लोगों को अनियमित ढंग से लगा रखा है जिनकी योग्यता भी नहीं है, जो ओवर एज भी हो गए हैं और अब नए नियमों के अनुसार 260 दिन काम करने के बाद उनको रेगुलराइज भी कर देंगे तो मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह सलेक्शन क्यों नहीं करना चाहते। जब कर्मचारियों की स्ट्रेन्थ आपने मान ली है कि 1100 के करीब आपके यहां पोस्टें हैं और इन पोस्टों को भरना चाहिए। जिसमें मुखर्जी कमेटी के साथ आपकी चर्चा होने के बाद जो पोस्टें आपने निकाली हैं, आप इतने दिन से इस मामले को पैण्डिंग

(श्री रामकिशन)

में क्यों डाल रहे हैं ? अगर यह कर्मचारी होंगे, इनकी संख्या होगी तो नगरपरिषदों की आमदनी बढ़ेगी, चुंगी का ज्यादा बेहतर इन्तजाम होगा लेकिन आप इस मामले को नहीं करना चाहते और उसका नतीजा यह हो रहा है गलत ढंग से नियुक्तियां हो रही हैं। सरकार का नुकसान हो रहा है और बेरोजगारी इससे हल नहीं होने वाली है। लेकिन इससे नौजवानों में असन्तोष भी है।

मन्त्री जी से एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार क्या सोचती है ? इन्होंने सलेक्शन कमीशन बना रखा है। लेकिन एक तरफ तो सलेक्शन कमीशन बना रखा है और दूसरी तरफ नियुक्तियां पहले कर दी गई तो जो सलेक्शन कमीशन का अधिकार था वह भी आपने एक प्रकार से समाप्त कर रखा है, आपने मतलब सरकार ने। मैं आपकी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं सभी सरकारों की बात कह रहा हूं कि आपके मामले नोटिस में हैं, आपके मामले जानकारी में भी हैं लेकिन आप इजाजत क्यों नहीं देते कि इन कर्मचारियों की भर्ती की जाए।

इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, आज कई नगरपरिषदें और नगरपालिकाएं ऐसी हैं जिनके चुनाव हो नहीं पा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या दिक्कत हो रही है आपको ? अब जैसे भरतपुर की नगरपरिषद है जो लड़के 18 साल के हो गए उन्हें तो यह पता ही नहीं होता है कि नगर परिषद के कभी चुनाव भी होते हैं क्या ? तो आप चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते ? इनके आप चुनाव कराइए। चुने हुए लोग जितनी दिलचस्पी लेते हैं, सरकारी कर्मचारी कई कारणों से उतनी दिलचस्पी नहीं ले पाते। इसलिए गन्दे कस्बे और गन्दे शहर हो रहे हैं। एक इसका कारण यह भी है कि वहां चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। मैं मन्त्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके जिन नगरपरिषदों और नगर-पालिकाओं के चुनाव नहीं हुए हैं उनके वो चुनाव कराने की कोशिश करें और कोर्ट और दूसरी तरह से आपने जो चुनाव कराए हैं वह तो कोर्ट के दबाव में कराए हैं लेकिन सरकार की जो राजनैतिक इच्छा होनी चाहिए वह तो आपने दिखाई ही नहीं। फिर भारतीय जनता पार्टी तो म्युनिसिपैलिटी की पार्टी है। असल में इस पार्टी का तो निर्माण ही म्युनिसिपैलिटीज से हुआ है तो इसकी समझ तो कुछ ज्यादा तीव्र होनी चाहिए, इस मामले में ज्यादा समझदारी होनी चाहिए। लेकिन शहर सड़ रहे हैं, चुनाव करा नहीं रहे हैं, बोर्डों का निर्माण हो नहीं रहा है इसलिए कई प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं।

एक सवाल मुझे आपसे और करना है। माननीय मुख्य मंत्री जी आपने चुंगी का बड़ा एलान किया था कि हमारी सरकार बनेगी तब चुंगी को समाप्त कर देंगे। अब मैं यह नहीं कहता कि आप कर देंगे या नहीं कर देंगे। मेरे हिसाब से जब तक कोई विकल्प नहीं हो चुंगी समाप्त करना बहुत खतरनाक काम है और विकल्प शायद आप तलाश कर नहीं रहे हैं। तो आप अपनी वाणी का अनादर क्यों कराते

(श्री रामकिशन)

रहते हैं इस प्रकार बार-बार। तरह-तरह की घोषणाएं करते रहते हैं और घोषणा पत्र में लिख देते हैं। मैं समझता हूं जितना बड़ा अनादर आप अपनी वाणी का करा रहे हो उतना अनादर कभी मैंने तो देखा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र देखा है ?

श्री रामकिशन : मैंने तो आपका भी देखा है और अपना भी देखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर आप अपनी वाणी से क्यों करते थे....

श्री रामकिशन : क्यों नहीं किया हमने, हमने किस जगह नहीं किया। हमने कर्जा माफी की बात की, हमने पूरा किया। हमने बुड्ढों को पेन्शन देने की बात की हमने पूरा किया, हमने आरक्षण की बात कही, हमने पूरा किया एक जगह बताइए, जब आपने आरक्षण की बात कही, हमने पूरा किया एक जगह बताइए, जब आपने हमारी सरकार गिरा दी तो बाकी के तीन चार काम रह गए उसका हम करें क्या जिन कामों को हम करने जा रहे थे वह आपके खिलाफ जाते थे। लेकिन आप अपने घोषणा पत्र में यह वायदा किया था कि हम चुंगी को समाप्त करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मजाक तो यह है कि अभी कल परसों मंत्री जी ने जवाब दे दिया कि हम जयपुर को नगर निगम बना रहे हैं आप बना रहे हैं क्या, नगर निगम ? आप नहीं बना रहे हैं कांग्रेस तो लाई बिल कोर्ट ने दिया फैसला, और उसके खिलाफ आप चले गए स्टे के लिए। तो आप कहां से बना रहे हैं नगर निगम ? मैं नहीं कहता बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। लेकिन कम से कम जब सदन में बोलें, सदन से बाहर बोलें तो राजनेताओं की बात इतनी प्रमाणित होनी चाहिए कि उसके बारे में कोई शक नहीं करें।

उपाध्यक्ष महोदय, अतिक्रमण की बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि इन बरामदों के मामले में आप क्या कर रहे हैं? आप भैरोंसिंह जी खुद मंत्री थे 1977-78 में, इसी सदन में बहस हुई थी, आपने आश्वासन दिया तो कोर्ट ने फैसला दे दिया। उसके बाद हाईकोर्ट में चले गए, हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया और सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह फैसला हो गया कि सम्पत्ति सार्वजनिक है। अब आपकी कठिनाई हो सकती है। मैं समझता हूं बढ़ी हुई आबादी और कई तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन अगर आप इस सारी बात को पूरा नहीं करते हैं तो फिर आपकी अगली बात पर कौन विश्वास करेगा कि इन अतिक्रमणों को आप हटा देंगे। तो एक भी काम आप लोग नहीं कर पा रहे हैं इसलिए समाज में अविश्वास का वातावरण बन रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। हमारी नगरपरिषदों की सम्पत्ति कम होती चली जा रही है, आमदनी का जरिया

(श्री रामकिशन)

जो है केवल चुंगी है और उसके पास है नहीं, उसमें कितना लीकेज है, कितनी गड़बड़ है। उसका मैं केवल आपको दोषी नहीं मानता, वह तो हमारे समाज को जो सम्पूर्ण पतन है उसका ही एक हिस्सा है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने कार्माशियल प्लाट्स को अलाट कैसे कर दिया? आप जानते हो कामर्शियल प्लाट्स जितने होंगे वह तो नीलामी के मार्फत ही दिए जा सकते हैं। मैंने एक लिस्ट देखी है, नोखा में आपने अलाट कर दिए, अगर उसे आप अलाट नहीं करते तो आपको बहुत पैसा मिलता, केकड़ी में आपने कर दिया, करौली में आपने कर दिया, अजमेर में फिश मार्केट में आपने कर दिया, तिजारा में वहां का वाचनालय आपने अलाट कर दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो हमारे पास साधनों की कमी है और दूसरी तरफ आप अलाटमेंट करते चले जाते हैं। तो इसका नतीजा यह होगा कि हमारे साधन निरन्तर कम होते चले जाएगें और मैं समझता हूं कि कार्मशियल प्लाटस को बगैर नीलामी के एलान करने की शुरूआत केवल आपके राज में हुई है, ऐसी मिसाल तो मैंने शायद कांग्रेस के राज में भी नहीं देखी थी। हो सकता है कि मैं गलत होऊं लेकिन नोखा की शुरूआत करके नतीजा यह हुआ कि कि जब आपने शुरूआत कर दी तो संगरिया के चेअरमैन ने अपने रिश्तेदारों को ही सारे प्लाट्स दे दिए। उन्होंने बस स्टैण्ड की जमीन जो लाखों रूपए की जमीन थी उसको अपने रिश्तेदारों को दे दिया। तो उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जब कोई बात कहे तो उसके पीछे बहुत बड़ी पवित्रता होनी चाहिए, उसके पीछे गम्भीर निर्णय होने चाहिए क्योंकि आज राजनीति में जो लोगों का विश्वास हुआ है और राजनीतिज्ञों को दूसरी दृष्टि से जो देखते हैं उसमें हमारी वाणी जिम्मेदार है। हम उसके अनुसार कर्म नहीं करते अगर हममें कर्म की ताकत नहीं है तो हमें वाणी पर संयम रखना चाहिए और अगर वाणी पर संयम नहीं रख सकते तो हमें वाणी का इस्तेमाल बड़ा सोच समझकर करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मामले बहुत थे लेकिन इस बिल का सीमित उद्देश्य और जो-जो कमियां थी उसकी ओर मैंने इंगित किया है और मैं आशा करता हूं कि मन्त्री जी जब इस सारे बिल पर नए ढंग से सोचेंगे तो इसमें कई खामियां रह गई हैं। हैं। ठीक है सदन पास भी कर देगा लेकिन जब तक इस पर नए ढंग से विचार नहीं करेंगे बैठकर, कुछ लोगों से सलाह मशवरा नहीं लेंगे तब तक यह कारण पूर्ण नहीं होगा और प्रभावशाली नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं मन्त्री जी से कि जिस भावना के साथ मैंने अपनी बात कही है उस पर गम्भीरता से मनन करेंगे और यह जो अलाटमेंट वगैरहा गलत ढंग से यहां किए गए हैं जिनके हाई कोर्ट में स्टे लिए गए हैं और जिससे सरकार की बदनामी हो रही है, बरामदों के मामले में जो सरकार कुछ नहीं कर पा रही है उसमें सरकार को अपनी स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव प्रभारी मन्त्री जी ने संशोधित रूप में हमारे सामने रखा है उसमें निश्चित तौर से एनक्रोचमेंट हटाने के बारे में राज्य सरकार ने जो मंशा जाहिर की है उसमें मैं एक ही शंका जाहिर करना चाहूंगा। वह यह है कि जिन लोगों का 15-15, 20-20 साल से कब्जा है नियमन किसी प्रकार से हो नहीं सका ऐसे गरीब लोग जो शहरों में आकर बस गए म्युनिसिपैलिटी की जगह पर, झुग्गी झोंपडी वाले गरीब, कच्ची बस्ती वाले उसमें इस एक्ट के बनने के बाद सब से बड़ा वार उन लोगों पर होगा इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण राज्य सरकार की तरफ से नहीं दिया गया।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जो इस मामले में माननीय रामकिशन जी शंका जाहिर की है कि बोर्ड के कर्मचारी या बोर्ड खुद अगर किसी पर एनक्रोचमेंट करता है जमीन पर उसका हमारे पास क्या इलाज है ? राज्य सरकार की जो इच्छा, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार की इच्छा के बारे में मेरे पास एक बहुत बड़ा सबूत है। माननीय रामकिशन जी ने भी जिक्र किया थोड़ा सा, मैंने माननीय प्रभारी मंत्री जी से, म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन से कि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि एनक्रोचमेंट में बहुत बड़ा राजनैतिक हाथ है। राजनैतिक नेता और राजनैतिक प्रश्रय में ही एनक्रोचमेंट होते हैं परन्तु क्या इसका मुकाबला बी. जे. पी कर सकेगी। राजनीति का दखल एनक्रोचमेंट में न हो और इसके लिए करेगी तो निश्चित तौर से हम इस मामले में उनका स्वागत करेंगे और उनका साथ देंगे।

मैं यह कहना चाहूंगा, मेरे खुद के शहर संगरिया में जो म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन हैं, बी. जे. पी. के चेयरमैन होने की वजह से उन्होंने खुद एनक्रोचमेंट किया, खुद एग्रीमेंट किया कोर्ट में जाकर के। ताज्जुब की बात तो यह है कि उनके मेरे पास डायूमेंट हैं कि उन्होंने एक जमीन की रजिस्ट्री कराई जो एक हजार वर्ग गज थी और उन्होंने दो हजार की करवा ली। उसके बाद बाकी बचे हुए टुकड़े को खुद के आदेश से नियमन कर दिया। खांचा भूमि में नियमन करने के बाद उसका यह दावा था। खुद चेयरमैन वादी बन गये और प्रतिवादी बनाकर म्यूनिपैलिटी के ई. ओ. के साथ अदालत में फैसला कर लिया। अदालत में फैसला करके केस रफा दफा कर दिया उन्होंने खुद सारी, जिस तरह से माननीय रामकिशनजी ने कहा पूरी दुकानों को खांचा भूमि के नाम से अलॉट कर दिया। 31 रुपयों में प्लाट रेगुलराइज किया, 4 हजार रुपये में चार प्लॉट अपने भाइयों को दे दिये। इस तरह से सरकारी भूमि पर जिस तरह से अतिक्रमण करके रेगुलराइज कर लिया, असरदार लोग इस तरह से उस भूमि को रेगुलराइज कर सकते हैं और विशेष तौर से म्यूनिसिपैलिटीज अगर यह करती है तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। इस कानून को बनाया है, एनक्रोचमेंट के रूप में मैं समझता हूं सबसे बड़ा भार उन लोगों पर होगा जो जिसी तरह से अदालतों को इस्तेमाल करके गये। अपने अधिकारों को इस्तेमाल करके

(श्री हेतराम बेनीवाल)

रेगुलराइज न करा सके तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी का टैस्ट है इस बात से कि अगर यह डाक्यूमेंट्स जो मेरे पास है वह पूरी अथेन्टिक कोर्ट के डाक्यूमेंन्ट्स लाकर माननीय प्रभारी मंत्रीजी को दिये हैं और सदन के सामने लेकर आया हूं। इन डाक्यूमेन्ट्स के मुताबिक एक चेयरमैन 25 सौ वर्ग गज जमीन पर कामयाब हो गया उसको रेगुलराइज करने में अपने आप रेगुलराइज किया। इस तरह के अतिक्रमणों की हम परमीशन देंगे और यही अतिक्रमण के लिए जो राजनैतिक प्रश्रय पनपता है इसी तरह से कोर्टस....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : संगरिया के चेयरमैन ने, जैसा आप बता रहे हैं उस तरह की कोई अनियमित कार्यवाही की है तो उसके खिलाफ निश्चित तौर से एक्शन लिया जायेगा। चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे विधायक हो। उसकी सारी जांच करवा देंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : मुख्य मंत्रीजी की बात का स्वागत करता हूं और समझता हूं कि ऐसे मामलों में माननीय मुख्य मंत्री जी अगर राजस्थान की उस भूमि को जो शहरों के अन्दर बड़ी कीमती भूमि है, बड़े-बड़े लोगों ने असर की वजह से रेगुलराइज कराने की कोशिश की है, कोर्ट में चले गये हैं। गंगानगर का और उन शहरों का मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि बड़े-बड़े शहरों के अन्दर करोड़ों की जो प्रोपर्टी है उसमें अदालत में जाकर अपनी भूमि बचा रखी है इस मामले में अगर आप हिम्मत से काम लेंगे और राजनीति असर का मुकाबला करेंगे तो निश्चित रूप से हम विरोध के लोग इस मामले में आपके साथ है और आपके साथ रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि उन गरीब लोगों को जरुर बचायेंगे। उन लोगों को जो झुग्गियों में बैठे हैं और कच्ची बस्तियां बना रखी है और उन गरीब लोगों के रेगुलाइजेशन नहीं हुये। कोशिश की गयी थी उनको रेगुलराइज करने के लिए उनके पास न अप्रोच थी, न पैसा था। उनको बचाने के लिए आप जरूर प्रोवीजन रखेंगे यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय ने बिल में जो संशोधन स्वीकार किये हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी से कुछ सवाल और शंकायें जो मेरे मन में है वह निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो अतिक्रमण हटाने का प्रावधान रखा है वह तो स्वागत योग्य है लेकिन उसकी जांच का काम जो उप अधीक्षक, पुलिस लेवल के अधिकारी को सौंपा है मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खातीपुरा में जो अनआथोराइज्ड मकान बने हुये हैं उनमें पुलिस के आला आफिसरों के मकान हैं, आई. ए. एस. डी. आई. जी., रैंक और प्रशासनिक अधिकारी है। अतिक्रमण से हमारा तात्पर्य यही तो है कि जो बिना

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

स्वीकृति के, बिना स्वीकृति के, बिना नक्शा पास कराये, बिना निर्माण की प्रक्रिया पूरी किये बना है। उनके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही आपने नहीं की। जब पुलिस अधिकारी इस तरह की कार्यवाही करेंगे, अतिक्रमण कर रहे हैं और अन आथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं और आप पुलिस से इस तरह की जांच करवायेंगे उसका क्या नतीजा निकलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में, सुझाव देना चाहता हूं कि बजाय उपाय अधीक्षक के तहसीलदार से उसकी जांच करवायी जाये और उसको यह काम सोंपा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका संशोधन विधेयक जो संशोधित रूप में हमारे सामने हैं और जिन गल्तियों को स्वीकार करते हुये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या गल्तियां।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : महावीर जी को धन्यवाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो कार्यवाही की है वह वास्तव में स्वागत योग्य कदम है। मैं उसमें एक और माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसमें एक प्रोवीजन और लगाये जिसमें....

श्री रामकिशन : क्या मुख्य मंत्री किसी माननीय सदस्य को इस सदन में धमका सकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको भी कई बार धमकाया आपने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया।

श्री रामकिशन : मैं तो रक्षा कर लेता हूं लेकिन मुझे दूसरे सदस्यों की रक्षा करनी है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो आपको भी इजाजत देता हूं कि आप भी धमका सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें एक संशोधन और लाया जाय। यह जो अतिक्रमण होते हैं और जिस प्रकार के हमने अधिकारियों, कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया है वहां पर कई बार बोर्ड के चेयरमैन और सदस्य मिलजुल कर या कोई भी इस प्रकार का लीगल आर्डर तहसीलदार के एस. डी. ओ. के द्वारा पास कर दिया जाता है और वह उनकी परिधी में नहीं होता। नगरपालिका की जमीन है, तहसीलदार उस पर पट्टा जारी कर देता है। कलक्टर भट्टे का लाइसेन्स जारी कर देता है। नगरपालिका की जमीन है उस पर एस. डी. ओ. पट्टा जारी कर देता है। तो जो जानबूझ कर मिलीभगत के आधार पर या किसी अतिक्रमी को बचाने की दृष्टि से, उसको प्रोटेक्शन देने की दृष्टि से इस प्रकार के आर्डर होते हैं उन पर किसी का नियन्त्रण नहीं होने की वजह से इस प्रकार का कानून कि तीन महीने और 6 महीने की सजा का प्रावधान, एक महीने से कम नहीं, होगा बीस हजार रुपये जुर्माना होगा। इससे बचने के लिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस प्रकार का घबराया हुआ आदमी ऐसे ऑफिसों में जाकर किसी न किसी प्रकार

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

के आदेश पारित करवायेगा। ऐसे हजारों उदाहरण हमारे सामने है। इस प्रकार के आदेश अदालतों में, जैसा गंगानगर से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि इस प्रकार के चेयरमेन ने कोर्ट में जाकर ऐसा कर लिया यदि तो इस प्रकार यदि सरकारी भूमि पर जानबूझ कर सरकारी भूमि पर चाहे किसी प्रकार के आदेश, सरकार की दृष्टि में आये या किसी भी अधिकारी की दृष्टि में जाये, उसने सरकारी भूमि का दुरुपयोग करने के गलत आदेश कैसे दिये हैं उसको भी दण्डित किये जाने का प्रावधान इसमें लाया जाना चाहिए। यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सभी अपने विचार संक्षिप्त में रखें।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जैसा बताया कि यह पुराने भवन है उनको नहीं हटाया जायेगा। तो मंत्रीजी यह आश्वस्त करें कि उनका सर्वे होगा उससे पता लगेगा कि पुराने भवन कौनसे हैं, नये भवन कौनसे हैं। यह नया विवाद हो जायेगा। मुझे यह भी बताया कि यह ईमानदारी से लागू कर रहे हैं। आपने यह विधेयक तो ईमानदारी से लागू कर दिया और इसका ईमानदारी से इम्प्लीमे-टेशन होगा उसकी क्या गारन्टी है। आपके इतने सारे भ्रष्टाचार के अन्दर यह और भ्रष्टाचार बढ़ जायेगा। जहां तक यह प्रावधान है सजा देने के, आप खुद तो सजा दे नहीं सकते इसके लिए न्याया-लयों में जाना पड़ेगा। न्यायालयों के अन्दर पहले ही बहुत सारे मुकदमें है उनके फैसले कब होंगे न्यायालय के अन्दर 15-15, 20-20 साल अटक जायेंगे। प्रभाव-शाली लोग मुन्सिफ कोर्ट से सेशन कोर्ट जायेंगे, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट जायेंगे इस तरह से यह आपने इस तरह का अध्यादेश बनाकर और यह कानूनी विवाद हर नगरपालिकाओं में खड़ा करने की चेष्टा की है। जहां तक इस अध्यादेश में कुछ और संशोधन किये जाने थे मैं इसके लिए सुझाव देता हूं मंत्रीजी, कि जिन नगर-पालिका में एक से अधिक भू-खण्ड एक के पास है और एफीडेबिट देकर और गलत ढंग से नियमित कराये हैं.... आप उनको शामिल कीजिए। एक व्यक्ति को एक-भूखण्ड मिले ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। बेनामी भूखण्ड वालों का रेगुलरा-जेशन न हो वहां इसके अंदर कोई व्यवस्था होनी चाहिए। वो व्यवस्था इस तरह हो सकती है कि नगरपालिका का रहने वाला नहीं हो, उस क्षेत्र का रहने वाला नहीं हो उसका नियमन नहीं होना चाहिए। ये बातें इसमें शामिल की जानी चाहिए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए। माननीय प्रभारी मंत्री जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अभी राजेन्द्र जी पारीक बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : हां बोलिए, संक्षेप में आप भी कह दीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि शहरी क्षेत्र में जो

(श्री राजेन्द्र पारीक)

आबादी भूमि है उसमें कई बार एग्रीकल्चर लेण्ड के भी छोटे-छोटे टुकड़े रहते हैं उन हालात में वहाँ तहसील कार्यालय का भी हस्तक्षेप होता है। कुछ पट्टे कंडीशन राजा महाराजाओं के जमाने के दिए हुए होते हैं जिनमें कुछ पार्क्स के लिए छोड़े हुए होते हैं या पशुओं के पानी के लिए पर्टीकुलर क्षेत्र से छोड़े हुए होते हैं। तो क्या मंत्री महोदय ऐसे कंडीशनल पट्टे और जो आबादी क्षेत्र में एग्रीकल्चर लेण्ड के जो टुकड़े रहते हैं उनके बारे में पूर्व में कोई ऐसा निर्णय करेंगे ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप कहां बोल रहे हैं, मैं जानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि.... (व्यवधान)

अब हो गया, वो पारित करने दो। इस पर काफी डिस्कस हो गया। बिराजिए आप। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं और उत्तर नहीं दूंगा लेकिन माननीय रामकिशन जी ने एक प्रश्न उठाया है कि नोखा नगरपालिका में हमने भूमि का अलॉटमेंट कर दिया, गरीबों को दे दिया या पैसे वालों को दे दिया, यह आपका कहना है। इस संबंध में मेरा यह निवेदन है कि....

श्री रामकिशन (भरतपुर) : कामशियल प्लाट की कह रहा हूं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : आसपास में 150 प्लाट हैं। ये लोग मण्डी बसी तब से पहले के थे 6 आदमी थे उनको तो आज तक क्यों नहीं दिया और दूसरों को नियमन कर दिया ? यह क्या मामला है फिर सदन में उठाते हैं ये लोग ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : ये 6 लोग गरीब थे।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : एक कुम्हार है, एक सुधार है और आसपास की सारी जमीन....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : विषयान्तर हो रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, विषयान्तर हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आसपास में जमीन दी है उसका नियमन किया है और उनको छोड़ दिया। यह क्या कारण है ? मुख्य मंत्री महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, यह फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। देखिए मैं चैलेंज करता हूं 150 लोगों की जमीन नियमन की गई हैं और 6 लोगों की छोड़ दी गई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य चुन्नीलाल जी, यह बहस का मुद्दा नहीं है। (व्यवधान)

माननीय श्री चुन्नीलाल जी। बिराजिए। आप।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : यह जो जमीनों का नियमन किया जा रहा है आप आज यह बात कह रहे हैं। केवल 6 आदमी गरीब हैं एक कुम्हार है, एक सुधार

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

है, पत्थर के कारीगर हैं, नोखा आबाद हुआ उसके पहले का सामोता है और आस-पास के लोगों की जमीन में की गई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। कृपया बिराजिए माननीय कल्ला साहब, बिराजिए आप। प्लीज सिट डाउन।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक तरफ कानून पास करवा रहे हैं और एक तरफ कब्जे दिलवा रहे हैं, नियमन कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कल्ला साहब, बिराजिए आप। चुन्नीलाल जी बिराजिए।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : ऐसे नहीं दबेगा यह मामला, आप बहस कीजिए। 150 लोगों को नगरपालिका ने नियमन किया है और 6 व्यक्ति गरीब हैं इसलिए उनका नहीं किया। आप कहो कि हम 50 हजार रुपए देंगे तो आप किसी के बच्चों को खरीद लेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप। (व्यवधान)

श्री रामकिशन : करौली में किया है, चौमूं में किया है अजीतगढ़ में किया है, यह तो 20 जगह किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सब बताओ कहा-कहां किया है, कहां किया है, कहां नहीं किया है आपने तो यों ही लिख लिया चार्ज लगा दिया। मुझे आप बताइये क्या अनियमिता हुई? नोखा में क्या हुआ? आप बताइये। जब जानकारी ही नहीं है तो हाउस में चार्ज क्यों लगा रहे हैं?

श्री रामकिशन : मैं जो कह रहा हूं। शक जगह नहीं हुआ है। मैं सब जगह बता रहा हूं अजमेर में हुआ है, चौमूं में हुआ है, तिजारा में करौली में हुआ हुआ है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नोखा में अनियमितता हुई है, आप कहो तो बताऊं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : 85 लाख रुपए की जमीन है। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आप चित्र दिखाओ, फोटो दिखाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जनार्दनसिंह जी, बिराजिए आप। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, गरीब और अमीर लोग दोनों की जमीन है लेकिन पास में दोनों साइड की जमीन का इन्होंने नियमन किया है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह बड़े अफसोस की बात है कि राजस्थान सरकार की कथनी और करनी में अन्तर हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप। सवाल उठाया जा सकता है, आज इस मौके पर क्या है? चुन्नीलाल जी आप बिराजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यहां पालिका के कब्जे की जमीन का नियमन किया जा रहा है। एक तरफ हम 3 साल की सजा

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

का प्रावधान कर रहे हैं और मंत्री जी संरक्षण दे रहे हैं यह बड़े अफसोस की बात है। (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : यह कांग्रेस नहीं, इनका नाम कांगा रेस है, कांगा रोल करेंगे ये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह डिस्कस का मैटर बन जायेगा, आलरेडी आ चुका है। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। हाउस में इस तरह की गलतफहमी पैदा कर दी गई कि कुछ प्लाट नियमन किए गए हैं इस तरह के लोगों को जो उसके अधिकारी नहीं थे। मैं इस पर एक स्पष्टीकरण चाहूंगा खासतौर से कि क्या हो, शोर के बीच में यह चीज दब नहीं जानी चाहिए। कौन लोग थे, किस तरह के लोग थे, कितने अर्से से बस रहे थे, क्या उनका अधिकार था? जो माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है उससे ऐसा लगता है जैसे कोई करोड़ों रुपए का गबन और सरकार ने गड़बड़ी की है और माननीय सदस्य की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो गरीब आदमी थे जिनका 20-30 साल से उन पर कब्जा था और उन गरीबों को ही दे दिया गया। यह स्पष्टीकरण हाउस में जरूर आना चाहिए जिससे स्पष्ट तस्वीर हमारे सामने आ सके। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पाइन्ट ऑफ आर्डर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किस विषय पर विचार हो रहा है?

श्री उपाध्यक्ष : मुझे पहले बिल पास करने दीजिए उसके बाद बोलिए।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पारित आपने कर दिया।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : बिल तो पास होना है, आप वापस बहस की स्टेज पर कहां ला रहे हैं? (व्यवधान)

विधेयक का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित संशोचित रूप में किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन विधेयक, 1991 संशोधित रूप से पारित किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कांग्रेस पार्टी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि काले बिल को सफेद कर दिया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सफेद नहीं हुआ। अभी भी आपकी नीयत पर शंका है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री विश्नोई जी।

जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश 1991 परिनियत संकल्प

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव दिया है कि अध्यादेश संख्या (7) 1991 को यह सदन अस्वीकार करता है। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1982 से पहले जयपुर शहर को अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कार्यरत था लेकिन क्योंकि जयपुर राजस्थान की राजधानी है और बहुत तेजी से इसका विकास हो रहा है और यहां ट्यूरिज्म की बहुत संभावनायें हैं इसलिए 50 या 100 साल आगे की सोचकर जयपुर विकास प्राधिकरण कानून बनाया गया। और उसका उद्देश्य यह था कि हम एक सुन्दर, सुनियोजित, आधुनिक, हमारी समाज व्यवस्था, हमारी परम्पराएं, हमारी स्थापत्य कला, इन सब को उजागर करते हुए जयपुर रीजन को हम विकसित करें। आप जानते हैं, जयपुर पूरे एशिया में, सबसे पुराना एक नियोजित नगर है, इसकी ख्याति दुनिया भर में है और इसको देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक आते हैं। जयपुर के निर्माता को मैं इस बात के लिए तो बधाई दूंगा कि उन्होंने आज से ढाई सौ, पौने तीन सौ वर्ष पहले एक बहुत ही सुन्दर नगर का निर्माण किया। उसके बाद में सर मिर्जा इस्माइल जयपुर में आए और उन्होंने जयपुर शहरके परकोटे के बाहर के क्षेत्र को विकसित करने की योजना बनाई। 1949 के बाद में और खास तौर से 1958 में जब नगर सुधार न्यास बना था उसके बाद में और जयपुर विकास प्राधिकरण बना उसके बाद में हमने इस सुन्दर शहर में क्या जोड़ा है? आज अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से आये तो उसको कौन सी चीज देखने को मिलेगी? सिवाय कच्ची बस्तियों के और गन्दगी के कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अगर बीकानेर और सीकर की तरफ से आता है तो आते ही उस पर इच्छा असर पड़े, कौन सी बस्ती, कौन सा चौराहा, कौन सा बगीचा, कौन सी इमारत उनको प्रभावित करेगी? अगर अजमेर की तरफ से कोई व्यक्ति आए तो उसे देखने को क्या मिलेगा? अगर सांगानेर से उतर-कर जयपुर शहर में आये तो उसको देखने को क्या मिलेगा? अगर भरतपुर की तरफ से आए तो उसको देखने को क्या मिलेगा? इस बात के लिए मैं तारीफ किए बिना नहीं रह सकता कि जिन्होंने पुराने शहर और आजादी के पूर्व के नये शहर का निर्माण किया। उन्होंने कम से कम बनीपार्क के अन्दर कलेक्ट्री के आगे एक बहुत सुन्दर चौराहा बनाया, उसके चारों तरफ अच्छी इमारतें बनाने की योजना बनाई, उनकी गुंजाइश छोड़ी। सचिवालय के पास उन्होंने स्टेच्यू-सर्किल बनाया, लेकिन हमने उसके बाद में क्या दिया है इस जयपुर को? जब इतना बड़ा अमला काम करता है तो जिस जयपुर शहर को आधुनिक ढंग से हम विकसित करना चाहते थे, हमने इस पर क्या किया? करोड़ों-अरबों रुपये खर्च करते हैं, इतने बड़े-बड़े अफसरों की फौज है, यह सब क्या कर रही है? शहर का पूरा स्वरूप ही बिगाड़ दिया। हम तो आम तौर से देखते हैं, चाहे टाउन प्लानर्स हो और जे. डी. ए. वाले हों, उनकी रूचि इसी में है कि किस जमीन का रेगुलराइजेशन किया जाय,

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
कहां पर किस काम के लिए भूमि को रखा जाय या छोड़ा जाय, इसी तक सीमित रहा है। नगर नियोजन में उन्होंने हमारी संस्कृति का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, हमने पाश्चात्य देशों की अंधी नकल की है और उसका उद्देश्य यही रखा है कि सीधी सड़कें होनी चाहिए और अगर वहां कोई स्मारक या पुरानी चीज, इमारत या किया है या कोई भव्य इमारत या कोई पहाड़ी है, वह सामने दिखनी चाहिए, इतने में ही अपने आप को उन्होंने धन्य मान लिया। सीधी सड़कों का शहर जयपुर है लेकिन जोधपुर सीधी सड़कों वाला नहीं है। वहां की तमाम बस्तियां चौक के इर्द-गिर्द है। यह मेहरों का चौक है, यह बरले का चौक है, यह कबूतरे का चौक है, यह माणक चौक है, यह गोडों का चौक है, यह फलां चौक है, अनेकानेक चौक है। लेकिन आप पायेंगे जयपुर के लोगों के बारे में, उनका मन कुछ ऐसा है कि लोग कहते हैं कि यह बड़े रूखे व्यवहार वाले है. जोधपुर वालों के बारे में यह है कि काफी सहृदय, आपस में प्रेम रखने वाले लोग हैं। इसमें नगर निर्माण की या नगर नियोजन की कला बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करती है क्योंकि हमारी संस्कृति कोई पाश्चात्य संस्कृति तो है नहीं कि पड़ौसी से ही कोई लेना-देना नहीं है। घर में मां-बाप है तो वह भी उनके साथ नहीं रहते। उनका उस तरह का रहन-सहन है। आज आपने जो नया नगर सीधी सड़कों का बनाया है, चार साल का छोटा बच्चा सड़क पर जा नहीं सकता। विधवा औरते हैं, वृद्ध लोग हैं, होली का अवसर है या दीवाली का अवसर हो, बच्चों के खेलने के लिए सिवाय सड़क के और कोई जगह नहीं है। कहीं पर एक किलोमीटर पर, दो किलोमीटर पर आपने कोई छोटा सा पार्क वगैरह रख दिया है. वहां बच्चों को कौन ले जाये? मैं समझता हूं कि चौक का जो कन्सेप्ट है, बस्तियां हमको उसी हिसाब से बसानी चाहिए और उस बस्ती के अन्दर जाने का एक ही रास्ता होना चाहिए। इसका लाभ यह होगा कि आवारागर्दी हो नहीं सकती। चौक के बीच में दो-चार वृक्ष लगा दीजिए, वृद्ध औरतें-आदमी वहां आकर बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई बूढ़ा पड़ौसी के यहां जाकर कैसे बैठे तो उसको पानी कौन पिलाये? वह कहते हैं कि हमारे भीड़ होती है। तो वहां एकत्र हो सकते हैं। हमारे यहां पचासों त्यौहार होते है होली जलाने की कोई जगह नहीं है, ब्याह-शादी करो तो सड़क पर करो। बच्चे अगर खेलते हैं तो बच्चों के खेलने की जगह नहीं है। एक मकान वाला तीसरे मकान वाले को जानता नहीं है। महिलाएं एक-दूसरे को जानती नहीं। यही चौक की प्रथा हो तो आवारा-गर्दी नहीं होगी। उस बस्ती के जितने भी बच्चे हैं वह निडर होकर वहां खेल सकते हैं, एक-दूसरे के साथ रह सकते हैं। पाश्चात्य देशों की जो समाज व्यवस्था है, वह और तरह की है। हमारी समाज व्यवस्था, हमारी जाति-बिरादरी, हमारे यहां कई तरह के, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा पाषाण युग से लेकर आधुनिकतम युग के लोग यहां रहते हैं, जैसा जिसका स्थान है उस हिसाब से बस सके, नगर नियोजकों को इस बात को भी हमेशा ध्यान में रखना

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)

चाहिए ताकि आवारागर्दी नहीं होगी। अगर उस बस्ती की रक्षा भी करनी है तो दो पुलिस वाले अगर उस दरवाजे के ऊपर लगाते हैं तो कोई उस बस्ती के अन्दर आवारागर्दी नहीं हो सकती, कोई अव्यवस्था नहीं हो सकती। लेकिन केवल अंधी नकल करके सीधी लाइनें कर दी, उसका नतीजा यह है कि बस्तियों में रहते भी हम अजनबी है, हम अपने आप को महसूस ही नहीं करते कि हम इस गली के रहने वाले है। गली के रहने वालों में क्या आपस में प्रेम होगा? मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि नगर नियोजन के अन्दर इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमारी जो परम्पराएं हैं, जो हमारी विशेषताएं हैं उनका ध्यान रख कर प्लानिंग करनी चाहिए। फिर जो आपने कानून बनाया इतना कठोर बनाया है, कानून वह ही चलता है जिसको पांच लोग नहीं मानते है और 95 लोग मानते हैं। अब यह जो आपने क़ानून बनाया है वह ऐसा है कि पग-पग पर टूटने वाला है। यह चल नहीं सकेगा और अब आपने उसमें यह कर दिया कि जो न्यास के या प्राधिकरण के अधिकारी अगर उसमें शामिल हैं तो उन पर भी मुकदमा चल सकता है। किस-किस पर आप मुकदमा चलायेंगे, कैसा मुकदमा चलायेंगे? इसका कोई इलाज नहीं है। अफसोस की बात तो यह है कि करोड़ो-अरबों रुपयों की जमीन, जिसके लाखों रुपये जमीन के मालिकों को या सरकार को या न्यास को मिलने चाहिए थे, उनको तो कुछ मिला नहीं और इसका लाभ बिचौलिए खा गए। हमारी अब आंख खुली है कि हम इस तरह का कानून बना कर यह कर लेंगे। मुझे इसमें आगे सफलता की गुंजाइश नहीं लगती और मैं समझता हूं कि सदन को और खास तौर से सरकार को इन समस्याओं पर बहुत गहराई से विचार करना चाहिए।

जयपुर शहर का ही उदाहरण ले लीजिए, नगर नियोजन वालों ने किस हिसाब से प्लान किया, कितनी आबादी वह सोच रहे थे? 1971 में बना तो 1981 में उन्होंने कितनी आबादी के लिए प्रावधान रखा? 1991 में कितनी आबादी के लिए प्रावधान रखा? मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वह अधिकारियों से पूछें कि कितने लाख के लिए उन्होंने 81 में और 91 में प्रावधान रखा था? अगर उनसे तीन गुनी या चार गुनी आबादी बढ़ गई है तो इसका मतलब इतनी बड़ी तनख्वाह पाने वाले लोगों ने सोचा ही नही कि गावों में औद्योगीकरण हो रहा है, गांवों में शिक्षा का फैलाव हो रहा है, गांवों में आबादी बढ़ने से रोजगार मिल नहीं रहा है।

वह सब शहरों में इकट्ठा हो जायेगा। उन्होंने इस बात की कल्पना ही नहीं की, सोचा ही नहीं। सिर्फ नगर नियोजन का मतलब यह ले लिया कि सीधी लाइनें खींचकर कहीं से मकानों का आर्चीटेक्ट नक्शा ले आये और उस हिसाब से बना दिया और नगर बन गया। कैसे नगर बन गया? कितनी आबादी के लिए आप सोचते थे और आबादी कितनी बढ गयी। जो नगर नियोजक है वह दूरदर्शी व्यक्ति चाहिए। जो हमारे समाज की परिस्थितियां

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

हैं उनकी कल्पना कर ले कि इतने लोगों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इन बातों का भी कतई तौर से ध्यान नहीं रखा गया है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया संक्षेप में।

(8.00 रात्रि)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसलिए मैं चाहूंगा कि इन प्रश्नों के ऊपर अब भी कोई लेट नहीं हुए हैं। अब भी विचार करें कि नगरों का योजनाबद्ध विकास किस तरह से हो। हमारी जाति, बिरादरी, हमारी संस्कृति, हमारे रहनसहन के स्तर कौन सा बिल्डिंग मैटेरियल हमको काम में लेना चाहिए, हमारी जलवायु क्या है इन सब पर विचार करके नगर नियोजकों को नगरों का नियोजन करना चाहिए। यही मेरे सुझाव हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 1991 को प्रख्यापित जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (का अध्यादेश संख्या 7) को मैं अस्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : मेरा एक निवेदन है माननीय सदस्यों से कि वक्ता काफी हैं। संक्षिप्त में अपने भाव रखेंगे तो सदन का समय भी बचेगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में नगर विकास न्यास पहले बना था उस समय कुछ जन प्रतिनिधि लोग इस नगर विकास न्यास में थे तब तो थोड़े बहुत काम हुए हैं लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब से जयपुर का विकास प्राधिकरण बना है इसके अध्यक्ष मुख्य मंत्री, उपाध्यक्ष मंत्री जी और सारे अधिकारियों के हाथ में है। हमारे मुख्य मंत्री जी के पास इतना समय नहीं, मंत्रीजी के पास पूरा राजस्थान देखना है। तो सही माने में जयपुर विकास प्राधिकरण का आज जिस प्रकार का स्वरूप बन चुका है चीफ इन्जीनियर वहां, एस. पी पुलिस, डी आई. जी. वहां। पूरा साम्राज्य सा बन चुका है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा साम्राज्य बनने के बाद जयपुर शहर का विकास क्या हुआ है, वह चाहे उधर बैठने वाले लोग हों, चाहे इधर के बैठने वाले लोग हों और खास तौर से जयपुर के एम. एल. ए. को स्वयं को इस बात का चिन्तन करना चाहिए कि जब से यह विकास प्राधिकरण बना है तब से जयपुर का विकास हुआ है या विनाश हुआ है इसके ऊपर मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है। एक प्रकार से यह प्राधिकरण एक सफेद हाथी बनकर रह गया है। आज अगर देखा जाये तो सरकारी दृष्टि से कार्यालय में कोई भी एप्लीकेशन लेकर नहीं जा सकता। आज हालत यह है कि गरीब झुग्गी झोंपड़ी वाले जिनको नक्शा पास करवाना है आज उस कार्यालय में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकते। जैसी सचिवालय की आज हालत है, सचिवालय में तो कम से कम मंत्रीगण 3 बजे से 5 बजे तक मिल सकते हैं लेकिन आज विकास

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

प्राधिकरण का जिस प्रकार का हाल है एन्क्रोचमेन्ट पर एन्क्रोचमेन्ट हो रहे हैं। पुलिस को अधिकार दिये जा रहे हैं लेकिन पुलिस का जो रवैया है पूरे जयपुर शहर में रोज मकान बनते चले जा रहे हैं। आप यह सोचते हैं कि दूसरे लोग मकान बना रहे हैं। सही माने में अगर जयपुर के अन्दर अतिक्रमण हो रहा तो विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के माध्यम से हो रहा है और उनकी शय से हो रहा है। आज किसी भी एरिया में जयपुर में चले जाइये कान्ट्रेक्ट रेट है। इन्सपेक्टर की रेट यह है। अगर आपने नीचे की प्लिन्थ भरवानी है तो यह रेट है, छत डालने की यह रेट है। उसके बाद में तीन चार हिस्सों में इसकी रेटें हैं—

श्री कालीचरण सराफ : यह रेटें कब तय हुई ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : ऐसा है कालीचरण जी अगर आप वाकई में जयपुर के हिमायती हैं और जनता का अगर आप हित चाहते हैं तो आप स्वीकार करें। अगर आप यह चाहते हैं जयपुर का विकास हो तो इसको आप गहराई से सोचें। नहीं तो आप + + + आपकी मर्जी है। अगर यह बात आपको कड़वी लग रही है....

श्री कालीचरण सराफ : ऐसा है कि हम तो 1।। साल से यह कोशिश कर रहे हैं कि इन रेटों को खतम करें। यह रेट आपके टाइम मे थीं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं आपको बता दूं। आपने रेट की अच्छी याद दिला दी। माननीय मंत्री महोदय हमने क्या किया वह सुना लीजिए आप। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी माननीय सदस्यों को कुछ चिन्ता लगी क्योंकि जयपुर का मामला है। प्रश्न इस बात का है कि कांग्रेस सरकार के अन्दर 6-4-84 को कन्वर्शन की रेट टू टाइम्स की थी। कांग्रेस गवर्नमेन्ट ने 23-7-87 को इसको फोर टाइम्स कर दिया। यह बात सही है लेकिन मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 18-1-90 को रिजर्व कीमत लेकर सभी का नियमन करने का प्रावधान किया कांग्रेस गवर्नमेन्ट ने....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 18-1-90 को सरकार चली गयी थी। नामीनल ही था।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जो कुछ किया हमने तो किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जाते जाते आप कर गये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : क्या है कि मुख्य मंत्री जी जो हमने किया उसको आप अमलीजामा पहना देते। आपके विकास के ऊपर जयपुर की जनता का प्रश्नचिह्न लगा हुआ है। आपने जयपुर शहर के अन्दर 1।। वर्ष में अगर एक भी नक्शा

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

पास किया हो तो बता दीजिए। अपनी छाती पर हाथ रखकर बता दीजिए कि आपकी सरकार ने एक भी नक्शा पास किया हो तो। एक भी नक्शा पास नहीं किया। एक आदमी का नक्शा पास नहीं किया, एक का नियमन नहीं किया, एक कालोनी का भी आपने नियमन नहीं किया। आप बड़े गर्व से कह सकते हैं कि आपने बहुत काम किया लेकिन मंत्री जी जब जवाब दें तो हमें स्पेसिफिकली बतायें कि आपने कितनी कालोनी का नियमन किया। जयपुर शहर के अन्दर कितने नक्शे पास किये? कहना बड़ा आसान है। कड़वी बात बड़ी बुरी लगती है लेकिन सही बात यह है कि जब से यह सरकार आई है कागजों में तो कुछ नहीं लेकिन लोकल बाडीज मिनिस्टर साहब ने यह + + + कर रखा है अधिकारियों को कि आप कुछ मत करिये में सहकारी समितियों के मामले सुलझा रहा हूं। रेट कम कर रहा हूं लेकिन यहीं यहां के जन प्रतिनिधियों ने चुनाव के समय जब गये थे यह कहा हमारी सरकार आते ही हमने 25 रुपये कर दिये....

श्री कालीचरण सराफ : हमने तो समाप्त कर दिया।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : समाप्त करने की बात कही होगी लेकिन मुख्य मंत्री जी आज अच्छा दिन है। आज घोषणा कर दीजिए कि हमने सारे कन्वर्शन की रेटें माफ कर दी। और अब आप नियमन करने जा रहे हैं। लेकिन आपने 1½ साल तक कुछ नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 18-1-90 की स्थिति नहीं है यह।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : 18-1-90 की स्थिति नहीं है तो जनता को + + + लोगों के कन्वर्शन मत कीजिए। किसी का कन्वर्शन मत कीजिए। न नियमन कीजिए न नक्शा पास करिये। जयपुर का विकास आपने अवरुद्ध कर दिया। यह 250 साल पहले बना हुआ जयपुर आज सही माने में जिस प्रकार का प्रावधान आप ला रहे हैं जहां सेक्शन 32 के अन्तर्गत तीन वर्ष से पहले के निर्माण कार्य, इसका पहले नियम था कि सेक्शन 32 में 3 साल पुराना कोई भी काम को री-ओपन नहीं कर सकते लेकिन आप जो बिल लाये हैं उसमें आपने यह फैसला कर लिया....यह तो ऐसा है कि इस लाइन में बैठने वालों के दबाव में आकर मुख्य मंत्री जी से करा लिया। उसके लिए धन्यवाद, लेकिन सही मायने में जिस प्रकार की हालत माननीय उपाध्यक्ष महोदय अगर इस सारे मामले को आज आप विथड्रा नहीं करते तो जयपुर के परकोटे की बाहर वाले जितने भी मकान बने हुए हैं सब उस परिधी में आ जाते। आज अगर उस एरिया के अन्दर सब जमीनें शत-प्रतिशत आवासीय उपयोग के लिए है। आज जयपुर शहर के अन्दर आवासीय उपयोग के अन्दर कई आटोमोबाइल्स बने हुए हैं, कहीं सर्विस स्टेशन बने हुए हैं, कहीं होटल बने हुए हैं, कहीं नर्सिंग होम बने हुए हैं इसलिए आज

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

अगर इस नियम को पास करते हैं तो इस नियम के तहत....

श्री कालीचरण सराफ : विथड्रा हो गया।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : विथड्रा हमारे दवाब से हुआ, आपके दवाब से नहीं। आपके दवाब में होता तो आपकी पार्टी यह बिल लाती ही नहीं आप तो टोटल फैल्योर हो गये। जब आपकी पार्टी मीटिंग हुई, आपने बहुत कुछ कह लिया लेकिन आपकी एक नहीं सुनी गई। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : + + + आपने तो पढ़ा तक नहीं इसको।

श्री कालीचरण सराफ : आपने पढ़ा तक नहीं। हम तो काम में विश्वास रखते हैं। विथड्रा सुबह ही हो गया था, श्रीमान् जी, और यह आपके पास आ गया। जबर्दस्ती बोलते जा रहे हो। कोई मतलब ही नहीं है। विथड्रा ही हो गया तो क्यों टाइम खराब कर रहे हो।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : विथड्रा तो अब हुआ ना।

श्री उपाध्यक्ष : आगे चलिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, खास तौर से मुख्य मंत्रीजी का जो राजस्थान पत्रिका ज्यादा पढ़ते हैं। राजस्थान पत्रिका में एक अवकाश प्राप्त भारतीय सेवा के भूतपूर्व अधिकारी श्री मंगल बिहारी, जिन पर कि मुख्य मंत्रीजी की काफी नजर है कि बहुत अच्छे अधिकारी हैं, बहुत स्पष्ट बात कहने वाले हैं। उन्होंने अपने एक लेख में कहा है कि प्राधिकरण का ज्वलन्त उदाहरण है....प्राधिकरण का अब तक का सहयोग उसको कारिन्दों द्वारा अनधिकृत टैक्स वसूल कर रहे हैं जिसमें भागीदार बनने के लिये पुलिस व अन्य विभाग के अधिकारी भी प्राधिकरण में प्रवेश पाने के लिये एक तरह से होड़ सी लगी हुई है। यहां कर्मचारियों की अर्जित सम्पति का अगर मूल्यांकन हो तो इस तर्क से सही सहमत हो...." तो मैं समझता हूं कि मंगल बिहारी जैसा अधिकारी कह रहा है जिसको कि मुख्य मंत्री सही मानते हैं। तो उससे आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि जयपुर विकास प्राधिकरण की क्या हालत हो गई। उस सारी स्थिति का आप मूल्यांकन करिये जयपुर शहर की एक भी कच्ची बस्ती रेगुलराइज नहीं की, आपने एक भी नक्शा पास नहीं किया। जब आपसे जयपुर की जनता ने इतनी आशा रखी थी, मैं समझता हूं कि जयपुर की जनता ने जितनी आपसे आशा की थी, जनता ने आपका जिस प्रकार समर्थन किया, अगर उनकी सजा यही है कि जयपुर में विकास के काम रुक जाय, कोई नियमन नहीं हो, ऐसी स्थिति को आप बहुत

(समय समाप्ति सूचक-घंटी)

गम्भीरता से लें। मुख्य मंत्रीजी, आप मेरी

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

बात को बहुत गम्भीरता से ले रहे हैं, शायद इस सम्बन्ध में आज कुछ फैसला करें क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म करने का संकल्प आप बारबार ले चुके हो और आपके सामने जयपुर के प्राधिकरण में जितना भ्रष्टाचार फैला है शायद पहले कभी नहीं फैला....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं किसी व्यक्ति विशेष अधिकारी की बात नहीं कह रहा हूं लेकिन जितना सेट-अप बना हुआ है, नीचे से लेकर ऊपर तक जिस प्रकार नीचे की मशीनरी बनी हुई है, उसके अन्दर कमी आ चुकी है। उसको बहुत गम्भीरता से लें। क्योंकि किसी भी आई. ए. एस. अधिकारी को भेज दिया, वह 4 महीने सुधारने की कोशिश करता है। आपने 4 महीने बाद फिर 8 बदल दिया। फिर 4 महीने में कुछ सम्भलने की कोशिश करे फिर बदल दो लेकिन नीचे का ढांचा कभी सुधर नहीं पाता। तो इसलिये कम से कम आप यह व्यवस्था करें कि पूरे जयपुर का विकास सुनियोजित हो, भ्रष्टाचार समाप्त हो, इसके ऊपर खास तौर से ध्यान दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के बिल में काफी बातें मंत्रीजी ने कही हैं और कुछ बातें विथड्रा कर ली लेकिन एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्वयं मंत्रीजी कम से कम जो अतिक्रमण हो रहे हैं, उनके अन्दर हिस्सेदार नहीं बनें। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि खण्डेलवाल स्कूल के अन्दर जिस प्रकार प्लान और नक्शा पास हुआ, जिसका कोर्ट से स्टे मिला और उसके बाद मंत्रीजी खुद ने वहां खड़े रहकर निर्माण कार्य कराया। नाजायज. कम से कम इस बिल के लाने के बाद हमको इनसे आशा नहीं है कि बिल को सही मायने में मूल रूप दिया जा सकेगा। आज जिस प्रकार की हालत है, हम जानते हैं कि अधिकारी क्या करेंगे जब मंत्री खुद जाकर खड़ा हो और वह + + + काम कराये। तो अधिकारियों से हम किसी प्रकार की आशा नहीं करते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माफ करना, यह खण्डेलवाल स्कूल को जमीन किसने दी थी ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जमीन से मुझे मतलब नहीं। किसने दी, मुझे जानकारी नहीं है लेकिन मुझे यह कहना है....

श्री कालीचरण सराफ : श्रीरामजी गोटेवाला ने।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जो निर्माण कार्य हो रहा है, वह अवैध हो रहा है और मंत्रीजी का + + + उसे प्राप्त है। जे. डी. ए. ने उसके ऊपर कार्यवाही करने का नोटिस दिया, उसके बाद भी वहां नहीं रोका। उसके बाद वहां पर कोर्ट में गये। कोर्ट में जाकर कोर्ट ने स्टे दिया। कोर्ट के आदेश की अवहेलना की। इसलिये कम से

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

कम हम जानते हैं कि इस बिल की मूल भावना एन्क्रोचमेंट को रोकने की है। मंत्री जी खुद एन्क्रोचमेण्ट करते चले जा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह जमीन वापस ले लें क्या ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : ले ली जाय, मुझे क्या आपत्ति है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ : आपको आपत्ति नहीं है, हमको है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अगर यह लगता है, समाज का मामला है, किसी समाज को मिली हुई है और अगर आप उसको उचित समझते हैं तो यह आपका काम है। लेकिन मैं तो एन्क्रोचमेंट की बात कर रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : श्रीराम जी गोटेवाला से आपकी लड़ाई हो सकती है, समाज से आपकी क्या + + + है ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : यह मामला कालीचरण जी सब को समझने दें, आप मत समझिये।

श्री कालीचरण सराफ : कालेज बने वहां पर, बच्चे पढ़ें, उसमें आपको तकलीफ हो रही है। आपको इसका स्वागत करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरी कीजिये अपनी बात।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मेरा मामला तो करौली का है और जयपुर का भी है। छोड़िये आप इन बातों में मत पड़िये, लेकिन मेरा कहना है कि बिल की भावना, आप एन्क्रोचमेंट रोकना चाहते हैं, हमारा सहयोग है। हमारा भी सहयोग है, जितना जयपुर सुन्दर बन सके। आज आपका निर्माण कार्य जिस प्रकार का है, आप जयपुर का ब्यूटिफिकेशन करना चाहते हैं, करना चाहिये लेकिन कम से कम एक योजनाबद्ध तरीके से कीजिए। जयपुर के अन्दर एक बार आप खम्बा इधर लगवाते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, फिर बीच में लगवाते हैं। मतलब अब हालत यह है कि एक ही खर्चा दो-दो, तीन-तीन बार उस काम के अन्दर आ रहा है।

अभी-अभी पूनम चन्दजी बहुत सीनियर मैम्बर ने एक बात कही। जयपुर का मास्टर प्लान बना था 1971 में। 1971 के अन्दर यह सोचकर बनाया गया था कि 1971 में जब यह बनाया गया था आबादी 6 लाख 15 हजार थी और यह सोचकर बनाया गया था कि 1991 तक 12 लाख से ज्यादा नहीं होगी लेकिन आज 18 लाख से ज्यादा आबादी हो गई।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : आज 35 लाख होगी कम से कम।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : तो मेरा कहना है कि मास्टर प्लान सारे को रिवाइज

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

करें और सारे जयपुर को सुनियोजित ढंग से बसाने की कोशिश करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि जयपुर शहर का सबसे ज्यादा नुकसान करने वालों में सहकारी समितियों में बहुत बड़ा योगदान है। सहकारी समितियों ने जितना जयपुर का सत्यानाश किया और जो सरकारी जमीन के एग्रीमेंट इस ढंग के किये, कई एग्रीकल्चर लैण्ड्स पर किये, कई एग्रीकल्चर लैण्ड पर ऐसे किये जिनकी खातेदारी उनके नाम नहीं थी। सही मायने में जयपुर सारा बर्बाद कर गये। आज उस पर कई लोग बैठे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। इसलिये कम से कम ऐसी स्थिति के अन्दर उनको रेगुलराइज करें और जो काला-धन्धा करने वाले हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन ऐसा नहीं हो, माननीय मुख्य मंत्रीजी, कि जैसा आपने एक अभियान चलाया था कि सहकारी समितियों के जगह-जगह कैम्प लगाये थे, उसके अन्दर कोई कार्यवाही नहीं हुई। पिकसिटी सोसाइटी के मामले में 3 बार नोटिस निकले और आजकल मालूम पड़ा कि मंत्रीजी की गाड़ी वही चला रहे हैं। वह ही गाडी में बैठे घूमते हैं। तो इसलिये कथनी और करनी में अन्तर मत करो, आप जो कुछ करना चाहते हो, ईमानदारी से करो।

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री): राजनीति से सन्यास लो वरना मैं लेता हूं। + + + करने की जरूरत नहीं है यहां पर।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : देखो, हमारे मन में यह है कि ईमानदारी से उन सारे मामलों में अगर क्रियान्विति करते तो हमें बहुत खुशी होगी। हम इसमें सहयोग करेंगे। इस बात को कहते मैं इसमें अपना विरोध प्रकट करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री परसादी लालजी मीणा। आप बोलना चाहेंगे?

श्री जुबेर खान। बोलिये। (व्यवधान)

पहले सुमित्राजी को बोल लेने दीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 1991 को प्रख्यापित जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या 7) को अस्वीकार करता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश को अस्वीकार करने के पीछे मेरा तर्क यह है कि जैसा हमने नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश के बारे में निवेदन किया कि आखिर ऐसी कौनसी मुसीबत आ गई कि आपको विधान सभा के सत्र से 12-13 दिन पहले यह अध्यादेश इशू करना पड़ा। ऐसी कौनसी मुसीबत आ गई।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ एक सबसे बड़ी गलती इस बारे में जो हमारी सरकार ने की है अध्यादेश जारी करते समय वह यह की कि 27 अगस्त को जो राजपत्र निकाला, उस गजट नोटिफिकेशन के साथ में हर आर्डिनेंस के साथ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स होते हैं प्रोमुलगेट करने के कि हमने इसलिये यह आर्डिनेन्स निकाला लेकिन 27 अगस्त के गजट नोटिफिकेशन में कहीं भी आब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्स इस आर्डिनेन्स के प्रोमुलगेट करने के नहीं बताये गये जो कि सरासर एक धोखा है। राजस्थान की जनता के साथ और बिल्कुल एक असंवैधानिक कार्य है इस सरकार का। मैं आपको यह बात चुनौती देकर कह रही हूं कि 27 अगस्त का यद्यपि मुझे नोटिफिकेशन मिला नहीं। मैंने कोशिश की क्योंकि हमारे पास बहुत देर से आता है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि उस नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन के साथ में इस आर्डिनेन्स के साथ आपने ओब्जेक्ट्स और रीजन्स जो कि प्रोमुलगेट करते समय आपको जनता को बताना चाहिए कि इन कारणों से, उद्देश्य से इस अध्यादेश को जारी कर रहे हैं क्योंकि मुख्य मंत्रीजी खुद ही 24 तारीख को संवाददाताओं के सम्मेलन में यह घोषणा कर चुके थे कि हम 10 सितम्बर से विधान सभा का सत्र बुलाने जा रहे हैं। यह कहने के बाद भी ऑर्डिनेन्स प्रोमुलगेट करना सदन की भी अवमानना और अपमान है और असंवैधानिक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं, चूंकि अध्यक्ष महोदय, पहले इस ऑर्डिनेन्स के सम्बन्ध में स्कोप को बहुत लिमिटेड कर चुके हैं इसलिए मैं विकास प्राधिकरण के क्लाजेज के बारे में नहीं जाऊंगी। वैसे भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि 2, 3 और 4 खुद ही मंत्री जी ने जब डीलिट कर दिये हैं तो उसके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं वर्ना इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता था लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि 1981 में सरकार ने कन्वर्शन के नाम के ऊपर बहुत-सा, करोड़ों रुपया इकट्ठा किया था। आपने उन लोगों के बारे में किसी भी तरह का कोई प्रोविजन नहीं किया। न तो करोड़ों रुपया लोगों से इकट्ठा लिया। कन्वर्शन के मामले अभी तक तय नहीं हुए। उन सारी जमीनों का क्या होगा? उसमें फिर आप भी अनलिमिटेड अधिकार दे रहे हैं। मैं आपसे, माननीय मंत्रीजी निवेदन करना चाह रही हूं कि आप किसी भी अधिकारी को इतने अनलिमिटेड पावर्स देंगे तो वह सचमुच में, क्योंकि जे. डी. ए. के अन्दर वह सचमुच में करप्ट होंगे क्योंकि जे. डी. ए. में आज भी, जैसा कि आपको पत्रिका पढ़कर के सुनाया था करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने, मंगल बिहारी ने अपने उस लेख में यह लिखा था कि, मैं इस बात में नहीं जाती कि उन्होंने क्या लिखा। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई इसका खण्डन भी नहीं निकला। आपने उसे रेफ्यूट भी नहीं किया। इसलिए यही मान कर चला जाना चाहिए और यह सत्य भी है कि, मैं अखबार की बात पर नहीं जाती लेकिन यह सत्य भी है कि जे. डी. ए. में गया हुआ चाहे कोई यू. डी. सी. और एल. डी. सी. हो

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

और चाहे कोई पुलिस कर्मचारी हो, चाहे बड़े से बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर हो, जो कोई जे. डी. ए. में पहुंच गया उसने तो सात पीढ़ियों का अपना पुख्ता इन्तजाम कर लिया। करीब-करीब सब ने कर लिया क्योंकि होड़ लगी रहती है। मैं यह बात इसलिए कह रही हूं, होड़ लगी रहती है जे. डी. ए. में जाने के लिए। यदि इस तरह की बात नहीं हो तो यह होड़ नहीं लगेगी जे. डी. ए. में जाने के लिए। आज हर आदमी यह सोचता है कि मैं जे. डी. ए. में चला जाऊं। इसके साथ-ही-साथ मैं आपसे यह भी निवेदन कर रही हूं, हालांकि अब वह उस स्कोप में, उस पर्व्यू में आयेगा या नहीं आयेगा....

आप बात न करें भंवरलाल जी बातों में आपको उलझा रहे हैं। आप मेरी बात सुनें। जैसा कि....

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : मैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, आप। आप बातों में उन्हें उलझा रहे हैं। मैं कह रही हूं, ध्यान मेरी तरफ रखें....

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं तो यह कह रहा हूं कि आपकी बात गौर से सुनिये। यह कह रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप इन गंभीर बातों को सदन में इस तरह से हल्की-फुल्की तरह न लें जायं तो मैं समझती हूं ठीक रहेगा। तो क्या वह गौर से नहीं सुन रहे थे ? आप कह रहे हैं, उन्हें आप ध्यान दिला रहे थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक यह निवेदन कर रही थी कि जैसा कि नगर पालिका संशोधन विधेयक के समय भी यह प्रश्न आया था, जयपुर में भी बहुत-सी स्कीम ऐसी हैं जो लीज होल्डर हैं और लीज होल्डर समय पर लीज का पैसा भी चुका रहे हैं। 99 ईयर्स की लीज है लोग बाकायदा अपना पैसा भी एवरी ईयर चुकाते हैं लेकिन लीज होल्डर जब तक 99 साल, जब तक अपनी लीज नहीं चुकायेंगे जब तक वह उसका मालिक नहीं बनेंगे और जब तक वह जमीन फिर आपकी जे. डी. ए. की ही रहेगी और इसलिए उस हालत के अन्दर इस पर्व्यू में किसी भी आदमी को लाकर के, जिसका 40 साल पहले का मकान है उस 40 साल के पहले वाले मकान वाले को भी आप किसी तरह से आपकी जे. डी. ए. के कर्मचारी लाकर और परेशान नहीं करें। इस बात पर भी आप ख्याल कर लेना क्योंकि जो आपने डिलीट किया है इन तीनों में ही वह व्यक्ति नहीं आता है तो उसका भी ख्याल कर लेना किसी तरह। इन्हीं अपने शब्दों के साथ मैं, चूंकि आप यह विधेयक जो है, इसको आपने खुद ही मान लिया स्वीकार कर लिया है 2, 3 और 4 को ओमिट करने का धारा 31 में। इसलिए मैं इन्हीं अपने शब्दों के साथ, निवेदन करती हूं कि इस परिनियत संकल्प को स्वीकार कर लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन श्रीमन्

(श्री जुबेर खान)

राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 1991 को प्रख्यापित जयपुर प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश सं. 7) को अस्वीकार करता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जे. डी. ए. की स्थापना यह सोचकर की गयी थी कि जयपुर का विकास सुनियोजित और प्लाण्ड वे में होगा, ढंग से होगा, यह सोचकर की गयी थी। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तरह-तरह के कानून या संशोधन लाने की कोशिश की जाती है उस वक्त सरकार यह भूल जाती है कि जो यहां नागरिक रहते हैं उनके लिए कोई रहने के लिए झोपड़ी चाहिए, कोई जगह चाहिए अगर जे. डी. ए. लोगों को एक प्लाण्ड वे में कोलोनियां काटकर नहीं दे सकती तो मैं कहता हूं जे. डी. ए. को क्या हक है कि लोगों के बने-बनाये मकानों को तोड़ने की कोशिश करे? जब लोग अपने प्राइवेट कालोनाईजर से सस्ती दरों में जमीन लेकर मकान बनाते हैं, एक तरफ तो सरकार उनको जगह दे नहीं पाती और दूसरी तरफ अगर किसी तरह से वह जगह बना लेते हैं तो उनको तोड़ने के तरह-तरह के प्रावधान रखते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जितने भी जे. डी. ए. में या जयपुर शहर में इन्क्रोचमेण्ट होते हैं, उनके सारे अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार होते हैं। व्यक्ति तो खुद स्वार्थ के लिए अपने लिए एक झोपड़ा बनाने की कोशिश करेगा लेकिन सरकार जिन लोगों को रोजगार दे रही है, जिन लोगों को इस बात के पैसे दे रही है कि जे. डी. ए. की जमीन में कोई इन्क्रोचमेण्ट नहीं हो, कोई नाजायज तरीके से जगह नहीं बना ली जाये तो यह लोग कहा जाता है, पहले तो पैसे लेकर लोगों को मकान बनवा देते हैं और बाद में बुलडोजर और पुलिस के साथ खुद तो आगे-आगे पहुंच जाते हैं। मेरा मानना है कि आपने इस शहर में इन्क्रोचमेण्ट को रोकने की बात करनी है तो सबसे पहले आपके अधिकारियों और कर्मचारियों को यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उनको चाहे सर्किल आफिसर लगाना पड़ेगा, एक एरिया देना पड़ेगा और उनका यह कर्तव्य होगा कि अगर आपके क्षेत्र में कोई भी अतिक्रमण होता है, कोई भी नाजायज तरीके से निर्माण होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे क्योंकि व्यक्ति तो यह कर सकता है लेकिन सरकार की या जे. डी. ए. की जो एजेंसीज हैं, जो सोर्जेज हैं उनका यह कर्तव्य होता है कि यह नाजायज कार्यवाही रोकी जाये।

एक, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज अगर हम जयपुर में निकल के देखें तो सबसे ज्यादा इन्क्रोचमेण्ट तो मजारों के नाम से हो रहा है और छोटे-छोटे मन्दिरों के नाम से हो रहा है। अगर सरकार की यह इच्छा है कि इन्क्रोचमेण्ट को रोकें तो लोग जहां जे. डी. ए. या सरकार का खाली प्लाट देखते हैं या तो वहां छोटा-सा मन्दिर बना देते हैं या एक छोटी-सी मजार बना दी जाती है और फिर सरकार की, यह तो धार्मिक मामला है, कोई इन्टरफियर नहीं करती। आज जयपुर में आप चारों तरफ जाकर के देखें, कोई सड़क सीधी नहीं मिलेगी।

(श्री जुबेर खान)

सरकारी प्लाट कहीं अगर पड़ा है तो एक लोकलिटी में तो उसमें या तो मजार बना मिलेगा या छोटा-सा मंदिर बना मिलेगा। मगर यह मजार, यह मंदिर इस भावना से नहीं बनाये जाते कि इस भावना से लोग पूजा-अर्चना करेंगे। इस भावना से लोग कब्जा करते हैं कि इसके माध्यम से इस अतिक्रमण को करलें और हमारे अतिक्रमण के ऊपर सरकार कोई कदम नहीं उठा सके। इसके लिए भी यह बनाना पड़ेगा अगर कोई इस उद्देश्य से मजार या मन्दिर बनाता है कि उसमें पूजा या अर्चना करे तो जब तो ठीक है। अगर इस उद्देश्य से बनाता है कि उस जमीन पर कब्जा कर लिया जाए तो सरकार को यह मन्दिर और मजार ताक पर रखकर इसके लिए भी कोई कानून लाना पड़ेगा वरना इधर से नहीं तो उधर से इन्क्रोचमेण्ट किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जब बी.जे.पी. की आयी तो उन्होंने जे डी. ए. से कोरानी को हटा दिया कि यहां पर यह भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और एक जे. डी. ए. में विभाग होता है, परिवर्तन शाखा। उसमें एक अधिकारी थे, कुन्दन वासवानी। उनको हटा दिया गया कि यह भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक ओर दूसरे अधिकारी थे, पी. एन माथुर उन को हटा दिया। मैं यह पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय से कि दो महीने के अन्दर इन अधिकारियों ने ऐसे क्या पट्टा आपको लाकर दे दिया कि जिनको आपने निलम्बित किया था उनको दो महीने में वापस उन्हीं पोस्टों पर लगा दिया? ऐसा कौन-सा प्रमाण पत्र था कि एक अधिकारी दो महीने तो आप भ्रष्ट करके उसको निलम्बित कर रहे हैं और 2 महीने बाद उसको वापस उस जगह रख रहे हैं? मैं यह पूछना चाहता हूं एक बात मै यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक रायसर प्लाजा बना है एक और यह किसी से छिपा नहीं है कि बी. जे. पी. के एक कार्यकर्ता या नेता का उसमें हिस्सा है। (व्यवधान) + + + से कुछ नहीं होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब वह गिरा था उसमें मजदूरों की हत्या हुई। तो मैं यह जानना चाहता हूं, रायसर प्लाजा वाले मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की। अपने लोगों को बचाने के लिए मजदूर जो काम कर रहे थे... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : इंजीनियर ने नियमों को ताक पर रख कर बलदेव प्लाजा बनाया उसके लिए भी कहो।

(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : जो इतने लोग जिम्मेदार थे उनके खिलाफ आज तक कुछ नहीं किया। मैं यह भी चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से, इस मामले में स्पष्ट करें, आज तक रायसर प्लाजा में जो लोगों की मृत्यु हो गई थी और बिल्डिंग गिरी थी, उसमें क्या कार्यवाही की है।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जुबेर खान)

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, जब जे. डी. ए. किसी व्यावसायिक केन्द्र को बनाने की परमिशन देता है तो हर व्यावसायिक केन्द्र के नक्शे में यह प्रावधान होता है, यहां पार्किंग स्थल बनायेंगे। आज आप निकल कर देख लीजिये, कौन से व्यावसायिक केन्द्र में समुचित या प्रापर पार्किंग स्थल बनाया है। आप इनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे। आज अगर पार्किंग की व्यवस्था देखें, जयपुर में भयंकर समस्या है। जब आप नये व्यावसायिक केन्द्र को परमिशन देते हैं तो क्यों नहीं उनसे फूलफिल कराते कि आप पार्किंग की व्यवस्था करिये चाहे अण्डर ग्राउण्ड करें, चाहे ग्राउंड फ्लोर पर करें, चाहे कोई भी व्यवस्था करें। आप इनको तो परमिशन दिये जा रहे हैं, चौड़ा रास्ता हो चाहे कोई सा भी गेट हो, एम. आई. रोड पर सब जगह बना रहे हैं। पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने की वजह से काफी दिक्कत यहां पार्किंग की आती है।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, शिविरों का आयोजन किया गया था। जो सोसायटी थीं उनके शिविर लगाये गये थे। लेकिन क्या सरकार यह बता सकती है कि जिन लोगों ने दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल पहले मकान बना लिये वहां सड़क भी बन गयी, बिजली भी लग गयी, पानी के नल भी लग गये, यह सरकार उनको रेगूलराइज क्यों नहीं करती? (व्यवधान)

आपको मालूम है कि आप उनको गिरा नहीं सकते, उनको तोड़ नहीं सकते तो आपको तो फायदा ही होगा कि कन्वर्शन चार्जेज या डवलपमेंट चार्जेज मिलेंगे। तो उनको क्यों रेगूलराइज नहीं करते? इसके ऊपर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि जो लोग 15-20 साल से मकान बना कर रहते हैं, कालोनियों में रहते हैं, अच्छी खासी पुरानी कालोनी हैं, वहां के मकानों को रेगूलराइज करना चाहिये।

एक मेरा निवेदन और है, उपाध्यक्ष महोदय। डवलपमेंट चार्जेज के बारे में सरकार अपने वायदे से मुकर गयी। हम भी सुनते थे, आदरणीय मंत्री महोदय यह भाषण देते थे, डवलपमेंट चार्जेज क्या होता है, यह तो नैतिक दायित्व है सरकार का कि लोगों को विकास करके दे, क्यों डवलपमेण्ट चार्जेज लेते हैं। लेकिन इस वायदे से खुलेआम आप मुकर गये हैं।

श्री कालीचरण सराफ : 70 रुपये डवलपमेंट चार्ज आपने लगाया था।

श्री जुबेर खान : कालीचरणजी सराफ, आप जैसे सीनियर विधायक के लिए यह शोभा नहीं देता, माननीय सदस्य के बीच में उठकर कहें।

श्री कालीचरण सराफ : ऐसा है, मैं तो आपको करेक्ट कर रहा हूं कि 70 रुपये डवलपमेंट चार्जेज कांग्रेस की सरकार में ही लगा था।

श्री जुबेर खान : और आपने कितना कर दिया? आपने तो कहा था भाषण में, आप कहो तो मैं कटिंग दिखा दूं कि इसको

(श्री जुबेर खान)

खतम ही कर देंगे। आज कहां गया आपका वायदा ?

श्री कालीचरण सराफ : वायदे पर कायम हैं, 25 रुपये डवलपमेंट चार्जेज करेंगे।

श्री जुबेर खान : मेरा अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जुबेर खान : अगर आपको एन्क्रोचमेण्ट रोकने के लिए कोई कदम उठाना है तो आपने जो प्रावधान रखे हैं उन चीजों को हटा कर जो तीन थे, बहुत अच्छे हैं, स्वागत योग्य हैं। लेकिन आपके जो कर्मचारी और अधिकारी है, जयपुर बहुत बड़ा है, चाहे स्टाफ बढ़ाना पड़े, आप लोकेलिटीवाइज सर्किल बना दीजिये और उन व्यक्तियों को जिम्मेदारी दीजिये कि आपके कार्यकाल में कोई अतिक्रमण होता है तो इसका जिम्मेदार हम उस व्यक्ति को नहीं ठहरायेंगे जो अतिक्रमण कर रहा है, आपको ठहरायेंगे क्योंकि आपको निगरानी के लिये तनख्वाह दी जा रही है, पद दिया जा रहा है और दूसरी सुविधाएं दी जा रही हैं। यह जब तक नहीं करेंगे क्योंकि आज ट्रांसफर हो जाते हैं, एक इंसपेक्टर के सामने कोई अतिक्रमण हो जाता है वह ट्रांसफर होकर कहीं चला जाता है फिर आप किसी को पकड़ नहीं सकते। फिर आपको भी तकलीफ होती है कि आप एक बने बनाये मकान को तोड़ें, जिस आदमी ने बना लिया है उसको भी तकलीफ होती है। मेरा यह निवेदन है कि इसकी कोई व्यवस्था करें, यह रेस्पांसिबिलिटी फिक्स करें अधिकारियों और कर्मचारियों की ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग उनका मिल सके। यही शब्द मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री प्रेमसिंह दहिया। नैक्स्ट आपका है। जिस क्रम में है उसी अनुसार बोल रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो हमने आपको दिया है उसमें मेरा....

श्री उपाध्यक्ष : एग्जेक्टली ऐसा ही बुला रहा हूं मैं। नैक्स्ट आपका ही है, कल्ला साहब।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या 7) का प्रख्यापन जो हुआ है मैं उसको अस्वीकार करने के पक्ष में अपने विचार रखना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण जब बनाया गया उसका मूल उद्देश्य जयपुर के सौन्दर्यकरण की ओर था। बढ़ते हुए शहर का टाउन प्लानिंग के जरिये किस तरह से विकास किया जाय उस मायने में इसके नियम बने थे। परन्तु आज जयपुर में जिस दिशा में जायं, चारों ओर आप देखेंगे विकास के नाम पर जगह-जगह जमीनों पर नीवें भर दी गई हैं। कहीं हत्थे खींच दिये गये, रास्ते थे जो संकड़े कर दिये गये। यह सब तो हुआ सो हुआ परन्तु इसके तहत जो कालाधन था वह सब इन

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

भूखण्डों के अन्दर और जमीनों के अन्दर लगा है। उपाध्यक्ष महोदय, अपने जयपुर के अन्दर करीब 350 हाउसिंग सोसायटी हैं। इसके लिये सहकारिता मंत्री जी जब....

एक माननीय सदस्य : यह बिल पर बोल रहे हैं, किस पर बोल रहे हैं ?

श्री प्रेमसिंह दहिया : मैं बिल पर बोल रहा हूं, सरकार की खिंचाई के ऊपर बोल रहा हूं उससे क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दीजिये, बोलने दीजिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया : मेरा समय है उसके लिये बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : दहिया साहब, थोड़ा संक्षिप्त कीजिये क्योंकि वक्ता काफी हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : गलत बात, आप नये मैम्बर को नहीं बोलने देते।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, समय सीमा बांधिये।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बांध रहा हूं।

श्री प्रेमसिंह दहिया : सहकारिता मंत्री जिस समय पद के ऊपर आये थे तब उन्होंने कहा था या तो मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा सोसायटीज का या इस्तीफा दे दूंगा। जहां तक इन 350 सोसायटीज का सवाल है....

(व्यवधान) मंत्री जी, जवाब देने का मौका मिलेगा आपको।

श्री चतुर्भुज वर्मा : आपसे एक पैसा नहीं लिया किसी ने।

श्री प्रेमसिंह दहिया : इस जे. डी. ए. के अन्दर जो 350 सोसायटीज हैं, इन 350 सोसायटीज का आप भ्रष्टाचार तो मिटा नहीं सके, इन 350 सोसायटीज ने एक पैनल बनाया, पांच-पांच लाख रुपये इकट्ठे किये और वह चुनाव फण्ड के अन्दर दिये गये।

एक माननीय सदस्य : आपने दिये थे क्या ?

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ (उप मुख्य सचेतक) : आरोप नहीं लगायें। किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं ? किस आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं ?

श्री प्रेमसिंह दहिया : मैं हकीकत बता रहा हूं, कोई आरोप नहीं लगा रहा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री प्रेमसिंह दहिया : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक जे.डी.ए. के अन्दर रेगूलराईजेशन का सवाल है, नियमन करने का सवाल है, जिनके भू-खण्ड हैं उनका कन्वर्शन नहीं हुआ। कन्वर्शन हो गया तो उनको भूमि पर भवन बनाने की इजाजत नहीं दी गयी। यहां तक कि विकास शुल्क भी जमा नहीं हुआ। कहीं पर अगर जमा कराने की बातें हुई, पहले तो यह विकास शुल्क बन्द करने की बात थी फिर इसको 25 रुपये कर

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

दिया जाय, परन्तु अभी तक रेगूलराइजेशन की कई पत्रावलियां पड़ी हुई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री प्रेमसिंह दहिया : उपाध्यक्ष महोदय, महज भाषण देते हैं, मंत्री जी बीच में हैं ही नहीं, कौन सुनेगा, कौन जवाब देगा मेरा?

श्री उपाध्यक्ष : सुन रहे हैं, आप फरमाइये। यहां तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच काबिना मंत्री बैठे हैं, सब सुन रहे हैं।

श्री प्रेमसिंह दहिया : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के पड़ोस के अन्दर प्राधिकरण के एक इन्सपेक्टर + + + उसका भ्रष्टाचार के मामलों के अन्दर....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नोटिस दिये बिना किसी का नाम लेना, जो यहां उपस्थित नहीं हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : हां, उनका नाम न लीजिये। जो सदन में हाजिर नहीं हैं उनका नाम नहीं लिया जाता है। माननीय दहिया साहब।

श्री प्रेमसिंह दहिया : इसका खण्डन नहीं किया है मंत्री जी ने।

श्री उपाध्यक्ष : खंडन वाली बात नहीं है, इस प्रकार बिना नोटिस। आप अपनी दूसरी बात कहिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के पड़ोस के अन्दर एक इंस्पेक्टर हैं वह पुरानी बस्ती के अन्दर उनके पास में रहते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में और रिश्वत के मामले में उनको निलम्बित किया गया। मंत्री जी ने उसको कमाई वाली जगह, कमाई वाली जोन के अन्दर वापस दो महीने बाद लगा दिया। इसका क्या कारण है? मंत्री जी उसके लिए स्पष्ट करेंगे जिस समय उनके बोलने का समय होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले उनको सस्पैण्ड किया, तीन महीने बाद उनको भी काम पर लगा दिया। इस तरह से भ्रष्टाचार को पनपाने के लिए बिल में, अध्यादेश में तो कोई व्यवस्था नहीं की गई और वहां इतना सारा भ्रष्टाचार हो रहा है उसको मिटाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और न गरीबों की ओर इनका ध्यान है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस अध्यादेश को अस्वीकार किया किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बुलाकीदास जी, थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन श्रीमन् राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 1991 को प्रख्यापित जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

सं. 7) को अस्वीकार करता है। उपाध्यक्ष महोदय, अध्यादेश के खण्ड 2, 3 और 4 को तो माननीय मंत्री जी ने सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हटा दिया गया, उनको धन्यवाद देता हूं उन्होंने कम से कम जन भावनाओं का आदर किया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी तरह नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीर जी, जितनी नोंक-झोंक की जायेगी उतना ही ज्यादा समय लगेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने मुझे बना रखा है उसका काम तो मुझे करना है।

एक माननीय सदस्य : व्यवधान मंत्री।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, इन धाराओं को यदि नहीं हटाते तो रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से कम से कम एक लाख व्यक्तियों को जेल में बन्द करना पड़ता और उनके साथ जितने भी उनको प्रेरणा देने वाले और इस कार्य में सहयोग देने वाले चाहे ठेली, रेड़ी वाले हों या सीमेंट, ईंट देने वाले हों, सब को इस धारा में ले लिया गया था। इसको हटा कर उन्होंने अच्छा किया। लेकिन अब खास बात यह है कि जे. डी. ए. का 1982 में गठन हुआ उसके इतने लम्बे अरसे तक बाइ-लॉज नहीं बनाये गये उसका दोषी कौन है बाइ-लॉज बनने चाहिये, जोनल डवलपमेंट प्लान बनना चाहिये जैसे आज दिल्ली विकास प्राधिकरण में बना हुआ है। मैं उदाहरण के लिये बताना चाहता हूं आज सी-स्कीम का रेजिडेन्सियल एरिया को लें, उसमें सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप टेलरिंग की दूकान या सेव बनाने वालें की आवश्यकता है इसी तरह से वकील, डाक्टर, इंजीनियर, ब्यूटी पार्लर वाले की आवश्यकता है वहां आज कोई व्यक्ति अपने घर के थोड़े से हिस्से का उपयोग करता है तो वह व्यावसायिक उपयोग में आ गया। तो इसके लिये जोनल डेवलपमेण्ट प्लान सेक्टर वाइज बनने चाहिये।

श्री लालचन्द डूडी : यह बातें तो जो माननीय सदस्य आये हैं वह अखबारों में नाम निकलवाने के लिये बोला करते हैं। आप तो बहुत पुराने हैं आपको कोई पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इन बातों के साथ आप नये सदस्यों का नाम जोड़ कर हमारा अपमान कर रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : नये सदस्य तो जनता की समस्याओं को उठाने के लिये बोलते हैं, आप उन पर आरोप नहीं लगा सकते।

श्री उपाध्यक्ष : आप सब के वक्ता हैं क्या ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, जोनल डेवलपमेंट प्लान कस्बों तक नहीं बना उसके लिये जे. डी. ए. अपनी स्टेट्यूटरी ड्यूटीज को निर्वहन करने में नाकामयाब रहा है इसमें कोई सन्देह, कोई दो राय नहीं हो सकती। इसी तरह से 27

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

अगस्त को आप अध्यादेश लाये और 10 तारीख को असेम्बली....

श्री उपाध्यक्ष : यह रिपीटेशन हो गया, आप आगे भी कई बार कह चुके हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने कितने लोगों को हटाया, कितनों के खिलाफ कार्यवाही की, कृपया मंत्री महोदय अपना उत्तर दें तो इसके बारे में स्पष्ट करें। एक जे. डी. ए. एक्ट की धारा 17 (1), (2), (3) नक्शों के सम्बन्ध में है कोई भी व्यक्ति प्रार्थना पत्र देकर नक्शा स्वीकृत कराने के लिए अप्लाई करता है और 60 दिन तक जे. डी. ए. उसके ऊपर एक्शन नहीं ले तो वह धारा 17 की उपधारा (3) में नोटिस दे सकता है कि आप मेरा नक्शा एक माह में मन्जूर करें वर्ना स्वो-मोटो यह एक तरह से स्वीकृत किया हुआ माना जाएगा और उसके आधार पर वह अपना मकान बना सकेगा लेकिन इस सम्बन्ध में जे. डी ए. अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर पाते और 2–2, 3–3 वर्षों तक नक्शे लम्बित रहते हैं कोई एक्शन नहीं होता। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जे. डी ए. को चाहिये कि वह अपने एन्फोर्समेंट आफिसर नेशनल बिल्डिंग बोर्ड और जे. डी. ए. में जिस तरह इंजीनियर्स को एन्फोर्समेंट आफिसर लगाया जाता है उसी तरह यहां भी इंजीनियर्स को परफेंसेन्स दी जाय और उनके ऊपर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर आई. ए. एस. का सुपरवीजन हो तभी जाकर जे. डी. ए. में मकान बनाने के लिए दिये जाने वाले नक्शे समय पर पास हो सकेंगे और एक्शन लिया जा सकेगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, जे. डी. ए. में जो आर्बिटरेरी रूल्स और पालिसी बनी हुई है उसमें अफसरशाही और रिश्वतखोरी काफी होती है और उसके साथ-साथ धारा 83 में जो स्कोप बढ़ाया गया है जिसके बारे में कोई राय नहीं व्यक्त की गई। पहले यदि नक्शा पास नहीं होता था या जे. डी. ए. कोई आदेश देता था तो उसके खिलाफ सिविल सूट किया जा सकता था लेकिन अब सेक्शन 83 का जो स्कोप बढ़ाया गया उसमें जे. डी. ए. ट्रिब्यूनल के पास उसकी अपील करनी पड़ेगी और उसमें जो अधिकारी लगाये जाएंगे उनका आधार ए सी. आर. का जे डी. सी. के माध्यम से होगा। मैं समझता हूं वर्तमान में जो जे. डी. सी. है उनके ऊपर तो हमारा पूरा विश्वास है लेकिन कई बार ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो उनके ऊपर अपना वर्चस्व रखते हैं। इन्टरफियरेन्स करते हैं। ऐसी स्थिति में जे डी. ए. ट्रिब्यूनल के अन्तर्गत जो भी अपील की जायेगी वह जे. डी. सी. से प्रभावित होगी, उनके उच्चाधिकारियों द्वारा प्रभावित होगी। ऐसी स्थिति में सिविल सूट करने का जो नागरिकों का राइट है वह कायम रहना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में एक लाख लोगों से अधिक के प्लाट्स हैं वह हाउसिंग सोसायटी के अन्तर्गत है। जब यह एक्ट आ रहा है तो राज्य सरकार को एक नीति रखनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं कि बीच में कुछ शिविर लगाये गये उनके दौरान आपने कहा यह करेंगे, वो करेंगे लेकिन नतीजा

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कुछ हुआ नहीं आपने नापा नहीं नापा, फाड़ा कुछ नहीं तो कच्ची बस्तियों के लोगों के लिए सरकार की क्या पालिसी है यह मैं जानना चाहूंगा इस बारे में मंत्रीजी अपनी बात स्पष्ट करें और मैं अपील करता हूं कि इस अध्यादेश को अस्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सुशील विश्नोई (अनुपस्थित), प्रो. केदार नाथ (अनुपस्थित), श्री नत्थी सिंह (अनुपस्थित), श्री प्रकाशचन्द बैरवा (अनुपस्थित), श्री चन्दनमल बैद (अनुपस्थित), श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, इस आर्डिनेंस में जो प्रभारी मंत्रीजी ने जोड़ा है उसका मैटर लगा हुआ है। मैं एक ही निवेदन करता हूं कि यह जो डवलपमेंट अथोरिटी आपने जयपुर में कायम कर रखी है और आप जो अधिकार उसको देने जा रहे हैं इन अधिकारों में अतिक्रमण हटे, अतिक्रमण नहीं हो और सरकारी प्रोपर्टी बचे, जो जे.डी.ए. के नीचे है वह रहे। मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि आपके पास कोई जमीन बची है क्या ? जयपुर के अन्दर जयपुर विकास प्राधिकरण के पास कोई भूमि या कोई जमीन जयपुर में बसाने लायक बची ही नहीं। लोगों ने प्लाजा बना लिये। किसी ने रामदेव प्लाजा बना लिया, किसी ने रायसर प्लाजा बना लिया राजनीतिक असर से और को-आपरेटिव सोसायटीज ने चारों तरफ से अगर किसी राजा महाराजा की जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। मैं आपसे निवेदन करूं, जयपुर विकास प्राधिकरण ने 50 बीघा जमीन अमरूद बाग के नाम से अपने कब्जे में कर ली, उस पर चारों तरफ तारबन्दी कर दी और तारबन्दी करके उसको अपने कब्जे में डेढ़ साल रखा। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि 1989 में जब पार्लियामेण्ट के चुनाव होने वाले थे तो एक समझौता हुआ उस समय के नेताओं और महाराजा भवानी सिंह जी में और जे. डी. ए. ने बिना बात के वहां से बिस्तर उठा लिये और 50 बीघा जमीन जो कम से कम 50 करोड़ की होगी, वह दे दी। इस तरह से जो भूमि बाकी बची हुई है, जिसके ऊपर जे. डी. ए. हमारे ऊपर कानून बनाकर अतिक्रमण को हटाना चाहता है। मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक किसी भी स्टेट की राजनैतिक विल, इच्छा शक्ति जाहिर नहीं होगी, इसमें सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि आपने आर्डिनेंस में यह अधिकार मांगे हैं कि जे. डी. ए. का कोई अधिकारी या जे. डी. ए. खुद अगर यह अतिक्रमण करता है तो उसमें फिर खुद विचार करेंगे और फैसला करेंगे। इसका मतलब अगर राज्य सरकार या जे. डी. ए. चाहे तो यह अतिक्रमण जारी रहेगा और होता रहेगा। इस तरह से इसमें कोई व्यवधान डालने की कानून में कोई नीयत जाहिर नहीं की। मैं समझता हूं अगर वाकई राज्य सरकार की राजनैतिक इच्छा है और यह समझती है कि जयपुर को सही ढंग से बसाया जाय, जो अतिक्रमण हुए हैं उनको हटाया जाय। आगे के बड़े-बड़े अतिक्रमण जो लोगों ने कर रखे हैं, उनको किस तरह से अपने कब्जे में लिया

(श्री हेतराम बेनीवाल)

जाय तो निश्चित रूप से इस मामले में

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

स्पष्टीकरण देना चाहते हैं अन्यथा मैं समझता हूं कि यह प्रचारात्मक अध्यादेश रखा है। इसमें गुंजाइश नहीं है। इसको अस्वीकार करके और कोई नया एक्ट यदि आप चाहें तो उस पर विचार करें और उसमें समय मिले तो आप सत्ता पक्ष को भी और विरोधी पक्ष को भी लेकर के सलेक्ट कमेटी बनाई जाय और कोई नया प्रावधान करके नया एक्ट लाएं जिससे कि इस बात का समाधान हो सके। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको भी फिलहाल अस्वीकार कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि इसमें माननीय प्रभारी मंत्रीजी भी मेरी बात से सहमत होंगे क्योंकि तीन चौथाई तो इन्होंने कर दिया और छोटी-सी पूंछ रह गई है, उसके लिए किस बात की जिद करेंगे और इसलिए पूरे को ही अस्वीकार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डाक्टर चन्द्रभान जी।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 1991 को प्रख्यापित जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन), विधेयक 1991 (1992) के अध्यादेश संख्या 7) को अस्वीकार करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, असल में तो इस अध्यादेश को लाने की कोई जरूरत ही नही थी और यदि सरकार यह मानती है कि कोई सख्त अध्यादेश या कानून बनाकर के सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण और कब्जे को रोका जायेगा तो वह बहुत बड़ी गलत-फहमी का शिकार है। इसके लिए साफ नीयत होनी चाहिये और जो मैंने पहले भी कहा, सरकार की मजबूत राजनैतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिये। जयपुर में जो यह समस्या बनी है, उसके पीछे मूल वजह यही है कि जयपुर के सम्बन्ध में और मैं कहूंगा पूरे राजस्थान के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट आवास नीति नहीं बनी और जो लोग शासन में रहे और प्रशासन चलाते हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी, उनकी दृष्टि भी दूरगामी नहीं थी। 1971 के मास्टर प्लान की चर्चा यहां पर हुई। 6 लाख 15 हजार उस समय जनसंख्या थी, 12 लाख का अनुमान हुआ और आज जनसंख्या 18 लाख से ज्यादा है। जनसंख्या शहरों की ओर क्यों आती हैं, यह भी इसकी एक मूल वजह है क्योंकि गांवों में रोजगार के अवसर नहीं हैं और जो रोजगार के अवसर हैं, उनको भी घटाने का काम यह जयपुर विकास प्राधिकरण करता है और इस अध्यादेश को लाने की जरूरत इस सरकार को पड़ी है, उसके पीछे भी मूल वजह यही है उपाध्यक्ष महोदय।

जयपुर विकास प्राधिकरण, असल में इसका नाम तो जयपुर डुबाने वाली अथोरिटी होना चाहिये और किसी को यह डुबोती है या नहीं डुबोती है, जयपुर के चारों तरफ के जो काश्तकार लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको डुबोने का काम तो कम से कम उसने किया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि गांवों के लोग लखपति हो गये लेकिन

(डा. चन्द्रभान)

उनका रोजगार चला गया और उनका रोजगार छीना गया, इसका कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार ने इसके बारे में कभी सोचा है ? उपाध्यक्ष महोदय, आस-पास के गाँवों के गरीब लोग, जो अनपढ़ लोग रहते हैं, वे इन सहकारी समितियों के चंगुल में इसलिए फसते हैं कि जे. डी. ए. उनका ज्यादा शोषण करता है। 5 रुपया वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन लेता है और 500 रुपया वर्ग मीटर के हिसाब से बेचता है। मैं कहना चाहूंगा कि यह डवलपमेण्ट के नाम पर क्या करता है ? इसलिए गरीब भोले-भाले किसान इन सोसायटीज को जमीन देते हैं और ये जे डी. ए. के लोग जहां कहीं भी जाकर अपना झंडा गाड़ देते हैं कि यहां पर अरबन सीलिंग एक्ट लग गया और आपकी जमीन को एक्वायर किया जाता है। यह झंडा नहीं गड़ेगा। आप कानून को कितना ही सख्त बना दीजिये। यदि जयपुर जिले के किसानों का शोषण होगा और जे डी. ए. केवल 5 रुपये वर्ग मीटर देकर 500 रुपये वर्ग मीटर में गरीब उपभोक्ता को बेचता है तो फिर इस कानून की धज्जियां उड़ेंगी और जयपुर जिले का किसान इसको स्वीकार नहीं करेगा। इसके लिए आपको विचार करना चाहिये और मैं इसके लिए आपको सुझाव भी देना चाहता हूं।

यहां पर सूर्य नाम की कोई कम्पनी आई। आपके जे. डी. ए. ने उसको 100 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन को बेच दिया। 5 रुपये वर्ग मीडर में, 25,000 रुपये बीघा में चित्रकूट योजना के लिए जमीन लेना चाहते हैं और आपके जे. डी. ए. के अधिकारी और पुलिस वहां पर पहुंच गई। वहां पर पत्थर लगे, फिट कर आये और आये भी फिट कर आयेंगे। 25,000 रुपये बीघा में जमीन लेना चाहते हैं, किसानों को बेरोजगार करना चाहते हैं, उनके रोजगार के सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति नहीं है और इसीलिए इस अध्यादेश को लाने के पीछे वजह यही है कि आप गांव के गांव उजाड़ना चाहते हैं, सख्त कानून लागू करके गांव के गरीब लोग, किसान लोग उन पर सख्ती के माध्यम से उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और शहरों में लेकर के जमीन को ऊंचे भावों में बेचना चाहते हैं। सरकार इस तरह गरीब किसानों को उजाड़ करके धन कमाना चाहती हैं। सरकार इस तरह के कानून को कोई भी समझदार व्यक्ति जो इस विधान सभा में किसानों की राजनीति करने वाला है, इसका समर्थन नहीं कर सकता। मैं आपसे कहना चाहूंगा, चूंकि समय का अभाव है। यदि आपकी नीयत साफ है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं लेकिन माननीय आवास मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां पर माननीय सहकारिता मंत्री भी बैठे हुए हैं। सोसायटीज वालों के कैम्प लगे हुए हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है ? अभी भी एक लिस्ट बनी है आपके इस अध्यादेश में 106 लोगों की, उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई। 20 और 22 में पुलिस और जे.डी.ए. के लोगों ने कितना उनका शोषण किया होगा, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंची होगी।

(डा. चन्द्रभान)

इसी के, साथ मैं कहना चाहूंगा कि श्री पी. डी. पालीवाल साहब कौन है ? पी. डी. पालीवाल साहब जिन्होंने जगजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति की 21450 वर्ग मीटर की जमीन को, जहां पर कोई निर्माण कार्य नहीं था, वहां पर निर्माण कार्य घोषित कर दिया। 83 करोड़ रुपये का आपको नुकसान हुआ है। यह मामला भी आपके पास आया है, मुख्य मंत्रीजी के पास भी गया है, यह लोकायुक्त के पास भी गया है। लोकायुक्त ने स्ट्रिक्चर इसके खिलाफ पास किया है। आपने इनको सस्पेण्ड किया है लेकिन एक महीने बाद में इनको दुबारा रिइन्सटेट करके चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में इनको दुबारा लगा दिया है। जब इस तरह से जो लोग गड़बड़ियां करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, सरकारी जमीन को कब्जा करने वालों की मदद करते हैं और उन लोगों को इस तरह से यदि आपके शासन में प्रोत्साहन मिलेगा तो मैं चाहूंगा कि आप कितना ही बड़ा अध्यादेश लायें, उसके माध्यम से सरकारी जमीन के अतिक्रमण को नहीं हटा सकते। आपकी नीयत यदि साफ है और आप वास्तव में सरकारी जमीन के अतिक्रमण को हटाना चाहते हैं तो हम आपका सहयोग करेंगे। जिन धाराओं में आपने प्रावधान करके जिससे साधारण लोगों को परेशान नहीं किया जायेगा, इसका हम स्वागत करते हैं लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि यह कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपकी मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिये। ईमानदार और शानदार प्रशासन आपका होना चाहिये जिस पर आपकी पकड़ भी मजबूत बनाई जा सके तो इसका कोई मतलब होगा। धन्यवाद।

(9.00 रात्रि)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, डाक्टर साहब।

माननीय श्री यदुनाथ सिंह जी। (अनुपस्थित)

श्री सुरेन्द्र व्यास। (अनुपस्थित)

माननीय पंडित रामकिशन जी। (अनुस्थित)

श्री रामनारायण वर्मा। (अनुपस्थित)

प्रभारी मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (प्रभारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर अध्यादेश के माध्यम से चर्चा हुई है, वह बड़ी सार्थक है। बड़े अच्छे विचार रखे हैं। माननीय पूनमचन्द जी विश्नोई साहब ने वास्तव में नगर नियोजन किस प्रकार का हो, उसका सच्चा चित्र हमारे सामने उपस्थित किया है। बाकी माननीय सदस्यों ने भी जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्य-कलापों की चर्चा की है; और जयपुर का जो स्वरूप बनना चाहिये, वह बना नहीं है, इसकी भी चिन्ता की है। कल्ला जी ने मुझसे पूछा कि प्राधिकरण बनने के बाद इतना विनाश क्यों हुआ है, इतना काम क्यों नहीं हुआ है। कल्ला जी आपकी जानकारी में होगा कि सन् 1982 में प्राधिकरण बना था और 1982 से 1990 तक का हिसाब आप मुझसे पूछो....

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह तो आपसे ही पूछेंगे ।

श्री भंवरलाल शर्मा : बराबर मैं दूंगा । लेकिन मेरे पास हिसाब कम है, आपके पास ज्यादा हो सकता है । 1982 से 1990 तक का हिसाब मुझ से पूछो तो मैं दे सकता हूं लेकिन देने की आवश्यकता नहीं है । जहां मैंने 1982 से 1990 कहा है, उससे समझ जायें कि हिसाब किसको देना है और मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं । जो आपकी चिन्ता है, वह हमारी भी चिन्ता है । आखिर जयपुर का स्वरूप सुन्दर नहीं हो और हम सब लोग वहां रहें, यह कोई अपने लिए शोभा की बात नहीं है । एक तो आपने सुधार की बात कही । एक आप कहते हो कि बड़ी गड़बड़ है । जब उस गड़बड़ को मिटाने के लिए हम कानून लायें हैं तो उसका भी आप विरोध कर रहे हो । कर्मचारी काम नहीं करते । किसी माननीय सदस्य ने कहा कि कर्मचारी की मिली भगत से, उनके काम करने से ही सारी गड़बड़ होती है, आप उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहते हो तो कैसे रोकोगे सारी बीमारियों को । अतिक्रमण हो रहा है, उसको कैसे रोकोगे । अब उसमें आपने किसानों को जोड़ दिया कि किसानों का बड़ा नुकसान होगा, इसमें किसान कहां से आ गये । कहां से नुकसान होगा उनका । कौन से किसानों ने अतिक्रमण किया है । कौनसा गरीब किसान अतिक्रमण करता है । उसकी खुद की जमीन है, वह खुद वहां रह रहा है तो उसका अतिक्रमण कहां हुआ । जो किसान स्वयं अपनी जमीन पर बैठा है, उसको आपने अतिक्रमण कहां से कह दिया । कोई उसका अतिक्रमण नहीं हुआ । जो किसान अपनी जमीन पर बैठा है उसको अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता । यह जो कानून आया है, यह उनके लिए आया है जो सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा, अतिक्रमण करेगा । कहां आपने दोनों को मिला दिया । ठीक है आपका राजनीतिक....

डा. चन्द्रभान : मंत्री महोदय, इसमें राजनीति का सवाल नहीं है । जहां चाहो उस किसान की जमीन को अरबन सीलिंग कर दोगे, आप बड़े-बड़े बंगले बना दोगे, आप जयपुर में अपार्टमैण्ट सिस्टम क्यों नहीं लागू करते ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया डाक्टर साहब ।

डा. चन्द्रभान : 25 किलोमीटर तक पहुंच रहा है जे. डी. ए. ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : डाक्टर साहब आपके सुझावों को हम लोग कहां मना कर रहे हैं । आज अगर आप पूरे सुझाव नहीं दे पाये तो आप और हम लगातार बैठने वाले हैं, फिर दे दीजिए । जयपुर में एकदम कोई सुधार नहीं होगा । यह कोई जादू मंतर नहीं है कि जयपुर सुधर जायेगा । जयपुर को सुधारने के लिए जितना बिगाड़ा है, उससे अधिक परिश्रम करना पड़ेगा तब जाकर वह सुधरेगा । उस सुधारने के परिश्रम का जो प्रथम चरण है, वह यह है, उसके बिना ठीक नहीं हो सकता । मैं समझता हूं और भी कई कदम उठाने पड़ेंगे, यह अकेला कानून पर्याप्त नहीं होगा । उसमें आपका सहयोग चाहिए, समर्थन

(श्री भंवरलाल शर्मा)

चाहिए। तो यह जो कानून है, यह आया कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। यह एक शुद्ध भावना से जयपुर का स्वरूप ठीक हो, जयपुर की बिगड़ी हुई शक्ल है, उसको बचा सकें, इस प्रेरणा से आया है और यहां मैंने आपसे निवेदन किया कि प्रारम्भ में कुछ बातें ऐसी थीं जिससे कुछ लोगों को परेशानी हो सकती थी, उस कानून में कुछ ऐसे प्रावधान थे, वह मैंने स्वयं ने ही वापस ले लिये। अब जो हैं उनके लिए भी आप मदद नहीं करो, उनके खिलाफ भी आप बोलों तो इस समस्या के समाधान का तरीका आप बता दीजिए। कर्मचारियों की आप शिकायत करते हो।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया संक्षेप में कहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो कर्मचारी जाते हैं, वह गड़बड़ करते हैं तो उसको भी हमने लायबल किया। वह भी तकनीकी बात है। आप यह समझाइये कि फिर इसके अलावा और क्या करना चाहिये। तो मेरा आपसे निवेदन है कि पोलिटिकल बिल भी है और यह ईमानदारी से प्रस्ताव लाये हैं। मन में यही इच्छा है कि जयपुर को हम ठीक कर सकें, इस प्राधिकरण की गति को ठीक कर सकें और लोगों को राहत मिल सके। आपको एक बात कहना चाहूंगा कि सोसायटीज का मामला आप बीच में ले आये। सोसायटीज का विषय अलग है। सोसायटीज ने जिन लोगों को चीट किया है, ठगा है, उनके लिए सरकार बड़ी सहानुभूति से विचार करेगी और जिन लोगों ने यह सारी गड़बड़ की है, उनके खिलाफ कार्यवाही करने का भी हम प्रयत्न करेंगे। लेकिन सोसाइटीज के लोगों ने, जो उनके चक्कर में फंस गये, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि सोसायटीज के कारण जिन लोगों की जमीन खरीद ली गई, जिनके मकान खड़े हैं, जिन्होंने सारी जिन्दगी की कमाई उसमें लगा दी, जिन लोगों ने कोई मेनसरिया नहीं ली है, ऐसे लोगों के खिलाफ यह कानून नहीं है। यह कानून केवल उनके लिए है जिन्होंने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का धंधा बना रखा है, जिनको लैण्ड ग्रेबर कहते हैं। मैं समझता हूं कि इसका सबको समर्थन करना चाहिए और हम सब मिलकर जयपुर के स्वरूप को सुधारें। मेरा यह विश्वास है कि यदि आप लोगों का समर्थन रहा तो इस कानून के आने के बाद यह जो छोटी-मोटी समस्याएं हैं, वह दूर होंगी और जो भी कदम उठाने आवश्यक होंगे, सरकार निश्चित रूप से उठायेगी। एक बार जयपुर को ठीक करने की इच्छा है, इसीलिए यह बिल लाया गया है। मैं समझता हूं कि आप इसको बड़ी निष्ठा के साथ पास करेंगे और जो आप इस अध्यादेश का विरोध कर रहें हैं, उसको वापिस लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलना चाहेंगे विश्नोई साहब।

प्रश्न यह है कि निम्न प्रस्ताव स्वीकार किया जाय कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 1991 को प्रख्यापित जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या--7) को अस्वीकार करता है ?

(अस्वीकृत)

अस्वीकार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

श्री रामनारायण वर्मा (अनुपस्थित)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (अनुपस्थित)

प्रभारी मंत्री विचारार्थ के लिए प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक पर विचार

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1990-91 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बुलाकीदास जी कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अध्यादेश को अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में जो बातें कहीं थीं। मैं क्या बोल सकता हूं क्या नहीं, उसके लिए चेयर है। आप चेयर को कहां गाइड कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : कहिये। आप संक्षेप में कहिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आप पहले हाउस को आर्डर में लाइये, मैं फिर बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब, सदन के अन्य माननीय सदस्यों की भावना का भी आप आदर करिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नियमों में बोलेंगे। नियमों में यह व्यवस्था है कि रिपीट नहीं करेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह आपको गाइड कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने यह सुझाव दिया है कि रिपीट नहीं करें। कोई नयी बात हो तो बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं तो पुरानी बातें बोलूंगा। आप रोको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब। माननीय महावीर जी बैठिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, देहली डवलप ऑथोरिटी में जो नियम बने हुए हैं, उसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अपने मकान के नक्शे, अथवा उसमें एडीशन आल्ट्रेशन के लिए कोई प्रार्थना पत्र देता है तो वहां उसका एक रजिस्टर होता और रजिस्टर में कोई भी व्यक्ति जाकर के उन एप्लीकेशन्स के बारे में क्या कार्यवाही हुई है, उसको जाकर देख सकता है लेकिन अपने यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम कब एप्लीकेशन देते हैं, उसका कैसे डिसपोजल होता है, कैसे वह स्वीकृत होती है, हम उनको देख भी नहीं सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था इनको करनी चाहिए। मैं आपको एक सुझाव देना

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

चाहता हूं। नेशनल बिल्डिंग बोर्ड और दिल्ली डवलपमेण्ट अथोरिटी हमारे से पहले का बना हुआ है और उसकी जो गाइड लाइन्स हैं उसके आधार पर, इनके अनुभवों का ध्यान में रखते हुए जो भी रद्दो-बदल करना है हमको एक्ट में करना चाहिये।

तीसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि जे. डी. ए. का वार्षिक खर्चा क्या है? सामान्यतः तो यह देखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेण्डीचर 10 पर्सेण्ट मैग्जीमम होना चाहिये और उससे ज्यादा है तो इसको कम करने के लिये उपाय सोचना चाहिये और जो भी मशीनरी के ऊपर ज्यादा खर्चा किया जा रहा है इसको भी रोकना चाहिये। अभी झुंझुनू से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि किसानों से 25 हजार रुपये बीघा से जमीन खरीदी जाती है और जब प्लाट दिये जाते हैं तो आरक्षित मूल्य जे. डी. ए. का 500 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुयेप प्रति वर्ग गज के हिसाब से होता है। इसको दूर करने के लिये जे. डी. ए. को खर्चा कम करना चाहिये और ऐसी योजना बनानी चाहिये कि प्रत्येक वर्ष में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं. जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहते हैं, ऐसे लोगों को प्रति वर्ष प्लाट अलाट करने के लिये योजनाबद्ध तरीके से प्लान बनानी चाहिये। जो इन्कम टैक्स देते हैं उनके लिये ऊंची दरों के ऊपर जमीनें अलाट करनी चाहिये, नीलामी के द्वारा उनको बेची जानी चाहिये और जो गरीबी की रेखा के नीचे लोग रहते हैं उनको जमीनें अलाट करने के लिये कम से कम दर के ऊपर जमीनें अलाट करायी जानी चाहिये। क्योंकि पिछले वर्षों में जे. डी. ए. जमीन अलाट करने में नाकामयाब रहा है जिसके कारण से हाउसिंग को आपरेटिव सोसायटी के माध्यम से लोगों ने ज्यादा से ज्यादा प्लाट लिये। ऐसी व्यवस्था भविष्य में नहीं हो इसके लिये जे. डी. ए. प्रति वर्ष कम से कम 50 हजार, 20 हजार या 10 हजार जो उसकी क्षमता के अन्दर हों प्लाट आवंटन की योजना बना कर आय वर्ग के अनुसार जमीनें आवंटित करने की स्कीम बनानी चाहिये पिछले वर्ष में कुछ हमारे माननीय नेताओं ने, हमारे मंत्रियों ने और जयपुर के विधायकों ने जयपुर की जनता से वायदा किया कि हम विकास दर को 25 रुपया कर देंगे। मैं जनना चाहता हूं, आज मंत्रीजी अपना रिप्लाई देते समय यह घोषणा हो कि विकास की दर को आप क्या करने जा रहे हैं और कब तक इस बारे में निर्णय कर लेंगे।

इसी तरह से जयपुर में जब 250 वां वर्ष मनाया गया था उस समय यहां पर यू. आई. टी. पर और रंग मंच बनाने के लिये राज्य सरकार ने 25 लाख रुपया दिया था। वह रुपया आज जे. डी. ए. के पास पड़ा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि कि जयपुर में आज कल्चर में विश्वास करने वाले लोग हैं। जयपुर हमारी राजधानी है। यह 25 लाख रुपया जे. डी. ए. के पास पड़ा है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नयी बातें बता रहा....

श्री उपाध्यक्ष : हां, इसलिये हम सुन रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, इस रंग मंच का निर्माण आप कब तक करवा देंगे। इसी तरह से पहले तो लोग अपने घरों में ही विवाह वगैरह कर लेते थे परन्तु आज लोगों के छोटे-छोटे घर हैं। मैंने दक्षिण में, तिरुपति में, मद्रास में दिल्ली में कई स्थानों पर ऐसा देखा है कि विवाह मण्डप बने हुए हैं, बस्तीवाइज कुछ जे डी ए. ने ऐसे विवाह मण्डप बना कर दिये हैं ताकि गरीब अपने बच्चों की शादियां वहां कल्याण मण्डप में करें। एक आध शायद आपने भी बनाये हैं लेकिन प्रत्येक बस्ती में इस प्रकार के कल्याण मण्डप आपको बनाने चाहिये।

इसी तरह से गरीब लोगों को भू-खण्ड जहां आप आवंटित नहीं कर सके वहां जो कच्ची बस्तियां बन गयी है जिनके नियमन के लिये आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिये।

इसी के साथ-साथ मैंने जो एन्फोर्समेण्ट आफिसर के बारे में बात बतायी थी उसके बारे में मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। एन्फोर्समेण्ट आफिसर की मशीनरी इंजीनियर्स जो वेल क्वालिफाइड होता है, जो टाउन प्लानिंग से सम्बन्धित है, जो सिविल इंजीनियर्स है उनके माध्यम से एन्फोर्समेण्ट आफिसर को लिया जाना चाहिये ताकि वह नक्शों के बारे में जानकारी कर सके और जो नक्शे के हिसाब से मकान नहीं बनते हैं उनको रोक सके, अन अथोराइज्ड आक्युपेशन है उसको रोक सके। जहां तक मंत्रीजी ने यह बात कही कि सरकारी जमीन के ऊपर कोई कब्जा करता है तो उसके ऊपर कोई भी सदन का सदस्य नहीं बोला है। जो पक्ष में है कि सरकारी जमीन पर कब्जा हो तो इसको आप रोके, इसको हमारा समर्थन है लेकिन आप इसकी आड़ में जो गलत कानून बना रहे थे उसका विरोध किया था। मुझे उम्मीद है माननीय मंत्रीजी मेरे उठाये गये सवालों का जवाब देंगे और इस विधेयक को एक महीने के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री प्रेम सिंह दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : मैं आपकी भावना को समझते हुए इस विधेयक के अन्दर जो कमियां हैं उसके उपर ही बोलूंगा....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह आपकी भावनाओं का आदर कर रहे हैं और बहुत संक्षेप में बोलेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आन ए पाइंट ऑफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब बोलने को रोका नहीं जा रहा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आन ए पाइंट ऑफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : क्या है ? आपका पांइट ऑफ आर्डर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सर, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर यह है, इस राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति बोलेगा तो कोई दूसरा माननीय सदस्य....

श्री उपाध्यक्ष : कोई रोक टोक कहां कर रहा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : और हाउस को आर्डर में रखने की जिम्मेदारी....आप ऐसी व्यवस्था बनाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज आर्डर। आप बोलिये।

श्री प्रेम सिंह दहिया : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1991 को मैं जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिये अपना प्रस्ताव रखता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने इस विधेयक के खण्ड-2, 3, 4 तो हटा दिये हैं इसके लिये मंत्रीजी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, परन्तु मंत्रीजी ने यह तो हटा दिये है इसके बाद भी जो कुछ धाराएं हैं, खण्ड हैं उसमें कुछ कमियां रह गयी है। इसकी ओर मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड-5 का उप खण्ड 2 और 3 में जो नियम बनाये गये हैं उसमें यह नहीं बताया गया कि प्रोपर नोटिस का समय क्या होगा। एप्रोप्रिएट टाइम क्या होगा। नोटिस किस तरह से दिया जायेगा यह भावना आपके नियमों के अन्दर जोड़ी जानी चाहिये।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड-5 के उप खण्ड 4 के अन्दर जो-अभिव्यक्ति की गयी है कि जो खोद कर ले जायेगा उसको सजा होगी। तो ऐसे कई भू-खण्ड खाली पड़े हैं जहां मिट्टी खोद करके ले जाते हैं या मलबा खोद कर ले जाते हैं। तो यहां पर मेरी भावना यह है कि वहां एक नोटिस बोर्ड लगा दिया जाना चाहिये कि यह आपके अभिकरण की जमीन है। नहीं तो जिनको नियमों की जानकारी नहीं है वह गरीब बेवजह तंग किये जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी खण्ड के उप-खण्ड 13 के अन्दर यह साबित करने का परेशान करने वाले भार रखा है। इसके अन्दर मेरा यह कहना है उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह साबित होता है कि वह गुनहगार नहीं है तो इसका कम्पेन्सेशन उस अधिकारी से दिलाया जाना चाहिये जिसके लिये कोर्ट में जाने के बाद हर्जाना होता है। इसी तरह उपाध्यक्ष महोदय, इसी धारा के अन्दर अधिकारियों के खिलाफ में जो जान बूझकर और जानते हुये भी उपेक्षा करेंगे उसके लिये सजा का प्रावधान रखा गया है। उसमें सी. सी. ए. 16 और 17 के तहत कार्यवाही की जानी चाहिये। सरकार को काफी नियमों के तहत अधिकार है। आर. एस आर, सी सी. ए. के तहत उनको अधिकार है इन अधिकारों के तहत ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करें। आर. एस. आर. नहीं हो तो सी. सी. ए. के तहत सब पर लागू है, इस्तेमाल किया जाना चाहिये।

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

इसी तरह से जब नोटिस में 30 दिन का समय अभिकरण को दिया गया है तो कम से कम 30 दिन के नोटिस का समय किसी भी पार्टी को इस कार्यवाही के पहले मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सुनील विश्नोई....(अनुपस्थित)

श्री जुबेर खां....(अनुपस्थित)

श्री परसादीलाल मीणा....(अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा वक्ता तो वह होता है जो श्रोताओं की भावनाओं की कद्र करते हुए बोले। इसलिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया उसमें भी समय-समय पर जो कमियां रही हैं उसको दूर करने के लिए संशोधन लाया गया है। आज जिस जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार किया जा रहा है माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने इसके क्लाज दो, तीन व चार को खुद ही डिलीट करने का प्रस्ताव पेश कर दिया है। दूसरी तरफ इतना ही कहना चाहता हूं कि जयपुर में जब सर्व प्रथम यू. आई. टी. की स्थापना हुई थी उसके पीछे यह भावना थी कि जयपुर शहर का सर्वांगीण विकास हो। यहां पर लोगों को पार्क, अस्पताल सड़क और दूसरी चीजों की सुविधाएं मिले। जैसा मेरे साथी डा. चन्द्र भान जी कह रहे थे जे. डी. ए. काश्तकारों से तो जमीन अवाप्त करता है बहुत सस्ती दर पर और उसके बाद भूखण्ड का आवण्टन करता है तो बहुत ज्यादा रेट पर करता है। मैं चाहूंगा कि एक तो इस तरह के प्रावधान करें कि जिस कीमत पर आप जमीन खरीदें उससे ज्यादा दो गुनी या तीन गुनी कीमत पर ही उसको बेचें ताकि जमीन मालिक को ज्यादा मुआवजा मिल सके।

(9.22 रात्रि)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

दूसरा, जहां तक मैंने इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव पेश किया था लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि यू. आई. टी. का जो पुराना इतिहास है उसके जो अध्यक्ष रहे वह माननीय देवी शंकर तिवाड़ी फिर श्री बालचन्द वेद, श्री सरदारमल सांघी फिर तकीउद्दीन और फिर जयपुर विकास प्राधिकरण बना तो उसमें गुलाबसिंह शक्तावत, श्रीराम गोटेवाला और दूसरे उसके लोकल सेल्फ मंत्री के नाते अध्यक्ष रहे लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह-तरह की भावना से इसका गठन किया गया था उसको करने में शायद जे. डी. ए. अक्षम रहा है। उसका परिणाम यह रहा कि चाहे देवी शंकरजी हों या अन्य कोई, दुबारा जीतकर नहीं आया। इसलिए माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी आप चाहे जनमत जानने के लिए जनता के बीच रखें चाहे एज इट इज मंजूर करें आप स्वयं देख लें जनता का किसमें

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

कितना भला हो सकता है। जयपुर का सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है? यह फैसला मैं स्वयं आप ही पर छोड़ता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय पूनमचन्द विश्नोई। प्रस्ताव रख रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1991 को जनमत जानने के लिए परिचाचित किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रवर समिति वाला प्रस्ताव प्रस्तुत ही नहीं किया गया है।

प्रश्न यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय?

(अस्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

नियम का निलम्बन

श्री भंवरलाल शर्मा : (प्रभारी मंत्री) अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 306 के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियम 265 (2) को निलम्बित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि नियम 265 (2) को निलम्बित कर दिया जाय?

(स्वीकृत)

नियम निलम्बित किया गया।

प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

खण्डशः विचार

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड-2 को विलोपित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-2 विलोपित किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 विलोपित किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड-3 को विलोपित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-3 को विलोपित कर दिया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 विलोपित किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड-4 विलोपित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-4 को विलोपित किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-4 विलोपित किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड-5 को खण्ड-2 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-5 को खण्ड-2 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड-5 को खण्ड-2 के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री महावीर प्रसाद जैन, संशोधन पेश करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे सदन की भावना यह है कि साढ़े 9 बज गये हैं घर जाने की जल्दी है इसलिए मेरा प्रस्ताव यह है कि इस पर कल विचार किया जाय। जल्दबाजी में गलती हो सकती है। मैं संशोधन पेश कर रहा हूं—खण्ड-2 में प्रतिस्थापित की जाने वाली धारा 72 की उपधारा (4) में प्रयुक्त शब्द "जान-बूझकर या जानते हुए" विलोपित किये जायें। इन शब्दों को हटाया जाये इसके पीछे अपनी भावना मैं नगरपालिका संशोधन के वक्त बोल चुका हूं लेकिन मेरा निवेदन है कि जे. डी. ए. जिसका नाम ही डेवलपमेंट पर है और जो वह लाये हैं वह इस बात के लिये लाया गया है कि किस प्रकार से लोगों को जेलों में डाला जाय, किस प्रकार से कड़ी-कार्यवाही की जाय परन्तु मैं समझता हूं कि पहले से जो नियम बने हुए थे वह पर्याप्त थे केवल प्रभावी कार्यवाही न होने के कारण और 82 से 90 तक जिस प्रकार मिल-जुलकर जयपुर को विनाश की ओर बढ़ाया है उसके लिए कोई उत्तरदायित्व तो तय किया जाय और आज जिस प्रकार से विकास होना चाहिये जयपुर विकास प्राधिकरण बनने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि हम गुलाबी नगर में घुस रहे हैं। पुराने लोगों ने जो जयपुर बसाया था वह गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। वह जयपुर देखने आये तो जयपुर में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है...

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : ऐसा लगता है जैसे टोंक में आ गये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : टोंक में तो गांव लगता है। तो मेरा निवेदन है कि आपने इसमें यह तो निश्चित रूप से किया है कि अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया है लेकिन इसमें जो गलती छोड़ दी है उसको निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन माननीय श्री महावीर प्रसाद जैन ने प्रस्तुत किये हैं उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री संशोधन पेश करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का राजस्थान अधिनियम संख्या 25) की धारा 72 की उप धारा (4), जैसी कि वह इस खण्ड के द्वारा प्रतिस्थापित की जानी ईप्सित है, के

(श्री भंवरलाल शर्मा)

पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (15) अन्तःस्थापित की जाये, अर्थात् :–

"(15) इस धारा के अधीन के किसी अपराध का कोई भी अन्वेषण पुलिस उप अधीक्षक की रैंक से नीचे के किसी अधिकारी के द्वारा नहीं किया जायेगा।"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किये हैं, को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-दो संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड-दो संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड-6 और 7 को उसके खण्ड-3 और 4 के रूप में क्रमशः पुनःसंख्यांकित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 और 7 को खण्ड 3 और 4 के रूप में क्रमशः पुनः संख्यांकित किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 व 4 पुनः संख्यांकित किया गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं समझता हूं कि सदन की भावनाओं के विपरीत होगा। मैं आपकी भावना समझता हूं कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगे। इसको मैं पढ़कर सुना देता हूं।

"प्रस्तावित उप धारा (3) के अन्त में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "प्राधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्राधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा" तथा ऐसी अपील का तीन माह के भीतर निपटारा किया जाना बाध्यकारी होगा।"

तीन महीने के अन्दर इसकी अपील को निपटाये जाना आवश्यक होगा, यह प्रोविजन डाल दिया जाय तो मैं समझता हूं उचित रहेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-6 में जो संशोधन श्री महावीर प्रसाद ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-6 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड-6 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-7 को उसके खण्ड-4 के रूप में पुनः संख्यांकित करने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-7 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : खण्ड 4।

श्री अध्यक्ष : सात का हो गया न चार।

खण्ड 1, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रस्ताव करिये संशोधित रूप में पारित करने के लिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक संशोधन और था 72 (5) में, "उप धारा 15 की धारा के अधीन के किसी अपराध का कोई भी अन्वेषण पुलिस उप अधीक्षक की रैंक के नीचे के किसी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा।"

श्री अध्यक्ष : किस में ?

श्री भंवरलाल शर्मा : धारा 72 का (15).

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह तो पास आप कर चुके हैं, अब आप कैसे बोल रहे हैं ? यह तो पहले कहना चाहिए था।

श्री भंवरलाल शर्मा : बोल रहा हूं न अभी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सात तक कर चुके हैं पास। फिर आप उसको पुनः वापस करोगे ? आपको संशोधन पहले रखना चाहिए था।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1991 संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : पण्डित जी, आप बोलेंगे ?

श्री राम किशन : सबसे छोटा भाषण दे रहा हूं मैं। मैं केवल यह चाहता हूं कि जे. डी. ए. की धारा 72 में जो आपने 14 परन्तुक लगा रखा है इसे अगर नहीं हटायेंगे तो कर्मचारियों को जो भय होना चाहिए वह किसी प्रकार पैदा नहीं होगा। मैं तो केवल इतना-सा संशोधन चाहता हूं। साथ-साथ जो अतिक्रमण हो रहे हैं आपके जगह-जगह, चाहे वह बादल महल हो चाहे ताल-कटोरा हो, चाहे सिटी की दीवार हो, इस पर सरकार गम्भीरता से ध्यान दे। इतनी-सी बात कहकर मैं समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि पर्यटन हमारे देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

होने जा रहा है। पर्यटन एक ऐसा व्यवसाय है जो सबसे कम खर्चे के अन्दर सर्वाधिक विदेशी मुद्रा हमें दे सकता है। जब मैं यहाँ अध्यक्ष था विदेशी बाहर से यहां आते। हमारे नेता जयपुर की तारीफ में बड़े भाषण देते। मुझे मन में बड़ी शर्म लगती कि जितने भी महानुभाव बाहर से आये हैं उन्होंने जब शहर में प्रवेश किया होगा, कौनसी चीज ऐसी है जिससे वे प्रभावित हुए होंगे। वैसे झुग्गी-झोंपड़ियां, कच्ची बस्तियां दुनिया के विकसित से विकसित देश और विकसित से विकसित शहरों के अन्दर हैं। न्यूयार्क में हैं, वाशिंगटन में हैं, ताशकंद में हैं, बीजिंग में हैं शंघाई में हैं, कई जगह हैं। लेकिन उसके साथ-साथ जहां से कोई पर्यटक या विदेशी प्रवेश करता है, हवाई अड्डे से लगाकर शहर के केन्द्र बिन्दु तक, कई जगह भव्य चौराहे और बड़ी-बड़ी बिल्डिंग इस हिसाब से बनायी जाती हैं। मेरा सुझाव है कि कम से कम 3-4 जयपुर में प्रवेश के रास्तों खास तौर से हवाई अड्डे से जो सीधी सड़क है उसमें यदि अपन सुधार करते हैं तो करोड़ों रुपये खर्च होंगे। तो नयी सड़क जो यूनिवर्सिटी के सामने से जाती है वहाँ एक-दो चौराहे और बढ़िया भवन बनाये जायं तो उस रास्ते को सुधार सकते हैं। जो रास्ता दिल्ली की तरफ से आता है उसको सुधार सकते हैं, अजमेर से आने वाले को सुधार सकते हैं। इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए ताकि जयपुर की जो ख्याति है वह बनी रहे और ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहां पर आवें।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं बहुत उच्च कोटि के हैं, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डाक्टर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे वैज्ञानिक हो, लेकिन वे यहां की परिस्थितियों की कतई तौर पर अवहेलना करते हैं। पेयजल के अन्दर उन्होंने अवहेलना की है उसके परिणाम थोड़े अरसे में सामने आ जायेंगे। वन विकास के अन्दर उन्होंने इसी तरह से किया है। नगर नियोजन में हमारी परिस्थिति, हमारी संस्कृति, हमारा बिल्डिंग मैटीरियल, हमारे यहां का क्लाइमेट, इस सब की अवहेलना की है और पाश्चात्य देशों, पैसे वाले लोगों की जरूरतें पूरी कर सकें उस हिसाब से नगरों और भवनों का नियोजन किया जाता है, आर्किटेक्चर भी वही अपनाया जाता है। कभी-कभी दिखावे के लिए एक-आध छतरी बना दी या रंग ऐसा कर दिया। मेरा नम्र निवेदन यह है कि शहरों के नियोजन, मकानों के बनाने, बस्तियों की बसावट में हमारी जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रखना चाहिए।

इतनी बड़ी आबादी है, हम खुले मैदान इतने नहीं दे सकते लेकिन घर के बीच चौक जरूर दे सकते हैं। मर जाय कोई तो यूरोप में तो कोई किसी के बैठने आता नहीं। यहां महीने भर तांता बना रहता है और बैठने की जगह नहीं। होली हो तो कोई जगह नहीं, दीवाली हो तो जगह नहीं। शादी हो तो सड़क के ऊपर। छोटे बच्चों की कौन रखवाली करे, घर से बाहर जायं तो सड़क पर जाते हैं। अगर दंगा हो जाय तो सीधी लाइन में बसे हुओं की रखवाली नहीं। हमारी पुरानी पद्धति है, हमारी अपनी समाज व्यवस्था है, हमारी अपनी आदतें हैं, उन सबके बारे में ध्यान देकर उस हिसाब से नगरों और परिस्थितियों

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

का नियोजन होना चाहिए। यही मेरा सुझाव है।

श्री अध्यक्ष : कालीचरण जी।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1991 जो लाया गया है सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा कि उसकी धारा (31), (32) और (33) माननीय मंत्री महोदय ने विथड्रा कर ली। परन्तु इसके बाद भी जो धारा 72 में उप-धारा (1) और (2) जोड़ी गयी है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि धारा 72 की उप धारा (1) और (2) में सार्वजनिक भूमि को परिभाषित नहीं किया गया है। केवल यह कहा गया है कि जो निजी भूमि नहीं है वह सब सार्वजनिक भूमि मानी जायेगी। मैं यह चाहूंगा कि मंत्रीजी अपने जवाब में यह बतायें कि कि जयपुर शहर में जो चार लाख लोग कच्ची बस्तियों में रहते हैं, जिन्होंने सरकारी भूमियों पर कब्जा कर रखा है, उनमें से अधिकांश लोग अभी तक नियमित नहीं हुए हैं, जिनका सर्वे भी नहीं हुआ है, कम से कम एक लाख लोग इस प्रकार के होंगे जिनका न 1971 में सर्वे हुआ न 1981 में हुआ, उस बारे में सरकार क्या नीति रखेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस धारा से एक कन्फ्यूजन जो जयपुर के नागरिकों में बना है उसके बारे में स्पष्टीकरण चाहूंगा कि जो भूमि विधिवत रूप से अवाप्त नहीं हुई, नियमानुसार उसके मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ, सर्वे भी नहीं हुआ, और जिसका जे. डी. ए. ने वास्तविक रूप से कब्जा भी नहीं लिया ऐसी भूमि के बारे में सरकार क्या सोचती है? आज इस प्रकार की भूमि पर जिस पर जे. डी. ए. का वास्तविक कब्जा नहीं, मुआवजा नहीं दिया परन्तु भूमि अवाप्ति के नोटिफिकेशन हो गये, इस प्रकार की कई कालोनीज जयपुर में इस प्रकार की भूमि पर बस गयी हैं जैसे, अम्बा बाड़ी के उत्तर में जो कालोनी बसी है वह इसी प्रकार की भूमि है। विद्याधर नगर के पूर्व की ओर जमीन है वह इसी प्रकार की है। चौमू रोड़ पर, ढेर के बालाजी के पास अवाप्ति क्षेत्र में हजारों मकान-दुकानें बन गई हैं। मुरलीपुरा के पास भी इसी प्रकार से हजारों मकान बन गये, मालवीय नगर के दक्षिणी ओर इसी प्रकार में हजारों मकान बने हुए हैं, जगतपुरा रोड़ के पूर्वी ओर भी इसी प्रकार से मकान बने हुए हैं, लालकोठी योजना में भी सैकड़ों मकान बन चुके हैं। पृथ्वीराज नगर की योजना सरकार लागू करने वाली है उसमें भी हजारों मकान इस प्रकार के बने हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी यह स्पष्ट करें कि इस प्रकार के मकान और दुकानों का क्या भविष्य होगा?

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार इस मन्शा से अधिनियम लाई है कि सरकारी भूमि पर जो गैंग बनी हुई है, जयपुर में अतिक्रमण करके जिस प्रकार का धन्धा कर रखा है तो उसको तो रोकने की मन्शा सरकार की है, वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। परन्तु जो 1 लाख मकान, इस प्रकार की भूमियों पर जो अलसर में है,

(श्री कालीचरण सराफ)

जो भूमि सीलिंग में है, जो भूमि अवाप्ति में है, जिसका मास्टर प्लान में लैण्ड यूज दूसरा है इस प्रकार की भूमियों पर जो मकान बने हुए हैं उनके बारे में सरकार की क्या मन्शा है यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने चुनाव के समय जयपुर की जनता से एक वायदा किया था कि 1981 से, 1981 में जो सरकार थी उसने कन्वर्जन के नाम पर 40 करोड़ रुपये जयपुर की जनता से प्राप्त किये थे और यह प्रचारित किया था कि किसी भी प्रकार की भूमि में जो मकान बने हुए हैं उनका कन्वर्जन जमा करवायें और भूमि को रेगुलराइज करवायें। हमने चुनाव के समय वायदा किया था कि 25 रुपये डवलपमेण्ट चार्जेज के लेकर इस प्रकार की भूमियों को रेगुलराइज करेंगे। इस बारे में सरकार ने प्रयास भी किया, कई आयोग भी बैठाये, कई कमेटियां भी बनीं, कई प्रकार की मीटिंग्स भी हुई हैं और निर्णय भी मेरे ख्याल से फाइनल स्टेज पर है। तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी आज इस अवसर पर इस प्रकार की घोषणा भी करें, आज इस प्रकार के मकान 1 लाख 89 हजार जयपुर शहर में बने हुए हैं जिनके ऊपर जे. डी. ए. की तलवार लटकी हुई है। उनके बारे में भी सरकार इस बात की घोषणा करे कि हम इनको रेगुलराइज करेंगे और एक निश्चित तारीख इस बात को बतायें जिससे जयपुर की जनता में जो अधिनियम के कारण आतंक छाया हुआ है, जयपुर की जनता भयभीत हो रही है कि हमने हमारी पूरी जिन्दगी भर की कमाई लगाकर मकान बनाया, कहीं तोड़ तो नहीं देंगे, कहीं पुलिस और जे. डी. ए. के अधिकारियों के चंगुल में तो हम नहीं फंस जायेंगे? इसका निस्तारण भी निश्चित रूप से माननीय मंत्रीजी जब जवाब दें तो करें। बस मुझे इतना ही कहना है।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरजी—बोलेंगे आप? नहीं।

श्री राजपाल सिंह जी बोलेंगे?

श्रीमती उजला अरोड़ा। आवाज आई थी कि लोकल एम. एल. एज. को बुलवायें। इसलिए लोकल एम. एल. एज. को बुलवा रहा हूं। आप बैठे-बैठे कमेन्ट्स क्यों कर रही हैं, खड़े होकर बोलिये जो बोलना है। मैं जवाब दूंगा। बैठे-बैठे कमेन्ट्स मत करिये। हां, बोलिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देती हूं कि सरकारी जमीन पर अगर किसी ने अतिक्रमण किया है तो उसको हटाये जाने के लिए वह यह बिल लाई है। लेकिन इसमें सब नहीं किया गया है अवाप्ति भूमि का। जब भूमि अवाप्ति की गई उनकी जगह ऐसी है कि वहां पर आधे से ज्यादा जगहों पर मकान बने हुए थे। ऐसी जगहों में विद्याधर नगर में काफी विस्तार से हैं, अम्बाबाड़ी में काफी विस्तार से हैं और मेरे इलाके में भी दो-तीन जगह ऐसी हैं जहां पर बाद में अवाप्ति की गई भूमि कुछ तो खाली थी और कुछ मकान बने

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हुए थे। ऐसे मकानों का क्या होगा जो पूर्व में बने हुए थे? मंत्री महोदय स्पष्ट करें।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सीलिंग में काफी जमीन है और जिन-जन राव-राजाओं की वह सीलिंग की जमीन चाहे वह डिग्गी हाउस की हो, चाहे कामां हाउस हो, चाहे चौमूं हाउस हो, चाहे दून हाउस हो, चाहे कोई हाउस हो—इन सब में सीलिंग की जमीन पर मकानात बन चुके हैं और मकानात बन जाने के बाद में अब क्या उन्हें तोड़ा जायेगा हालांकि वह सारी जमीन सरकार के इन्ट्रेस्ट में जानी चाहिए। मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि इस सीलिंग का वह क्या करने वाले हैं....

श्री प्रेमसिंह दहिया : उनियारा हाउस है?

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां, उनियारा हाउस भी है। मैं जो भूल जाऊं आप याद दिला दें उसमें क्या आपत्ति हो सकती है?

श्री अध्यक्ष : अभी आप कह दें कि उजला अरोड़ा हाउस है, वह हाउस भी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कहीं नहीं है। हो तो....

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : उनियारा हाउस तो है, जिसका है। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा कोई हाउस हो तो बता देना, मैं कब्जा कर लूंगी।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अधिकारियों और पुलिस के हाथ में अपरिसीमित शक्ति नहीं दें। इसका गलत उपयोग हो सकता है और दुखदायी स्थिति हो सकती है।

मैं यह बताना चाहूंगी कि जे. डी. ए. में 55 सदस्यों की कमेटी थी। उन 55 सदस्यों की समिति को भंग करके यह तय किया है कि समिति में 75 विधायक जो जयपुर के हों, समिति में रखे जायं लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नियन्त्रण जो जन-प्रतिनिधियों का हो सकता था, उसको बिलकुल एक तरफ कर दिया और मन माने ढंग से कहना चाहिए, इम-बैलेंस रूप से जयपुर में विकास की स्थिति कहें या क्या स्थिति कहें, कोई स्थिति नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि कच्ची बस्तियों में शिविर लगाने की बात करी, वह शिविर लगे नहीं। अभी परसों-पले दिन एक प्रश्न मेरे हाथ आया एक फव्वारा बन रहा है, चाहे पुरानी सरकार कर गई लेकिन डेढ़ साल में हमको तो होश आना चाहिए था। हम इतना पैसा एक फव्वारे पर खर्च करेंगे। हमारे यहां कच्ची बस्तियों में लोग पड़े हैं, सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है, अन्य स्थिति अच्छी नहीं है और हम डेढ़ करोड़ रुपये का फव्वारा बना रहे हैं और वह संगीतमय फव्वारा। जब तक मन में सुख नहीं होता तब तक संगीत सुख नहीं देता है। इस स्थिति पर नियन्त्रण करें। जन-प्रतिनिधि नहीं है और जन-प्रतिनिधि जाय तो अधिकारियों को मिलने की फुरसत नहीं है और मिल भी लें तो कहते हैं कि भई, हम क्या करें। यह तो तय हो गया है। यह मैंने इंगित किया है मगर इस इंगित

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

को सरकार समझ ले। ऐसी कितनी दिक्कतें हो रहीं हैं वहां पर। मैं विस्तार में जाना नहीं चाहती हूं, मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं....

श्री अध्यक्ष : आप विस्तार में नहीं जायेंगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमने एक टाइप डिजाइन तय किया था कि 400 गज जमीन पर जो मकान बन जायें वह नक्शे पास करवाये बगैर बनाने की बात थी तब छोटे मकानों के नक्शे वाली स्थिति वहां से आ गई, कच्ची बस्तियों के नक्शे पास ही नहीं करने हैं और अन्य जगहों पर मकान तोड़ने की बात कहां से आ गई।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अतिक्रमण हटाने के लिए उजला अरोड़ा ने रामगढ़ रोड पर और भी जहां-जहां पर हुए हैं जयपुर में बार-बार कहा और कहने के बाद में हमें परेशानी हुई है और यह कहा गया था कि अतिक्रमण हटाओ और हटाये नहीं। डा. अगनानी ने वनस्थली मार्ग पर डामर रोड काटकर उस पर कब्जा किया, मिट्टी डाली, पेड़ उगाये, पत्थर लगाये फिर कमरा बना लिया। सारी स्थिति से मैंने अवगत करवाया। कोई नहीं बोला। मेरे इलाके में जोरावर सिंह गेट पर अब्दुल हनीफ नामक...

श्री अध्यक्ष : अब आप विस्तार में जा रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक बिन्दु का उल्लेख करना चाहती हूं। वहां पर दुकानें बनाई जा रही हैं, जो आवासीय योजना है वहां पर दुकानों की क्या आवश्यकता थी लेकिन आज शहर के हर मार्ग में हर गली में दुकानें निर्मित हो गई हैं। यह तोड़ेंगे ? मंत्री महोदय उल्लेख करें और बिना टाउन प्लानिंग के जो बापू बाजार, नेहरू बाजार में हमारे सामने स्थिति है उसका क्या करेंगे ? मंत्री महोदय स्पष्ट करें।

एक बात और कहना चाहती हूं कि जो हमने 25 रुपये प्रति वर्ग गज की बात कही और बार-बार कही, मंत्री महोदय, मुख्य मंत्रीजी यहां बैठे हैं घोषणा करें ताकि लोग आश्वस्त तो हों जिन्होंने 1982 से पैसे जमा करा रखे हैं, केवल 5 महीने का टाइम दिया था, हम 5 महीने में नियमन कर देंगे। पिछली सरकार बहुत सारी अनियमितताएं कर गई है। वह बोल चुके हैं, सारी खराबियां कर गये हैं। 5 महीने का टाइम उन्होंने दिया था, हमको आये हुए डेढ़ साल हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमन करें और उनके नक्शे-पट्टे पास करें ताकि सरकार में जो आस्था होनी चाहिए वह आस्था प्राप्त हो।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि 25 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से नियमन की जो बात कही गई थी उसकी घोषणा करें और साथ ही....

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका। अब आप रिपीट कर रही हैं बात।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं रिपीट नहीं कर रही हूं। मैंने पूछा कि नगर निगम बनाने की बात तो बोलें यदि बनायेंगे तो क्या नगर परिषद भी रहेगी और जे. डी. ए.

(श्रीमती उज्जला अरोड़ा)

भी रहेगा ? यहां पर थ्री-टायर सिस्टम चलेगा या कौनसा टायर सिस्टम चलेगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरदयाल जी यादव ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रिपीट न करके माननीय मंत्रीजी का ध्यान थोड़ा इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जे. डी. ए. जो एक्शन इस एक्ट के तहत लेगी उसमें देखने की बात यह है कि एक तो कन्वर्जन वाली बात पहले आ गई कि ओपन जो ओफर गवर्नमेंट की तरफ से था और उसका एक्स-पेन्सन जो है वहां कच्ची बस्तियों के लोगों ने चाहे गवर्नमेंट लैण्ड है, चाहे सोसाइटी लैण्ड है, जे. डी. ए. या यू. आई. टी लैण्ड है । उसमें जो आपने प्रावधान किया था उसके अनुसार लोगों ने कन्वर्जन का पैसा जमा करा दिया और कन्वर्जन का ए. डी. एम. और एस. डी. ओ. ने उसमें कोई आदेश भी पारित कर दिया । उसमें बाद सोसाइटी और जे डी. ए. के बीच में कहीं विवाद हो गया कुछ मामले तो आपके पास ऐसे आयेंगे । कुछ दस साल, पन्द्रह साल पहले से शायद जे. डी. ए. ने या यू. आई. टी. ने एक्वायर कर रखी हो लेकिन उसमें कन्स्ट्रक्शन होकर कालोनी की कालोनी जैसा माननीय कालीचरण जी ने बताया यह की यह स्थिति है । एक यह स्थिति भी है कि आपका यू. आई. टी. या जे. डी. ए. का जो प्लान है जिस प्लान को ओफर करके पब्लिक में आपने यह कहा कि वहां पर हम यह फैसेलिटीज देंगे । उस प्लान को जे. डी. ए. ने अपने कार्मशियल पाइंट आफ व्यू से बदलकर के और उन ओपन प्लेसेज को ही अलाटमेंट कर दिया या आक्शन कर दिया और उन बस्तियों के अन्दर, उन कालोनीज के अन्दर ऐसी स्थिति पैदा कर दी, जैसे मैं एक फार एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि अम्बाबाड़ी में करीब बीस साल पहले यू. आई. टी. के कुछ शाप्स नीलामी में बेचे । जब वो नाला आया एक्चुली वो जमीनें नाले में आई नहीं थी लेकिन जे. डी. ए. ने यह समझा कि अब इसकी कीमत ज्यादा हो गई और उनको पांच-पांच हजार रुपये जो पहले नीलामी में लिया था उसका चैक के साथ ये रिटर्न करके यह नोटिस दिया क्योंकि यह नाले में इस तरह से आ गई इसलिए हम इसको निरस्त करते हैं । उस वक्त जे. डी. ए. में हम भी मैम्बर थे । इस मामले को जे. डी. ए. में काफी चर्चा हुई, निर्णय लिया गया । हमने कहा कि आप इसको निरस्त कैसे कर सकते हैं, आल्टरनेटिव लैण्ड देखिये । मौके पर जाकर देखा गया तो वहां तो जे. डी. ए. खुद ही मार्केट बनाकर दुकानें बेच रही है । तो इस तरह से एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि पब्लिक लैण्ड के ऊपर जो ट्रेश पासर होंगे निश्चित तौर से उनको बेदखल किया जाना चाहिये और पनिशिएबल ओफेन्स बनाया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । लेकिन साथ ही हमको यह भी देखना पड़ेगा कि जे. डी. ए. के अधिकारी या कर्मचारी....

श्री अध्यक्ष : आपने कह दी यह बात रिपीट हो रही है ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : दूसरा, मैं एक यह भी कहना चाहूंगा कि किसान की

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

जमीन जे. डी. ए. या कोई भी गवर्नमेंट यूटिलाइज के लिए लेती है तो किसान दूर क्यों भागता है और सोसाइटी जब लेती है तो किसान उसके नजदीक क्यों जाता है ? किसान को वहां चीट भी किया जाता है इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन सरकारी जो आफिसेज के लिए या डवलपमेंट के लिए लेते हैं उसको कोडियों में लेकर के फोर फिगर के अन्दर हम बेचते हैं। मैं समझता हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी अगर इसमें हम सामंजस्य करें तो किसान जो है वो सोसाइटी वालों के पास नहीं जाएंगे सीधे गवर्नमेंट को ही इस तरह से आफर करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि जो मास्टर प्लान हमने पहले बनाया उस मास्टर प्लान को बार बार जो चेन्ज कर रहे हैं तो उसमें जैसे ग्रीन लैण्ड का मामला है, कई ऐसे मामले हैं इनमें इस एक्ट का क्या प्रभाव होगा ? इसको भी हमें निश्चित तौर से देखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी राय आपके सामने रखता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपने सुझाव दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : अभी परिनियत संकल्प और आ रहा है, एक मिनट बोलिए आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जे. डी. ए. एक्ट में जी. डी. ए. एक्ट की तरह पब्लिक रिप्रजेंटेटिव्ज का अभाव है। इसमें चुनी हुई व्यापारिक संस्थाओं के लोग, किसानों के प्रतिनिधि, मजदूर वर्ग के प्रतिनिधियों का समावेश किया जाना चाहिए ताकि वो अपनी समस्याओं को रख सकें। दूसरा नक्शे पास न होने पर नक्शे पास न होने के कारणों को बताया जाए। ताकि वो उसकी अपील कर सकें। धारा 83 में जो इसका स्कोप बढ़ाया गया है जिसके कारण से लोग सिविल कोर्ट में नहीं जा सकेंगे इसकी भी एक समय सीमा होनी चाहिए। नहीं तो पहले दो वर्ष तक तो यह नक्शे पास नहीं करेंगे। दो वर्ष तक यदि जे. डी. ए. का ट्रिब्यूनल रोक कर बैठ जाएगा तो उसका क्या होगा।

फिर अध्यक्ष महोदय, जब सतीश चन्द्र जी अग्रवाल जे. डी. सी. थे तो उन्होंने यहां पर डिजनी लैण्ड वगैरह बनाने की बात कही थी उसका क्या हुआ ? सिंगिग फाउण्टेन और रोप वे का क्या हुआ ? इन योजनाओं को भी नए पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए जयपुर में इनका विकास किया जाना चाहिए।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इन छोटी मोटी बातों में तो आप काफी इण्टरवीन करते रहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं आपकी उसमें क्या राय है ?

श्री अध्यक्ष : हां वो ही बोलेंगे। बोलिए सुमित्रा जी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, और सब बातों को तो मैं रिपीट नहीं करना

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

चाहती जो यहाँ कही गई हैं। लेकिन एक बात शायद सब भूल गए कि जे. डी. ए. जो जमीन किसानों से लेगी जैसा कि चौमू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि किसान क्यूं कतराते हैं, क्योंकि उससे पहले सोसाइटी पहुंच जाती है जो उनको ज्यादा पैसे देने की बात करती है। फिर चाहे चीट करे लेकिन इसके साथ ही साथ जब जे. डी ए. जमीन ले तो जे डी. ए. की कीमत में और उन सोसाइटीज की कीमत में बहुत अन्तर है तो जे डी. ए. अपनी कीमत को भी थोड़ा बढ़ाए और उसके साथ उस परिवार के अन्दर क्योंकि जब पुश्तैनी धंधा है उस पुश्तैनी धन्धे से आप महरूम करोगे सारी जमीन जब आप ले लोगे तो वो क्या करेगा, कहां जाएगा? उसका तो सात, दस, पन्द्रह, बीस पीढ़ियों का धंधा है तो या तो उसको एक आल्टरनेटिव या तो सर्विस का इन्तजाम करिए या फिर उसके लिए आल्टरनेटिव जमीन का इन्तजाम करें या कोई शॉप, मतलब कुछ तो उसके लिए ऐसा व्यवसाय का इन्तजाम करें नहीं तो आप तो उसके बिल्कुल अपने धंधे से भी महरूम कर देंगे और उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जयपुर का विकास और उसका विनाश इसलिए यह भी जरा ध्यान दो, व्यवस्था भी करें आप।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका संशोधन विधेयक, और उसके बाद जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक पर माननीय सदस्यों ने कई विचार व्यक्त किए। सारे विचारों का मुख्य आधार यह था कि जयपुर की सुन्दरता बढ़े। जयपुर में जो कच्ची बस्तियां या जो गरीब बसे हुए हैं उनको किसी प्रकार से उजाड़ा नहीं जाए। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का जिस प्रकार से शोषण किया गया है उस शोषण को समाप्त किया जाए। एक बात बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि रोटी, रोजी और मकान इसकी व्यवस्था करना सरकार का कार्य है। कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा और खास तौर से फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कि जयपुर में बाहर के लोग आ रहे हैं। आबादी लगातार बढ़ती जा रही है उनके आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। जहां तक आवास की व्यवस्था करने का प्रश्न है, मैं समझता हूं पूरे सदन ने इस बात की मांग की है कि आवास की तो व्यवस्था की जाए और जयपुर की सुन्दरता का ध्यान रखा जाए। प्रश्न यह आता है कि एक माननीय सदस्य ने यह भी पूछा, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कि जयपुर में आवास के लिए पट्टों का जमीन का आवंटन नहीं होता है इस कारण से भी एनक्रोचमेंट होते हैं। मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि हम किसी को उजाड़ना नहीं चाहते। किसी गरीब का मकान, अपनी सारी कमाई लगाकर के किसी गरीब ने मकान बनाया है हम उसको उजाड़ें इस पक्ष में नहीं हैं लेकिन जयपुर के माननीय सदस्य यह जानते हैं कि आज के पन्द्रह वर्ष पहले एक कच्ची बस्तियों का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आन्दोलन हुआ था। बरकत साहब उस समय मुख्य मंत्री थे। वह आन्दोलन मैंने किया था और हम बरकत साहब के पास गए। उस समय निर्णय हुआ था कि 1971 के पहले अगस्त 21 या 22 तारीख थी, 21 अगस्त 1971 के पहले जिन लोगों ने कच्ची बस्तियों में अपनी आवास व्यवस्था कर ली उनको पट्टे दिए जाएगें और उनके मकान तोड़े नहीं जाएगें। उस समय सर्वे आरम्भ हुआ। उस समय मैं समझता हूं कि जयपुर के रहने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि जिस समय सर्वे की कार्यवाही आरम्भ हुई तो राजस्थान जयपुर की राजधानी में एक विचित्र स्थिति हमारे सामने आई कि जिन लोगों ने कच्ची बस्ती कभी देखी नहीं उन्होंने रातों रात बांस खरीदे और श्मशान में से बांस खरीद कर ले गए। सरकियां खरीदीं, सरकियां नहीं मिली जयपुर में बांस नहीं मिलें और कई लोगों ने अपने ओढ़ने और बिछाने के कपड़े तानकर अपना अधिकार दिखाने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से सर्वे हुआ और.... सर्वे होने के बाद जिन लोगों का नाम सर्वे लिस्ट में आ गया उनमें कितने लोगों को पट्टे मिले वह सब अभी नहीं बता सकता लेकिन सरकार की मंशा रही कि इन सब लोगों का पट्टा दे देवें। दूसरी स्थिति पैदा हुई, जो बाहर से लोग मजदूरी करने के लिए, आते हैं वह लोग कहां पर बसे, उन सब लोगों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज आप जयपुर में अच्छी तरह से देखें तो आपको एक अनुमान होगा कि चार गरीब आदमियों को एक जगह बसा दिया। बसाने के बाद उन्होंने झोंपड़े बना लिये, रिक्शा चलाने लग गये, ठेला चलाने लग गये और धीरे धीरे उन चार ने जितनी जमीन कवर कर रखी है उस जमीन के ऊपर किसी के मकान का नक्शा बन गया नक्शा बन कर नींव खुद गयी। उस नींव में चार कमरे जब तक बने तब तक तो गरीब बैठे हैं और ज्योंही कमरों की छत पड़ने की स्थिति आई, गरीबों को धक्का देकर कह दिया कि आपको अमुक स्थान पर झोपड़ी बना कर देते हैं और वहां झोंपड़ी नहीं बनाओगे तो मार पीट कर आपको निकाल दिया जायेगा।

(10.00 रात्रि)

तीसरी स्थिति हुई। राजस्थान में जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट की कार्यवाही हुई, कार्यवाही में पहला नोटिस मिला, पहले नोटिस के साथ ही कोई भी कन्सट्रक्शन का काम वहां चालू नहीं हो सका। ज्योंही पहला नोटिस राज्य सरकार की तरफ से लैण्ड एक्वीजशन का दिया, उसी के साथ हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटीज ने उसके पास अप्रोच किया और अप्रोच करके उसको कहा कि लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट में तुम्हारी जो जमीन ली जायेगी उस जमीन की आपको कीमत कम मिलेगी इसलिए आप एक काम करो कि यह जमीन सोसायटी के नाम पर ट्रान्सफर कर दो और ट्रान्सफर करने का तरीका यह कि एग्रीमेन्ट टू सेल बैक डेट में कर दो। आज आप सारा अध्ययन करेंगे जयपुर का, और अब तो राजस्थान में ही बीमारी वाइल्ड फायर की तरह से फैली है कि एक वर्ष, 1975 के आप निकाल लें तो सारे राजस्थान में जितने एग्रीमेन्ट हुये हैं 1982 के पहले, वह सारे एग्रीमेन्ट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

1975 में हुये। 1975 में इसलिए किया गया कि 1976 में अल्सर एक्ट लागू हो गया। तो अल्सर एक्ट से भी बच जाये और उस कारण से सबने एग्रीमेन्ट टू सेल किया इधर लैण्ड एक्वीजीशन की कार्यवाही हो गई, लैण्ड एक्वीजीशन में अवार्ड इश्यू हो गया, अवार्ड के आधार पर पेमेण्ट हो गया और पेमेण्ट होने के बाद भी उस जमीन का कन्वर्सन चार्ज जमा करा दिया और कन्वर्सन चार्ज जमा कराने से केवल टाइटल नहीं मिलता और इस कारण से जे. डी. ए. ने उसके नक्शे पास नहीं किये। जे. डी. ए. के सामने क्वेश्चन यह आ गया कि जिस जमीन की कीमत सरकार अदा कर चुकी है, उस जमीन के ऊपर यदि हाऊसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लोगों को प्लाट काट रही है वो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है और इस कारण से जो कल्ला साहब बात कर रहे थे कि कितने नक्शे पास किए, मैं किसी से भी पूछ सकता हूं कि जो जमीन सरकारी है, उस सरकारी जमीन के ऊपर जिसका मुआवजा सरकार दे चुकी है, उसके ऊपर किसी ने एनक्रोचमेन्ट कर लिया और टाइटल मिला नहीं उस जमीन का रेगुलराइजेशन किस आधार पर हो सकता है यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अध्यक्ष महोदय, इसी आधार पर अल्सर एक्ट में जो जमीन सरकार वेस्ट होनी चाहिए थी, जिस आदमी के पास अधिकतम भूमि थी और उसको यह पता लगा कि मेरीभूमि अल्सर एक्ट में सरकार वेस्ट करेगी तो उसने हाऊसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी से हाथ मिलाये और हाथ मिलाकर उस जमीन के ऊपर 1975 से पहले, कई मैंने देखे हैं 1972, 1973, 1974 और 1975 इसके अन्दर एग्रीमेन्ट टू सेल कर दिया, फर्जी पट्टे बिक्री के बना लिये, रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया नहीं और उस जमीन पर कब्जा करके लोगों को पट्टे दे दिये और पट्टे देने के बाद में कई लोगों ने मकान बना लिये और कई आदमी जो नियमित कार्यवाही करना चाहते थे उनको उस जमीन में मकान बनाने की परमीशन नहीं दी। इसी प्रकार से राजा महाराजाओं की भी जो एस्टेट होलन्डर्स एक्ट के अन्दर सारी जमीन सरकार में वेस्ट होनी चाहिए थी उस जमीन पर, कब्जा करने का इससे बढ़िया तरीका कोई लोगों को नहीं मिला राजा महाराजाओं से बात-चीत की, एग्रीमेन्ट टू सेल 1975 में कर दिया और उस जमीन पर उन्होंने कब्जा करलिया। मास्टर प्लान में जो जमीन जिस परपज के लिए ईयर मार्क थी, उस परपज के लिए जहां ग्रीन लैण्ड थी, जहां आवासीय भूमि बनानी थीं या हॉस्पिटल बनाना था या और कुछ करना था कम्युनिटी सर्विस के जहां पर निर्माण कार्य होने थे उस सारी जमीन पर हाऊसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी ने एक फर्जी आदमी खड़ा किया और उससे कहा कि तुम जमीन हमारे नाम पर ट्रान्सफर कर देओ, सोसायटी के नाम पर जमीन ट्रान्सफर कर दी गयी और उस कम्युनिटी परपज के लिए रिजर्व जमीन उसके ऊपर लोगों ने कब्जा कर लिया। अब यह कब्जे की कार्यवाही आज से चालू नहीं हुई। कई यह समझते हैं कि जनता पार्टी का शासन आया उसके बाद से कब्जे शुरू हुये। इसकी शुरूआत हुई सन् 1981

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में और 1981 में शुरूआत जब हुई जब लैण्ड कन्वर्सन रूल्स नये बनाये गये और लैण्ड कन्वर्सन रूल्स में धारा 4 में इस बात की छूट दे दी गयी कि एग्रीमेन्ट टू सेल से भी इस जमीन के क्रयविक्रय के मामले पर नियमित किया जा सकता है। राजस्थान में सबसे बड़ा कैंन्सर इस भूमि के लगा तो 1981 के रूल्स के बाद में लगा। 1981 के रूल्स बने तो रूल्स बनने के साथ ही साथ 1983 तक ऐसे सर्कुलर्स निकले जो राज्य सरकार को ऐसे सर्कुलर निकालने का कानूनन कोई अधिकार नहीं था लेकिन बार-बार समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया कि मकान बनाने का और भूमि का पट्टा लेने का या भूमि आवंटन करने का इससे बढ़िया सुनहरा मौका कोई मिल नहीं सकता। उस सुनहरे मौके के प्रभाव में आकर लोगों ने फिर इस प्रकार की जमीनों पर अतिक्रमण करना शुरू किया, वह अतिक्रमण की कार्यवाही चलती रही। उस कार्यवाही के बाद जब ये कार्यवाही बढ़ने लगी तो पूर्व सरकार ने इस सम्बन्ध में विचार किया, विचार करते करते उन्होंने कई कमेटियां बनायी। कमेटियों में केबीनेट की सब कमेटी भी बनी। यह मामला तय नहीं हो पाया और लगातार यह मामला उलझता रहा। और इस उलझन से नतीजा यह निकला कि जयपुर में आज जे. डी. ए. के पास और अन्य शहरों में यू. आई. टी. के पास लोगों को जमीन आवंटन करने के लिए जमीन बची नहीं। जो सरकार में वेस्ट होनी चाहिए जमीन वह भी डिस्प्यूट में चली गयी। जो सरकारी जमीन थी उसके ऊपर भी लोगों ने कब्जा कर लिया, इस बात की चिन्ता नहीं की कि जमीन सिवाय चक है, इस बात की भी चिन्ता नहीं की कि जमीन हॉस्पिटल के लिए रिजर्व है। इस बात की चिन्ता नहीं की कि जमीन पब्लिक पार्क के लिए रिजर्व है, इस बात की चिन्ता नहीं की कि यहां सड़क बनने वाली है, इस बात की चिन्ता नहीं की कि यहां इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड का आफिस वगैरह का निर्माण कार्य होने वाला है, लोगों की आदत बन गयी। आदत बनते-बनते 1989 से चुनाव के पहले एक सर्कुलर और निकाला कि नेशनल हाई-वे के पास में जो छोटी थड़ियां पड़ी हैं वह इतनी दूरी के ऊपर दुकानें बना लें। आज उसका नतीजा यह है कि जयपुर से लेकर आप बगरू तक चले जाइये, जयपुर से दूसरी साइड में निकल जाइये। किसी भी साइड में निकल जाइये, उस नेशनल हाई-वे के ऊपर भी लोगों ने एनक्रोचमेंट करने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी। अब इसलिए सरकार के सामने पहला क्वेश्चन आया कि आज सबसे पहले कार्यवाही यह की जाय कि लोग आगे एनक्रोचमेन्ट नहीं करें। अब आप मुझे बताइये आगे एनक्रोचमेन्ट करने पर रोक लगाने का कानून जे. डी. ए. में है, आगे एनक्रोचमेन्ट नहीं हो इसकी व्यवस्था यू. आई. टी. एक्ट में है, आगे एनक्रोचमेन्ट नहीं हो, इसकी व्यवस्था म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में है लेकिन तीनों एक्ट प्रभावहीन हो गये। अब प्रभावहीन होने में आप यह चार्ज लगायें कि सारे जे. डी. ए. के कर्मचारी चोर हैं, सारे पुलिस वाले चोर हैं, सारे रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के चोर हैं, तो सबको चोर मानकर कोई

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कानूनी व्यवस्था नहीं कर सकते। आखिर इसी पुलिस पर भरोसा करना पड़ेगा, इसी जे. डी. ए के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भरोसा करना पड़ेगा, और यदि चोर मैंने नियुक्त नहीं किये। मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं कि यह चोर नियुक्त करने वाले कोई दूसरे हैं। हमारी सरकार ने उनको नियुक्त नहीं किया। लेकिन मैं यह भी मानने को तैयार नहीं हूं कि हर आदमी चोर है, हर आदमी जानबूझ कर मकान बनाता है. हर आदमी को यह जानकारी रहती है कि एनक्रोचमेन्ट हो रहा है। यह सब कुछ व्यवस्था इस प्रकार की है, कल्ला साहब कह सकते हैं कि सारी पुलिस चोर है, कल्ला साहब यह कह सकते हैं कि सारे जे. डी. ए के कर्मचारी चोर हैं. कल्ला साहब यह भी कह सकते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के सब कर्मचारी चोर हैं लेकिन उनकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, वह चोर होंगे लेकिन इसीलिए इस कानून में यह व्यवस्था की है कि यदि यह प्रमाणित हो जाए कि कौन कर्मचारी ने मिलकर जमीन पर एनक्रोचमेंट कराया.... (व्यवधान) अब आपकी आदत है, बोलने की आदत है या इन्कार करने की आदत है, ये दोनों ही आदत हैं और मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता आप जिस भाव और मन से बोलते हैं, आपको लगा पुलिस वाले चोर हैं, आपको लगा कि जे. डी. ए. वाले सब कर्मचारी चोर हैं, म्युनिसपैलिटी के सब चोर हैं। आप अखबार वालों की तरफ क्यों देख रहे हैं? वो सब आपको देख रहे हैं कि आपने क्या कहा, क्या नहीं कहा। (व्यवधान) मैंने आपको डिस्टर्ब कभी नहीं किया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने इसको सुना नहीं। आपने सुना? ऐसा लग रहा है जैसे आप चौपड़ पर भाषण दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसा लगता है कि मैं चौपड़ पर भाषण दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं लेकिन मैंने जब अपना भाषण शुरू किया तो आपने कहा कि आपने ये सब बातें सुनी कहां से? इसका मतलब सुनी तो है ना।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वो रोटी, कपड़ा और मकान वाला सुना है आपने?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हाँ सुना है। अब इस सरकारी मशीनरी पर यह कहकर लांछन लगाया है कि यह चोर है और इस सरकारी मशीनरी से काम लेना पड़ेगा और काम लेना पड़ेगा तो इतनी बंदिश इन तीनों कानूनों में लगायी है कि किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की सांठ-गांठ के कारण जमीन के ऊपर एनक्रोचमेंट होता है तो उसके बारे में भी एक्शन लिया जाय अब उस एक्शन लेने में खुली छुट्टी सरकार दे दे. किसी के बारे में कोई शिकायत आ जाय तो जांच करनी पड़ेगी और जो भी अधिकारी होंगे, जे. डी. ए. के अधिकारी या यू. आई. टी. का चेयरमैन, म्युनिसपैलिटी का चेयरमैन यह अगर कह दे जांच करने के बाद में कि हमको यह मालूम हुआ है अमुक अधिकारी या कर्मचारी की सांठगांठ के कारण से जमीन पर कब्जा हुआ है तो निश्चित रूप से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एक्शन लेंगे। आज तक तो किसी पर भी इस तरह की व्यवस्था नहीं थी कल्ला साहब जब आप सबको चोर मानते हैं तो इसको रोकने की हमने व्यवस्था की है तो उसकी आपको तारीफ करनी चाहिए थी। दुर्भाग्य है कि आपने उसकी भी तारीफ नहीं की।

श्री बुलाकीदास कल्ला : किसने नहीं की। सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा रोकने के लिए पूरे सदन ने जो-जो एक्ट में आया उसका समर्थन किया है लेकिन जो धारायें आपने पहले रखी थी जिनको हमने काले कानून की संज्ञा दी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो इतना ही निवेदन कर रहा हूं आप हमेशा बोलकर अखबार वालों की तरफ देखते हैं, यह आदत मेरी समझ में नहीं आई।

श्री बुलकीदास कल्ला : आप ही देखते, हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो कभी नहीं देखता, अखबार वाले मेरी तरफ जरूर देखते थे और आप वालों की तरफ देखते हैं, बड़ा अन्तर है।

श्री रामकिशन : अखबार वाले आपकी तरफ तब देखते थे जब आपकी उम्र थी। इस समय आपकी तरफ कोई देखते नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि अखबार वाले उम्र के हिसाब से नहीं देखते हैं आपकी जैसी आदत उनकी नहीं है। (व्यवधान)

इसलिए मैं निवेदन कर रहा था पहला प्रश्न आया गवर्नमेंट के सामने कि एनक्रोचमेंट रोके। मैं यह मानता हूं, विश्नोई साहब मानें या न मानें, जब तक एनक्रोचमेंट रोकने के लिए सख्त कार्यवाही होगी नहीं तो जयपुर में जमीन बचेगी नहीं जोधपुर में बचेगी नहीं, बीकानेर में बचेगी नहीं किसी शहर में नहीं बचेगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की थी कि एनक्रोचमेंट को रोका जाय अब कल्ला साहब ने कहा कि विधान सभा शुरू होने वाली थी आप यह आर्डिनेंस क्यों ले आये? मैं आपको जानकारी दे दूं एनक्रोचमेंट बहुत ज्यादा संख्या में दो समय में होते हैं। एक एनक्रोचमेंट होता है इलेक्शन के समय। इलेक्शन के समय अपनी वीकनेस होती है, वोटर को हम नाराज करना चाहते नहीं, आंख से देखते रहते हैं कि एनक्रचमेंट हो रहा है लेकिन उसको रोकने की हिम्मत नहीं होती और इसलिए नहीं होती कि शिकायत की और हमारे वोट गए। इसलिए मैं अपनी पार्टी के लिए भी कहता हूं, चुनाव के दिनों में कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो जाय तो उसकी पार्टी एनक्रोचमेंट को तो भूल जाती है और वो मौका एनक्रोचमेंट करने वालों के लिए सुनहरी मौका होता है उस वक्त जितना एनक्रोचमेंट किया जाय उतना कर ले।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : कर्मचारी ईमानदार हैं, अफसर ईमानदार हैं वो रोक लेंगे उस समय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई नहीं रोक सकता, वे भी नहीं रोक सकते हैं मैं तो खुद यह स्वीकार करता हूं। समस्या यह नहीं है कि आज जो चुनाव लड़ने वाले हैं किसी पार्टी के हाथ में तो शासन होगा। कांग्रेस पार्टी के हाथ में शासन होगा और एनक्रोचमेंट हो रहे हैं। कौनसा कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होगा जो एनक्रोचमेंट रोकने के लिए चुनाव के दिनों में आगे आ जाय, कोई नहीं आता और ऐसी स्थिति में दूसरा मौका आता है बरसात के दिनों में। बरसात के दिनों में जो माफिया गैंग होते हैं वे माफिया गैंग सरकी का इंतजाम रखते हैं, बल्ली-बांस का इंतजाम रखते हैं, टीनों का इंतजाम रखते हैं और किसी आदमी को कहेंगे कि इसका तो झोंपड़ा पानी में बह गया इसलिए किसी जमीन पर बांस-बल्ली लगाकर टीन लगा देंगे, पत्थर चिनवा देंगे, सभी कर लेंगे। यह एनक्रोचमेंट का एक धंधा बन गया है। एनक्रोचमेंट आवश्यकता से नहीं किया जा रहा है, एनक्रोचमेंट कमाई की गरज से किया जाने लगा। आज सारे राजस्थान में ऐसे गैंग्स बने हुए हैं, आप कभी सुबह मेरे पास आ जाय तो आपको इस बात की जानकारी मिलेगी कि जिन लोगों को जमीनों का पट्टा मिला हुआ है, जिन लोगों की खुद की जमीन है, जिनको पुश्तैनी रूप से जमीनें मिली हुई हैं, जिनकी वैध तरीके से जमीनें खरीदी हुई हैं आज उनको मकान बनाने की इजाजत नहीं मिलती और वो इजाजत नहीं देते माफिया गैंग वाले। वो एक का पट्टा देना चाहते हैं तो 10 व्यक्तियों को साथ ले जायेंगे और साथ ले जा करके उसका कब्जा करा देंगे और जो व्यक्ति उनका मुकाबला नहीं कर सकता या उनको पैसा देकर खुश नहीं कर सकता उस आदमी को मकान बनाने नहीं देंगे। मकान अपना खड़ा कर लेंगे और खड़ा करने के बाद में कहेंगे कि अदालत में चले जाओ और अदालत की सिविल सूट में या क्रिमिनल सूट में किसी भी प्रकार से रिलीफ मिलती है तो इस मकान के ऊपर कब्जा कर लेओ। कोई भी गरीब आदमी अदालत के अन्दर आज चला जाय और जाकर अदालत में उस माफिया गैंग के मुकाबले में जीत जाय इस प्रकार की स्थिति देखी नहीं है और न हो सकती। इसलिए इन सारे तीनों संशोधनों का पहला अर्थ है कि एनक्रोचमेंट रोकें और जो एनक्रोचमेंट करने के लिए माफिया गैंग बने हुए हैं उन गैंगस् के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाय। उसके कारण से जमीन बचे तो जमीन बचेगी तब जाकर गरीबों को जमीन का आवंटन किया जा सकता है। यहाँ पर यह संदेह व्यक्त किया गया है कि गरीबों के मकान तोड़े गये। हमने ऐसी व्यवस्था की है कि आज किसी हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी से जमीन खरीदी। 400 गज जमीन मैंने खरीदी है जितने पैसे देने थे वो दे दिए। देते वक्त मैं इस बात की जांच कर लेता हूं, कुछ होशियार आदमी जांच कर लेते हैं, लेकिन आम आदमी इस बात की जांच नहीं करता कि यह जमीन सरकारी है या यह जमीन किसी दूसरे आदमी की है, इस जमीन पर सोसाइटी का कब्जा है या इस जमीन पर सोसाइटी का कब्जा गैर वाजिब है। ऐसे लोगों ने जमीन पर पट्टे ले लिए, पट्टे कराकर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मकान बना लिया। आज हम भी चाहते हैं जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है जो धोखा खाने वाले लोग हैं उनको किसी भी प्रकार से पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। पनिशमेंट तो उनको दी जायेगी जिन्होंने धोखा दिया है और उसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी के मेम्बर्स व एक्जीक्यूटिव कमेटी रेस्पोंसिबल होगी जिन्होंने इस प्रकार के लोगों को पट्टे देकर धोखा दिया है और वो सब इस कानून की परव्यू में ऐसे आयें कि आज मैं इतना कह सकता हूं कि जिस दिन से अॉडिनेंस जारी हुई है उस दिन से सरकारी जमीन पर एनक्रोचमेंट करने वाले के हाथ-पांव कांपने लग गए हैं और जिस दिन इसका इम्पलीमेंटेशन शुरू कर देंगे उस दिन आप यह अंदाजा लगाकर चलिए कि कम से कम सरकारी भूमि बचेगी और जिन लोगों की वैध भूमि है जिन्होंने पट्टी से जमीन ले रखी है, वैध तरीके से जमीन खरीद रखी है और उसमें जो अपना मकान बनना चाहता है उनको मकान बनाने की छूट आराम से मिल जायेगी, उनको किसी प्रकार का संकट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अब यह काम बड़ा जटिल है, यह काम कोई 2 दिन में हो जाय, 15 दिन में हो जाय या एक महीने में हो जाय, यह संभव नहीं है। इस काम को करने के लिए हमें योजना बनाने की आवश्यकता है कि हम एक-एक बस्ती में कैम्प लगाएंगे और कैम्प्स लगा करके किस प्रकार की जमीन है उस जमीन पर किस प्रकार के लोगों ने कब कब्जा किया है, किस सोसाइटी ने पट्टा दिया है और पट्टा देने के बाद मैं भी कोई पागल नहीं हो सकता, या हमारी सरकार भी पागल नहीं हो सकती कि लाखों रूपए की बिल्डिंग बना ली और उस बिल्डिंग को हम ध्वस्त कर दें, इस पक्ष में हम नहीं है लेकिन इतना मैं जरूर चाहूंगा कि अगर बिल्डिंग ऐसी जगह पर बनी है जिस जमीन का सार्वजनिक उपयोग हो सकता था तो उसको भी तोड़ने के पक्ष में हम नहीं है। उसी प्रकार से मकान को बनाए रखने के पक्ष में हैं मकान बना रहे लेकिन अगर किसी ने मकान बनाकर बेचने का धंधा कर रखा है तो मकान सरकार में वेस्ट होगा मकान को तोड़ेंगे नहीं। अब इससे जो नेशनल प्रोपर्टी है, नेशनल असेट जो बनी या जो इस काम में खर्च हुई है वो वेस्ट नहीं हो इस संबंध में हमने व्यवस्था की है। मैं इस आधार पर निवेदन करना चाहता हूं यहां माननीय सदस्य बोल रहे थे कि कनवर्जन के रुपए जमा हो गये लेकिन माननीय सदस्य जानते हैं कि कनवर्जन जमा कराने से टाइटल नहीं होता। आपने रूल्स बनाये 1981 के रूल्स, उन रूल्स को भी आप देखेंगे तो जब तक कनवर्जन होकर टाइटल नहीं बनता उस समय तक आपकी टेम्परेरी लीज रहती है और जब तक परमानेंट लीज नहीं होती उस समय तक उस जमीन पर जे. डी. ए. मकान बनाने के लिए नक्शा पास नहीं कर सकता। अब वह परमानेंट लीज लेने के दो तरीके हैं। को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ने एक नया तरीका ईजाद किया और कानून में उसको संरक्षण मिल गया। कानून ने नियमों में यह व्यवस्था कर दी कि कोई कन्वर्जन का पैसा जमा करायेगा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तो लैण्ड कन्वर्जन अधिकारी कन्वर्जन का पैसा लेकर उसके पक्ष में फैसला कर देगा लेकिन टाइटल अगर लेना है तो उसको सेशन कोर्ट में जाकर सूट फार स्पेसिफिक परफोरमेंस करना पड़ेगा और सूट फार स्पेसिफिक परफोरमेंस के बाद अगर एक साल में फैसला नहीं हो, एक साल में फैसला हो जाए तब तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, नहीं तो सूट फार स्पेसिफिक परफोरमेंस में कोल्यूजन से दोनों पार्टियां मिल कर वहां यह कहेगी कि यह जमीन इनकी है और अगली पार्टी रजिस्ट्री कराने को तैयार नहीं है, कोर्ट से आदेश ले लेंगे कि रजिस्ट्री कराओ। उसको भी गत सरकार ने, भूतपूर्व सरकार ने बड़ी होशियारी के साथ समय के ऊपर रोक दिया और उस समय अगर नहीं रोकते तो कोल्यूजन से इस सारी जमीन की रजिस्ट्री भी हो जाती, न सरकार को एक पैसा मिलता और न सरकार की भूमि इन अतिक्रमणकारियों से किसी प्रकार से मुक्त कराई जा सकती। यह समस्याएं जटिल हैं। लोगों का पैसा जमा करवा दिया, भूमि रूपान्तरण अधि-ने हमारी जमीन को रूपान्तरित कर दिया, अब हमें जमीन पर मकान बनाने का अधिकार मिल गया लेकिन कानूनन अधिकार नहीं मिला। जिस जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई, हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी अगर किसी दूसरे आदमी से जमीन खरीदती है, चाहे काश्तकार से खरीदे या किसी व्यक्ति से खरीदे तो उसको तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सोसाइटी अपने मेम्बर्स के अन्दर प्लाट्स बेचे तो वहां उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। न तो उधर पैसा जमा कराया और इस एग्जेम्प्शन का पूरा लाभ उठा लिया। एक सोसाइटी के पास जमीन ऐसी नहीं मिलेगी, जिस सोसाइटी ने रजिस्ट्रेशन करवा कर उस जमीन को लिया हो। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता तब तक रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार कानूनन उस सोसाइटी का कानूनी अधिकार नहीं बनता, टाइटल नहीं बनता। टाइटल सोसाइटी का नहीं, सोसाइटी का अधिकार नहीं, उस सोसाइटी ने केवल पैसे जमा कराए और अध्यक्ष महोदय, आप सुन कर ताज्जुब करेंगे, यहां तो ऐसे-ऐसे घपले हुए हैं कि एक सोसाइटी ने एक स्कीम पेश नहीं की, एक सोसाइटी ने बीस स्कीम्स पेश कर दी। बीस स्कीम्स में से एक स्कीम में जितना रूपान्तरण का चार्ज जमा कराना था वह जमा करा दिया और ट्रेजरी के चालान की कॉपी ले ली, उसकी फोटो स्टेट कापी कराई और बाकी अठारह स्कीम्स में उसको और लागू कर दिया। सरकार को वहां भी चीट किया। अब इस चीटिंग के बाद जब इस तरह के कैम्प्स लगे, माननीय सदस्य कहते हैं कि इन कैम्प्स में क्या लाभ मिला, मुझे पूरी संख्या तो याद नहीं है, माननीय सहकारिता मंत्रीजी बतायेंगे, एक-एक प्लाट एक सोसाइटी ने एक दिन दे दिया ए को, दस दिन के बाद दे दिया बी को, बीस दिया सी को, इन कैम्प्स से एक फायदा हुआ कि लगभग 1400 के करीब लोगों को, जिनको ओरिजनली वहां पट्टे मिल गये थे, उनको इन कैम्प्स के अन्दर जमीन का कब्जा कराया और उनकी समस्याओं का समाधान किया।

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : 3500 व्यक्ति।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 3500 व्यक्तियों के प्लॉट्स, जो सोसाइटी ने अलॉट कर दिए और अलॉट करने के बाद में उसी जमीन को लगातार बेचते रहे और उसका मुनाफा कमाया तो जिन्होंने पहले पैसे दिए; वह बेकार हो गए, उसके बाद दूसरे ने खरीदा और पैसा दे दिया, उनके साथ चीटिंग किया, फिर उसी जमीन को तीसरे को बेच दिया, उसके साथ चीटिंग किया। जिस समय कैम्प्स लगाए गए, ओरिजनली जिस आदमी को पट्टा दिया गया, उस पट्टे के आधार पर हमने उस जमीन का कब्जा कराया। लगभग 3500 लोगों को इससे रिलीफ मिली। उसके साथ ही जिन को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ने यह चीटिंग किया, उन सब के खिलाफ थाने में मुकदमें बनाए और आप दो-तीन दिन में सुन लेंगे कि उन मुकदमों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही होती है। या तो आज हो गई होगी, आज नहीं हो गई तो दो-तीन दिन के अन्दर सारी कार्यवाही हो जायेगी। अब प्रश्न यह आता है कि इन सोसाइटीज ने जिस प्रकार से चीटिंग किया, सरकारी जमीन को जिस ढंग से हड़पा है, गरीबों की जमीन को जिस प्रकार से हड़पा है, हरिजनों की जमीन पर जिस प्रकार से अनधिकृत रूप से कब्जा किया है, मैं समझता हूं कि इस सदन का कोई माननीय सदस्य इस बात के पक्ष में नहीं होगा कि ऐसी सोसाइटीज के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं की जाए। कड़ी से कड़ी कार्यवाही तब ही हो सकती है जब कानून में जो हमने प्रावधान रखा है कि जो सरकारी जमीन है, उस पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया, तो आप लोग कहते हैं कि जे. डी. ए. का कानून है, नगर परिषद् का कानून है, अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का कानून है और इन कानून के होते हुए इतना अतिक्रमण क्यों नहीं रूकता, आप ज्यों ही अतिक्रमण को तोड़ने के लिए जायेंगे, किसी न किसी कोर्ट से स्टे आ जायेगा कि यह तोड़ नहीं सकते। अब मुकदमों का ढेर लग जाए, उन मुकदमों का निपटारा हम आसानी से कर सकें, इस प्रकार की स्थिति नहीं और वहां तब सवाल खड़ा होता है कि जमीन अतिक्रमण करने वाले की है या जमीन सरकार की है, यह सरकार साबित करे, इस चीज का लाभ उठाते हैं। इसलिए हमने इस एवीडेन्स एक्ट में एक अमेण्डमेंट प्रपोज किया है और प्रपोज कर के यह तय कर दिया कि यदि किसी ने अतिक्रमण किया है तो सरकार को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि यह जमीन किस की है, जिसने अतिक्रमण किया है उसको सिद्ध करने की आवश्यकता हो गई कि यह जमीन मेरी है। इसलिए हमने अब किसी तरह की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। हो सकता है कि कई बातों का समावेश इस संशोधन विधेयक में नहीं होगा लेकिन जब इसको व्यवहार में लायेंगे और कई तरह की कठिनाइयां आयेंगी तो और कानून बनाने की आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से कानून बनायेंगे। इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यहां माननीय सदस्या कह गई कि....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह तो आपने उनको बहुत अच्छी सुविधा दे दी कि वह

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

जो डक्यूमेंट पेश करेंगे उसी के आधार पर वह उसके मालिक हो जायेंगे। आप फिर सबूत कहां से लायेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं है। सोसाइटी तो पेश करने का सवाल ही नहीं है। सोसाइटी अगर कहेगी कि हमने पट्टा दिया है तो सोसाइटी को यह साबित करना पड़ेगा कि यह जमीन सोसाइटी में लीगली वेस्ट कर दी, टाइटल उसके पास है। इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, जमवारामगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थी कि एक फव्वारा बन रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जयपुर ग्रामीण से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां जयपुर ग्रामीण बता दूं। बाकी जयपुर शहर वाले तो जानकारी रखते हैं, ग्रामीण होने के कारण शायद आपको जानकारी नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जयपुर और ग्रामीण दोनों हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब बैठ जाइए। आपने कह दिया कि डेढ़ करोड़ रुपये का फव्वारा बन रहा है। मैंने तो डेढ़ वर्ष के अन्दर कोई सरकारी फाइल ऐसी नहीं देखी जिस सरकारी फाइल में फव्वारा बनाने के लिए डेढ़ करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान या प्रस्ताव मेरे सामने आया हो। अब भगवान जाने, आपके पास कहां से आ गया ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे पास तो नक्शा है, सर्किल है पूरा, अस्सी लाख रुपये तो लग चुके।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप बैठ जाइए। नक्शा है तो फव्वारे का होगा। एक पैसा भी नहीं लगा, कहां लग गया ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने जवाब दिया, विधान सभा में जवाब दिया, मुझे क्या मालूम ?

श्री कालीचरण सराफ : जयपुर सर्किल का पूरे का है, फव्वारे का नहीं है केवल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह फव्वारे की बात कह रही थी, सर्किल की बात नहीं। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : था तो ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब अध्यक्ष महोदय, आज अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि जयपुर में आमेर की तरफ से हम घुसते हैं तो गंदगी आती है, बड़ी बदबू आती है। मैं इस बात को मानता हूं कि आमेर के बाद में जयपुर आते हैं, कार से आता हूं तो ऐसा लगता है कि कहां सडांध में हम घुस रहे हैं, यह नहीं कि जयपुर में रहने वाला हर व्यक्ति इस बात से परेशान है कि यहां इस सड़ांध को कैसे रोका जाए। अब इस सड़ांध को रोकने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस नले के ऊपर दोनों तरफ अनिक्रमण कर लिया, नले के बिल्कुल पास में आप कोई ईंट नहीं लगा सकते, वहां अतिक्रमण कर लिया, अब वह अतिक्रमण नहीं हटेगा तो नला नहीं बनेगा नला नहीं बनेगा तो पानी की बाहर निकासी नहीं होगी, जयपुर को सड़ांध से कोई बचा नहीं सकता। अब नले पर मकान बना कर कोई बैठ जाए और इसके अलावा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और समझिये कि जल महल का एरिया किसी का नहीं है, पूरा एरिया सरकार का है। जयपुर नगर का रहने वाला बच्चा-बच्चा इस बात को जानता है कि जल महल का पूरा एरिया सरकार का है। जल महल के बैड के अन्दर लोगों ने मकान बना लिए। अब कोई यह चाहेंगे कि उन मकानों को मैं रहने दूं, यदि मकानों को रहने दूं तो पूरा जयपुर शहर पूरा तरह से सड़ेगा। उसके कारण से कई बीमारियां पैदा होंगी। तो केवल सूरसागर की चिंता है लेकिन जयपुर के लोगों को इस जल महल के अन्दर से आ रही गन्दगी की चिंता है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हम को भी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको भी है ? आपने तो कभी इस ओर ध्यान दिया नहीं मैंने सूरसागर की ओर ध्यान दे दिया और सूरसागर की कुछ व्यवस्था कर दी....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप मुख्य मंत्री हैं, वह केवल एक विधायक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस समय नाम के तो दूसरे थे मुख्य मंत्री लेकिन चलती सौ में से प्रतिशत इनकी ही थी।

श्री बुलाकी दास कल्ला : सवाल ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं चलती थी तो बैठे क्यों थे ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपके यहां पर तीस बैठे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सब की चलती है। सब की नहीं चलती, यह आपको धोखा है हरिसिंहजी, किसी चक्कर में मत फंस जाना, सब की चली है।

श्री हरिसिंह : चलना इतना ही है, मुख्य मंत्रीजी, अब वन मेन शो है पूरी सरकार, सब का जवाब आप ही देते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है। मैं इतना ही निवेदन कर रहा था कि आज इस प्रकार की जगह पर एनक्रोचमेंट कर लिया उस एनक्रोचमेंट के पक्ष में कोई बोलता है तो मुझे दर्द होता है। आज कोई यह सोचे कि हम यहां कोई राजनीति करने आये हैं, हम वोट खोने के लिए आये हैं या हम अपने वोटर्स को नाराज करने के लिए आये हैं। कल्ला साहब जोर-जोर से भाषण दे रहे हैं कि आपकी जनता के अन्दर थाती खराब हो जायेगी। आपने 25 रुपये की घोषणा नहीं की, आपने अमुक प्रकार का काम नहीं किया पर लोकसभा के चुनावों में देखा है कि आपके कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता को श्री गिरधारीलाल जी भार्गव ने किस प्रकार की पटक दी है। 1।। लाख वोटों से जीते हैं। अब यदि जयपुर में हम अनपापुलर होते और जयपुर की जनता हमारे साथ नहीं होती।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पूरे प्रदेश में क्या हुआ ? कांग्रेस ने पटक दी आपको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : में पूरे प्रदेश की बता दूं कि पूरे प्रदेश में जो हुआ वह आप मन में जानते हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : आपकी हारजीत का फैसला तो हाईकोर्ट करेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन सा हाईकोर्ट ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : राजस्थान हाईकोर्ट जहां इलेक्शन पिटीशन्स चल रही है। कितनी बेइमानियां हुई हैं उसमें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसको जाने दीजिए, वो हाईकोर्ट करेगा, अभी जनता ने तो फैसला कर दिया है इसलिए आप यह सोचें कि जयपुर के अन्दर सारी जनता विरोधी हो जायेगी मैं आपको कह सकता हूं कि जयपुर की जनता के हित में यह कानून जिस प्रकार के प्रभावी सिद्ध होंगे और कोई कानून प्रभावी सिद्ध नहीं होगा और मैं इसी आधार पर कहता हूं कि न गरीब का मकान टूटेगा, जिन लोगों को को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ने चीट किया है न उनका मकान टूटेगा लेकिन किसी ने अपनी हिम्मत के कारण कि मैं कोई अधिकारी हूं, मैं कोई नेता हूं, मैं कोई सेठ-साहूकार हूं और इस कारण से कानून को ताक में रखकर मैंने मकान बना लिया और मुझे कोई चिन्ता नहीं कि जमीन सरकारी है, मुझे कोई चिन्ता नहीं कि जमीन सरकार में वैस्ट हो गयी है, मुझे कोई चिन्ता नहीं कि जमीन का सरकार ने कन्सन्शन दे दिया है उन लोगों के साथ सख्ती से निपटने की तैयारी है।

अब आइये सांगानेर हवाई अड्डे से यहां तक पहुंचिये शहर में तो कई बार ऐसा लगता है घुसते वक्त कि हम जयपुर शहर में घुस नहीं रहे हैं। आप यदि दौसा की तरफ से आयें तो वहां आपको लगता है कि शहर में हम घुस नहीं रहे हैं। मैं इतना ही नहीं कि मुख्य मंत्री होने के नाते सचिवालय में बैठता हूं या मेरे मकान पर बैठता हूं दो तीन दिन में कोई दिन ऐसा नहीं होता कि किसी न किसी बस्ती में जाकर केवल लोगों की समस्याओं का समाधान ही नहीं करता बल्कि उनकी वास्तविकता का भी पता लगाता हूं कि यह लोग बसे कहां हैं ? जो लोग आज से पांच वर्ष पहले बसे हुए थे ईस्ट में आज वह लोग वैस्ट में चले गये हैं। मैंने कई लोगों से पूछा है कि तुम पहले बसे हुए थे शास्त्रीनगर के पास में और आज आकर तुम बस रहे हो मालवीयानगर के पास में। यहां कौन लाया और क्यों आये ? कहने लगे वहां तो डंडे मारकर हमें भेज दिया अब इस जमीन के ऊपर हम कब्जा करके बैठे हुए हैं। भगवान जाने वह दादा लोग कितने दिन हमें यहां रहने देंगे। तो गरीब के नाम पर जिस प्रकार का शोषण किया जा रहा है उस शोषण को रोकने की आवश्यकता है। कानून सख्त बना है इसमें कोई सन्देह नहीं है लेकिन सख्त हमने आम आदमी के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, वैध तरीके से मकान बनाने वाले के लिए नहीं और जिसने धोखा खाया है उसके लिए सख्ती नहीं बल्कि जिसने धोखा दिया है उसके खिलाफ सख्ती करेंगे। जिसने अपने पद का दुरुपयोग किया है उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। जिन्होंने पैसों के बल पर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कानून को तोड़ा है उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। आज यहां माननीय सदस्य जयपुर वाले कह रहे थे कि अमुक अमुक बस्तियां बसी हैं। वह तो बस्तियां बसी हैं, मेरी समझ में आ गयी लेकिन बस्तियों में जाकर देखा है 20-20 लाख के मकान खड़े हैं और सड़कें ऐसी बनी हुई हैं कि एक गाड़ी इधर से आ जाये और एक गाड़ी सामने से आ जाये तो दोनों को रिवर्स करके जाना पड़ेगा। गाड़ी एक दूसरे को क्रास नहीं कर सकती। आप मुझे बताइये यह सारी समस्यायें जनम भर तक आपको समस्या रखनी हैं या इस समस्या का समाधाना कराना है? और समस्या का समाधान कराना है तो कई मकान टूटेंगे, कई मकानों को तोड़ना पड़ेगा जिससे सड़क चौड़ी हो। कई मकानों को इसलिए तोड़ना पड़ेगा कि यहां पर स्कूल बने, दवाखाना बने, कई मकानों को इसलिए तोड़ना पड़ेगा कि वहां पर पब्लिक पार्क बने, कई मकानों को इसलिए तोड़ना पड़ेगा कि जिस प्रकार की सुविधाएं आम जनता को मिलनी चाहिए उस प्रकार की सुविधाएं मिलें।

अध्यक्ष महोदय, कई बार जयपुर में जब श्मशान जाते हैं मुझे ताज्जुब होता है कि श्मशान की भूमि पर एन्क्रोचमेन्ट, कब्रिस्तान की भूमि पर एन्क्रोचमेन्ट, वक्फ की प्रापर्टी के ऊपर एन्क्रोचमेन्ट, मण्डी की प्रापर्टी के ऊपर एन्क्रोचमेन्ट। आखिर यह एन्क्रोचमेन्ट कितने दिन तक कौन सहन करेगा? कोई सहन नहीं करेगा। मन्दिर की सम्पत्ति पर लोगों ने कब्जा कर लिया, वक्फ की सम्पत्ति पर लोगों ने कब्जा लिया, कब्रिस्तान की जमीन के ऊपर लोगों ने कब्जा कर लिया। इस सब के लिए यही कानून है कि श्मशान वक्फ किसी की भी सम्पत्ति पर कब्जा करने वालों से इसको मुक्ति मिलेगी। यह सारा एक प्रकार से जो जमीन लोगों ने जबरन कब्जे कर ली उसको रेस्टोर करने की एक व्यवस्था है। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

एक मास्टर प्लान की बात कही गयी। मैं मानता हूं कि जिस समय मास्टर प्लान बना था और आज जयपुर में जिस प्रकार की स्थिति में परिवर्तन आ गया यह मास्टर प्लान तो बिलकुल आवसोलीट है। इस मास्टर प्लान का कोई महत्व नहीं है। इस मास्टर प्लान में जहां पार्क दिखाया है वहां कब्जा किया हुआ है। जहां रिहायशी जमीन दिखाई हुई है वहां फैक्टरियां लगी हुई हैं। जहां इन्डस्ट्रियल एरिया बताया हुआ है वहां पर दूसरे प्रकार का उपयोग हो रहा है। कोई मास्टर प्लान जैसी चीज जिसका पालन हुआ हो इस प्रकार की स्थिति नहीं है। मैं समझता हूं कि आज की आवश्यकता और आज की परिस्थितियों के अनुसार इस मास्टर प्लान में निश्चित रूप से परिवर्तन करना चाहिए और जैसा विश्नोई साहब ने कहा कि जयपुर की कला, जयपुर की संस्कृति यह सब चीजें इसमें शामिल हों। आज हमने कई बार यहां जयपुर में कोशिश की। माननीय माहिर साहब जानते हैं कि जो जवाहरात की कटिंग का काम करते हैं वहां पर एक बस्ती बसाकर जिसमें नीचे वह कटिंग का काम करें और ऊपर मकान बनायें। मुझे कोई जमीन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं मिली। जयपुर के मूर्तिकार यह गन्दी-सड़ी गलियों में पड़े हैं जहां हिन्दुस्तान के नहीं संसार के बड़े बड़े आदमी मूर्ति खरीदने के लिए जाते हैं और जाते वक्त टेलीफोन यह करते हैं कि मूर्ति तो हमने खरीद ली है लेकिन जिस बाजार में गये वह बाजार हमें उम्रभर तक याद रहेगा कि ऐसा गन्दा बाजार और ऐसा संकड़ा बाजार हमने कभी नहीं देखा। यहां पीतल का काम, मीनाकारी का काम, जूते बनाने का काम, लकड़ी का काम, हाथीदांत का काम–यह काम करने वाले बहुत बैठे हैं। एक जगह उनके लिए नहीं होने से और एक जगह मार्केट नहीं बनने से मिडिल मैन इनको शोषण करते हैं। हमने व्यवस्था की है कि जहां-जहां भी सरकारी जमीन उपलब्ध होगी इन लोगों का मार्केट बसायें और इन लोगों का मार्केट बसाकर वहां पर इन लोगों का रोजगार चले, उसकी हम व्यवस्था करेंगे। कोई व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी निकालने की आवश्यकता नहीं लेकिन कोई व्यक्तिगत दोस्ती का लाभ भी उठा सकें इस प्रकार की सम्भावनायें इसमें नहीं हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि जो कानून बनाया उसको उसी भावना के रूप में आप लें। कई लोग कहते हैं कि वहां जमीन का अलाटमेन्ट कर दिया, वहां कामर्शियल लैण्ड बेच दी, वहां कुछ कर दिया। वह अलग से आप को कई अवसर मिलेंगे उस समय आप जिक्र कीजिए। मैं आपको विश्वास देता हूं कि आप कोई भी इस प्रकार की जानकारी देंगे तो उस जानकारी के आधार पर निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच करवाकर उसकी जानकारी आपको देने की मेरी इच्छा है और मैं जानकारी दूंगा अब आप कहें, कई लोगों ने यह कहा कि नगरपालिका सड़ रही है, यू. आई. टी. सड़ रही है, जे. डी. ए. सड़ रहा है। अब जे. डी. ए. सड़ रहा है, यू. आई. टी. सड़ रही है पर उनके पास पूंजी कहां है? कौन सी आय है उनके पास? आज तक नगरपालिका, यू. आई. टी. और जे. डी. ए. यह पहले मोटी आय के ऊपर चलती थीं। एक वर्ष में सौ प्लाट उन्होंने बेच दिये आक्शन करके, उसकी कीमत आती है और उस कीमत से यह चलती थीं। आज म्युनिसिपैलिटी के पास जमीन नहीं रही, यू. आई. टी. के पास जमीन नहीं रही, जे. डी॰ ए. के पास जमीन नहीं रही। अब कौन सा टैक्स लगाकर सारी कमी को पूरा करें। कोई टैक्स लगाने की गुंजाइश नहीं रही। टैक्स लगायें तो लोग कहते हैं कि आपने सफाई तो की नहीं, सड़कें तो बनाई नहीं, लाइट का प्रबंध नहीं किया, पानी का प्रबंध नहीं किया तो टैक्स किस बात का? अब सरकार के पास आय नहीं होगी, आज आप यह कहें कि राजस्थान सरकार को अनुदान देना चाहिए। आखिर सरकार अनुदान देगी तो अपने बजट में देगी। बजट में घाटा होगा तो टैक्स लगाने पड़ेंगे और टैक्स लगाने के बारे में मेरी मान्यता बनी हुई है कि राजस्थान टैक्स लगाने के पाइन्ट पर सेचुरेशन पाइन्ट पर पहुंच गया है। राजस्थान ही नहीं पहुंच गया, हिन्दुस्तान की सब राज्य सरकारें पहुंच गयी, केन्द्र सरकार पहुंच गयी। अब तो हालत यह हो रही है कि टैक्स लगाने के पहले यह सोचना पड़ता है कि जो भी हम टैक्स लगा रहे हैं उनमें कहीं लीकेज

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तो नहीं हैं। उस लीकेज को किस प्रकार से रोका जाये और इस आधार पर हमने इस कानून में जो आपके सामने प्रस्तुत किया है मुझे इस बात का दुःख हुआ कि उस समय जिस समय कानून रखा गया हालांकि पहले जानकारी दे दी थी कि हम प्राइवेट आदमियों को किसी प्रकार से परेशान करना नहीं चाहते। मैं तो यह मानकर चलता हूं कि कल्ला साहब, कि जब तक यह नक्शा पास कराने की बीमारी में कोई संशोधन नहीं किया जायेगा, उसका उपचार नहीं किया जायेगा उस समय तक यह बीमारी यों ही चलेगी। मुझे समझ में नहीं आता कि कोई आदमी अपना मकान बना रहा है उस मकान में जे. डी. ए. या म्युनिसिपैलिटी कौन होती है जिससे कहे तुमने यह खिड़की बायीं ओर रखनी है, तुम्हें बाथरूम यहां बनाना है, तुम्हें यहां पर ड्राइंग रूम इस जगह बनाना है? कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, केवल इतना रखना पड़ेगा कि जमीन का सेटबैक कितना होगा और यह मकान कितने मंजिल बनेगा और वह मंजिल भी और कोई कारण से नहीं, ट्रैफिक के पाइंट आफ व्यू से। यदि छोटी सड़क है और 5 मंजिला मकान बना दिया, उसके 20 गाड़ियां और 20 मोटर साइकिल हो गई तो उस रास्ते से निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। केवल ट्रैफिक के पाइण्ट आफ व्यू से इस बात को देखना पड़ेगा।

दूसरा यह भी देखना पड़ेगा कि जो कुछ हमने पानी की व्यवस्था की है उस मकान को बनाने वालों के लिये, यह पानी पर्याप्त होगा या नहीं होगा। दो बातों के अलावा मैं आज कहता हूं, स्वायत्त शासन मंत्रीजी बैठे हैं, जिन रूल्स में परिवर्तन कर दें लेकिन किसी को अपनी जमीन के ऊपर सिवाय सेटबैक के और किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है कि वह प्लान पास कराये। अपने आप उसका कन्स्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। इसलिये कोई बदनीयती से कानून नहीं बनाया। कानून बने हुए हैं। मैं नहीं कहता कि पहले जिन लोगों ने कानून बनाया है, उन्होंने कोई गलती की है लेकिन धीरे-धीरे लोग कानून का उल्लंघन करना तो सीख गये लेकिन कानून की पालना करना नहीं सीखे। इसलिये पहला उद्देश्य है कि एन्क्रोचमेंट की कार्यवाही रोकें। दूसरा उद्देश्य है कि माफिया गैंगस् के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय और तीसरा उद्देश्य है कि जिन लोगों की जमीन वाजिब है, उन लोगों पर किसी भी प्रकार की ऐसी उलझन नहीं रहे कि कन्स्ट्रक्शन का काम किसी प्रकार से रुक जाये।

एक माननीय सदस्य ने कहा था कि ट्रांसपोर्टर्स भी इसमें आ गये। सीमेंट बेचने वाले भी इसमें आ गये, इसमें वायर फिटिंग करने वाले भी आ गये और दूसरे भी आ गये। उनको क्या पता होता है कि यह जमीन सरकारी है या गैर सरकारी। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि 7 दिन के बाद सारे राजस्थान की जनता को मालूम हो जायेगा कि सरकारी जमीन कौनसी है और गैर सरकारी जमीन कौनसी है और उस सरकारी जमीन को जानते हुए कोई आदमी ट्रांसपोर्टर का काम करेगा तो भी सजा मिलेगी। इसमें कोई सन्देह करने की की आवश्यकता नहीं है। आखिर सब-अबेटर्स ...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हटा दिया। वापस ले लिया। ओमिट कर दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि इस सारे मामले को काले कानून की दृष्टि से नहीं देखें। जो काली परिस्थितियां बन गई, उन काली सारी परिस्थितियों को गुलाबी रंग में किस प्रकार परिवर्तित किया जाय, यह कानून केवल इसलिये है और मुझे विश्वास है कि सदन के माननीय सदस्य इसका समर्थन करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1991 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1991 संशोधित रूप में पारित किया गया।

राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1991।

परिनियत संकल्प।

मैं समझता हूं कि दहिया जी को पेश करने दीजिये, आप तो बहुत बोल चुके। दहिया जी, आप पेश करिये। मगर आप सीमा में करिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा मेरा भी निवेदन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नया शुरू हो रहा है। ये बोल रहे हैं। पहले संकल्प तो पेश करने दीजिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया : राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या–8) के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए अपने विचार यहां रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब आप विचार श्री जुबेर खान जी को रखने दीजिये। आपने पेश कर दिया है। ये बोलना चाहते हैं। (व्यवधान) ये खड़े हो रहे हैं। ये कुछ कहना चाहते हैं। आपने रख दिया संकल्प। श्री जुबेर खान जी बोलिये अब आप।

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि चाहे जे. डी. ए. हो, चाहे यू. आई. टी. हो, सब रिलेटेड हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने लम्बा भाषण दिया। मैं एक तो यह जानना चाहता हूं कि जो रेस्पांसिबिल है यह एथोराइज्ड कालोनीज को बसाने के लिये, आप उनके तो मकान तोड़ देंगे जिन्होंने बना लिये लेकिन उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हो जो जे. डी. ए. के अधिकारी और कर्मचारियों के नाक के नीचे यह मकान बनाये गये थे।

एक मेरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम पार्किंग को मद्देनजर रखेंगे। मुख्य मंत्रीजी, इस पर क्या व्यवस्था करेंगे जो रास्ते में

(श्री जुबेर खां)

छोटे-छोटे मन्दिर और दरगाह बनाकर लोगों को लूटने के लिये बैठे हैं और सारा आपका जो ढांचा है और आप जो व्यवस्थित कालोनी बनाना चाहते हैं, उसमें यह सबसे बड़ी रोक है। इसके लिये कौनसा कानून लाया जा सकता है ?

एक मेरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय, पहले भी मैंने निवेदन किया था कि जो भी शॉपिंग काम्पलैक्स बनाने के लिये आते हैं, कालोनी बनाने के लिये आते हैं बाजार में, मुख्य मंत्री महोदय जब नक्शे पास करते हैं तो यह कहते हैं कि पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। लेकिन कौनसे व्यावसायिक केन्द्र ऐसे हैं जयपुर शहर में या किसी भी शहर में जिन्होंने ट्रैफिक की व्यवस्था की है। ये तीन सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आपसे निवेदन है कि जब आप जवाब दें, तब इनका भी जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : जब मंत्री महोदय बोलें तब ध्यान रखिये इनका।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 1991 को प्रख्यापित राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या-8) को अस्वीकार करता है ?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, —

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप किस के लिये बोल रहे हैं, प्रेस तो है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : संकल्प प्रस्तुत करिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयक को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित करने के बारे में अपना प्रस्ताव दिया है। मैं इस सम्बन्ध में आपसे कहना चाहूंगा कि जब....

श्री यदुनाथ सिंह : आपकी चल तो रही नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जब भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य इधर बैठा करते थे तब लोकतन्त्र की बड़ी बातें करते थे और पब्लिक रिप्रजेंटेटिव का इन लोकल-सैल्फ गवर्नमेंट में, यू. आई टी. में जे.डी.ए. में, इन सब में रिप्रजेंटेशन देने की बात करते थे। लेकिन अभी हाल ही में यू. आई. टी. का गठन किया गया है और किसी भी एम. एल. ए. को कहीं पर भी नहीं रखा और न ही नगरपालिकाओं के वार्ड मेम्बर, जो चुनकर आते हैं, उनको भी इन्होंने कोई स्थान नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, यह कदम सरकार का अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक और एक तरीके से बर्बरतापूर्ण कदम है और मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कांग्रेस के वक्त में जो भी एम.एल.ए. थे, चाहे पक्ष के थे चाहे विपक्ष के थे, उनको यू. आई. टी. का मेम्बर बनाया गया था। लेकिन इस सरकार ने मेम्बर नहीं बनाया। माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक के खण्ड 2 और 3 को हटाया है और खण्ड 5 को भी हटाया है, उसका तो मैं स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं और यू. आई. टीज की या सरकारी जमीन है उस पर यदि कोई अतिक्रमण करता है, उनको हटाने के लिये सरकार जो संशोधन लायी है, उसके बारे में भी हमें कुछ नहीं कहना ठीक लाये हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि इम्प्लीमेन्टेशन में एक्सपलाइटेशन न हो, लोगों के साथ कोई ज्यादती न हो, इसके बारे में....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब हो गया आपका।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

नियम का निलम्बन

306 का प्रस्ताव करिये रिलैक्स करने के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया के नियम 306 के अन्तर्गत राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 के लिये प्रक्रिया के नियम 265(2) के प्रावधानों को निलम्बित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रक्रिया के नियम 306 के अन्तर्गत प्रक्रिया के नियम 265(2) के प्रावधानों को लागू करना निलम्बित किया जाये?

(स्वीकृत)

नियम के प्रावधानों को निलम्बित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार

खण्डश: विचार : खण्ड–2

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं जो संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं वो clause 2 & 3 of the Bill be omitted.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 को विलोपित करने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री जी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

खण्ड–3

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 3 को विलोपित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 को विलोपित करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

खण्ड-4

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि clause 4 of the Bill be re-numbered as clause 2 thereof.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्री ने खण्ड 4 को खण्ड 2 के रूप में पुर्नसंख्यांकित करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड चार को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधित रूप में खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

नम्बर 5

खण्ड–5

श्री भंवरलाल शर्मा : Clause 5 of the Bill be ommitted.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्री ने खण्ड 5 को विलोपित करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

खण्ड–6

श्री भंवरलाल शर्मा : Clause of the Bill be re-numbered as Clause 3 thereof.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 को खण्ड 3 के रूप में पुर्नसंख्यांकित करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 7 प्रभारी मंत्री जी।

खण्ड-7

श्री भंवरलाल शर्मा : Clause 7 of the Bill be re-numbered as Clause 4 thereof, and afteher sub-section (16 of section 92 (A of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act No. 35 of 1959), as sought to be inserted by the clause, the following new sub-section (17) be inserted, namely :

"(17) No investigation of an officer under this section shall be made by an officer below the rank of a Deputy Superintendent of Police."

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्री ने खण्ड 7 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

महावीर प्रसाद जी, करेंगे आप ?

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए)

नहीं, प्रस्तुत नहीं किया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 7 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री जी, खण्ड 8

खण्ड-8

श्री भंवरलाल शर्मा : Clause 8 of the Bill be re-numbered as Clause 5 thereof.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्री ने खण्ड 8 को खण्ड 5 के रूप में पुनर्संख्यांकित करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 8 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-1

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

पारण के लिये प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 को यथासंशोधित रूप में पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान, बोल रहे हैं ?

डा. चन्द्रभान (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो सवाल करना चाहूंगा। चाहे वह जे. डी. ए. का हो, चाहे यू. आई. टी. का हो, अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा, किसी को भी बख्शा नहीं जायेगा जो सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा। मैं थोड़े दिनों पहले का एक उदाहरण देना चाहूंगा। जोधपुर में ब्रह्मसिंह सन् आफ मंगल जिनको अभी यू. आई. टी. का न्यासी बनाया गया है, ने सरकारी जमीन, जो 12 बीघा है 58/2 उसका खसरा नम्बर है, पर गलत कब्जा कर रखा है। तीन बार यू. आई. टी. ने उसे हटाने के लिये नोटिस दिया, कार्यवाही की। श्रीमान् कलक्टर ने अभी तक शपथ नहीं दिलायी है। इसकी जांच करा लें।

नम्बर दो बात, मैं हर संशोधन में एक बात कह रहा हूं, यह सरकारी जमीन कौनसी है ? जैसे जे. डी. ए. के सन्दर्भ में, यू. आई. टी. के सन्दर्भ में कहना चाहूंगा, नगरपालिका का पांच किलोमीटर का क्षेत्र था वहां तक जे. डी. ए. है, यू. आई. टी. का भी क्षेत्र सीमित है। अब इनकी कहां आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, कौन निर्धारित करेगा ? यह चलेंगे और अपना झंडा किसान के खेत में गाड़ देंगे कि अरबन सीलिंग में आप आ गये हैं और आपकी जमीन सरकारी हो गयी है और रेट देंगे 5 रुपये वर्ग मीटर और बेचेंगे उसको 500 रुपये वर्ग मीटर में। फिर कहेंगे किसान जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है। इस तरह से किसान को बेघरबार कर दिया जाता है, उसके सामने कोई धंधा नहीं रहता है और उसकी जमीन सस्ते में लेती है इसके लिये भी सरकार व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : हो गया। पंडित रामकिशन जी। एक बात कहेंगे, पंडितजी।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, चूंकि ट्रेंड एक ही है और अब तक जो तीनों बिल आये हैं, सरकार की जो मंशा है हम तो कर रहे हैं उनका स्वागत। लेकिन एक निवेदन मैं करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, मैंने आज से तीन दिन पहले यह कह दिया था कि श्री भैरोंसिंहजी के संस्कार चुने हुए प्रतिनिधियों में नहीं हैं। उनका ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा विश्वास है। अब मैं इस बात को इस ढंग से नहीं दोहरा कर इतना सा कहना चाहता हूं कि आज जो नगर सुधार न्यास है, आप देखेंगे उनके अध्यक्ष कलक्टर हैं। समय उनके पास है नहीं, दिलचस्पी वह लेते नहीं और दिलचस्पी लेते हैं तो केवल इस बात की लेते हैं कि एक गाड़ी मंगा लेते हैं, एक टेलीफोन लगा लेते हैं और अपने घरों को, बंगलों को इस तरह से सजाते हैं जैसे कोई शहंशाह रहते हों। तो निवेदन मैं यह करना चाहता हूं, जितनी भी आपकी यू.आई.टी. हैं, जैसी भी हैं, आप कम से कम मेहरबानी करके

(श्री रामकिशन)

उनका गठन तो करो। आप 77 में रहे तो दो-तीन का करके ढ़ाई साल तक लटकाते रहे। उसके बाद डेढ़ साल अब आपको हो गया। आप जिस तरह से चाहो, बी.जे.पी. के रखो, अपने घर के रखो, परिवार के रखो लेकिन कम से कम उनका गठन तो करो।

श्री अध्यक्ष : भरतपुर का गठन कर दें, जल्दी से जल्दी।

श्री रामकिशन : दूसरा निवेदन यह करना है, अध्यक्ष महोदय, आपने जे. डी. ए. के एक्ट में अच्छा प्रावधान किया है कि उनके फैसलों को सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार से निकाल दिया है। इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। मैं यह चाहता हूं कि जो नगर सुधार न्यास है इसके कानून में भी यह व्यवस्था होनी चाहिये जिससे जिस तरह के फैसले होते हैं उनको अदालतों में ले जाकर लोग अटका देते हैं, मैं समझता हूं, इस काम को करना चाहिये।

तीसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मुख्य मंत्रीजी से खास तौर से यह कहनी है कि यह जो न्यास बने हुए हैं इनमें मैं नहीं कह सकता सब जगह क्या हालत है लेकिन हमारे भरतपुर में तो अभी एक ऐसी बड़ी लूट हुई है जिसका आप अन्दाज नहीं लगा सकते। वहां नया रोडवेज का स्टेण्ड बना है उसके बदले में पुराने डिपो, जो रोडवेज का डिपो था, को न्यास को दे दिया गया। न्यास को इसलिये दे दिया गया कि उसका जो आर्थिक घाटा है उसको वह पूरा करे। अध्यक्ष महोदय, वह जमीन है सर्किट हाउस के पास। शहर में जिसे सिविल लाइन कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जगह पर वह जगह थी। 6600 वर्गगज जमीन है। अगर उस 6600 वर्ग गज जमीन को यू. आई. टी नीलाम करती तो वहां आसपास जिस तरह के अविकसित नगर हैं उनमें जमीन बिकी है 1000 रुपये वर्ग गज में और वह बिकती शायद 1500 रुपये वर्ग गज में।

श्री यदुनाथ सिंह : पंडितजी, 1400 में सिंह कन्स्ट्रक्शन कम्पनी दे रही है। वह 32 लाख रुपये में दी है।

श्री रामकिशन : वही तो कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप जरा देखिये गम्भीरता को, पंजाब नेशनल बैंक उस जमीन को लेना चाहता था आवासीय बस्ती बनाने के लिये। उन्होंने आफर यह किया था कि यू. आई. टी. ने मांग की कि हमें 800 रुपया वर्ग गज लेंगे। उन्होंने कहा, हम 800 रुपया वर्ग गज दे देंगे लेकिन शर्त होगी जमीन इसमें छोड़ने की। तो 6600 की बजाय वह जमीन रह जाती थी 5500 वर्ग गज और 5500 वर्ग गज के अगर यू. आई. टी. उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती तो यू. आई. टी. को 44 लाख रुपये मिलते और उसी जमीन का एडवर्टाइजमेंट किया नहीं। बैंक वालों ने कहा हम अपनी हायर अथोरिटी से पूछ लें। उसका मौका आने दिया नहीं और उसी जमीन को प्राइवेट कम्पनी को 32 लाख रुपये में बेच दिया गया। तो इतना जो बड़ा घपला हुआ है, जमीन बेचने लायक थी, अगर उसको ओपन आक्शन से बेचते। वही जिसने जमीन ली है वह उसमें प्लाट बना कर बेच रहा है

(श्री रामकिशन)

और उन्होंने उसकी रेट निकाली है 1400 रुपये वर्ग गज और सरकार ने उस जमीन को दे दिया 450 रुपये वर्ग गज। बैंक देना चाह रहा था 800 रुपये वर्ग गज। तो इतना बड़ा जो घपला हुआ है, मुख्य मंत्रीजी अक्सर कहते रहते हैं मुझे भ्रष्टाचार का कोई मामला बताओ....

श्री चन्दनमल बैद : बख्शेंगे नहीं किसी को।

श्री रामकिशन : बख्शेंगे या नहीं बख्शेंगे, यह तो यह जानें पर बताने का काम हमारा है। यह नहीं बख्शेंगे तो इनका....

श्री अध्यक्ष : आपने एक की जगह तीन बात बता दी।

श्री रामकिशन : हैं जी ?

श्री अध्यक्ष : एक की जगह तीन बता दी।

श्री रामकिशन : अभी एक ही बताई है, एक ही स्पष्ट कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पंडित जी, आपने काल अटेन्शन नोटिस दे रखा है इसका।

श्री रामकिशन : हां, नोटिस तो है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो फिर आप रिपीट क्यों कर रहे हैं ? एक ही विषय पर दो बार चर्चा होगी। (व्यवधान)

श्री रामकिशन : दो मिनट, बता देता हूं। मैं खत्म ही कर रहा हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : मैंने दिया था आपको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने दिया उसको क्लीफाई करने के लिये पंडित जी बोल रहे हैं....

श्री यदुनाथ सिंह : नहीं-नहीं, वही बात बोल रहे हैं जो मैंने कही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कि इसका क्रेडिट यदुनाथसिंह को नहीं चला जाय।

श्री यदुनाथ सिंह : पंडित जी और मेरे में तो कोई फर्क है नहीं।

(11:00 रात्रि)

श्री रामकिशन : आपने जिस कूटनीति का इस्तेमाल करके राजस्थान को गुमराह किया उसके चक्कर में हम आने वाले नहीं हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था, माननीय मंत्री जी से, मुख्य मंत्री जी से कि लोग कहते हैं आपकी नहीं चलती है। तो ऐसी जगह हाथ डालो जिससे चलने का भी लोगों को प्रमाण मिल जाय। अब आप हाथ किस पर डालोगे ? कोई पटवारी पर, कोई गिरदावर पर ? मुझे ऐसा लगता है कि 10 लाख का गबन किया है यू.आई.टी. ने। तत्काल का, अभी का गबन है। उसकी रेट देख लीजिए, बगल की रेट देख लीजिये और जिसने गबन किया है उसको कुछ सजा मिलनी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी मन्शा का स्वागत करता हूं। (व्यवधान) एक बात कल्ला साहब ने उठाई थी चाहे मानें या न मानें लेकिन जब यू. आई. टी. का गठन करें तो चाहे विरोध के एम. एल. ए. हों चाहे

(श्री रामकिशन)

पक्ष के उनका नोमिनेशन पहले भी करते आये थे। वैसे एम. एल. ए. की कोई इच्छा नहीं होती बोर्ड का मेम्बर बनें ही बनें लेकिन चूंकि क्षेत्र के नाते उनकी दिलचस्पी होती है इसलिये आप इतने पार्शियल मत बनें कि आपकी प्रतिष्ठा पर धब्बा लग जाय इसलिये जो जहां भी बैठे हैं उन सब को नोमिनेट करें और बोर्ड का गठन जल्दी से जल्दी कर दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इन तीन बिलों पर यह बहस चल रही है। इन सब में समान रूप से संशोधन किये गये हैं और उसी के अनुरूप माननीय सदस्यों के सुझाव आये हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया उसमें सभी बातें समाविष्ट हो गई है। जो सुझाव आये हैं वह प्रशासनिक दृष्टि से ठीक है उन पर विचार करेंगे जितना सम्भव होगा, अमल करेंगे, सुझाव अच्छे भी आये हैं।

श्री चन्दनमल बैद : भ्रष्टाचार के उदाहरण भी आये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो सामने ही दीखता है। (व्यवधान)

विधेयक का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 संशोधित रूप में पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दि. 17-9-91 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनतर सदन की कार्यवाही रात्रि 11.03 बजे मंगलवार, दिनांक 17-9-91 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 86 का विवरण

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण जिला सिरोही

क. सं. पंचायत समिति	स्वीकृत कार्य			पूर्ण कार्य			अपूर्ण कार्य		
	90–91	91–92	योग	90–91	91–92	योग	90–91	91–92	योग
इन्द्रा आवास योजना									
1. सिरोही	85	–	85	–	43	43	42	–	42
2. शिवगंज	69	–	69	5	53	58	11	–	11
3. पिण्डवाडा	182	–	182	15	145	160	22	–	22
4. रेवदर	89	–	89	11	40	51	38	–	38
5. आबूरोड	75	–	75	15	45	60	15	–	15
योग:–	500	–	500	46	326	372	128	–	128

299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जीवनधारा योजना										
1.	सिरोही	42	5	47	6	—	6	36	5	11
2.	शिवगंज	13	4	17	—	—	—	13	4	17
3.	पिण्डवाडा	112	—	112	19	—	19	93	—	93
4.	रेवदर	62	6	68	10	—	10	52	6	58
5.	आबूरोड	58	7	65	15	—	15	43	7	58
योग—		287	22	309	50	—	50	237	22	259

(968)

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण जिला सिरोही

क्र. सं.	पंचायत समिति/विभाग	स्वीकृत कार्य			पूर्ण कार्य			अपूर्ण कार्य		
		90–91	91–92	योग	90–91	91–92	योग	90–91	91–92	योग
ग्राम पंचायतों द्वारा स्वीकृत कार्य										
1.	सिरोही	220	33	253	101	2	103	119	31	150
2.	शिवगंज	165	24	189	60	–	60	105	24	129
3.	रेवदर	210	181	391	122	9	131	88	172	260
4.	पिण्डवाड़ा	174	29	203	150	–	150	24	29	53
5.	आबूरोड	84	32	116	53	–	53	31	32	63
योगः–		853	299	1152	486	11	497	367	288	665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विभागों के कार्य										
1.	सिंचाई विभाग सिरोही	39	–	39	4	–	4	35	–	35
2.	सिंचाई विभाग सुमेरपुर	21	–	21	5	–	5	16	–	16
3.	वन विभाग	27	–	27	11	–	11	16	–	16
4.	सा. नि. विभाग	21	–	21	–6	0	6	15	–	15
5.	भू-संरक्षण विभाग	29	1	30	21	–	21	8	1	9
योगः—		137	1	138	47	–	47	90	1	91
महायोगः—		1777	322	2099	629	337	966	822	311	1133

299

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के डिपो/वर्कशाप कर्मचारियों का निलम्बन

88. श्री सांवरलाल जाट (भिनाय)

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के डिपो या वर्कशाप प्रभारियों को निलम्बित किया हुआ है ? यदि हां, तो किन-किन को, किस किस-कारण से ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या डिपो प्रभारियों तथा वर्कशाप प्रभारियों को उनके क्षेत्रों में चलने वाली अनधिकृत बसों को रोकने, जब्त करने या उस पर किसी तरह की कार्यवाही करने का अखंडित अधिकार है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बाबत कानून में उचित संशोधन करने का विचार रखती है ?

(3) निगम को रोकने हेतु कानून में कब तक संशोधन करके समुचित कार्यवाही कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं । डिपो प्रभारियों तथा वर्कशाप प्रभारियों को उनके क्षेत्र में चलने वाली अनाधिकृत वाहनों को रोकने, जब्त करने और उन पर किसी तरह की कार्यवाई करने का अधिकार देने का कोई विचार नहीं है ।

(3) इस संबंध में कानून में पूर्ण प्रावधान उपलब्ध है ।

क्र. सं.	नाम	अगार/कार्यशाला प्रभारी	निलंबित किये जाने के आदेश क्रमांक एवं दिनांक	निलंबित किये जाने के कारण
1.	श्री जय प्रकाश शर्मा	आगार प्रबन्धक बाडमेर आगार	719/16-6-91	संचालन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने एवं कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण।
2.	श्री रूप किशोर शर्मा	सहा. या. अभि. कार्यशाला प्रभारी अलवर	347/5--4-91	कार्यशाला में अनियमितता बरतने के कारण।
3.	श्री शिव कुमार सक्सैना	क. अभि. (ए) कार्यशाला प्रभारी डूंगरपुर आगार	929/3-6-91	कार्यशाला प्रभारियों की बैठक में उपस्थिति रहने के कारण।

305

तारांकित प्रश्न संख्या 89 (स्थगित)

बड़ोरा पंचायत (अटरू) में अवैध खनन कार्य

90. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 20-12-1990 से 25-12-1990 के बीच में सहायक खनिज अभियन्ता, झालावाड़ व श्री पूनिया, रेंजर-बड़ोरा व अन्य व्यक्तियों द्वारा अटरू तहसील के बड़ोरा पंचायत में सामूहिक निरीक्षण कर अवैध खनन कार्य की मौका रिपोर्ट बनाई गई थी ? यदि हां, तो क्या उसमें यह पाया गया था कि कुछ लोग सरकार द्वारा स्वीकृत दिये हुए क्षेत्रफल से ज्यादा खनन कर रहे हैं ? यदि हां, तो नाम व माप सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) खनिज विभाग द्वारा अवैध खनन करने से सरकार को कितनी रॉयल्टी का नुकसान हुआ और सरकार ने अभी तक उसे क्यों नहीं वसूल किया ? की गई मौका रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) रॉयल्टी कब तक वसूल करली जावेगी ?

(4) क्या सरकार ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी जिन्होंने रॉयल्टी वसूल करने सम्बन्धी कार्यवाही करने में लापरवाही बरती ?

उत्तर

(1) जी हां । मौका रिपोर्ट के अनुसार 2 मामलों में स्वीकृत क्षेत्र से बाहर वन भूमि में अवैध खनन हुआ है । नाम व माप व विवरण सूची "अ" पर है ।

(2) रॉयल्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ । अवैध खनन की समय-समय पर जॉच के समय यदा-कदा जिन मामलों में अवैध खनन होना पाया गया उनमें खनिज की कीमत वसूली की कार्यवाही जारी है । मौका रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "ब" एवं "स" साथ में संलग्न है ।

(3) रॉयल्टी वसूली का प्रश्न नहीं है, खनिज की कीमत रॉयल्टी की 12 गुणी वसूली की जा रही है ।

(4) रॉयल्टी वसूली के सम्बन्ध में किसी अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया । इसलिए किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है ।

(मौका रिपोर्ट की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मांगरोल (बारां) तथा इन्द्रगढ़ (बूंदी) में मुन्सिफ कोर्ट की मांग

91. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने कुछ न्यायालय खोलने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो कौन-कौन से तथा कितने व कब तक खोलेगी ?

(श्री हीरालाल आर्य)

(2) क्या यह भी सही है कि बांरा जिले के मांगरोल तथा बूंदी जिले के इन्द्रगढ़ नगरों में मुन्सिफ कोर्ट खोलने की मांग वहां की जनता एवं जन प्रतिनिधि समय-समय पर करते रहे हैं ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में मांगरोल एवं इन्द्रगढ़ में शीघ्र मुन्सिफ न्यायालय खोलेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । 5 ए. डी. जे. व 20 एम. जे. एम. न्यायालय खोलने का घोषणा की थी ये न्यायालय इसी वर्ष खोल दिए जाने की पूर्ण संभावना हैं ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां । इस मामले में अन्तिम निर्णय होना शेष हैं । निर्णय होते ही मांगरोल व इन्द्रगढ़ में मुंसिफ न्यायालय खोलना संभव हो सकेगा ।

चित्तौड़गढ़ जिले की बाल-विकास परियोजना एवं आंगनवाड़ी केन्द्र

92. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या महिला एव बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में कितने बाल विकास परियोजना केन्द्र एवं आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) इन केन्द्रों में कितने पद कहां-कहां रिक्त पड़े हैं ? क्या सरकार इन पदों को भरने का विचार रखती है ?

(3) चित्तड़ौगढ़ जिले के बाल विकास परियोजना केन्द्र एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के कितने व किन-किन कर्मचारियों के खिलाफ क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? सरकार ने प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में 6 बाल-विकास परियोजनायें कार्यरत हैं । जिनमें 757 आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं । विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) रिक्त पदों की सूची सदन के पटल पर रखी दी गई है । जी हां ।

(3) चित्तौड़गढ़ जिले के बाल-विकास परियोजनाओं अधिकारियों के विरुद्ध 4 शिकायतें, वरिष्ठ लिपिक के विरूद्ध 1 शिकायत, महिला पर्यवेक्षक के विरूद्ध 2 शिकायतें और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के विरूद्ध 6 शिकायतें अनियमिताओं संबंधी प्राप्त हुई ।

	बाल विकास परियोजना अधिकारी	महिला पर्यवेक्षक	वरिष्ठ लिपिक	आँगन बाड़ी कार्यकर्ता
प्रारम्भिक जाँच	3	2	–	– 6
आरोप-पत्र	–	–	1	–
कार्यवाही विचाराधीन	1	–	–	–

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

जिला चित्तौड़गढ़ में परियोजनावार कार्यरत आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची:—

क्र. सं.	नाम परियोजना	कार्यरत आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या
1.	छोटी सादड़ी	101
2.	प्रतापगढ़	189
3.	अरनोद	114
4.	चित्तौड़गढ़ (ग्रामीण)	147
5.	राश्मि	120
6.	बेंगू	86
	योग:—	757

चित्तौडगढ़ जिले में रिक्त पदों की सूचना

क्रमांक	नाम परियोजना	बाल विकास परियोजना अधिकारी	कनिष्ठ लेखाकार	वरिष्ठ लिपिक	महिला पर्यवेक्षक	कनिष्ठ लिपिक	वाहन चालक	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	चित्तौडगढ़	—	—	—	—	1	—	1
2.	राश्मि	1	1	—	5	—	—	—
3.	बेंगू	1	1	1	2	—	1	—
4.	प्रताप	1	1	—	6	—	1	2
5.	अरनोद	1	1	1	2	—	1	1
6.	छोटी सादड़ी	—	1	—	3	1	—	1
	योग —	4	5	2	18	2	3	6

जैसलमेर जिले में भू-संरक्षण विभाग की जल संग्रहण क्षेत्रों की योजना

93. डॉ. जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में भू-संरक्षण विभाग द्वारा जल संग्रहण क्षेत्रों की कोई योजना तैयार की गई है ?

(2) यदि हां तो इस पर कितनी धन-राशि व्यय की जावेगी ।

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से गांवों को शामिल किया गया है और इससे कितने किसानों को लाभ होगा ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) इस योजना पर लगभग 155.25 लाख रुपये की राशि का व्यय होगा ।

(3) इस योजना के अन्तर्गत ग्राम भैरवा, वीरमदेवरा व देवरा के सभी किसानों को लाभ मिलेगा ।

जिला बांसवाडा में अकाल के अन्तर्गत कुओं का निर्माण

94. श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने वर्ष 1986-87, 1987-88 एवं 1988-89 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत राजस्थान में कुएं खुदवाये थे ? यदि हां तो जिला बांसवाड़ा में कितने कुएं उन वर्षों में खुदवाये ? गांव तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सरकार द्वारा खुदवाये गये कुएं अपूर्ण पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार अपूर्ण कुओं को पूर्ण कराकर किसानों को लाभ देने का विचार रखती है ?. यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि सरकार ने वर्ष 1986-87, 87-88 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत राजस्थान में कुए खुदवाये । जिला बांसवाड़ा में उक्त वर्षों में खुदवाए गए कुओं की सूची निम्न प्रकार है:–

(अ) स्वीकृत कुओं की संख्या :

क्र. सं. नाम तहसील	वर्ष 86-87	87-88	88-89
1. बांसवाड़ा	315	241	निल
2. घाटोल	642	969	निल
3. गढ़ी	340	650	निल
4. बागीडोरा	796	1149	निल
5. कुशलगढ़	926	1190	निल
योग:—	3019	4199	निल

(अकाल राहत मंत्री)

(ब) अपूर्ण कुओं की संख्या :

क्र. सं. नाम तहसील	वर्ष 86-87	87-88	88-89
1. बांसवाड़ा	140	216	निल
2. घाटोल	228	655	निल
3. गढ़ी	51	330	निल
4. बागीडोरा	58	510	निल
5. कुशलगढ़	160	188	निल
योगः–	637	1899	निल

(2) यह सही है कि अकाल राहत के अन्तर्गत खुदवाए गए कुओं में से कुछ कुएं अपूर्ण हैं। सूचना उपरोक्तानुसार है। राज्य सरकार के विशिष्ठ योजना संगठन ने ऐसे कुओं को जो जीवन धारा योजना के अन्तर्गत आते हैं, उन्हें पूर्ण कराने का कार्य हाथ में लिया है।

सवाई माधोपुर जोन का देशी व अंग्रेजी शराब का ठेका

95 श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जोन सवाई माधोपुर का देशी व अंग्रेजी शराब का ठेका किस ठेकेदार को वर्ष 1990-91 व 1991-92 तक का दिया गया? इस ठेके के लिए कितनी दुकानें किस-किस स्थान के लिए स्वीकृत की गई? स्थान, नाम-ग्राम, शहर-कस्बा सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ठेकेदारों द्वारा पुलिस व आबकारी अधिकारियों की मिली भगत से कई दुकानें अवैध रूप से चलाई जा रही हैं?

(3) क्या सरकार शराब की अवैध दुकानों को हटवा कर आम जनता को राहत दिलाना चाहती है? यदि हां तो कब तक?

उत्तर

(1) वर्ष 1990-91 में देशी व विदेशी मदिरा का ठेका जिन अनुज्ञाधारियों को दिया गया है का विवरणः—

1. श्री जसबीर सिंह पुत्र गुरुभेज सिंह सरदार सवाई माधोपुर
2. श्री मीठालाल पुत्र भागचन्द मीणा जवाहरनगर सवाई माधोपुर
3. श्री शिवदयाल पुत्र बजरंगलाल खटीक सवाई माधोपुर
4. श्री मनोहर लाल पुत्र बजरंगलाल खटीक ब्रह्मपुरी सवाई माधोपुर
5. श्री गिर्राज प्रसाद पुत्र नत्थू सिंह मीणा सा. सिकरोदा तहसील हिण्डौन जिला सवाईमाधोपुर वर्ष 1991-92 में देशी विदेशी मदिरा का ठेका जिन अनुज्ञाधारियों को दिया गया है का विवरणः-

1. श्री मोहनसिंह पुत्र सवाईसिंह राजपूत एफ 227 श्यामनगर विस्तार जयपुर
2. श्री महावीरसिंह चौधरी पुत्र कुम्भाराम जाट कृष्णपुरी रावडी हटवाडा-रोड जयपुर

(आबकारी मंत्री)

3. श्री उमेश कुमार सैनी पुत्र मोतीलाल माली गणेश भवन मदरामपुरा अजमेर रोड जयपुर

4. श्री राजेन्द्र सिंह राठौड पुत्र सादुल सिंह राजपूत डीडवाना रोड कुचामन नागौर

5. श्री बनवारीलाल पुत्र कुंभाराम जाट कृष्णापुरी रावडी हटवाडारोड जयपुर।

6. श्री मोतीसिंह पुत्र सूरजनसिंह राजपूत बडोदिया तहसील चाकसू जिला जयपुर

7. श्री मोहबतसिंह पुत्र समर्थसिंह राजपूत सारयकमा कुचामनसिटी नागौर

8. श्री प्रेमसिंह पुत्र रामपूत- कृष्णपुरी रावडी जयपुर

9. श्री मती सरस्वती देवी पत्नि श्री स्व. राजकुमार जाट ग्राम नरसिंहपुरा अजमेर रोड जयपुर

सवाईमाधोपुर जोन की देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानात की सूची संलग्न है।

(2) वर्तमान में इस क्षेत्र में अवैध दुकान बाबत कोई शिकायत नहीं है।

(3) जी हां। भविष्य में जब भी शिकायत प्राप्त होगी त्वरित गति से नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

देशी मदिरा दुकानात/विदेशी मदिरा दुकानात को निम्न प्रकार से नम्बर आवंटित किये जाते हैं।

ग्रुप–सवाईमाधोपुर–अलीगढ़

आवंटित नंबर	नाम मुख्य दुकान ग्राम व शहर का नाम	आवंटित नंबर	नाम उप दुकान ग्राम व शहर
1.	सवाईमाधोपुर स्टेशन	1.	गुम्मट
2.	सवाईमाधोपुर शहर	2.	आदर्शनगर
3.	बहरावन्डा	3.	खासाकोठी
4.	बौंली	4.	मतारना स्टेशन
5.	सूरवाल	5.	रेल्वेकालोनी सवाईमाधोपुर
6.	चौथका बरवाडा	6.	छाण
7.	भगवतगढ	7.	आमली स्टेशन
8.	टोरडाफलौदी	8.	रवांजनाडूंगर

1	2	1	2
9.	खण्डार	22.	उनीयारा
10.	लहसोड़ा	23.	चौरू
11.	चवेरी	24.	बराना
12.	श्यामपुरा	25.	ककोड़
13.	जस्टाना	26.	बनेठा
14.	भाडौसी	27.	पलाई
15.	मलारडूंगर	28.	फूलेता
16.	ईसरदा	29.	सूपड़ा
17.	सिवाड़	30.	पचाला
18.	मतारना चौड़		**विदेशी मदिरा**
19.	आंचेर	1.	सवाई माधोपुर नं 1
20.	पीपलवाड़ा	2.	सवाई माधोपुर नं 2 चौथ का बरवाड़ा
21.	अलीगढ़	3.	सवाई माधोपुर नं. 3
		4.	उनियारा

(309)

राज्य के संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा सामान्य शिक्षक के पदों पर नियुक्ति

96. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) सन् 1990 में निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान के अधीन सामान्य शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु बूंदी जिले के कितने व्यक्तियों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये थे ?

(2) उपरोक्त आवेदकों में से कितनों को सामान्य शिक्षक पद पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं ? नियुक्ति पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) बूंदी जिले के आवेदनकर्ताओं में से कितने व्यक्ति नियुक्ति से वंचित रहे हैं ? कारण सहित प्रत्येक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नियोजन कार्यालय, बूंदी के माध्यम से सन् 1990 में निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान के अधीन सामान्य शिक्षकों के पद पर नियुक्ति हेतु बूंदी जिले के 79 व्यक्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(2) उपरोक्त आवेदकों में से सामान्य शिक्षक के पद पर 6 आवेदकों को नियुक्तियां दी गई है। नियुक्ति पत्रों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं। (परिशिष्ट-अ, ब एवं स)

(3) बूंदी जिले के उक्त आवेदनकर्ताओं में से 73 आवेदनकर्ता निम्नांकित कारणों से पदों पर नियुक्ति से वंचित रहे हैं :—

1. कमियों के कारण निरस्त किये गये आवेदन पत्र—	8
2. साक्षात्कार हेतु अनुपस्थित रहे आवेदक—	6
3. रिक्त पदों के अभाव में नियुक्त नहीं किये गये अभ्यार्थी—	59
	73

(वृ)

परिशिष्ट "अ"

आंशिक प्रति

राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : नि. सं. शि./संस्था-3/पं. 1 (ख-10) 11/90-91/ 4590-660 दिनांक 20-2-91

आदेश

राजस्थान संस्कृत शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 के पार्ट-4 में सीधी भर्ती हेतु दिये गये प्रावधानों के अधीन विज्ञापन संख्या 1/90 के सन्दर्भ में सम्बन्धित जिला नियोजनों से प्राप्त आवेदन पत्रों की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मानदण्डों के आधार पर निर्मित वरीयता सूची के निम्नलिखित आशार्थियों की-वरीयता क्रम से तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर वेतन श्रृंखला 1200-30-1560-40-2000-50-2050 (स्केल नम्बर-9) में उनके समक्ष अंकित वेतन तथा नियमानुसार देय भत्तों पर कार्यारम्भ तिथि से अस्थाई रूप से अन्य आज्ञा जारी होने तक इनमें से जो भी पहले हो नियुक्त किये जाकर इनका पद स्थापन इनके सम्मुख अंकित संस्था में किया जाता है। इन अध्यापकों को ग्रीष्मावकाश शिक्षा सत्र 1990-91 का वेतन देय नहीं होगा, तथा ग्रीष्मावकाश की अवधि वेतन वृद्धि में शुमार नहीं होगी, किन्तु ग्रीष्मावकाश के पश्चात् सेवायें निरन्तर रहेगी।

आशार्थियों द्वारा यदि दिनांक 25-2-1991 तक कार्यारम्भ नहीं करने की स्थिति में ये आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे। नियुक्तियां सम्बन्धित जिला नियोजन कार्यालयों द्वारा भेजी गई सूची व प्रार्थना पत्रों के आधार पर की गई है अतः इनके वेतन बिल पारित करने के लिये एक्स-3 कार्ड की आवश्यकता नहीं हैं।

क्र.सं.	वरीयता क्रमांक	नाम आशार्थी मय पता	नियोजन कार्यालय का नाम तथा रजिस्ट्रेशन नं.	वेतन	जन्मतिथि	पदस्थापन संस्था का नाम व किसके स्थान पर।
1	2	3	4	5	6	7

जिला बून्दी

सामान्य शिक्षक

31	बीय — 5	श्री अशोक कुमार जैन, पुत्र श्री मोहनलाल जैन छोटी चौहट्टी वार्ड नं. 6, नैनवां (बून्दी)	बून्दी/ 1622/ 90	1260/-	17-8-1965	रा. प्रा. सं. वि., पीपलदा पं. स. तालेड़ा (बून्दी)
32	बीय — 3	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता पुत्र श्री बाबूलाल गुप्ता ग्राम पो. देई (बून्दी)	बून्दी/ 1877/ 90	1260-/	27-6-1968	रा.उ.प्रा सं. वि., आजन्दा (बून्दी)
33	बीय — 4	कु. करुणा शर्मा पुत्री श्री वीरेन्द्र नाथ शर्मा द्वारा लाखेरी सीमेन्ट वर्क्स लाखेरी (बून्दी)	बून्दी/ एबी/ 37/ 89	1260/-	31-12-1963	रा.उ.प्रा. सं. वि., आजन्दा (बून्दी)

ह०/–
(कैलाश चतुर्वेदी)
निदेशक, संस्कृत शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर।

शर्मा/–

परिशिष्ट "ब"

आंशिक प्रति

राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : नि. सं. शि./संस्था-3/पं. 1 (ख-10) 11/ 90-91/12094-205 दिनांक : 19-4-91

आदेश

राजस्थान संस्कृत शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 के पार्ट-4 में सीधी भर्ती हेतु दिये गये प्रावधानों के अधीन विज्ञापन संख्या 1/90 के सन्दर्भ में सम्बन्धित जिला नियोजनों से प्राप्त आवेदन पत्रों की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मानदण्डों के आधार पर निर्मित वरीयता सूची के निम्नलिखित आशार्थियों को वरीयता क्रम से तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर वेतन श्रृंखला 1200-30-1560-40-2000-50-2050 (स्केल नम्बर-9) में उनके समक्ष अंकित वेतन तथा नियमानुसार देय भत्तों पर कार्यारम्भ तिथि से अस्थाई रूप से अन्य आज्ञा जारी होने तक इनमें से जो भी पहले हो नियुक्त किये जाकर इनका पद स्थापन इनके सम्मुख अंकित संस्था में किया जाता है। इन अध्यापकों को ग्रीष्मावकाश शिक्षा सत्र 1990-91 का वेतन देय नहीं होगा तथा ग्रीष्मावकाश की अवधि वेतन वृद्धि में शुमार नहीं होगी, किन्तु ग्रीष्मावकाश के पश्चात् सेवायें निरन्तर रहेगी। ये नियुक्तियां वित्त (व्यय-1) विभाग के आई. डी. संख्या 308 दिनांक 24-1-91 द्वारा प्रदत्त नियुक्तियों में शिथिलन हेतु दी गई सहमति के अनुसरण में की गई है।

आशार्थियों द्वारा यदि दिनांक 25-4-91 तक कार्यारम्भ नहीं करने की स्थिति में ये आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे। नियुक्तियां सम्बन्धित जिला नियोजन कार्यालयों द्वारा भेजी गई सूची व प्रार्थना पत्रों के आधार पर की गई है। अतः इनके वेतन बिल पारित करने के लिये एक्स–3 कार्ड की आवश्यकता नहीं है।

क्र.सं.	वरीयता क्रमांक	नाम आशार्थी मय पता	नियोजन कार्यालय का नाम तथा रजिस्ट्रेशन नं.	वेतन	जन्मतिथि	पदस्थापन संस्था का नाम तथा किसके स्थान पर।
1	2	3	4	5	6	7
		जिला बून्दी				
4–	बीडी –– 6	श्री रघुवरदयाल गौतम पुत्र श्री बृज मोहन गौतम पी. टी. आई., मु. पो. देई (बून्दी)	बून्दी 1971/90	1200/-	10-3-1970	रा.उ.प्रा.सं. वि., कापरेन (बून्दी)
5–	बीडी –– 1 एससी	श्री जयलाल बैरवा पुत्र श्री रामनारायण बैरवा ग्राम देवपुरा, पो., तलवास वाया खटकड़ (बून्दी) (अनु. जाति)	बून्दी 1988/90	1260/-	1-7-1966	रा.प्रा.सं.वि., रघुनाथपुरा पं.स. हिण्डोली (बून्दी)

ह०/–
(कैलाश चतुर्वेदी)
निदेशक, संस्कृत शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट "स"

आंशिक प्रति

राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : नि. सं. शि./संस्था-3/पं. 1 (ख-10) 11/90-91/22464-518 दिनांक : 26 6-91

आदेश

राजस्थान संस्कृत शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 के पार्ट-4 में सीधी भर्ती हेतु दिये गये प्रावधानों के अधीन विज्ञापन संख्या 1/90 के सन्दर्भ में सम्बन्धित जिला नियोजनों से प्राप्त आवेदन पत्रों की स्वीकृत मानदण्डों के आधार पर निर्मित वरीयता सूची के निम्नलिखित आशार्थियों को वरीयता क्रम से तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर वेतन शृंखला (1200-30-1560-40-2000-50-2050 स्केल नम्बर-9) में उनके समक्ष अंकित वेतन तथा नियमानुसार देय भत्तों पर कार्यारम्भ तिथि से अस्थाई रूप से अन्य आज्ञा जारी होने तक इनमें से जो भी पहले हो नियुक्त किये जाकर इनका पद स्थापन इनके सम्मुख अंकित संस्था में किया जाता है इन अध्यापकों को ग्रीष्मावकाश शिक्षा सत्र 1991-92 का वेतन राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 97 के नीचे दिये गये राज्य सरकार के निर्णय संख्या एक के अनुसार 31 दिसम्बर, 1992 तक कार्य करने पर ही देय होगा। ये नियुक्तियां वित्त (व्यय-1) विभाग के आई. डी. संख्या 308 दिनांक 24-1-91 द्वारा प्रदत्त नियुक्तियों में शिथिलन हेतु दी गई सहमति के अनुसरण में की गई है। नियुक्त शिक्षकों को त्याग पत्र देने से पूर्व नियमानुसार एक माह का नोटिस देना आवश्यक है।

आशार्थियों द्वारा दिनांक 7-7-91 तक कार्यारम्भ नहीं करने की स्थिति में ये आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे। नियुक्तियां सम्बन्धित जिला नियोजन कार्यालयों द्वारा भेजी गई सूची व प्रार्थना पत्रों के आधार पर की गई है। अतः इनके वेतन बिल पारित करने के लिये एवस-3 कार्ड की आवश्यकता नहीं है।

क्र.सं.	वरीयता क्रमांक	नाम आशार्थी मय पता	नियोजन कार्यालय का नाम तथा रजि. स्ट्रेशन नं.	वेतन	जन्मतिथि	पदस्थापन संस्था का नाम तथा किसके स्थान पर
1	2	3	4	5	6	7
		जिला बून्दी				
13–	वीयू — 9	श्री कुंजबिहारी शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा ग्राम श्यामसिंहपुरा, पो. प्रतापपुरा, तह. बसवा, जिला-जयपुर।	बून्दी 1292/90	1200/-	15-8-1967	रा.उ.प्रा. सं वि., आजन्दा पं. स. केशोरायपाटन (बून्दी)

ह०/-
(कैलाश चतुर्वेदी)
निदेशक, संस्कृत शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर।

तारांकित प्रश्न संख्या 97

(स्थगित)

तारांकित प्रश्न संख्या 98

(स्थगित)

जयपुर-चित्तौड़गढ़ मार्ग पर राज्य पथ परिवहन निगम की डी-लक्स बसें

99. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर-चित्तौड़गढ़ मार्ग पर पथ परिवहन निगम की कितनी डी-लक्स बसें संचालित हैं ?

(2) क्या ये बसें लाभ में चल रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो गत 6 मास का मासिक औसतन ब्यौरा प्रतिमाह सदन की मेज पर रखें।

(3) इसी रूट पर प्राइवेट बसों के कितने परमिट सरकार द्वारा दिये गये हैं और कितनी चल रही हैं ? क्या बिना परमिट वाली बसों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) जयपुर-चित्तौड़गढ़ मार्ग पर निगम द्वारा दो सुविधा वाहनें संचालित की जा रही हैं।

इनके अतिरिक्त चित्तौड़ होकर डूंगरपुर, उदयपुर एवं बांसवाड़ा के लिये तीन सुविधा वाहनें रात्री में संचालित हैं जिनमें चित्तौड़ के यात्री के लिये जाते हैं।

(2) जी नहीं। जयपुर से चित्तौड़ के लिये रात्री में 8.30 एवं 10.00 बजे अनाधिकृत वीडियो कोच संचालित हो रहे हैं जो 50.00 रुपये प्रति यात्री किराये पर संचालित है जबकि निगम का निर्धारित किराया 69.00 रुपये प्रति यात्री है। परिणामस्वरूप इन सेवाओं को पूरा यात्री भार उपलब्ध नहीं हो पाता है।

यही स्थिति डूंगरपुर, उदयपुर एवं बांसवाड़ा वाली सुविधा वाहनों की है।

(3) इस रूट पर प्राइवेट बसों को कोई परमिट नहीं दिये गये हैं। बिना परमिट वाली बसों अथवा परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने वाली वाहनों के खिलाफ समय-समय पर चैकिंग कर चालान बनाकर कार्यवाही की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों का सचिवों में विभाजन

100. **श्री हजारी लाल** (खेतड़ी),

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) एवं

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्य को 6 सचिवों में विभाजित किया हुआ है ?

(2) क्या इस व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी भी बंट गई है

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

और इस कारण किसी भी सचिव को ग्रामीण विकास के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता ? यदि हां, तो सरकार इस व्यवस्था में क्या परिवर्तन करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

पाली जिले की अरवाड़ा खान में दुर्घटना

101. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पाली जिले में दिनांक 16-4-1991 को सोजत 'लाइम कम्पनी की अरवाड़ा की खान में हुई दुर्घटना में तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई व अनेक घायल हुए थे एवं उक्त घटना के समाचार अखबारों में भी प्रकाशित हुए ?

(2) क्या उक्त घटना की सूचना पट्टाधारी ने संविदा की शर्त के अनुसार सहायक खनि. अभियन्ता, सोजत को दी ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या उक्त घटना का सहायक खनिज अभियन्ता सोजत ने मौके का निरीक्षण किया ? क्या खान बैंच बनाकर चल रही है ?

(4) क्या इतनी बड़ी घटना से सहायक खनिज अभियन्ता अनभिज्ञ हैं ? यदि हां, तो कैसे ?

(5) अगर पट्टाधारी ने विभाग को इसकी सूचना नहीं दी तो क्या सरकार पुलिस थाना सोजत से उक्त दुर्घटना बाबत दर्ज रिपोर्ट की जानकारी प्राप्त कर पट्टाधारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, उक्त दुर्घटना में पांच व्यक्ति घायल हुए जिनमें से तीन की मृत्यु हो गई । घटना के अखबार में प्रकाशन की जानकारी नहीं है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी हां, दिनांक 19/4/91 को सहायक खनि अभियन्ता, सोजत के द्वारा उक्त खान के मौका निरीक्षण किया गया । खान में नियमित सिस्टेमेटिक बेंचेज बनाकर काम नहीं किया जा रहा था ।

(4) जी नहीं, दुर्घटना 16/4/91 को हुई थी और सहायक खनि अभियन्ता द्वारा मौके का निरीक्षण 19/4/91 को किया गया था ।

(5) खान में घटित दुर्घटना के सम्बन्ध में आवश्यक कानूनी कार्यवाही खान सुरक्षा विभाग (भारत-सरकार) के माध्यम से की जाती है । विभाग को दुर्घटना की सूचना पार्टी द्वारा न देने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा पार्टी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

फागी तहसील में मुन्सिफ कोर्ट की मांग

102. श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा (फागी) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार फागी तहसील में मुन्सिफ कोर्ट खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार सांभरलेक में ए. डी. जे. कोर्ट खोलने जा रही है जबकि 60 प्रतिशत मुकदमे फागी तहसील के हैं, जो जयपुर के समीप पड़ती है ?

(3) क्या सरकार फागी तहसील के सभी मुकदमे जयपुर सैशन कोर्ट में रखने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। धनाभाव के कारण फागी में मुन्सिफ कोर्ट खोलना अभी सम्भव नहीं हैं।

(2) सांभरलेक में ए. डी. जे. कोर्ट खोला जाना विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय होना शेष है इसमें 60 प्रतिशत मुकदमे फागी के नहीं हैं।

(3) वर्तमान में जिला एवं सैशन न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार के सभी मामले जिला एवं सैशन न्यायाधीश जयपुर जिला के न्यायालय में ही प्रस्तुत होते हैं। अपर सैशन न्यायाधीश का यदि सांभरलेक में न्यायालय खोला गया तो उस स्थिति में फागी तहसील के सभी मामले सांभरलेक न्यायालय में जायेंगे।

पंचायत समिति सुल्तानपुर (कोटा) में मीठे पानी की कमी

103 श्री बृजराज मीणा (दीगोद) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर के गांव पोलाई खुर्द, कचनावदा, दिवानियां में मीठा पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं है ?

(2) क्या सरकार इन गांवों में मीठा पानी उपलब्ध करवाने की कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम दीवानियां में स्थित हैण्ड-पम्प का पानी मापदण्डों के अनुसार पीने योग्य है। ग्राम पोलाई खुर्द में कुल घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक है तथा ग्राम कचनावदा में स्थित हैण्ड-पम्पों का पानी मापदण्डों के अनुसार पीने योग्य नहीं है।

(2) दो ग्रामों की योजनाओं का पुनर्गठन आवश्यक है जो धन उपलब्धता के अनुसार सम्भव हो सकेगा।

उदयपुर की सौन्दर्यीकरण योजना

104. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर के सौन्दर्यीकरण हेतु फतहसागर के आस-पास विद्युत व्यवस्था करने, ऐतिहासिक परकोटे व दरवाजों को ठीक करने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है और कब तक क्रियान्वित होगी ?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर में फतहसागर में "तैरता-रेस्टोरेण्ट" के निर्माण के लिए कोई योजना सरकार ने मंजूर की है ? यदि हां, तो यह "तैरता-रेस्टोरेण्ट" कितनी अवधि में पूर्ण हो जायेगा ? इसकी अनुमानित लागत क्या होगी ?

(3) क्या राज्य सरकार के सामने मेवाड़ कॉम्पलेक्स योजना के तहत चावण्ड, गोगूण्दा, हल्दी घाटी, उदयपुर के विकास की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस योजना की क्रियान्विति और उसकी लागत का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उदयपुर में "रोप-वे" का निर्माण कार्य गत तीन वर्षों से विचाराधीन है ? यदि हां, तो "रोप-वे" कब तक बन जायेगा और इस पर कुल कितना रुपया खर्च होगा ?

उत्तर

(1) जी हां। वार्षिक योजना 1990-91 में फतहसागर क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था करने एवं उदयपुर शहर के दरवाजों को ठीक करने एवं रंग-रोगन हेतु क्रमशः 5.35 लाख एवं रु. 2.40 लाख रु. की राशि स्वीकृत की है। उपरोक्त कार्यों हेतु टेण्डर आमंत्रित कर लिये गये हैं एवं शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

(2) भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा तैरता रेस्टोरेन्ट हेतु 18.03 लाख रुपयों की स्वीकृति दी है, इसके निर्माण का कार्य भारतीय पर्यटन विकास निगम के द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है तथा इसी वित्तीय वर्ष में यह कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है।

(3) जी हां। मेवाड़ कॉम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत विकास कार्यों हेतु राज्य सरकार ने निम्न प्रकार स्वीकृति प्रदान की है :—

1. चावण्ड में विकास 7.00 लाख रु.
2. गोगुन्दा 5.38 लाख रु.
3. रक्त तलाई 4.65 लाख रु.

उपरोक्त में से गोगुन्दा में भूमि अवाप्त की जा चुकी है तथा चावण्ड में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही हेतु सैक्शन 4 का नोटिस जारी किया जा चुका है। गोगुन्दा एवं चावण्ड के कार्यों हेतु टेण्डर प्राप्त कर लिये गये हैं।

(4) रोप-वे लगाने हेतु स्थल निरीक्षण कर इसका चयन किया जाना शेष है। रोप-वे की लागत एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी पर निर्भर करेगी।

भवानी मण्डी में नशीले पदार्थों का सेवन

105. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

(1) क्या यह सही है कि भवानी मण्डी कस्बे में नशीली वस्तु जैसे स्मैक का बहुत चलन हो रहा है जिससे नौजवानों का भविष्य बिगड़ रहा है? इसकी रोकथाम के लिये राज्य सरकार ने कब-कब, क्या क्या प्रयास किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में गत दो वर्षों में कौन-कौन व्यक्ति नशीली वस्तुओं के अपराध में पकड़े गये? उनके पास से कितनी नशीली वस्तु बरामद हुई? इस अपराध को रोकने के लिये राज्य सरकार क्या कड़ी कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां, जब-जब भी विभाग की जानकारी में नशीली वस्तुओं के अवैध विक्रय की शिकायतें प्राप्त होती हैं, विभाग द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जाती है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) राज्य में गत दो वर्षों की अवधि में विभाग द्वारा दी नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइक्रोटोपिक सब्सटेन्ट एक्ट के तहत अब तक स्मैक, हैरोइन, अफीम से सम्बन्धित पंजीकृत किये गये अभियोगों की सूची परिशिष्ट "स" संलग्न है। नशीली वस्तु के अपराध की रोकथाम के लिये एन. डी. पी.एस. एक्ट 1985 एक कठोर कानून है।

(क) आबकारी विभाग के निरोधक दस्ते प्रत्येक संभाग के प्रायः हर ऐसे स्थान पर तैनात हैं जहां उक्त नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की संभावनायें अधिक हैं। उस क्षेत्र के प्रायः हर प्रमुख नगर में आबकारी निरीक्षक भी नियुक्त हैं।

(ख) पुलिस विभाग द्वारा भी मादक पदार्थों की अवैध बिक्री रोकने हेतु कार्यवाही की जाती है।

(ग) केन्द्रीय सरकार का नारकोटिक्स विभाग भी मादक पदार्थों की अवैध बिक्री रोकने हेतु कार्यवाही करता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

अलवर जिले के उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालयों के भवनों की मरम्मत

106. श्री जीतमल जैन (अलवर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले के किन-किन उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालयों के भवनों की वर्ष 1990-91 में मरम्मत करवाई गई एवं उन पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? क्या यह व्यय इन सम्बन्ध में सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात किया गया?

(2) क्या यह सही है कि कुछ विद्यालय भवनों की मरम्मत, सफेदी, रंग-रोगन हेतु सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत बिलों के आधार पर राज्य कोष से एफ. वी. सी. बिल द्वारा राशि आहरित करने के पश्चात

(श्री जीतमल जैन)

भी उन्हें भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या ग्राहरित राशि वापिस कोष में जमा करा दी गई है ? यदि हां, तो कब ?

(4) उपरोक्त अनियमितताओं के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990-91 में अलवर जिले के निम्न 8 बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत करवाई गई थी और प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय की भवन मरम्मत पर 1500/- रुपये की राशि व्यय की गई थी—

1.	रा.बा.उ.प्रा.वि., आनन्द नगर, खैरथल		1500/-
2.	,,	खैरथल ग्राम	1500/-
3.	,,	बहरोड़ नं. 1	1500/-
4.	,,	बहरोड़ नं. 2	1500/-
5.	,,	काजीवाड़ा तिजारा	1500/-
6.	,,	राजगढ़ नं. 2	1500/-
7.	,,	लालियागेट, अलवर	1500/-
8.	,,	नयाबास अलवर	1500/-

जी हां। औपचारिकतायें पूरी की गई थी।

(2) जी हां। अभी तीन विद्यालयों के मरम्मत कार्य का भुगतान नहीं किया गया है। बहरोड के दो विद्यालयों की प्रधानाध्यापिकाओं को भुगतान प्राप्त करने व शीघ्र भुगतान व्यवस्था करने के निर्देश दिये जा चुके हैं। अलवर के एक विद्यालय का भुगतान इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि उसके कार्य का सम्पादन जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रमाणित नहीं किया है।

(3) जी नहीं। एक विद्यालय की राशि रु. 1500/- का ड्राफ्ट वापिस कोष में जमा कराने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) बैंक ड्राफ्ट प्राप्त नहीं करने एवं ठेकेदार को राशि भुगतान नहीं के बारे में सम्बन्धित अधिकारियों के स्पष्टीकरण प्राप्त कर दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई शीघ्र की जावेगी।

पंचायत समिति लालसोट में जीवन धारा योजना के अन्तर्गत कुओं का निर्माण

107. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, लालसोट में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को जनवरी, 1991 में जीवन धारा के अन्तर्गत कुओं के निर्माण हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा कितने कुओं की स्वीकृति

(श्री परसादी लाल मीणा)

अभिकरण द्वारा जारी की गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि शिकायत किये जाने पर ग्राम पंचायत सवांसा तथा चौडियावास में गलत स्वीकृत कुओं की स्वीकृति को निरस्त किया गया था ? यदि हां, तो निरस्त किये गये कुओं की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) जिन कुओं की स्वीकृति गलत की गयी उसके लिए कौन जिम्मेवार हैं ?

(4) जिम्मेवार अधिकारी तथा कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जनवरी, 1991 में जीवन-धारा के अन्तर्गत 169 कूपों के निर्माण के आवेदन-पत्र पंचायत समिति लालसोट को प्राप्त हुए थे। इसमें से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा 89 कूपों की स्वीकृति माह जनवरी, 1991 में जारी की गई थी। स्वीकृत कूपों की सूची परिशिष्ट "ए" पर संलग्न हैं।

(2) जी हां, पंचायत समिति लालसोट में ग्राम पंचायत सवांसा के 5 एवं ग्राम पंचायत चौड़ियावास के 4 इस प्रकार कुल 9 जीवन-धारा कूप निरस्त किये गये थे। निरस्त कूपों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) उसके लिये सम्बन्धित पटवारी संवासा एवं चौड़ियावास जिम्मेदार है।

(4) उक्त पटवारियों के विरुद्ध आरोप पत्र (चार्ज शीट) तैयार करने हेतु तहसीलदार लालसोट को निर्देशित कर दिया गया है।

स्वीकृत जीवनधारा कूपों की सूची, माह जनवरी, 91

क्र.सं.	नाम लाभार्थी/वल्दियत	जाति	ग्राम	ग्राम पंचायत	खसरा नं.
1	2	3	4	5	6
1.	जगदीश/जयराम	मीणा	बडेखन	बिलोना कलां	156
2.	भौरिया/महादेव पुत्र हटीला, कन्हैया पुत्र मूलचन्द, ग्यारसा/शारदा	,,	लाखनपुर	चौडियावास	1/2
3.	जयकिशन, कजोड/काल्या	,,	राड़पुरा खुर्द	लालपुरा	23
4.	सन्ता, गैन्दा, ओंकार, परता/भगवन्ता	बैरवा	खानपुर	खेड़ला खुर्द	176
5.	जयनारायण/छीतर	रैगर	सवांसा	सवांसा	163
6.	रामजीलाल/भूतया	धोबी	सुन्दरपुरा	कांकरिया	39
7.	फूला/मंगला	मीणा	अजबपुरा	संवासा	46
8.	पून्या/भौरया	,,	लाखनपुर	चौडियावास	236
9.	छुट्टन/रामचन्द्र	,,	दीवानचली कलां	खेड़ला खुर्द	165

1	2	3	4	5	6
10.	रामकिशन/कजोड़	मीणा	दीवानचली कलां	खेड़ला खुर्द	
11.	रामचन्द्र/रामनाथ	,,	दौलतपुरा	दौलतपुरा	9
12.	हीरा, शंकर/ठुंडा	,,	घूणीधिराजपुरा	संवासा	485/1
13.	कालू/किशन	,,	दीवानचली कलां	खेड़ला खुर्द	88
14.	भौरिया/बिरदा	कोली	सुन्दरपुरा	कांकरिया	120
15.	घासी/छोटू, रेवड़/ओंकार, सीताराम/गोपी	रैगर	डीडवाना	डीडवाना	711
16.	सोन्या/रामनारायण	मीणा	लालपुरा	चांदसेन	9
17.	प्रहलाद/श्योकरण/गेंदा	,,	रूग्नाथपुरा	देवली	6/1
18.	पून्या/हरल्या	,,	लालपुरा	तानसेन	17
19.	रंगा, पून्या/पांवारा	,,	,,	,,	133
20.	जोहरिया, मूल्या/श्रीनारायण	धोबी	सुन्दरपुरा	कांकरिया	139
21.	हीरालाल/धन्ना	बैरवा	थलोज	चांदसेन	200
22.	सुखली पुत्री गौरी लाल	,,	सवासा	सांवासा	261
23.	छीतर/घीसा	मीणा	सांवासा	सांवासा	494
24.	रतन लाल/श्योकरण मीणा	,,	रूग्नाथपुरा	देवली	6/1

1	2	3	4	5	6
25.	महादेव/घीस्या	मीणा	जयसिहपुरा	दौलतपुरा	51
26.	रामगोपाल;-रामजीलाल/रामचन्द्र	बैरवा	बाड़नोंदपुरा	संवासा	515
27.	भौंरीलाल/रामजीलाल	मीणा	धूणीधिराजपुरा	संवासा	422
28.	नानगा, गुलाब/भौगोता	मीणा	संवासा	संवासा	608
29.	भरतपाल/ग्यारसीलाल	मीणा	निरझरना	निरझरना	222
30.	नानगराम/कालू	मीणा	देवली	देवली	181
31.	हजारी/धन्ना	मीणा	अजबपुरा	संवासा	103
32.	रामफूल;-श्रवण/ग्यारसा	मीणा	संवासा	संवासा	587
33.	कृष्णा/रामचन्द्र	मीणा	अजबपुरा	संवासा	211
34.	सांवल्या/श्रीचन्द	मीणा	दीवांलचीकलां	खेड़ला खुर्द	180
35.	ईश्वर/नन्दा	मीणा	बड़कापाड़ा	चौडियावास	882/2
36.	काना/बदरी	मीणा	चौडियावास	चौडियावास	980
37.	ग्यारसा, जन्सी/पांचू	बैरावा	लालपुरा	चांदसेन	206
38.	किशन/रामसहाय	मीणा	बरेड़ी	श्रीमा	173
39.	केशर वेवा/जयराम	मीणा	बरेड़ी	श्रीमा	265/155
40.	रामनिवास/रामनारायण	मीणा	मामूवास	लालपुरा	113

327

1	2	3	4	5	6
41.	कैलाश, रतीराम/गोविन्दा	मीणा	लाखनपुर	चौडियावास	233
42.	रामधन/गोविन्दा	मीणा	निरझरना	निरझरना	39
43.	फैली/लोहड्या	मीणा	उगरियावास	चौडियावास	208
44.	सुवा/हरबक्स	बैरवा	उगरियावास	चौडियावास	105
45.	रामसहाय, रामनिवास/सुखपाल	मीणा	भोलाई	राहुवास	43/127
46.	रामसहाय/जेन्या	मीणा	बिलोंना खुर्द	माहरिया	99
47.	रतना/गोविन्दा	कोली	बरेड़ी	भीमां	216
48.	रेवड़/अर्जुन	मीणा	बिलोना खुर्द	महरिया	128
49.	राजाराम/सुखदेवा	मीणा	अजबपुरा	संवासा	5
50.	राधेश्याम/रामचन्द्र	मीणा	धूणीबिराजपुरा	संवासा	243/3
51.	बगना/गंगल्या	मीणा	दौलतपुरा	दौलतपुरा	379
52.	हजारी/धन्ना	मीणा	गोकुल्यापुरा	झांपदा	49
53.	गोपाल/रामनारायण	मीणा	अजबपुरा	संवासा	115
54.	पून्या, हजारी/सुरजी	बैरवा	बिलोना खुर्द	महरिया	76/18

1	2	3	4	5	6
55.	रामफूल्या/चौथया	मीणा	लाखनपुरा	चौडियावास	864
56.	संखन/छोटया	बैरवा	गोपालपुरा	झांपदा	13/2
57.	श्रौंकार/नारायण/भागीरथ	मीणा	लाखनपुरा	चौडियावास	297
58.	मेवा हरिनारायण/सोन्य	चमार	श्रीरामपुरा	देवली	149
59.	बिशन्या/मंगला	मीणा	तलाब गांव	तलाब गांव	22/2
60.	सुखचन्दा/नानगा	बैरवा	देवली	देवली	629/12
61.	हजारी/गोपी	बैरवा	श्रीरामपुरा	देवली	85
62.	कंवरपाल/हरजी	मीणा	श्रीरामपुरा	देवली	216/23
63.	मोगी/काना	मीणा	बिलोना कलां	बिलोना कलां	433
64.	कज्जू/रामपाल	मीणा	नयाबास	राहुवास	85
65.	गैन्दा/रामनारायण	मीणा	बड़ेखन	बिलोना कलां	169
66.	धन्ना/श्योबक्श	बैरवा	श्रीरामपुरा	देवली	48
67.	श्रीफूल/हरचन्दा	मीणा	सुरजपुरा	सुरजपुरा	181
68.	कृष्णगोपाल/रामफूल	मीणा	बड़ेखन	बिलोना कलां	166

1	2	3	4	5	6
69.	रामजीलाल/रूघनाथ	मीणा	मिर्जापुरा	मिर्जापुरा	90
70.	संतलाल/रामसिंह	मीणा	प्रहलादपुरा	मिर्जापुरा	267
71.	रामेश्वर, मीठालाल/धन्ना लाल	रैगर	देवली	देवली	257
72.	किशनलाल/मांगीलाल	बैरवा	बड़ेली	श्रीमां	226
73.	केसरा, बजरंगा/भगवान्या	चमार	मूडिया	श्रीमां	122
74.	हीरा/गोविन्दा	मीणा	लालपुरा	चांदसेन	110
75.	ग्यारसा/जगन्नाथ	मीणा	चौडियावास	चौडियावास	109
76.	रणजीता/सालगा	मीणा	खटवा	खटवा	342/662
77.	कन्हैया/दीपा	बैरवा	खटवा	खटवा	214
78.	बाबूलाल/मूलचन्द	मीणा	सिंगपुरा	कालुवास	93
79.	सुरेश, कैलाश/भारमल	मीणा	संबासा	संवासा	499
80.	मूल्या/हीरा	चमार	मिर्जापुरा	मिर्जापुरा	12
81.	कन्हैया, गिरधारी/नारायण	मीणा	भजबपुरा	संवासा	65
82.	कजौड़/गोदया	चमार	सूरतपुरा	सूरतपुरा	60

1	2	3	4	5	6
83.	कजौड़/मौरिया	चमार	किराड़ी	मिर्जापुरा	181/52
84.	श्योराम/रंगलाल	मीणा	खेड़ली	मिर्जापुरा	21
85.	भौरिया/छोटू	चमार	खेड़ली	मिर्जापुरा	72
86.	रामचन्द्र, हरिराम/कल्याण	मीणा	सूरतपुरा	सूरतपुरा	162
87.	मूल्या/शंकर	हरिजन	बरेड़ी	श्रीमा	255/232
88.	काना/काना	रैगर	धौलतपुरा	धौलतपुरा	39/5
89.	सीताराम/फूलचन्द	मीणा	फिर्जापुरा	मिर्जापुरा	169

परिशिष्ट–ब

संवासा/चौडियावास के निरस्त कूपों की सूची

क्र.सं.	नाम लाभार्थी/वल्दियत	जाति	ग्राम	ग्राम पंचायत
1.	श्री जयनारायण/छीतर	रेगर	संवासा	संवासा
2.	,, जौहरिया, मूल्या पुत्र श्रीनारायण	रेगर	मीनासवासां	संवासा
3.	,, सुरेश, कैलाश/भारमल	मीणा	संवासा	संवासा
4.	,, फूल्या/मूंगल्या	मीणा	अजबपुरा	संवासा
5.	,, गोपाल/रामनारायण	मीणा	अजबपुरा	संवासा
6.	,, कैलाश/रतिराम	मीणा	लाखनपुर	चौडियावास
7.	,, रामफूल/चौथया	मीणा	लाखनपुर	चौडियावास
8.	,, ओमकार, नारायण भागीरथ/भगवान	मीणा	,,	,,
9.	,, ग्यारसा/जगन्नाथ	मीणा	चौडियावास	चौडियावास

किशनगढ़ की गोदियाना व टीकवाड़ा कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा सड़क निर्माण कार्य

108. श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र किशनगढ़ में गोदियाना, टीकवाड़ा कृषि उपज मण्डी समिति के द्वारा डामर की सड़क बनाई गई है ? यदि हां, तो कौन से वर्ष में ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सड़क का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त है और आवागमन में कठिनाई होती हैं ? यदि हां, तो कब से क्षतिग्रस्त है ? क्या सरकार क्षतिग्रस्त हिस्से को सुधरवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) निर्वाचन क्षेत्र किशनगढ़ में वर्ष 1985 से लेकर वर्ष 1991 तक कृषि उपज मंडी समिति द्वारा नई अथवा पुरानी कितनी सड़कों का निर्माण किया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1982–83 में डामर की सड़क गोदियाना से कीकवाड़ा का निर्माण कराया गया था।

(2) जी हां। जुलाई, 1983 से क्षतिग्रस्त है। कृषि उपज मण्डी समिति, किशनगढ़-मदनगंज की आर्थिक स्थिति ठीक होने पर ही क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करायी जा सकेगी। मण्डी से प्रस्ताव प्राप्त होते ही इस पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

(3) निर्वाचन क्षेत्र किशनगढ़ में वर्ष 1985 से लेकर वर्ष 1991 तक कृषि उपज मण्डी समिति की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण किसी भी नई या पुरानी सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है।

सालासर कातर जिला चूरू मार्ग पर बसों का परमिट

109. श्री भंवरलाल शर्मा (सुजानगढ़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सालासर कातर, जिला चूरू मार्ग पर कितनी बसों को परमिट जारी किये हुये हैं ?

(2) क्या यह सभी बसें निर्धारित मार्ग के सभी गांवों में आती जाती हैं ?

(3) क्या इन बसों को कभी जिला यातायात अधिकारी, चूरू द्वारा धारा 60 के तहत नोटिस जारी किये गये ?

(4) क्या इस मार्ग के गांव उंटालड़, आसरासर, खड़ू छोटी, खड़ू बड़ी, अमरसर, कातर में यह बसें नहीं जाने की शिकायतें विभाग को मिली हैं ? यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या सरकार इन बसों को निर्धारित मार्ग के गांवों में से चलाने की कार्यवाही

(श्री भंवरलाल शर्मा)

करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि निर्धारित मार्ग पर बसें नहीं चलाये जाने पर अनुज्ञा-पत्र निरस्त करने का प्रावधान है? यदि हां, तो उक्त मार्ग की बसें नहीं चलाई जाने पर क्या इनका अनुज्ञा-पत्र निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर

(1) इस मार्ग पर तीन बसों को परमिट जारी किये हुए हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जिला परिवहन अधिकारी, चूरू नोटिस जारी करने हेतु सक्षम नहीं है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नोटिस देने हेतु सक्षम हैं, जिनके द्वारा नोटिस जारी कर दिये हैं।

(4) जी हां। शिकायतों की जांच करने पर यह पाया गया कि ग्राम उंटालड़, ग्रासरासर तथा खड़ू-छोटी परमिट में सम्मिलित नहीं हैं, खड़ू-बड़ी गांव के लिये सवारियां न मिलने के कारण इस गांव में बसें नहीं जा रही हैं। शेष गांवों का रास्ता मोटरेबल नहीं होने के कारण उनमें बसें नहीं जा रही हैं तथापि निर्धारित मार्ग के पूरे भाग पर बसें न चलने के कारण मार्ग के वाहन स्वामियों को मोटर-वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

(5) जी हां। मार्ग के वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर दिये गये हैं, जिनकी सुनवायी कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(6) जी हां, जारी नोटिसों की सुनवाई करने के पश्चात् ही नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कर्मचारियों व अधिकारियों के स्थानान्तरण

110. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माह जुलाई-अगस्त, 1991 में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग में कुल कितने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त स्थानान्तरण किन कारणों से किये गये?

(3) किये गये स्थानान्तरणों में से कितने निरस्त किये गये?

(4) उक्त स्थानान्तरणों के कारण विभाग को यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्तों के रूप में कितनी धनराशि का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा?

उत्तर

(1) माह जुलाई एवं अगस्त, 1991 में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग में 2706 कर्मचारियों एवं 35 अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त स्थानांतरण कर्मचारियों/अधिकारियों की स्वयं की प्रार्थना तथा प्रशासनिक कारणों से किये गये हैं।

(3) किये गये स्थानान्तरणों में से 51 निरस्त किये गये।

(4) इन स्थानान्तरणों के कारण यात्रा-भत्ता आदि पर कुल राशि कितनी व्यय हुई है यह बताना सम्भव नहीं है क्योंकि अभी तक समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों ने यात्रा-भत्ता नहीं उठाया है।

जुलाई एवं अगस्त, 91 में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा स्थानान्तरण किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	नाम व पद	स्थानान्तरण किये	स्थानान्तरण निरस्त किये
1.	विकास अधिकारी	34	3
2.	सहायक अभियन्ता	1	—
3.	कनिष्ठ अभियन्ता	34	2
4.	पशुपालन प्रसार अधिकारी	3	—
5.	वाहन चालक	10	—
6.	पशु धन सहायक	2	—
7.	कनिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ लिपिक	99	5
8.	प्रगति प्रसार अधिकारी	20	2
9.	खादी ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी	29	—
10.	सहकारिता प्रसार अधिकारी	5	1
11.	कृषि प्रसार अधिकारी	10	3
12.	पंचायत प्रसार अधिकारी	16	—
13.	ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव	198	26
14.	अध्यापक	2206	8
15.	शिक्षा प्रसार अधिकारी	24	1
	कुल योग :	2741	51

ग्राम नरेट (थानागाजी) में पेयजल का अभाव

111. श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि थानागाजी क्षेत्र के नरेट ग्राम में पिछले दो वर्ष से जलदाय स्कीम के अन्तर्गत न तो अभी तक कुएं में बोरिंग कराया गया है और ना ही उच्च जलाशय का निर्माण किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि पेयजल के अभाव में गांव के पूरी अनुसूचित जाति के लोग पीने के पानी के घोर संकट से गुजर रहे हैं ? यदि हां, तो विभाग ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखता है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । ग्राम में स्थित विभागीय कुएं में बोरिंग किया जा चुका है । उच्च जलाशय के निर्माण की योजना प्रस्तावित नहीं है ।

(2) वर्तमान में लगभग 20 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की मात्रा केवल बोरिंग द्वारा वितरित हो रही है । इसके अतिरिक्त एक हैण्डपम्प द्वारा भी पानी उपलब्ध है । पुनर्गठित योजना बनाई जा रही है जिसमें–भू-तल जलाशय का प्रावधान सम्मिलित किया जा रहा है ।

कुपियावास (जोबनेर) में आबकारी निरीक्षक द्वारा बनाया गया प्रकरण

112. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 1-7-1991 की रात ढाणी कुपियावास थाना जोबनेर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आक्रमण किया गया जिसकी एफ. आई. आर. दिनांक 2-7-1991 को थाना जोबनेर में दर्ज करवाई गई ?

(2) यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकरण में दोषी व्यक्तियों को बचाने के लिए जयपुर शहर स्थित आबकारी निरिक्षक द्वारा फर्जी केस बनाया गया ? क्या संबंधित आबकारी निरीक्षक उस वक्त फुलेरा में तैनात थे ?

(4) क्या सरकार इस प्रकरण में दोषी आबकारी निरीक्षक के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित कर रही है ? यदि नहीं, तो क्या आबकारी अभियोग प्रमाणित हो चुका है ?

उत्तर

(1) आरक्षी केन्द्र जोबनेर में अपराध संख्या 56/91 धारा 147, 325, 379 आई. पी. सी. अन्तर्गत दिनांक 2-7-1991 को अभियोग पंजिकृत हुआ है । पुलिस अनुसंधान होने के कारण आबकारी विभाग को कोई हस्तक्षेप नहीं है ।

(आबकारी मंत्री)

(2) उपरोक्त वर्णित एफ. आई. आर. संख्या 56/91 में तफतीश के पश्चात् झूठा मुकदमा दर्ज करना पाया गया अतः पुलिस द्वारा अन्तिम प्रतिवेदन (एफ आर) अदमबकुआ नाकाबिल दस्तनदाजी दी गई है। चूंकि पुलिस में अभियोग झूठा दर्ज करवाने के कारण एफ. आर. दे दी गई है अतः कोई दोषी नहीं पाया गया। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है।

(3) असामाजिक तत्वों को बचाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा कोई अभियोग दर्ज नहीं किया गया। आबकारी निरीक्षक द्वारा पंजीबद्ध किये गये अभियोग के समस्त दस्तावेज (अठारह) थाना अधिकारी को 20-7-91 को उपलब्ध करा दिये गये। एक व्यक्ति को लिखित रिपोर्ट पर 2-7-91 को आबकारी निरीक्षक वृत जयपुर दक्षिण द्वारा मारूति वेन नं. डी. एन. बी 2545 से ग्यारह कट्टों में 216 सादा एवं 48 गुलाब शराब बरामद कर रिपोर्ट में दिये गये वाहनचालक के नाम अभियोग संख्या 26 दिनांक 2-7-91 अन्तर्गत धारा 19 व 54 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। वाहन चालक की तलाश जारी है।

(4) जी नहीं। वर्तमान में इस प्रकरण में कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। आबकारी अभियोग का पृथम दृष्टया प्रमाणित हो जाने से अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात् न्यायालय में चालान पेश किया जावेगा।

छबड़ा के उच्च प्राथमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

113. श्री नन्द किशोर शर्मा (छबड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में मिडिल स्कूल व हाई स्कूलों में अध्यापकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो उन रिक्त पदों को कब तक भरने का सरकार का विचार है?

उत्तर

जी हां। उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कुछ पद रिक्त हैं। ये पद यथाशीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

खेरवाड़ा व पहाड़ा पुलिस थानों में जीप की मांग

114. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना खैरवाड़ा व पुलिस थाना पहाड़ा राजस्थान-गुजरात राज्य की सीमा पर है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त थाने सीमा पर होने से, आए दिन कई ऐसी वारदातें होती रहती हैं, जिससे पुलिस को दौड़ भाग करनी पड़ती है और उसके लिए वाहन की आवश्यकता पड़ती है? यदि हां, तो उक्त दोनों थानों की जीपें देने की व्यवस्था राज्य सरकार कब तक कर देगी?

उत्तर

(1) पुलिस थाना खैरवाड़ा राजस्थान-गुजरात की सीमा पर नहीं है केवल पहाड़ा ही राजस्थान-गुजरात की सीमा पर स्थित है। खैरवाड़ा थाना से गुजरात की सीमा दूरी पर है।

(2) जी हाँ, पुलिस थाना पहाड़ा को प्राथमिकता के आधार पर वर्ष 1992-93 में वाहन उपलब्ध कराने की योजना है। पुलिस थाना खैरवाड़ा को वर्ष 1987 से वाहन उपलब्ध कराया जा चुका है।

कीटनाशक दवाओं के लिए अनुदान राशि

115. श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि फसलों पर कीटनाशक दवाओं हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है ? यदि हां, तो श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में इस वर्ष रबी की फसल व अब सावनी फसलों पर कितनी बुआई पर कुल कितनी अनुदान राशि स्वीकृत की गई ? प्रत्येक फसल की बुआई कितने क्षेत्रों में थी और उस पर कितने क्षेत्रों पर अनुदान राशि दी गई ?

(2) अनुदान राशि को बांटने का आधार क्या है ? कितने प्रतिशत काश्तकार को यह अनुदान उपलब्ध कराया गया ? सीमांत व लघु किसान को अनुदान देने का आधार किस प्रकार तैयार किया गया ? क्या ग्राम सेवक की रिपोर्ट ही इसका आधार है अथवा रेवेन्यू रिकार्ड के प्रमाण-पत्र की भी आवश्यकता होती है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि सीमांत एवं लघु कृषकों तक नहीं पहुंच पाती है ? यदि हां तो सरकार इस संबंध में क्या कारगर कदम उठाने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार सीमान्त एवं लघु कृषकों को कीटनाशक दवाएं समय पर सस्ती, शुद्ध सुलभ कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हाँ, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ में रबी 90-91 क्रमश: 2,69,500 है. व 5,24,200 है. तथा खारीफ. 91 में 1,21,500 व 1,42,800 है. क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बुवाई हुई। दोनों जिलों में रबी में 73.61 लाख व खारीफ में 21.60 लाख रु. अनुदान राशि स्वीकृत की गई। फसलवार बुवाई क्षेत्रफल एवं अनुदान राशि का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) सम्बन्धित केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक फसल हेतु लघु, सीमान्त, अनु.जाति एवं जनजाति एवं सामान्य कृषकों की निर्धारित प्राथमिकता अनुसार अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है। जोत क्षेत्रफल व जिन्सो के बारे में कृषि पर्यवेक्षक की रिपोर्ट ली जाती है।

(3) जी नहीं।

(4) कीटनाशक दवाइयों पर कानूनी मूल्य नियंत्रण नहीं है। सहकारी संस्थाओं द्वारा सभी वर्ग के किसानों को समय पर अच्छी गुणवत्ता की कीटनाशक दवाई उचित मूल्य पर उपलब्ध कराती है।

श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ जिले में रबी 90-91 व खरीफ, 91 में विभिन्न फसलों की बुवाई क्षेत्र एवं स्वीकृत अनुदान राशि तथा उपयोग की गई राशि का विवरण

	विवरण	बुवाई का क्षेत्रफल है.	स्वीकृत अनुदान राशि		उपयोग की गई अनुदान राशि		वि. वि.
			क्षेत्रफल (है.)	राशि लाख रु.	क्षेत्रफल (है)	राशि लाख रु.	
श्रीगंगानगर	(क) रबी 90-91						
	फसल का नाम						
	1. गेहूं	90500	6656	6.41	5078	6.31	
	2. चना	91000	25000	18.45	22390	16.25	
	3. सरसों	88000	13750	13.75	22419	12.71	
		269500	45406	38.61	49887	35.27	
	(ख) खरीफ-91						
	1. दलहनीय फसलें	1800	400	0.30	—	—	
	2. कपास	119700	10000	10.30	6763	5.96	
		121500	10400	10.60	6763	5.96	

		1	2	3	4	5
हनुमानगढ	(क) रबी 90–91					
	1. गेहूं	102500	8500	12.50	4888	11.53
	2. चना	343200	23333	17.50	23109	17.07
	3. सरसों	78500	5000	5.00	7071	4.59
		524200	36833	35.00	35068	33.19
	(ख) खरीफ–91					
	1. दलहनी फसलें	16500	800	0.60	—	—
	2. कपास	125600	8320	8.32	7981	4.98
	3. मूगफली	700	350	1.55	200	1.00
		142800	9470	10 47	8181	5.98

बीसलपुर पेयजल योजना की प्रगति

116. **श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर), एवं श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) :** क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीसलपुर पेयजल योजना वर्तमान गति से कब तक पूरी होने का लक्ष्य है ?

(2) पूर्व में इसको पूरा करने का कब तक का लक्ष्य था ?

(3) इस योजना से कौन-कौन से शहरों को कितना-कितना पानी उपलब्ध कराया जायेगा ?

(4) क्या बीसलपुर से जाने वाली पाइप लाइन के दोनों ओर के निकटतम गांवों व कस्बों को भी इस योजना से भविष्य में पेयजल उपलब्ध कराने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) पूर्ण धनराशि उपलब्ध होने की स्थिति में योजना दिसम्बर, 1993 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

(2) पूर्व में योजना को वर्ष 1990-91 तक पूर्ण करने का लक्ष्य था ।

(3) विवरण इस प्रकार है:—

अजमेर शहर	850 लाख लीटर प्रतिदिन
ब्यावर	160 ,, ,,
किशनगढ़	140 लाख लीटर प्रतिदिन
नसीराबाद, सरवाड एवं केकड़ी	50 ,, ,,
कुलः—	1320 ,, ,,

(4) संदर्भित क्षेत्रों के समस्याग्रस्त ग्रामों एवं कस्बों को बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध कराने की सम्भावनाओं (फिजिबिलिटी) का पता लगाया जा रहा है ।

फलौदी का बी. एस. टी. सी. केन्द्र

117. **श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले के फलौदी नगर में एक सरकारी बी. एस. टी. सी. केन्द्र चलाया जा रहा है ।

(2) क्या यह सही है कि इस प्रशिक्षण केन्द्र में फलौदी तहसील के प्रशिक्षणार्थियों के लिये कोई स्थान आरक्षित नहीं है ?

(3) क्या इस तरह के प्रशिक्षण केन्द्रों में अन्यत्र स्थानीय लोगों के लिये स्थान आरक्षित है ?

(4) क्या यह सही है कि फलौदी एक मरुस्थलीय क्षेत्र है और शिक्षा की दृष्टि से अति पिछड़ा हुआ है ? क्या इस दृष्टि से उनके लिये स्थान आरक्षित करना आवश्यक है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) पश्चिमी राजस्थान के वृहत्त मरुस्थल एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र का एक भाग फलौदी क्षेत्र भी है। अतः फलौदी स्थित एस. टी. सी. की सीट्स जोधपुर मण्डल के लिये आरक्षित हैं।

खारिया (सुजानगढ़) का पुलिस निरीक्षक

118. **श्री दिलसुखराय चौधरी** (फतेहपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खारिया तहसील सुजानगढ़, जिला-चूरू में एक पुलिस निरीक्षक ने असामाजिक तत्वों की सहायता से किसानों की जमीन पर कब्जा करने की नियत से गोलियां चलाई थीं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त घटना का दिनांक 4-8-1991 को पुलिस थाना सुजानगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी?

(3) क्या प्रभावित व्यक्तियों द्वारा इस घटना में न्याय हेतु उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिये गये? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि अभी भी इन व्यक्तियों का ग्राम में आतंक व्याप्त है?

(5) क्या सरकार इस प्रकरण की जांच करा कर दोषियों को दण्ड देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। किसी पुलिस निरीक्षक द्वारा खारिया ग्राम के लोगों पर गोलियां नहीं चलाई गई है। अपितु दिनांक 4-8-91 को पुलिस थाना सुजानगढ़ में सुरेन्द्र व दो अन्य के विरुद्ध मु. नं. 153 धारा 307/447/323/34 भा. दं. सं. व 27 आर्म्स एक्ट में दर्ज हुआ है। किसी पुलिस निरीक्षक का नाम प्रथम सूचना में नहीं है।

(2) जी हां। दिनांक 4-8-91 को श्री गजानन्द जाट निवासी खारिया ने थाना सुजानगढ़ में प्रथम सूचना दर्ज करवायी थी।

(3) प्रार्थी गजानन्द जाट निवासी खारिया एवं लान्स नायक पूरणमल, केन्द्रीय रिजर्व बल, अजमेर ने पुलिस अधीक्षक, चूरू को प्रार्थना पत्र दिये थे। जिन पर 107/116 (3) जा.फो. के तहत कार्यवाही की जा चुकी है। प्रार्थी गजानन्द का एक परिवाद दिनांक 28-8-91 को विजिलेन्स सी. आई. डी. (सीबी) में भी प्राप्त हुआ था, जो उप महानिरीक्षक पुलिस रेंज, बीकानेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है।

(4) घटना के बाद ग्राम खारिया में शान्ति व्यवस्था हेतु पुलिस गार्ड लगायी गई है। थानाधिकारी सुजानगढ़ द्वारा समय-समय पर ग्राम में जाकर शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। धारा 107/

(गृह-मंत्री)–

116(3) जा. फो. के अन्तर्गत 21 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही भी की जा चुकी है। वहां के लोगों को असामाजिक तत्वों द्वारा भयभीत किये जाने की कोई रिपोर्ट वहां तैनात गार्ड कर्मचारियों से प्राप्त नहीं हुई हैं।

(5) इस प्रकरण के सम्बन्ध में मु. नं. 153/दिनांक 4-8-91 धारा 307/447/323/34 भा.दं.सं. एवं 27 आर्म्स एक्ट में थाना सुजानगढ़ में दर्ज हो चुका है, जिसकी तफतीश पुलिस उप अधीक्षक (उत्तर) बीकानेर कर रहे हैं। मामला अभी अन्वेषणाधीन है। यदि अनुसंधान से कोई दोषी पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

बाली (पाली) पंचायत समिति द्वारा सड़क निर्माण कार्य

119. श्री अमृतलाल परमार (बाली): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी के माध्यम से गांवों को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाता है? यदि हां, तो क्या निम्न सड़कों की स्वीकृति बहुत समय पूर्व की गई थी:—1. घाणी खुडाला रोड, 2 बेडल फालना, 3. गोरिया काकरोड़ी रोड आदि।

(2) बाली पंचायत समिति की कौन-कौनसी रोड, कब-कब स्वीकृत की गयी? उसमें से कितनी सड़कों का निर्माण हो चुका है तथा कितनी सड़कों का कार्य लम्बे समय से किन कारणों से लम्बित है।

(3) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी की सड़कों की लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई है? क्या इनकी मरम्मत की कोई निश्चित अवधि तथा निश्चित फण्ड की स्वीकृति होती है? कितने समय बाद इसको सार्वजनिक निर्माण विभाग को देखरेख हेतु सुपुर्द करने का प्रावधान है? इस प्रावधान के अनुसार वर्तमान में कौन-कौन सी रोड सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपने का प्रस्ताव है?

उत्तर

(1) जी हां। प्रश्न में अंकित सड़कें स्वीकृत नहीं है।

(2) विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। मण्डी समितियों द्वारा सं. सड़कों की मरम्मत का कार्य सम्पन्न कराया जाता है। सामान्य मरम्मत के रूप में निर्माण के एक वर्ष पश्चात् 2500 रुपये प्रति कि. मी. की दर से स्वीकृति की जाती है तथा किसी सड़क की विशेष मरम्मत हेतु पृथक से प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं। उक्त दोनों प्रकार की मरम्मत के सन्दर्भ में प्राथमिकता मण्डी समिति द्वारा ही निर्धारित की जाती है तथा उसी के अनुरूप स्वीकृति प्रदान की जाती है। इन सड़कों को सार्व. निर्माण विभाग को सुपुर्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः किसी सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपने का प्रस्ताव नहीं है।

1	2	3	4	5	5
3.	,, लालराई से बाली	89–90	2.00	3.74	प्रगति पर
4.	,, लटाड़ा से लुमावा	89–90	2.50	0.33	,,
5.	,, कोट बालियाना टीपरी	89–90	2.00	1.08	,,
6.	,, सेणा	88–89	3.00	4.73	कार्य बंद है ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है व दुबारा निविदाएं प्राप्त की जा रही है।
7.	,, दान वरती से कोयल बाव	88–89	12.50	7.77	प्रगति पर
8.	,, मालनू से लुन्दाड़ा	89–90	2.50	—	,,
9.	,, चिमनपुरा	89–90	2.50	2.43	,,

परिशिष्ट–"अ"

पंचायत समिति बाली के अन्तर्गत अब तक निर्मित एवं निर्माणाधीन सम्पर्क सड़कों की सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृति का वर्ष	दूरी का निमाण (कि.मी.)	व्यय राशि (लाखों में)	पूर्ण होने का वर्ष/प्रगति
1	2	3	4	5	6
	निर्मित सड़कें :				
1.	सं. सड़क बोमा से बाखा	82–83	3.40	9.94	85–86
2.	,, बलवाना से बोयावास पैरवा	84–85	13.60	18.35	85–86
3.	,, बाली से सेसली	84–55	3.70	4.89	86–87
4.	,, बेड़ा से कुमटिया	84–85	3.50	4.73	85–86
5.	,, मुंजारा से लटाड़ा	84–85	6.00	6.55	86–87
6.	,, बेलार से चामुण्डरी	87–88	4.00	4.73	88–89
7.	,, भालनू	88–89	2.50	3.90	90–91
8.	,, मन्दर	88–89	1.00	1.59	90–91
9.	,, कुमरिया से सेदाला	84–85	3.00	5.39	90–91
10.	,, सेवैतलाव	89–90	3.00	2.63	91–92
11.	,, जवाई बांध से वाया दूदनी (बेड़ा एवं दूदनी वाली पंचायत समिति)	83–84	11.00	15.02	85–86
	निर्माणाधीन सड़कें :				
1.	सं. पैरवा से बेडल	89–90	2.50	3.09	प्रगति पर
2.	,, बोरवा से तावा	89–90	2.00	3.50	,,

परिशिष्ट–3

अतारांकित प्रश्न संख्या 130 की सूची

वर्ष 90 एवम् 91 में व्यावसायिक केन्द्रों के निर्माण की इजाजत देने से रूपान्तरण शुल्क व अन्य शुल्क के रूप में प्राधिकरण को हुई आय की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार हैं :

क.स.	नाम	रूपान्तरण शुल्क	विकास शुल्क	अमानत राशि	जारी शुल्क	पुर्नगठन शुल्क	नियमबद्ध अमानत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मंवरी देवी 13, वनस्थली मार्ग (91)	19,830.40 19.622.00	5,125.95	2,000.00	178.65	—	—
2.	सुमेर इंटरप्राइजेज M. I. Road, Jaipur (91)	—	1,56,525.00	2,000.00	6,505.00	24,605.00	—
3.	अम्बर व्यावसायिक निर्माण केन्द्र (90 एवं 91)	1,00,000,00 1,62,655.00 (Fist Instalment) (7,87,965.00 with 15% Interest in three instalment of six month is due)	—	2,000.00	4,065.00 5,260.00 5,226.83	—	5,48,132.15

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	इकबाल सिंह रामप्रकाश (वर्ष 90) 40-41, बरवाड़ा हाऊस	File send to Govt.					
5.	बलदेव प्लाजा (वर्ष 90) अजमेर रोड	File send to Govt.					
6.	दुर्गासिंह भीमसिंह मण्डावा (वर्ष 90) न्यू मण्डावा हाऊस	File send to Govt.					
	वर्ष 91 में कुल आय Rs. 3,02,157.4	Rs. 1,61,650.95	Rs. 6,600,000	Rs. 21,235.48	Rs. 24,605.00	Rs. 5,48,132.15	

ह/-
अतिरिक्त सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

348

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 132 की सूची

कार्यालय नगरपालिका, लावडी (पाली) राजस्थान

सूची

क्र.सं.	रसीद संख्या	नाम जमाकर्त्ता	राशि	किस मद में वसूली
1	2	3	4	5
1.	15-94	श्री नागराज/पुखराज	600.00	भूमि किराया वसूली मद में
2.	15-95	,, भोमाराम/वीरमजी	799.00	,, ,,
3.	15-96	,, ,,	396.00	,, ,,
4.	15-97	,, ,,	432.00	,, ,,
5.	15-98	,, मोहनलाल/खेताजी	99.00	,, ,,
6.	15-99	,, शिवपुरी/पुखराज	531.00	,, ,,
7.	15-100	,, फयाज मोहम्मद/ उमराव खां	120.00	,, ,,
		योग :	2977.00	
1.	67-45	श्री उमराव खां/युसुफ खां	360 00	,, ,,
2.	67-46	,, देवाराम/लालजी नाई	60.00	,, ,,
3.	67-47	,, नाथूलाल/चुन्नीलाल	270.00	,, ,,
4.	97-48	,, ओमप्रकाश/लालजी	270.00	,, ,,
5.	67-49	,, बाबुलाल/हुकमाजी	230.00	,, ,,
6.	67-50	,, फुटरदास/सीताराम	396.00	,, ,,
7.	67-51	,, नगराज/पुखराज	200.00	,, ,,

३५५

1	2	3	4	5
8.	67–52	श्री बस्तीमल/हजारीमल	165.00	भूमि किराया वसूली मद में
9.	67–53	,, साबीर/इब्राह्मीमंजी	198.00	
10.	67–54	,, जयलाल/किस्तुरजी	210.00	,, ,,
11.	67–55	,, पुखराज/जसराज	552.00	,, ,,
12.	67–56	,, प्रकाश/हीरादास	99.00	,, ,,
13.	67–57	,, देवीचन्द/फोजमल	198.00	,, ,,
14.	67–58	,, शांतिलाल/बक्तावरमल	200.00	,, ,,
15.	67–59	,, मोहनलाल/संताजी	264.00	,, ,,
16.	67–60	,, सम्पतराज/मिश्रीमल	396.00	,, ,,
17.	67–61	,, लच्छीराम/किशनजी	297.00	,, ,,
18.	67–62	,, भीमदास/रूग्नाथदास	167.00	,, ,,
19.	67–63	,, सतार/मोहम्मदजी	240.00	,, ,,
20.	67–64	,, रहमान खां/नजरू खां	90.00	,, ,,
21.	67–65	,, देवीलाल/मुरालाल	396.00	,, ,,
22.	67–66	,, उमराव खां/युसुफ खां	99.00	,, ,,
23.	67–67	,, दुर्गाशंकर/उवेरचन्द	450.00	,, ,,
24.	67–68	,, राजुराम/गंगाराम	330.00	,, ,,
25.	67–69	,, मोहनलाल/कसाजी	264.00	,, ,,
26.	67–70	,, ओमप्रकाश/लालजी	99.00	,, ,,
27.	67–71	,, रामलाल/केराजी	455.00	,, ,,
28.	67–72	,, हजारीमल/डायाजी	198.00	,, ,,
29.	67–73	,, छोगाराम/थानाजी	396.00	,, ,,
30.	67–74	,, लुम्बचन्द/मुगनाजी	1500.00	,, ,,
31.	67–75	,, शिवपुरी/पुखराज	297.00	,, ,,
32.	67–76	,, ओगढराम/चुन्नीलाल	198.00	,, ,,
33.	67–77	,, पुनाराम/धीयाजी	360.00	,, ,,
		योग :	10033.00	

विधा पुस्तक की रसीद सं.				
1		2		3
1.	1	श्री भंवरलालजी/रूपाजी	297.00	भूमि किराया वसूली मत में
2.	2	,, भंवरलालजी/रूपाजी	297.00	
3.	3	,, देवीचन्द/फोजमल	297.00	,, ,,
4.	4	,, खेताराम/चमनाजी	396.00	,, ,,
5.	5	,, रूपाराम/खूमाजी	396.00	,, ,,
6.	6	,, सत्तार/मोहम्मदजी	360.00	,, ,,
7.	7	,, गणेशसिंह/चिमनसिंह	396.00	,, ,,
8.	8	,, फुटरमल/सीताराम	297.00	,, ,,
		योग :	2736.00	

1.	रसीद संख्या 67–45 से 67–77 तक राशि कुल	10033.00
2.	रसीद संख्या 15–94 से 15–100 तक राशि कुल	2977.00
3.	बिना पुस्तक नम्बर में रसीद सं. 1 से 8 तक की कुल राशि	2736.00
	कुल योग :	15746.00

349

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 143 का विवरण

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, चूरू

क्रमांक प-16(12)5 विधि/89 दिनांक 18, 19-10-89

उप शासन सचिव,
गृह (ग्रुप-7) विभाग,
राज., जयपुर ।

विषय :– प्रा. पत्र काशीराम पुत्र श्री मानाराम जाति मेघवाल निवासी तोगावास तहसील तारानगर की फौजियों द्वारा पानी की कुण्ड को टैंक द्वारा क्षतिग्रस्त करने का मुआवजा दिलाने हेतु ।

प्रसंग :– इस कार्यालय का ससंख्यक पत्र दिनांक 19-5-89

उपरोक्त प्रसंगिय विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी काशीराम पुत्र मानाराम जाति मेघवाल नि. तोगावास त. तारानगर, जिला चूरू के खेत खसरा नं. 146 तादादी 23 बीघा में सरकारी सहायता प्राप्त करीबन 25000/– रु. कीमत कुण्ड को श्री अशोक सुराना (टेक्नीकल) ग्रेड मेजर करन, स. 84 बी. 27965 के टैंक द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया था । अतः उक्त प्रार्थी के क्षतिग्रस्त कुण्ड का मुआवजा अविलम्ब दिलाने की व्यवस्था कर राहत दिलाये ।

हस्ताक्षर
जिला मजिस्ट्रेट
चूरू

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, चूरू (राज.)

क्रमांक :–प–16(12) (5) विधि/89 दिनांक 21-6-91

उप शासन सचिव,
गृह (ग्रुप–4) विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषय :– प्रा. पत्र काशीराम पुत्र श्री मानाराम जाति मेघवाल निवासी तोगावास तह. तारानगर कि फौजियों द्वारा पानी की कुण्ड को टैंक द्वारा क्षतिग्रस्त करने का मुआवजा दिलाने हेतु।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्र समसंख्यक दिनांक 19-5-89 एवं पत्र दिनांक 19-10-89

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रार्थी काशीराम के कुण्ड को श्री अशोक खुराना (टेक्नीकल) ग्रेड मेजर वाहन सं. 84 बी 27956 के टैंक द्वारा रु. 25000/- की क्षति के मुआवजा हेतु मामला आपको प्रेषित किया गया था। इस मामले में अभी तक किसी कार्यवाही की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

अतः कृपया इस मामले में प्रार्थी काशीराम को शीघ्र मुआवजा दिलाने का श्रम करावें।

भवदीय,
हस्ताक्षर
जिला कलक्टर, चूरू
राजस्थान

क्रमांक :–प 16(12) (5) विधि/89 दिनांक 21-6-91

प्रतिलिपि : –श्री काशीराम पुत्र श्री मानाराम जाति मेघवाल निवासी तोगावास को सूचनार्थ।

हस्ताक्षर
जिला कलक्टर, चूरू
(.राज)

परिशिष्ट–6

तारांकित प्रश्न संख्या 151 की सूची

परिशिष्ट–"ब"

क्र.सं.	घटना की तिथि	थाने का नाम व जिला	अभिरक्षा में मृतक का नाम	किस मामले में गिरफ्तार किया गया	गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	1-6-90	चन्देरिया, चित्तौडगढ़	श्री पंकज श्रीवास्तव	मु. नं. 106/90 धारा 406/420 भा दं सं थाना चन्देरिया	श्री नाहर सिंह उप निरीक्षक
2.	13-6-90	कोतवाली, जयपुर शहर	,, लाला उर्फ तेजपाल	मु नं. 319/90 धारा 379 भा दं सं थाना कोतवाली	श्री कल्याण मल मुख्य आरक्षी
3.	8-9-90	चेचट, कोटा ग्राम	,, बालचन्द	मु. नं. 63/90 धारा 379 भादंसं थाना रामगंज मंडी	श्री रामेश्वर प्रसाद उप निरीक्षक
4.	25-10-90	मालाखेडा, अलवर	,, रामेश्वर	मु. नं. 219/90 थाना मालाखेडा	श्री हजारी लाल उप निरीक्षक

1	2	3	4	5	6
5.	27-11-90	कोतवाली, सवाई माधोपुर	श्री राधेश्याम	मु. नं. 128/87 धारा 302 मा.दं.सं. थाना खण्डार	श्री राम निवास उप निरीक्षक
6.	3-4-91	सोढ़ाला, जयपुर शहर	,, सरदारा	मु. नं. 126/90 धारा 407 मा.दं.सं. थाना सोढ़ाला	श्री एस. एच. ओ. सोढ़ाला
7.	21-4-91	दातारामगढ़, सीकर	,, हनुमान	मु. नं. 79/87 धारा 458/380 मा.दं.सं. थाना दातारामगढ़	श्री सोहन सिंह उप निरीक्षक
8.	22-4-91	दूधताखारा, चूरू	,, नरसा राम	मु. नं. 4/86 धारा 379 मा.दं.सं. थाना दुधवाखारा	श्री राजेन्द्र सिंह उप निरीक्षक
9.	8-5-91	श्री डूंगरपुर, चूरू	,, नोरतमल	दो किलो घी की चोरी बाबत बुलवाया	श्री ताज मोहम्मद उप-निरीक्षक
10.	23-5-91	भिवाड़ी, अलवर	,, महेन्द्र	मु. नं. 25/91 धारा 457/380 मा.दं.स. थाना भिवाड़ी	श्री जगदीश प्रसाद मुख्य आरक्षी
11.	31-5-91	बाड़ी, धौलपुर	,, हुकम सिंह	मु. नं. 184/91 धारा 307/392 397/398 मा.दं.सं. थाना बावड़ी	एस एच. ओ. वाड़ी

1	2	3	4	5	6
12.	21-6-91	नाहरगढ़, जिला बारा	श्री कंवर लाल	मु. नं. 8/90 धारा 457/380 भादंसं थाना नाहरगढ़	श्री श्रोमप्रकाश एस. एच. श्रो.
13.	13-7-91	गंज, जिला अजमेर	,, शमशुद्दीन	धारा 41/109 जा. फो. थाना गंज	श्री रामप्रसा स. उ. निरीक्षक
14.	27-8-91	गोर्धन विलास, उदयपुर	,, इन्दर लाल	मु. नं. 169/91 धारा 457/380 भादंसं थाना गोर्धन बिलास	श्री मूलचन्द उप निरीक्षक

353

354

परिशिष्ट–"ब"

1. श्री पंकज की मृत्यु पुलिस हिरासत में होने के कारण आदेश दिनांक 16-8-90 के द्वारा रुपये 20,000 (बीस हजार रुपये मात्र) की स्वीकृति जारी की गई।

2. श्री लाला की मृत्यु पुलिस हिरासत में होने के कारण आदेश दिनांक 16-8-90 के द्वारा रुपये 20,000 (बीस हजार रुपये मात्र) की स्वीकृति जारी की गई।

(355)

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 155 की सूची

राज्य में वर्ष 1990-91 (1-1-90 से 31-7-91 तक) तस्करों से बरामद माल मय कीमत के एवं हथियारों की सूची:—

नाम सामग्री बरामद	अनुमानित कीमत (रुपयों में)
1. हीरोइन	74,77,45,000/-
2. चरस	1,42,30,651/-
3. अफीम	3,77,800/-
4. चान्दी	1,90,17,742/-
5. कपडा/सीले वस्त्र	1,49,020/-
6. बिजली के सामान	12,900/-
7. अंग्रेजी शराब	8,51,528/-
8. गायें/बछडे आदि	7,45,100/-
9. घोडे	58,000/-
10. ऊंट	1,51,200/-
11. गाडियां	6,90,000/-
12. भा. करेन्सी नोट	13,23,019/-
13. विविध	6,32,997/-

उक्त अवधि में जब्त किये गये हथियारों की सूची

1. ए. के 47 रायफल	33
2. ए के 56 रायफल	67
3. पिस्टल 9 एम. एम.	13
4. पिस्टल 7.65	41
5. मैग्जिन ए के 45	95
6. मैग्जिन 9 एम. एम.	37

1 2	3
7. मैग्जिन ए के 56	188
8. मैग्जिन पिस्टल 7.65	37
9. कारतूस ए के 47	1124
10. कारतूस ए के 56	15410
11. कारतूस 9 एम. एम.	1955
12. कारतूस 7.65	1996
13. मशीनगन	1
14. जी. पी. एम. रायफलें	3
15. मैग्जिन मशीन गन	2
16. जी. पी. एम. मैग्जिन	6
17. 12 बोर बन्दूक	5
18. होलस्टर पिस्टल	4
19. 12 बोर पिस्तौल	3
20. एम. एम. जी मैग्जिन	1
21. 12 बोर कारतूस	3
22. एम. एम. जी कारतूस	321
23. रिवाल्वर 38 बोर	3
24. 315 बोर रायफल	1
25. 38 बोर कारतूस	25
26. 315 बोर पिस्तोल	1
27. 315 बोर पिस्तौल कारतूस	5
28. मैजर बन्दूक	2
29. 12 बोर बन्दूक	2
30. 303 रायफल	5
31. 303 कारतूस	67
32. टोपीदार बन्दूक	1
33. जिन्दा कारतूस	46
34. ए के 59 रायफल मय मैग्जिन	2

नोट:– हथियारों की कीमत का निर्धारण सम्भव नहीं हैं।

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 157 का विवरण

राजस्थान--सरकार

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, चूरू

क्रमांक/क. (8) 12-(5) विधि/89 दिनांक 16, 19-5-89

उप शासन सचिव,

गृह (ग्रुप–4) विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

विषयः– प्रा. पत्र काशीराम पुत्र श्री मानाराम जाति मेघवाल निवासी तोगावास त. तारानगर की फौजियों द्वारा पानी की कुण्ड को टैंक द्वारा क्षतिग्रस्त करने का मुआवजा दिलाने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी काशीराम पुत्र श्री मानाराम जाति मेघवाल निवासी तोगावास तहसील तारानगर ने दिनांक 9-3-89 को प्रस्तुत प्रा. पत्र में ग्राम तोगावास तारानगर में स्थित खेत खसरा नं. 46 तादादी 23 बीघा में सरकारी सहायता से 12-5-×25 पिट का करीबन 25,/- रु. कीमत का पक्का कुण्ड बना हुआ था, को दिनांक 6-3-89 की 9-30 बजे रात्रि को फौजियो के टैंक द्वारा क्षतिग्रस्त किया जाना प्रकट किया था जिस पर सम्बन्धित तहसीलदार तारानगर द्वारा जांच कराये जाने पर रिपोर्ट क्रमांक/भू. अ./89/478 दिनांक 2-5-89 में उक्त प्रार्थी श्री काशीराम मेघवाल सा. तोगावास की कुण्ड का नुकसान श्री अशोक कुमार खुराना (टेक्नीकल) बग्रेन लेजर वाहन सं. 84 बी 27965 के टैंक द्वारा किया जाना पाया गया है। अतः आप कृपया श्री काशीराम मेघवाल अनु. (जाति) सा. तोगावास को फौजियों द्वारा क्षतिग्रस्त किये गये कुण्ड का मुआवजा अविलम्ब दिलाने की व्यवस्था करावे।

संलग्नः– दो प्रति।

भवदीय

हस्ता०/–

जिला मजिस्ट्रेट,

चूरू

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 173 की सूची

परिशिष्ट–क

राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर

क्र. सं. पद नाम	वेतनमान
1. सचिव	2500-4250
2. सर्वेक्षण एवं प्रकाधन अधिकारी	2000-3200
3. कार्यक्रम सहायक	2000-3200
4. तकनिकी अधिकारी	1640-2900
5. प्रशासी	1640-2900
6. लेखाकार	1640-2900
7. तकनिकी सहायक	1200-2050
8. वरिष्ठ लिपिक	1200-2050
9. कनिष्ठ लिपिक	950-1680
10. वाहन चालक	950-1680
11. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	750-940
राजस्थान ललित कला अकादमी, जयपुर	
1. सचिव	2500-4250
2. प्रदर्शनी	1400-2360
3. प्रकाश अधिकारी	1400-2360
4. वरिष्ठ लिपिक	1200-2050
5. कनिष्ठ लिपिक	950-1680
6. वाहन चालक	950-1680
7. चतुर्थ श्रेणी	750-940

361

परिशिष्ट–ख

राजस्थान संगीत नाटक अकादमी

यात्रा भत्ता — यात्रा भत्ता राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही दिया जाता है।

चिकित्सा भत्ता — 1. वार्षिक मूल वेतन 8000–12000/- तक पाने वाले को 14%

2. वार्षिक मूल वेतन 12000 से अधिक व 18000/- तक पाने को 12% तथा

3. 18000/- रु. से अधिक वार्षिक मूल वेतन पाने वाले को 8%

ललित कला अकादमी

यात्रा भत्ता — यात्रा भत्ता राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही दिया जाता है।

चिकित्सा भत्ता — मूल वेतन के 6% के हिसाब से दिया जाता है।

परिशिष्ट "ग"

संगीत नाटक अकादमी एवं ललित कला अकादमी के अध्यक्षों को मिलने वाली सुविधायें।

1. नियमानुसार यात्रा भत्ता सुविधा।
2. बैठक में भाग लेने के लिए बाहर से आने पर दैनिक भत्ता तथा स्थानीय सवारी का वास्तविक व्यय।
3. अकादमियों के कार्य सम्पादन हेतु लिपिक की व्यवस्था।

सचिवगणों को मिलने वाली सुविधायें

1. राज्य सरकार के नियमानुसार दी जाती है।

सदस्यों को दी जाने वाली सुविधायें

1. बाहर से आने वाले सदस्यों को नियमानुसार यात्रा भत्ता।
2. स्थानीय सदस्यों को स्थानीय वाहन व्यय एवं सिटिंग अलाउन्स।

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 718 का विवरण

बकाया स्थिर भाटक, रोयल्टी व भूमि-कर का विवरण

क्र.सं.	पट्टेधारी का नाम	अधिशुल्क/स्थिर भाटक			नोटिस देने की तिथि	खंडित करने संबंधी कार्यवाही का विवरण	भूमि कर			पट्टा खंडित करने की की गई कार्यवाही का विवरण
		बकाया राशि	अवधि	विवरण			बकाया	अवधि	बकाया देय होने दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	सोजत लाइम कम्पनी, सोजत	रु. 65,184.00	1-6-91 से 31-8-91	स्थिर भाटक	10-9-91	कार्यवाही नोटिस अवधि के पश्चात् की	23,63,959.00	1-8-85 से 30-11-91	किश्त देय होने की हर तिमाही	1. भूमि कर की बकाया पर पट्टा खण्डित नहीं किया जा सकता।
		रु. 1,11,661.00	1-9-91 से 30-11-91	स्थिर भाटक	10-9-91					2. भूमिकर की बकाया राशि में से रुपये 17,48;274.00 पर न्यायालय का स्थगन आदेश था।

096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	केवलचन्द मण्डोत	रु. 1,97,788.00	15-12-88 से 14-12-89	रोयल्टी	10-9-91	,,	13,03,173.00	1-8-85 से 14-9-91	किश्त देय होने की प्रत्येक तिमाही पर।	1. भूमिकर की बकाया पर पट्टा खण्डित नहीं किया जा सकता। 2. भूमि कर की बकाया राशि में से रुपये 10,40,510.00 राशि पर न्यायालय का स्थगन आदेश था।

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 181 की सूची

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, रायसिंह नगर (श्रीगंगानगर) की आँगनबाड़ी केन्द्र की सूची मय स्थिति

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	खुलने का दिनांक	कार्यकर्ता का नाम	चालू/बन्द
1	2	3	4	5
1.	6 टी. के.	29-4-86	गुरनाम कौर	चालू
2.	7 टी. के.	4-6-88	आशा देवी	,,
3.	10 टी. के.	16-2-87	—	सितम्बर, 91 से बन्द
4.	9 पी. एस.	29-4-86	भागवन्ती	चालू
5.	11 पी. एस.	11-5-87	—	अगस्त, 91 से बन्द
6.	12 पी. एस.	25-9-86	माया देवी	चालू
7.	20 पी. एस.	18-9-86	मन्जू बाला	,,
8.	21 पी. एस.	18-9-86	राजेन्द्र कौर	,,
9.	22 पी. एस.	29-4-86	उषा रानी	,,
10.	54/56 आर.बी.	16-2-87	कमला देवी	,,
11.	55 आर. बी.	18-9-86	जाहू देवी	,,
12.	कुम्हारा वाला	18-9-86	गोमती देवी	,,
13.	किकरवाली ए.	18-9-86	रेणु शर्मा	,,
14.	किकरवाली बी.	26-5-88	बिमला देवी	,,
15.	67/68 आर. बी.	29-4-86	सोमा देवी	,,
16.	69 आर. बी.	16-2-87	रणजीत कौर	,,
17.	फोजूवाला	16-2-87	कमला देवी	,,

363

1	2	3	4	5
18.	8 टी. के.	16-12-87	रणजीत कौर	चालू
19.	9 टी. के.	28-10-86	बलजिन्द्र कौर	,,
20.	24 पी. एस.	17-3-86	स्वरुप कौर	,,
21.	26 पी. एस.	18-9-86	परमजी कौर	,,
22.	27 पी. एस.	20-3-86	प्रेमलता गोयल	,,
23.	30 पी. एस.	31-12-86	कान्ता रानी	,,
24.	31 पी. एस.	29-4-86	तेजपाल कौर	,,
25.	32 पी. एस.	16-2-87	इमरती देवी	,,
26.	34 पी. एस.	18-9-86	रजवन्त कौर	,,
27.	39 पी. एस.	18-9-86	रणजीत कौर	,,
28.	40 पी. एस.	18-9-86	राजी	,,
29.	41 पी. एस.	2-3-87	महेन्द्र कौर	,,
30.	23 पी. एस.	16-2-87	अनिता अग्रवाल	,,
31.	भादवाबाला ए.	29-4-86	निर्मला देवी	,,
32.	भादवावाला बी.	29-4-86	सीता देवी	,,
33.	82 आर. बी.	7-3-87	सुनीता	,,
34.	84 आर. ब.	31-7-87	लक्ष्मी देवी	,,
35.	रामजीवाला	29-4-86	विद्या देवी	,,
36.	खांय	29-4-86	कलावती	,,
37.	13 आर. बी.	16-2-87	शिकन्द्र कौर	,,
38.	17 आर बी.	18-9-86	गीता आरोड़ा	,,
39.	19 आर. बी.	29-4-86	निशा रानी	,,
40.	21 आर. बी.	29-4-86	निन्द्रपाल कौर	,,
41.	22 आर. बी.	21-3-88	हरजीत पाल कौर	,,
42.	संगराना	16-2-87	पूर्ण कौर	,,

1	2	3	4	5
43.	25 आर. बी.	18-9-86	हरजिन्द्र कौर	,,
44.	71 आर. बी.	12-12-86	सन्तोष कुमार	,,
45.	73 आर. बी.	29-4-86	गुरदीप कौर	,,
46.	74 आर. बी.	29-4-86	दीपक ज्योति	,,
47.	27 आर. बी.	19-8-86	सुरजीत कौर	,,
48.	लुहारा	7-3-87	नरेन्द्र कौर	,,
49.	24 एफ. एफ.	29-4-86	हरबन्स कौर	,,
50.	28 एफ. एफ.	24-7-87	मनजीत कौर	,,
51.	2 एफ. एफ. बी.	31-3-87	सर्वजीत कौर	,,
52.	थन्देवाला	16-2-87	गुरमेल कौर	,,
53.	कवरपुरा ए.	29-4-86	कौशल्या	,,
54.	कवरपुरा बी.	16-2-87	रेशमा देवी	,,
55.	ख्याली वाला	16-2-87	सुखदेव कौर	,,
56.	2 एफ डी. बी.	16-2-87	माया रानी	,,
57.	समेजा	17-3-86	सुरजीत कौर	,,
58.	19 पी. टी. 17	7-3-87	बालविन्द्र कौर	,,
59.	22 पी. टी. डी.	29-4-86	जसवन्त कौर	,,
60.	24 पी. टी. डी.	18-3-88	सत्या देवी	,,
61.	43 पी. एस.	23-5-87	हरदेइ बाई	,,
62.	बरु बाला	10-3-88	दलजीत कौर	,,
63.	मोमपुरा	29-4-86	बिमला देवी	,,
64.	5 के. एस. डी.	29-4-86	सरस्वति	,,
65.	9 के. एस. डी.	18-9-86	सरस्वति	सितम्बर, 91 से बन्द
66.	1 एल. पी. एम.	29-7-87	शीला बाई	चालू
67.	2 एल. पी. एम.	29-4-86	फूला रानी	,,

1		2	3	4
68.	6 एल. पी. एम.	27-11-87	गुरमेल कौर	चालू
69.	50 एन. पी.	6-6-87	मीर्या देवी	,,
70.	52 एम. पी.	6-6-87	मनजीत कौर	,,
71.	65 एन. पी.	27-11-87	अनचाई	,,
72.	66 एन. पी.	7-3-87	परमजीत कौर	,,
73.	67 एन. पी.	21-3-88	शान्ती देवी	,,
74.	71 एन. पी.	29-4-86	रामबाई	,,
75.	73 एन. पी.	16-2-87	कमलेश कुमारी	,,
76.	75 एन. पी.	18-3-86	सुरजीत कौर	,,
77.	3 टी. के.	18-9-86	मनजीत कौर	,,
78.	14 टी. के.	18-9-86	सरोजरानी	,,
79.	15 टी. के.	27-11-87	रुकमणी देवी	,,
80.	मुकलावा ए.	5-5-87	सन्तोष	,,
81.	मुकलावा बी.	20-9-86		जून, 91 से बन्द
82.	3 रडसर	18-5-87	कैलाश	चालू
83.	3 एम. के.	29-4-86	सुमनलता	,,
84.	5 एम. के.	29-4-86	बलविन्द्र कौर	,,
85.	14 एम. एल.	25-8-87	दलजीत कौर	,,
86.	28 एम. एल.	24-7-87	आरती देवी	,,
87.	31 एल. एल.	11-5-87	शान्ति देवी	,,
88.	32 एम. एल.	18-9-88	बलविन्द्र कौर	,,
89.	33 एम. एल.	12-12-86	इन्द्रा देवी	,,
90.	35 एम. एल.	10-12-86	जंगा कौर	,,
91.	12 एन. आर. डी.	27-11-87	सीता बाई	,,
92.	16 पी. एस.	29-4-86	कलवन्त कौर	,,
93.	2 एल. सी.	18-9-86	मन्जुबाला	,,
94.	6 एल. सी.	18-9-86	सरोज बाला	,,

1	2	3	4
95. डाबला ए.	29-4-86	—	दिसम्बर, 90 से बन्द
96. डाबला बी.	3-12-86	सुमित्रा देवी	चालू
97. 7 एन. पी.	29-4-86	सावित्री देवी	,,
98. 10 एन. पी.	19-3-87	छिन्द्र कौर	,,
99. 19 एन पी.	3-12-86	सरस्वति देवी	,,
100. 21/23 एन.पी.	19-3-87	द्रोपती	,,
101. 36 एन. पी.	29-4-86	बिमला	,,
102. 38 एन. पी.	7-3-87	नीलमरानी	,,
103. 40 एन. पी.	21-5-87	कान्ता	,,
104. 41 एन. पी.	13-4-87	मुखत्यार कौर	,,
105. बगीचा	3-12-86	सन्तौशी	,,
106. 22 एन. पी.	29-4-86	हरमल कौर	,,
107. 57 एम. पी.	3-12-87	सुरजीत देवी	,,
108. श्यामगढ़	7-3-87	सीतादेवी	,,
109. सतजंडा	3-12-86	जमना	,,
110. ठण्डी	19-3-87	चन्द्रकला	,,
111. ठाकरी ए.	18-9-86	रेशमादेवी	,,
112. ठाकरी बी.	18-9-86	कमला देवी	,,
113. बालू वाला	3-12-86	वीरेन्द्रपाल कौर	,,
114. करड़ वाली	12-12-86	मनजीत कौर	,,

नोट :–विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर में कुल 114 आंगनबाड़ी केन्द्र है, जिनमें 5 केन्द्र बन्द है व 109 केन्द्र चल रहे हैं ।

367

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 182 की सूची

परिशिष्ट "अ"

: जिलेवार डार्क जोन भूमि क्षेत्रफल :

क्र. सं.	जिला	डार्क जोन (वर्ग कि. मी.)
1.	अजमेर	801.92
2.	अलवर	4131.99
3.	बाड़मेर	1626.46
4.	बांसवाड़ा	-शून्य-
5.	भरतपुर	690.97
6.	भीलवाड़ा	50.12
7.	बीकानेर	शून्य
8.	बून्दी	101.78
9.	चूरू	130.19
10.	चित्तौड़गढ़	959.01
11.	धौलपुर	1246.99
12.	डूंगरपुर	-शून्य-
13.	जयपुर	5472.23
14.	दौसा	
15.	जैसलमेर	-शून्य-
16.	जालौर	5333.41
17.	झालावाड़	1859.04
18.	झुन्झुनू	2385.34

1	2	3
19.	जोधपुर	4157.29
20.	कोटा	151.50
21.	बांरा	
22.	नागौर	1547.47
23.	पाली	1474.18
24.	सवाई माधोपुर	1062.94
25.	सीकर	1698.83
26.	सिरोही	1426.76
27.	टोंक	2.57
28.	उदयपुर	-शून्य-
29.	राजसमन्द	-शून्य-
		योग:— 36310.99

परिशिष्ट-13

तारांकित प्रश्न संख्या 183 की सूची

भू-संपति अधिकारी कार्यालय उदयपुर से बीकानेर स्थानान्तरित किया गया जिसमें निम्न कर्मचारी बीकानेर आये। सूची निम्न है :—

1. श्री प्रदीप टाक, कनिष्ठ अभियन्ता
2. श्री एस. एस. राव. निजी सहायक।
3. श्री आर. एल. नागदा, वरिष्ठ लिपिक।
4. श्री लक्ष्मीलाल शर्मा, वरिष्ठ ड्राफ्ट्समेन।
5. श्री एच. पी. नन्दवाना, ट्रेसर।
6. श्री एल. बी. शर्मा, मीटरी रीडर।
7. श्री राजेश वैष्णव, केज्यूवल टाइपिस्ट।
8. श्री रामलाल, ड्राईवर।
9. श्री देवीलाल, ड्राईवर।

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 190 की सूची

परिशिष्ट–क

1. करोली से सपोटरा वाया गदवा की चौकी धाधुपुरा रोड, गुनेसरा, अटा एवं कुडगांव मार्ग ।

अप सेवा			डाउन सेवा			संचालित वाहनों का विवरण	
करोली प्रस्थान	कुडगांव	सपोटरा पहुंच	सपोटरा प्रस्थान	कुडगांव	करोली पहुंच	वाहन संख्या	परमिट की वैधता ।
1. 10.45 (प्रात:)	12.15	2.30 सायं	6.30 प्रात:	7.30 7.45	9.00 प्रात:	1. एच. आर. जे. 3227 मो. 1979	23-10-94 तक
						2. आर. जे. यू. 9099 मो. 1985	28-9-94
2. 1.30 सायं	2.45 3.00	4.00 सायं	4.45 सायं	5.45 6.00	7.00 सायं		

2. गंगापुर से सपोटरा वाया डेयरीफार्म, ताजपुर, बालोजी, भोमपुर, डिकोली, डिकोली, डांबरा एवं कुडगांव ।

अप सेवा डाउन सेवा

1	2	3	4	5	6
	गंगापुर प्रस्थान	सपोटरा पहुंच	सपोटरा प्रस्थान	गंगापुर पहुंच	
1.	7.00 प्रातः	9.00 प्रातः	6.00 प्रातः	8.00 प्रातः	1. यू. पी. पी. 5134 27-9-92 तक मो. 1976
2.	8.30	11.00	9.30 प्रातः	11.30 प्रातः	2. डी. ई. पी. 2210 29-9-92 तक मो. 1977
3.	11.45 प्रातः	1.45	10.30 प्रातः	12.30 सायं	3. श्रार. श्रार. एम. 3740 17-5-93 मो. 19974
4.	1.00 सायं	3.00	11.30 प्रातः	1.30 सायं	4. सी. पी. बी 9793 4-2-93 मो. 1976
5.	2.30 सायं	4.30	3.00 सायं	5.00 सायं	5. श्रार. जे. यू. 7323 25-2-93 मो. 1984
6.	4.00 सायं	6.00 सायं	4.00 सायं	6.00 सायं	6. आर. जे. यू. 7356 20-2-93 मो. 1982
7.	5.00 सायं	7.15 सायं	5.30 सायं	7.50 सायं	7. श्रार. जे. 225 (पी). 006 19-395 मो. 1982
					8. श्रार. श्रार. एम. 406 12-3-96 तक मो. 1973

उपरोक्त समय सारणी में से श्रब सेवा में क्रम संख्या 4 व 6 तथा

डाउन सेवा में क्रम संख्या 2 6 में श्रंकित सेवाऐं कुम्गांव होकर संचालित न की जा कर वाया डेयरी फार्म, ताजपुर, बालो ती,

1	2	3	4	5	6

मोमपुर डिकोला होरी सीधी संचालन करने की स्वीकृति दी हुई है शेष सेवाएं गंगापुर से डेयरीफार्म ताजपुर बालौती मोमपुर, डिकोली डाबरा, कुडगांव होकर सपोटरा के लिए लिए निर्धारित है।

3. बौली से सपोटरा वाया भोडौती, मलाना डूंगर, गंगापुर सलोदा मोड, गंगाजी की कोठी, बाढ कमाजीपुर गांव,

अप सेवा

बौली प्रस्थान	मलाना डूंगर	गंगापुर	कुडगांव	सपोटरा पहुंच	
1. 6. प्रातः	7.30	9.30	11.00	12.15	1. आर. एस. जी 2779 11-2-95 मो. 1272
	7.45	10.15	11.15		
2. 2.00 सायं	3.30	5.54	7.15	8.30 सायं	2. आर. जे. 25/पी/2025 21-3-95 मो. 1278
	3.45	8.30	7.15		
					3. आर. जे. यू. 1244 21-3-95 मो. 1270

डाउन सेवा

सपोटरा प्रस्थान	कुडगांव	गंगापुर	मलाना डूंगर	बौली पहुंच	
1. 7.30 प्रातः	8.15	9.14	11.30	1.15	4. आर. एस. एम. 2067 20-4-95 तक मो. 1968
	8.30	9.30	11.45		
2. 2.00 सायं	30.0	3.45	5.45	7.30	
	3.25	4.00	6.00		

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 197 की सूची

निरंजन नाथ आचार्य राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, ईटाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर में स्वीकृत पद एवं कार्यरत अध्यापकों का विवरण:—

क्र. सं.	नाम विषय	स्वीकृत पद	कार्यरत प्रध्यापक	कार्यरत तिथि
1.	इतिहास	1	रिक्त	—
2.	हिन्दी	1	श्री देवीलाल	10-12-90
3.	भूगोल	1	श्री हीरालाल व्यास	23-1-91
4.	बहीखाता	1	श्री श्याम सुन्दर	2-989
5.	व्यापार पद्धति	1	श्री विशम्बरसिंह	17-3-86
6.	बैंकिंग	1	श्री बाघसिंह चौहान	8-9-89
7.	भौतिक विज्ञान	1	रिक्त	—
8.	रसायन विज्ञान	1	श्री रविन्द्रशंकर जैन	7-10-89
9.	जीव विज्ञान	1	श्री वीरेन्द्र कुमार जैन	7-10-89
10.	हिन्दी	1	श्री देवीलाल बागावत	10-12-89
11.	अंग्रेजी	1	श्री बृजला वैष्णव	अगस्त 91 में पदस्थापित किया है।